अध्याय-1

लोकायुक्त संस्था का परिचय

1.1 इतिहास एवं पृष्ठभूमि

विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को 'ऑम्बुड्समैन' कहा जाता है, उसे भारत में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इस संस्था को लोकपाल या लोकायुक्त नाम मशहूर कानूनविद् डॉ.एल.एम. सिंघवी ने वर्ष 1963 में दिया था। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक (लोगों) और पाला (संरक्षक) से बना है।

लोकपाल या ऑम्बुड्समैन नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है। सर्वप्रथम इस संस्था की अवधारणा स्वीडन में की गई जहां वर्ष 1713 में किंग चार्ल्स XII ने कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने के लिए अपने एक सभासद को नियुक्त किया। स्वीडन में जब नया संविधान बना तो इस हेतु गठित संविधान सभा के सदस्यों का आग्रह रहा कि इस सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था से भिन्न उनका ही एक अधिकारी जाँच का कार्य करे जो किसी भी स्थिति में सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए। इस पर वर्ष 1809 में स्वीडन के संविधान में 'ऑम्बुड्समैन फॉर जस्टिस' के रूप में सर्वप्रथम इस संस्था की व्यवस्था की गयी। इस संस्था का मुख्य कार्य लोक सेवकों द्वारा विधि, नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन तथा अपालना से सम्बन्धित प्रकरणों की जाँच करना था।

स्वीडन के बाद धीरे-धीरे आस्ट्रिया, डेनमार्क तथा अन्य स्कोण्डीनेवियन देशों और फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं यूरोप के कई देशों में भी 'ऑम्बुड्समैन' संस्था का गठन किया गया। संस्था की

लोकप्रियता दिनों-दिन बढ़ते जाने पर फिनलैण्ड में वर्ष 1919, डेनमार्क में 1954, नार्वे में 1961 व ब्रिटेन में 1967 में भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से ऑम्बुड्समैन संस्था की स्थापना की गई। अब तक 135 से अधिक देशों में 'ऑम्बुड्समैन' की नियुक्ति की जा चुकी है।

'ऑम्बुड्समैन' स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ लोगों का प्रतिनिधि या एजेन्ट होता है। वस्तुतः 'ऑम्बुड्समैन' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे पारदर्शिता के साथ कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलम्ब, अकुशलता, अकर्मण्यता एवं पद के दुरूपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया जाता है। 'ऑम्बुड्समैन' को ब्रिटेनिका-विश्वकोश में नागरिकों द्वारा नौकरशाही की शक्तियों के दुरूपयोग के सम्बन्ध में की गयी शिकायतों की जाँच करने हेतु व्यवस्थापिका द्वारा नियुक्त 'आयुक्त' बताया गया है।

विभिन्न देशों में 'ऑम्बुड्समैन' को भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है। उदाहरणार्थ - ब्रिटेन, डेनमार्क एवं न्यूजीलैण्ड में यह संस्था 'संसदीय आयुक्त' (Parliamentary Commissioner) के नाम से जानी जाती है। रूस में इसे वक्ता अथवा प्रोसिक्यूटर के नाम से जाना जाता है।

इस संस्था की आवश्यकता व उपादेयता के बारे में देश के कई न्यायाधीशगण व चिन्तकों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उदाहरण के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गढ़कर ने अपनी पुस्तक ''लॉ, लिबर्टी एण्ड सोशियल जस्टिस'' में यह उल्लेख किया कि जब तक हम भारत में 'ऑम्बुड्समैन' जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान में संशोधन करके अथवा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को सांविधिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकेगा।

भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ है और आज प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। इसे समाप्त करने के लिए समय-समय पर अनेक प्रयास किये गये हैं। राजस्थान में वर्ष 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन में 'ऑम्बुड्समैन' जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी, जिसका कार्य, कार्यपालिका की कार्यवाहियों पर नजर रखना तथा ऐसे मामलों, जिनमें सरकार की किसी भी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही अवैध, अन्यायपूर्ण या मनमानी हो, विद्यमान नियमों या स्थापित प्रक्रिया से विपरीत या इनके उल्लंघन में हो, पर कार्यवाही करते हुए उन शिकायतों जिनमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लगाया गया हो, के सम्बन्ध में समुचित अन्वेषण करना हो।

हमारे देश में 5 जनवरी, 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने ''प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवन्सेज'' से सम्बन्धित अपने प्रतिवेदन में व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जनआकांक्षाओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशून्यता के विरूद्ध प्राय: उभरने वाले आक्रोश पर विचार कर यह सिफारिश की थी कि जन अभियोग निवारण हेतु तथा दुराचारपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जाँच के लिए केन्द्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक सांविधिक संस्था की स्थापना की जाये किन्तु इस सिफारिश को लम्बे समय तक स्वीकार नहीं किया गया। अब इसे स्वीकार तो किया गया है किन्तु वस्तुत: इसकी क्रियान्विति अभी मूर्त रूप नहीं ले सकी है।

जहाँ तक हमारे देश में लोकायुक्त संस्था का प्रश्न है, सर्वप्रथम ओडिशा में वर्ष 1971 में लोकायुक्त की स्थापना हुई, जहाँ वर्ष 1995 में पुन: नया 'लोकायुक्त अधिनियम' बना और तदुपरान्त ओडिशा विधानसभा ने अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावी प्रावधानों को समाहित करते हुए ओडिशा

लोकायुक्त बिल 2014 पारित कर दिया है। वर्ष 1971 में महाराष्ट्र और वर्ष 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। इसके उपरान्त लगभग 20 से अधिक राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई। इसके पूर्व भी राजस्थान में जन अभियोगों की निगरानी के लिए जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग कार्यरत था, किन्तु सरकार के इस तन्त्र में किसी ऐसी संस्था का समावेश नहीं था जिसके माध्यम से मंत्रियों, सचिवों और लोकसेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता की शिकायतों की जांच तथा अन्वेषण किया जा सके। फलस्वरूप जनता में विश्वास और सन्तोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिये तथा स्वच्छ, ईमानदार, सक्षम और संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने हेतु मंत्रियों, सचिवों और लोकसेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता आदि की शिकायतों को देखने एवं उनमें अन्वेषण करने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी का सृजन करना तुरन्त आवश्यक समझा गया और इस उद्देश्य की अभिप्राप्ति हेतु वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से प्रभाव में लाया गया। इसे 26 मार्च, 1973 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और तब से यह 'लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973' के रूप में प्रदेश में प्रभावी है।

1.2 अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियाँ

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अन्तर्गत लोकायुक्त को राज्य-सरकार के मंत्रियों, सचिवों, अधिकारियों तथा अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध निम्न अभिकथनों के अन्वेषण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं :-

1. लोकसेवक ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुँचाने के लिए ऐसे लोकसेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरूपयोग किया है;
2. लोकसेवक अपनी पदीय हैसियत में कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट हेतुओं से प्रेरित था;
3. लोकसेवक अपनी पदीय हैसियत में भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी का दोषी है;

उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 में ''मंत्री'', ''सचिव'', ''अधिकारी'' एवं ''लोकसेवक'' को परिभाषित किया गया है।

''मंत्री'' से राजस्थान राज्य की मंत्री परिषद का कोई सदस्य (मुख्यमंत्री के अतिरिक्त) अभिप्रेत है, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य-मंत्री या उप-मंत्री;

''सचिव'' से राजस्थान सरकार का सचिव अभिप्रेत है और इसमें विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव सम्मिलित है।

''अधिकारी'' से राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

''लोकसेवक'' से तात्पर्य निम्न में से किसी भी प्रकार के व्यक्ति से है:-

(1) प्रत्येक मंत्री;

(2) प्रत्येक सचिव एवं अधिकारी;

(3) जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख/उप-प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान/उप-प्रधान एवं पंचायती राज अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थाई समिति का अध्यक्ष;

(4) नगर निगम का प्रत्येक महापौर/उप-महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी समिति का अध्यक्ष।

(5) निम्नलिखित की सेवा में या वेतनभोगी के रूप में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति :-

(i) राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है;

(ii) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित एवं राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो);

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के अन्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है, या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंशपूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है;

(iv) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज-पत्र में सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है।

1.3 जाँच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया

इस सचिवालय में विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ-पत्र सहित प्राप्त प्रत्येक परिवाद पर सम्बन्धित विभाग के उच्च/उच्चतर अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट/टिप्पणी आवश्यक दस्तावेजात सहित मँगवाई जाती है।

इसके बाद उसका गहन परीक्षण करने पर यदि यह पाया जाता है कि रिपोर्ट/टिप्पणी अधूरी है या अन्य सुसंगत दस्तावेज भी आवश्यक हैं तो पुनः पूर्ण रिपोर्ट/टिप्पणी मय सुसंगत दस्तावेज/अभिलेख मँगवाई जाती है। तदुपरान्त परिवाद के सन्दर्भ में प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी व अभिलेख/दस्तावेज आदि का पुनः परीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक होने पर विभाग से प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में परिवादी से उसकी टिप्पणी/आपत्ति माँगी जाती है।

यदि विभाग द्वारा किन्हीं लोकसेवकों को दोषी पाया जाना सूचित किया जाता है तो उनके विरूद्ध की गई/प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु लिखा जाता है। यदि इस सचिवालय द्वारा पाया जाता है कि परिवाद में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हैं या कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है तो परिवादी को सूचित करते हुए परिवाद नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं। यदि प्रथमदृष्टया यह पाया जाता है कि किसी लोकसेवक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग अथवा भ्रष्टाचार का कोई कृत्य या कार्यवाही की गई है या अकर्मण्यता की गई है तो इस बाबत प्रारम्भिक जाँच की जाती है। प्रारम्भिक जाँच में परिवादी व अन्य आवश्यक समझे जाने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है। उनसे आवश्यक अभिलेख या दस्तावेज भी मँगवाये जाते हैं।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत जाँच/अन्वेषण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियाँ लोकायुक्त को प्राप्त हैं, जैसे :-

(1) किसी भी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे हाजिर करना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(2) किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना;

(3) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(4) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक–अभिलेख की या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;

(5) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(6) अन्य ऐसे मामले, जो विहित किये जायें।

प्रारम्भिक जाँच के परिणामस्वरूप यदि किसी लोकसेवक के विरूद्ध आरोप बाबत पर्याप्त साक्ष्य पाई जाती है तो लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। इस कार्यवाही में उस अपचारी लोकसेवक/लोकसेवकों एवं सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को परिवाद/प्रारम्भिक जाँच की रिपोर्ट व अन्वेषण के आधारों का विवरण भेजा जाता है। अपचारी लोकसेवक/लोकसेवकों को इन पर अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जाता है। तत्पश्चात् अन्वेषण की कार्यवाही में ऐसे अपचारी लोकसेवक को, अपने बचाव में स्वयं की साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य वह साक्ष्य जिसे वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहता है, प्रस्तुत करने व परिवादी व उसके साक्षियों से जिरह करने का अवसर भी दिया जाता है।

इसके पश्चात् दोनों पक्षों को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है एवं अन्वेषण की इस समस्त कार्यवाही के पूर्ण होने पर उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड/साक्ष्य/अभिलेख का परिशीलन उपरान्त विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए अन्वेषण की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है तो परिवादी को

सूचित करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध करने का आदेश दिया जाता है। यदि किसी आरोप के सम्बन्ध में अन्वेषण के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि ऐसे आरोप को पूर्णत: या अंशत: सिद्ध किया जा सकता है तो धारा 12 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित लिखित प्रतिवेदन द्वारा अपना निष्कर्ष तथा सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जाती है। प्रतिवेदन प्राप्ति के दिवस से 03 माह के भीतर प्रतिवेदन के आधार पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से माँगी जाती है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही से सन्तोष हो जाता है तो प्रकरण नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं और इसकी सूचना परिवादी, सम्बन्धित लोकसेवक एवं सक्षम प्राधिकारी को दी जाती है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं पाई जाती है तो धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रकरण में माननीय राज्यपाल महोदय को ''विशेष प्रतिवेदन'' भेजा जाता है। इसकी सूचना सम्बन्धित परिवादी को भी दिये जाने का प्रावधान है।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा 4 के अन्तर्गत लोकायुक्त द्वारा सम्पादित कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदय को ''वार्षिक प्रतिवेदन'' प्रस्तुत किया जाता है। धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उप-धारा (3) के अधीन ''विशेष प्रतिवेदन'' एवं उप-धारा (4) के अधीन प्राप्त ''वार्षिक प्रतिवेदन'' की एक प्रतिलिपि को स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवाये जाने का प्रावधान है।

यह भी उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत उनके समक्ष होने वाली कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत एक न्यायिक कार्यवाही मानी गई है।

1.4 प्रशासनिक स्थिति एवं बजट

लोकायुक्त सचिवालय में प्रतिवेदनाधीन अवधि में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	रिक्त पद
1	प्रमुख सचिव	01	01	0
2	सचिव	01	01	0
3	प्रमुख निजी सचिव	01	01	0
4	संयुक्त सचिव	06	06	0
5	विशेषाधिकारी-जे	01	01	0
6	विशेषाधिकारी-आर	01	01	0
7	संयुक्त विधि परामर्शी	01	01	0
8	उप सचिव	05	05	0
9	सहायक सचिव	06	06	0
10	निजी सचिव	02	02	0
11	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01	0
12	अतिरिक्त निजी सचिव	03	03	0
13	अनुभाग अधिकारी	05	05	0
14	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I	01	01	0
15	जन सम्पर्क अधिकारी	01	01	0

16	सहायक नगर नियोजक	01	00	1
17	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	01	01	0
18	सहायक अनुभाग अधिकारी	04	02	02
19	निजी सहायक	05	04	01
20	कनिष्ठ लेखाकार	01	0	01
21	आशुलिपिक	09	07	02
22	सहायक प्रोग्रामर	02	01	01
23	सूचना सहायक	14	13	01
24	ड्राफट्समैन	01	01	0
25	लिपिक ग्रेड–I	08	06	2
26	लिपिक ग्रेड–II	19	18	01
27	वाहन चालक	06	06	0
28	जमादार	02	02	00
29	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	20	20	00
30	प्रोसेस सर्वर	04	04	0
31	अति. पुलिस अधीक्षक	01	0	01
32	उप पुलिस अधीक्षक	02	0	02
33	पुलिस निरीक्षक	01	0	01
34	पुलिस उप निरीक्षक	01	0	01
35	हैड कांस्टेबल	03	0	03
36	कांस्टेबल	07	0	07
कुल		148	121	27

वित्तीय वर्ष 2017-18 में लोकायुक्त सचिवालय हेतु मूल आवंटित/संशोधित बजट एवं इसके मुकाबले हुए वास्तविक व्यय का मदवार विवरण (लाखों में) नीचे दिया जा रहा है:-

क्र.सं.	बजट शीर्ष	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन	व्यय
1	01-संवेतन	670.00	745.00	
2	03-यात्रा भत्ता	1.50	1.50	
3	04-चिकित्सा भत्ता	4.00	4.00	
4	05-कार्यालय व्यय	22.90	22.90	
5	06-वाहनों का क्रय	0.01	22.61	
6	07-कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	5.00	5.00	
7	08-वृतिक एवं विशिष्ट सेवाएँ	1.00	1.00	
8	11-विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय	5.00	5.00	
9	14-सत्कार/आतिथ्य/उपहार व्यय आदि	0.10	0.10	
10	20-कार्यकलाप सम्बन्धी वाहनों का संचालन एवं संधारण	1.50	2.00	
11	21-अनुरक्षण एवं मरम्मत	0.01	0.01	
12	31-पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	1.00	0.50	
13	36-वाहनों का किराया	19.20	19.20	
14	37-वर्दियां तथा अन्य सुविधाएँ	0.46	0.46	
15	41-संविदा व्यय	17.00	20.00	
16	62-कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बंधी संचार व्यय	0.01	0.01	
	कुल राशि	**748.69**	**849.29**	

अध्याय–2

सम्पादित कार्य

इस अध्याय में प्रतिवेदनाधीन अवधि (दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018) में सम्पादित कार्य एवं मेरे पदभार ग्रहण की दिनांक 25.03.2013 से 28.02.2018 तक की अवधि में सम्पादित कुल कार्य से सम्बन्धित विवरण दिये जा रहे हैं।

2.1 समग्र कार्य

परिवादों का विवरण.

दिनांक 01.04.2017 को **4312** परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 28.02.2018 की अवधि में **4807** परिवाद और प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल **9119** परिवादों में से **5107** परिवादों का निस्तारण करने पर दिनांक 28.02.2018 को **4012** परिवाद लम्बित रहे। इनका विवरण **परिशिष्ट–2.1** में दिया गया है।

मेरे द्वारा लोकायुक्त का पदभार ग्रहण करने की दिनांक 25.03.2013 से दिनांक 28.02.2018 तक की अवधि में प्राप्त, निस्तारित एवं लम्बित परिवादों का वर्षानुसार विवरण :

अवधि	वर्ष प्रारम्भ में लम्बित परिवाद	वर्ष में प्राप्त परिवाद	कुल परिवाद	वर्ष के दौरान निस्तारित परिवाद	वर्षान्त में लम्बित रहे परिवाद
25.03.2013 से 31.03.2014	3784	2873	6657	3928	2729
01.04.2014 से 31.03.2015	2729	4433	7162	3756	3406
01.04.2015 से 31.03.2016	3406	6485	9891	4990	4901

01.04.2016 से 31.03.2017	4901	5384	10285	5973	4312
01.04.2017 से 28.02.2018	4312	4807	9119	5107	4012
कुल		23982		23754	

उक्त सारिणी का बार ग्राफ :

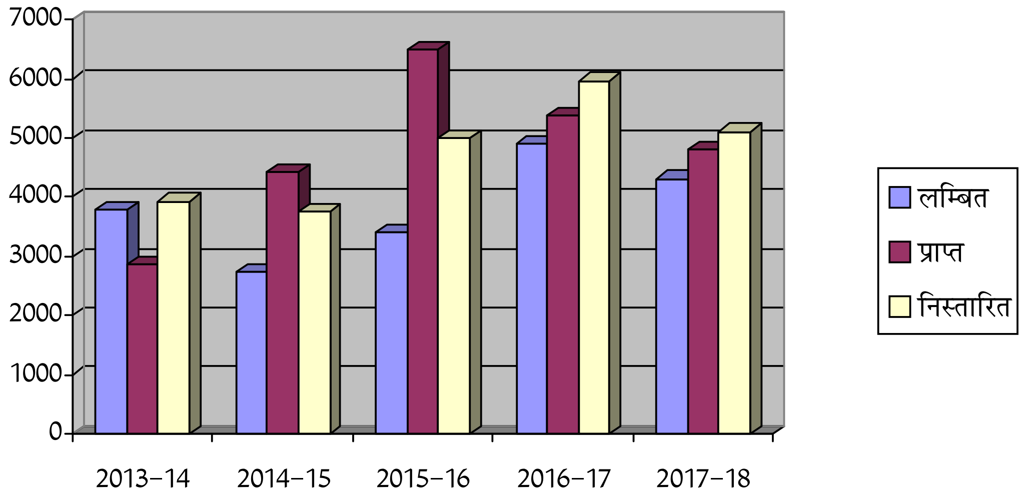

उपर्युक्त सारिणी एवं ग्राफिक्स से यह स्पष्ट है कि लोकायुक्त संस्था की उपयोगिता, महत्व, कार्यप्रणाली एवं क्षेत्राधिकार से राजस्थान की आम जनता को परिचित करवाने के उद्देश्य से किये गये विभिन्न प्रयासों के **परिणामस्वरूप मेरे कार्यकाल में दिनांक 28.02.2018 तक लोकायुक्त संस्था के इतिहास में सर्वाधिक कुल 23982 परिवाद प्राप्त हुए। इसी अवधि में कुल 23754 परिवादों का निस्तारण किया गया, जो भी इस संस्था के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक निस्तारण है।** इससे यह भी परिलक्षित है कि उक्त कार्य-अवधि में राज्य की जनता में अपनी व्यथा को लोकायुक्त के समक्ष रखने की जागरूकता एवं परिवादों के प्रभावी निस्तारण के फलस्वरूप अनुतोष की प्राप्ति एवं दोषी लोकसेवकों के

विरूद्ध कार्यवाही होने से संस्था के प्रति उनमें विश्वास पैदा हुआ है तथा इस आधार पर हमारा यह हौंसला भी बढ़ा है कि यह संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता हासिल कर पाई है। इस तथ्य की पुष्टि **परिशिष्ट-2.2** से प्रकट है।

माथुर आयोग से प्राप्त प्रकरण

परिशिष्ट-2.1 के अनुसार माथुर आयोग से अन्तरित होकर प्राप्त हुए प्रकरणों में से दिनांक 01.04.2017 को **249** प्रकरण जाँच कार्यवाही में लम्बित थे। प्रतिवेदनाधीन अवधि में **221** प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 28.02.2018 को **28** प्रकरण जाँच कार्यवाही में लम्बित रहे। ये प्रकरण सम्बन्धित विभागों से अपेक्षित रिपोर्ट/सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण लम्बित रहे। माथुर आयोग से प्राप्त प्रकरणों की समेकित जांच रिपोर्ट दिनांक 31.01.2018 को माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत की गई।

वर्ष 2011-12 में 18 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका था। शेष 1810 प्रकरणों के निस्तारण का वर्षानुसार विवरण निम्न प्रकार है :

अवधि	वर्ष प्रारम्भ में लम्बित प्रकरण	प्राप्त प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	वर्षान्त में लम्बित रहे प्रकरण
25.03.2013 से 31.03.2014	1484	326	721	1089
01.04.2014 से 31.03.2015	1089	0	289	800
01.04.2015 से 31.03.2016	800	0	179	621
01.04.2016 से 31.03.2017	621	0	372	249
01.04.2017 से 28.02.2018	249	0	221	28

खान आवंटन जांच

माननीय राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 17.10.2015 के द्वारा खान विभाग के लोकसेवकों द्वारा दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 की कालावधि में खान आवंटन प्रक्रिया में जारी मंशा-पत्रों एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रों की स्वीकृति में की गई अनियमितताओं की जांच लोकायुक्त द्वारा करने के निर्देश दिये गये। जांच हेतु प्राप्त सम्बन्धित पत्रावलियों में से 15 जिलों के कुल 185 प्रकरणों में अन्वेषण के उपरान्त दोषी पाये गये 32 लोकसेवकों के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंषा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये तथा पांच अन्य जिलों के कुल 80 प्रकरणों में प्रारम्भिक जांच के उपरान्त प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये लोकसेवकों के विरूद्ध अन्वेषण प्रारम्भ किया जा चुका है।

सर्वाधिक परिवादों वाले विभाग.

दिनांक 01.4.2017 से 28.2.2018 तक की कालावधि में सर्वाधिक परिवादों वाले विभागों का विवरण :

क्र.सं.	विभाग का नाम	परिवाद
1.	राजस्व	885
2.	नगरीय विकास एवं आवासन/स्वायत्त शासन	860
3.	पुलिस	814
4.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	755

दिनांक 01.04.2013 से 28.02.2018 तक की कालावधि में सर्वाधिक परिवादों वाले विभागों का विवरण :

क्र. सं.	विभाग का नाम	01.04.13 से 31.03.14	01.04.14 से 31.03.15	01.04.15 से 31.03.16	01.04.16 से 31.03.17	01.04.17 से 28.02.18	कुल
1.	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	489	881	1057	835	860	4122
2.	राजस्व	392	654	1025	972	885	3928
3.	पुलिस	438	719	929	920	814	3820
4.	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	233	545	695	838	755	3066

स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान पर संस्थित प्रकरण.

दिनांक 01.4.2017 से 28.2.2018 तक की कालावधि में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर 27 प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिनका संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट-2.3** में दिया गया है।

दिनांक 01.04.2013 से 28.02.2018 तक की कालावधि में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान द्वारा संस्थित कुल 158 प्रकरणों का वर्षानुसार विवरण :

अवधि	स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान पर संस्थित प्रकरण
01.04.2013 से 31.03.2014	21
01.04.2014 से 31.03.2015	58
01.04.2015 से 31.03.2016	39
01.04.2016 से 31.03.2017	13
01.04.2017 से 28.02.2018	27
कुल	158

2.2 प्रारम्भिक जाँच प्रकरण.

दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018 तक की कालावधि में लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट–2.4** में दिया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 01.04.2017 को कुल 28 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018 तक की कालावधि में 271 और प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई।

इस प्रकार उक्त कालावधि में प्रारम्भिक जाँच के कुल 299 प्रकरणों में से 13 प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, 05 प्रकरण अन्वेषण के पर्याप्त आधार न होने के कारण एवं 06 प्रकरण अन्य कारणों से नस्तीबद्ध किये गये और 176 प्रकरण अन्वेषण प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण अन्वेषण प्रकरणों के शीर्ष में अन्तरित किये गये। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 221 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 28.02.2018 को 78 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही।

दिनांक 25.03.2013 से 28.02.2018 तक की कालावधि में प्रारम्भिक जाँच के कुल 472 प्रकरणों में से 48 प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, 22 प्रकरण अन्वेषण के पर्याप्त आधार न होने के कारण एवं 40 प्रकरण अन्य कारणों से नस्तीबद्ध किये गये, 247 प्रकरण अन्वेषण प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण अन्वेषण प्रकरणों के शीर्ष में अन्तरित किये गये और 37 प्रकरणों में राज्य सरकार को सुझाव भेजे गये/सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) में अनुशंसा की गई। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 394 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 28.02.18 को 78 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही। इनका विवरण **परिशिष्ट–2.5** में दिया गया है।

2.3 अन्वेषण प्रकरण.

दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018 तक की कालावधि में लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित अन्वेषण प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट–2.6** में दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 01.04.2017 को कुल 48 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित था। दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018 तक की कालावधि में 720 और प्रकरणों में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

इस प्रकार उक्त कालावधि में अन्वेषण के कुल 768 प्रकरणों में से 211 प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण, 12 अन्य कारणों से नस्तीबद्ध किये गये और 222 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत अनुशंसा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि में कुल 445 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 28.02.2018 को 323 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा।

दिनांक 25.03.2013 से 28.02.2018 तक की कालावधि में कुल 836 अन्वेषण प्रकरणों में से 239 प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने के कारण और 21 प्रकरण अन्य कारणों से नस्तीबद्ध किये तथा 253 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंसा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि में कुल 513 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 28.02.18 को 323 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा, जिनका विवरण **परिशिष्ट–2.7** में दिया गया है।

2.4 अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन के प्रकरण

दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018 तक की कालावधि में **परिशिष्ट–2.6** के अनुसार कुल 222 प्रकरणों में अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंसा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इन प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण

अध्याय-5 **''अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित अनुशंसा-प्रतिवेदन के प्रकरण''** में दिया गया है।

दिनांक 25.03.2013 से 28.02.2018 तक की कालावधि में कुल 253 प्रकरणों में अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंसा-प्रतिवेदन प्रेषित किये गये।

2.5 इस सचिवालय की कार्यवाही पर विभागों द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही के अन्य प्रकरण.

दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018 तक की कालावधि में विभिन्न प्रकरणों में 407 लोक सेवकगण के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ/निर्णीत की गईं, जिनका विभागवार संख्यात्मक विवरण **परिशिष्ट-2.8** में एवं संक्षिप्त विवरण **अध्याय-6 ''अनुशासनिक कार्यवाहियों के अन्य प्रकरण''** में दिया गया है।

दिनांक 25.03.2013 से 28.02.2018 तक की कालावधि में 1239 विभिन्न लोक सेवकगण के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ/निर्णीत की गईं, जिनका विभागवार संख्यात्मक विवरण **परिशिष्ट-2.09** में दिया गया है।

2.6 इस सचिवालय की कार्यवाही पर परिवादीगण को प्राप्त अनुतोष के प्रकरण.

दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018 तक की कालावधि में 791 प्रकरणों में परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया। अनुतोष प्रदान किये गये प्रकरणों का विभागवार संख्यात्मक विवरण **परिशिष्ट 2.10** में और संक्षिप्त विवरण **अध्याय-7 ''अनुतोष के प्रकरण''** में दिया गया है।

दिनांक 25.03.2013 से 28.02.2018 तक की कालावधि में 2315 प्रकरणों में परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया। उक्त अवधि में अनुतोष प्रदान किये गये प्रकरणों का विभागवार संख्यात्मक विवरण **परिशिष्ट-2.11** में दिया गया है।

परिशिष्ट–2.1

लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण

कालावधि – दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	दिनांक 01.04.17 को लम्बित परिवाद	दिनांक 01.04.17 से 28.02.18 तक प्राप्त परिवाद	योग कॉलम 1 व 2	दिनांक 01.04.17 से 28.02.18 तक निस्तारित परिवाद	दिनांक 28.02.18 को लम्बित रहे परिवाद (3-4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	11	21	32	20	12
3	पुलिस	406	814	1220	845	375
4	सहकारिता	09	39	48	39	09
5	शिक्षा	62	182	244	163	81
6	कॉलेज शिक्षा	08	22	30	16	14
7	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	35	68	103	64	39
8	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	43	99	142	92	50
9	सार्वजनिक निर्माण	33	65	98	61	37
10	उर्जा (विद्युत कम्पनियां)	55	157	212	129	83
11	राजस्व	531	885	1416	938	478

12	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	393	755	1148	684	464
13	अकाल एवं राहत	–	–	–	–	0
14	यातायात	04	14	18	14	04
15	वन	30	53	83	83	23
16 व 17	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	1040	860	1900	796	1104
18	आबकारी	05	29	34	26	08
19	उद्योग	02	23	25	17	08
20	मुद्रण एवं लेखन	–	01	01	0	01
21	पशुपालन	01	05	06	04	02
22	माथुर आयोग से अंतरित	249	01	250	222	28
23	जल संसाधन	38	19	57	43	14
24	इं.गा.नहर परियोजना	01	01	02	02	0
25	खान आवंटन जाँच	852	0	852	191	661
26	उपनिवेशन	02	08	10	06	04
28	न्याय	0	08	08	07	01
29	जेल	04	07	11	07	04
30	श्रम	08	15	23	17	06
31	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	50	76	126	77	49

32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	24	54	78	50	28
33	भू-प्रबन्ध	01	03	04	02	02
34	सचिवालय	19	22	41	17	24
35	विविध	287	371	658	343	315
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	05	06	11	04	07
41	आयुर्वेद	04	03	07	06	01
42	देवस्थान	11	09	20	11	09
43	रा.रा.प.प.निगम	01	12	13	08	05
44	वाणिज्यिक कर	04	10	14	08	06
45	खान एवं भूविज्ञान	61	48	109	63	46
46	संस्कृत शिक्षा	01	02	03	02	01
47	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि	22	32	54	47	07
48	तकनीकी शिक्षा	0	08	08	06	02
योगः-		**4312**	**4807**	**9119**	**5107**	**4012**

परिशिष्ट–2.2

प्राप्त, निस्तारित व लम्बित परिवादों का विवरण
कालावधि – दिनांक 01.04.1979 से 28.02.2018

अवधि	वर्ष प्रारम्भ में लम्बित परिवाद	वर्ष में प्राप्त परिवाद	कुल परिवाद	वर्ष के दौरान निस्तारित परिवाद	वर्षान्त में लम्बित रहे परिवाद
01.04.1979 से 31.03.1980	521	231	752	313	438
01.04.1980 से 31.03.1981	438	318	756	360	396
01.04.1981 से 31.03.1982	396	240	636	328	308
01.04.1982 से 31.03.1983	308	263	571	163	412
01.04.1983 से 31.03.1984	412	229	641	–	641
01.04.1984 से 31.03.1985	641	371	1012	834	178
01.04.1985 से 31.03.1986	178	340	518	270	248
01.04.1986 से 31.03.1987	248	106	354	161	193
01.04.1987 से 31.12.1987	193	81	274	190	84
01.01.1988 से 30.06.1989	84	698	782	614	168

01.07.1989 से 31.12.1989	168	236	404	206	198
01.01.1990 से 31.08.1993	198	1795	1993	1675	318
01.09.1993 से 31.03.1996	318	1411	1729	1446	283
01.04.1996 से 31.03.1997	283	623	906	728	178
01.04.1997 से 31.03.1998	178	577	755	629	126
01.04.1998 से 31.03.1999	126	430	556	455	101
01.04.1999 से 31.03.2000	101	402	503	249	254
01.04.2000 से 31.03.2001	254	1101	1355	535	820
01.04.2001 से 31.03.2002	820	1648	2468	977	1491
01.04.2002 से 31.03.2003	1491	1934	3425	2341	1084
01.04.2003 से 31.03.2004	1084	1369	2453	1627	826
01.04.2004 से 26.11.2004	826	1246	2072	1188	884
27.11.2004 से 31.03.2005	884	456	1340	–	1340
01.04.2005 से 31.03.2006	1340	1037	2377	–	2377
01.04.2006 से 30.04.2007	2377	517	2894	–	2894

01.05.2007 से 31.03.2008	2894	1267	4161	3040	1121
01.04.2008 से 31.03.2009	1121	1246	2367	1357	1010
01.04.2009 से 31.03.2010	1010	1147	2157	1307	850
01.04.2010 से 31.03.2011	850	1408	2258	1401	857
01.04.2011 से 31.03.2012	857	3495	4352	1846	2506
01.4.2012 से 31.03.2013	2506	1393	3899	96	3803
01.04.2013 से 31.03.2014	3803	2854	6657	3928	2729
01.04.2014 से 31.03.2015	2729	4433	7162	3756	3406
01.04.2015 से 31.03.2016	3406	6485	9891	4990	4901
01.04.2016 से 31.03.2017	4901	5384	10285	5973	4312
01.04.2017 से 28.02.2018	4312	4807	9119	5107	4012

परिशिष्ट–2.3

स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान पर संस्थित प्रकरण
कालावधि – दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	सम्बन्धित विभाग/पद
1	12(687)2017	दैनिक भास्कर समाचार-पत्र में दिनांक 12 जनवरी, 2018 में प्रकाशित खबर ''मनमर्जी कर रहे हैं ए.सी.एस. सेठी, न तो फाइल भेजते हैं, न जवाब, भ्रष्टाचार की भी जाँच नहीं'' के सम्बन्ध में।	अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशक, स्टेट मिशन, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जयपुर।
2	15(45)2017	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 18 जनवरी, 2018 को प्रकाशित खबर सरिस्का के कोर एरिया में बन गए अवैध होटल के बाबत।	वन विभाग, सरिस्का, अलवर के अधिकारी।
3	5(148)2017	आपके परिवाद में ''चार बच्चियों ने दिखाया हौंसला, दी शिकायत मगर विभाग दबा बैठा'' के सम्बन्ध में।	अध्यापक, राजकीय विद्यालय, मानसरोवर, शिक्षा विभाग, जयपुर।
4	16(467)2017	राष्ट्रदूत समाचार में दिनांक 01.12.2017 को प्रकाशित खबर ''गोल बाजार में पाँच मंजिल होटल, स्वीकृति दो मंजिल की'' के सम्बन्ध में।	नगर परिषद, श्रीगंगानगर के अधिकारी।

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	सम्बन्धित विभाग/पद
5	3(585)2017	दैनिक समाचार-पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 28 नवम्बर 2017 को प्रकाशित खबर ''दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाने गए तो धक्के देकर निकाला'' के सम्बन्ध में	पुलिस थाना, खानपुर (झालावाड़) के अधिकारी।
6	35(228)2017	दैनिक भास्कर के जयपुर संस्करण में छपी खबर ''डेंगू जान लेने पर विभाग को इन्तजार है, ...सर्दी कब आएगी'' शीर्षक के क्रम में।	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7	12(473)2017	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित खबर ''यह कैसा संरक्षण, 5 बार माना दोषी फिर भी सुरक्षित सरपंच'' के सम्बन्ध में।	पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8	7(40)2017	दैनिक भास्कर दिनांक 24.10.2017 में छपी खबर ''गरीब का 5400 किलो गेहूँ डकारने वाला राशन डीलर हो गया बहाल'' के सम्बन्ध में।	जिला रसद अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शाहपुरा, जयपुर।
9	17(129)2017	दैनिक भास्कर में दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को प्रकाशित खबर ''बिना इजाजत 20x33 फीट के प्लॉट पर बना दी 5 मंजिल, 29 कमरें'' के सम्बन्ध में।	नगर सुधार न्यास, कोटा के अधिकारी।
10	17(128)2017	दैनिक भास्कर में दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित ''सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर कब्जे, जेडीए के पास रिकॉर्ड नहीं'' के सम्बन्ध में।	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अधिकारी।

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	सम्बन्धित विभाग/पद
11	29(7)2017	आपके परिवाद में दैनिक भास्कर में दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित ''खबर हाई सिक्यूरिटी जेल प्रशासन हार्डकोर बदमाशों तक पहुँचाता है'' के सम्बन्ध में।	हाई सिक्यूरिटी जेल, अजमेर के अधिकारी।
12	9(27)2017	समाचार-पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 03.10.2017 को प्रकाशित खबर ''दो माह से चक्कर काट रहा था ठेकेदार, भूख हड़ताल की तो भुगतान को राजी हुए पी. डब्ल्यू.डी. के इंजिनियर'' के सम्बन्ध में।	सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिटी खण्ड-।।, जयपुर के अधिकारी।
13	16(357)2017	दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर दिनांक 28 सितम्बर, 2017 ''लाहोटी 23 साल में भाजपा के ऐसे पहले मेयर जो सबसे लम्बे समय तक कमेटियाँ नही बनवा पाये'' के सम्बन्ध में।	मेयर, नगर निगम, जयपुर।
14	19(12)2017	दैनिक भास्कर में दिनांक 20.08.2017 को प्रकाशित खबर ''इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के नाम पर घपला'' कम्पनी की टेक्स छूट 359 से बढाकर की 446 करोड़, ''87 करोड़ का घोटाला'' के सम्बन्ध में।	आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15	35(152)2017	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर ''अपनों से विधायक का प्यार तबेले में जड़वा दी टाइल्स'' के सम्बन्ध में।	सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग अलवर के अधिकारी।

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	सम्बन्धित विभाग/पद
16	3(366)2017	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 22.12.2014 को छपी खबर ''नेताओ पर जाँच की कछुआ चाल'' बाबत।	राजस्थान पुलिस के अधिकारी।
17	31(38)2017	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 03 अगस्त, 2017 को प्रकाशित खबर ''अफसरों ने बाँट दिये 9.12 करोड़ की भूमि के फर्जी पट्टे'' के सम्बन्ध में।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर के अधिकारी।
18	7(26)2017	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 01 अगस्त 2017 को प्रकाशित खबर ''13 लाख के गेहूँ का गबन करने वाले 12 राशन डीलरों को माफी'' के सम्बन्ध में	जिला रसद अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जोधपुर।
19	34(13)2017	समाचार-पत्र में प्रकाशित खबर ''डी.एल.बी. जाँच में दोषी अफसरों पर प्रमुख सचिव ने कार्यवाही रोकी'' के सम्बन्ध में।	प्रमुख सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
20	8(47)2017	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 20 जुलाई, 2017 को प्रकाशित खबर ''26 घंटे भूखे रखा, दो बार ओ.टी. में ले गए मगर ऑपरेशन नहीं किया, अब न इलाज, न छुट्टी'' के क्रम में।	सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के चिकित्सा अधिकारी।

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	सम्बन्धित विभाग/पद
21	15(21)2017	दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर दिनांक 12 जुलाई, 2017 में ''5 साल, 1500 करोड़ खर्च... फिर भी 61 वर्ग किलोमीटर घट गए प्रदेश के जंगल'' के सम्बन्ध में	वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर के अधिकारी।
22	15(11)2017	राजस्थान पत्रिका के जयपुर संस्करण दिनांक 15 मई, 2017 में प्रकाशित खबर ''पौधे पनपे या नहीं, भ्रष्टचार पनपा'' बीकानेर में पौधारोपण कार्यक्रम में गड़बड़ी के क्रम में।	वन विभाग, बीकानेर के अधिकारी।
23	8(20)2017	राजस्थान पत्रिका में दिनांक 15 मई 2017 को प्रकाशित खबर ''14 लाख में भी माना महंगा, उसे 19 लाख रूपये में खरीदेंगे'' के क्रम में।	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर के अधिकारी।
24	8(6)2017	दैनिक भास्कर दिनांक 17 अप्रेल, 2017 के सिटी फ्रंट पेज पर प्रकाशित खबर ''ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ी, फिर एसएमएस लाए, मौत हो गई'' के सम्बन्ध में	असोसिएट प्रोफेसर, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
25	16(24)2017	समाचार-पत्र राजस्थान पत्रिका के बीकानेर संस्करण दिनांक 9 अप्रेल 2017 में मुख्य शीर्षक ''नाली - क्राफ्स बनाये बिना ठेकेदार को भुगतान'' के सम्बन्ध में।	नगर निगम, बीकानेर के अधिकारी।
26	45(3)2017	समाचार-पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 03.04.2017 में प्रकाशित खबर ''पाबन्दी के बाद भी 50 खानों का कर दिया आवण्टन, ट्रांसफर और समावेश'' के क्रम में।	निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

क्र. सं.	पत्रावली सं.	विषय	सम्बन्धित विभाग/पद
27	35(13)2017	दैनिक भास्कर समाचार-पत्र दिनांक 31.03.2017 में प्रकाशित खबर ''दो करोड़ के क्लासरूम-बोर्ड खरीदकर खुद ही जाँच में जुट गया मदरसा बोर्ड'' के क्रम में।	चेयरमेन, मदरसा बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट–2.4

प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का विवरण
कालावधि – दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018

क्र.सं.	विवरण	प्रकरण संख्या
1.	दिनांक 31.3.2017 को लम्बित	28
2.	दिनांक 01.4.2017 से 28.2.2018 की अवधि में संस्थित	271
3.	योग (क्रम संख्या 1 व 2)	299
4.	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के कारण नस्तीबद्ध	13
5.	विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण	0
6.	अन्वेषण के पर्याप्त आधार होना नहीं पाये जाने से नस्तीबद्ध	05
7.	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध	01
8.	अन्य कारणों से नस्तीबद्ध	05
9.	प्रारम्भिक जाँच से अन्वेषण में अन्तरित	176
10.	राज्य सरकार को सुझाव भेजकर नस्तीबद्ध	20
11.	सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित सुझाव/अनुशंसा के प्रकरण	01
12.	**कुल निस्तारित प्रारम्भिक जाँच (योग क्रम संख्या 4–11)**	221
13.	**दिनांक 28.2.2018 को लम्बित प्रारम्भिक जाँच**	78

परिशिष्ट–2.5

प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का विवरण
कालावधि – दिनांक 25.03.2013 से 28.2.2018

क्र.सं.	विवरण	प्रकरण संख्या
1.	दिनांक 25.3.2013 को लम्बित	17
2.	दिनांक 25.3.2013 से 28.2.2018 की अवधि में संस्थित	455
3.	योग (क्रम संख्या 1 व 2)	472
4.	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के कारण नस्तीबद्ध	48
5.	अन्वेषण के पर्याप्त आधार होना नहीं पाये जाने से नस्तीबद्ध	22
6.	अन्य कारणों से नस्तीबद्ध	40
7.	प्रारम्भिक जांच से अन्वेषण में अन्तरित	247
8.	राज्य सरकार को सुझाव भेजे गये/सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) में अनुशंसा की गई	37
9.	**कुल निस्तारित प्रारम्भिक जाँच (योग क्रम संख्या 4-8)**	394
10.	**दिनांक 28.2.2018 को लम्बित प्रारम्भिक जाँच**	78

परिशिष्ट–2.6

अन्वेषण प्रकरणों का विवरण
कालावधि – दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	दिनांक 01.04.2017 को लम्बित	48
2.	दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018 तक की कालावधि में संस्थित प्रकरण	720
3.	योग (क्रम संख्या 1 व 2)	768
4.	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के आधार पर नस्तीबद्ध	211
5.	लिंक पत्रावली होने के कारण	09
6.	अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत प्रेषित अनुशंसा के प्रकरण	222
7.	अन्य कारणों से नस्तीबद्ध	03
8.	कुल निस्तारित अन्वेषण प्रकरण (योग क्रम संख्या 4–7)	445
8.	दिनांक 28.02.2018 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	323

परिशिष्ट–2.7

अन्वेषण प्रकरणों का विवरण
कालावधि – दिनांक 25.03.2013 से 28.02.2018

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	दिनांक 25.03.2013 को लम्बित	09
2.	दिनांक 25.3.2013 से 28.2.2018 की अवधि में संस्थित	827
3.	योग (क्रम संख्या 1 व 2)	836
4.	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के कारण नस्तीबद्ध	239
5.	अन्य कारणों से नस्तीबद्ध	21
6.	सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) में अनुशंसा की गई	253
7.	कुल निस्तारित अन्वेषण प्रकरण (योग क्रम संख्या 4-6)	513
8.	दिनांक 28.02.2018 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	323

परिशिष्ट–2.8

अनुशासनिक कार्यवाही प्रकरणों में विभागवार लोकसेवकों की संख्या कालावधि – दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018

क्र. सं.	विभाग का नाम	लोक सेवक	क्र. सं.	विभाग का नाम	लोक सेवक
1	कृषि	1	10	वन	7
2	पुलिस	38	11	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	78
3	सहकारिता	2	12	आबकारी	4
4	शिक्षा	5	13	माथुर आयोग से अंतरित प्रकरण	1
5	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8	14	जल संसाधन	6
6	सार्वजनिक निर्माण	6	15	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	4
7	उर्जा (विद्युत कम्पनियां)	8	16	खान एवं भूविज्ञान	46
8	राजस्व	32	17	विविध	39
9	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	122			
कुल योग :- 407					

परिशिष्ट–2.9

अनुशासनिक कार्यवाही प्रकरणों में विभागवार लोकसेवकों की संख्या
कालावधि – दिनांक 25.03.2013 से 28.02.2018

क्र. सं.	विभाग का नाम	संख्या		क्र. सं.	विभाग का नाम	संख्या
1	कृषि	04		14	आबकारी	07
2	पुलिस	104		15	उद्योग	01
3	सहकारिता	05		16	माथुर आयोग से अंतरित प्रकरण	33
4	शिक्षा	31		17	जल संसाधन	13
5	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	01		18	उपनिवेशन	04
6	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	54		19	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	41
7	सार्वजनिक निर्माण	07		20	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	06
8	उर्जा (विद्युत कम्पनियां)	46		21	भूप्रबन्ध	02
9	राजस्व	169		22	आयुर्वेद	06
10	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	327		23	देवस्थान	05
11	परिवहन	01		24	वाणिज्य कर	04
12	वन	15		25	खान एवं भूविज्ञान	48
13	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	225		26	विविध	80
कुल योग :- 1239						

परिशिष्ट–2.10

विभागवार अनुतोष प्रकरणों की संख्या
कालावधि – दिनांक 01.04.17 से 28.02.18

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	संख्या
2	कृषि	1
3	पुलिस	61
4	सहकारिता	1
5	शिक्षा	17
7	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2
8	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9
9	सार्वजनिक निर्माण	6
10	उर्जा (विद्युत् कम्पनियां)	18
11	राजस्व	128
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	114
14	यातायात	1
15	वन	8
16	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	122
17	जन सम्पर्क	17
18	आबकारी	4
19	उद्योग	1
22	माथुर आयोग से अंतरित प्रकरण	150
23, 24	जल संसाधन	13
30	श्रम	3
31	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	20
32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	9

34	सचिवालय	5
35	विविध	38
41	आयुर्वेद	2
42	देवस्थान	1
44	वाणिज्यि कर	1
45	खान एवं भू-विज्ञान	9
47	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि	30
	योग :	791

परिशिष्ट–2.11

विभागवार अनुतोष प्रकरणों की संख्या
कालावधि – दिनांक 25.03.13 से 28.02.18

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	संख्या
2	कृषि	09
3	पुलिस	148
4	सहकारिता	5
5	शिक्षा	82
7	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	19
8	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	50
9	सार्वजनिक निर्माण	20
10	उर्जा (विद्युत् कम्पनियां)	98
11	राजस्व	444
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	319
14	यातायात	06
15	वन	20
16	नगरीय विकास एवं आवासन/ स्वायत्त शासन	418
17	जन सम्पर्क	18
18	आबकारी	11
19	उद्योग	03
22	माथुर आयोग से अंतरित प्रकरण	287
23	जल संसाधन	27
30	श्रम	08
31	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	51
32	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	44

34	सचिवालय	08
41	आयुर्वेद	03
42	देवस्थान	04
44	वाणिज्य कर	01
45	खान एवं भू-विज्ञान	14
46	संस्कृत शिक्षा	02
47	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि	62
35	विविध	134
	योग :	**2315**

अध्याय-3

माननीय राज्यपाल द्वारा समनुदेशित जाँच कार्य- जस्टिस माथुर जाँच आयोग से प्राप्त प्रकरणों का विवरण

पृष्ठभूमि

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (पी.आई.एल) संख्या 2567/2009 में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2010 की अनुपालना में माननीय राज्यपाल की स्वीकृति से राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 23.05.2011 से वर्ष 2004 से 2008 तक की अवधि में विभिन्न विभागों व संस्थाओं में हुए अनियमित कार्यों एवं राजसेवकों के दुराचरण सम्बन्धी प्रकरणों की जाँच के लिये गठित किये गये जस्टिस माथुर आयोग के समक्ष लम्बित प्रकरणों को लोकायुक्त को नये सिरे से जाँच करने हेतु प्रेषित किया गया।

3.1 जस्टिस माथुर आयोग का गठन

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थाओं यथा-जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों, नगर परिषदों, नगरपालिकाओं एवं अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाओं आदि के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा वर्ष 2004 से वर्ष 2008 के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन, भू-आवंटन, भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-बी के तहत प्रकरणों के निस्तारण, भूमि अधिग्रहण, मास्टर-प्लान में संशोधन इत्यादि कार्यवाहियों में लापरवाही, भ्रष्टाचार, अनियमितता, पदीय शक्ति एवं हैसियत का दुरूपयोग, राजकोष को हानि सम्बन्धी आरोपों व इसी अवधि में राज्य

सेवकों द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में भाई-भतीजावाद (nepotism), पक्षपात (favoritism) एवं दुराचरण (misconduct) सम्बन्धी मामलों की जाँच करवाने की आवश्यकता अनुभव करते हुए माननीय राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आज्ञा क्रमांकः प.6(2)कार्मिक/क-3/शि/2009 जयपुर, दिनांक 23 जनवरी, 2009 (परिशिष्ट-2) से निम्नलिखित सदस्यों का आयोग गठित किया गया :-

1- जस्टिस एन.एन. माथुर — अध्यक्ष.
   अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय.
2- श्री इन्द्रजीत खन्ना, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. — सदस्य.
3- श्री एच.एन. मीणा, सेवानिवृत्त आई.पी.एस. — सदस्य.

उक्त आयोग द्वारा वर्ष 2004 से 2008 तक की अवधि के उन प्रकरणों में, जो राज्य सरकार द्वारा आयोग को भेजे जावेंगे, **निम्नांकित बिन्दुओं** से सम्बन्धित मामलों की जाँच कर राज्य सरकार को कार्यवाही हेतु परामर्श दिए जाने के लिए आयोग का कार्यकाल 6 माह नियत किया गया तथा आदेश दिनांक 21.07.2009 के द्वारा आयोग का कार्यकाल 6 माह और बढ़ाया गया :

1. जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्व विभाग, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों, नगर परिषदों, नगरपालिकाओं एवं अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाओं द्वारा किए गए भू-उपयोग परिवर्तन एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90(बी) के तहत निस्तारित प्रकरण इत्यादि।

2. विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों/कम्पनियों/ट्रस्ट आदि को नियमों के विरूद्ध किए गए भू-आवंटन एवं वित्तीय लाभ।

3. राज्य के विभिन्न शहरों/गाँवों में विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित करना एवं अनुचित लाभ के लिये कुछ समय पश्चात् उक्त भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने की कार्यवाही करना।

4. जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं में अनियमितताएँ, अवांछित लाभ के लिए मास्टर प्लान में संशोधन करना तथा बिना ठोस योजना के आई. टी. एवं नॉलेज कॉरिडोर प्रस्तावित कर रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा व किसानों को नुकसान पहुँचाने के आरोप।

5. अन्य कोई प्रकरण जो राज्य सरकार द्वारा आयोग को सौंपे जावेंगे।

उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जाँच के निर्धारित बिन्दुओं से सम्बन्धित विभिन्न विभागों/संस्थाओं/कार्यालयों की 1563 पत्रावलियां आयोग को भिजवाई गईं। आमजन से भी आयोग को 265 शिकायतें और प्राप्त हुईं। आयोग द्वारा अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में आयोग के गठन की चुनौती बाबत् जनहित याचिका संख्या 2567/2009 दायर होने पर न्यायालय के अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 04.11.2009 से आयोग की आगामी कार्यवाही को रोक दिया गया। आयोग के उप सचिव की ओर से उप शासन सचिव, कार्मिक (क-3) शिकायत विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 16.09.2011 से अवगत करवाया गया कि उनके कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आयोग द्वारा राज्य सरकार को किसी प्रकार की अनुशंसा नहीं की गई।

3.2 इस सचिवालय को जाँच कार्य का अन्तरण

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 04.01.2010 में राज्य सरकार द्वारा माथुर आयोग को सन्दर्भित एवं आयोग के समक्ष जाँच हेतु लम्बित तथा अन्य समान प्रकरण जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोग को सन्दर्भित किये जाने की अपेक्षा थी, उन्हें लोकायुक्त सचिवालय को

नये सिरे से जाँच हेतु भेजे जाने के सम्बन्ध में निम्नांकित आदेश प्रदान किये गये:

> *We, under these circumstances, are of the view that the Lokayukta being a statutory, independent and impartial body, can effectively investigate the charges of corruption and abuse of power and position etc. against the Ministers, Secretaries and other public servants to promote a sense of confidence and satisfaction in the public mind and to prove a clean, honest and competent administration, should be assigned the task of investigating all the cases. Such a situation as indicated above will not only achieve the purpose of investigation of the charge/misuse of power by the guilty but also legitimate the intention of the respondent to get desirable results.*
>
> *For the aforesaid reasons, we dispose of the Writ Petition (PIL) directing that all the cases referred by the Government and pending investigation before the Commission and also other such cases likely to be referred by the Government, shall be referred to the Lokayukta for its investigation afresh and the Lokayukta shall draw his findings, recommendations and follow up action based on his own investigation.*

राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या 5947/2010 दायर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश दिनांक 11.04.2011 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

अत: उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की पालना में माननीय राज्यपाल की स्वीकृति से जारी आदेश क्रमांक: प.6(2)कार्मिक/क-3/शि/2009 जयपुर, दिनांक: 23.05.2011 के द्वारा माथुर आयोग को सन्दर्भित किये गये समस्त प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जो आयोग के समक्ष जाँच हेतु लम्बित थे तथा अन्य समान प्रकरण जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित किये जाने की अपेक्षा थी, को लोकायुक्त राजस्थान को नये सिरे से जाँच हेतु प्रेषित किये गये जिसके अनुसरण में आयोग के समक्ष विचाराधीन कुल 1828 पत्रावलियाँ दिनांक 24.10.11 से 02.12.11 की

अवधि में इस सचिवालय को जाँच हेतु प्राप्त हुई। इनमें से 18 पत्रावलियों का निस्तारण वर्ष 2011-12 में हुआ।

राज्य सरकार द्वारा माथुर आयोग से अन्तरित उक्त पत्रावलियों में जाँच कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक स्टॉफ, फर्नीचर व अन्य संसाधन कालान्तर में उपलब्ध करवाये गये। दिनांक 01.05.2012 से दिनांक 24.03.2013 तक की कालावधि (10 माह 24 दिन) में लोकायुक्त का पद रिक्त रहा। मेरे द्वारा दिनांक 25.03.2013 को लोकायुक्त राजस्थान का पदभार ग्रहण किया गया। माथुर आयोग से अंतरित उक्त पत्रावलियों की जाँच हेतु विशेषज्ञ अधिकारियों का पदस्थापन/नियुक्ति की जाकर पत्रावलियों में अक्टूबर, 2013 से जाँच कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

3.3 सम्पादित कार्य विवरण

आयोग से प्राप्त 1828 प्रकरणों में से दिनांक 31.03.2017 तक कुल 1579 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका था। दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018 तक 221 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार दिनांक 28.02.2018 तक कुल 1800 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।

आयोग से प्राप्त पत्रावलियों में दिनांक 28.02.2018 तक **इस सचिवालय द्वारा की गई जाँच के परिणामस्वरूप 13 प्रकरणों में 25 लोकसेवकों के विरूद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गई। इसके अतिरिक्त इस सचिवालय के निर्देशों से 88 प्रकरणों में 20,37,42,292/- रू. (बीस करोड़ सैंतीस लाख बयालीस हजार दो सौ बानवे रूपए) की लीज, सम्परिवर्तन शुल्क, भूमि की कीमत व भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क इत्यादि के पेटे बकाया राशि की वसूली हुई व 38 प्रकरणों में पट्टा/आवंटन/सम्परिवर्तन आदेश निरस्त किये गये और 46 प्रकरणों में नियमितिकरण/नवीनीकरण व 151 प्रकरणों में नियमानुसार अन्य कार्यवाही की गई एवं 27 प्रकरणों में मामले सक्षम न्यायालय में दर्ज करवाये गये,**

18 प्रकरणों में अतिक्रमण/अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा 81 प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंसा की गई।

दिनांक 31.03.14 तक के निस्तारित प्रकरणों का विवरण इस सचिवालय के 28 वें वार्षिक प्रतिवेदन में, दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक के निस्तारित प्रकरणों का विवरण 29 वें वार्षिक प्रतिवेदन में, दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक निस्तारित प्रकरणों का विवरण 30 वें वार्षिक प्रतिवेदन में व दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक निस्तारित प्रकरणों का विवरण 31वें वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा चुका है और दिनांक 01.04.2017 से 28.02.2018 तक के निस्तारित प्रकरणों का विवरण इस वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जा रहा है।

प्रतिवेदनाधीन अवधि (दिनांक 01.04.17 से 28.02.18) में माथुर जाँच आयोग से अन्तरित जिन पत्रावलियों में लोक सेवकों के विरूद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं जिन प्रकरणों में अनुतोष प्रदान किया गया, उनका संक्षिप्त विवरण बिन्दु संख्या 3.6 व 3.7 में दिया गया है।

3.4 अनुवर्ती कार्यवाही के प्रकरण

जिन प्रकरणों में जाँच पूर्ण होकर जाँच के क्रम में अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है, उनकी सूची निम्नानुसार है :

क्र.स.	पत्रावली संख्या
1	**22(872)/LAS/2011**
2	**22(780)/LAS/2011**
3	**22(895)/LAS/2011**
4	**22(1313)/LAS/2011**
5	**22(841)/LAS/2011**
6	**22(1665)/LAS/2011**
7	**22(1581)/LAS/2011**
8	**22(347)/LAS/2011**
9	**22(1407)/LAS/2011**
10	**22(1393)/LAS/2011**
11	**22(1394)/LAS/2011**
12	**22(1398)/LAS/2011**
13	**22(1396)/LAS/2011**
14	**22(1397)/LAS/2011**
15	**22(1388)/LAS/2011**
16	**22(1403)/LAS/2011**
17	**22(1404)/LAS/2011**
18	**22(1406)/LAS/2011**
19	**22(1512)/LAS/2011**

20	**22(1515)/LAS/2011**	59	**22(1086)/LAS/2011**
21	**22(1514)/LAS/2011**	60	**22(1103)/LAS/2011**
22	**22(1533)/LAS/2011**	61	**22(1097)/LAS/2011**
23	**22(1528)/LAS/2011**	62	**22(1092)/LAS/2011**
24	**22(1519)/LAS/2011**	63	**22(1094)/LAS/2011**
25	**22(1511)/LAS/2011**	64	**22(1095)/LAS/2011**
26	**22(1527)/LAS/2011**	65	**22(1087)/LAS/2011**
27	**22(1517)/LAS/2011**	66	**22(1088)/LAS/2011**
28	**22(1516)/LAS/2011**	67	**22(1350)/LAS/2011**
29	**22(1531)/LAS/2011**	68	**22(1334)/LAS/2011**
30	**22(1520)/LAS/2011**	69	**22(1337)/LAS/2011**
31	**22(1536)/LAS/2011**	70	**22(1327)/LAS/2011**
32	**22(1534)/LAS/2011**	71	**22(1348)/LAS/2011**
33	**22(1522)/LAS/2011**	72	**22(1340/1338)/LAS/2011**
34	**22(1601)/LAS/2011**	73	**22(1336)/LAS/2011**
35	**22(428)/LAS/2011**	74	**22(1332)/LAS/2011**
36	**22(1617)/LAS/2011**	75	**22(1328)/LAS/2011**
37	**22(433)/LAS/2011**	76	**22(1341)/LAS/2011**
38	**22(1449)/LAS/2011**	77	**22(1314)/LAS/2011**
39	**22(545)/LAS/2011**	78	**22(1331)/LAS/2011**
40	**22(1604)/LAS/2011**	79	**22(1316)/LAS/2011**
41	**22(1633)/LAS/2011**	80	**22(1345)/LAS/2011**
42	**22(304)/LAS/2011**	81	**22(1329)/LAS/2011**
43	**22(946)/LAS/2011**	82	**22(1339)/LAS/2011**
44	**22(1538)/LAS/2011**	83	**22(1344)/LAS/2011**
45	**22(1611)/LAS/2011**	84	**22(1318)/LAS/2011**
46	**22(1584)/LAS/2011**	85	**22(1349)/LAS/2011**
47	**22(987)/LAS/2011**	86	**22(1347)/LAS/2011**
48	**22(1311)/LAS/2011**	87	**22(1342)/LAS/2011**
49	**22(757)/LAS/2011**	88	**22(1335)/LAS/2011**
50	**22(1117)/LAS/2011**	89	**22(1333)/LAS/2011**
51	**22(1118)/LAS/2011**	90	**22(1320)/LAS/2011**
52	**22(781)/LAS/2011**		
53	**22(1600)/LAS/2011**		
54	**22(1492)/LAS/2011**		
55	**22(1083)/LAS/2011**		
56	**22(1089)/LAS/2011**		
57	**22(1093)/LAS/2011**		
58	**22(1104)/LAS/2011**		

3.5 जाँच की समेकित रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

प्राप्त प्रकरणों की पत्रावलियों के परीक्षण व जाँच के उपरान्त निम्नानुसार विभिन्न कार्यवाहियां की गई :

1. भू-सम्परिवर्तन/भू-उपयोग परिवर्तन/भू-आवंटन आदि के प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा सुसंगत विधि एवं नियमों की अनदेखी किया जाना प्रकट होने पर विस्तृत जाँच की गई। जाँच के उपरान्त पूर्णतया विधि-विरूद्ध कार्यवाही होना पाए जाने पर जाँच के निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में 38 मामलों में सम्बन्धित विभागों द्वारा भू-सम्परिवर्तनों/भू-आवंटनों को निरस्त किया गया तथा सम्बन्धित शर्तों की पालना में चूक/उपेक्षा होना पाए जाने पर देय राजस्व की राशि 20,37,42,292/- रूपये (अक्षरे बीस करोड़ सैंतीस लाख बयालीस हजार दो सौ बानवे रूपये) वसूली करवाई गई, 46 मामलों में नियमितीकरण एवं 151 प्रकरणों में नियमानुसार अन्य वांछनीय कार्यवाही सुनिश्चित की गई।

2. कतिपय प्रकरणों का परीक्षण किए जाने पर राजकीय भूमि/मार्गाधिकार की भूमि पर अतिक्रमण होना पाया जाने पर जाँच के उपरान्त 18 मामलों में अतिक्रमणों को सम्बन्धित विभागों द्वारा नियमानुसार मौके से हटवाने की कार्यवाही तथा जिन प्रकरणों में अनुमोदित मानचित्र एवं सुसंगत भवन विनियमों के विपरीत अवैध निर्माण होना पाया गया, उनमें नियमानुसार वांछित कार्यवाही की गई। इसके अलावा 27 मामलों में नियमानुसार पुलिस अथवा सक्षम न्यायालय में यथोचित कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

3. कुछ प्रकरणों में जाँच के उपरान्त आवास आवंटन करने व भवन विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों में शिथिलता प्रदान करने की विवेकीय शक्तियों का प्रयोग मनमाने तरीके से किया जाना प्रकट होने एवं महत्वपूर्ण प्रकृति के मामलों की पत्रावलियों के रख-रखाव में विभागों/कार्यालयों द्वारा लापरवाही किया जाना प्रकट होने की अवस्था में विवेकाधिकार के प्रयोग हेतु सुनिश्चित मानक नियत किए जाने व

अभिलेख के संधारण हेतु स्पष्ट दिशा–निर्देश भी जारी किए जाने बाबत राज्य सरकार को अनुशंसा की गई।

4. जाँच हेतु प्राप्त पत्रावलियों में से 13 प्रकरणों में लोकसेवकों द्वारा पदीय दुरूपयोग, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता तथा कर्त्तव्य पालन में उपेक्षा किया जाना पाये जाने पर विभिन्न वर्ग के 25 लोकसेवकों के विरूद्ध वांछित अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

इस प्रकार लोकायुक्त सचिवालय द्वारा कुल 1800 प्रकरणों में परीक्षणोपरान्त जाँच पूर्ण की गई जिनकी 757 पृष्ठीय समेकित रिपोर्ट माननीय राज्यपाल को दिनांक 31.01.2018 को प्रस्तुत की जा चुकी है।

3.6 अनुशासनिक कार्यवाही प्रकरण

एफ.22(1538)/लोआस/2011

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम बिन्दायका व सिरसी, तहसील व जिला जयपुर के खातेदारान श्री हनुमान, श्री रामू, श्रीमती नाथी, श्री भँवरलाल, श्री रामलाल, श्री रामनारायण, श्रीमती चंद्रीदेवी, श्री मोहनलाल, श्री सूजाराम, श्री बद्रीनारायण, श्री बक्सीलाल, श्री शंकरलाल, श्री कजोड़मल, श्री निराराम, श्रीमती तीजा देवी, श्री प्रताप सिंह, श्रीमती बीना, श्री अतुल, श्री राहुल व श्री छीतरमल के खसरा नम्बर 409, 428/763, 393/1, 393/2, 402/2, 406/1, 409/753, 409/750, 2102, 1638, 1639, 2005, 2007, 2009, 2103/1, 2104/1 व 1637 रकबा 12 हैक्टेयर कृषि भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खातेदारी अधिकारों के पर्यवसन व भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहीत करने की कार्यवाही से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर ग्राम सिरसी स्थित खसरा नम्बर 2005, 2007 व 2009 के सम्बन्ध में धारा 90 बी भू-राजस्व अधिनियम के तहत पुनर्ग्रहण की कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत समर्पणनामा पर भूमि के खातेदारान श्री प्रताप सिंह कपूर पुत्र श्री रघुवीर सिंह कपूर, वीना कपूर पत्नी श्री प्रताप सिंह कपूर, श्री अतुल कपूर व श्री राहुल कपूर पुत्रान श्री प्रताप सिंह कपूर में से श्री अतुल कपूर व श्री राहुल कपूर के हस्ताक्षर अंकित नहीं होना तथा इसी प्रकार ग्राम बिन्दायका के खसरा नम्बर 409/750 की भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत समर्पणनामा पर खातेदार श्रीमती चन्दी देवी के हस्ताक्षर अंकित नहीं होने के बावजूद इनकी भूमि को भी धारा 90 बी के तहत पुनर्ग्रहीत कर लेना पाया गया।

इस सचिवालय द्वारा उक्त अनियमितता हेतु सम्बन्धित लोकसेवक का उत्तरदायित्व निर्धारित करने बाबत सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को दिये गये निर्देशों के अनुसरण में उनके द्वारा प्रकरण में धारा 90 बी एल.आर. एक्ट की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण में तत्कालीन अमीन, श्री भरत लाल मीणा द्वारा शिथिलता बरतना अवगत कराया। ऐसी स्थिति में पत्रावली में सम्बन्धित उत्तरदायी लोकसेवक के विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही की त्रैमासिक रिपोर्ट सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से आहूत की जा रही है।

अतः सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त प्रकरण में की गई अनियमितता बाबत सम्बन्धित लोकसेवक का उत्तरदायित्व निर्धारण हो जाने व उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

3.7 अनुतोष प्रकरण

एफ.22(304)/लोआस/2011

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की यह पत्रावली राज्य सरकार की अनुमति से लखारा समाज सेवा समिति, उदयपुर को न्यास की हिरण मगरी सेक्टर 14 योजना में 8,500 वर्ग फीट भूमि धर्मशाला, छात्रावास एवं सामुदायिक भवन हेतु रियायती दर पर आवंटित किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर स्पष्ट हुआ कि रियायती दर पर भूमि आवंटन के इस मामले में आवंटी संस्था द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में तथा विभिन्न संस्थाओं को विगत 10 वर्ष की अवधि में समस्त विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों व राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये गये रियायती दर पर भूमि आवंटन की सूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथा समस्त नगर परिषद व नगरपालिका क्षेत्रों में किये गये रियायती दर पर भूमि आवंटन की सूचना निदेशक, स्थानीय निकास विभाग, राजस्थान, जयपुर से चाही गई।

रियायती दर पर भूमि आवंटन के प्रकरणों में से आवंटन शर्तो की पालना न होने से सम्बन्धित प्रकरणों में की गई/प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट भी राजस्थान आवासन मण्डल, समस्त विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों, नगर परिषदों, नगरपालिकाओं व उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग से मँगवायी गई।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, देवली की रिपोर्ट दिनांक 16.06.2016 के अनुसार जैन अग्रवाल सेवा समाज देवली, माहेश्वरी समाज विकास समिति, देवली, भारतीय शिक्षा सदन, देवली, अध्यक्ष गुरूद्वारा गुरूनानक

सेवा समिति, देवली, अध्यक्ष एवं मंत्री श्री महावीर दिगम्बर जैन मन्दिर एवं धर्मशाला ट्रस्ट, देवली, इन्द्रा बाल सेवा समिति, देवली, अध्यक्ष भारतीय शिक्षा प्रसार समिति, देवली व बसीठा धोबी समाज, देवली को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में आवंटन शर्तो की पालना न होने से संस्था को राशि लौटा दी गई अथवा लौटाने की कार्यवाही की जा रही है। आवंटित भूखण्ड नगरपालिका के स्वामित्व में ले लिये गये हैं।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, विजयनगर की रिपोर्ट दिनांक 20.06.2016 के अनुसार अध्यक्ष जैन श्वेताम्बर युवा मण्डल विजयनगर व अध्यक्ष अग्रसेन मण्डल विजयनगर को आवंटित भूमि पर निर्माण न किये जाने से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करने बाबत नोटिस जारी किये गये हैं।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, टोडारायसिंह की रिपोर्ट दिनांक 08.06.2016 के अनुसार पन्नालाल मेमोरियल ट्रस्ट टोडारायसिंह को धर्मशाला निर्माण हेतु आवंटित भूमि में निर्माण न किये जाने से नगरपालिका के पत्रांक 3455 दिनांक 11.02.2016 द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, नोखा की रिपोर्ट दिनांक 15.06.2016 के अनुसार महात्मा फूले माली समाज सेवा संस्थान, राकावत समाज संस्थान, सारस्वत समाज समिति, नोखा व विश्वकर्मा सुधार सेवा समिति को रियायती दर पर आवंटित भूमि पर निर्माण पूर्ण न किये जाने से उक्त संस्थाओं को नोटिस जारी किये गये हैं।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अनूपगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 19.06.2016 के अनुसार सेठ मुंशीलाल नागपाल मेमोरियल धर्मशाला को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 17.03.2016 द्वारा निर्माण अवधि बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण का नियमितिकरण

करने के आदेश दिये गये, जिसके क्रम में संस्था को निर्माण स्वीकृति जारी की गई है।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, नोहर की रिपोर्ट दिनांक 13.062016 के अनुसार दयाल योग मन्दिर, नोहर, आदिवासी मीणा समाज, नोहर व नामदेव युवा समिति, नोहर को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में आवंटन शर्तो का उल्लंघन किये जाने से प्रकरणों को नगरपालिका मण्डल की साधारण सभा की बैठक में रखकर निर्णयानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फलौदी की रिपोर्ट दिनांक 17.06.2016 के अनुसार अध्यक्ष, फलौदी पुष्करणा ब्राह्मण न्याति सेवा समिति, फलौदी को छात्रावास हेतु आवंटित भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने से संस्था को नोटिस जारी किया गया है।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सुमेरपुर की रिपोर्ट दिनांक 16.06.2016 के अनुसार आदर्श शिक्षण संस्थान, मेघवाल समाज छात्रावास एवं शिक्षण विकास संस्थान सुमेरपुर, आनन्द पूर्णानन्द बालिका विद्यापीठ छात्रावास संस्थान, सुमेरपुर को आवंटित भूमि में विहित समयावधि में निर्माण कार्य न किये जाने से उक्त संस्थाओं को नोटिस जारी किये गये।

सचिव, नगर सुधार प्रन्यास, उदयपुर की रिपोर्ट दिनांक 18.06.2016 के अनुसार उदयपुर टैक्स बार चेरिटेबल सोसायटी श्री अमर जैन साहित्य संस्थान, उदयपुर, भारतीय लायन्स परिसंघ, लखारा समाज सेवा समिति, उदयपुर व जीनगर समाज संस्थान को रियायती दर पर आवंटित भूमि पर निर्धारित समयावधि में निर्माण न कराये जाने से संस्थाओं को नोटिस जारी किये गये।

सचिव, नगर सुधार प्रन्यास, उदयपुर की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2016 के अनुसार सर्व धर्म समिति उदयपुर को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में

शिकायत प्राप्त होने पर संस्था को जारी माँग पत्र निरस्त किया जाकर जमा राशि वापस लौटायी जा चुकी है।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, छबड़ा की रिपोर्ट दिनांक 24.06.2016 के अनुसार सुमन सेवा समिति, छबड़ा, जाटव समाज विकास समिति, छबड़ा, स्वर्णकार समाज उत्थान समिति, छबड़ा, श्रवण सेवा समिति, छबड़ा, धाकड़ समाज समिति, छबड़ा, धनवीर गुर्जर समाज उत्थान समिति, छबड़ा, लोकवीर गुर्जर समाज उत्थान समिति, छबड़ा, बाथली तेलियान समाज समिति, छबड़ा, सनाढ्य ब्राह्मण समाज समिति, छबड़ा, लोधा समाज उत्थान समिति, छबड़ा, भार्गव समाज सेवा समिति, छबड़ा, मीणा समाज उत्थान समिति, छबड़ा, मुस्लिम मुसाफिरखाना व मदरसा स्कूल, छबड़ा व महर्षि गालव ब्राह्मण समाज समिति, छबड़ा को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमियों का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिये जाने से उक्त संस्थाओं को नोटिस जारी किये गये हैं।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कैथून की रिपोर्ट दिनांक 27.07.2016 के अनुसार पालिका क्षेत्र में एक गैर सरकारी संस्था को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में आवंटन शर्तों की पालना न किये जाने से संस्था को नोटिस जारी किये गये हैं।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 05.09.2016 के अनुसार कुण्डिया सारस्वत समाज समिति, अरोड़वंश कल्याण समिति तथा अग्रवाल समाज समिति को रियायती दर पर आवंटित भूमि का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजनार्थ कर लेने से उक्त संस्थाओं को नगरपालिका द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं।

आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 23.09.2016 के अनुसार हेलन कैलर विकलांग सेवा संस्थान, कांकरवाल छीपा समाज विकास संस्थान, जीनगर समन्वय सेवा समिति, सेन समाज सम्पत्ति ट्रस्ट,

मुल्तानी सिन्धी समाज, माहेश्वरी समाज सम्पत्ति ट्रस्ट, जैन श्वेताम्बर प्रभु पूजन संघ, अणुव्रत साधना मन्दिर, श्री शिव कुमार कौशिक (समाचार पत्र क्षमशीलता), श्री शैलेन्द्र बोरदिया (समाचार पत्र क्रांति तरंग), श्री दीनबन्धु चौधरी (समाचार पत्र दैनिक नवज्योति), श्री श्याम बनवाड़ी (समाचार पत्र दैनिक प्रभावित), श्री दयाराम मेठानी (समाचार पत्र दैनिक तरूण देश), श्री शिव कुमार त्रिवेदी (समाचार पत्र लोकजीवन), श्रीमती भगवती दुबे (समाचार पत्र दैनिक ललक), श्री अक्षय त्रिपाठी (समाचार पत्र दैनिक भीलवाड़ा लीडर) व श्री रमेश चन्द्र मुक्त (समाचार पत्र झन्झावत साप्ताहिक) को आवंटित भूमियों के सम्बन्ध में आवंटन शर्तो की पालना न किये जाने से नगर परिषद, भीलवाड़ा द्वारा उक्त संस्थाओं को नोटिस जारी किये गये हैं।

रियायती दर पर भूमि आवंटन की आवंटन शर्तो की पालना न किये जाने से सम्बन्धित प्रकरणों में से 49 प्रकरणों में नियमानुसार नोटिस जारी किये गये, 8 प्रकरणों में आवेदकों को जमा राशि लौटाकर भूमि को स्थानीय निकाय के स्वामित्व में लिया गया, 1 प्रकरण में आवंटन निरस्त किया गया, 1 प्रकरण में नियमितिकरण किया गया, 3 प्रकरणों में कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा 1 प्रकरण में भूमि आवंटन बाबत संस्था को जारी माँग-पत्र निरस्त किया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना न होने वाले अधिकांश प्रकरणों में सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा आवंटी संस्था को नोटिस जारी कर आवंटन शर्तो की पालना सुनिश्चित करवाये जाने/अन्य विधिक कार्यवाही किये जाने बाबत प्रक्रिया शुरू कर देने से पत्रावली को नस्तीबद्ध कर कार्यवाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है।

एफ.22(350)/लोआस/2011

नगर सुधार प्रन्यास, उदयपुर की यह पत्रावली राज्य सरकार की अनुमति से श्री जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक शिक्षा सोसायटी, उदयपुर को नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(58)नविवि/3/06 दिनांक 06.09.2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में परीक्षण कर निर्णय हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक दिनांक 01.085.2007 में लिये गये निर्णयानुसार नगरीय विकास विभाग के शासन उप सचिव-प्रथम द्वारा जारी स्वीकृति पश्चात् नगर सुधार न्यास, उदयपुर द्वारा भुवाणा योजना में 87120 वर्ग फीट भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ आरक्षित दर की 10 प्रतिशत की रियायती दर पर सशर्त आवंटन कर पट्टा-विलेख जारी किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर श्री जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक शिक्षा सोसायटी, उदयपुर द्वारा आवंटन की शर्त संख्या 3 की पालना में भूमि में निर्माण कर आवंटन प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग न कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना पाया गया।

आवंटन शर्तो की नियमानुसार पालना करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, उदयपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक शिक्षा सोसायटी, उदयपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि में आवंटन प्रयोजनार्थ स्कूल संचालित कर आवंटन शर्तो की पालना कर ली गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप आवंटन शर्तो की पालना हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(410/411)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लोसल से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम लोसल, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर के आवेदक शेखावाटी स्कूल जरिये अध्यक्ष बजरंगलाल पुत्र श्री रामदेवसिंह के खसरा नम्बर 1682/2 की 527 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने के पश्चात् नगरपालिका द्वारा नियमन कर संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय स्तर पर पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के सामने स्थित रास्ते की भूमि में से 5 फीट भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जाना, निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना भूखण्ड पर भवन निर्माण कर लिया जाना एवं भवन विनियम के निर्धारित सैट बैक का उल्लंघन करने सम्बन्धी अनियमितताएँ किया जाना पाया गया।

अवैध निर्माण/अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लोसल ने अवगत करवाया कि शेखावाटी स्कूल, लोसल से सम्बन्धित प्रश्नगत अवैध निर्माण के प्रकरण में कार्यवाही हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194, 298 के तहत एक इस्तगासा न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-2, सीकर में प्रस्तुत किया गया है परन्तु प्रकरण से सम्बन्धित उत्तरदायी लोकसेवक तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लोसल, श्री विष्णु पाठक के सेवानिवृत्त हो जाने से उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत अवैध निर्माण के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(428)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, किशनगढ़ रेनवाल से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम किशनगढ़ रेनवाल, तहसील किशनगढ़ रेनवाल के खातेदारान श्री ताराचन्द पुत्र श्री दामोदर प्रसाद, श्रीमती मैना देवी पत्नी श्री देवीसहाय, श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री रामबाबू, श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री महेश, श्रीमती मुन्ना देवी पत्नी श्री गोपाल शर्मा एवं श्री गोपाल लाल पुत्र श्री चन्दा शर्मा के खसरा नम्बर 1147/1, 1150 से 1152, 1142/3/2, 1139/2, 1139/3, 1139/4, 1142/2, 1142/1, 1133/2, 1134, 1135/1, 1137/1, 1138, 1143, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1133/2, 1155, 1135/2/2 की 47 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, फुलेरा द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित बजरंग नगर आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, किशनगढ़ रेनवाल द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, किशनगढ़ रेनवाल की प्रश्नगत बजरंग नगर आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(498)/लोआस/2011

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 55 की 18000 वर्ग मीटर भूमि को बी.डी. की 12वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार मैसर्स सर्व ऑल लैण्ड डवलपर्स प्रा. लि. को होटल निर्माण हेतु आवंटित करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि आवंटित भूमि के सम्बन्ध में संस्था से बकाया लीज की राशि मय ब्याज वसूल नहीं की गई तथा आवंटित भूमि में संस्था द्वारा अनुमोदित मानचित्र के विपरीत अवैध निर्माण कर लिया गया। इस सचिवालय द्वारा संस्था से बकाया लीज-राशि वसूल करने एवं आवंटित भूमि में स्वीकृति के विपरीत किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करने के निर्देश सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को दिये गये।

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने पत्र दिनांक 31.07.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि मैसर्स सर्व ऑल लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. ने आवंटित भूमि के सम्बन्ध में वर्ष 2015-16 की बकाया लीज-राशि रूपये 27,00,000/- चालान संख्या 388440 दिनांक 27.03.2015 तथा लीज पर बकाया ब्याज राशि रूपये 1,18,687/- चालान संख्या 400044 दिनांक 10.05.2015 द्वारा कुल 28,18,687/- अक्षरे अठाईस लाख अठारह हजार छः सौ सत्तासी रूपये जमा करा दिये गये हैं। सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने अन्य रिपोर्ट दिनांक 09.05.2017 द्वारा अवगत करवाया कि संस्था को आवंटित भूमि में किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-1 (विशिष्ट न्यायालय), जविप्रा, जयपुर में जे.डी.ए. एक्ट की धारा 31(1) व 31(7) के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 124/2016 दर्ज करवा दिया है, जिसमें कार्यवाही विचाराधीन है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप आदिनांक देय बकाया लीज-राशि वसूल हो जाने तथा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(543)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, चूरू से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम चूरू, तहसील व जिला चूरू के खातेदार श्री हनुमान प्रसाद पुत्र श्री नागरमल प्रजापत, निवासी वार्ड नम्बर 3, पंखा रोड़, चूरू के खसरा नम्बर 715/291 की 890 वर्ग गज भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर जिला स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर परिषद, चूरू द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रकरण में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आवेदक से तत्समय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली नहीं की गई थी।

भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली बाबत दिये गये इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, चूरू ने भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की देय राशि रूपये 841/- (आठ सौ इकतालीस रूपये) दिनांक 01.08.2014 को जरिए रसीद संख्या 24 वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(681/682)लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, भिवाड़ी से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम सैदपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर के खातेदारान श्रीमती सुषमा बेरी, श्रीमती नीरू मल्होत्रा, श्रीमती शिखा मल्होत्रा व श्रीमती अशिता मल्होत्रा के खसरा नम्बर 459, 460, 462, 463, 466-468 व 475-482 की 4756 वर्ग मीटर भूमि का राज्य स्तरीय भू-उपयोग परितर्वतन समिति द्वारा राजकीय व अर्द्ध राजकीय कार्यालय प्रयोजनार्थ से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि के खातेदारों द्वारा अपंजीकृत व अमुद्रांकित मुख्त्यारनामाआम निष्पादित करते हुए उनकी ओर से कार्यवाहियाँ करने के लिए मुख्त्यारआम श्री डी.डी. बेरी को अधिकृत किया गया। निष्पादित मुख्त्यारनामाआम के जरिये मुख्त्यारआम को प्रश्नगत भूमि (अचल सम्पत्ति) को विक्रय करने के अधिकार भी दिये गये थे। मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानानुसार उक्त श्रेणी के दस्तावेजों पर नियमानुसार मुद्रांक-शुल्क देय है, किन्तु उक्त दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क अदा नहीं किया गया था तथा न ही इनका पंजीयन करवाया गया था।

इस सचिवालय द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को प्रश्नगत मुख्त्यारनामाआम पर नियमानुसार देय मुद्रांक-शुल्क की वसूली करने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुसार सचिव, नगर सुधार न्यास, भिवाड़ी द्वारा प्रश्नगत मुख्त्यारनामाआम पर देय मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु कलक्टर (मुद्रांक), अलवर के न्यायालय में रेफरेन्स प्रकरण संख्या 12/16 दर्ज करवाया गया। न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) अलवर एवं उप महानिरीक्षक पंजीयन, वृत अलवर प्रथम ने दर्ज रेफरेन्स प्रकरण में दिनांक 27.03.2017 को निर्णय पारित करते हुए 3,94,000/- रूपये मुद्रांक-शुल्क के रूप में सम्बन्धित से वसूल करने के आदेश दिये। न्यायालय आदेशों

के अनुसरण में उप पंजीयक, भिवाड़ी के कार्यालय ने जरिए रसीद संख्या 201702111001868 दिनांक 31.03.2017 मुद्रांक-शुल्क की देय राशि रूपये 3,94,000/- (तीन लाख चौरानवे हजार रूपये) वसूल कर राजकोष में जमा करवा दिये गये।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय मुद्रांक-शुल्क की वसूली हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(757)/लोआस/2011

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम घूघरा, तहसील व जिला अजमेर के आवेदक श्री अशोक जैन, श्रीमती बीना जैन के खसरा नम्बर 1177-1181 की 13455.2 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि), नगर सुधार न्यास द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि के फ्रन्ट सैट बैक व ओपन टू स्काई क्षेत्र में अनियमित निर्माण कर लिया जाना पाया गया।

इस सचिवालय द्वारा सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण को दिये गये निर्देशों के उपरान्त आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि में सैट बैक क्षेत्र में किये गये अनियमित निर्माण को स्वयं के स्तर पर हटा लिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप अवैध अतिक्रमण हटा लिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(764)/लोआस/2011

तत्कालीन नगर सुधार न्यास, अजमेर हाल अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम थोकमालियान प्रथम, तहसील अजमेर के खातेदारान श्री सुनील अरोड़ा, श्रीमती कुसुम अरोड़ा व श्री क्षितिज अरोड़ा निवासी 711/4, सुन्दर विलास, अजमेर के खसरा नंबर 3107 की 1452 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि) नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहित कर न्यास द्वारा भूमि का आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत पट्टा-विलेख जारी करने में भूखण्डों के संयुक्तीकरण की कार्यवाही विधिवत रूप से नहीं करने, बिना साइट-प्लान के ही लीज-डीड हस्ताक्षरित कर देने सहित अन्य कई अनियमितताएँ की गई हैं। इसके साथ ही यह भी प्रकट हुआ कि आवेदकों द्वारा नाले की भूमि पर अतिक्रमण भी किया हुआ है। उक्त अनियमितताओं बाबत तत्कालीन विशेषाधिकारी (भूमि), नगर सुधार न्यास, अजमेर, श्री जे.पी. गोठवाल (आर.ए.एस.) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव तत्कालीन सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा कार्मिक विभाग को भिजवाये गये किन्तु अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण हटवाने एवं श्री जे.पी. गोठवाल (आर.ए.एस.) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कार्मिक विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री जे.पी. गोठवाल (आर.ए.एस.) तत्कालीन

विशेषाधिकारी (भूमि), नगर सुधार न्यास, अजमेर के दिनांक 31.07.2012 को सेवानिवृत्त हो जाने से उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 15.10.2016 के अनुसार आवेदकों द्वारा नाले की भूमि पर मशीन इत्यादि स्थापित कर किये गये अतिक्रमण को मौके से हटवा दिया गया है तथा नाले की भूमि पर अब कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा लेने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(772/900)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से प्राप्त यह पत्रावली आवेदक श्री अनुराग पालीवाल, श्रीमती निधि पालीवाल व श्रीमती हंसा पालीवाल, निवासी 17, शिव मार्ग, डिग्गी हाउस, सूचना केन्द्र के पास, जयपुर के मोती डूंगरी रोड़ एवं म्यूजियम रोड़ के तिराहे पर स्थित भूखण्ड संख्या-5 की 4085. 05 वर्ग गज भूमि के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कॉमर्शियल एण्ड जनरल बिजनेस) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर निगम, जयपुर द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड में से भू-उपयोग परिवर्तन की शर्तो के अनुसार सड़क हेतु समर्पित भूमि में से 2x192 फीट भूमि पर अतिक्रमण कर लेना एवं भूखण्ड के सम्बन्ध में आदिनांक तक बकाया लीज-राशि की वसूली नहीं किया जाना पाया गया।

आवेदक द्वारा मार्गाधिकार की भूमि में किये गये अतिक्रमण को हटाने एवं भूखण्ड के सम्बन्ध में आदिनांक तक बकाया लीज–राशि की वसूली करने बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशो के उपरान्त उपायुक्त, नगर निगम, मोती डूंगरी जोन, जयपुर द्वारा मार्गाधिकार की भूमि पर टिनशैड, प्याऊ व दीवार निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को मौके से हटवा दिया गया तथा आवेदक से बकाया लीज–राशि के रूप में 1,42,37,211/– अक्षरे (एक करोड़ बयालीस लाख सैंतीस हजार दो सौ ग्यारह रूपये) जरिये रसीद संख्या 9002/7538 दिनांक 29.09.2017 से वसूल कर निगम कोष में जमा करवा दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत अतिक्रमण हटा दिये जाने तथा बकाया लीज–राशि वसूल हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(778/901)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से प्राप्त यह पत्रावली आवेदक श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल के पृथ्वीराज रोड़, सी–स्कीम स्थित भूखण्ड संख्या–11 की 4261.30 वर्गगज भूमि के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल एण्ड जनरल बिजनेस) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर निगम, जयपुर द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा–विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड में नगर निगम, जयपुर से भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृत करवाये बिना व्यावसायिक निर्माण कर लिया जाना पाया गया।

आवेदक द्वारा बिना स्वीकृति के किये गये व्यावसायिक निर्माण बाबत की गई नियमानुसार कार्यवाही की रिपोर्ट माँगे जाने पर उपायुक्त (आयोजना),

नगर निगम, जयपुर द्वारा आवेदक से निर्माण स्वीकृति हेतु वांछित मानचित्र प्रस्तुत करवाकर निर्धारित देय राशि 17,74,884/- अक्षरे सत्रह लाख चौहत्तर हजार आठ सौ चौरासी रूपये) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 198329 दिनांक 22.01.2018 से वसूल कर निगम कोष में जमा करवा दिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप आवेदक से देय राशि वसूल कर भवन मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(780/901)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से प्राप्त यह पत्रावली आवेदक रतन महल प्रोपर्टीज प्रा.लि., जयपुर जरिये निदेशक, श्री रामप्रकाश गम्भीर के सुभाष मार्ग, सी-स्कीम स्थित भूखण्ड संख्या-डी-24 की 2400 वर्गगज भूमि के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कॉमर्शियल एण्ड जनरल बिजनेस) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर निगम, जयपुर द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड में नगर निगम, जयपुर से स्वीकृत भवन निर्माण मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त व्यावसायिक निर्माण कर लिया जाना पाया गया।

आवेदक द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त किये गये व्यावसायिक निर्माण बाबत नियमानुसार की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब किये जाने पर उपायुक्त (आयोजना), नगर निगम, जयपुर द्वारा आवेदक से निर्माण स्वीकृति के विपरीत अतिरिक्त किये गये निर्माण बाबत निर्धारित देय राशि 2,64,290/- (अक्षरे दो लाख चौसठ हजार दो सौ नब्बे रूपये) जरिये

डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 187773 दिनांक 22.01.2018 से वसूल कर निगम कोष में जमा करवाकर संशोधित भवन मानचित्र स्वीकृत किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप आवेदक से देय राशि वसूल कर अतिरिक्त निर्माण बाबत भवन मानचित्र स्वीकृत कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(781/897)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से प्राप्त यह पत्रावली आवेदक मैसर्स प्रतीक बिल्डकॉम प्रा.लि. एवं विशाल एक्जिम प्रा.लि. के गोपालबाड़ी, अजमेर रोड़, जयपुर स्थित भूखण्ड संख्या-9 की 1748.18 वर्ग मीटर भूमि के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कॉमर्शियल एण्ड जनरल बिजनेस तथा होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर निगम, जयपुर द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर आवेदक मैसर्स प्रतीक बिल्डकॉम प्रा.लि. एवं विशाल एक्जिम प्रा.लि. से भूखण्ड के सम्बन्ध में आदिनांक तक बकाया लीज-राशि की वसूली नगर निगम, जयपुर द्वारा नहीं किया जाना पाया गया।

आवेदक से भूखण्ड के सम्बन्ध में आदिनांक तक बकाया लीज-राशि की वसूली करने बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशो के उपरान्त अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जयपुर ने अवगत करवाया कि 26 बकायादारों में बकाया 1,30,93,284/- रूपये में से 23 बकायादारों द्वारा 80,71,259/- **अक्षरे अस्सी लाख इकहत्तर हजार दो सौ उनसठ** रूपये जमा करा दिये गये हैं तथा बाकी 3 बकायादारों से शेष राशि वसूल किये जाने की प्रक्रिया जारी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप बकाया लीज–राशि वसूल हो जाने तथा शेष बकाया राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू होने जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(822)/लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, उदयपुर की यह पत्रावली राजस्व ग्राम रूपनगर (भुवाणा), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के खातेदार श्री जितेश, श्री भंवर लाल, श्रीमती श्यामा कुमावत, श्रीमती दीपिका पानेरी, श्रीमती सविता कुंतल, श्रीमती प्रमिला, श्रीमती तारा देवी, श्रीमती कांता कुमावत, श्री लोकेश कुमावत, श्री डालू, श्रीमती नर्बदा शर्मा, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्री जीवा, श्री ओमप्रकाश कुमावत व श्री वेणा के खसरा नम्बर 3844 की 2.05 हैक्टेयर कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, सचिव नगर सुधार न्यास, उदयपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा चिकित्सालय, बाग, खुले स्थल एवं खेल के मैदान से व्यावसायिक (शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं न्यास द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा–विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि में न्यास द्वारा स्वीकृत मानचित्र एवं भवन विनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर बिना स्वीकृति के भूखण्डों का संयुक्तिकरण कर अनियमित व अतिरिक्त निर्माण कर लेना पाया गया।

आवेदक द्वारा न्यास से स्वीकृत मानचित्र एवं भवन विनियम के निर्धारित मापदण्डों के उल्लंघन में भूखण्डों का संयुक्तिकरण कर किये गये अतिरिक्त निर्माण बाबत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु इस सचिवालय

द्वारा दिये गये निर्देशो के उपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, उदयपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में किये गये अनियमित निर्माण के नियमितिकरण बाबत आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र के क्रम में न्यास द्वारा निर्णय लिया जाकर अतिरिक्त अनियमित निर्माण के सम्बन्ध में शास्ति राशि 57,01,634/- रूपये चालान संख्या 3394 दिनांक 20.01.17 द्वारा वसूल कर न्यास कोष में जमा होने के उपरान्त निर्माण स्वीकृति जारी कर अतिरिक्त निर्माण का नियमितिकरण कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप प्रकरण में किये गये अतिरिक्त निर्माण की शास्ति राशि वसूल कर नियमितिकरण कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(828)/लोआस/2011

नगर सुधार प्रन्यास, उदयपुर की यह पत्रावली राजस्व ग्राम सीसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के आवेदक श्री रतन तलदार, श्रीमती रोमा कुकरेजा, निवासी 94-बी, शक्तिनगर, हिरण मगरी सेक्टर-11, उदयपुर के खसरा नम्बर 5512/3304, 3293 व 5511/3292 की 2.3766 हैक्टेयर कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, सचिव नगर सुधार प्रन्यास, उदयपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा परिधि नियंत्रण पट्टी से व्यावसायिक (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं न्यास द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि में न्यास द्वारा स्वीकृत मानचित्र एवं वर्तमान में प्रचलित भवन

विनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन कर अतिरिक्त निर्माण कर लेना पाया गया।

आवेदक द्वारा न्यास से स्वीकृत मानचित्र एवं भवन विनियम, 2013 के निर्धारित मापदण्डों के उल्लंघन में किये गये अतिरिक्त निर्माण बाबत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशो के उपरान्त सचिव, नगर सुधार प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में किये गये अनियमित निर्माण के नियमितिकरण बाबत आवेदक द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र के क्रम में भवन विनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञेय अतिरिक्त निर्माण के सम्बन्ध में नियमानुसार देय राशि 4,34,900/- रूपये चालान संख्या 3556 दिनांक 16.11.17 द्वारा वसूल कर न्यास कोष में जमा करवाकर अतिरिक्त निर्माण का नियमितिकरण कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप प्रकरण में किये गये अतिरिक्त निर्माण की नियमन राशि वसूल कर नियमितिकरण कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(840/883)/लोआस/2011

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की यह पत्रावली भारत होटल्स लिमिटेड जरिये चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री ललित सूरी को होटल प्रयोजनार्थ जवाहर सर्किल, जगतपुरा रोड़, जयपुर के पास के भूखण्ड संख्या 2बी एवं 2सी की 11865.18 वर्गमीटर भूमि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन की लैण्ड स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंषा, बी.डी. की 21वीं बैठक दिनांक 01.04.2006 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 26.07.2006 में लिये गये निर्णयानुसार तथा नगरीय विकास विभाग की स्वीकृति के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आरक्षित दर की 50 प्रतिशत की रियायती

दर पर आवंटित कर आवंटन-पत्र/पट्टा-विलेख/निर्माण-स्वीकृति जारी किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर भारत होटल्स लिमिटेड द्वारा आवंटित भूमि में निर्मित भवन के सप्तम तल का निर्माण बिना स्वीकृति के कर लिया जाना पाया गया।

मैसर्स भारत होटल्स लिमिटेड द्वारा बिना अनुमति के किये गये निर्माण बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को निर्देश दिये। इसके अनुसरण में वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा बिना अनुमति के किये गये निर्माण बाबत नोटिस जारी किया गया। नोटिस के क्रम में आवेदक द्वारा बिना स्वीकृति निर्माण बाबत लगाई गई शास्ति राशि में शिथिलन प्रदान करने हेतु आवेदन किया गया। इस पर प्रकरण नगरीय विकास विभाग को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। शिथिलन के प्रकरण में निर्णय लेकर अवगत करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा नगरीय विकास विभाग को दिये गये निर्देशों के क्रम में संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), नगरीय विकास विकास, राजस्थान, जयपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार स्तर पर लिये गये निर्णय दिनांक 14.08.2017 के अनुसार भवन पर किया गया निर्माण संशोधित मानचित्र के अनुसार नियमानुसार/अनुज्ञेय पाये जाने से लगाई गई शास्ति में शिथिलता प्रदान कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप प्रकरण बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण बाबत अधिरोपित शास्ति राशि में सक्षम स्तर पर शिथिलन प्रदान कर नियमितिकरण कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(841)/लोआस/2011

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त यह पत्रावली मैसर्स ऐरन गोल्ड सूक इन्टरनेशनल लि., नई दिल्ली को जगतपुरा रोड़, जवाहर सर्किल के पास कॉमर्शियल एवं ग्रुप हाउसिंग स्कीम के भूखण्ड संख्या-2 की 10,000 वर्गमीटर भूमि बी.डी. की 18वीं बैठक दिनांक 24.04.2005 के निर्णयानुसार राज्य सरकार की स्वीकृति के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा ज्वैलरी शॉप काम्प्लेक्स बाबत आवंटित किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर मैसर्स ऐरन गोल्ड सूक इन्टरनेशनल लि., नई दिल्ली द्वारा भूखण्ड के सैट-बैक क्षेत्र में पार्किंग के स्थान पर कियोस्क लगाकर अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना, भवन के तृतीय एवं चतुर्थ तल के निर्माण में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत आन्तरिक परिवर्तन कर एफ.ए.आर. में वृद्धि कर लेना तथा जविप्रा द्वारा संस्था से बकाया लीज-राशि की वसूली नहीं करना पाया गया।

प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाने एवं लीज-राशि की वसूली करने बाबत की गई नियमानुसार कार्यवाही की रिपोर्ट मांगे जाने पर सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा संस्था को आवंटित भूखण्ड में पार्किंग स्थल के सैट-बैक क्षेत्र में कियोस्क लगाकर किये गये अतिक्रमण को हटवा दिया गया तथा लीज राशि की वसूली हेतु प्रकरण पी.डी.आर. एक्ट के तहत अपर जिला कलेक्टर (वसूली), जयपुर के न्यायालय में दर्ज करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिये जाने एवं बकाया लीज-राशि की वसूली हेतु प्रकरण दर्ज करवा दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(843/962/964)/लोआस/2011

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की यह पत्रावली निसा लेजर लिमिटेड, गांधीनगर, गुजरात को गोल्फ एकेडमी, गोल्फ कोर्स एवं इससे सम्बन्धित गतिविधियों हेतु राजस्व ग्राम जामड़ोली, तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 165 मीन व 448 मीन की भूमि में से 40 एकड़ भूमि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन की लैण्ड स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंषा, बी.डी. की 22वीं बैठक दिनांक 19.10.2006 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 28.07.2007 में लिये गये निर्णयानुसार नगरीय विकास विभाग की स्वीकृति दिनांक 09.10.2007 के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) नियम, 1974 के तहत निर्धारित शर्तो के अधीन आवंटित किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर आवंटी संस्था निसा लेजर लिमिटेड द्वारा आवंटित भूमि का उपयोग आवंटन प्रयोजन (गोल्फ एकेडमी, गोल्फ कोर्स एवं इससे सम्बन्धित गतिविधियां) के विपरीत शादी समारोह/होटल के लिये कर लिया जाना, जविप्रा से अनुमोदित मानचित्र के विपरीत भूमि में अवैध निर्माण कर लेना व वर्ष 2011-12 से बकाया लीज-राशि जमा नहीं करवाया जाना पाया गया।

आवंटी संस्था निसा लेजर लिमिटेड द्वारा आवंटन पत्र/पट्टा विलेख की शर्तो का उल्लंघन करने से इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को दिये गये निर्देशो के अनुसरण में उपायुक्त जोन-10, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आदेश दिनांक 23.08.2017 द्वारा निसा लेजर लि. को गोल्फ एकेडमी व गोल्फ कोर्स हेतु ग्राम जामड़ोली, तहसील जयपुर में 40 एकड़ भूमि के किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया गया तथा

प्रश्नगत भूमि का भौतिक कब्जा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दिनांक 28.08.2017 को प्राप्त कर लिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत आवंटन के निरस्त हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(846)/लोआस/2011

एफ.22(985)/लोआस/2011

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की यह पत्रावली राजस्व ग्राम बल्लुपुरा, तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 8 व 9 की 20 एकड़ भूमि को बी.डी. की 21वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तथा आयुक्त, पर्यटन विभाग, राजस्थान की अभिशंसानुसार मैसर्स बुटीक होटल्स इण्डिया लि., नई दिल्ली को हैल्थ स्पा रिसोर्ट हेतु आवंटित किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि मैसर्स बुटीक होटल्स इण्डिया लि. को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में बकाया लीज-राशि की वसूली जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा गत 5-6 वर्षो से नहीं की गई। इस सचिवालय के पत्र दिनांक 02.03.2016 द्वारा सचिव, जविप्रा, जयपुर को आवंटी संस्था से बकाया लीज-राशि की वसूली करने बाबत निर्देश दिये गये।

इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा मैसर्स बुटीक होटल्स इण्डिया लि., नई दिल्ली में बकाया लीज-राशि के पेटे चालान संख्या 529903 से 60,08,310/- अक्षरे साठ लाख आठ हजार तीन सौ दस रूपये, चालान संख्या 387435 से 60,08,310/- अक्षरे साठ लाख आठ हजार तीन सौ दस रूपये व चालान संख्या 477088 से 60,08,310/- अक्षरे साठ लाख आठ हजार तीन सौ दस रूपये कुल राशि 1,80,24,930/- अक्षरे एक करोड़ अस्सी लाख

चौबीस हजार नो सौ तीस रूपये वसूल किये जाकर प्राधिकरण कोष में जमा करवा दिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप आदिनांक देय बकाया लीज राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(847/887)/लोआस/2011

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त यह पत्रावली बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बी.डी.) की बाईसवीं बैठक दिनांक 19.10.2006 में लिये गये निर्णयानुसार शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 23.12.2006 के अनुसरण में जविप्रा द्वारा इटरनल हार्ट केयर सेन्टर एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड को हार्ट हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट निर्माण के लिये जगतपुरा रोड़, जवाहर सर्किल के पास भूखण्ड संख्या 3 ए, क्षेत्रफल 7500 वर्गमीटर संस्थानिक प्रयोजनार्थ आरक्षित दर की 40 प्रतिशत की रियायती दर पर आवंटित कर आवंटन पत्र/पट्टा-विलेख/निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर इटरनल हार्ट केयर सेन्टर एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूमि आवंटन की शर्तो के अनुसार बी.पी.एल. एवं निर्धन श्रेणी के मरीजों का निःशुल्क उपचार करना पाया गया किन्तु संस्था द्वारा वर्ष 2014 के बाद की अवधि की बढ़ी लीज राशि जमा नहीं करवाया जाना प्रकट हुआ।

इस सचिवालय के द्वारा इटरनल हार्ट केयर सेन्टर एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में बकाया लीज राशि की वसूली करने बाबत सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को दिये गये निर्देशो के उपरान्त उक्त

संस्था द्वारा दिनांक 09.02.17 को बकाया लीज राशि के पेटे 10 लाख रूपये जमा करवाकर चालान की प्रति प्रस्तुत की गई। शेष लीज राशि की वसूली के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा इटरनल हार्ट केयर सेन्टर एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी करने के उपरान्त संस्था द्वारा वर्ष 2017-18 तक की अवधि की समस्त बकाया लीज राशि रूपये 1,30,62,500/- अक्षरे एक करोड़ तीस लाख बासठ हजार पाँच सौ रूपये जमा करवा दिये गये। इस प्रकार संस्था द्वारा कुल 1,40,62,500/- रूपये की राशि बकाया लीज के पेटे जमा करवा दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप प्रकरण में समस्त बकाया लीज राशि की वसूली हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(872)/लोआस/2011

सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर से प्राप्त यह पत्रावली आवेदक सूरजमल मेमोरियल एज्युकेशनल सोसायटी जरिये श्री गणेशराम के राजस्व ग्राम रिड़मलसर पुरोहितान के खसरा नम्बर 49/9/1 व 49/9/2 की 27222.22 वर्गगज भूमि के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा आवासीय से सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर सुधार न्यास, बीकानेर द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड तक राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के भू-उपयोग परिवर्तन निर्णय में अधिरोपित शर्त के अनुसार 60 फीट चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना नहीं पाया गया।

सम्परिवर्तित भूखण्ड तक 60 फीट चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाने की सुनिश्चितता करने हेतु नियमानुसार की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब करने पर सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर द्वारा जारी नोटिस के क्रम में आवेदक ने 30ग315 वर्गफीट क्षेत्रफल भूमि मार्गाधिकार हेतु लीज पर प्राप्त कर उसका पंजीयन करवाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप आवेदक से सम्परिवर्तित भूखण्ड तक 60 फीट चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध करवाने की सुनिश्चितता करवा लेने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(899)/लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम नया नोहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खातेदार श्री नन्द किशोर, श्री घासीलाल, श्री नारायण लाल के खसरा नम्बर 55/1, 56 व 57 की 4.60 हैक्टेयर भूमि का राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा औद्योगिक से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं न्यास द्वारा भूमि का नियमन करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि भूमि के खातेदारों की ओर से उनके मुख्त्यारआम द्वारा आवेदन आदि प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई। भूमि के खातेदारों द्वारा मुख्त्यारआम के पक्ष में निष्पादित मुख्त्यारनामाआम में सम्बन्धित भूमि (अचल सम्पत्ति) को विक्रय करने के अधिकार भी मुख्त्यारआम को प्रत्यायोजित किये गये। प्रश्नगत मुख्त्यानामाआम न तो रजिस्टर्ड था और न ही इस पर मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप मुद्रांक-शुल्क अदा किया गया। उक्त अपंजीकृत एवं अमुद्रांकित मुख्त्यारनामाआम के आधार पर कार्यवाही करने वाले लोकसेवकों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत सूचना तथा प्रश्नगत

मुख्त्यारनामाआम पर नियमानुसार मुद्रांक-शुल्क की वसूली करने हेतु रेफरेन्स कलक्टर (मुद्रांक), कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश सचिव, नगर सुधार न्यास, कोटा को दिये गये, जिस पर सचिव, नगर सुधार न्यास, कोटा द्वारा प्रश्नगत मुख्त्यानामाआम पर देय मुद्रांक-शुल्क की वसूली करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण संख्या 166/2016 कलक्टर (मुद्रांक), कोटा के न्यायालय में दर्ज करवा दिया गया।

प्रकरण में प्रश्नगत मुख्त्यारनामाआम के आधार पर कार्यवाही करने वाले लोकसेवकों श्री शिव प्रसाद वर्मा, पटवारी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, तत्कालीन भू-अभिलेख निरीक्षक, हाल तहसीलदार, पिड़ावा, जिला झालावाड़ तथा श्री संदीप दण्डवते, तत्कालीन उप नगर नियोजक, हाल वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर दिये गये।

कलक्टर (मुद्रांक), कोटा के न्यायालय में दर्ज रेफरेन्स प्रकरण संख्या 166/2016 में न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2016 को निर्णय पारित किया जाकर प्रश्नगत मुख्त्यारनामाआम पर देय स्टाम्प ड्यूटी, सरचार्ज, गो- संरक्षण शुल्क, पेनल्टी तथा ब्याज वसूल करने के आदेश दिये गये। न्यायालय निर्णय के क्रम में सम्बन्धित पक्षकार से प्रश्नगत मुख्त्यानामाआम पर देय मुद्रांक-शुल्क की राशि रूपये 6,500/- जरिये रसीद संख्या 2016007157 दिनांक 22.11.2016 वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करवा दिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप कमी मुद्रांक-शुल्क की राशि वसूल हो जाने तथा सम्बन्धित लोकसेवकों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(917)/लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम सोगरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खातेदार श्री शशिकान्त शर्मा व श्री राजेश शर्मा के खसरा नम्बर 167 मीन की 1470 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण करने, जिला स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा आवासीय से वाणिज्यिक (पैट्रोल-पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं न्यास द्वारा तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर प्रश्नगत भूमि में पैट्रोल-पम्प प्रयोजनार्थ किये गये निर्माण में आवेदक द्वारा निर्धारित सैट बैक क्षेत्र में अवैध निर्माण करते हुए भवन विनियम के मापदण्डों का उल्लंघन करना पाया गया।

इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, कोटा द्वारा प्रकरण में सैट बैक का उल्लंघन कर किये गये अनियमित/अवैध निर्माण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय तहसीलदार, नगर सुधार न्यास, कोटा के यहां राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 90-90 ए व 91 ए-91 बी तथा 91 सी के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में सैट बैक का उल्लंघन कर किये गये अनियमित/अवैध निर्माण को हटाने बाबत नियमानुसार प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(918)लोआस/2011

नगर विकास न्यास, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम नान्ता की खातेदार श्रीमती भूरी बाई पत्नी श्री देवलाल, निवासी जनेश्वर, जिला बून्दी जरिये मुख्यारआम नेवालाल गुर्जर के खसरा नम्बर 477/2005 मीन की 1493.33 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, उप सचिव, नगर सुधार न्यास, कोटा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण करने तथा नगर सुधार न्यास द्वारा वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कर पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि जारी पट्टा विलेख की शर्तो के विपरीत आवेदक द्वारा नियमानुसार नगर सुधार न्यास, कोटा से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाये तथा भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही प्रश्नगत भूमि में सैट बैक क्षेत्र में अवैध निर्माण कर भवन विनियम के निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन किया गया।

इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशो के उपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, कोटा द्वारा प्रकरण में सैट बैक का उल्लंघन कर किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही करने/अनियमित निर्माण हटाने के लिए सक्षम न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास न्यास, कोटा के यहाँ राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 90-90 ए व 91 ए-91 बी तथा 91 सी के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा आवेदक से प्रश्नगत भूखण्डों के एकीकरण हेतु निर्धारित राशि रूपये 6,75,050/- अक्षरे (छः लाख पिचहत्तर हजार पचास रूपये) जरिए चालान संख्या 2462 दिनांक 06.01.2017 न्यास कोष में जमा करवा लिये गये।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने तथा देय राशि वसूल कर लिये जाने पर पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(920)/लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम नान्ता, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की खातेदार श्रीमती भूरी बाई पत्नी श्री देवलाल के खसरा नम्बर 477/2005 की 0.101 हैक्टेयर भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उप सचिव, नगर सुधार न्यास, कोटा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत न्यास पक्ष में पुनर्ग्रहण करने के पश्चात् होटल प्रयोजनार्थ नियमन करने के सम्बन्ध में है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि भूमि की खातेदार द्वारा मुख्त्यारआम को अपनी ओर से कार्यवाहियां करने के लिए अधिकृत करते हुए निष्पादित किये गये मुख्त्यानामाआम में अचल सम्पत्ति (भूमि) को विक्रय करने के अधिकार भी प्रदान किये थे, किन्तु यह मुख्त्यारनामाआम उप-पंजीयक के यहां पंजीकृत नहीं करवाया गया था और न ही इस पर मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानानुसार देय मुद्रांक-शुल्क की अदायगी की गई थी।

प्रकरण में मुख्त्यानामाआम पर देय मुदांक शुल्क वसूलने के लिए रेफरेन्स प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक), कोटा के न्यायालय में दर्ज करने बाबत इस सचिवालय द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा को निर्देश दिये जाने पर सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स प्रकरण संख्या 103/2006 दर्ज करवा दिया गया। प्रकरण में न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक), कोटा ने पारित निर्णय दिनांक 18.05.2017 में सम्पत्ति की मालियत 15,19,875/- रूपये निर्धारित

करते हुए मुद्रांक-शुल्क वसूल करने के निर्देश दिये। निर्णय की पालना में पक्षकार द्वारा मुद्रांक शुल्क के ब्याज एवं शास्ति में विशेष छूट का लाभ लेते हुए शेष देय मुद्रांक राशि रूपये 36,480/- रूपये जरिये रसीद संख्या 2017021230002975 दिनांक 18.05.2017 कार्यालय उप पंजीयक, कोटा (प्रथम) में जमा करवा दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में देय मुद्रांक-शुल्क की वसूली हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(946)लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, बीकानेर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम शरहकजाणी, तहसील व जिला बीकानेर की खातेदार श्रीमती जशोदा पत्नी श्री मधुकर बगड़िया, निवासी लक्ष्मी विहार कॉलोनी, जयपुर रोड़, बीकानेर के खसरा नम्बर 32 व 38 की 4.93 हैक्टेयर कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत नगर सुधार न्यास के पक्ष में पुनर्गहीत करने की कार्यवाही से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि भूमि के पुनर्ग्रहण आदेश में वर्णित शर्तो की पालना में विकासकर्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना में आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं करवाये गये तथा समस्त देय बाह्य विकास शुल्क की राशि भी जमा नहीं करवायी गई।

प्रश्नगत योजना में विकासकर्ता के मार्फत आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करवाये जाने तथा भूमि पुनर्ग्रहण आदेश में अधिरोपित शर्त की पालना सुनिश्चित करवाये जाने बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशो के

उपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर द्वारा प्रश्नगत योजना में सम्पूर्ण विकास कार्य पूर्ण न होने एवं बकाया बाह्य विकास शुल्क जमा न होने तक भूखण्डधारियों को भविष्य में जारी होने वाले पट्टा-विलेखों पर रोक लगा दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में भूमि पुनर्ग्रहण आदेश में वर्णित शर्तो की पालना सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(969)/लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, बीकानेर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम उदासर, तहसील व जिला बीकानेर के खातेदार श्री पूराराम पुत्र श्री गंगाराम के खसरा नंबर 149 व 156 की 16 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत नगर सुधार न्यास के पक्ष में पुनर्ग्रहीत करने की कार्यवाही से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि भूमि के पुनर्ग्रहण आदेश में वर्णित शर्तो की पालना में विकासकर्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना में आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं करवाये गये तथा समस्त देय बाह्य विकास शुल्क की राशि भी जमा नहीं करवायी गई।

प्रश्नगत योजना में विकासकर्ता के मार्फत आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करवाये जाने तथा भूमि पुनर्ग्रहण आदेश में अधिरोपित शर्त की पालना सुनिश्चित करवाये जाने बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर द्वारा प्रश्नगत योजना में सम्पूर्ण विकास कार्य पूर्ण न होने एवं बकाया बाह्य विकास शुल्क जमा न होने

तक भूखण्डधारियों को भविष्य में जारी होने वाले पट्टा-विलेखों पर रोक लगा दी गई। योजना के रहन रखे गये 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को न्यास द्वारा नीलाम करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में भूमि पुनर्ग्रहण आदेश में वर्णित शर्तो की पालना सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(975)/लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, बीकानेर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम शरहकजाणी, तहसील व जिला बीकानेर के खातेदार श्रीमती सुमन चौधरी पत्नी श्री रेवतराम, निवासी गढ़वाला, तहसील बीकानेर के खसरा नंबर 28/2, 29/2 व 29/3 की 2.54 हैक्टेयर कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत नगर सुधार न्यास के पक्ष में पुनर्ग्रहीत करने की कार्यवाही से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि भूमि के पुनर्ग्रहण आदेश में वर्णित शर्तो की पालना में विकासकर्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना में आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं करवाये गये तथा समस्त देय बाह्य विकास शुल्क की राशि भी जमा नहीं करवायी गई।

प्रश्नगत योजना में विकासकर्ता के मार्फत आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करवाये जाने तथा भूमि पुनर्ग्रहण आदेश में अधिरोपित शर्त की पालना सुनिश्चित करवाये जाने बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा प्रश्नगत योजना में सम्पूर्ण विकास कार्य पूर्ण न होने एवं बकाया बाह्य विकास शुल्क जमा न

होने तक भूखण्डधारियों को भविष्य में जारी होने वाले पट्टा-विलेखों पर रोक लगा दी गई। योजना के रहन रखे गये 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को न्यास द्वारा नीलाम करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई।

अत: इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में भूमि पुनर्ग्रहण आदेश में वर्णित शर्तो की पालना सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(977)/लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, बीकानेर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम नैणों का बास, तहसील व जिला बीकानेर के खातेदार मैसर्स अशोक अमर एग्रो प्रा.लि. फड़बाजार, बीकानेर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री अरविन्द गोटेवाला पुत्र श्री राम गोटेवाला, निवासी बनीपार्क, जयपुर के खसरा नम्बर 229/209/40/2 की 39 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(1) के तहत नगर सुधार न्यास के पक्ष में पुनर्ग्रहीत करने की कार्यवाही से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर किये गये भू-सम्परिवर्तन की शर्तानुसार विकासकर्ता द्वारा सृजित आवासीय योजना में आंतरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं करवाया जाना तथा समस्त देय बाह्य विकास शुल्क भी जमा नहीं करवाया जाना पाया गया।

विकासकर्ता से प्रश्नगत योजना में आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करवाये जाने हेतु अधिरोपित शर्त की पालना सुनिश्चित करवाये जाने बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर द्वारा प्रश्नगत योजना में सम्पूर्ण विकास कार्य पूर्ण न होने एवं बकाया बाह्य विकास शुल्क जमा न होने की स्थिति में न्यास पक्ष में

रहन रखे गये भूखण्डों के पट्टा-विलेख जारी करने पर रोक लगा दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में भू-सम्परिवर्तन शर्तों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1021)/लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा की यह पत्रावली राजस्व ग्राम बपावर कलां, तहसील सांगोद, जिला कोटा के आवेदक श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री सूरजमल शर्मा के खसरा नम्बर 771 व 772 की 1200 वर्गमीटर कृषि भूमि को विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सांगोद द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत देय शुल्क जमा करवाकर निर्धारित शर्तो के अधीन कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय स्तर पर पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा संपरिवर्तन की निर्धारित शर्त (दो वर्ष की कालावधि में भूमि का संपरिवर्तन प्रयोजनार्थ उपयोग करने) की पालना नहीं की गई।

इस सचिवालय द्वारा प्रकरण में संपरितर्वन शर्तो की अनुपालना करवाने/अन्य विधिक कार्यवाही करने के निर्देश सक्षम प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सांगोद, जिला कोटा को दिये गये । उपखण्ड अधिकारी, सांगोद, जिला कोटा द्वारा प्रकरण में संपरिवर्तन शर्तो की पालना न किये जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत संपरिवर्तन को आदेश क्रमांक राजस्व/2017/428-33 दिनांक 04.09.2017 द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिससे भूमि पुनः कृषि भूमि के रूप में अंकित हो गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1022)/लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा की यह पत्रावली राजस्व ग्राम कनवास, तहसील सांगोद, जिला कोटा के आवदेक श्री हेमराज पुत्र श्री नन्दलाल तेली के खसरा नम्बर 1283 की 0.20 हैक्टेयर कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि को विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सांगोद द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत देय शुल्क जमा करवाकर निर्धारित शर्तो के अधीन आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय स्तर पर पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन के इस मामले में आवेदक द्वारा सड़क के मध्य से मार्गाधिकार हेतु निर्धारित 39 फीट भूमि न छोड़कर मात्र 22 फीट भूमि ही छोड़कर इसमें गेहूँ के गोदाम व व्यावसायिक दुकानों का अवैध निर्माण करते हुए संपरिवर्तन की शर्तो का उल्लंघन करना पाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, कनवास, जिला कोटा को संपरिवर्तन शर्तो की पूर्ण पालना करवाने अथवा अन्य विधिक कार्यवाही करने हेतु इस सचिवालय द्वारा निर्देश जारी किये गये। उपखण्ड अधिकारी, कनवास, जिला कोटा की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में मार्गाधिकार की 17 फीट भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को मौके से हटवा दिया गया तथा संपरिवर्तन आदेश की शर्तो की पूर्ण पालना करवा दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप मार्गाधिकार की भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को हटा देने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1039)/लोआस/2011

नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम जोधड़ास, तहसील व जिला भीलवाड़ा के खातेदार श्री शम्भु सिंह पुत्र श्री देवी सिंह चून्डावत के खसरा नम्बर 344, 349 व 381 की 3 बीघा कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी, नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा आवासीय से वाणिज्यिक (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं न्यास द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के फ्रन्ट सैट बैक क्षेत्र में भवन विनियम के मापदण्डों का उल्लंघन कर अनियमित रूप से बिना स्वीकृति अवैध निर्माण कर लेना पाया गया।

भूखण्ड के सैट बैक क्षेत्र में किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा द्वारा फ्रन्ट सैट बैक क्षेत्र में अनियमित रूप से किये गये निर्माण को सीज कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप अनियमित निर्माण को सीज कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1057)/लोआस/2011

सचिव, नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली दी राजस्थान ज्योग्राफिकल एसोसिएशन, भीलवाड़ा को मंत्रिमण्डलीय सचिवालय की आज्ञा दिनांक 14.02.2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में परीक्षण कर निर्णय हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की बैठक दिनांक 26.04.08 में लिये गये निर्णयानुसार नगरीय विकास विभाग के शासन उप सचिव प्रथम द्वारा जारी स्वीकृति दिनांक 28.05.08 के अनुसरण में नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा द्वारा न्यास की पटेल नगर योजना के भूखण्ड संख्या 3 की 1666.67 वर्ग गज भूमि भौगोलिक पक्षोपपक्षों, ज्वलन्त समस्याओं आदि के अध्ययन-अध्यापन, शोध कार्य, अकादमिक मुद्दों पर परिचर्चा-संवाद हेतु भवन निर्माण के लिए आरक्षित दर की 10 प्रतिशत की रियायती दर पर सशर्त आवंटन कर पट्टा-विलेख जारी किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर संस्था दी राजस्थान ज्योग्राफिकल एसोसिएशन, भीलवाड़ा द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड में निर्माण स्वीकृति एवं भवन विनियम के मापदण्डों का उल्लंघन कर सैट बैक क्षेत्र में अवैध निर्माण कर लिया जाना पाया गया।

भूखण्ड के सैट बैक क्षेत्र में किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त सचिव, नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा द्वारा सैट बैक क्षेत्र में अनियमित रूप से किये गये निर्माण को सीज कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप अनियमित निर्माण को सीज कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1083)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़, जिला उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम फतेहनगर के खातेदारान श्री महेश कुमार, श्रीमती कान्ता, श्री अभय कुमार, श्रीमती उषा, श्रीमती सायर देवी तथा श्री नितिन खसरा नम्बर 52 व 53 की 17712.33 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1086)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़, जिला उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम फतहनगर की खातेदार श्रीमती हेमलता पत्नी श्री नाथूलाल मेनारिया के खसरा नम्बर 601/88, 91, 83 व 602/90 की 40075.11 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी

अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन

प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1087)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़, जिला उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम फतहनगर के खातेदार श्री रामा पुत्र श्री घीसा बोला के खसरा नम्बर 2498/1206 की 21780 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के

तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1088)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़, जिला उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम वासनीमाफी की खातेदार श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री श्याम लाल मून्दड़ा के खसरा नम्बर 842, 843 व 845 की 16068.8 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1089)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़, जिला उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम सनवाड़ के खातेदार श्री जीवन लाल पुत्र श्री ल्क्ष्मीलाल व श्री राकेश पुत्र श्री किशनलाल जैन के खसरा नम्बार 5032/1, 5033/1/4, 5034 व 5035/1 की 6 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है।

इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फतहनगर सनवाड़ की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1092)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़, जिला उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम सनवाड़ के खातेदार श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री एकलिंग बुनकर के खसरा नम्बर 1230-1232, 1233 मीन, 1244-1248, 2937 मीन, 2938 मीन व 2940 मीन की की 40172 वर्गगज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के

अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1093)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़, जिला उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम सनवाड़ के खातेदार श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री एकलिंग बुनकर के खसरा नम्बर 1253-1254, 1256, 1257-1260 की 17908 वर्गगज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का

तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फतहनगर सनवाड़ की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1094)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़, जिला उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम सनवाड़ के खातेदार श्री प्रभुलाल पुत्र श्री भंवर लाल गुर्जर के खसरा नम्बर 1145, 1147-1150 की 15391 वर्गगज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर

सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1095)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़, जिला उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम सनवाड़ के खातेदार श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री एकलिंग बुनकर के खसरा नम्बर 2963 मीन, 2964 मीन, 2965-2969, 2970 मीन, 2971-2974 व 2976-2979 की 24.05 बीघा कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर

नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फतहनगर सनवाड़ की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1097)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़, जिला उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम सनवाड़ के खातेदार श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री एकलिंग बुनकर के खसरा नम्बर 1252, 1261-1264 की 27007.2 वर्गगज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली

द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फतहनगर सनवाड़ की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1103)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़, जिला उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम वासनीमाफी की खातेदार श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री रामचन्द्र सोनी के खसरा नम्बर 876 से 879 की 16054.55 वर्गगज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर

नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फतहनगर सनवाड़ की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1104)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़, जिला उदयपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम सनवाड़ के खातेदार श्री शंकर लाल पुत्र श्री प्रताप व श्रीमती नोजी के खसरा नम्बर 3191/1 की 8 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मावली

द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर-सनवाड़ द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फतहनगर सनवाड़ की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1111)/लोआस/2011

नगरपालिका, लालसोट से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम लालसोट, जिला दौसा के आवेदक श्री अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र श्री कजोड़मल उपाध्याय के खसरा नम्बर 198 की भूमि में से 600 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, उप जिला कलक्टर, लालसोट द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने के पश्चात् नगरपालिका, लालसोट द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम, 2000 की व्यावसायिक भवन हेतु मानदण्ड की तालिका ''ग'' की सामान्य टिप्पणी के बिन्दु संख्या VII के प्रावधानों के विपरीत 40 फीट रोड़ उपलब्ध होते हुए भी साइट-प्लान में 30 फीट अंकित रोड़ पर पट्टा-विलेख जारी कर देना पाया गया।

इस सचिवालय द्वारा राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम, 2000 के मापदण्डानुसार यथोचित कार्यवाही करने हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लालसोट को दिये गये निर्देशों के उपरान्त पूर्व में जारी पट्टा-विलेख में 30 फीट दर्शित सड़क को संशोधित करते हुए 40 फीट

अंकित करने के लिए संशोधन-पत्र उप पंजीयक, लालसोट के कार्यालय में पंजीकृत करवा लिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप साईट प्लान में सड़क चौड़ाई संशोधित हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1112)/लोआस/2011

नगरपालिका, लालसोट से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम लालसोट के आवेदक श्री रमेश चन्द सेठी, अध्यक्ष प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मंदिर, लालसोट के खसरा नम्बर 339 की भूमि में से 791.58 वर्ग कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, उप जिला कलक्टर, लालसोट द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने के पश्चात् नगरपालिका, लालसोट द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर श्री रमेश चन्द सेठी, अध्यक्ष प्रबन्ध समिति आदर्श विद्या मंदिर, लालसोट द्वारा पट्टा-विलेख/आवंटन-पत्र में अंकित शर्त संख्या 5 व 10 का उल्लंघन कर भूमि का आवासीय से इतर संस्थानिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना पाया गया।

इस सचिवालय द्वारा प्रकरण में पट्टा-विलेख की शर्तों के उल्लंघन बाबत समुचित कार्यवाही हेतु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लालसोट को दिये गये निर्देशों के उपरान्त आवेदक से संस्थानिक भू-उपयोग परिवर्तन बाबत निर्धारित राशि 6625/- रूपये दिनांक 25.10.17 को जमा करवा कर संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई ।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप भू-उपयोग परिवर्तन बाबत निर्धारित राशि जमा हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1114)/लोआस/2011

नगरपालिका, लालसोट से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम लालसोट के आवेदक सचिव ए.वी.पी. एज्यूकेशन सोसाइटी जरिये श्री विनीत उपाध्याय के खसरा नम्बर 155 की भूमि में से 1500 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लालसोट द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने तथा नगरपालिका, लालसोट द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण करने के पश्चात् तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय स्तर पर पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि ए.वी.पी. एज्यूकेशन सोसायटी के पक्ष में पट्टा-विलेख वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ जारी किया गया किन्तु प्रश्नगत भूमि में मौके पर विद्यालय का संचालन किया जा रहा था। भूमि का रूपान्तरण प्रयोजन से भिन्न उपयोग होने के कारण प्रकरण में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, लालसोट को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लालसोट द्वारा सचिव, ए.वी.पी. एज्यूकेशन सोसायटी के पक्ष में शुद्धि-पत्र निष्पादित करते हुए जारी पट्टा-विलेख में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ के स्थान पर संस्थागत प्रयोजन अंकित किया गया। शुद्धि-पत्र का पंजीयन भी उप पंजीयक, लालसोट के यहाँ करवाया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, लालसोट द्वारा प्रश्नगत भूमि का पट्टा-विलेख

वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ के स्थान पर संस्थागत प्रयोजन अंकित कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1115)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुन्झुनूं के खातेदार श्री संजीव कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल के खसरा नम्बर 755/6 व 756/2 की 1100 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा आवासीय से वाणिज्यिक (पैट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर प्रकरण में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आवेदक से तत्समय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन-शुल्क की वसूली नहीं किया जाना तथा इण्डियन रोड़ कांग्रेस व मोर्थ की निर्धारित मापदण्डों की पालना नहीं किया जाना पाया गया।

भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन-शुल्क की वसूली बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशो के उपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं ने भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन-शुल्क की देय राशि रूपये 1100/- (एक हजार एक सौ रूपये) दिनांक 16.02.2017 को जरिए रसीद संख्या 350/56 वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी गई है तथा इण्डियन रोड़ कांग्रेस व मोर्थ की निर्धारित मापदण्डों की पालना करवा ली गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि वसूल हो जाने तथा निर्धारित

मापदण्डों की पालना सुनिश्चित हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1117/1118)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुन्झुनूं के खातेदार श्री लक्ष्मीकान्त जांगिड, शिव शक्ति होटल के खसरा नम्बर 1235/3/2 नया खसरा नम्बर 2564 की 2564 वर्ग गज भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा परिधि नियंत्रण पट्टी से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर प्रश्नगत भूमि में निर्माण स्वीकृति के विरूद्ध किये गये निर्माण व सैट बैक का उल्लंघन तथा भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि वसूल नहीं किया जाना पाया गया।

भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क वसूली तथा सैट बैक क्षेत्र में किये गये अवैध निर्माण बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं ने प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की देय राशि रूपये 2901/- (दो हजार नौ सौ एक रूपये) दिनांक 30.11.17 को जरिए रसीद संख्या 345/18 द्वारा वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी गई तथा सैट बैक क्षेत्र में किये गये अवैध निर्माण को सीज कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय लीज डीड की राशि वसूल हो जाने तथा सैट बैक क्षेत्र में किये गये अवैध निर्माण को सीज कर दिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1119/1120)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम सीतसर, तहसील व जिला झुन्झुनूं की खातेदार श्रीमती सन्तोष अहलावत पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह अहलावत के खसरा नम्बर 18 की 3575 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा परिधि नियंत्रण पट्टी से सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (नर्सरी स्कूल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रकरण में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आवेदक से तत्समय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन-शुल्क की वसूली नहीं की गई थी।

भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन-शुल्क की वसूली बाबत दिये गये इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं ने भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन-शुल्क की देय राशि के रूपये 3306/- (तीन हजार तीन सौ छः रूपये) दिनांक 01.03.2017 को जरिए रसीद संख्या 351/8 वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन-शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1124)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुन्झुनूं के खातेदार श्री शेर सिंह पुत्र श्री हरनारायण जाट, निवासी आदर्श कॉलोनी, खेतड़ी रोड़, वार्ड नम्बर 22, चिड़ावा के खसरा नम्बर 679/412 की 550 वर्ग गज भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रकरण में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आवेदक से तत्समय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली नहीं की गई थी।

भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली बाबत दिये गये इस सचिवालय के निर्देशोपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं ने भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की देय राशि रूपये 550/- (पांच सौ पचास रूपये) दिनांक 28.02.2017 को जरिए रसीद संख्या 351/5 वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1132)/लोआस/2011

एफ.22(1133)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुन्झुनूं के खातेदार श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह व श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री लालचन्द, निवासी ग्राम हसान, तहसील तोशाम, जिला भिवानी के खसरा नम्बर 506 व 507 की 6016.70 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहित किया जाकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा परिधि नियंत्रण पट्‌टी से औद्योगिक (स्टोन क्रेशर) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने के उपरान्त नगर परिषद द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्‌टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा संपरिवर्तन शर्तो के अनुरूप प्रश्नगत भूमि पर स्टोन क्रेशर संचालन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर शर्तो का उल्लंघन किया गया।

इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं ने अवगत करवाया कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि पर क्रेशर संचालन हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 10.03.2016 को प्राप्त कर लिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1137)लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुन्झुनूं के खातेदार श्री नीरज नायक पुत्र श्री दुर्गाराम, निवासी वार्ड नम्बर 23, पिलानी रोड़, चिड़ावा के खसरा नम्बर 100/2 की 3932 वर्ग गज भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा परिधि नियंत्रण पट्टी से औद्योगिक (स्टोन क्रेशर) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा आवेदक से नियमानुसार देय भू-रूपान्तरण राशि तत्समय वसूल नहीं करना पाया गया।

भू-रूपान्तरण शुल्क की वसूली बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं ने प्रकरण में भू-रूपान्तरण शुल्क की देय राशि रूपये 2,45,350/- (दो लाख पैंतालीस हजार तीन सौ पचास रूपये) जरिए रसीद संख्या 85/377 एवं 25/384 द्वारा वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय भू-रूपान्तरण शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1138)/लोआस/2011

नगर परिषद, झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली आवेदक झुन्झुनूं एकेडमी समिति, झुन्झुनूं जरिये अध्यक्ष, श्री दिलीप मोदी पुत्र श्री मथुरा प्रसाद मोदी, ज्ञान कुटीर, मोदी रोड़, वार्ड नम्बर 24, झुन्झुनूं की राजस्व ग्राम झुन्झुनूं के खसरा नम्बर 1349/1 व 1349/2 की 22088 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा परिधि नियंत्रण पट्टी से सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक महाविद्यालय) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत किये जाने एवं नगर परिषद्, झुन्झुनूं द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आवेदक से तत्समय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली नहीं करना तथा झुन्झुनूं एकेडमी समिति, झुन्झुनूं द्वारा सड़क के मार्गाधिकार की 18 फीट भूमि पर अतिक्रमण करना पाया गया।

भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली एवं प्रश्नगत अतिक्रमण हटाने बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की देय राशि रूपये 49550/- (उनचास हजार पांच सौ पचास रूपये) जरिए रसीद संख्या 101/53 वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी गई एवं मार्गाधिकार की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के तहत आयुक्त, नगरपरिषद, झुन्झुनूं द्वारा दिये गये अंतिम नोटिस के उपरान्त झुन्झुनूं एकेडमी समिति, झुन्झुनूं द्वारा मौके से प्रश्नगत अतिक्रमण को हटा लिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा हो जाने एवं प्रश्नगत अतिक्रमण हटा लेने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1140)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम जरिहा नम्बर 1, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के खातेदार श्री निरोत्तम सिंह, श्री नवाबसिंह व श्री अर्जुन सिंह की खसरा 702-704 की 7237 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण करने के पश्चात् नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा भूमि का औद्योगिक (ईट-भट्टा) प्रयोजनार्थ नियमन कर पट्टा विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत औद्योगिक (ईट-भट्टा) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध में जारी किये गये पट्टा-विलेख की अवधि दिनांक दिनांक 19.10.2014 को ही समाप्त हो चुकी थी एवं पट्टा-विलेख की अवधि समाप्ति के पश्चात् भी इस भूमि में मौके पर ईट-भट्टा संचालित किया जा रहा था। नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा प्रकरण में पट्टा विलेख की अवधि समाप्ति के पश्चात् न तो पट्टा-विलेख का नवीनीकरण किया गया और न ही अवधि पार संचालित ईट-भट्टे के सम्बन्ध में अन्य कोई प्रभावी विधिक कार्यवाही की गई।

पट्टा विलेख का नवीनीकरण करने अथवा अवधि पार संचालित ईट-भट्टे बाबत नियमानुसार अन्य प्रभावी विधिक कार्यवाही करने हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त अधिशाषी अधिकारी,

नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बान्ध में औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख के अवधि विस्तार हेतु निर्धारित राशि 13,027/- अक्षरे तेरह हजार सताईस रूपये जरिए रसीद संख्या 4679 दिनांक 15.10.2014 वसूल कर पट्टा-विलेख का 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप निर्धारित राशि वसूल कर पट्टा-विलेख का नवीनीकरण हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1141)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम महदवार नम्बर 1, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के खातेदार श्री रोहित जैन पुत्र स्वर्गीय श्री अनिल कुमार जैन के खसरा नम्बर 1486 की 6201.25 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण करने के पश्चात् नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा भूमि का औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ नियमन कर पट्टा विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध में जारी किये गये पट्टा-विलेख की अवधि दिनांक 14.01.2017 को ही समाप्त हो चुकी थी एवं पट्टा-विलेख की अवधि समाप्ति के पश्चात् भी इस भूमि में मौके पर ईंट-भट्टा संचालित किया जा रहा था। नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा प्रकरण में पट्टा-विलेख की अवधि समाप्ति के पश्चात् न तो पट्टा विलेख का नवीनीकरण किया गया और न ही

अवधि पार संचालित ईट-भट्टे के सम्बन्ध में अन्य कोई प्रभावी विधिक कार्यवाही की गई।

पट्टा-विलेख का नवीनीकरण करने अथवा अवधि पार संचालित ईट-भट्टे बाबत नियमानुसार अन्य प्रभावी विधिक कार्यवाही करने हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में औद्योगिक (ईट-भट्टा) प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख के अवधि विस्तार हेतु निर्धारित **राशि 1,68,440/- अक्षरे एक लाख अड़सठ हजार चार सौ चालीस रूपये** जरिए रसीद संख्या 1869 दिनांक 28.03.2017 वसूल कर पट्टा-विलेख का 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप निर्धारित राशि वसूल कर पट्टा-विलेख का नवीनीकरण हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1142)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम सिधावली खुर्द, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के खातेदार छोटेलाल, चम्पा, गुट्टी पुत्रगण श्री हेतसिंह, भोला, श्यामा, शम्भू पुत्रगण श्री कल्लो की खसरा 417-419 की 4813.54 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण करने के पश्चात् नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा भूमि का औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ नियमन कर पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध

में जारी किये गये पट्टा-विलेख की अवधि दिनांक 22.02.2015 को ही समाप्त हो चुकी थी एवं पट्टा-विलेख की अवधि समाप्ति के पश्चात् भी इस भूमि में मौके पर ईंट-भट्टा संचालित किया जा रहा था। नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा प्रकरण में पट्टा विलेख की अवधि समाप्ति के पश्चात् न तो पट्टा-विलेख का नवीनीकरण किया गया और न ही अवधि पार संचालित ईट-भट्टे के सम्बन्ध में अन्य कोई प्रभावी विधिक कार्यवाही की गई।

पट्टा-विलेख का नवीनीकरण करने अथवा अवधि पार संचालित ईट-भट्टे बाबत नियमानुसार अन्य प्रभावी विधिक कार्यवाही करने हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख के अवधि विस्तार हेतु निर्धारित **राशि 37.235/- अक्षरे सैंतीस हजार दौ सौ पैंतीस रूपये** जरिए रसीद संख्या 1874 दिनांक 30.03.2017 वसूल कर पट्टा-विलेख का 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप निर्धारित राशि वसूल कर पट्टा-विलेख का नवीनीकरण हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1154)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम डोगरपुर, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर की खातेदार श्रीमती अंजना गुप्ता पत्नी श्री आशुतोष गुप्ता के खसरा नम्बर 287 की 4991.25 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1)

के तहत पुनर्ग्रहण करने के पश्चात् नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा भूमि का औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ नियमन कर पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध में जारी किये गये पट्टा-विलेख की अवधि दिनांक 10.02.2015 को ही समाप्त हो चुकी थी एवं पट्टा-विलेख की अवधि समाप्ति के पश्चात् भी इस भूमि में मौके पर ईंट-भट्टा संचालित किया जा रहा था। नगरपालिका, राजाखेड़ा द्वारा प्रकरण में पट्टा-विलेख की अवधि समाप्ति के पश्चात् न तो पट्टा-विलेख का नवीनीकरण किया गया और न ही अवधि पार संचालित ईट-भट्टे के सम्बन्ध में अन्य कोई प्रभावी विधिक कार्यवाही की गई।

पट्टा-विलेख का नवीनीकरण करने अथवा अवधि पार संचालित ईट-भट्टे बाबत नियमानुसार अन्य प्रभावी विधिक कार्यवाही करने हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में औद्योगिक (ईंट-भट्टा) प्रयोजनार्थ जारी पट्टा-विलेख के अवधि विस्तार हेतु निर्धारित राशि 43,700/- अक्षरे तियालीस हजार सात सौ रूपये जरिए रसीद संख्या 2455 दिनांक 17.10.2017 वसूल कर पट्टा-विलेख का 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप निर्धारित राशि वसूल कर पट्टा-विलेख का नवीनीकरण हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1166)/लोआस/2011

नगर परिषद, झुंझुनू से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम झुंझुनूं के आवेदक श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह गोदारा, निवासी हिसार के खसरा नम्बर 506 व 507 की भूमि में से 5559 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा परिधि नियंत्रण पट्टी से औद्योगिक (स्टोन क्रेशर) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत किये जाने एवं नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय स्तर पर पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रकरण में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन बाबत आवेदक से तत्समय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन-शुल्क की वसूली नहीं की गई। भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन शुल्क की वसूली बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशो के उपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन-शुल्क की देय राशि रूपये 5559/- (पाँच हजार पाँच सौ उनसठ रूपये) दिनांक 19.09.2017 को जरिए रसीद पुस्तक संख्या 375 क्रमांक 31 वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय भू-उपयोग परिवर्तन आवेदन-शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1169)लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुन्झुनूं के खातेदार मैसर्स भगवती स्टोन क्रेशिंग कम्पनी

जरिये श्री पवन कुमार अग्रवाल के खसरा नम्बर 114/1/3 की 14098.33 वर्ग गज भूमि को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किया जाकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा परिधि नियंत्रण पट्टी से औद्योगिक (स्टोन क्रेशर) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन स्वीकृत करने एवं नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा भूमि रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर नगर परिषद, झुन्झुनूं द्वारा आवेदक से नियमानुसार देय भू-रूपान्तरण राशि तत्समय वसूल नहीं करना पाया गया।

भू-रूपान्तरण शुल्क की वसूली बाबत इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूं ने प्रकरण में भू-रूपान्तरण शुल्क की देय राशि रूपये 6,18,784/- (छः लाख अठारह हजार सात सौ चौरासी रूपये) दिनांक 28.12.17 को जरिए रसीद संख्या 26/384 द्वारा वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवा दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय भू-रूपान्तरण शुल्क की राशि वसूल हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1177)/लोआस/2011

जिला कलक्टर, सीकर से प्राप्त यह पत्रावली खातेदार श्री आशीष तिवाड़ी पुत्र श्री घनश्याम तिवाड़ी, निवासी शीतला का बास, वार्ड नम्बर 11, सीकर की राजस्व ग्राम सुजावास, तहसील दांतारामगढ़ स्थित खसरा नम्बर 123, 124 व 134/1 की 3.99 हैक्टेयर कृषि भूमि को विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर, सीकर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों

में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन) नियम, 2007 व संशोधित नियम, 2016 के नियम 14 के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय स्तर पर पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि कृषि भूमि से अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि को आवेदक द्वारा सम्परिवर्तन आदेश की शर्तानुसार विहित दो वर्ष की कालावधि में सम्परिवर्तन प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया गया। इस सचिवालय द्वारा प्रकरण में आवेदक से सम्परिवर्तन शर्तो की पालना करवाने अथवा उसके विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलक्टर, सीकर को दिये गये। निर्देशों के अनुसरण में जिला कलक्टर, सीकर द्वारा प्रकरण में सम्परिवर्तन आदेश की शर्तो की पालना न किये जाने से सम्परिवर्तन-शुल्क के रूप में जमा करवाई गई 79,800/- अक्षरे उन्यासी हजार आठ सौ रूपये की राशि के प्रतिदाय का हक समाप्त करते हुए जारी सम्परिवर्तन आदेश को निरस्त कर भूमि को पुनः कृषि भूमि के रूप में अंकित करने के आदेश जारी किये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में जारी सम्परिवर्तन आदेश को निरस्त कर भूमि को पुनः कृषि भूमि के रूप में अंकित कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1178)/लोआस/2011

जिला कलक्टर, सीकर से प्राप्त यह पत्रावली खातेदार सुश्री रिचा तिवाड़ी पुत्री श्री घनश्याम तिवाड़ी, निवासी शीतला का बास, वार्ड नम्बर 11 सीकर की राजस्व ग्राम सुजावास स्थित खसरा नम्बर 134/3 रकबा 3.22 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 130/2 रकबा 0.69 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.91 हैक्टेयर अर्थात् 39100 वर्गमीटर भूमि को विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर, सीकर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि

भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन) नियम, 2007 व संशोधित नियम, 2016 के नियम 14 के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय स्तर पर पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि कृषि भूमि से अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि को आवेदक द्वारा सम्परिवर्तन आदेश की शर्तानुसार विहित दो वर्ष की कालावधि में सम्परिवर्तन प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया गया। इस सचिवालय द्वारा प्रकरण में आवेदक से सम्परिवर्तन शर्तो की पालना करवाने अथवा उसके विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलक्टर, सीकर को दिये गये। निर्देशों के अनुसरण में जिला कलक्टर, सीकर द्वारा प्रकरण में सम्परिवर्तन आदेश की शर्तो की पालना न किये जाने से सम्परिवर्तन-शुल्क के रूप में जमा करवाई गई 78,200/- अक्षरे अठहत्तर हजार दो सौ रूपये की राशि के प्रतिदाय का हक समाप्त करते हुए जारी संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कर भूमि को पुनः कृषि भूमि के रूप में अंकित करने के आदेश जारी किये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में जारी संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कर भूमि को पुनः कृषि भूमि के रूप में अंकित कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1179)/लोआस/2011

जिला कलक्टर, सीकर से प्राप्त यह पत्रावली खातेदार श्री आशीष तिवाड़ी पुत्र श्री घनश्याम तिवाड़ी, निवासी शीतला का बास, वार्ड नम्बर 11, सीकर की राजस्व ग्राम सुजावास, तहसील दांतारामगढ़ स्थित खसरा नम्बर 120 रकबा 1.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.84 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 127 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.54 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 129 रकबा 0.14 हैक्टेयर, कुल किता 5 रकबा

3.48 हैक्टेयर अर्थात 34800 वर्गमीटर कृषि भूमि का विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर, सीकर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 व संशोधित नियम, 2016 के नियम 14 के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय स्तर पर पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि कृषि भूमि से अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि को आवेदक द्वारा संपरिवर्तन आदेश की शर्तानुसार विहित दो वर्ष की कालावधि में संपरिवर्तन प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया गया। इस सचिवालय द्वारा प्रकरण में आवेदक से सम्परिवर्तन शर्तों की पालना करवाने अथवा उसके विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलक्टर, सीकर को दिये गये। निर्देशों के अनुसरण में जिला कलक्टर, सीकर द्वारा प्रकरण में सम्परिवर्तन आदेश की शर्तों की पालना न किये जाने से सम्परिवर्तन-शुल्क के रूप में जमा करवाई गई 69,600/- अक्षरे उनहत्तर हजार छः सौ रूपये की राशि के प्रतिदाय का हक समाप्त करते हुए जारी संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कर भूमि को पुनः कृषि भूमि के रूप में अंकित करने के आदेश जारी किये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में जारी संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कर भूमि को पुनः कृषि भूमि के रूप में अंकित कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1185)/लोआस/2011

जिला कलक्टर, सीकर से प्राप्त यह पत्रावली इशावस्य शिक्षण एवं स्वानुसंधान केन्द्र प्रा.लि. की राजस्व ग्राम सुजावास स्थित खसरा नम्बर 106 रकबा 1.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 रकबा 2.19

हैक्टेयर कुल किता रकबा 5.10 हैक्टेयर अर्थात् 51,000 वर्गमीटर कृषि भूमि को विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर, सीकर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन) नियम, 2007 व संशोधित नियम, 2016 के नियम 14 के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय स्तर पर पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि कृषि भूमि से अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि को आवेदक द्वारा संपरिवर्तन आदेश की शर्तानुसार विहित दो वर्ष की कालावधि में सम्परिवर्तन प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया गया। इस सचिवालय द्वारा प्रकरण में आवेदक से संपरिवर्तन शर्तों की पालना करवाने अथवा उसके विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलक्टर, सीकर को दिये गये। निर्देशों के अनुसरण में जिला कलक्टर, सीकर द्वारा प्रकरण में सम्परिवर्तन आदेश की शर्तों की पालना न किये जाने से सम्परिवर्तन-शुल्क के रूप में जमा करवाई गई 1,02,000/- अक्षरे एक लाख दो हजार रूपये की राशि के प्रतिदाय का हक समाप्त करते हुए जारी सम्परिवर्तन आदेश को निरस्त कर भूमि को पुनः कृषि भूमि के रूप में अंकित करने के आदेश जारी किये गये।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में जारी सम्परिवर्तन आदेश को निरस्त कर भूमि को पुनः कृषि भूमि के रूप में अंकित कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1186)/लोआस/2011

जिला कलक्टर, सीकर से प्राप्त यह पत्रावली खातेदार श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री रामेश्वर लाल, निवासी वार्ड नम्बर 11, शीतला का बास, सीकर की राजस्व ग्राम सुजावास स्थित खसरा नम्बर 130/3 रकबा 0.69 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 134/4 नकबा 3.56 हैक्टेयर कुल 2 रकबा

4.25 हैक्टेयर अर्थात 42500 वर्गमीटर कृषि भूमि को विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर, सीकर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन) नियम, 2007 व संशोधित नियम, 2016 के नियम 14 के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय स्तर पर पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि कृषि भूमि से अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि को आवेदक द्वारा सम्परिवर्तन आदेश की शर्तानुसार विहित दो वर्ष की कालावधि में संपरिवर्तन प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया गया। इस सचिवालय द्वारा प्रकरण में आवेदक से संपरिवर्तन शर्तों की पालना करवाने अथवा उसके विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही करने के निर्देश जिला कलक्टर, सीकर को दिये गये। निर्देशों के अनुसरण में जिला कलक्टर, सीकर द्वारा प्रकरण में सम्परिवर्तन आदेश की शर्तों की पालना न किये जाने से सम्परिवर्तन-शुल्क के रूप में जमा करवाई गई 85,000/- पिच्यासी हजार रूपये की राशि के प्रतिदाय का हक समाप्त करते हुए जारी संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कर भूमि को पुनः कृषि भूमि के रूप में अंकित करने के आदेश जारी किये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में जारी संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कर भूमि को पुनः कृषि भूमि के रूप में अंकित कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1222)/लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम रामपुरिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा की खातेदार श्रीमती हेमलता पत्नी श्री त्रिलोकचन्द, निवासी रामपुरिया के खसरा नम्बर 163/15, 155 व 156 की 3967 वर्ग मीटर कृषि भूमि को विहित प्राधिकारी, उपखण्ड

अधिकारी, रामगंजमण्डी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित शर्तो के अधीन संपरिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकरण में संपरिवर्तित भूमि का 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में संपरिवर्तन (औद्यागिक) प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर संपरिवर्तन शर्तो का उल्लंघन किया जाना पाया गया।

संपरिवर्तन शर्तो के अपालन बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशो के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा द्वारा संपरिवर्तन शर्तो की पालना हेतु आवेदक को जारी किये गये नोटिस के कम में प्रश्नगत भूमि के संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में संपरिवर्तन शर्तो की पालना नहीं होने से संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1225)/लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम रामपुरिया, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा की खातेदार श्रीमती गीता बाई पत्नी श्री घासीलाल, निवासी सातलखेड़ी, तहसील रामगंजमण्डी, कोटा के खसरा नम्बर 163/16 की भूमि में से 4048 वर्ग मीटर कृषि भूमि को विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित शर्तो के अधीन सम्परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकरण में सम्परिवर्तित भूमि का 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में सम्परिवर्तन (औद्यागिक) प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर सम्परिवर्तन शर्तो का उल्लंघन किया जाना पाया गया।

सम्परिवर्तन शर्तो के अपालन बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशो के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा द्वारा सम्परिवर्तन शर्तो की पालना हेतु आवेदक को जारी किये गये नोटिस के क्रम में प्रश्नगत भूमि के सम्परिवर्तन आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में सम्परिवर्तन शर्तो की पालना नहीं होने से सम्परिवर्तन आदेश को निरस्त कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1240)/लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम पामाखेड़ी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा की खातेदार श्रीमती अनार बाई पुत्री श्री उदा, निवासी पामाखेड़ी हाल ढाबादेह, कोटा के खसरा नम्बर 169 मीन हाल खसरा नम्बर 204 की 4857 वर्ग मीटर कृषि भूमि को विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित शर्तो के अधीन सम्परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकरण में सम्परिवर्तित भूमि का 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में सम्परिवर्तन (औद्यागिक) प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर सम्परिवर्तन शर्तो का उल्लंघन किया जाना पाया गया।

सम्परिवर्तन शर्तो के अपालन बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशो के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा द्वारा सम्परिवर्तन शर्तो की पालना हेतु आवेदक को जारी किये गये नोटिस के क्रम में प्रश्नगत भूमि के सम्परिवर्तन आदेश को निरस्त कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में सम्परिवर्तन शर्तो की पालना नहीं होने से सम्परिवर्तन आदेश को निरस्त कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1242)/लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम पामाखेड़ी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा के खातेदारान श्री रणजीत, श्री लालचन्द पुत्रान श्री उदा के आवेदन पर उनके खसरा नम्बर 169 मीन की 8176 वर्ग मीटर कृषि भूमि को विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी द्वारा नियमानुसार जाँच एवं रूपान्तरण शुल्क जमा करवाकर राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 के अन्तर्गत कृषि भूमि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण स्वीकृत करने एवं राजस्व अभिलेख में तदनुसार प्रविष्टि किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा कृषि भूमि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि का 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में संपरिवर्तन (औद्योगिक) प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर संपरिवर्तन शर्तो का उल्लंघन किया गया। संपरिवर्तन शर्तो के अपालन बाबत नियमानुसार कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा द्वारा संपरिवर्तन शर्तो की पालना हेतु आवेदक को जारी किये गये नोटिस के क्रम में प्रश्नगत भूमि पर माँ

शारदे स्टोन इन्डस्ट्रीज कोटा स्टोन पॉलिशिंग उद्योग की स्थापना कर भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाकर संपरिवर्तन शर्तो की पालना करवा ली गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में संपरिवर्तन शर्तो की पालना सुनिश्चित हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1252)/लोआस/2011

उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम नीमाना, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा के खातेदार श्री हेमराज पुत्र श्री बृजमोहन मीणा के खसरा नम्बर 567/2 हाल खसरा नम्बर 698 की 8095 वर्ग मीटर कृषि भूमि को विहित प्राधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित शर्तो के अधीन सम्परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकरण में सम्परिवर्तित भूमि का 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में सम्परिवर्तन (औद्यागिक) प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जाकर सम्परिवर्तन शर्तो का उल्लंघन किया जाना पाया गया।

सम्परिवर्तन शर्तो के अपालन बाबत कार्यवाही हेतु इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशो के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, कोटा द्वारा सम्परिवर्तन शर्तो की पालना हेतु आवेदक को जारी किये गये नोटिस के क्रम में प्रश्नगत भूमि के सम्परिवर्तन आदेश को निरस्त कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में सम्परिवर्तन शर्तों की पालना नहीं होने से सम्परिवर्तन आदेश को निरस्त कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.22(1273)लोआस/2011

तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर हाल जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 677 की 8093.44 वर्ग गज भूमि आरक्षित दर के 25 प्रतिशत की रियायती दर पर समस्त सरगरा नवयुवक न्याती सभा, जोधपुर को बालिका छात्रावास प्रयोजनार्थ आंवटित करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर प्रश्नगत भूमि के आवंटन में आवंटी संस्था से आवेदन-पत्र के साथ बालिका छात्रावास संचालन सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त नहीं करने, आवंटी संस्था द्वारा किसी शैक्षिक संस्था का संचालन नहीं करने, आवंटित भूमि का चिन्हीकरण एवं तरमीम नहीं करने, भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही नगर सुधार न्यास द्वारा अपने स्तर से ही रियायती दर पर भूमि आवंटित करने एवं आवंटी संस्था से निर्धारित राशि जमा नहीं कराये जाने सम्बन्धी अनियमितताएँ करना पाया गया।

उक्त अनियमितताओं बाबत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने पत्र दिनांक 28.10.2016 द्वारा अवगत करवाया कि श्री पी.सी. राठौड़, (आर.ए.एस.) तत्कालीन विशेषाधिकारी (भूमि) हाल विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़, श्री रघुवीर माथुर, कनिष्ठ लिपिक व श्री सज्जन सिंह, पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। प्रकरण से सम्बन्धित तत्कालीन अधिकारी श्री पी.सी. राठौड़, (आर.ए.एस.) के दिनांक 31.12.2009 को सेवानिवृत्त हो जाने तथा

श्री सज्जन सिंह, तत्कालीन पटवारी का स्वर्गवास हो जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकी।

सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने पत्र दिनांक 13.06.2017 द्वारा अवगत करवाया कि कनिष्ठ लिपिक, श्री रघुबीर माथुर को भविष्य में अधिक सतर्कता से कार्य करने की अलिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया। समस्त सरगरा नवयुवक न्याती सभा, जोधपुर को अनियमित रूप से आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने बाबत जारी नोटिस के क्रम में प्रश्नगत आवंटन दिनांक 30.09.2009 को निरस्त कर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का कब्जा ले लिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर की पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हो जाने एवं प्रश्नगत अनियमित आवंटन को निरस्त कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1275)/लोआस/2011

तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर हाल जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त यह पत्रावली श्रीमाली (ब्राह्मण) समाज लूणीकंठा महासभा, जोधपुर को नगरीय सुधार विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(55)नविवि/3/02 दिनांक 14.02.2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में परीक्षण कर निर्णय हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक दिनांक 17.03.2006 में लिये गये निर्णयानुसार नगरीय विकास विभाग के शासन उप सचिव द्वारा जारी स्वीकृति दिनांक 21.04.2006 के पश्चात् नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा राजस्व ग्राम चोखा के खसरा नम्बर 827/650 की भूमि में से 5 बीघा भूमि शिक्षण संस्थान एवं छात्रावास भवन निर्माण हेतु संस्थानिक आरक्षित दर की 10 प्रतिशत की

रियायती दर पर सशर्त आवंटन कर पट्टा-विलेख जारी किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर संस्था द्वारा आवंटित भूमि में निर्धारित समयावधि में निर्माण न करने, लीज राशि नियमित रूप से जमा न करवाने व स्वीकृत मानचित्रानुसार ही निर्माण करने बाबत आवंटन-पत्र की शर्त संख्या 4 व पट्टा-विलेख की शर्त संख्या 3, 9 व 10 की पालना नहीं करना पाया गया।

इस सचिवालय द्वारा दिये गये निर्देशो के उपरान्त सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्रश्नगत भूमि की बकाया लीज राशि 3,45,875/- रूपये (तीन लाख पैंतालीस हजार आठ सौ पिचहत्तर) चालान संख्या 8123 दिनांक 04.10.2017 द्वारा आवंटी संस्था से वसूल कर प्राधिकरण कोष में जमा करवा दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप बकाया लीज राशि वसूल कर लिये जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1285)लोआस/2011

तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर हाल जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 827/650 की न्यास योजना की भूमि में से 9687.5 वर्ग गज भूमि राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त आरक्षित दर + 25 प्रतिशत प्रशासनिक-व्यय पर आदर्श विकासात्मक शिक्षण संस्थान को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सशर्त आवंटित कर पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर हाल जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर द्वारा आदर्श विकासात्मक शिक्षण संस्थान को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन इस प्रकरण में आवंटी संस्था ने जारी आवंटन-पत्र की शर्त संख्या 4 व पट्टा-विलेख की शर्त संख्या 6, 8 व 10 की पालना में निर्धारित समयावधि में भवन मानचित्र स्वीकृति प्राप्त नहीं की ।

आवंटन-पत्र व पट्टा-विलेख में अंकित शर्तो की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए संस्था को जारी नोटिस दिनांक 21.09.2016 की अनुपालना में संस्था ने दिनांक 13.12.2016 को भवन निर्माण स्वीकृति बाबत 18,38,070/- रूपये अक्षरे (अठारह लाख अड़तीस हजार सत्तर रूपये) जरिए ई-चालान संख्या जेआरएन 8965 दिनांक 13.12.2016 प्राधिकरण कोष में जमा करवा दिये तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा संस्था को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 31.03.2017 को भवन निर्माण-स्वीकृति जारी कर दी गई।

अतः इस सचिवालय स्तर की पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में देय राशि जमा होने के पश्चात् आवंटन शर्तो की पालना सुनिश्चित कर लिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1312)/लोआस/2011

जिला कलेक्टर, अलवर की यह पत्रावली राजस्व ग्राम हमजापुर, तहसील बहरोड़, जिला अलवर के आवेदक श्री आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव, सुश्री रिचा श्रीवास्तव व सुश्री प्रज्ञा श्रीवास्तव के खसरा नम्बर 272, 839, 268, 270, 267, 261, 274, 837, 273, 838, 265, 264, 279 व 266 की 9.60 हैक्टेयर कृषि भूमि को विहित प्राधिकारी, जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान की स्वीकृति उपरान्त राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का

अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन) नियम, 1992 के तहत देय शुल्क जमा करवाकर निर्धारित शर्तो के अधीन कृषि से रिसोर्ट (पर्यटन-इकाई) प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय स्तर पर पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर आवेदक द्वारा पर्यटन-इकाई प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित भूमि को सम्परिवर्तन की निर्धारित शर्तों के विपरीत अन्य उपयोग में लिया जाना पाया गया।

प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा सम्परिवर्तन शर्तों की अनुपालना व अन्य विधिक कार्यवाही की रिपोर्ट मांगे जाने पर जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा आदेश क्रमांक 12-17(01)राजस्व/लोसज/2016/2705-13 दिनांक 25.09.2017 से प्रश्नगत भूमि के सम्परिवर्तन आदेश को निरस्त कर दिया गया।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत सम्परिवर्तन आदेश को निरस्त कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1313)/लोआस/2011

नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम बाँसवाड़ा, तहसील व जिला बाँसवाड़ा की आवेदक श्रीमती फातिमा, श्रीमती नीता व श्रीमती पुष्पा के खसरा नम्बर 1415, 3419/1416 व 3422/1415 की भूमि में से 3166.66 वर्गगज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किये जाने के पश्चात् नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा

वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में जारी आवंटन-पत्र की शर्त संख्या 3 का उल्लंघन कर 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जाना पाया गया।

उपर्युक्तानुसार आवंटन-पत्र की शर्तो की पालना न करना पाये जाने पर इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की रिपोर्ट मांगे जाने पर आयुक्त, नगर परिषद, बांसवाड़ा द्वारा भूखण्ड के सम्बन्ध में निर्माण अवधि विस्तार करने बाबत आवेदक से प्राप्त आवेदन पर शास्ति राशि के रूप में कुल देय राशि 3,29,333/- रूपये में से राशि 1,29,333/- रूपये रसीद संख्या 93/88 दिनांक 11.01.18 द्वारा वसूल कर परिषद कोष में करवा दी गई।

अत: इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में शास्ति राशि वसूल होकर नियमितीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1314)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम धामनिया के खातेदार श्री मनजी पुत्र श्री धावरा भील के खसरा नम्बार 89, 93, 126/87 व 169/87 की 30492 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन

प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1316)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम बाँसवाड़ा के खातेदार श्री मणीलाल एवं श्री भैरूलाल के खसरा नम्बर 41, 45/1 व 48 की 23716 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों

में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1318)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम जानावारी के खातेदार श्री होमला पुत्र श्री मेद्या भील के खसरा नम्बर 202, 204-209, 213 व 214 की 31072 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1319)/लोआस/2011

नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम लोधा, तहसील व जिला बाँसवाड़ा के आवेदक श्री नाथूलाल, अध्यक्ष वागड़ शिक्षा समिति के खसरा नम्बर 246 व 247/1 की भूमि में से 794 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किये जाने के पश्चात् नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर वागड़ शिक्षा समिति द्वारा भूमि के सम्बन्ध में जारी आवंटन-पत्र की शर्त संख्या 3 का उल्लंघन कर 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जाना पाया गया।

इस सचिवालय द्वारा आवंटन-पत्र की शर्तो की पालना न करने बाबत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा को दिये गये निर्देशों के उपरान्त नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भूखण्ड के सम्बन्ध में निर्माण अवधि विस्तार करने बाबत आवेदक से प्राप्त आवेदन पर

शास्ति राशि के रूप में 20,664/- रूपये चैक संख्या 079817 दिनांक 28.11.17 द्वारा वसूल कर परिषद कोष में करवा दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में शास्ति राशि वसूल हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1320)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम ठिकरीया की खातेदार श्रीमती कर्मा पत्नी श्री विरेन्द्र भील के खसरा नम्बर 962/818, 963/818, 964/818, 966/688, 1763/465 व 1764/968/698 की 15488 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी

अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1321)/लोआस/2011

नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम ठिकरिया, तहसील व जिला बाँसवाड़ा के आवेदक श्री रकमा पुत्र वालिया भील के खसरा नम्बर 1240/674 की भूमि में से 6774 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किये

जाने के पश्चात् नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर आवेदक द्वारा भूमि के सम्बन्ध में जारी आवंटन-पत्र की शर्त संख्या 3 का उल्लंघन कर 2 वर्ष की निर्धारित समयावधि में भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जाना पाया गया।

इस सचिवालय द्वारा आवंटन-पत्र की शर्तो की पालना न करने बाबत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा को दिये गये निर्देशों के उपरान्त नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भूखण्ड के सम्बन्ध में निर्माण अवधि विस्तार करने बाबत आवेदक से प्राप्त आवेदन पर शास्ति राशि के रूप में 40,656/- रूपये रसीद संख्या 90/18 दिनांक 20.12.17 द्वारा वसूल कर परिषद कोष में करवा दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में शास्ति राशि वसूल हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1324)/लोआस/2011

नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम बाँसवाड़ा, तहसील व जिला बाँसवाड़ा के श्री रविन्द्रनाथ पुत्र श्री राधेश्याम एवं श्री विनोद पुत्र श्री मोहन लाल कटुआ के खसरा नम्बर 1935 की भूमि में से 333.33 वर्ग गज खातेदारी कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किये जाने के पश्चात् नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण के इस प्रकरण में नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम, 2000 की व्यावसायिक भवन हेतु मानदण्ड की तालिका ''ग'' की सामान्य टिप्पणी के बिन्दु संख्या VII के प्रावधानों के विपरीत 40 फीट रोड़ के स्थान पर साईट प्लान में 30 फीट अंकित रोड़ पर पट्टा-विलेख जारी कर देना पाया गया।

इस सचिवालय द्वारा राजस्थान (नगरीय क्षेत्र भवन) विनियम, 2000 के मापदण्डानुसार यथोचित कार्यवाही करने हेतु आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा को दिये गये निर्देशों के उपरान्त नगर परिषद, बांसवाड़ा द्वारा साईट प्लान में 40 फीट चौड़ी सड़क दर्शित करते हुए आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण से सम्बन्धित साइट-प्लान में आवश्यक संशोधन कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1327)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम धामनिया के खातेदार श्री रमण लाल, श्री हीरालाल, श्री दिनेश चन्द एवं श्रीमती मोती बेवा श्री बसन्ती लाल माली के खसरा नम्बर 194/108 की 17424 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन

प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1328)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम जानावारी के खातेदार श्री धारजी, श्री शम्भू व श्री वापूड़ा के खसरा नम्बर 249-251 की 19844 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों

में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1329)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम जानावारी की खातेदार श्रीमती जमना पत्नी श्री कालू के खसरा नम्बर 262/2/1, 263/1, 266/1, 262/223, 263/3, 266/3, 262/2/2, 263/2 व 266/2 की 13164.80 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन

प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1331)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम भवानपुरा के खातेदार नारायण पुत्र श्री कचरू भील के खसरा नम्बर 223/1 की 13261 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त अशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1332)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम धामनिया के खातेदार श्री वीरचन्द पुत्र श्री दोलिया भील के खसरा नम्बर 96 व 152/108 की 12288 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से

नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1333)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम केवलपुरा के खातेदार श्री राजेश एवं श्री बहादुर के खसरा नम्बर 51 की 13455 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के

निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1334)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम धामनिया के खातेदार श्री कान्ती एवं श्री गौतम के खसरा नम्बार 156/108, 237/106 व 237/170 की 14713 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1335)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम भवानपुरा के खातेदार श्री मोतिया पुत्र श्री चौखा भील के खसरा नम्बर

33 व 34 की 14132.80 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1336)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम लालपुरा के खातेदार श्री बालकिशन पुत्र श्री भागीरथ भील के खसरा नम्बर 20 की 18101.60 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1337)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम भवानपुरा की खातेदार श्रीमती हीरा, श्री अर्जुन, श्रीमती कान्ती, श्री धनजी,

श्री लक्ष्मण के खसरा नम्बर 22 की 20238 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1339)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम जानावारी के खातेदार श्री अमरेंग एवं श्री कमजी के खसरा नम्बर 216-220, 531/219, 532/219, 532/219, 533/219, 534/219, 537/216, 538/216 व 539/216 की 17229 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1340)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम ओजरिया के खातेदार श्री बालकिशन पुत्र श्री भागीरथ भील के खसरा

नम्बर 62/1, 63/1, 62/2, 63/2, 115/63/3, 66/64/2, 106/66, 67/64, 93/64, 75/64 व 86/64 की 22844 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य

सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1341)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम बाँसवाड़ा के खातेदार श्री भारमल, श्री लक्ष्मण, श्री शान्तिलाल, श्री मुकेश, श्रीमती वेस्ती, श्री भैरू, श्री राजू, श्रीमती धुली व श्री नाकुड़ा के खसरा नम्बर 2, 5 व 2611/6 की 11906 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1342)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम बाँसवाड़ा की खातेदार श्रीमती कंकु पत्नी श्री वेलजी, श्री डूँगर, श्री महेश

पुत्र श्री वलजी तेली के खसरा नम्बर 1768 की 16068.80 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1344)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम जानावारी के खातेदार श्री मोहन पुत्र श्री रतन भील के खसरा नम्बर 196/2, 197 व 493/196/2 की 15197.60 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू–रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा–विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1345)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम जानावारी के खातेदार श्री राजेश एवं श्री बहादुर के खसरा नम्बर 234,

235, 237–239, 241, 244, 245, 247 व 311/250 की 37268 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1346)/लोआस/2011

नगर परिषद, बांसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम ठीकरिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा के आवेदक श्री परमेश्वर अग्रवाल, निदेशक, कुशलबाग मार्गो प्रा.लि. के खसरा नम्बर 1331/674 व 1167/674 की भूमि में से 19360 वर्ग गज कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहण किये जाने के पश्चात् नगर परिषद, बांसवाड़ा द्वारा औद्योगिक (लघु उद्योग) प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण कर तत्प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर कुशलबाग मार्गो प्रा. लि.द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में जारी आवंटन पत्र की शर्त संख्या 11 का उल्लंघन कर भूमि का रूपान्तरण प्रयोजन (औद्योगिक) से भिन्न वाणिज्यिक उपयोग किया जाना पाया गया।

इस सचिवालय द्वारा प्रकरण में आवेदक द्वारा आवंटन पत्र की शर्तो की पालना न करने से इस बाबत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आयुक्त, नगर परिषद, बांसवाड़ा को दिये गये निर्देशों के उपरान्त नगर परिषद,

बांसवाड़ा द्वारा कार्यवाही करने पर आवेदक ने मौके पर प्रश्नगत भूखण्ड का उपयोग रूपान्तरण प्रयोजनार्थ/औद्योगिक के रूप में लेना प्रारम्भ कर दिया गया। जिससे आवंटन शर्तो की पालना सुनिश्चित करवा ली गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में रूपान्तरण शर्तो की पालना हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1347)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम जानावारी के खातेदार श्री वीरचन्द व श्री ऐसा के खसरा नम्बर 230, 232, 233, 273, 317/229 व 345/229 की 35041.62 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी

अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1348)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम बाँसवाड़ा के खातेदार श्री मणीलाल, श्रीमती बसन्ती देवी, श्री महिपाल के खसरा नम्बर 1763-1765, 1767 व 1769 की 17714.40 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने

एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर

से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1349)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम पिपलोद के खातेदार श्री रामजी एवं श्री गौतम के खसरा नम्बर 277/2, 278, 316/281 व 217/218/2 की 19747.20 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के

प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1350)/लोआस/2011

आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम बाँसवाड़ा की खातेदार श्रीमती बेला पत्नी श्री विनोद व श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री परमेश्वर अग्रवाल के खसरा नम्बर 1202, 1220 व 1221 की 16350 वर्ग गज कृषि भूमि का प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बाँसवाड़ा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी

सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत पुनर्ग्रहीत करने एवं नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा भू-रूपान्तरण कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण किये जाने पर प्रकट हुआ कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगर परिषद स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आयुक्त, नगर परिषद, बाँसवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 13.12.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि नगर परिषद, बाँसवाड़ा की प्रश्नगत आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रकरण में राज्य सरकार के अनुमोदन पश्चात् जारी आदेश दिनांक 09.11.2017 के अनुसार मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा

समय–समय पर जारी परिपत्रों/निर्देशों के अन्तर्गत परीक्षण कर सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1382)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, जोबनेर से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम माछरखानी के खातेदार श्री राजेन्द्र कुमार पारीक के खसरा नम्बर 1092 व 1593 की 33 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, तहसीलदार, जोबनेर द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, जोबनेर द्वारा भू–रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा–विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित मां करणी नगर आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, जोबनेर द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, जोबनेर की प्रश्नगत मां करणी नगर आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1388)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम फुलेरा, तहसील फुलेरा के खातेदार श्री सीताराम गठाला पुत्र श्री बालूराम गठाला के खसरा नम्बर 550, 552 व 568 की 4 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा

पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, फुलेरा द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्‌टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित गठाला विहार आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फुलेरा की प्रश्नगत गठाला विहार आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन

प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1393/1394)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम फुलेरा, तहसील फुलेरा के खातेदारान श्री रामावतार अग्रवाल, श्री ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्रान श्री धन्ना लाल अग्रवाल के खसरा नम्बर 468, 469/2/1, 469/2/2, 469/2/3 व 469/1050 की 14 बीघा 4 बिस्वा कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, फुलेरा द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित अग्रसेन नगर आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर

निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फुलेरा की प्रश्नगत अग्रसेन नगर आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1396/1397)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम फुलेरा, तहसील फुलेरा के खातेदारान श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री ग्यारसी लाल, श्री संतोष कुमार पुत्र श्री छीतरमल, श्री लालचन्द पुत्र श्री हनुमान प्रसाद तथा गोकुल चन्द पुत्र श्री रामस्वरूप के खसरा नम्बार 1016/2 की 7 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, फुलेरा द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित श्याम विहार आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फुलेरा की प्रश्नगत श्याम विहार आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1398/1401)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम फुलेरा, तहसील फुलेरा के खातेदारान श्री शंकर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह व श्री रामस्वरूप कुमावत पुत्र श्री रामदयाल कुमावत के खसरा नम्बर 19, 20 व 25/2 की 10 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, फुलेरा द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित गायत्री नगर आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों

में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फुलेरा की प्रश्नगत गायत्री नगर विस्तार आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1403/1404)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम फुलेरा, तहसील फुलेरा के खातेदारान श्री छीतरमल पुत्र श्री नाथू लाल कुमावत व श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र श्री किशोरी लाल के खसरा नम्बर 339/1 की 13 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, फुलेरा द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित गोविन्द धाम आवासीय योजना के मानचित्र

का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फुलेरा की प्रश्नगत गोविन्द धाम आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1407)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम फुलेरा, तहसील फुलेरा के खातेदारान श्रीमती पूजा शर्मा, श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा, श्रीमती राम जानकी कुमावत व श्रीमती नीलम शर्मा के खसरा नम्बर 24, 25/1, 26 व 17 की 12 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, फुलेरा द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित गायत्री नगर आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फुलेरा द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों

में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, फुलेरा की प्रश्नगत गायत्री नगर आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1492)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सांभरलेक से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम सांभर, तहसील सांभरलेक के खातेदारान श्री सुशील गट्टानी पुत्र श्री गोपी किशन, श्री चन्द्र प्रकाश, श्री ओमप्रकाश, श्री गणेशलाल पुत्र श्री सत्यनारायण व श्री परमानन्द पुत्र श्री मदन लाल के खसरा नम्बर 79 की 3 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि में से 2 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, फुलेरा द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित श्रीजी विहार आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सांभरलेक द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, सांभरलेक की प्रश्नगत श्रीजी विहार आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1511)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम चाकसू के खातेदार श्री जगदीश पुत्र श्री देवा बैरवा के खसरा नम्बर 4972/12205, 4977, 4979/12206, 4980, 4981/12259 व 4981 की 1.24 हैक्टेयर भूमि कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, तहसीलदार, चाकसू द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, चाकसू द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित सियाराम हाईटेक स्कीम आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों

में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, चाकसू की प्रश्नगत सियाराम हाईटेक स्कीम आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1512/1520)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम चाकसू, तहसील चाकसू के खातेदार श्री बाबूलाल पुत्र श्री मूलचन्द के खसरा नम्बर 9603-9609 व 9613 की 1.98 हैक्टेयर कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, तहसीलदार, चाकसू द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, चाकसू द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित ज्ञान विहार आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र

अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, चाकसू की प्रश्नगत ज्ञान विहार आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1513/1515)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम चाकसू के खातेदार भारतीय सनराइज टाउनशिप डवलपर्स प्रा. लि. जरिये संयोजक श्रीमती मोनिका पत्नी जुगल किशोर अग्रवाल, श्रीमती शुभा

पत्नी श्री डी.डी. गट्टानी, श्रीमती पदमा पत्नी श्री विनोद गट्टानी व श्रीमती शैलजा पत्नी श्री राजेन्द्र अग्रवाल के खसरा नम्बर 10530–10532, 10534–10538 की 5.52 हैक्टेयर भूमि कृषि भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, तहसीलदार, चाकसू द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, चाकसू द्वारा भू–रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा–विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित भारतीय सनसाइन टाउनशिप डवलपर्स आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, चाकसू की

प्रश्नगत भारतीय सनसाईन टाउनशिप डवलपर्स आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1514/1516)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम चाकसू के खातेदारान श्री बहादुर पुत्र श्री श्यामलाल सोनी, श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता व अनोपचन्द पुत्र नन्दलाल जाट के खसरा नम्बार 5545/12089, 5884, 5892-5895, 6199, 6204-6226, 6231 व 6232 की 7.26 हैक्टेयर कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, तहसीलदार, चाकसू द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, चाकसू द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित खुशी आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, चाकसू की प्रश्नगत खुशी आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1517)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम चाकसू के खातेदार श्री धोकल राम पुत्र श्री गोपाल बलाई के खसरा नम्बर 5352-5355 की 1.83 हैक्टेयर भूमि कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत

अधिकारी, तहसीलदार, चाकसू द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, चाकसू द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित कैलाशपुरी आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, चाकसू की प्रश्नगत कैलाशपुरी आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर

नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1519)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम चाकसू के खातेदारान नसीम खातून, बशीर खां व सद्दीक खां के खसरा नम्बर 9802-9804, 9806-9810, 9813-9815, 9811/12162, व 9819/12163 की 3.63 हैक्टेयर कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, तहसीलदार, चाकसू द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, चाकसू द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित हजरत जलाल शाह बाबा आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, चाकसू की प्रश्नगत हजरत जलाल शाह बाबा आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1525/1528)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम चाकसू के खातेदार वृन्दावन कॉलोनाइजर जरिए आनन्दी लाल लालपुरिया के खसरा नम्बर 7070-7110, 7148-7154 व 7112-7156 की 16.26 हैक्टेयर भूमि कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, तहसीलदार, चाकसू द्वारा

पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, चाकसू द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित नीलकण्ठ आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, चाकसू की प्रश्नगत नीलकण्ठ आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन

प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1531/1533)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम चाकसू के खातेदार श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री नाथू माली के खसरा नम्बर 5056-5059, 5061, 5063 व 5064 की 1.42 हैक्टेयर कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, तहसीलदार, चाकसू द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, चाकसू द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित जगदीश कॉलोनी आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना

मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, चाकसू की प्रश्नगत जगदीश कॉलोनी आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1527/1529)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम चाकसू की खातेदार स्वाति अग्रवाल पुत्री श्री के. के. मित्तल के खसरा नम्बर 5121, 5133, 5134, 5136-5140 व 5142-5146 की 6.34 हैक्टेयर भूमि कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, तहसीलदार, चाकसू द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, चाकसू द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित कुन्ज बिहार आवासीय योजना के मानचित्र

का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, चाकसू की प्रश्नगत कुन्ज बिहार आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1534/1536)/लोआस/2011

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू से प्राप्त यह पत्रावली राजस्व ग्राम चाकसू के खातेदार श्री कन्हैया लाल, मुकुट बिहारी लाल पुत्र श्री चन्द्र बिहारी लाल के खसरा नम्बर 5039, 5040, 5040/11204 व 5040/11905 की 0.83 हैक्टेयर भूमि कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63(1) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, तहसीलदार, चाकसू द्वारा पुनर्ग्रहण किये जाने के उपरान्त नगरपालिका, चाकसू द्वारा भू-रूपान्तरण कर योजना मानचित्र स्वीकृत करने व आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा-विलेख जारी करने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सृजित संजय कॉलोनी आवासीय योजना के मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नियमानुसार अपेक्षित होने के बावजूद नगर नियोजन विभाग से नहीं करवाया गया है। नगरपालिका स्तर पर योजना मानचित्र अनुमोदित करने वाली समिति में नगर नियोजन के मापदण्डों के परीक्षण हेतु सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक स्तर का सक्षम तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित नहीं था।

योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग से करवाने बाबत इस सचिवालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर नियोजन के प्रचलित मापदण्डों के तहत प्रश्नगत योजना मानचित्र का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजन विभाग द्वारा किया जाना संभव नहीं है। इस पर निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रश्नगत योजना

मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में राज्य सरकार से शिथिलन प्राप्त कर योजना मानचित्र के तकनीकी अनुमोदन की कार्यवाही करने बाबत निर्देश इस सचिवालय द्वारा दिये गये।

अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 द्वारा अवगत करवाया कि नगरपालिका, चाकसू की प्रश्नगत संजय कॉलोनी आवासीय योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु नगर नियोजन के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण की योजना के तकनीकी अनुमोदन हेतु निर्धारित मापदण्डों में शिथिलन प्रदान कर योजना मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1581)/लोआस/2011

यह परिवाद इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी, अजमेर को नगर निगम, अजमेर द्वारा आवंटित भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने से सम्बन्धित है।

निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग से परिवाद पर तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगे जाने पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.12.14 से अवगत कराया कि इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी, अजमेर द्वारा निर्मित की गई दुकानों के सम्बन्ध में भूमि की रिजर्व प्राइस की दुगनी राशि लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सचिवालय को इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी, अजमेर द्वारा एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण सिविल अपील संख्या 1872/1997 में पारित निर्णय दिनांक 03.03.1997 के संदर्भ में संस्था से भूमि की रिजर्व-प्राइस की दुगनी राशि वसूल किये जाने के निर्देश वापस लिये जाने तथा संस्था को

आवंटित भूमि की कीमत राशि बाजार दर की 50 प्रतिशत से कम आंकी जाकर लीज-डीड जारी करवाने का अनुरोध किया गया। इस सचिवालय द्वारा संस्था के अभ्यावेदन को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को भेजकर उनसे रिपोर्ट माँगी गई।

इस सम्बन्ध में निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.01.2018 से अवगत करवाया कि इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी, अजमेर से वाणिज्यिक दर से राशि वसूल किये जाने सम्बन्धी आदेश को प्रत्याहृत कर लिया गया है। इसके साथ ही संस्था को आवंटित भूमि की कीमत राशि बाजार दर की 50 प्रतिशत से कम आंकी जाकर लीज-डीड जारी करने के प्रस्ताव मंत्रिमण्डल एवं राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवा दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी, अजमेर से बकाया वसूली आदेश को प्रत्याहृत कर रियायती दर की कीमत राशि पर लीज-डीड जारी करने की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भिजवा दिये जाने से परिवाद को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1635)/लोआस/2011

परिवादी नंदलाल सुरोलिया, पूर्व अध्यक्ष, नगर युवक कांग्रेस, नृसिंह मार्केट, मैन बाजार, रतनगढ़ से प्राप्त यह परिवाद चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे में भू-माफिया द्वारा सत्ता व सरकारी अधिकारियों से सांठ-गांठ कर नगर के चारों तरफ कृषि-भूमि क्रय कर नियमानुसार भूमि रूपान्तरण करवाये बिना नाजायज बस्तियां/कॉलोनियां नियम विरूद्ध बसा देने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, चूरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट मँगवाये जाने पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.10.15 द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90बी/90ए की अवहेलना में कृषि-भूमि के अकृषि उपयोग पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अधीन 73 प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ में प्रस्तुत कर दिये गये, जिनमें से 12 प्रकरण निर्णय के उपरान्त राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में अपीलाधीन हैं।

जिला कलक्टर, चुरू ने अन्य रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरणों में से 6 प्रकरणों का निस्तारण कर भूमि को सिवाय-चक घोषित कर दिया है, जिसकी अनुपालना में नामान्तकरण दर्ज कर सम्बन्धित भूमियों की सिवाय-चक भूमि के रूप में राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियाँ कर दी गई हैं। शेष प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप कृषि भूमि का बिना स्वीकृति के अकृषि उपयोग कर लेने के संबंध में सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवा देने एवं जिनमें से कुछ प्रकरणों में भूमि को सिवाय-चक भी घोषित कर देने के कारण परिवाद को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1674)/लोआस/2011

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त यह पत्रावली इन्टरनेशनल एम्यूजमेंट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली को ग्राम दौलतपुरा

कोटड़ा, तहसील आमेर के खसरा नम्बर 1340 पार्ट, 1394 पार्ट, 1392, 1391 पार्ट व 1389/1416 की 300 एकड़ भूमि बी.डी. की 23वीं बैठक दिनांक 10.08.2007 व जविप्रा की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 16.10.2007 के निर्णयानुसार शासन उप सचिव (द्वितीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा राज्य सरकार की ओर से जारी स्वीकृति दिनांक 07.11.2007 के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा मेगा ट्यूरिज्म सिटी की स्थापना हेतु आवंटित किये जाने से सम्बन्धित है।

इस सचिवालय द्वारा पत्रावली के प्रकरण का परीक्षण किये जाने पर आवंटित भूमि में आवंटन-पत्र की शर्तो के अनुसार निर्धारित समयवधि में निर्माण कार्य पूर्ण करना नहीं पाया गया। इस सचिवालय द्वारा जारी निर्देशो के उपरान्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा माँगे गये मार्गदर्शन पर न्यायिक प्रकरणों के विचाराधीन रहते संस्था द्वारा आवंटन की शर्तो के अनुसार 5 साल की अवधि में प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाने से राज्य सरकार द्वारा भूमि पर मेगा ट्यूरिज्म सिटी की स्थापना के सम्बन्ध में परियोजना को पूर्ण करने हेतु अवधि 5 वर्ष के लिए बढ़ाकर दिनांक 31.03.2018 नियत कर दी गई। प्रकरण में आवंटित भूमि में बिना स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देना तथा आवंटी संस्था से भूमि आवंटन बाबत कीमत राशि कम वसूल करने का आक्षेप महालेखाकार की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अंकित होना भी पाया गया।

इस सचिवालय के निर्देशों के अनुसरण में इन्टरनेशनल एम्यूजमेंट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. को आवंटित भूमि पर बिना भवन मानचित्र स्वीकृति किये जा रहे निर्माण कार्य को जविप्रा द्वारा रूकवा दिया गया।

इन्टरनेशनल एम्यूजमेंट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में महालेखाकार की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 17,95,50,000/- रूपये कम वसूल करने बाबत लगाये गये आक्षेपों के कारण प्रश्नगत राशि वसूल करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 256-57 के तहत रेफरेन्स जिला कलक्टर (वसूली), जयपुर को प्रेषित कर दिया गया किन्तु संस्था द्वारा ऑडिट आक्षेप की राशि वसूली के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8901/2017 दायर की गई, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2017 को राशि वसूली पर स्थगन आदेश जारी किया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रकरण में संस्था से ऑडिट आक्षेप की राशि वसूली बाबत भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करवा दिये जाने व उच्च न्यायालय द्वारा वसूली के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी कर दिये जाने से पत्रावली को नस्तीबद्ध किया गया।

अध्याय–4

माननीय राज्यपाल द्वारा समनुदेशित जाँच कार्य – खान आवंटन घोटाले की जाँच का प्रगति विवरण

4.1 पृष्ठभूमि.

हमारे देश में केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के स्तर पर सभी तरह के प्राकृतिक संसाधन यथा खान, खनिज भण्डार, कोयला व स्पेक्ट्रम आदि के आवंटन, वितरण एवं अन्तरण की प्रक्रिया में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले सामान्यतया समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे हैं। इन मामलों की गूंज संसद के भीतर व बाहर काफी जोर–शोर से रही थी। ये मामले उच्चतम न्यायालय तक भी पहुँचे। इन मामलों में यह सामने आया कि खान, खनिज भण्डार व अन्य सभी प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन, वितरण एवं अन्तरण के लिए दायित्वाधीन कार्यपालिका (राजनैतिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक अधिकारीगण) द्वारा इन प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन आदि की प्रक्रिया में विवेकीय अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रहित व देश की आर्थिक उन्नति की दृष्टि से पक्षपातरहित, पारदर्शी, उचित एवं तार्किक रीति से करने के बजाय निजी हितों को साधने व व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया। विवेकीय शक्तियों के ऐसे दुरूपयोग से राजकोष को करोड़ों का नुकसान हुआ जबकि सभी प्राकृतिक संसाधन निर्विवाद रूप से राष्ट्रीय सम्पदा हैं। कार्यपालिका का यह दायित्व है कि वह राष्ट्रहित में इनके उपयोग की भेदभावरहित ऐसी पारदर्शी व्यवस्था व्यवहार में लाये कि जिससे राजकोष को लेशमात्र भी हानि न हो तथा उसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना हो।

इन घोटालों की कड़ी में वर्ष 2015 के मार्च माह में तथाकथित रूप से राजस्थान राज्य का नाम भी जुड़ गया जब राज्य के खान विभाग द्वारा माह नवम्बर, 2014 से 12 जनवरी, 2015 तक की अवधि में खानों के आवंटन में की गई गम्भीर अनियमितताओं एवं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा ''महाघूसकाण्ड'' के नाम से कई दिनों तक समाचार-पत्रों की सुर्खियों में रहा। इन समाचारों में यह भी अनुमान लगाया गया कि इस घोटाले से राजकोष को लगभग 14,000 करोड़ रूपयों का नुकसान हुआ है। इस मामले में खान विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव, कुछ उच्च अधिकारियों तथा कतिपय अन्य को दिनांक 16.09.2015 को गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार के इस मामले को अंजाम देने के लिए संदिग्ध कार्यप्रणाली अपनाते हुए जानबूझकर की गई प्रक्रियात्मक अनियमितताओं की जानकारी होने पर शासन के स्तर पर कार्यवाही करते हुए माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 17.10.2015 को लोकायुक्त, राजस्थान को प्रकरण की जाँच सुपुर्द की गई जिसके बारे में आगे विस्तार से उल्लेख किया गया है। इससे पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति व उनके आवंटन/वितरण/अन्तरण के सम्बन्ध में विभिन्न निर्णयों में जो व्यवस्था दी गई है, उसका उल्लेख किया जाना सुसंगत है।

4.2 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 423/2010 सेन्टर फॉर पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य तथा रिट याचिका (सिविल) संख्या 10/2011 सुब्रह्मण्यम स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2012) 3 SCC 01 के निर्णय (जो आमतौर पर ''2 जी निर्णय'' के नाम से जाना जाता है) में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन/वितरण सार्वजनिक हित व समानता के

सिद्धांतों के आधार पर किए जाने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए निम्नानुसार अभिमत प्रकट किया गया है :

> "Natural resources belong to the people but the State legally owns them on behalf of its people and from that point of view natural resources are considered as national assets, more so because the State benefits immensely from their value." (para 74)
>
> " The State is empowered to distribute natural resources. However, as they constitute public property/national asset, while distributing natural resources, the State is bound to act in consonance with the principles of equality and public trust and ensure that no action is taken which may be detrimental to the public interest. Like any other State action, constitutionalism must be reflected at every stage of the distribution of natural resources." (para 75)

उपर्युक्त निर्णय में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन/वितरण के समय पारदर्शी एवं भेदभावरहित प्रक्रिया अपनाए जाने हेतु अपने पूर्व निर्णयों में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों को दोहराते हुए न्यायालय ने निम्नानुसार निर्देश भी दिये :

> "This Court has repeatedly held that wherever a contract is to be awarded or a licence is to be given, the public authority must adopt a transparent and fair method for making selections so that all eligible persons get a fair opportunity of competition. To put it differently the State and its agencies/instrumentalities must always adopt a rational method for disposal of public property

> and no attempt should be made to scuttle the claim of worthy applicants. When it comes to alienation of scarce natural resources like Spectrum, etc. it is the burden of the State to ensure that a non-discriminatory method is adopted for distribution and alienation, which would necessarily result in protection of national/public interest." (para 95)

इसके साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय में 'पहले आओ, पहले पाओ' की व्यवस्था में दुरूपयोग की संभावना के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् रूप से विज्ञापित ''खुली नीलामी'' की प्रक्रिया को सर्वोत्तम बताते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

> "In our view, a duly publicised auction conducted fairly and impartially is perhaps the best method for discharging this burden and the methods like first-come-first-served when used for alienation of natural resources/public property are likely to be misused by unscrupulous people who are only interested in garnering maximum financial benefit and have no respect for the constitutional ethos and values. In other words, while transferring or alienating the natural resources, the State is duty-bound to adopt the method of auction by giving wide publicity so that all eligible persons can participate in the process." (para 96)

उपर्युक्त निर्णय में दिये गए दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अन्तर्गत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12.04.2012 को माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजे गए रेफरेन्स में अन्य बिन्दुओं के अलावा निम्नांकित प्रश्नों पर विचार कर राय देने का अनुरोध किया गया:

1. Whether the only permissible method for disposal of all natural resources across all sectors and in all circumstances is by the conduct of auction;
2. Whether a broad proposition of law that only the route of auctions can be resorted to for disposal of natural resources does not run contrary to several judgments of the Supreme Court including those of Larger Benches;
3. Whether the enunciation of a broad principle, even though expressed as a matter of constitutional law, does not really amount to formulation of a policy and has the effect of unsettling policy decisions formulated and approaches taken by various successive governments over the years for valid considerations, including lack of public resources and the need to resort to innovative and different approaches for the development of various sectors of the economy.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने द्वारा दी गई राय दिनांक 27.09.2012 में कार्यपालिका की कार्यवाही को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखने के लिए निम्नानुसार व्याख्या की :

> "The action has to be fair, reasonable, non-discriminatory, transparent, noncapricious, unbiased, without favouritism or nepotism, in pursuit of promotion of healthy competition and equitable treatment. It should conform to the norms which are rational, informed with reasons and guided by public interest, etc.

All these principles are inherent in the fundamental conception of Article 14. This is the mandate of Article 14 of the Constitution of India". (para 105)

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी उपर्युक्त राय में पूर्व निर्णय सच्चिदानन्द पाण्डेय व अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य (1987) 2 SCC 295 के इस निष्कर्ष को कि लोक सम्पत्ति के समुचित उपयोग के लिये जनहित का सर्वोच्च महत्व है और इस दायित्व के निर्वहन में कार्यपालिका को इस सम्बन्ध में असीमित विवेकीय शक्ति नहीं है तथा उसे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे कि पक्षपात, भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद होना प्रकट होता हो, निम्नानुसार उद्धृत किया :

"State-owned or public-owned property is not to be dealt with at the absolute discretion of the executive. Certain precepts and principles have to be observed. Public Interest is the paramount consideration. One of the methods of securing the public interest, when it is considered necessary to dispose of a property, is to sell the property by public auction or by inviting tenders. Though that is the ordinary rule, it is not an invariable rule. There may be situations where there are compelling reasons necessitating departure from the rule but then the reasons for the departure must be rational and should not be suggestive of discrimination. Appearance of public justice is as important as doing justice. Nothing should be done which gives an appearance of bias, jobbery or nepotism." (para 123)

उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त राय में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन/वितरण/अन्तरण के सम्बन्ध में ''न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति''

के प्रयोग में कार्यपालिका की प्रक्रिया को स्वेच्छाचारी, अनुचित, अतार्किक व मनमाना माने जाने को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है :

> "Regard being had to the aforesaid precepts, we have opined that auction as a mode cannot be conferred the status of a constitutional principle. Alienation of natural resources is a policy decision, and the means adopted for the same are thus, executive prerogatives. However, when such a policy decision is not backed by a social or welfare purpose, and precious and scarce natural resources are alienated for commercial pursuits of profit maximizing private entrepreneurs, adoption of means other than those that are competitive and maximize revenue may be arbitrary and face the wrath of Article 14 of the Constitution. Hence, rather than prescribing or proscribing a method, we believe, a judicial scrutiny of methods of disposal of natural resources should depend on the facts and circumstances of each case, in consonance with the principles which we have culled out above. Failing which, the Court, in exercise of power of judicial review, shall term the executive action as arbitrary, unfair, unreasonable and capricious due to its antimony with Article 14 of the Constitution." (para 149)

सिविल अपील संख्या 7944/2010 सांदुर मैंगनीज एण्ड आयरन ओर्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य के निर्णय दिनांक 13.09.2010 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य को खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 व इसके तहत बने हुए नियमों के उल्लंघन में कोई

नीति बनाने का अधिकार नहीं होना निम्नलिखित शब्दों में अभिनिर्धारित किया :

> "In view of the specific parliamentary declaration as discussed and explained by this Court in various decisions, there is no question of the State having any power to frame a policy de hors the MMDR Act and the Rules."

अन्ततः माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 120/2012 मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रमुख सचिव व अन्य (कोल ब्लॉक्स आवंटन निर्णय) के निर्णय दिनांक 25.08.2014 में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन की कसौटी को निम्नानुसार स्पष्ट किया :

> "...Obviously, therefore, such allocation has to meet the twin constitutional tests, one, the distribution of natural resources that vest in the State is to subserve the common good and, two, the allocation is not violative of Article 14."

4.3 केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश, एम.एम.डी.आर. एक्ट में संशोधन हेतु ड्राफ्ट एवं अध्यादेशः

कार्यपालिका (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन/वितरण/अन्तरण आदि की प्रक्रिया में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए निष्पक्ष, उचित, पारदर्शी, गैरविभेदकारी, गैरमनमानी एवं भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद रहित व्यवस्था हेतु भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा खान एवं खनिज भण्डारों के आवंटन के सम्बन्ध में पूर्व से प्रचलित दिशा-निर्देशों के अतिक्रमण में उपर्युक्त सिद्धांतों का समावेश करते हुए दिनांक 30.10.2014 को व्यापक दिशा-निर्देश एवं दिनांक 16.11.2014 को खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में प्रस्तावित

संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया जिसमें यह महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि अब भविष्य में खान एवं खनिज भण्डारों के आवंटन/वितरण/अन्तरण आदि में ''पहले आओ, पहले पाओ'' की नीति के स्थान पर पूर्व विज्ञापित एवं पूर्ण रूप से खुली नीलामी की ही प्रक्रिया अपनानी होगी। संशोधन अधिनियम का ड्राफ्ट व उपर्युक्त दिशा-निर्देश सभी राज्यों को भेजे गए। इन दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया कि वे तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा राज्य सरकारों से यह अपेक्षा भी की गई कि इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए ही विचाराधीन आवेदन-पत्रों एवं भविष्य में प्रस्तुत होने वाले आवेदन-पत्रों का निस्तारण करें। भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में किये गये संशोधन का अध्यादेश दिनांक 11 व 12 जनवरी, 2015 की मध्यरात्रि से लागू कर दिया गया।

4.4 खान विभाग के लोकसेवकों के आक्षेपित कृत्य.

राजस्थान से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र - राजस्थान पत्रिका के दिनांक 13.03.2015 के अंक में - ''लगा 600 करोड़ का चूना'', दिनांक 14.03.2015 के अंक में - ''चारों कम्पनियों को एक ही दिन में आवंटन'', दिनांक 16.03.2015 के अंक में - ''500 छोटी खानों का आवंटन एवं दिनांक 17.03.2015 के अंक में - ''केन्द्र अध्यादेश जारी कर रहा था, तब राजस्थान में हो रहा था खान आवंटन'' आदि शीर्षकों से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित हुए। इन समाचारों में यह मुद्दे उठाये गए थे कि नई खान आवंटन नीति, जो जनवरी, 2015 में लागू हुई, उसके 12 दिन पहले राज्य सरकार ने चार बड़ी सीमेंट कम्पनियों को सीमेंट ब्लॉक का आवंटन किया जबकि नई खनिज नीति के तहत ये आवंटन नहीं किए जा सकते थे। इन आवंटनों के कारण राज्य सरकार को 6 हजार करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। इन सीमेंट ब्लॉक्स के आवंटन का मामला पिछले पाँच वर्षों से लटकाया हुआ था तथा राज्य के

खान विभाग के अधिकारी जानते थे कि नवम्बर के पश्चात् कभी भी नई खनन नीति आने की सम्भावना है, इसलिए आनन-फानन में ये आवंटन किए गये।

इन समाचारों में यह मुद्दा भी उठाया गया कि 12 जनवरी, 2015 को नया अध्यादेश जारी होने व केन्द्र सरकार की मंशा जाहिर होने की अवधि (नवम्बर, 2014 से 12.01.2015) में राज्य सरकार द्वारा 500 खानों का आवंटन किया गया। इस अवधि में 121 मंशा-पत्र तो दिनांक 12.01.2015 को ही जारी किये गये।

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुए उपर्युक्त समाचारों में राजस्थान सरकार के खान विभाग द्वारा खानों के आवंटन व सीमेंट ब्लॉक्स के आवंटन में प्रथमदृष्ट्या गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत लोकायुक्त द्वारा दिनांक 12.03.2015 को ही इनके सम्बन्ध में ''स्वप्रेरणा'' से प्रसंज्ञान लिया जाकर जाँच प्रारम्भ की गई।

प्रारम्भिक जाँच के दौरान साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रकट हुआ कि केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 30.10.2014 में सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया था कि एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 5(1) के अन्तर्गत आने वाले खनिजों के आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है, तथा इस बारे में दिशा-निर्देश निर्देशात्मक रूप से लागू होंगे। इन दिशा-निर्देशों में राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई कि जिन प्रमुख खनिजों के मामलों में राज्य सरकार द्वारा ही आवंटन किया जाना है, उनमें भी राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि इन दिशा-निर्देशों को लागू करें।

खान निदेशालय के तीन अधिकारीगण श्री देवीशंकर मारू, निदेशक, श्री पंकज गहलोत, अतिरिक्त निदेशक एवं श्री एन.एस. शक्तावत, अधीक्षण खनि अभियन्ता (मुख्यालय) ने एक राय होकर राज्य सरकार को दिनांक 05.11.2014 के पत्र द्वारा यह सलाह दी कि यदि केन्द्र सरकार

के उक्त निर्देशों को माना जाता है तो राज्य में खनन आवंटन बन्द हो जायेगा तथा 18 हजार से अधिक लम्बित आवेदनों को खारिज करना पड़ेगा।

राज्य सरकार के खान विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों डॉ. अशोक सिंघवी, प्रमुख शासन सचिव, श्री विजयपाल सिंह, संयुक्त शासन सचिव तथा श्री बी.एस. सोढ़ा, विशेषाधिकारी ने खान निदेशालय द्वारा दी गई उपर्युक्त तकनीकी राय को पढ़कर आपस में भी अधिकारिक तौर पर विचार-विमर्श नहीं किया तथा रूल्स ऑफ बिजनेस के प्रावधानों के तहत तत्कालीन खान मंत्री अथवा माननीया मुख्यमंत्री से भी निर्देश नहीं लिये तथा मौन बैठे रहे। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 17.11.2014 तक राज्य सरकार द्वारा एक भी पत्रावली में खान आवंटन नहीं किया गया। दिनांक 17.11.2014 को खान आवंटनों का कार्य तब प्रारम्भ किया गया, जब केन्द्र सरकार ने अधिनियम में संशोधन का ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर राज्य सरकारों से सुझाव व एतराज माँगे। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.11.2014 से 23.11.2014 की अवधि में किये गये खान-आवंटनों को देखकर खान निदेशालय के अधिकारियों ने भी दिनांक 24.11.2014 से आवंटन करना प्रारम्भ कर दिया।

भारत सरकार के खान विभाग की ओर से दिनांक 16.11.2014 को जारी किए गये संशोधन अधिनियम के प्रारूप के सम्बन्ध में शासन के खान अधिकारियों ने तत्काल ही अपने सुझाव भारत सरकार को भेज दिए। तत्समय उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि उक्त प्रारूप के अनुसार भारत सरकार द्वारा किसी भी दिन अध्यादेश जारी किया जा सकता है, इसलिए उक्त प्रारूप जारी होने के अगले दिन अर्थात् दिनांक 17.11.2014 से ही राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने राज्य सरकार अथवा खान मंत्री को दिनांक 30.10.2014 के दिशा-निर्देशों के प्रभाव से अवगत करवाये बिना खान आवंटन के मंशा-पत्र एवं स्वीकृतियां जारी करना प्रारम्भ कर दिया। खान निदेशालय, उदयपुर के अधिकारियों ने भी शासन

को प्रेषित राय दिनांक 05.11.2014 के सन्दर्भ में कोई निर्देश प्राप्त नहीं होने एवं राज्य सरकार के स्तर पर दिनांक 17.11.2014 से 23.11.2014 की अवधि में मंशा-पत्र एवं स्वीकृतियां जारी किया जाना देखकर निदेशालय स्तर पर भी दिनांक 24.11.2014 से मंशा-पत्र एवं स्वीकृतियाँ जारी करना प्रारम्भ कर दिया जबकि दिनांक 01.11.2014 से 23.11.2014 की अवधि में खान निदेशालय द्वारा एक भी आवंटन नहीं किया गया था।

प्रारम्भिक जाँच में यह भी प्रकट हुआ कि अध्यादेश दिनांक 11.01.15 की रात्रि से ही प्रभावी हो गया था किन्तु इसके बावजूद दिनांक 12.01.2015 को एक ही दिन में 121 मंशा-पत्र एवं 16 पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी कर दिये गये।

4.5 राज्य सरकार की कार्यवाही.

प्रारम्भिक जाँच के दौरान ही राज्य सरकार के खान विभाग में खानों के आवंटन में गम्भीर अनियमितता एवं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन प्रमुख सचिव, कुछ उच्च अधिकारियों एवं कतिपय अन्य को दिनांक 16.09.2015 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके समाचार भी समाचार-पत्रों में ''महा-घूसकाण्ड'' के नाम से काफी दिनों तक सुर्खियों में प्रकाशित हुए जिसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 की अवधि में किये गये खान आवंटनों की जाँच हेतु श्री भानुप्रकाश एटरू, प्रबंध निदेशक, आर.एस.एम. एम.एल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसने अपना प्रारम्भिक प्रतिवेदन (Annexure 1) दिनांक 16.10.2015 को राज्य सरकार को सौंप दिया। इस प्रतिवेदन में संक्षेप में यह निष्कर्ष दिया गया कि उपर्युक्त अवधि में खानों के आवंटन में सामान्यतः ''पहले आओ, पहले पाओ'' की नीति के मूलभूत सिद्धांतों का गम्भीरतापूर्वक पालन नहीं

किया गया है। कतिपय पत्रावलियों को अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा बिना उचित कारण के अन्य पत्रावलियों से पहले प्रक्रियाधीन किया गया एवं उन्हें वरीयता प्रदान कर त्वरित गति से निस्तारित कर अनुचित लाभ प्रदान किया गया, जो इस तथ्य से भी सुस्थापित है कि लम्बित लगभग 19,000 आवेदन-पत्रों में से मात्र 738 पत्रावलियों को ही उक्त अवधि में निस्तारित किया गया है। शासन के स्तर पर जारी किये गये सीमेन्ट ब्लॉक के चार मंशा-पत्रों के सम्बन्ध में यह पाया कि भारत सरकार के खान मन्त्रालय द्वारा दिनांक 16.11.2014 को एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 में संशोधन हेतु ड्राफ्ट सभी राज्य सरकारों को भेजा गया था जिसके अनुसार प्रधान-खनिजों का आवंटन केवल नीलामी द्वारा किये जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था जबकि शासन के स्तर पर उपर्युक्त चारों एल.ओ.आई. (मंशा-पत्र) तत्समय प्रभावी नियमों के तहत ही जारी कर दिये गये जिसमें भी प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी रूप से की गई प्रतीत नहीं होती है। कुछ कम्पनियों के पास पूर्व में ही धारित क्षेत्र 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक होने के कारण एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 6(1)(बी) के तहत भारत सरकार द्वारा अभी तक अनुमति भी प्रदान नहीं की गई है।

उच्चस्तरीय समिति से उपर्युक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 की अवधि में किये गये सभी खान आवंटन मामलों की जाँच लोकायुक्त से करवाने का निर्णय लिया गया तथा इसी अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 17.10.2015 को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 18(3) के अन्तर्गत लोकायुक्त, राजस्थान को प्रश्नगत अवधि के दौरान खान विभाग, राजस्थान सरकार के सभी लोकसेवकगण द्वारा खान आवंटन के सम्बन्ध में जारी किये गये मंशा-पत्रों एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया की जाँच करने हेतु निम्न आदेश (Annexure 2) जारी किया गया :

"In exercise of powers conferred under section 18(3) of Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayukta Act, 1973, I, Kalyan Singh, the Governor of Rajasthan hereby order the Lokayukta, Rajasthan, to conduct an enquiry in the matter relating to the entire allotment process and grant of Letter of Intent (LoIs) and sanction of Prospecting Licenses (PLs) by Mines Department and officers subordinate to it, between the period from 1st November, 2014 to 12th January, 2015 covering the following aspects :

1.To enquire into the entire allotment process, including acts of omission and commission or of impropriety and fix responsibility for the same.
2. To suggest the future course of action to overcome shortcomings which may be discerned during the course of such an enquiry."

माननीय राज्यपाल द्वारा उपर्युक्त आदेश से समस्त खान आवंटन प्रक्रिया एवं खान विभाग व उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा 01.11.2014 से 12.01.2015 के मध्य मंशा-पत्रों एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रों की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में उनके लोप व कृत्य की जाँच सहित उनका उत्तरदायित्व तय करने के निर्देश दिये गये। इसके अलावा जाँच के दौरान उक्त प्रक्रिया व स्वीकृतियों में पाई जाने वाली कमियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में भविष्य में अमल में लाई जाने वाली कार्यवाही का सुझाव देने की भी अपेक्षा की गई।

4.6 समनुदेशित कार्य हेतु संसाधनों की उपलब्धता.

उपर्युक्त आदेश की विज्ञप्ति जारी होते ही खान आवंटन मामलों की जाँच के क्रम में इस सचिवालय को आवश्यक अतिरिक्त अधिकारीगण /कर्मचारीगण के पदों की स्वीकृति, अतिरिक्त भवन आवंटन, आवश्यक फर्नीचर व कम्प्यूटर इत्यादि सामग्री उपलब्ध करवाने तथा प्रश्नगत अवधि

में किये गये खानों के आवंटन से सम्बन्धित सभी पत्रावलियां सुपुर्द करने व इस सम्बन्ध में जारी की गई सभी विज्ञप्ति/परिपत्र भी भिजवाने हेतु राज्य सरकार को पत्र दिनांक 28.10.2015 (Annexure - 3) लिखा गया।

इसके पश्चात् उपर्युक्त आवश्यकताओं के सन्दर्भ में निम्नानुसार अन्य पत्र भी प्रेषित किये गये:–

1. **अतिरिक्त भवन व्यवस्था हेतु.**

i) मुख्य सचिव महोदय को पत्र दिनांक 30.10.2015, 19.11.2015, 15.12.2015 एवं 01.01.2016 (Annexure - 4 से 7)

ii) शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री को पत्र दिनांक 27.11.2015 (Annexure - 8) भेजा गया जिसकी प्रति सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (सामान्य प्रशासन ग्रुप–2 विभाग), प्रमुख शासन सचिव (सार्वजनिक निर्माण विभाग) एवं शासन सचिव (कार्मिक क–3 विभाग) को भी भेजी गई।

iii) शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री को पत्र दिनांक 13.01.2015 (Annexure - 9) भेजकर विकास खण्ड परिसर के प्रथम तल के पूर्वी भाग का कब्जा दिलवाने हेतु निवेदन किया गया जिसकी प्रति सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (सामान्य प्रशासन ग्रुप–2 विभाग), प्रमुख शासन सचिव (सार्वजनिक निर्माण विभाग) एवं शासन सचिव (कार्मिक क–3 विभाग) को भी भेजी गई।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.02.2016 को इसी सम्बन्ध में आगे भी लगातार पत्राचार किये जाने पर विकास खण्ड परिसर के प्रथम तल के पूर्वी भाग का आवंटन किया गया तथा मार्च, 2016 में रिक्त होने के पश्चात् ही आंशिक भाग का कब्जा इस सचिवालय को उपलब्ध हो पाया।

2. अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति हेतु.

i) शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री एवं शासन सचिव, कार्मिक विभाग को पत्र दिनांक 27.11.2015 (Annexure - 10 व 11) भेजे गये।

ii) अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता पाये जाने पर शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया एवं शासन सचिव, कार्मिक विभाग को पत्र दिनांक 03.12.2015 (Annexure - 12 व 13) भेजे गये।

उपर्युक्त पत्रों के सम्बन्ध में वित्त विभाग की ओर से यह सुझाव भेजा गया कि स्टाफ के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता के सम्बन्ध में खान विभाग के साथ बैठ कर प्रस्ताव प्रेषित किये जावें। तदनुसार दिनांक 04.01.2016 को तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, खनि विभाग श्री दीपक उप्रेती के साथ इस सचिवालय के प्रमुख सचिव एवं अन्य अधिकारीगण ने बैठक की जिसमें जाँच कार्य हेतु निम्न पदों की आवश्यकता पर सहमति बनी (Annexure - 14)।

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या
1.	संयुक्त सचिव	दो
2.	उप सचिव	दो
3.	सहायक सचिव	दो
4.	ड्राफ्ट्समैन	एक
5.	अनुभाग अधिकारी	एक
6.	सहायक प्रोग्रामर	एक
7.	सूचना सहायक	आठ

8.	क्लर्क ग्रेड-II (क.लि.)	तीन
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	पाँच

उपर्युक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पुनः निम्नानुसार पत्र लिखे गये:-

iii) शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री एवं शासन सचिव, कार्मिक विभाग को पत्र दिनांक 05.01.2016 (Annexure - 15 व 16) भेजकर उपर्युक्त अनुसार पदों की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया।

iv) शासन सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा आदेश दिनांक 27.01.2016 (Annexure - 17) से उक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी/कर्मचारी लिये जाने की स्वीकृति दी गई लेकिन प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना सम्भव नहीं होने के कारण शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री एवं शासन सचिव, कार्मिक विभाग को पत्र दिनांक 28.01.2016 (Annexure - 18 व 19) लिखे जाकर अनुरोध किया गया कि उक्त पदों को इस सचिवालय के सेवा नियमों के अन्तर्गत भरे जाने की अनुमति प्रदान की जावे।

उपर्युक्तानुसार पत्राचार के पश्चात् उपर्युक्त स्वीकृत पदों को इस सचिवालय के सेवा नियमों के अनुसार भरे जाने की स्वीकृति (Annexure-20) राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 26.02.2016 को जारी की गई जिनमें से कतिपय अधिकारियों की नियुक्ति मार्च, 2016 में सम्भव हो सकी।

4.7 जाँच कार्य की प्रगति.

उक्त जाँच से सम्बन्धित पत्रावलियाँ नवम्बर, 2015 से प्राप्त होना आरम्भ होकर अधिकांश दिसम्बर, 2015 तक प्राप्त हो गईं। खान व भू-विज्ञान के तकनीकी रूप से विशेषज्ञ कार्मिकों, पर्याप्त स्थान व संसाधनों की अनुपलब्धता के बावजूद पत्रावलियाँ प्राप्त होते ही इस सचिवालय द्वारा जाँच कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।

दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक सम्पादित जाँच कार्य का विवरण :

I. अन्वेषण प्रकरण

प्राप्त पत्रावलियों में से पन्द्रह जिलों से सम्बन्धित खान आवंटन/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी करने में की गई अनियमितता के बाबत प्रारम्भिक जाँच के उपरान्त जोधपुर, रामगंजमण्डी (कोटा), सावर (अजमेर), झालावाड़, जालोर, कोटपुतली (जयपुर), सवाई माधोपुर, अलवर, सोजत सिटी (पाली), जैसलमेर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) व ब्यावर (अजमेर) की पत्रावलियों में दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किया गया तथा जिन लोकसेवकों के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये उनके सम्बन्ध में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :

एफ.25(625)लोआस/2015
एफ.25(626)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री अशोक सिंघवी, तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, श्री विजयपाल सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव, श्री बी.एस. सोढा, तत्कालीन विशेषाधिकारी, खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर,

श्री देवीशंकर मारू, निदेशक, श्री पंकज गहलोत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक एवं श्री एन. एस. शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता-द्वितीय (मुख्यालय) निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री जयकिशन गुरूबक्षाणी, तत्कालीन खनि अभियन्ता, जोधपुर एवं श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, तत्कालीन कार्यालय लिपिक, खनि अभियन्ता कार्यालय, जोधपुर द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र से जोधपुर क्षेत्र के दो आवेदन-पत्रों में स्वीकृति प्रस्ताव भेजने एवं उनकी स्वीकृति के बारे में अनियमितता करने बाबत।

खनि अभियन्ता, जोधपुर से प्राप्त उपर्युक्त पत्रावलियों में आवेदित खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच में प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्री जयकिशन गुरूबक्षाणी, तत्कालीन खनि अभियन्ता, जोधपुर एवं श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, तत्कालीन कार्यालय लिपिक, खनि अभियन्ता कार्यालय, जोधपुर द्वारा उक्त पत्रावलियों में पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने में अनियमितता की गई, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषणाधीन उपरोक्त पत्रावलियों से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य निम्नानुसार हैं:-

(1) <u>पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 6/2010</u> : आवेदक मैसर्स अर्थ सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड ने खनिज-लाइम स्टोन (सीमेन्ट ग्रेड) के पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन-पत्र खनि अभियन्ता कार्यालय, जोधपुर में दिनांक 22.12.2010 को प्रस्तुत किया। कार्यरत खनि अभियन्ता द्वारा इस आवेदन-पत्र पर वांछनीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई तत्पश्चात् दिनांक 04.01.2012 से इस आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही श्री जयकिशन गुरूबक्षाणी, खनि अभियन्ता द्वारा की गई।

उन्होंने समस्त विधिक औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 15.12.2014 को स्वीकृति प्रस्ताव निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित किया। निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा इस स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर दिनांक 24.12.2014 को मैसर्स अर्थ सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र जारी किया गया।

(2) <u>पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र पत्रावली सँख्या 22/2014</u> **:** आवेदक मैसर्स स्टोनीब्रुक माइन्स प्राइवेट लिमिटेड ने खनिज–लाइम स्टोन (सीमेन्ट ग्रेड) के पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र हेतु आवेदन खनि अभियन्ता कार्यालय, जोधपुर में दिनांक 13.08.2014 को प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र पर वांछनीय कार्यवाही तत्समय कार्यरत खनि अभियन्ता श्री जयकिशन गुरूबक्षाणी द्वारा प्रारम्भ की गई। उन्होंने समस्त विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 09.01.2015 को निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया। निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा इस स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर दिनांक 12.01.2015 को मैसर्स स्टोनीब्रुक माइन्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र जारी किया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

<u>निष्कर्ष :</u>

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री जयकिशन गुरूबक्षाणी, तत्कालीन खनि अभियन्ता, जोधपुर एवं श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, तत्कालीन कार्यालय

लिपिक, खनि अभियन्ता कार्यालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाये गयेः

श्री जयकिशन गुरूबक्षाणी, तत्कालीन खनि अभियन्ता, जोधपुर.

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 6/10 की पत्रावली में आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्वेच्छा से प्रस्तुत संशोधित मानचित्र को विभागीय परिपत्र क्रमांक निखाभू/प्रधान/नियम/प-28/97/1011 दिनांक 30.12.2011 के अनुसार आवेदक को नोटिस उपरान्त अमान्य करके सक्षम अधिकारी को अस्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने के बजाय मानचित्र को स्वीकार करके अनियमितता की गई।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 6/10 एवं 22/14 की पत्रावली में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही वन विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(20)वन/2003 दिनांक 20.08.2010 के उल्लंघन में स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

3. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 22/14 की पत्रावली में आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत मानचित्र एवं विवरण सूची में आवेदित क्षेत्र के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.14(2)खान/ग्रुप-1/2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में आवेदन-पत्र को नियमानुसार आक्षेप के साथ लौटाने के बजाय स्वीकार करके अनियमितता की गई।

4. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 22/14 की पत्रावली में आवेदक द्वारा चेतना-पत्र की प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरण का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

5. केन्द्र सरकार के खान मंत्रालय द्वारा जारी किये गये नये दिशा–निर्देश दिनांक 30.10.2014 के उल्लंघन में पी. एल. सँख्या 6/10 का स्वीकृति प्रस्ताव दिनांक 15.12.2014 को एवं पी. एल. सँख्या 22/14 का स्वीकृति प्रस्ताव दिनांक 09.01.2015 को निदेशालय को प्रेषित करके अनियमितता की गई।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, तत्कालीन कार्यालय लिपिक, खनि अभियन्ता कार्यालय, जोधपुर

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र सँख्या 22/14 की पत्रावली में आवेदन–पत्र में पाई गई सभी कमियों को एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदित स्थल के मानचित्र में आवेदित क्षेत्र के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होने के तथ्य को कार्यालय टिप्पणी में अंकित नहीं करके अनियमितता की गई।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र सँख्या 22/14 की पत्रावली में आवेदक को जारी किये गये 30 दिवसीय चेतना–पत्र की अवधि निकलने के पश्चात् भी वस्तुस्थिति की रिपोर्ट अंकित करते हुए आगामी कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रस्तुत नहीं करके अनियमितता की गई।

अनुशंसा :

अत: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण श्री जयकिशन गुरूबक्षाणी, तत्कालीन खनि अभियन्ता, जोधपुर के सक्षम प्राधिकारी माननीय राज्य मंत्री, खान विभाग को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक F.25(625-626) LAS/2015/u/s12/37854 दिनांक 02.01.2018 से भेजकर एवं श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, तत्कालीन कार्यालय लिपिक, खनि अभियन्ता कार्यालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर के सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अन्वेषण

प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक F.25(625-626) LAS/2015/u/s12/37856 दिनांक 02.01.2018 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

इस सम्बन्ध में अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.25(648)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री देवीशंकर मारू, तत्कालीन निदेशक, श्री पंकज गहलोत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, श्री एन. एस. शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता-द्वितीय (मुख्यालय) निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री कमलेश्वर बारेगामा, श्री हरीश चंद्र गोयल एवं श्री यशवन्त डोमर, तत्कालीन खनि अभियन्तागण, रामगंजमण्डी तथा श्री महेश शर्मा, तत्कालीन मानचित्रकार, खनि अभियन्ता कार्यालय, रामगंजमण्डी द्वारा उक्त प्रकरण से सम्बन्धित आवेदन-पत्र में पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र हेतु स्वीकृति प्रस्ताव भेजने एवं उसकी स्वीकृति के बारे में अनियमितता करने बाबत।

खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी से प्राप्त उपर्युक्त पत्रावली में आवेदित खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच में प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्री कमलेश्वर बारेगामा, श्री हरीश चंद्र गोयल एवं श्री यशवन्त डोमर, तत्कालीन खनि अभियन्तागण, रामगंजमण्डी तथा श्री महेश शर्मा, तत्कालीन मानचित्रकार, खनि अभियन्ता कार्यालय, रामगंजमण्डी द्वारा उक्त पत्रावली में पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने में अनियमितता की गई, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान

लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषणाधीन उपरोक्त पत्रावली से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य हैं कि पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र पत्रावली सँख्या 1/13 के आवेदक मैसर्स अल्ट्रा रॉक सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड ने खनिज-लाइम स्टोन (सीमेन्ट ग्रेड) के पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन-पत्र खनि अभियन्ता कार्यालय, रामगंजमण्डी में दिनांक 31.01.2013 को प्रस्तुत किया। इस आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने की वांछनीय कार्यवाही श्री कमलेश्वर बारेगामा, श्री हरीश चंद्र गोयल एवं श्री यशवन्त डामोर, तत्कालीन खनि अभियन्तागण, रामगंजमण्डी द्वारा की जाकर निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को दिनांक 17.12.2014 को स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया गया। निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा इस स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर दिनांक 24.12.2014 को मैसर्स अल्ट्रा रॉक सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री कमलेश्वर बारेगामा, श्री हरीश चंद्र गोयल एवं श्री यशवन्त डामोर, तत्कालीन खनि अभियन्तागण,

रामगंजमण्डी तथा श्री महेश शर्मा, तत्कालीन मानचित्रकार, कार्यालय खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाये गये :

श्री कमलेश्वर बारेगामा, तत्कालीन खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी.

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/13 की पत्रावली में आवेदक द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरण का निदेशालय स्तर पर निस्तारण करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

श्री हरीश चंद्र गोयल, तत्कालीन खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी.

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/13 की पत्रावली में आवेदक द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने पर एम.सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरण का निदेशालय स्तर पर निस्तारण करवाने हेतु आवेदक को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निदेशालय को अस्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करके अनियमितता की गई।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/13 की पत्रावली में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कमीपूर्ति के प्रार्थना पत्र को सम्बन्धित लिपिक द्वारा करीब आठ माह के पश्चात प्रस्तुत किये जाने के बावजूद उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही नहीं करके एवं प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करके पर्यवेक्षणीय उदासीनता, कर्त्तव्य निर्वहन में अकर्मण्यता एवं लापरवाही की गई।

श्री यशवन्त डामोर, तत्कालीन खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी.

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/13 की पत्रावली में मानचित्रकार द्वारा वन विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(20)1/2003 जयपुर दिनांक 20.08.2010 के उल्लंघन में आवेदित क्षेत्र की वन क्षेत्र से निकाली गई दूरी को ही स्वीकार कर स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/13 की पत्रावली में आवेदक से एम. सी.आर., 1960 के नियम 9(2)(जी) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

श्री महेश शर्मा, तत्कालीन मानचित्रकार, कार्यालय खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी.

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/13 की पत्रावली में आवेदित क्षेत्र की वन क्षेत्र से दूरी वन विभाग से प्रमाणित जी.टी. शीट के आधार पर नहीं निकालकर वन विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(20)1/2003 जयपुर दिनांक 20.08.2010 का उल्लंघन करके अनियमितता की गई।

अनुशंसा :

अत: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण श्री कमलेश्वर बारेगामा, श्री हरीश चंद्र गोयल एवं श्री यशवन्त डामोर, तत्कालीन खनि अभियन्तागण, रामगंजमण्डी के सक्षम प्राधिकारी माननीय राज्य मंत्री, खान विभाग को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक F.25(648) LAS/2015/u/s12/18368 दिनांक 04.08.2017 से भेजकर एवं श्री महेश शर्मा, तत्कालीन मानचित्रकार, खनि अभियन्ता कार्यालय, रामगंजमण्डी के सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन

सचिवालय, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक F.25(648) LAS/2015/u/s12/18371 दिनांक 04.08.2017 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

इस सम्बन्ध में अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.25(24)लोआस/2015
एफ.25(55)लोआस/2015
एफ.25(56)लोआस/2015
एफ.25(57)लोआस/2015
एफ.25(58)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री सतीश कुमार चौहान, तत्कालीन वरिष्ठ खनि कार्यदेशक, श्री तीरथराज, तत्कालीन खनि कार्यदेशक, श्री दीपक बिजोनीयां, तत्कालीन खनि कार्यदेशक एवं श्री राजेन्द्र राव, तत्कालीन रियायती लिपिक, कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर द्वारा खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र से सम्बन्धित सावर क्षेत्र के पाँच आवेदन-पत्रों में स्वीकृति प्रस्ताव भेजने एवं उनकी स्वीकृति के बारे में अनियमितता करने बाबत।

सहायक खनि अभियन्ता, सावर से प्राप्त उपर्युक्त पत्रावलियों में आवेदित खनिज के खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच में प्रथमदृष्ट्या यह पाया गया कि श्री सतीश कुमार चौहान, तत्कालीन वरिष्ठ खनि कार्यदेशक, श्री तीरथराज, तत्कालीन खनि कार्यदेशक, श्री दीपक बिजोनीयां, तत्कालीन खनि कार्यदेशक एवं श्री राजेन्द्र राव, तत्कालीन रियायती लिपिक, कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर द्वारा उक्त पत्रावलियों

में खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने में एवं उन प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृति जारी करने में सुसंगत नियमों की अनदेखी करते हुए अनियमितता की गई, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषणाधीन उपर्युक्त पत्रावलियों से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य निम्नांकित तालिका के अनुसार हैं। इसके कॉलम सँख्या-1 में इस सचिवालय की पत्रावली सँख्या व खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र की पत्रावली सँख्या, कॉलम सँख्या-2 में आवेदक का नाम व आवेदित खनिज, कॉलम सँख्या-3 में आवेदन की दिनांक, कॉलम सँख्या-4 में स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक एवं कॉलम सँख्या-5 में आवंटन की दिनांक के विवरण दिये गये हैं :

क्र.स.	पत्रावली सँख्या व खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्रावली सँख्या	आवेदक का नाम एवं आवेदित खनिज	आवेदन दिनांक	स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक	आवंटन की दिनांक
	1	2	3	4	5
1	25(24)लोआस/2015 पी.एल. 60/06	श्री राकेश भंसाली, वोलस्टोनाईट	23.10.08	12.10.11	05.12.14
2	25(55)लोआस/2015 एम.एल. 8/14	श्रीमती ममता चतुर्वेदी, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	24.04.14	22.12.14	01.01.15

3	25(56)लोआस/2015 एम.एल. 18/14	श्री हरिराम जाट, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	13.08.14	14.11.14	01.12.14
4	25(57)लोआस/2015 एम.एल. 36/09	मैसर्स पायोनियर मिनरल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	09.02.09	23.12.14	31.12.14
5	25(58)लोआस/2015 एम.एल. 85/09	श्री ज्ञानचन्द जैन, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	08.04.09	07.01.15	09.01.15

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

<u>निष्कर्ष :</u>

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक श्री तीरथराज, तत्कालीन खनि कार्यदेशक, कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाये गये :

1. खनन-पट्टा सँख्या 334/08 में दुर्भावनापूर्वक राजस्व रिकार्ड से पुष्टि किये बिना आवेदित क्षेत्र की कच्ची पाल को गांव की सीमा रेखा बताते हुये दो विरोधाभासी रिपोर्ट सहायक खनि अभियन्ता, सावर के समक्ष प्रस्तुत की।

2. खनन-पट्टा सँख्या 334/08 के आवेदित क्षेत्र का निरीक्षण कर दिनांक 18.07.2014 को प्रस्तुत रिपोर्ट में आवेदित क्षेत्र में छोटे-छोटे पानी के स्त्रोत बताये गये जबकि दिनांक 08.08.2014 को आवेदित क्षेत्र के निरीक्षण के उपरान्त तैयार की गई रिपोर्ट में पानी के स्त्रोतों को नहीं दर्शाकर अनियमितता की गई।

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अन्य लोकसेवकगण श्री सतीश कुमार चौहान, तत्कालीन वरिष्ठ खनि कार्यदेशक, श्री दीपक बिजोनीयां, तत्कालीन खनि कार्यदेशक एवं श्री राजेन्द्र राव, तत्कालीन रियायती लिपिक, कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये, इसलिए उन पर लगाये गये आरोपों से उन्मोचित कर उनके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही समाप्त की गई।

<u>अनुशंसा :</u>

अत: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री तीरथराज, तत्कालीन खनि कार्यदेशक, कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सावर के सक्षम प्राधिकारी निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक: F.25(24, 55, 56, 57, 58) LAS/2015/u/s12/17688 दिनांक 01.08.2017 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

इस सम्बन्ध में अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.25(621)लोआस/2015
एफ.25(622)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री देवीलाल बंशीवाल, श्री मणीलाल महावर, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, झालावाड़ एवं श्री सुरेश चंद शर्मा, तत्कालीन वरिष्ठ कार्यदेशक, सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय, झालावाड़ द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र से सम्बन्धित झालावाड़ क्षेत्र के दो आवेदन-पत्रों में स्वीकृति प्रस्ताव भेजने एवं उनकी स्वीकृति के बारे में अनियमितता करने बाबत।

सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़ से प्राप्त उपर्युक्त पत्रावलियों में आवेदित खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच में प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्री देवीलाल बंशीवाल, श्री मणीलाल महावर, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, खान एवं भूविज्ञान विभाग, झालावाड़ एवं श्री सुरेश चंद शर्मा, तत्कालीन वरिष्ठ कार्यदेशक, कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़ द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने में अनियमितता की गई, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषणाधीन उपरोक्त पत्रावलियों से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य निम्नानुसार हैं:

(1) <u>पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/11</u> : आवेदक मैसर्स बाबा रामदेव मिनरल्स ने खनिज-रेड ओकर के पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन-पत्र सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय, झालावाड़ में दिनांक

11.03.2011 को प्रस्तुत किया। आवेदन–पत्र पर विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने की वांछनीय कार्यवाही श्री देवीलाल बंशीवाल एवं श्री मणीलाल महावर, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, झालावाड़ द्वारा की जाकर निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को दिनांक 31.01.2012 को स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया गया। निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा इस स्वीकृति प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु दिनांक 10.02.2014 को एवं संशोधित स्वीकृति प्रस्ताव दिनांक 17.12.2014 को प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर को प्रेषित किया गया। प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर द्वारा इस स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर मैसर्स बाबा रामदेव मिनरल्स के पक्ष में दिनांक 31.12.2014 को पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र जारी किया गया।

(2) **पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र सँख्या 1/12** : आवेदक मैसर्स सिंघवी माइनिंग एक्सप्लोरेशन प्रा. लि. ने खनिज–लेटेराइट एवं चाइना क्ले के पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र हेतु आवेदन–पत्र सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय, झालावाड़ में दिनांक 22.02.2012 को प्रस्तुत किया। आवेदन–पत्र पर विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने की वांछनीय कार्यवाही श्री देवीलाल बंशीवाल एवं श्री मणीलाल महावर, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, झालावाड़ द्वारा की जाकर निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को दिनांक 28.11.2014 को स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया गया। निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा इस स्वीकृति प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु दिनांक 02.12.2014 को प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर को प्रेषित किया गया। प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर द्वारा इस स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर मैसर्स सिंघवी माइनिंग

एक्सप्लोरेशन प्रा. लि. के पक्ष में दिनांक 02.01.2015 को पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री देवीलाल बंशीवाल एवं श्री मणीलाल महावर, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, खान एवं भूविज्ञान विभाग, झालावाड़ के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाये गये:

श्री देवीलाल बंशीवाल, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़.

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/11 की पत्रावली में आवेदन-पत्र में जो कमियाँ नहीं थी, उनको भी आवेदक को जारी 30 दिवसीय चेतना-पत्र में असावधानीपूर्वक अंकित करके अनियमितता की गई।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/11 एवं 1/12 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना-पत्र की प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

3. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/11 के आवेदित क्षेत्र में से चारागाह भूमि क्षेत्र को बिना हटाये स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल

अपील सँख्या 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 की अनुपालना नहीं करके कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही की गई।

4. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/11 में दिनांक 30.01.2012 को निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को अपूर्ण स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया एवं स्वीकृति प्रस्ताव के सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा पाई गई कमियों की पूर्ति एक बार में नहीं करके पूर्वेक्षण अनुज्ञा स्वीकृति जारी करवाने में अनावश्यक रूप से विलम्ब करके कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही की गई।

श्री मणीलाल महावर, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/12 की पत्रावली में बदनीयतीपूर्वक वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही दिनांक 28.10.2014 को स्वीकृति प्रस्ताव एवं दिनांक 02.12.2014 को संशोधित स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर लोकसेवक श्री सुरेश चंद शर्मा, तत्कालीन वरिष्ठ कार्यदेशक, कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़ के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये, इसलिए लगाये गये आरोपों से उन्मोचित कर उसके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही समाप्त की गई।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण श्री देवीलाल बंशीवाल एवं श्री मणीलाल महावर, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, झालावाड़ के

सक्षम प्राधिकारी माननीय राज्य मंत्री, खान विभाग को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक F.25(621-622) LAS/2015/u/s12/19241 दिनांक 14.08.2017 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

इस सम्बन्ध में अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.25(614)लोआस/2015
एफ.25(615)लोआस/2015
एफ.25(616)लोआस/2015
एफ.25(617)लोआस/2015
एफ.25(618)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री धर्मनारायण लौहार, तत्कालीन वरिष्ठ कार्यदेशक व प्रभारी सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जालोर, श्री पुखराज चौहान, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, सोजत व प्रभारी खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जालोर एवं श्री लक्ष्मण सिंह, तत्कालीन रियायती लिपिक, खनि अभियन्ता कार्यालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जालोर द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र से सम्बन्धित जालोर क्षेत्र के पाँच आवेदन-पत्रों में स्वीकृति प्रस्ताव भेजने एवं उनकी स्वीकृति के बारे में अनियमितता करने बाबत।

खनि अभियन्ता, जालोर से प्राप्त उपर्युक्त पत्रावलियों में आवेदित खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच में प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्री धर्मनारायण लौहार, तत्कालीन वरिष्ठ कार्यदेशक व प्रभारी सहायक खनि अभियन्ता, जालोर, श्री पुखराज चौहान, तत्कालीन सहायक खनि

अभियन्ता, सोजत व प्रभारी खनि अभियन्ता, जालोर एवं श्री लक्ष्मण सिंह, तत्कालीन रियायती लिपिक, खनि अभियन्ता कार्यालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जालोर द्वारा उक्त पत्रावलियों में पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने में सुसंगत नियमों की अनदेखी करते हुए अनियमितता की गई, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषणाधीन उपर्युक्त पत्रावलियों से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य निम्नांकित तालिका के अनुसार हैं। इसके कॉलम सँख्या-1 में इस सचिवालय की पत्रावली सँख्या व पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र की पत्रावली सँख्या, कॉलम सँख्या-2 में आवेदक का नाम व आवेदित खनिज, कॉलम सँख्या-3 में आवेदन की दिनांक, कॉलम सँख्या-4 में स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक एवं कॉलम सँख्या-5 में आवंटन की दिनांक के विवरण दिये गये हैं :

क्र.स.	पत्रावली सँख्या व पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्रावली सँख्या	आवेदक का नाम एवं आवेदित खनिज	आवेदन दिनांक	स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक	आवंटन की दिनांक
	1	2	3	4	5
1	25(614)लोआस/2015 पी.एल. 07/14	श्री प्रताप सिंह, खनिज जिप्सम	28.07.14	08.01.15	09.01.15
2	25(615)लोआस/2015 पी.एल. 05/14	श्री श्यामवीर सिंह, खनिज जिप्सम	28.07.14	08.01.15	09.01.15

3	25(616)लोआस/2015 पी.एल. 02/14	श्री प्रताप सिंह, खनिज जिप्सम	25.07.14	08.01.15	09.01.15
4	25(617)लोआस/2015 पी.एल. 01/14	श्री अर्जुन सिंह, खनिज जिप्सम	22.07.14	08.01.15	09.01.15
5	25(618)लोआस/2015 पी.एल. 04/14	श्री लोकेन्द्र सिंह, खनिज जिप्सम	28.07.14	08.01.15	09.01.15

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री पुखराज चौहान, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, सोजत सिटी व प्रभारी खनि अभियन्ता, जालोर, श्री धर्मनारायण लौहार, तत्कालीन वरिष्ठ कार्यदेशक व प्रभारी सहायक खनि अभियन्ता, खनि अभियन्ता कार्यालय, जालोर एवं श्री लक्ष्मण सिंह, तत्कालीन रियायती लिपिक, खनि अभियन्ता कार्यालय, जालोर के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाये गये :

पुखराज चौहान, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, सोजत सिटी व प्रभारी खनि अभियन्ता, जालोर.

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/14, 2/14, 4/14, 5/14 एवं 7/14 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का

निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/14, 2/14, 4/14, 5/14 एवं 7/14 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने पर सम्बन्धित लिपिक द्वारा पत्रावलियों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही नहीं करके पर्यवेक्षणीय उदासीनता, कर्त्तव्य निर्वहन में अकर्मण्यता एवं लापरवाही की गई।

श्री धर्मनारायण लौहार, तत्कालीन वरिष्ठ कार्यदेशक व प्रभारी सहायक खनि अभियन्ता, खनि अभियन्ता कार्यालय, जालोर.

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/14, 2/14, 4/14, 5/14 एवं 7/14 की पत्रावलियों में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/14, 2/14, 4/14, 5/14 एवं 7/14 की पत्रावलियों में आवेदित क्षेत्र लिग्नाइट गैसीकरण कोलबेड के लिए आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित था। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर से क्षेत्र की रिक्तता के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं करके अनियमितता की गई।

3. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/14, 2/14, 4/14, 5/14 एवं 7/14 के आवेदित क्षेत्रों में से चारागाह भूमि एवं एवं जोहड़ पायतन क्षेत्र को बिना हटाए स्वीकृति प्रस्ताव अतिरिक्त निदेशक, खान, उदयपुर जोन, उदयपुर को प्रेषित कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सँख्या 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं

अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 की अनुपालना नहीं करके कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही की गई।

4. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/14, 2/14, 4/14, 5/14 एवं 7/14 के आवेदित क्षेत्रों का संयुक्त सीमांकन पटवारी की उपस्थिति में नहीं करके अनियमितता की गई।

5. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/14, 2/14, 4/14, 5/14 एवं 7/14 के आवेदित क्षेत्रों में दिनांक 07.01.2015 एवं 08.01.2015 को सीमांकन मौके पर नहीं किया अपितु कार्यालय में ही सीमांकन-प्रतिवेदन तैयार कर मात्र खानापूर्ति करके अनियमितता की गई।

6. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/14, 2/14, 4/14, 5/14 एवं 7/14 में आवेदकों द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में आवेदित क्षेत्रों के राजस्व नक्शा ट्रेस व जमाबंदी प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरणों को निदेशालय स्तर से अस्वीकृत करवाने हेतु कार्यवाही करने के बजाय स्वीकृति प्रस्ताव दिनांक 08.01.2015 को निदेशालय को प्रेषित करके अनियमितता की गई।

7. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 7/14 में आवेदित क्षेत्र का करीब 15 प्रतिशत क्षेत्र बाड़मेर जिले में आता था। इस सम्बन्ध में बाड़मेर जिले में आने वाले क्षेत्र की रिक्तता की रिपोर्ट कार्यालय के मानचित्रकार से नहीं ली गई और न ही खनि अभियन्ता, बाड़मेर से प्राप्त की गई। क्षेत्र की रिक्तता की रिपोर्ट के बिना ही स्वीकृति-प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करके अनियमितता की गई।

श्री लक्ष्मण सिंह, तत्कालीन रियायती लिपिक, खनि अभियन्ता कार्यालय, जालोर.

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/14, 2/14, 4/14, 5/14 एवं 7/14 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के पश्चात् इस वस्तुस्थिति की टिप्पणी सम्बन्धित पत्रावलियों में अंकित की जाकर सहायक खनि अभियन्ता/खनि अभियन्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं करके अकर्मण्यता एवं अनुशासनहीनता की गई।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण श्री पुखराज चौहान, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, सोजत सिटी व प्रभारी खनि अभियन्ता, जालोर के सक्षम प्राधिकारी माननीय राज्य मंत्री, खान विभाग को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.25(614-618) LAS/2015/u/s12/20214 दिनांक 22.08.2017 से भेजकर एवं श्री धर्मनारायण लौहार, तत्कालीन वरिष्ठ कार्यदेशक व प्रभारी सहायक खनि अभियन्ता, खनि अभियन्ता कार्यालय, जालोर, श्री लक्ष्मण सिंह, तत्कालीन रियायती लिपिक, खनि अभियन्ता कार्यालय, जालोर के सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.25(614-618) LAS/2015/u/s12/20218 दिनांक 22.08.2017 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

इस सम्बन्ध में अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.25(317)लोआस/2015

एफ.25(318)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री श्रीकृष्ण शर्मा, श्री ललित बाछरा, श्री मनोज कुमार तंवर तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, कोटपूतली एवं श्री रमेशचंद कटारिया, तत्कालीन वरिष्ठ मानचित्रकार, सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय, कोटपूतली द्वारा खनन-पट्‌टा से सम्बन्धित कोटपूतली क्षेत्र के दो आवेदन-पत्रों में स्वीकृति प्रस्ताव भेजने एवं उनकी स्वीकृति के बारे में अनियमितता करने बाबत।

सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली से प्राप्त उपर्युक्त पत्रावलियों में आवेदित खनिज के खनन-पट्‌टा जारी किये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच में प्रथमदृष्ट्या यह पाया गया कि श्री श्रीकृष्ण शर्मा, श्री ललित बाछरा, श्री मनोज कुमार तंवर, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, कोटपूतली एवं श्री रमेशचंद कटारिया, वरिष्ठ मानचित्रकार, सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय, कोटपूतली द्वारा उक्त पत्रावलियों में खनन-पट्‌टों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने में अनियमितता की गई, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषणाधीन उपरोक्त पत्रावलियों से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य निम्नानुसार है :

1. <u>खनन-पट्‌टा सँख्या 34/05</u> **:** आवेदिका श्रीमती सुनीता शर्मा ने खनिज-क्वार्ट्ज एवं फैल्सपार के खनन-पट्‌टा हेतु सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय, कोटपूतली में दिनांक 12.08.2005 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया। इस आवेदन-पत्र पर विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने की वांछनीय कार्यवाही श्री खेमचंद गोयल, श्री एस. एन. कुमावत, श्री श्रीकृष्ण शर्मा, श्री ललित बाछरा एवं श्री मनोज कुमार तंवर, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, कोटपूतली द्वारा की जाकर निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को दिनांक 06.01.2015

को स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया गया। निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा इस स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर दिनांक 12.01.2015 को मंशा-पत्र जारी किया गया।

<u>2. खनन-पट्टा सँख्या 56/05</u> : आवेदिका श्रीमती कमला देवी ने खनिज-क्वार्ट्ज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड व माइका के खनन-पट्टा हेतु सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय, कोटपूतली में दिनांक 10.11.2005 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया। इस आवेदन-पत्र पर विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने की वांछनीय कार्यवाही श्री खेमचंद गोयल, श्री एस. एन. कुमावत, श्री श्रीकृष्ण शर्मा, श्री ललित बाछरा एवं श्री मनोज कुमार तंवर, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, कोटपूतली द्वारा की जाकर निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को दिनांक 11.01.2015 को स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया गया। निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा इस स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर दिनांक 12.1.15 को खनन-पट्टा जारी किया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

<u>निष्कर्ष :</u>

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री श्रीकृष्ण शर्मा एवं श्री मनोज कुमार तंवर, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, कोटपूतली के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाये गये :

<u>श्री श्रीकृष्ण शर्मा, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली.</u>

1. खनन–पट्टा सँख्या 56/05 की पत्रावली में आवेदिका श्रीमती कमला देवी की मृत्यु होने पर उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर एम.सी.आर., 1960 के नियम 25ए(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के बजाय अनावश्यक रूप से निदेशालय से मार्गदर्शन/आदेश लिये जाने की कार्यवाही करके प्रकरण के निस्तारण में एक वर्ष का अनावश्यक विलम्ब करके अनियमितता की गई।

2. खनन–पट्टा सँख्या 56/05 की पत्रावली में दिनांक 31.05.2012 को संयुक्त सीमांकन कराये जाने के निर्देश के साथ ही वन विभाग से अनापत्ति एवं खनिज उपलब्धता की रिपोर्ट मंगवाये जाने के भी निर्देश नहीं देकर प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करके अनियमितता की गई।

श्री मनोज कुमार तंवर, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली.

1. खनन–पट्टा सँख्या 34/05 की पत्रावली में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही वन विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(20)वन/2003 दिनांक 20.08.2010 के उल्लंघन में स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

2. खनन–पट्टा सँख्या 56/05 की पत्रावली में बदनियतिपूर्वक अवांछनीय तत्परता करते हुए दिनांक 11.01.2015 रविवार को ही कार्यालय खुलवाकर स्वीकृति प्रस्ताव तैयार किया और उस प्रस्ताव को आवेदक के जरिये ही दिनांक 12.01.2015 को निदेशालय भिजवाया जाकर अनियमितता की गई।

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर लोकसेवकगण श्री ललित बाछरा, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली एवं श्री रमेशचंद कटारिया, तत्कालीन वरिष्ठ

मानचित्रकार, सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय, कोटपूतली के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये, इसलिए उन पर लगाये गये आरोपों से उन्मोचित कर उनके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही समाप्त की गई।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण श्री श्रीकृष्ण शर्मा एवं श्री मनोज कुमार तंवर, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, कोटपूतली के सक्षम प्राधिकारी माननीय राज्य मंत्री, खान विभाग को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक F.25(317-318) LAS/2015/u/s12/22147 दिनांक 05.09.2017 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

इस सम्बन्ध में अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.25(801)लोआस/2015
एफ.25(802)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री मदनमोहन शर्मा, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान), जयपुर, श्री टी. एस. राणावत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री सुशील कुमार अग्रवाल, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, टोंक एवं श्री मूलचंद बंशीवाल, तत्कालीन वरिष्ठ मानचित्रकार, खनि अभियन्ता कार्यालय, टोंक द्वारा खनन पट्टे से सम्बन्धित सवाई माधोपुर क्षेत्र के दो आवेदन-पत्रों में स्वीकृति प्रस्ताव भेजने एवं उनकी स्वीकृति के बारे में अनियमितता करने बाबत।

सहायक खनि अभियन्ता, सवाई माधोपुर से प्राप्त उपर्युक्त पत्रावलियों में आवेदित खनिज के खनन-पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच में प्रथमदृष्ट्या यह पाया गया कि श्री मदनमोहन शर्मा, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान), जयपुर, श्री टी. एस. राणावत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशकगण (भूविज्ञान), निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री सुशील कुमार अग्रवाल, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, टोंक एवं श्री मूलचंद बंशीवाल, तत्कालीन वरिष्ठ मानचित्रकार, खनि अभियन्ता कार्यालय, टोंक द्वारा उक्त पत्रावलियों में खनन-पट्टा की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने में अनियमितता की गई, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषणाधीन उपरोक्त पत्रावलियों से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य निम्नानुसार हैं :

1. <u>खनन-पट्टा सँख्या 18/2003 :</u> आवेदक मैसर्स बालाजी मिनरल्स ने खनिज-क्वार्ट्ज व सिलिका हेतु आवेदन-पत्र सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय, टोंक में दिनांक 30.07.2003 को प्रस्तुत किया। तत्समय कार्यरत सहायक खनि अभियन्तागण द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर वांछनीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई तत्पश्चात यह पत्रावली नवसृजित सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय, सवाई माधोपुर को दिनांक 01.12.2014 को अन्तरित की गई। सहायक खनि अभियन्ता, सवाई माधोपुर द्वारा इस आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करने की वांछनीय कार्यवाही पूर्ण करके निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को दिनांक 02.12.2014 को स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया गया। निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा इस स्वीकृति प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु प्रमुख

शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर को दिनांक 26.12.2014 को प्रेषित किया गया। प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर द्वारा इस स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर दिनांक 30.12.2014 को मैसर्स बालाजी मिनरल्स के पक्ष में मंशा–पत्र जारी किया गया।

2. **खनन–पट्टा सँख्या 25/2012 :** श्री मोहम्मद वसीम ने खनिज–क्वार्ट्ज व क्वार्ट्जाइट हेतु आवेदन सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय, टोंक को दिनांक 27.12.2012 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया। तत्समय कार्यरत सहायक खनि अभियन्ता द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर वांछनीय कार्यवाही की गई तथा समस्त विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को दिनांक 24.07.2013 को स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया गया। निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा इस स्वीकृति प्रस्ताव को प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर को अनुमोदन हेतु दिनांक 29.12.2014 को प्रेषित किया गया। प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर द्वारा इस स्वीकृति प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर दिनांक 02.01.2015 आवेदक श्री मोहम्मद वसीम के पक्ष में मंशा–पत्र जारी किया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक **श्री टी. एस. राणावत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान), निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर** के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उनके द्वारा खनन-पट्टा सँख्या 18/2003 की पत्रावली में खनिज उपलब्धता के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न तीन परस्पर विरोधी रिपोर्ट देकर अनियमितता की गई।

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर लोकसेवक श्री मदनमोहन शर्मा, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान), जयपुर, श्री सुशील कुमार अग्रवाल, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, टोंक एवं श्री मूलचंद बंशीवाल, तत्कालीन वरिष्ठ मानचित्रकार, खनि अभियन्ता कार्यालय, टोंक के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये, इसलिए उन पर लगाये गये आरोपों से उन्मोचित कर उनके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही समाप्त की गई।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री टी. एस. राणावत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर के सक्षम प्राधिकारी माननीय राज्य मंत्री, खान विभाग को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक F.25(801) LAS/2015/u/s12 /24447 दिनांक 19.08.2017 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

इस सम्बन्ध में अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.25(68)लोआस/2015
एफ.25(69)लोआस/2015
एफ.25(70)लोआस/2015
एफ.25(71)लोआस/2015
एफ.25(72)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री जे. पी. जाखड़ एवं श्री एस. पी. शर्मा, तत्कालीन खनि अभियन्तागण, खान एवं भूविज्ञान विभाग, अलवर द्वारा खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र से सम्बन्धित अलवर क्षेत्र के पांच आवेदन-पत्रों में स्वीकृति प्रस्ताव भेजने एवं उनकी स्वीकृति के बारे में अनियमितता करने बाबत।

खनि अभियन्ता, अलवर से प्राप्त उपर्युक्त पत्रावलियों में आवेदित खनिज के खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच में प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्री जयप्रकाश जाखड़ एवं श्री एस. पी. शर्मा, तत्कालीन खनि अभियन्तागण, अलवर द्वारा उक्त पत्रावलियों में खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने में सुसंगत नियमों की अनदेखी करते हुए अनियमितता की गई, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषणाधीन उपर्युक्त पत्रावलियों से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य निम्नांकित तालिका के अनुसार हैं। इसके कॉलम सँख्या-1 में इस सचिवालय की पत्रावली सँख्या व पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र/खनन-पट्टा की पत्रावली सँख्या,

कॉलम सँख्या–2 में आवेदक का नाम व आवेदित खनिज, कॉलम सँख्या–3 में आवेदन की दिनांक, कॉलम सँख्या–4 में स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक एवं कॉलम सँख्या–5 में आवंटन की दिनांक के विवरण दिये गये हैं :

क्र.स.	पत्रावली सँख्या व पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्रावली सँख्या	आवेदक का नाम एवं आवेदित खनिज	आवेदन दिनांक	स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक	आवंटन की दिनांक
	1	2	3	4	5
1	25(68)लोआस/2015 पी.एल. 10/11	श्री प्रदीप पालीवाल, खनिज ग्रेफाइट	21.06.11	12.04.12	12.01.15
2	25(69)लोआस/2015 पी.एल. 06/11	श्री प्रदीप पालीवाल, खनिज ग्रेफाइट	28.04.11	12.04.12	12.01.15
3	25(70)लोआस/2015 पी.एल. 09/11	श्री प्रदीप पालीवाल, खनिज ग्रेफाइट	21.06.11	12.04.12	12.01.15
4	25(71)लोआस/2015 एम.एल. 16/10	श्रीमती बालादेवी, खनिज ग्रेफाइट	30.07.10	12.12.14	24.12.14
5	25(72)लोआस/2015 एम. एल. 25/14	श्रीमती किरण देवी, खनिज सिलिका सैण्ड	07.08.14	26.12.14	31.12.14

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री जयप्रकाश जाखड़, तत्कालीन खनि अभियन्ता, अलवर के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाये गये :

<u>श्री जयप्रकाश जाखड़, तत्कालीन खनि अभियन्ता, अलवर.</u>

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 6/11, 9/11 एवं 10/11 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम. सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 6/11, 9/11 एवं 10/11 के आवेदित क्षेत्र बाघ परियोजना, सरिस्का से 10 किलोमीटर की परिधि में थे, इसके बावजूद आवेदकों से भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 15.03.2011 के अनुसार पूर्व पर्यावरण स्वीकृति मंगवाये बिना ही उक्त दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में बदनियतिपूर्वक स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित करके अनियमितता की गई।

3. खनन-पट्टा सँख्या 16/10 की पत्रावली में आवेदक द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रकरण का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर लोकसेवक श्री एस. पी. शर्मा, तत्कालीन खनि अभियन्ता,

अलवर के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये, इसलिए लगाये गये आरोपों से उन्मोचित कर उसके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही समाप्त की गई।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री जयप्रकाश जाखड़, तत्कालीन खनि अभियन्ता, अलवर के सक्षम प्राधिकारी माननीय राज्य मंत्री, खान विभाग को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.25(68-72) LAS/2015/u/s12/ 26978 दिनांक 11.10.2017 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

इस सम्बन्ध में अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.25(681)लोआस/2015
एफ.25(682)लोआस/2015
एफ.25(683)लोआस/2015
एफ.25(684)लोआस/2015
एफ.25(685)लोआस/2015
एफ.25(686)लोआस/2015
एफ.25(687)लोआस/2015
एफ.25(688)लोआस/2015
एफ.25(689)लोआस/2015

एफ.25(690)लोआस/2015

एफ.25(695)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री देवीशंकर मारू, तत्कालीन निदेशक, श्री पंकज गहलोत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, श्री एन.एस. शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता-द्वितीय, श्री मधुसूदन पालीवाल, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता-तृतीय, श्री एन. के. कोठारी, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री डी. पी. गौड, श्री भीमसिंह एवं श्री कमलेश्वर बारेगामा, तत्कालीन खनि अभियन्तागण एवं श्री धनेश्वर रोत, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सिटी द्वारा खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र से सम्बन्धित सोजत सिटी क्षेत्र के ग्यारह आवेदन-पत्रों में स्वीकृति प्रस्ताव भेजने एवं उनकी स्वीकृति के बारे में अनियमितता करने बाबत।

खनि अभियन्ता, सोजत सिटी से प्राप्त उपर्युक्त पत्रावलियों में आवेदित खनिज के खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच में प्रथमदृष्ट्या यह पाया गया कि श्री देवीशंकर मारू, तत्कालीन निदेशक, श्री पंकज गहलोत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, श्री एन.एस. शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता-द्वितीय, श्री मधुसूदन पालीवाल, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता-तृतीय, श्री एन. के. कोठारी, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री डी. पी. गौड, श्री भीमसिंह एवं श्री कमलेश्वर बारेगामा, तत्कालीन खनि अभियन्तागण एवं श्री धनेश्वर रोत, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सिटी द्वारा उक्त पत्रावलियों में खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने में सुसंगत नियमों की अनदेखी करते हुए अनियमितता की गई, इसलिए उनके विरूद्ध

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषणाधीन उपर्युक्त पत्रावलियों से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य निम्नांकित तालिका के अनुसार हैं। इसके कॉलम सँख्या-1 में इस सचिवालय की पत्रावली सँख्या व पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र/खनन-पट्टा की पत्रावली सँख्या, कॉलम सँख्या-2 में आवेदक का नाम व आवेदित खनिज, कॉलम सँख्या-3 में आवेदन की दिनांक, कॉलम सँख्या-4 में स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक एवं कॉलम सँख्या-5 में आवंटन की दिनांक के विवरण दिये गये हैं :

क्र. स.	पत्रावली सँख्या व पूर्वेक्षण अनुज्ञा/खनन-पट्टा पत्रावली सँख्या	आवेदक का नाम एवं आवेदित खनिज	आवेदन दिनांक	स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक	आवंटन की दिनांक
	1	2	3	4	5
1	25(686)लोआस/2015 एम.एल. 3/10	मैसर्स गणधर एण्ड गजेन्द्र माइन्स, चाइना क्ले	05.02.10	25.01.12	31.12.14
2	25(688)लोआस/2015 पी.एल. 31/10	श्री हिम्मत सिंह, लाइम स्टोन (सीमेन्ट ग्रेड)	08.12.10	04.08.14	05.12.14
3	25(687)लोआस/2015 एम.एल. 37/10	मैसर्स अनमोल मिनरल्स, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	29.04.10	26.04.11	09.01.15

4	25(682)लोआस/2015 एम.एल. 141/11	मैसर्स भगवती माइन्स एण्ड मिनरल्स, चाइना क्ले	29.09.11	07.10.14	26.11.14
5	25(683)लोआस/2015 एम.एल. 176/11	मैसर्स जसोल माइन्स एण्ड मिनरल्स, चाइन क्ले	11.11.11	15.03.13	28.11.14
	25(684)लोआस/2015 एम.एल. 177/11	मैसर्स करणी माइन्स एण्ड मिनरल्स, चाइना क्ले	11.11.11	15.03.13	28.11.14
	25(685)लोआस/2015 एम.एल. 209/11	श्रीमती अल्का मिश्रा, फेल्सपार एवं क्वार्ट्ज	23.12.11	31.07.13	01.12.14
	25(689)लोआस/2015 पी.एल. 4/12	मैसर्स सिद्धि विनायक सीमेण्ट प्रा. लि., लाइम स्टोन (सीमेन्ट ग्रेड)	19.03.12	01.01.15	02.01.15
	25(681)लोआस/2015 एम.एल. 75/13	मैसर्स अम्बाजी माइन्स एण्ड मिनरल्स, चाइना क्ले एवं सिलिका सैण्ड	23.07.13	22.10.14	03.11.14
	25(695)लोआस/2015 पी.एल. 45/14	मैसर्स गीतांजलि मार्बल्स, लाइम स्टोन	15.12.14	08.01.15	09.01.15
	25(690)लोआस/2015 पी.एल. 50/14	मैसर्स ट्रिनिटी इन्फोपार्क प्रा. लि., लाइम स्टोन	29.12.14	08.01.15	09.01.15

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में

परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री देवीशंकर मारू, तत्कालीन निदेशक, श्री पंकज गहलोत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, श्री एन.एस. शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता-द्वितीय, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री डी. पी. गौड, श्री भीमसिंह एवं श्री कमलेश्वर बारेगामा, तत्कालीन खनि अभियन्तागण एवं श्री धनेश्वर रोत, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सिटी के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाये गये :

श्री देवीशंकर मारू, तत्कालीन, श्री पंकज गहलोत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, एवं श्री एन.एस. शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता (द्वितीय), निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर.

1. खनि अभियन्ता, सोजत सिटी द्वारा प्रेषित पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 45/14 एवं 50/14 के स्वीकृति प्रस्तावों में आवेदित क्षेत्रों में सिविल अपील सँख्या 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायाल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 के अनुसार चारागाह भूमि शामिल नहीं होने की रिपोर्ट अंकित नहीं होने के बावजूद भी पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी कर अनियमितता की गई।
2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 45/14 एवं 50/14 की पत्रावलियों में खनि अभियन्ता, सोजत सिटी से आवेदित क्षेत्रों के सुपर इम्पोज मानचित्र एवं राजस्व रिकॉर्ड मँगवाये बिना ही पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी करके अनियमितता की गई।

3. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 45/14 एवं 50/14 की पत्रावलियों में खनि अभियन्ता, सोजत सिटी से आवेदित क्षेत्रों के सीमांकन प्रतिवेदन मँगवाये बिना ही पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी करके अनियमितता की गई।

4. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 45/14 एवं 50/14 की पत्रावलियों में आवेदकों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से खनि अभियन्ता, सोजत सिटी द्वारा प्रेषित वस्तुस्थिति रिपोर्ट को ही स्वीकृति प्रस्ताव मानते हुए पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी करके अनियमितता की गई।

5. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 45/14 एवं 50/14 की पत्रावलियों में आवेदकों ने खनिज लाइम स्टोन के पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किये थे परन्तु स्वीकृति आदेश लाइम स्टोन (सीमेन्ट ग्रेड) हेतु जारी करके अनियमितता की गई।

श्री डी. पी. गौड़, तत्कालीन खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सिटी.

1. खनन-पट्टा सँख्या 3/10 एवं 37/10 की पत्रावलियों में आवेदित क्षेत्रों में आवेदित खनिज की उपलब्धता प्रमाणित किये बिना ही एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 5(2) का उल्लंघन करते हुए स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करके अनियमितता की गई।

2. खनन-पट्टा सँख्या 3/10 की पत्रावली में आवेदक से एम.सी.आर., 1960 के नियम 22(3)(एच) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

3. खनन-पट्टा सँख्या 3/10 की पत्रावली में आवेदित क्षेत्र खसरा नम्बर 168 रहन में होने के बावजूद आवेदक से रहनमुक्ति की जमाबन्दी एवं फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रति प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

4. खनन-पट्टा सँख्या 141/11, 176/11, 177/11 एवं 209/11 की पत्रावलियों एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 31/10 की पत्रावली में आवेदन के संलग्न मानचित्रों एवं विवरण सूचियों में और खनन-पट्टा सँख्या 37/10 की पत्रावली के आवेदन में जीटी शीट पर प्रस्तुत संशोधित क्षेत्र के मानचित्र एवं विवरण सूची में आवेदित क्षेत्रों के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 14(2)खान/ग्रुप-1/2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में आवेदन-पत्रों को नियमानुसार आक्षेप के साथ आवेदकों को लौटाने के बजाय स्वीकार करके अनियमितता की गई।

5. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 4/12 की पत्रावली में आवेदक द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरण का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

श्री भीमसिंह, तत्कालीन खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सिटी.

1. खनन-पट्टा सँख्या 75/13 की पत्रावली में आवेदन के संलग्न जीटी शीट पर मानचित्र एवं विवरण सूची में आवेदित क्षेत्र के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.14(2)खान/ग्रुप-1/

2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में आवेदन-पत्र को नियमानुसार आक्षेप के साथ आवेदक को लौटाने के बजाय स्वीकार करके अनियमितता की गई।

2. खनन-पट्टा सँख्या 176/11, 177/11 एवं 75/13 की पत्रावलियों में आवेदित क्षेत्रों में आवेदित खनिज की उपलब्धता प्रमाणित किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 5(2) का उल्लंघन करके अनियमितता की गई।

3. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 31/10 की पत्रावली में आवेदक से एम. सी.आर., 1960 के नियम 9(2)(जी) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

4. खनन-पट्टा सँख्या 209/11 की पत्रावली में आवेदित क्षेत्र खसरा सँख्या 618 एवं 619 बैंक में रहन होने के बावजूद आवेदक से रहनमुक्ति की जमाबन्दी प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

5. खनन-पट्टा सँख्या 75/13 की पत्रावली में आवेदक द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रकरण का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

श्री कमलेश्वर बारेगामा, तत्कालीन खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सिटी

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 4/12 की पत्रावली में आवेदक द्वारा दिनांक 29.12.2014, 30.12.2014 एवं 31.12.2014 को प्रस्तुत जीटी शीट पर संशोधित मानचित्रों एवं विवरण सूचियों में आवेदित क्षेत्र के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 14(2)खान/ग्रुप-1/2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में आवेदन-पत्र को नियमानुसार आक्षेप के साथ आवेदक का लौटाने के बजाय स्वीकार करके अनियमितता की गई।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 4/12 की पत्रावली में आवेदक द्वारा दिनांक 29.12.14, 30.12.14 एवं 31.12.14 को आवेदित क्षेत्र में स्वेच्छा से प्रस्तुत संशोधित मानचित्रों को विभागीय परिपत्र क्रमांक निखाभू/प्रधान/नियम/प-28/97/1011 दिनांक 30.12.2011 के अनुसार आवेदक को नोटिस उपरान्त अमान्य करके सक्षम अधिकारी को अस्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने के बजाय उसे स्वीकार करके अनियमितता की गई।

3. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 4/12 की पत्रावली में आवेदित क्षेत्र में से चारागाह भूमि क्षेत्र को बिना हटाए स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सँख्या 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 की अनुपालना नहीं करके कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही की गई।

श्री धनेश्वर रोत, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सिटी.

खनन-पट्टा सँख्या 3/10 व 37/10 की पत्रावलियों में आवेदनों के संलग्न जीटी शीट पर मानचित्रों एवं विवरण सूचियों में आवेदित क्षेत्र के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग,

राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.14(2)खान/ग्रुप-1/2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में आवेदन-पत्रों को नियमानुसार आक्षेप के साथ आवेदकों को लौटाने के बजाय स्वीकार करके अनियमितता की गई।

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर लोकसेवक श्री. एन. के. कोठारी, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं श्री मधुसूदन पालीवाल, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता-तृतीय, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये, इसलिए उन पर लगाये गये आरोपों से उन्मोचित कर उनके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही समाप्त की गई।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण श्री देवीशंकर मारू, तत्कालीन निदेशक, श्री पंकज गहलोत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, श्री एन.एस. शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता-द्वितीय, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री डी. पी. गौड़, श्री भीमसिंह, श्री कमलेश्वर बारेगामा, तत्कालीन खनि अभियन्तागण एवं श्री धनेश्वर रोत, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सिटी के सक्षम प्राधिकारी माननीय राज्य मंत्री, खान विभाग को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.25(681-690,695) LAS/2015/u/s12/35220 दिनांक 13.12.2017 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

इस सम्बन्ध में अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

1.	एफ.25(319)लोआस/2015
2.	एफ.25(320)लोआस/2015
3.	एफ.25(321)लोआस/2015
4.	एफ.25(322)लोआस/2015
5.	एफ.25(323)लोआस/2015
6.	एफ.25(324)लोआस/2015
7.	एफ.25(325)लोआस/2015
8.	एफ.25(326)लोआस/2015
9.	एफ.25(327)लोआस/2015
10.	एफ.25(330)लोआस/2015
11.	एफ.25(338)लोआस/2015
12.	एफ.25(342)लोआस/2015
13.	एफ.25(343)लोआस/2015
14.	एफ.25(345)लोआस/2015
15.	एफ.25(346)लोआस/2015
16.	एफ.25(347)लोआस/2015
17.	एफ.25(348)लोआस/2015
18.	एफ.25(349)लोआस/2015
19.	एफ.25(350)लोआस/2015
20.	एफ.25(356)लोआस/2015
21.	एफ.25(357)लोआस/2015
22.	एफ.25(359)लोआस/2015
23.	एफ.25(362)लोआस/2015
24.	एफ.25(363)लोआस/2015

25.	एफ.25(364)लोआस/2015
26.	एफ.25(369)लोआस/2015
27.	एफ.25(370)लोआस/2015
28.	एफ.25(371)लोआस/2015
29.	एफ.25(373)लोआस/2015
30.	एफ.25(382)लोआस/2015
31.	एफ.25(383)लोआस/2015
32.	एफ.25(386)लोआस/2015
33.	एफ.25(387)लोआस/2015
34.	एफ.25(389)लोआस/2015
35.	एफ.25(393)लोआस/2015
36.	एफ.25(394)लोआस/2015
37.	एफ.25(395)लोआस/2015
38.	एफ.25(399)लोआस/2015
39.	एफ.25(408)लोआस/2015
40.	एफ.25(411)लोआस/2015
41.	एफ.25(415)लोआस/2015
42.	एफ.25(416)लोआस/2015
43.	एफ.25(420)लोआस/2015
44.	एफ.25(421)लोआस/2015
45.	एफ.25(422)लोआस/2015
46.	एफ.25(423)लोआस/2015
47.	एफ.25(426)लोआस/2015
48.	एफ.25(428)लोआस/2015

49.	एफ.25(441)लोआस/2015
50.	एफ.25(442)लोआस/2015
51.	एफ.25(443)लोआस/2015
52.	एफ.25(444)लोआस/2015
53.	एफ.25(454)लोआस/2015
54.	एफ.25(463)लोआस/2015
55.	एफ.25(465)लोआस/2015
56.	एफ.25(478)लोआस/2015
57.	एफ.25(479)लोआस/2015
58.	एफ.25(480)लोआस/2015
59.	एफ.25(481)लोआस/2015
60.	एफ.25(482)लोआस/2015
61.	एफ.25(483)लोआस/2015
62.	एफ.25(484)लोआस/2015
63.	एफ.25(485)लोआस/2015
64.	एफ.25(486)लोआस/2015
65.	एफ.25(487)लोआस/2015
66.	एफ.25(488)लोआस/2015
67.	एफ.25(491)लोआस/2015
68.	एफ.25(493)लोआस/2015
69.	एफ.25(495)लोआस/2015
70.	एफ.25(496)लोआस/2015
71.	एफ.25(501)लोआस/2015
72.	एफ.25(502)लोआस/2015

73.	एफ.25(504)लोआस/2015
74.	एफ.25(505)लोआस/2015
75.	एफ.25(507)लोआस/2015
76.	एफ.25(508)लोआस/2015
77.	एफ.25(509)लोआस/2015
78.	एफ.25(511)लोआस/2015
79.	एफ.25(512)लोआस/2015
80.	एफ.25(513)लोआस/2015
81.	एफ.25(518)लोआस/2015
82.	एफ.25(519)लोआस/2015
83.	एफ.25(532)लोआस/2015
84.	एफ.25(533)लोआस/2015
85.	एफ.25(534)लोआस/2015
86.	एफ.25(535)लोआस/2015
87.	एफ.25(536)लोआस/2015
88.	एफ.25(537)लोआस/2015
89.	एफ.25(549)लोआस/2015
90.	एफ.25(557)लोआस/2015
91.	एफ.25(560)लोआस/2015
92.	एफ.25(561)लोआस/2015
93.	एफ.25(562)लोआस/2015
94.	एफ.25(563)लोआस/2015
95.	एफ.25(564)लोआस/2015
96.	एफ.25(565)लोआस/2015

97. एफ.25(571)लोआस/2015
98. एफ.25(572)लोआस/2015
99. एफ.25(573)लोआस/2015
100. एफ.25(574)लोआस/2015
101. एफ.25(576)लोआस/2015
102. एफ.25(580)लोआस/2015
103. एफ.25(585)लोआस/2015
104. एफ.25(586)लोआस/2015
105. एफ.25(587)लोआस/2015
106. एफ.25(590)लोआस/2015
107. एफ.25(591)लोआस/2015
108. एफ.25(592)लोआस/2015
109. एफ.25(593)लोआस/2015
110. एफ.25(608)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री रतनलाल उदय, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर जोन, जोधपुर, श्री सोहनलाल रैगर, तत्कालीन खनि अभियन्ता, जैसलमेर एवं श्री रामरख मेघवाल, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जैसलमेर द्वारा खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र से सम्बन्धित जैसलमेर क्षेत्र के एक सौ दस आवेदन-पत्रों में स्वीकृति प्रस्ताव भेजने एवं उनकी स्वीकृति के बारे में अनियमितता करने बाबत।

खनि अभियन्ता, जैसलमेर से प्राप्त उपर्युक्त पत्रावलियों में आवेदित खनिज के खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा पत्रावलियों का परीक्षण करने पर

प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्री रतनलाल उदय, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर जोन, जोधपुर, श्री सोहनलाल रैगर, तत्कालीन खनि अभियन्ता, जैसलमेर एवं श्री रामरख मेघवाल, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जैसलमेर द्वारा उक्त पत्रावलियों में खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने में सुसंगत नियमों की अनदेखी करते हुए अनियमितता की गई, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषणाधीन उपर्युक्त पत्रावलियों से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य निम्नांकित तालिका के अनुसार हैं। इसके कॉलम सँख्या-1 में इस सचिवालय की पत्रावली सँख्या, कॉलम सँख्या-2 में पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र/खनन-पट्टा पत्र की पत्रावली सँख्या, कॉलम सँख्या-3 में आवेदक का नाम, कॉलम सँख्या-4 में आवेदित खनिज, कॉलम सँख्या-5 में आवेदन की दिनांक, कॉलम सँख्या-6 में स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक एवं कॉलम सँख्या-7 में आवंटन की दिनांक के विवरण दिये गये हैं :

<u>तालिका</u>

क्र. स.	पत्रावली सँख्या प्रारूपः- 25(-) लोआस /2015	एम. एल. /पी. एल. पत्रावली सँख्या	आवेदक का नाम	आवेदित खनिज	आवेदन दिनांक	स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक	आवंटन की दिनांक

	1	2	3	4	5	6	7
1.	356	ML 171/13	श्री अब्दुल सामद	सिलिका सैण्ड	03.04.13	29.12.14	12.01.15
2.	357	ML 233/13	श्री आविद	सिलिका सैण्ड	14.05.13	29.12.14	12.01.15
3.	359	ML 495/13	श्री तेजूमल मोरानी	सिलिका सैण्ड	19.08.13	18.12.14	12.01.15
4.	362	ML 170/13	श्री रफीक अहमद	सिलिका सैण्ड, चाइना क्ले, वॉल क्ले एवं व्हाइट क्ले	03.04.13	29.12.14	12.01.15
5.	330	ML 234/13	श्री मुग्गयर हसन	सिलिका सैण्ड	14.05.13	29.12.14	12.01.15
6.	327	PL 18/14	श्री ईश्वर सिंह राठौड़	सिलिका सैण्ड	04.06.14	08.01.15	09.01.15
7.	326	PL 19/14	श्री बलवीर सिंह	सिलिसियस अर्थ	04.06.14	08.01.15	09.01.15
8.	323	PL 55/13	मैसर्स रिब्स एक्जिम कन्सल्टेन्ट प्रा. लि.	सिलिका सैण्ड	18.06.13	02.12.14	09.01.15

9.	321	PL 53/13	मैसर्स रिब्स एण्ड एस. ट्रेडर्स प्रा. लि.	सिलिका सैण्ड	18.06.13	02.12.14	09.01.15
10.	322	PL 51/13	मैसर्स रिब्स एक्जिम कन्सल्टेन्ट प्रा. लि.	सिलिका सैण्ड	18.06.13	02.12.14	09.01.15
11.	325	PL 1/14	जय करणी इन्फ्रा मिनरल्स प्रा. लि.	सिलिका सैण्ड	06.02.14	09.12.14	09.01.15
12.	549	PL 102/14	श्री विनोद लालचंद लालवानी	जिप्सम	24.17.14	27.11.14	09.01.14
13.	364	ML 231/13	श्री हाजी मोहम्मद सलीम	सिलिका सैण्ड	14.05.13	29.12.14	12.01.15
14.	382	ML 164/13	श्री सरबजीत सिंह	सिलिका सैण्ड	02.07.14	10.12.14	26.12.14
15.	383	ML 556/13	श्री रामवतार सिंह	सिलिका सैण्ड	20.09.13	10.12.14	29.12.14
16.	386	ML 39/14	श्री ओमप्रकाश जांगिड़	सिलिका सैण्ड	05.03.14	18.12.14	29.12.14

17.	373	ML 54/14	श्री विवेक भिण्डा	सिलिका सैण्ड	12.03.14	26.11.14	09.12.14
18.	480	ML 564/13	श्रीमती मंजू देवी	सिलिका सैण्ड	26.09.13	29.12.14	12.01.15
19.	442	ML 534/14	मैसर्स के. जी. माइन्स एण्ड मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	02.09.14	05.01.15	08.01.15
20.	441	ML 563/13	श्री घनश्याम	सिलिका सैण्ड	26.09.13	29.12.14	08.01.15
21.	481	ML 565/13	श्री गोविन्द लाल	सिलिका सैण्ड	26.09.13	29.12.14	12.01.15
22.	486	ML 49/14	श्रीमती उमा	सिलिका सैण्ड	05.03.14	18.12.14	12.01.15
23.	479	ML 562/13	श्री आशुतोष जोशी	सिलिका सैण्ड	26.09.13	29.12.14	12.01.15
24.	478	ML 105/14	मैसर्स जय कृष्णा मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	05.06.14	10.12.14	12.01.15
25.	508	ML 596/13	श्री कनिष्क खेडिया	सिलिका सैण्ड	19.11.13	29.12.14	05.01.15

26.	507	ML 595/13	श्री संतुलाल सैनी	सिलिका सैण्ड	19.11.13	29.12.14	05.01.15
27.	488	ML 42/14	श्री हरसुख सिंह	सिलिका सैण्ड	05.03.14	18.12.14	12.01.15
28.	485	ML 46/14	श्री सुख सिंह	सिलिका सैण्ड	05.03.14	18.12.14	12.01.15
29.	484	ML 47/14	श्री रणजीत कुमार पारीक	सिलिका सैण्ड	05.03.14	18.12.14	12.01.15
30.	483	ML 45/14	श्री गौरव पारीक	सिलिका सैण्ड	05.03.14	18.12.14	12.01.15
31.	482	ML 44/14	श्री सिद्धांत पारीक	सिलिका सैण्ड	05.03.14	18.12.14	12.01.15
32.	509	ML 132/14	श्री ईश्वर सिंह राठौड़	वॉल क्ले	06.06.14	18.12.14	05.01.15
33.	518	ML 607/13	श्रीमती मीरा	सिलिका सैण्ड	04.12.13	18.12.14	08.01.13
34.	345	ML 80/14	मैसर्स जय करणी अर्थ मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	29.04.14	28.11.14	31.12.14
35.	343	ML 135/14	श्री हेमन्त कुमार	वॉल क्ले	06.06.14	18.12.14	29.12.14

36.	571	ML 128/14	श्री हेमन्त कुमार	सिलिसियस अर्थ	06.06.14	01.12.14	29.12.14
37.	576	ML 74/14	श्री गुलाबराम	सिलिसियस अर्थ	29.04.14	18.12.14	12.01.15
38.	572	ML 131/14	श्री रोशन भाटी	सिलिसियस अर्थ	06.06.14	18.12.14	29.12.14
39.	585	ML 130/14	श्री राजेश सोलंकी	सिलिसियस अर्थ	06.06.14	18.12.14	29.12.14
40.	580	ML 52/14	श्री रतनलाल	सिलिसियस अर्थ	10.03.14	08.12.14	22.12.14
41.	349	ML 76/14	मैसर्स जय करणी अर्थ मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	29.04.14	28.11.14	31.12.14
42.	350	ML 77/14	मैसर्स जय करणी अर्थ मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	29.04.14	28.11.14	31.12.14
43.	338	ML 75/14	श्री गुलाब राम	सिलिका सैण्ड	29.04.14	28.11.14	12.01.15
44.	347	ML 82/14	मैसर्स जय करणी अर्थ मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	29.04.14	10.12.14	31.12.14

45.	348	ML 78/14	मैसर्स जय करणी अर्थ मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	29.04.14	28.11.14	31.12.14
46.	346	ML 79/14	मैसर्स जय करणी अर्थ मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	29.04.14	10.12.14	31.12.14
47.	534	ML 83/14	जयकृष्णा मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	29.04.14	27.11.14	26.12.14
48.	536	ML 84/14	जयकृष्णा मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	29.04.14	27.11.14	26.12.14
49.	537	ML 85/14	जयकृष्णा मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	29.04.14	27.11.14	26.12.14
50.	532	ML 86/14	जयकृष्णा मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	29.04.14	27.11.14	26.12.14
51.	586	ML 129/14	श्री तेजपाल सिंह	सिलिसियस अर्थ	06.06.14	18.12.14	29.12.14
52.	587	ML 127/14	श्रीमती जया मोरानी	सिसिसियस अर्थ	06.06.14	18.12.14	29.12.14
53.	533	ML 87/14	जयकृष्णा मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	29.04.14	27.11.14	26.12.14
54.	535	ML 88/14	जयकृष्णा मिनरल्स	सिलिका सैण्ड	29.04.14	27.11.14	26.12.14

55.	387	ML 136/14	श्री भगवान सिंह	सिलिका सैण्ड	06.06.14	18.12.14	29.12.14
56.	393	ML 133/14	श्री तेजपाल सिंह	वॉल क्ले	06.06.14	18.12.14	29.12.14
57.	394	ML 40/14	श्रीमती वर्षा चन्दानी	सिलिका सैण्ड	05.03.14	18.12.14	29.12.14
58.	395	ML 14/14	श्री सुमेर दान	व्हाईट क्ले, चाइना क्ले एवं वॉल क्ले	31.01.14	27.11.14	29.12.14
59.	389	ML 134/14	श्रीमती जया मोरानी	वॉल क्ले	06.06.14	18.12.14	29.12.14
60.	423	ML 53/14	श्रीमती चन्दन कंवर	चाइना क्ले	12.03.14	28.11.14	04.12.14
61.	421	ML 525/13	श्रीमती मिनाक्षी जांगिड़	सिलिका सैण्ड	30.08.13	28.11.14	01.12.14
62.	444	ML 532/14	श्री विष्णु प्रकाश	सिलिका सैण्ड	02.09.14	05.01.15	08.01.15
63.	408	ML 286/13	श्री भावेश वी. राठौड़	सिलिका सैण्ड	30.05.13	28.11.14	09.01.15

64.	411	ML 422/12	श्री अजय	सिलिका सैण्ड	29.10.12	12.12.14	09.01.15
65.	363	ML 232/13	श्री नदीम सिसोदिया	सिलिका सैण्ड	14.05.13	29.12.14	12.01.15
66.	415	ML 266/13	श्री विवेक बाबेर	सिलिका सैण्ड	22.05.13	12.11.14	01.12.14
67.	416	ML 263/13	श्री सुरेन्द्र सिंह ढाका	सिलिका सैण्ड	22.05.13	12.11.14	01.12.14
68.	371	ML 265/13	श्री सुरेन्द्र कुमार थालौड़	सिलिका सैण्ड	22.05.13	03.11.14	05.12.14
69.	370	ML 261/13	श्रीमती गायत्री देवी	सिलिका सैण्ड	22.05.13	03.11.14	05.12.14
70.	369	ML 378/13	श्री रतनलाल कुमावत	सिलिका सैण्ड	20.06.13	03.11.14	05.12.14
71.	428	ML 337/13	श्री परमेश्वर लाल	सिलिका सैण्ड	06.06.13	12.11.14	22.12.14
72.	426	ML 264/13	श्री पवन कुमार	सिलिका सैण्ड	22.05.13	03.11.14	05.12.14
73.	463	ML 333/13	श्री अनिल कुमार शर्मा	सिलिका सैण्ड	06.06.13	12.11.14	22.12.14

74.	465	ML 327/13	श्री हरलाल	सिलिका सैण्ड	06.06.13	12.11.14	22.12.14
75.	493	ML 214/13	श्री नरेश	सिलिका सैण्ड	25.04.13	28.11.14	05.01.15
76.	491	ML 156/13	श्रीमती स्वाति प्रजापत	सिलिका सैण्ड, वॉल क्ले, चाइना क्ले एवं व्हाईट क्ले	25.03.13	12.12.14	05.01.15
77.	501	ML 158/13	श्री भगवती लाल प्रजापत	सिलिका सैण्ड, वॉल क्ले, चाइना क्ले एवं व्हाईट क्ले	25.03.13	12.12.14	05.01.15
78.	496	ML 292/13	श्रीमती सोनिया प्रजापत	सिलिका सैण्ड	30.05.13	12.12.14	05.01.15
79.	487	ML 447/13	श्रीमती अनुराधा व्यास	सिलिका सैण्ड	10.07.13	27.11.14	12.01.15
80.	495	ML 401/13	श्री राहुल प्रजापत	सिलिका सैण्ड	26.06.13	12.12.14	05.01.15
81.	502	ML 216/13	श्री आइरख सिंह	सिलिका सैण्ड	25.04.13	28.11.14	05.01.15

82.	504	ML 430/13	कुमारी सीमा प्रजापत	सिलिका सैण्ड	05.07.13	12.12.14	05.01.15
83.	505	ML 429/12	कुमारी सोनिया प्रजापत	सिलिका सैण्ड	29.10.12	12.12.14	05.01.15
84.	511	ML 425/12	श्री अप्पूराम	सिलिका सैण्ड	29.10.12	12.12.14	05.01.15
85.	512	ML 403/13	श्रीमती मंजु	सिलिका सैण्ड	26.06.13	12.12.14	05.01.15
86.	513	ML 290/13	श्रीमती जतन कंवर गहलोत	सिलिका सैण्ड	30.05.13	12.12.14	05.01.15
87.	519	ML 389/13	श्री घनश्याम	सिलिका सैण्ड	21.06.13	12.12.14	08.01.15
88.	342	ML 424/12	श्रीमती मुन्नी देवी	सिलिका सैण्ड	29.10.12	12.12.14	29.12.14
89.	319	PL 31/11	श्री प्रदीप पालीवाल	सिलिसियस अर्थ	12.08.11	18.09.14	15.12.14
90.	320	PL 24/12	श्री पूसाराम	चाइना क्ले	12.03.12	17.10.14	05.12.14
91.	422	ML 426/13	श्री गजेसिंह गौड़	सिलिका सैण्ड	05.07.14	28.11.14	01.12.14

92.	399	ML 450/12	श्रीमती सुनिता	सिलिका सैण्ड	09.11.12	12.12.14	09.01.15
93.	420	ML 424/13	श्रीमती दीपशिखा	सिलिका सैण्ड	05.07.13	28.11.14	01.12.14
94.	454	ML 439/12	श्री देवेन्द्र सिंह	चाइना क्ले, वॉल क्ले एवं व्हाइट क्ले	08.11.12	26.11.14	18.12.14
95.	574	PL 147/14	श्री उमाशंकर	जिप्सम	05.08.14	08.01.15	12.01.15
96.	573	ML 166/14	श्री औंकार सिंह	जिप्सम	14.08.14	18.12.14	12.01.15
97.	443	ML 153/14	श्री विष्णु प्रकाश पोद्दार	सिलिका सैण्ड	25.06.14	05.01.15	08.01.15
98.	592	ML 174/14	मैसर्स कीस्टोन माइन्स प्रा. लि.	सिलिसियस अर्थ	14.07.14	10.12.14	31.12.14
99.	593	ML 177/14	मैसर्स कीस्टोन माइन्स प्रा. लि.	सिलिसियस अर्थ	14.07.14	10.12.14	31.12.14

100.	591	ML 176/14	मैसर्स कीस्टोन माइन्स प्रा. लि.	सिलिसियस अर्थ	14.07.14	10.12.14	31.12.14
101.	590	ML 175/14	मैसर्स कीस्टोन माइन्स प्रा. लि.	सिलिसियस अर्थ	14.07.14	10.12.14	31.12.14
102.	557	ML 145/14	मैसर्स स्नेह माइन्स एण्ड मिनरल्स	सिलिसियस अर्थ	20.06.14	10.12.14	31.12.14
103.	560	ML 150/14	मैसर्स स्नेह मिनकेम	सिलिसियस अर्थ	20.06.14	10.12.14	31.12.14
104.	561	ML 151/14	मैसर्स स्नेह मिनकेम	सिलिसियस अर्थ	20.06.14	10.12.14	31.12.14
105.	562	ML 147/14	मैसर्स पार्श्व मिनरल्स	सिलिसियस अर्थ	20.06.14	10.12.14	31.12.14
106.	563	ML 149/14	मैसर्स प्रतीक इण्डस्ट्रीज	सिलिसियस अर्थ	20.06.14	10.12.14	31.12.14
107.	564	ML 146/14	मैसर्स स्नेह माइन्स एण्ड मिनरल्स	सिलिसियस अर्थ	20.06.14	10.12.14	31.12.14
108.	565	ML 148/14	मैसर्स प्रतीक इण्डस्ट्रीज	सिलिसियस अर्थ	20.06.14	10.12.14	31.12.14

109.	608	PL 105/14	मैसर्स स्नेह मिनकेम	जिप्सम	25.07.14	10.01.15	12.01.15
110.	324	PL 64/13	जयकरणी इन्फ्रा मिनरल्स प्रा. लि.	सिलिका सैण्ड	22.06.13	09.07.14	09.01.15

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री रतनलाल उदय, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर जोन, जोधपुर, श्री सोहनलाल रैगर, तत्कालीन खनि अभियन्ता, जैसलमेर एवं श्री रामरख मेघवाल, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जैसलमेर के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाये गये :

श्री रतनलाल उदय, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर जोन, जोधपुर

पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 31/11 की पत्रावली में आवेदक से एम.सी.आर. , 1960 के नियम 9(2)(जी) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र प्राप्त किये बिना ही पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र स्वीकृति आदेश जारी करके अनियमितता की गई।

<u>श्री रामरख मेघवाल, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, जैसलमेर.</u>

उपर्युक्त तालिका के क्रमांक 63 से 94 पर अंकित खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रों से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों के संलग्न जीटी शीट पर प्रस्तुत मानचित्रों एवं विवरण सूचियों में आवेदित क्षेत्रों के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.14(2)खान/ग्रुप-1/2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में आवेदन-पत्रों को नियमानुसार आक्षेप के साथ सम्बन्धित आवेदकों को लौटाने के बजाय स्वीकार करके अनियमितता की गई।

<u>श्री सोहनलाल रैगर, तत्कालीन खनि अभियन्ता, जैसलमेर.</u>

1. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक 1 से 62 पर अंकित खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्रों से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों के संलग्न जीटी शीट पर प्रस्तुत मानचित्रों एवं विवरण सूचियों में आवेदित क्षेत्रों के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 14(2)खान/ग्रुप-1/2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में आवेदन-पत्रों को नियमानुसार आक्षेप के साथ लौटाने के बजाय स्वीकार करके अनियमितता की गई।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 51/13, 53/13 एवं 55/13 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

3. खनन-पट्टा सँख्या 49/14, 47/14 एवं 136/14 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर निस्तारण करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

4. खनन-पट्टा सँख्या 177/14, 176/14, 175/14, 145/14, 150/14, 151/14, 147/14, 149/14, 146/14 एवं 148/14 की पत्रावलियों में आवेदकों को अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ही वन विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(20)वन/2003 दिनांक 20.08.2010 के उल्लंघन में स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

5. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 31/11 की पत्रावली में आवेदक से एम. सी.आर., 1960 के नियम 9(2)(जी) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर जोन, जोधपुर को एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 105/14 की पत्रावली में आवेदक से एम.सी.आर., 1960 के नियम 9(2)(जी) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

6. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 105/14 की पत्रावली में आवेदक से आवेदित क्षेत्र का सुपर इम्पोज मानचित्र एवं राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

7. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 105/14 की पत्रावली में आवेदक से हितबद्ध होने के कारण उसे अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से द्वितीय शनिवार के अवकाश दिनांक 10.01.15 को निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को स्वीकृति प्रस्ताव दस्ती प्रेषित करके अनियमितता की गई।

8. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 105/14 की पत्रावली में सर्वेयर द्वारा दिनांक 09.01.2015 को हल्का पटवारी की अनुपस्थिति में पूर्व संयुक्त सीमांकन किया गया परन्तु निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित किये गये स्वीकृति प्रस्ताव में उक्त सीमांकन हल्का पटवारी की उपस्थिति में किया जाना असत्य तौर पर अंकित करके अनियमितता की गई।

9. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 105/14 की पत्रावली में राजस्व रिकार्ड उपलब्ध नहीं होते हुए भी स्वीकृति प्रस्ताव के संलग्न चैक लिस्ट में यह असत्य उल्लेख करके कि आवेदित क्षेत्र में चारागाह भूमि नहीं है, अनियमितता की गई।

<u>अनुशंसा :</u>

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण श्री रतनलाल उदय, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर जोन, जोधपुर, श्री सोहनलाल रैगर, तत्कालीन खनि अभियन्ता एवं श्री रामरख मेघवाल, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जैसलमेर के सक्षम प्राधिकारी माननीय राज्य मंत्री, खान विभाग को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.25(321-593)LAS/2015/u/s12/34835 दिनांक 15.01.2018 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

इस सम्बन्ध में अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

1. एफ.25(290)लोआस/2015
2. एफ.25(288)लोआस/2015
3. एफ.25(286)लोआस/2015
4. एफ.25(296)लोआस/2015
5. एफ.25(291)लोआस/2015
6. एफ.25(295)लोआस/2015
7. एफ.25(297)लोआस/2015
8. एफ.25(305)लोआस/2015
9. एफ.25(304)लोआस/2015
10. एफ.25(299)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री देवीशंकर मारू, तत्कालीन निदेशक, श्री पंकज गहलोत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, श्री एन.एस. शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता-द्वितीय (मुख्यालय) निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री दीपक तंवर, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, उदयपुर जोन, उदयपुर, श्री प्रवीण कुमार खाटकी, श्री रामरख मेघवाल एवं श्री राजेश हाड़ा, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, निम्बाहेड़ा द्वारा खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र से सम्बन्धित निम्बाहेड़ा क्षेत्र के दस आवेदन-पत्रों में स्वीकृति प्रस्ताव भेजने एवं उनकी स्वीकृति के बारे में अनियमितता करने बाबत।

सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा से प्राप्त उपर्युक्त पत्रावलियों में आवेदित खनिज के खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच में

प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्री देवीशंकर मारू, तत्कालीन निदेशक, श्री पंकज गहलोत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, श्री एन.एस. शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता-द्वितीय (मुख्यालय) निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री दीपक तंवर, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, उदयपुर जोन, उदयपुर, श्री प्रवीण कुमार खाटकी, श्री रामरख मेघवाल एवं श्री राजेश हाड़ा, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, निम्बाहेड़ा द्वारा उक्त पत्रावलियों में खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने में एवं उन प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृति जारी करने में सुसंगत नियमों की अनदेखी करते हुए अनियमितता की गई, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषणाधीन उपर्युक्त पत्रावलियों से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य निम्नांकित तालिका के अनुसार हैं। इसके कॉलम सँख्या-1 में इस सचिवालय की पत्रावली सँख्या व खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र की पत्रावली सँख्या, कॉलम सँख्या-2 में आवेदक का नाम व आवेदित खनिज, कॉलम सँख्या-3 में आवेदन की दिनांक, कॉलम सँख्या-4 में स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक एवं कॉलम सँख्या-5 में आवंटन की दिनांक के विवरण दिये गये हैं :

क्र.स.	पत्रावली सँख्या व खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्रावली सँख्या	आवेदक का नाम एवं आवेदित खनिज	आवेदन दिनांक	स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक	आवंटन की दिनांक
	1	2	3	4	5

1	25(290)लोआस/2015 एम.एल. 23/09	मैसर्स नवनीत बिल्डकॉम प्रा. लि., रेड ऑकर एवं चाइना क्ले	09.07.09	31.01.12	24.12.14
2	25(296)लोआस/2015 पी.एल. 45/11	श्री हरीश सोनी, रेड ऑकर एवं चाइना क्ले	16.12.11	18.12.14	23.12.14
3	25(297)लोआस/2015 पी.एल. 48/11	श्रीमती कृष्णा सोनी, खनिज रेड ऑकर एवं चाइना क्ले	16.12.11	18.12.14	23.12.14
4	25(299)लोआस/2015 एम.एल. 39/12	मैसर्स जयश्री मिनरल्स, रेड ऑकर	22.06.12	21.12.12	07.01.15
5	25(288)लोआस/2015 एम.एल. 49/12	मैसर्स आर. के. मार्बल्स प्रा. लि., रेड ऑकर एवं चाइना क्ले	04.10.12	17.10.14	01.12.14
6	25(291)लोआस/2015 एम.एल. 62/12	मैसर्स श्री मिनरल्स, रेड ऑकर एवं येलो ऑकर	28.12.12	18.12.14	29.12.14
7	25(305)लोआस/2015 एम.एल. 01/13	श्रीमती हुसैना फातिमा, रेड ऑकर	01.01.13	08.01.15	12.01.15
8	25(286)लोआस/2015 एम.एल. 193/13	मैसर्स लेकसिटी मिनरल्स, रेड ऑकर	07.11.13	29.12.14	01.01.15
9	25(295)लोआस/2015 पी.एल. 01/14	मैसर्स बद्धा सैरेमिक्स, चाइना क्ले, क्वार्ट्जाइट एवं रेड ऑकर	09.01.14	29.12.14	07.01.15

10	25(304)लोआस/2015 एम.एल. 57/14	श्री देवेन्द्र कुमार, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट एवं चाइना क्ले	17.12.14	29.12.14	05.01.15

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री एन. एस. शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता-द्वितीय (मुख्यालय) निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री दीपक तंवर, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, उदयपुर जोन, उदयपुर, श्री प्रवीण कुमार खाटकी, श्री रामरख मेघवाल एवं श्री राजेश हाड़ा, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, निम्बाहेड़ा के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाये गये :

श्री प्रवीण कुमार खाटकी, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा.

1. खनन-पट्टा सँख्या 23/09, 39/12, 49/12, 62/12 एवं 1/13 की पत्रावलियों में आवेदन-पत्रों के संलग्न जी.टी. शीट पर मानचित्र एवं विवरण सूची व एम. एल. सँख्या 23/09 की पत्रावली में प्रस्तुत संशोधित मानचित्रों एवं विवरण सूचियों में आवेदित क्षेत्रों के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 14(2)खान/ग्रुप-1/2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में आवेदन-पत्रों को नियमानुसार आक्षेप के साथ लौटाने के बजाय स्वीकार करके अनियमितता की गई।

2. खनन-पट्टा पत्रावली सँख्या 23/09 में आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्वेच्छा से प्रस्तुत संशोधित मानचित्र को विभागीय परिपत्र क्रमांक निखाभू/प्रधान/नियम/प-28/97/1011 दिनांक 30.12.2011 के अनुसार आवेदक को नोटिस उपरान्त अमान्य करके सक्षम अधिकारी को अस्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने के बजाय मानचित्र को स्वीकार करके अनियमितता की गई।

3. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 45/11 एवं 48/11 की पत्रावलियों में आवेदन-पत्रों में पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु आवेदकों द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में अपेक्षित कमीपूर्ति नहीं करने के बावजूद लगभग करीब एक वर्ष 6 माह तक पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी प्रकार खनन-पट्टा पत्रावली सँख्या 39/12 के आवेदन-पत्र की कार्यवाही में दिनांक 02.01.2013 को निदेशालय से प्राप्त पत्र पर करीब 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिणामतः पत्रावलियों में उपर्युक्तानुसार अनावश्यक विलम्ब करके अनियमितता की गई।

4. खनन-पट्टा पत्रावली सँख्या 23/09 में निदेशालय को अपूर्ण स्वीकृति प्रस्ताव भेजा गया जिसके परिणामस्वरूप पत्रावली के निस्तारण में एक वर्ष का अनावश्यक विलम्ब हुआ और इस प्रकार कर्त्तव्य निर्वहन में अकर्मण्यता एवं लापरवाही की गई।

5. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 45/11 एवं 48/11 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

6. खनन-पट्टा सँख्या 39/12, 49/12 एवं 1/13 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

श्री रामरख मेघवाल, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा.

1. खनन-पट्टा पत्रावली सँख्या 193/13 एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र पत्रावली सँख्या 1/14 के आवेदन-पत्रों के संलग्न जी.टी. शीट पर प्रस्तुत मानचित्रों एवं विवरण सूचियों में तथा पी. एल. सँख्या 45/11 व 48/11 में प्रस्तुत संशोधित मानचित्रों एवं विवरण सूचियों में आवेदित क्षेत्रों के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.14(2)खान/ग्रुप-1/2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में आवेदन-पत्रों को नियमानुसार आक्षेप के साथ लौटाने के बजाय स्वीकार करके अनियमितता की गई।
2. खनन-पट्टा सँख्या 1/13 एवं 193/13 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर निस्तारण करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।
3. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 1/14 की पत्रावली में आवेदक द्वारा चेतना-पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरण का निदेशालय स्तर पर निस्तारण करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

4. खनन-पट्टा सँख्या 23/09 की पत्रावली में आवेदक से सीमांकन में आवश्यक सुधार एवं खसरा मैप पर आवेदित क्षेत्र को दर्शाते हुए संयुक्त सुपर इम्पोज मानचित्र प्रस्तुत किये जाने के अपने ही निर्देश की पालना नौ माह तक भी नहीं करवाकर प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करके कर्त्तव्य निर्वहन में अकर्मण्यता एवं लापरवाही की गई।
5. खनन-पट्टा सँख्या 39/12 की पत्रावली में सम्बन्धित लिपिक द्वारा निदेशालय के पत्र को करीब एक वर्ष सात माह से अधिक समय पश्चात प्रस्तुत किये जाने के बावजूद उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही नहीं करके एवं प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करके पर्यवेक्षणीय उदासीनता, कर्त्तव्य निर्वहन में अकर्मण्यता एवं लापरवाही की गई।
6. खनन-पट्टा सँख्या 49/12 के आवेदित क्षेत्र में तलाई की भूमि को शामिल करते हुए स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

श्री राजेश हाड़ा, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा.

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 45/11 एवं 48/11 के आवेदित क्षेत्रों में से चारागाह भूमि क्षेत्र को बिना हटाए स्वीकृति प्रस्ताव अतिरिक्त निदेशक, खान, उदयपुर जोन, उदयपुर को प्रेषित कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सँख्या 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 की अनुपालना नहीं करके कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही की गई।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 45/11 एवं 48/11 की पत्रावलियों में आवेदकों से एम.सी.आर., 1960 के नियम 9(2)(जी) के अनुसार

सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

3. खनन-पट्टा सख्ंया 49/12 की पत्रावली में प्रस्तुत संशोधित मानचित्रों एवं विवरण सूचियों में आवेदित क्षेत्रों के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.14(2)खान/ग्रुप-1/2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में आवेदन-पत्रों को नियमानुसार आक्षेप के साथ लौटाने के बजाय स्वीकार करके अनियमितता की गई।
4. खनन-पट्टा सँख्या 62/12 एवं 57/14 की पत्रावलियों में आवेदित क्षेत्रों में आवेदित खनिज की उपलब्धता प्रमाणित किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 5(2) का उल्लंघन करके अनियमितता की गई।

5. खनन-पट्टा पत्रावली सँख्या 1/13 की पत्रावली में आवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना ही वन विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(20)वन/2003 दिनांक 20.08.2010 के उल्लंघन में स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

6. खनन-पट्टा सँख्या 1/13 की पत्रावली में आवेदक से एम.सी.आर., 1960 के नियम 22(3)(जी) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

श्री एन. एस. शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता -द्वितीय, (मुख्यालय) निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर ने पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र 1/14 की पत्रावली में आवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाने की

नीयत से सम्बन्धित सहायक खनि अभियन्ता, श्री राजेश हाड़ा को दूरभाष पर निर्देश दिया कि वन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का इन्तजार न करके स्वीकृति प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित किया जावे और इस प्रकार बदनियतिपूर्वक अपूर्ण स्वीकृति प्रस्ताव को वन विभाग की अनापत्ति के बिना ही स्वीकृत करके दुराचरण एवं पद का दुरूपयोग किया।

श्री दीपक तंवर, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, उदयपुर जोन, उदयपुर.

1. पी. एल. सँख्या 45/11 एवं 48/11 की पत्रावलियों में आवेदकगण को अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से आवेदित क्षेत्रों में से चारागाह भूमि क्षेत्र को हटाते हुए शेष रिक्त क्षेत्र के लिए अपेक्षित संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किये बिना ही अनुज्ञा-पत्र इस शर्त के साथ जारी कर दिया कि संविदा निष्पादन के समय स्वीकृत क्षेत्र से चारागाह क्षेत्र हटवाकर संविदा निष्पादित कराई जायेगी और इस प्रकार अनियमित तौर पर पी. एल. आदेश जारी कर पद का दुरूपयोग किया।

2. पी. एल. सँख्या 45/11 एवं 48/11 की पत्रावलियों में आवेदकों से एम.सी.आर., 1960 के नियम 9(2)(जी) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव को स्वीकार करके व अनुज्ञा-पत्र जारी करके अनियमितता की गई।

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर लोकसेवक श्री डी. एस. मारू, तत्कालीन निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर एवं श्री पंकज गहलोत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये, इसलिए उन पर लगाये गये आरोपों से उन्मोचित कर उनके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही समाप्त की गई।

<u>अनुशंसा :</u>

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण श्री एन.एस. शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता–द्वितीय (मुख्यालय), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री दीपक तंवर, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, उदयपुर जोन, उदयपुर, श्री प्रवीण कुमार खाटकी, श्री रामरख मेघवाल, एवं श्री राजेश हाड़ा, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्तागण, निम्बाहेड़ा के सक्षम प्राधिकारी माननीय राज्य मंत्री, खान विभाग को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.25(286, 288, 290, 291, 295, 296, 297, 299, 304, 305) LAS/2015/u/s12/42694 दिनांक 08.02.2018 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

इस सम्बन्ध में अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

1. एफ.25(5)लोआस/2015
2. एफ.25(15)लोआस/2015
3. एफ.25(48)लोआस/2015
4. एफ.25(6)लोआस/2015
5. एफ.25(16)लोआस/2015
6. एफ.25(49)लोआस/2015
7. एफ.25(7)लोआस/2015
8. एफ.25(17)लोआस/2015
9. एफ.25(50)लोआस/2015

10.	एफ.25(8)लोआस/2015
11.	एफ.25(41)लोआस/2015
12.	एफ.25(51)लोआस/2015
13.	एफ.25(9)लोआस/2015
14.	एफ.25(42)लोआस/2015
15.	एफ.25(52)लोआस/2015
16.	एफ.25(11)लोआस/2015
17.	एफ.25(43)लोआस/2015
18.	एफ.25(53)लोआस/2015
19.	एफ.25(10)लोआस/2015
20.	एफ.25(44)लोआस/2015
21.	एफ.25(61)लोआस/2015
22.	एफ.25(12)लोआस/2015
23.	एफ.25(45)लोआस/2015
24.	एफ.25(62)लोआस/2015
25.	एफ.25(13)लोआस/2015
26.	एफ.25(46)लोआस/2015
27.	एफ.25(63)लोआस/2015
28.	एफ.25(14)लोआस/2015
29.	एफ.25(47)लोआस/2015
30.	एफ.25(64)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री दीपक तँवर, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता-द्वितीय, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री गोरधन राम, तत्कालीन खनि अभियन्ता, ब्यावर (अजमेर), श्री पूरणमल सिंगाड़िया,

तत्कालीन खनि अभियन्ता, ब्यावर एवं श्री विजयप्रकाश त्रिपाठी, तत्कालीन वरिष्ठ मानचित्रकार, खनि अभियन्ता कार्यालय, आमेट द्वारा खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र से सम्बन्धित ब्यावर क्षेत्र के तीस आवेदनों में स्वीकृति प्रस्ताव भेजने एवं उनकी स्वीकृति के बारे में अनियमितता करने बाबत।

खनि अभियन्ता, ब्यावर से प्राप्त उपर्युक्त पत्रावलियों में आवेदित खनिज के खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच में प्रथमदृष्ट्या यह पाया गया कि श्री दीपक तँवर, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता-द्वितीय, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री गोरधन राम, तत्कालीन खनि अभियन्ता, ब्यावर (अजमेर), श्री पूरणमल सिंगाड़िया, तत्कालीन खनि अभियन्ता, ब्यावर एवं श्री विजयप्रकाश त्रिपाठी, तत्कालीन वरिष्ठ मानचित्रकार, खनि अभियन्ता कार्यालय, आमेट द्वारा उक्त पत्रावलियों में खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने में एवं स्वीकृति जारी करने में सुसंगत नियमों की अनदेखी करते हुए अनियमितता की गई, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषणाधीन उपर्युक्त पत्रावलियों से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य निम्नांकित तालिका के अनुसार हैं। इसके कॉलम सँख्या-1 में इस सचिवालय की पत्रावली सँख्या व खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र की पत्रावली सँख्या, कॉलम सँख्या-2 में आवेदक का नाम व आवेदित खनिज, कॉलम सँख्या-3 में आवेदन की दिनांक, कॉलम सँख्या-4 में स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक एवं कॉलम सँख्या-5 में आवंटन की दिनांक के विवरण दिये गये हैं :

क्र. सं.	पत्रावली सँख्या व खनन–पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्रावली सँख्या	आवेदक का नाम एवं आवेदित खनिज	आवेदन दिनांक	स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने की दिनांक	आवंटन की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	25(5)लोआस/15 एम. एल. 240/13	श्री बृजेन्द्र सिंह, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	15.02.11	12.12.14	24.12.14
2.	25(6)लोआस/15 एम. एल. 561/13 (12/12)	श्रीमती मंजूदेवी, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	11.01.12	09.06.14	01.12.14
3.	25(7)लोआस/15 एम. एल. 170/12 (664/13)	श्री अखिल शर्मा, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	16.07.12	08.10.14	03.11.14
4.	25(8)लोआस/15 एम. एल. 684/13 (197/12)	श्री अक्षय साहनी, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	09.08.12	27.08.14	23.12.14
5.	25(9)लोआस/15 एम. एल. 210/14	मैसर्स चारभुजा मिनरल्स, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	11.07.14	30.10.14	01.12.14
6.	25(11)लोआस/15 एम. एल. 62/14	श्री रमेश जैन, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	14.03.14	28.11.14	31.12.14

7.	25(10)लोआस/15 एम. एल. 287/12 (757/13)	श्री भगवान सिंह चौहान, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	26.11.12	28.11.14	10.12.14
8.	25(12)लोआस/15 एम. एल. 86/13 (831/13)	श्री उम्मेद शर्मा, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	14.05.13	13.12.14	23.12.14
9.	25(13)लोआस/15 एम. एल. 87/13 (832/13)	श्री अखिल शर्मा, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	14.05.13	03.12.14	10.12.14
10.	25(14)लोआस/15 एम. एल. 88/13 (833/13)	श्री राहुल शर्मा, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	14.05.13	03.12.14	10.12.14
11.	25(15)लोआस/15 पी. एल. 13/13	मैसर्स जैनिल माइन्स एण्ड मिनकेम, लाइम स्टोन (सीमेन्ट ग्रेड)	07.07.13	08.01.15	09.01.15
12.	25(16)लोआस/15 पी. एल. 16/14	मैसर्स मैटालिक मैटाकास्ट प्रा. लि. लाइम स्टोन(सीमेन्ट ग्रेड)	25.08.14	09.01.15	12.01.15
13.	25(17)लोआस/15 पी. एल. 26/10	मैसर्स संतोष मिनरल्स केमिकल्स, सोप स्टोन, केल्साइट, फेल्सपार एवं क्वार्ट्ज	01.11.10	09.11.12	12.01.15
14.	25(41)लोआस/15 एम. एल. 112/11 (269/13)	श्री कालूसिंह, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	17.05.11	12.12.14	24.12.14

15.	25(42)लोआस/15 एम. एल. 124/12 (631/13)	श्रीमती मैना देवी, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	30.05.12	22.12.14	06.01.15
16.	25(43)लोआस/15 एम. एल. 87/13 (150/08)	मैसर्स रेखा माइन्स एण्ड मिनरल्स, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	03.06.08	12.12.12	31.12.14
17.	25(44)लोआस/15 एम. एल. 153/11 (290/13)	श्री कैलाश चन्द, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	25.07.11	28.11.14	23.12.14
18.	25(45)लोआस/15 एम. एल. 168/12 (663/13)	श्री भँवरलाल, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	16.07.12	08.10.14	03.11.14
19.	25(46)लोआस/15 एम. एल. 680/13 (189/12)	श्रीमती ऊषा साँखला, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	30.07.12	22.12.14	06.01.15
20.	25(47)लोआस/15 एम. एल. 197/14	मैसर्स धनराज मिनकेम, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	19.06.14	21.10.14	01.12.14
21.	25(48)लोआस/15 एम. एल. 198/14	मैसर्स धनराज मिनकेम, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	19.06.14	21.10.14	01.12.14
22.	25(49)लोआस/15 एम. एल. 204/14	मैसर्स पाषाण जयपुर, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	02.07.14	30.12.14	07.01.15

23.	25(50)लोआस/15 एम. एल. 209/14	श्री हिम्मत सिंह, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	11.07.14	17.12.14	29.12.14
24.	25(51)लोआस/15 एम. एल. 238/14	श्री सिकन्दर काठात, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	05.08.14	16.12.14	23.12.14
25.	25(52)लोआस/15 एम. एल. 262/09 (163/13)	मैसर्स विपिन चान्दना, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	11.12.09	02.12.14	17.12.14
26.	25(53)लोआस/15 एम. एल. 281/10 (226/13)	मैसर्स भव्या इन्डस्ट्रीज, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	23.12.10	15.07.13	17.12.14
27.	25(61)लोआस/15 एम. एल. 231/11 (325/13)	श्री राहुल शर्मा, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	16.09.11	12.01.15	12.01.15
28.	25(62)लोआस/15 एम. एल. 577/13 (44/12)	श्री पन्नालाल, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	09.02.12	28.11.14	12.01.15
29.	25(63)लोआस/15 एम. एल. 03/15	मैसर्स पारस मिनरल्स, एण्ड केमिकल्स क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	06.01.15	12.01.15	12.01.15
30.	25(64)लोआस/15 एम. एल. 88/10 (220/13)	श्री शिवराज, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार	15.11.10	28.11.14	12.01.15

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री गोरधन राम, तत्कालीन खनि अभियन्ता, ब्यावर/अजमेर, श्री पूरणमल सिंगाड़िया, तत्कालीन खनि अभियन्ता, ब्यावर एवं श्री विजयप्रकाश त्रिपाठी, तत्कालीन वरिष्ठ मानचित्रकार, खनि अभियन्ता कार्यालय, आमेट के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाये गये :

श्री गोरधन राम, तत्कालीन खनि अभियन्ता, ब्यावर/अजमेर.

1. खनन-पट्टा सँख्या 87/13 (837/13) में निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग से दिनांक 27.12.2013 को प्राप्त पत्र के क्रम में मानचित्रकार शाखा से पत्रावली मँगवाकर आगामी कार्यवाही नहीं करके पदीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही व अनियमितता की गई।
2. खनन-पट्टा सँख्या 88/13 की पत्रावली निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग से 17.01.2014 को प्राप्त पत्र के क्रम में मानचित्रकार शाखा से पत्रावली मँगवाकर आगामी कार्यवाही नहीं करके पदीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही व अनियमितता की गई।

श्री पूरणमल सिंगाड़िया, तत्कालीन खनि अभियन्ता, ब्यावर.

खनन-पट्टा सँख्या 16/14 की पत्रावली में आवेदक से हितबद्ध होने के कारण उसे अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दिनांक 09.01.2015 को सायं 7.30 बजे खनि अभियन्ता, आमेट को ईमेल से पत्र प्रेषित

किया व उसी दिन रात्रि 9.00 बजे ही व्हाट्स ऐप पर सूचना मँगवाकर उसी रात्रि में स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अवांछनीय तत्परता करके अनियमितता की गई।

श्री विजयप्रकाश त्रिपाठी, तत्कालीन वरिष्ठ मानचित्रकार, खनि अभियन्ता कार्यालय, आमेट.

खनन-पट्टा सँख्या 16/14 की पत्रावली में खनि अभियन्ता, ब्यावर से दिनांक 09.01.2015 को सायं 7.30 बजे को ईमेल से पत्र का उत्तर उसी दिवस रात्रि 9.00 बजे ही अनाधिकृत तौर पर अपने हस्ताक्षर से व्हाट्स एप पर प्रेषित कर अनियमितता की गई।

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर लोकसेवक श्री दीपक तँवर, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता-द्वितीय, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये, इसलिए उन पर लगाये गये आरोपों से उन्मोचित कर उसके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही समाप्त की गई।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण श्री गोरधन राम, तत्कालीन खनि अभियन्ता, ब्यावर/अजमेर एवं श्री पूरणमल सिंगाड़िया, तत्कालीन खनि अभियन्ता, ब्यावर के सक्षम प्राधिकारी माननीय राज्य मंत्री, खान विभाग को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.25(5-17,41-53 & 61-64) LAS/2015/u/s12/43317 दिनांक 14.02.2018 से भेजकर एवं श्री विजयप्रकाश त्रिपाठी, तत्कालीन वरिष्ठ मानचित्रकार, खनि अभियन्ता कार्यालय, आमेट के सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.25(5-17,41-53 & 61-64) LAS/2015/u/s12/43321

दिनांक 14.02.2018 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

इस सम्बन्ध में अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

II. अन्य प्रारम्भिक जाँच

दिनांक 01 अप्रेल, 2017 से 28 फरवरी, 2018 तक जिला सिरोही, बीकानेर, करौली, चित्तौड़गढ एवं अजमेर के खनि अभियन्ता कार्यालय से प्राप्त पत्रावलियों में खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने में की गई अनियमितता के बाबत प्रारम्भिक जांच के उपरान्त लोकसेवकगण द्वारा प्रथमदृष्टया अनियमितता किया जाना पाये जाने पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10(1) के अन्तर्गत अन्वेषण प्रारम्भ किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :

एफ.25(780)लोआस/2015

एफ.25(781)लोआस/2015

एफ.25(782)लोआस/2015

एफ.25(783)लोआस/2015

एफ.25(784)लोआस/2015

एफ.25(789)लोआस/2015

एफ.25(790)लोआस/2015

एफ.25(791)लोआस/2015

एफ.25(792)लोआस/2015

एफ.25(793)लोआस/2015

एफ.25(794)लोआस/2015

एफ.25(797)लोआस/2015

कार्यालय खनि अभियन्ता, सिरोही से प्राप्त उपर्युक्त बारह पत्रावलियों में खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच के दौरान पत्रावलियों का परीक्षण व परिशीलन किया गया। सुसंगत साक्षियों के शपथ पर मौखिक कथन लिए गए तथा अन्य आवश्यक एवं सुसंगत प्रलेखीय साक्ष्य भी अभिलेख पर लिए गए। प्रारम्भिक जाँच में निम्नानुसार लोकसेवकगण के द्वारा प्रथमदृष्ट्या अनियमितता किया जाना पाया गया :

श्री मोहम्मद शरीफ, वरिष्ठ मानचित्रकार, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।

1. खनन-पट्टा संख्या 44/14, 45/14 व 46/14 के आवेदित क्षेत्रों के अरावली रेंज में आने के संबंध में न्यूनतम एवं उच्चतम कन्टूर में 100 मीटर (एमएसएल) से अधिक ऊँचाई होने के उपरान्त भी अरावली रेंज में नहीं आने की रिपोर्ट निदेशालय के पत्र दिनांक 09.01.2006 के उल्लंघन में प्रस्तुत कर अनियमितता की गई।

श्री जयन्त कुमार शर्मा, वरिष्ठ मानचित्रकार, कार्यालय खनि अभियन्ता, सिरोही।

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र 26/14 के आवेदित क्षेत्र के अरावली रेंज में आने के सम्बन्ध में न्यूनतम एवं उच्चतम कन्टूर में 100 मीटर (एमएसएल) से अधिक ऊँचाई होने के उपरान्त भी अरावली रेंज में नहीं आने की रिपोर्ट निदेशालय के पत्र दिनांक 09.01.2006 के उल्लंघन में प्रस्तुत कर अनियमितता की गई।

श्री मूलसिंह देवड़ा तत्कालीन खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिरोही:

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र संख्या 7/11, 26/14, 30/14, 31/14 व 35/14 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

2. खनन पट्टा संख्या 17/12, 18/12, 30/12, 35/12, 22/14 व 23/14 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

3. पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र संख्या 26/14 की पत्रावली में आवेदन पत्र के संलग्न जीटीशीट पर मानचित्र एवं विवरण सूची में आवेदित क्षेत्र के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 14(2)खान/ग्रुप-1/2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में आवेदन पत्र को नियमानुसार आक्षेप के साथ आवेदक को लौटाने के बजाय स्वीकार करके अनियमितता की गई।

4. पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र संख्या 26/14 की पत्रावली में आवेदक से एम. सी.आर., 1960 के नियम 9(2)(जी) के अनुसार सरफेस अधिकार के संबंध में अपेक्षित शपथ पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

5. पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र संख्या 25/14 एवं 7/11 में आवेदकों द्वारा आवेदित क्षेत्रों में स्वेच्छा से प्रस्तुत संशोधित मानचित्रों को विभागीय परिपत्र क्रमांक निखाभू/प्रधान/नियम/प-28/97/1011 दिनांक 30.12.11 के अनुसार आवेदकों को नोटिस उपरान्त अमान्य करके सक्षम अधिकारी को अस्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने के बजाय उन्हें स्वीकार करके अनियमितता की गई।

श्री कमलेश्वर बारेगामा, तत्कालीन खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सिटी:

1. खनन पट्टा संख्या 22/14 व 23/14 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रकरण का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

2. खनन पट्टा संख्या 44/14 का आवेदन पत्र दिनांक 09.06.2014 को तथा खनन पट्टा संख्या 23/14 व 22/14 के आवेदन पत्र कार्यालय खनि अभियन्ता, सोजतसिटी में दिनांक 25.06.2014 को पेश हुए। इन पत्रावलियों में आवेदित क्षेत्र सिरोही खनि अभियन्ता के क्षेत्राधिकार में था। क्षेत्राधिकार का अभाव होते हुए भी इन आवेदन पत्रों को 6 माह तक अकारण लम्बित रखते हुए अनावश्यक विलम्ब करके अनियमितता की गई।

श्री भीमसिंह राठौड़, तत्कालीन खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सोजत सिटी:

1. खनन पट्टा संख्या 44/14, 23/14 व 22/14 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

2. खनन पट्टा संख्या 44/14 का आवेदन पत्र दिनांक 09.06.2014 को तथा खनन पट्टा संख्या 23/14 व 22/14 के आवेदन पत्र कार्यालय खनि अभियन्ता, सोजतसिटी में दिनांक 25.06.2014 को पेश हुए। इन पत्रावलियों में आवेदित क्षेत्र सिरोही खनि अभियन्ता के क्षेत्राधिकार में था। क्षेत्राधिकार का अभाव होते हुए भी इन आवेदन पत्रों को 6 माह तक अकारण लम्बित रखते हुये अनावश्यक विलम्ब करके अनियमितता की गई।

3. खनन पट्टा पत्रावली संख्या 44/14, 23/14 व 22/14 की पत्रावलियों में आवेदन पत्रों के संलग्न जीटीशीट पर मानचित्र एवं विवरण सूची में आवेदित क्षेत्र के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.14(2)खान/ग्रुप-1/2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.10 के उल्लंघन में आवेदन पत्रों को नियमानुसार आक्षेप के साथ आवेदकों को लौटाने के बजाय स्वीकार करके अनियमितता की गई।

श्री दीवान सिंह देवड़ा, तत्कालीन खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सिरोही।

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र पत्रावली संख्या 17/11 एवं खनन पट्टा संख्या 17/12, 18/12, 30/12 व 35/12 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जीटी शीट पर मानचित्रों एवं विवरण सूचियों में आवेदित क्षेत्र के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते

हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.14(2)खान/ग्रुप-1/2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में आवेदन पत्रों को नियमानुसार आक्षेप के साथ आवेदकों को लौटाने के बजाय स्वीकार करके अनियमितता की गई।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र संख्या 17/11 की पत्रावली में आवेदक द्वारा चेतना पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरण का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

3. खनन पट्टा संख्या 17/12, 18/12, 30/12 व 35/12 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

4. पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र संख्या 7/11 की पत्रावली में आवेदक से एम. सी.आर., 1960 के नियम 9(2)(जी) के अनुसार सरफेस अधिकार के संबंध में अपेक्षित शपथ पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

अतः उक्त लोकसेवकों के विरूद्ध पाई गई उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10(1) के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया तथा अन्वेषण के क्रम में उक्त लोकसेवकों को अन्वेषण के आधारों सहित नोटिस जारी किये गये हैं जिसकी सूचना उनके सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है। अन्वेषण के क्रम में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है।

एफ.25(239)लोआस/2015
एफ.25(242)लोआस/2015
एफ.25(243)लोआस/2015
एफ.25(244)लोआस/2015
एफ.25(253)लोआस/2015
एफ.25(254)लोआस/2015
एफ.25(255)लोआस/2015
एफ.25(256)लोआस/2015
एफ.25(257)लोआस/2015
एफ.25(258)लोआस/2015
एफ.25(259)लोआस/2015
एफ.25(267)लोआस/2015
एफ.25(268)लोआस/2015
एफ.25(269)लोआस/2015
एफ.25(270)लोआस/2015
एफ.25(271)लोआस/2015
एफ.25(272)लोआस/2015
एफ.25(273)लोआस/2015

कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर से प्राप्त उपर्युक्त अठारह पत्रावलियों में खनन–पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच के दौरान पत्रावलियों का परीक्षण व परिशीलन किया गया। सुसंगत साक्षियों के शपथ पर मौखिक कथन लिए गए तथा अन्य आवश्यक एवं सुसंगत प्रलेखीय साक्ष्य भी अभिलेख

पर लिए गए। प्रारम्भिक जाँच में निम्नानुसार लोकसेवकगण के द्वारा प्रथमदृष्टया अनियमितता किया जाना पाया गया :

श्री गायड़ सिंह इन्दा, तत्कालीन खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर।

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र संख्या 35/14 व 38/14 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

2. खनन पट्टा संख्या 6/14, 59/14, 65/14, 15/14, 41/12, 35/08, 30/08, 25/08, 104/14, 48/14, 44/14, 40/14 एवं 14/14 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

3. खनन पट्टा संख्या 41/12, 25/08, 30/08 एवं 35/08 के आवेदन पत्रों पर चेतना पत्र जारी करने के पश्चात एम.सी.आर., 1960 के नियम 63(1) के उल्लंघन में 12 माह से अधिक अवधि तक लम्बित रख करके अनियमितता की गई।

4. पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र पत्रावली संख्या 35/14 व 38/14 एवं खनन पट्टा संख्या 06/14, 59/14, 60/14, 65/14, 15/14, 41/12, 104/14, 61/14, 50/14, 48/14, 44/14, 40/14 व 14/14 की पत्रावलियों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत जीटी शीट पर मानचित्रों एवं

विवरण सूचियों में आवेदित क्षेत्र के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.14(2)खान/ग्रुप-1/2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में आवेदन पत्रों को नियमानुसार आक्षेप के साथ आवेदकों को लौटाने के बजाय स्वीकार करके अनियमितता की गई।

5. खनन पट्टा संख्या 35/08, 25/08, 30/08 के आवेदन पत्र खनिज जिप्सम हेतु दिनांक 23.08.2008 को खनि अभियन्ता कार्यालय, बीकानेर में राजस्थान सरकार, खान (ग्रुप-1) विभाग के परिपत्र प. 15(10)/खान/(ग्रुप-1)/93 दिनांक 21.07.2007 के उल्लंघन में प्रस्तुत किये गये थे इन आवेदन पत्रों के आवेदित क्षेत्र आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा पूर्व आवेदित क्षेत्रों से विरोधित होने के बावजूद भी इन्हें दिनांक 12.06.2014 तक अनावश्यक रूप से लम्बित रखकर अनियमितता की गई।

श्री मनीष वर्मा, तत्कालीन खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर।

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र संख्या 38/14 एवं 35/14 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 12(1) के अन्तर्गत प्रकरणों के निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

2. खनन पट्टा संख्या 06/14, 60/14, 59/14, 65/14, 15/14, 104/14, 61/14 एवं 50/14 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के

नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रकरणों के निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

अतः उक्त लोकसेवकों के विरूद्ध पाई गई उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10(1) के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया तथा अन्वेषण के क्रम में उक्त लोकसेवकों को अन्वेषण के आधारों सहित नोटिस जारी किये गये हैं जिसकी सूचना उनके सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है। अन्वेषण के क्रम में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है।

एफ.25(2)लोआस/2015

एफ.25(627)लोआस/2015

एफ.25(628)लोआस/2015

एफ.25(629)लोआस/2015

एफ.25(630)लोआस/2015

एफ.25(631)लोआस/2015

एफ.25(632)लोआस/2015

एफ.25(634)लोआस/2015

एफ.25(635)लोआस/2015

एफ.25(636)लोआस/2015

एफ.25(637)लोआस/2015

एफ.25(638)लोआस/2015

एफ.25(639)लोआस/2015

एफ.25(640)लोआस/2015

एफ.25(641)लोआस/2015
एफ.25(642)लोआस/2015
एफ.25(643)लोआस/2015
एफ.25(644)लोआस/2015
एफ.25(645)लोआस/2015
एफ.25(646)लोआस/2015
एफ.25(647)लोआस/2015

कार्यालय खनि अभियन्ता, करौली से प्राप्त उपर्युक्त इक्कीस पत्रावलियों में खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच के दौरान पत्रावलियों का परीक्षण व परिशीलन किया गया। सुसंगत साक्षियों के शपथ पर मौखिक कथन लिए गए तथा अन्य आवश्यक एवं सुसंगत प्रलेखीय साक्ष्य भी अभिलेख पर लिए गए। प्रारम्भिक जाँच में निम्नानुसार लोकसेवकगण के द्वारा प्रथमदृष्टया अनियमितता किया जाना पाया गया :

श्री तेजपाल गुप्ता, तत्कालीन सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, करौली।

1. खनन पट्टा संख्या 19/14, 18/14, 29/13, 42/10 एवं 3/14 की पत्रावलियों में आवेदक द्वारा चेतना पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर., 1960 के नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रकरणों के निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

श्री अरविन्द कुमार नन्दवाना, तत्कालीन खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, करौली।

1. खनन पट्टा संख्या 65/10, 36/09, 04/13, 52/12, 82/11, 56/12, 62/12, 38/12, 42/10, 49/08 एवं 51/11 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम. सी.आर., 1960 के नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रकरणों के निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं करके अनियमितता की गई।

2. खनन पट्टा संख्या 65/10, 36/09, 04/13, 52/12, 82/11, 56/12, 62/12, 38/12, 42/10, 49/08 एवं 51/11 के आवेदन पत्रों को चेतना पत्र जारी करने के पश्चात एम.सी.आर., 1960 के नियम 63(1) के उल्लंघन में 12 माह से अधिक अवधि तक लम्बित रख करके अनियमितता की गई।

श्री नाथूलाल मेघवाल, तत्कालीन खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, करौली।

1. खनन पट्टा संख्या 1/15, 2/15, 3/15, 4/15 व 5/15 के आवेदन पत्रों में पाई गई कमियों की पूर्ति हेतु आवेदकों को एम.सी.आर., 1960 के नियम 26(3) के अन्तर्गत चेतना पत्र जारी कर कमीपूर्ति कराये बिना ही आवेदकों को अनुचित लाभ पहुँचाने के आशय से स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करके अनियमितता की गई।

2. खनन पट्टा पत्रावली संख्या 2/15 में आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्वेच्छा से प्रस्तुत संशोधित मानचित्र को विभागीय परिपत्र क्रमांक निखाभू/प्रधान/नियम/प-28/97/1011 दिनांक 30.12.2011 के अनुसार

आवेदक को नोटिस उपरान्त अमान्य करके सक्षम अधिकारी को अस्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने के बजाय उसे स्वीकार करके अनियमितता की गई।

अत: उक्त लोकसेवकों के विरूद्ध पाई गई उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10(1) के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया तथा अन्वेषण के क्रम में उक्त लोकसेवकों को अन्वेषण के आधारों सहित नोटिस जारी किये गये हैं जिसकी सूचना उनके सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है। अन्वेषण के क्रम में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है।

एफ.25(289)लोआस/2015

एफ.25(292)लोआस/2015

एफ.25(293)लोआस/2015

एफ.25(294)लोआस/2015

एफ.25(298)लोआस/2015

एफ.25(300)लोआस/2015

एफ.25(301)लोआस/2015

एफ.25(302)लोआस/2015

एफ.25(303)लोआस/2015

कार्यालय खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त उपर्युक्त नौ पत्रावलियों में खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच के दौरान पत्रावलियों का परीक्षण व परिशीलन किया गया। सुसंगत साक्षियों के शपथ पर मौखिक कथन

लिए गए तथा अन्य आवश्यक एवं सुसंगत प्रलेखीय साक्ष्य भी अभिलेख पर लिए गए। प्रारम्भिक जाँच में निम्नानुसार लोकसेवकगण के द्वारा प्रथमदृष्टया अनियमितता किया जाना पाया गया :

श्री आसिफ अंसारी, तत्कालीन खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़।

1. खनन पट्टा संख्या 67/10, 77/12, 33/13, 35/14 एवं 50/14 के आवेदन पत्रों में कमियाँ होते हुए भी लम्बित रखकर एवं नई खनन नीति आने के पश्चात तत्परता से स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर अनियमितता की गई।

2. खनन पट्टा संख्या 67/10 के प्रकरण में वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, उदयपुर जोन, उदयपुर की दिनांक 23.07.2014 की रिपोर्ट को नहीं मानने का कोई कारण अंकित किये बिना आवेदक के आवेदन पर वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, चित्तौड़गढ़ से अनावश्यक रूप से रिपोर्ट मंगवाकर अनियमितता की गई।

श्री रमेश कुमार नलवाया, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।

1. खनन पट्टा संख्या 46/11, 83/11 एवं 84/11 के स्वीकृति प्रस्तावों पर दिनांक 31.07.2012 को यह आदेश दिया गया कि आवेदकों से यह पूछा जाये कि क्या वे खनिज क्वार्टजाइट का पट्टा लेने के इच्छुक हैं एवं इसका उपयोग किस उद्योग में किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदकों ने दिनांक 29.08.2012 को प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर यह बताया कि वे खनिज क्वार्टजाइट का प्रयोग क्वार्टज के रूप में करेंगे। तत्पश्चात यह नया एतराज दिनांक 21.09.2012 को लिया गया कि वरिष्ठ भूवैज्ञानिक से खनिज उपलब्धता की रिपोर्ट

मंगवाई जाये। जब दिनांक 21.09.2012 को वरिष्ठ भूवैज्ञानिक से खनिज उपलब्धता की रिपोर्ट मंगवानी थी, तब आवेदक से दिनांक 31.07.2012 को यह पूछकर कि खनिज क्वार्टजाइट का उपयोग किस उद्योग में किया जायेगा, अनियमितता की गई।

2. खनन पट्टा संख्या 46/11, 83/11 एवं 84/11 के स्वीकृति प्रस्तावों के साथ श्री ओ. पी. यादव, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक एवं श्री नितिन चौधरी, भूवैज्ञानिक के खनिज उपलब्धता के प्रतिवेदन संलग्न थे, तो दिनांक 21.09.2012 को अधीक्षण भूवैज्ञानिक, उदयपुर क्षेत्र, उदयपुर से खनिज उपलब्धता की रिपोर्ट मंगवाये जाने की आवश्यकता नहीं थी परन्तु जानबूझकर स्वीकृति प्रस्तावों के साथ खनिज उपलब्धता के प्रतिवेदनों को अनदेखा कर दिनांक 24.07.2012 से 02.08.2013 तक स्वीकृति प्रस्तावों को अनावश्यक रूप से लम्बित रखकर अनियमितता की गई।

श्री दीपक तंवर, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर जोन, उदयपुर।

1. पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र संख्या 35/14 के स्वीकृति प्रस्ताव के साथ आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की उपलब्धता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। खनिज उपलब्धता की रिपोर्ट के बिना ही पूर्वेक्षण अनुज्ञा स्वीकृति आदेश जारी कर एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 5(2) का उल्लंघन करके अनियमितता की गई।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र संख्या 35/14 के स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करने में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये नये

दिशा-निर्देश दिनांक 30.10.2014 की पालना नहीं हुई थी। उसके बावजूद भी स्वीकृति आदेश जारी करके अनियमितता की गई।

श्री देवी शंकर मारू, तत्कालीन निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर, श्री पंकज गहलोत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर एवं श्री नरेन्द्र सिंह शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता मु-द्वितीय, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।

1. खनन पट्टा संख्या 48/11, 83/11 एवं 46/11 के स्वीकृति प्रस्तावों पर शासन सचिवालय, खान विभाग, राजस्थान, जयपुर ने केन्द्र सरकार के नये दिशा-निर्देश दिनांक 30.10.2014 के अनुरूप खनि अभियन्ता से पत्र दिनांक 11.11.2014 से चैक लिस्ट मंगवाई परन्तु निदेशालय द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप चैक-लिस्ट भिजवाने की बजाय यह जवाब प्रेषित किया गया कि उक्त दिशा-निर्देश प्रधान खनिजों पर लागू नहीं हैं जबकि उक्त दिशा-निर्देशों के प्रधान खनिजों पर लागू होने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर निदेशालय को अवगत नहीं कराया गया था। इस प्रकार अनियमित कार्यवाही की गई।

2. खनन पट्टा संख्या 67/10 की पत्रावली में खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित स्वीकृति प्रस्ताव के संलग्न वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, उदयपुर जोन, उदयपुर की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, चित्तौड़गढ़ की सतही रिपोर्ट को बिना किसी औचित्य के स्वीकार कर अनियमितता की गई।

3. खनन पट्टा संख्या 67/10 की पत्रावली में समस्त आक्षेपों की पूर्ति दिनांक 26.08.2014 को पूर्ण होने के बावजूद केन्द्र सरकार के नये

दिशा–निर्देश दिनांक 30.10.2014 के जारी होने के उपरान्त दिनांक 05.12.2014 को मंशा पत्र जारी कर अनियमितता की गई।

4. खनन पट्टा संख्या 50/14 की पत्रावलियों में खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय में दिनांक 15.12.2014 को प्राप्त हुआ। नई खनन नीति आने की आशंका में अति जल्दबाजी में दिनांक 19.12.2014 को मंशा पत्र जारी कर अनियमितता की गई।

5. खनन पट्टा संख्या 77/12 की पत्रावलियों में खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय में दिनांक 20.12.2014 को प्राप्त हुआ। नई खनन नीति आने की आशंका में अति जल्दबाजी में दिनांक 26.12.2014 को मंशा पत्र जारी कर अनियमितता की गई।

डॉ अशोक सिंघवी, तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव (खान), श्री विजयपाल सिंह, तत्कालीन शासन सचिव (खान) एवं श्री भगवान सिंह सोढा, तत्कालीन विशेषाधिकारी (खान), राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

1. खनन पट्टा संख्या 46/11, 83/11 एवं 84/11 में निदेशालय, खान विभाग से प्राप्त स्वीकृति प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार के नये दिशा–निर्देश दिनांक 30.10.2014 के अनुरूप निदेशालय से पत्र दिनांक 11.11.2014 से चैक लिस्ट मंगवाई। इस दिनांक तक निदेशालय, खान विभाग के पत्र दिनांक 05.11.2014 पर कोई अधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया था। निदेशालय ने दिनांक 03.12.2014 को यह प्रतिउत्तर प्रेषित किया कि उक्त दिशा–निर्देश प्रमुख खनिजों पर लागू नहीं हैं जबकि केन्द्र सरकार के उक्त दिशा–निर्देशों को लागू करने के संबंध में काई निर्णय नहीं लिया

गया था, उसके बावजूद निदेशालय के उक्त जवाब को तत्परता से स्वीकार कर मंशा पत्र जारी करके अनियमिता की गई।

2. खनन पट्टा संख्या 46/11, 83/11 एवं 84/11 की पत्रावलियों में निदेशालय द्वारा प्रेषित स्वीकृति प्रस्तावों के संलग्न आवेदित क्षेत्रों की राजकीय भूमि जमाबंदी में चराई उपयुक्त भूमि अंकित थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(28) के अनुसार चराई योग्य भूमि चारागाह मानी जाती है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि राजस्व विभाग से चारागाह के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये। इस संबंध में जिला कलेक्टर का यह प्रमाण पत्र भी स्वीकृति प्रस्ताव के साथ प्रेषित किया गया था कि आवेदित क्षेत्रों की राजकीय भूमि चराई योग्य है। यह प्रमाण पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं था। जिला कलेक्टर द्वारा जारी उक्त अपूर्ण प्रमाण पत्र को स्वीकार कर मंशापत्र जारी करके अनियमिता की गई।

अत: उक्त लोकसेवकों के विरूद्ध पाई गई उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10(1) के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया तथा अन्वेषण के क्रम में उक्त लोकसेवकों को अन्वेषण के आधारों सहित नोटिस जारी किये गये हैं जिसकी सूचना उनके सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है। अन्वेषण के क्रम में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है।

एफ.25(18)लोआस/2015

एफ.25(22)लोआस/2015

एफ.25(23)लोआस/2015

एफ.25(27)लोआस/2015

एफ.25(28)लोआस/2015

एफ.25(29)लोआस/2015

एफ.25(30)लोआस/2015

एफ.25(31)लोआस/2015

एफ.25(32)लोआस/2015

एफ.25(33)लोआस/2015

एफ.25(34)लोआस/2015

एफ.25(35)लोआस/2015

एफ.25(36)लोआस/2015

एफ.25(37)लोआस/2015

एफ.25(38)लोआस/2015

एफ.25(39)लोआस/2015

एफ.25(40)लोआस/2015

एफ.25(54)लोआस/2015

एफ.25(59)लोआस/2015

एफ.25(60)लोआस/2015

कार्यालय खनि अभियन्ता, अजमेर से प्राप्त उपर्युक्त बीस पत्रावलियों में खनन-पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने के संबंध में इस सचिवालय द्वारा की गई प्रारम्भिक जाँच के दौरान पत्रावलियों का परीक्षण व परिशीलन किया गया। सुसंगत साक्षियों के शपथ पर मौखिक कथन लिए गए तथा अन्य आवश्यक एवं सुसंगत प्रलेखीय साक्ष्य भी अभिलेख पर लिए गए। प्रारम्भिक जाँच में निम्नानुसार लोकसेवकगण के द्वारा प्रथमदृष्ट्या अनियमितता किया जाना पाया गया :

श्री राजकुमार, तत्कालीन लिपिक, खनि अभियन्ता कार्यालय, अजमेर:

1. खनन-पट्टा सँख्या 82/12 की पत्रावली में आवेदक द्वारा चेतना-पत्र की पालना निर्धारित 30 दिवस की अवधि में नहीं करने पर, इस तथ्य की टिप्पणी खनि अभियन्ता के समक्ष करीब छः माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई।

2. खनन-पट्टा सँख्या 130/09 की पत्रावली में खनि अभियन्ता द्वारा आवेदक से विवरण सूची में सुधार करवाने हेतु जारी किये गये निर्देश दिनांक 28.05.2010 की पालना करीब दो वर्ष तीन माह तक नहीं की गई।

3. खनन-पट्टा सँख्या 55/11 की पत्रावली में चेतना-पत्र की पालना करने हेतु आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.07.2011 को कार्यालय टिप्पणी पर कभी भी प्रस्तुत नहीं किया बल्कि दिनांक 21.12.2012 को अस्वीकृति प्रस्ताव का पत्र हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत कर दिया गया।

4. खनन-पट्टा सँख्या 321/12 की पत्रावली में चेतना-पत्र की पालना करने हेतु आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 21.02.2013 को कार्यालय टिप्पणी पर कभी भी प्रस्तुत नहीं करके प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब कारित कर दिया।

श्री बंशीलाल कुमावत, तत्कालीन मानचित्रकार, खनि अभियन्ता कार्यालय, अजमेर:

1. खनन-पट्टा सँख्या 130/09 के आवेदित क्षेत्र के संशोधित मानचित्र की जाँच करके टिप्पणी प्रस्तुत करने में अनावश्यक रूप से एक

वर्ष का विलम्ब करके प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब कारित किया।

श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन वरिष्ठ मानचित्रकार, खनि अभियन्ता कार्यालय, अजमेर:

1. खनन-पट्टा सँख्या 15/14 के आवेदित क्षेत्र में निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग के परिपत्र दिनांक 09.01.2006 के अनुसार अरावली हिल्स में होने के बावजूद भी आवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से आवेदित क्षेत्र के अरावली हिल्स में नहीं होने की असत्य टिप्पणी की गई।

2. खनन-पट्टा सँख्या 82/12 के आवेदित क्षेत्र की जाँच करने में अनावश्यक रूप से एक वर्ष का विलम्ब कारित किया।

3. खनन-पट्टा सँख्या 82/12 के आवेदित क्षेत्र को मास्टर मैप पर मैन्युअली प्लाट नहीं किया गया, इस कारण खनन-पट्टा सँख्या 82/12 के आवेदित क्षेत्र में बाद में वर्ष 2014 में आवेदित आठ खनन-पट्टों के आवेदित क्षेत्र विरोधित नहीं पाये जाने के कारण उन पर मंशापत्र जारी होने के कारण तत्समय प्रचलित नीति ''पहले आओ, पहले पाओ'' का उल्लंघन करवाया।

श्री बी. एस. सोढा, तत्कालीन खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, अजमेर:

1. खनन-पट्टा पत्रावली सँख्या 54/11, 55/11, 316/12, 321/12, 99/12 एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र पत्रावली सँख्या 41/11 के आवेदन पत्रों के संलग्न जीटी शीट पर प्रस्तुत मानचित्रों एवं विवरण सूचियों में आवेदित क्षेत्रों के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.14(2)खान/ग्रुप-1/2000/पार्ट-1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में

आवेदन–पत्रों को नियमानुसार आक्षेप के साथ लौटाने के बजाय स्वीकार किया गया।

2. खनन–पट्टा सँख्या 18/09 एवं 54/11 की पत्रावलियों में आवेदकों द्वारा चेतना–पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने के बावजूद एम.सी.आर.,1960 के नियम 26(1) के अन्तर्गत प्रकरणों का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3. खनन–पट्टा सँख्या 71/07 की पत्रावली में आवेदक से एम.सी.आर., 1960 के नियम 22(3)(एच) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ–पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर दिया गया।

4. खनन–पट्टा सँख्या 71/07 की पत्रावली में आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की उपलब्धता प्रमाणित किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 5(2) का उल्लंघन किया गया।

5. खनन–पट्टा सँख्या 55/11 की पत्रावली में आवेदक द्वारा चेतना–पत्र प्राप्ति की दिनांक से निर्धारित 30 दिवस की अवधि में कमियों की पूर्ति नहीं करने पर करीब एक वर्ष छः माह विलम्ब से प्रकरण का निदेशालय स्तर पर निस्तारण कराने की कार्यवाही की गई।

6. खनन–पट्टा सँख्या 82/12 की पत्रावली में आवेदक द्वारा चेतना–पत्र की पालना निर्धारित 30 दिवस की अवधि में नहीं करने पर, इस तथ्य की टिप्पणी संबंधित लिपिक द्वारा करीब छः माह विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के बावजूद उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही नहीं करके एवं प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किया गया।

श्री गोरधन राम, तत्कालीन खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, अजमेर:

1. खनन–पट्टा पत्रावली सँख्या 14/14, 15/14, 17/14, 87/14, 163/14, 164/14, 165/14, 166/14 एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र पत्रावली सँख्या 14/13 के आवेदन–पत्रों के संलग्न जीटी शीट पर प्रस्तुत मानचित्रों एवं विवरण सूचियों में आवेदित क्षेत्रों के प्रत्येक बिन्दु के कोऑर्डिनेट्स अंकित नहीं होते हुए भी खान (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 14(2)खान/ग्रुप–1/2000/पार्ट–1 दिनांक 07.01.2010 के उल्लंघन में आवेदन–पत्रों को नियमानुसार आक्षेप के साथ लौटाने के बजाय स्वीकार किया गया।

2. खनन–पट्टा सँख्या 45/09 एवं 55/11 की पत्रावलियों में आवेदकों से एमसीआर, 1960 के नियम 22(3)(एच) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ–पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर दिया।

3. खनन–पट्टा सँख्या 108/09, 45/09, 316/12 एवं 321/12 की पत्रावलियों में आवेदित क्षेत्रों में आवेदित खनिज की उपलब्धता प्रमाणित किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 5(2) का उल्लंघन किया।

4. खनन–पट्टा सँख्या 321/12 की पत्रावली में आवेदक द्वारा चेतना–पत्र में अंकित कमियों की पूर्ति करने के बावजूद अस्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर दिया।

5. खनन–पट्टा सँख्या 14/14, 15/14, 17/14 एवं 87/14 के आवेदकों ने खनन–पट्टा आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र में पूर्व में स्वीकृत खनन–पट्टों से संबंधित खान विभाग की कोई राशि बकाया

नहीं होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया परन्तु जब उनके द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से निर्धारित 90 दिवस की अवधि में वैध अदेयता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया, तब एम. सी.आर., 1960 के नियम 22(3)(डी) के चतुर्थ परन्तुक के अन्तर्गत प्रकरणों के अमान्य करने/कराने की कार्यवाही नहीं की गई।

6. खनन-पट्टा सँख्या 316/12 में दिनांक 30.03.2014 में समस्त विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त भी निदेशालय को स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित करने में अनावश्यक रूप से करीब छः माह का विलम्ब कारित किया।

7. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 14/13 के आवेदित क्षेत्र में चारागाह भूमि के होते हुए भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सँख्या 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 की अनुपालना नहीं करके स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर दिया गया।

8. खनन-पट्टा सँख्या 54/11 एवं 55/11 की पत्रावलियों में स्वीकृति प्रस्तावों के साथ आवेदित क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त खसरों की जमाबंदी की प्रतिलिपियाँ आवेदकों से प्राप्त कर स्वीकृति प्रस्ताव के साथ निदेशालय को प्रेषित नहीं की गई।

श्री हरीश गोयल, तत्कालीन खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, अजमेर:

1. खनन-पट्टा सँख्या 14/14 एवं 15/14 की पत्रावलियों में आवेदकों से एम.सी.आर., 1960 के नियम 22(3)(एच) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर दिया गया।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र सँख्या 41/11 की पत्रावली में आवेदक से एम.सी.आर.,1960 के नियम 9(2)(जी) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ–पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव को निदेशालय प्रेषित कर दिया गया।

3. खनन–पट्टा पत्रावली सँख्या 14/14, 17/14 एवं 163/14 की पत्रावलियों में आवेदकों को अनुचित लाभ पहुँचाने की नियत से वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना ही वन विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(20)वन/2003 दिनांक 20.08.2010 के उल्लंघन में स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर दिया गया।

4. खनन–पट्टा सँख्या 130/09, 99/12, 14/14, 15/14, 17/14, 87/14 एवं 163/14 की पत्रावलियों में आवेदित क्षेत्रों में आवेदित खनिज की उपलब्धता को प्रमाणित किये बिना ही स्वीकृति प्रस्तावों निदेशालय को प्रेषित कर एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 5(2) का उल्लंघन किया गया।

5. पूर्वेक्षण अनुज्ञा–पत्र सँख्या 41/11 के आवेदित क्षेत्र में चारागाह भूमि के होते हुए भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सँख्या 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 की अनुपालना नहीं करके स्वीकृति प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित कर दिया गया।

6. खनन–पट्टा सँख्या 99/12 एवं 54/14 की पत्रावलियों में स्वीकृति प्रस्तावों के साथ आवेदित क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त खसरों की जमाबंदी की प्रतिलिपियाँ आवेदकों से प्राप्त कर स्वीकृति प्रस्ताव के साथ निदेशालय को प्रेषित नहीं की गई।

श्री एन. एस. शक्तावत, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, निदेशालय, उदयपुरः

1. खनन-पट्टा सँख्या 55/11, 14/11 एवं 15/14 की पत्रावलियों में आवेदकों से एम.सी.आर.,1960 के नियम 22(3)(एच) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्तावों को अतिरिक्त निदेशक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 41/11 की पत्रावली में आवेदक से एम.सी.आर.,1960 के नियम 9(2)(जी) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव को अतिरिक्त निदेशक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया।

3. खनन-पट्टा सँख्या 18/09, 45/09, 130/09, 316/12, 321/12, 99/12, 14/14, 15/14, 17/14, 87/14 एवं 163/14 के स्वीकृति प्रस्तावों के साथ आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की उपलब्धता रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी उन्हें अतिरिक्त निदेशक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया।

4. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 41/11 के आवेदित क्षेत्र में चारागाह भूमि के होते हुए भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सँख्या 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 की अनुपालना नहीं करके स्वीकृति प्रस्ताव को अतिरिक्त निदेशक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया।

5. खनन-पट्टा सँख्या 54/11, 99/12 एवं 15/14 की पत्रावलियों में स्वीकृति प्रस्तावों के साथ आवेदित क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त खसरों की जमाबंदी की प्रतिलिपियाँ प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी स्वीकृति प्रस्ताव को अतिरिक्त निदेशक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया।

श्री पंकज गहलोत, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, निदेशालय, उदयपुरः

1. खनन-पट्टा सँख्या 55/11, 14/11 एवं 15/14 की पत्रावलियों में आवेदकों से एम.सी.आर.,1960 के नियम 22(3)(एच) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्तावों को निदेशक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 41/11 की पत्रावली में आवेदक से एम.सी.आर.,1960 के नियम 9(2)(जी) के अनुसार सरफेस अधिकार के सम्बन्ध में अपेक्षित शपथ-पत्र प्राप्त किये बिना ही स्वीकृति प्रस्ताव को निदेशक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया।

3. खनन-पट्टा सँख्या 18/09, 45/09, 130/09, 316/12, 321/12, 99/12, 14/14, 15/14, 17/14, 87/14 एवं 163/14 के स्वीकृति प्रस्तावों के साथ आवेदित क्षेत्र में आवेदित खनिज की उपलब्धता रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी उन्हें निदेशक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया।

4. पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र सँख्या 41/11 के आवेदित क्षेत्र में चारागाह भूमि के होते हुए भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सँख्या 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 की अनुपालना नहीं करके स्वीकृति प्रस्ताव को निदेशक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया।

5. खनन-पट्टा सँख्या 54/11, 99/12 एवं 15/14 की पत्रावलियों में स्वीकृति प्रस्तावों के साथ आवेदित क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त

खसरों की जमाबंदी की प्रतिलिपियाँ प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी स्वीकृति प्रस्ताव को निदेशक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया गया।

अतः उक्त लोकसेवकों के विरूद्ध पाई गई उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10(1) के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया तथा अन्वेषण के क्रम में उक्त लोकसेवकों को अन्वेषण के आधारों सहित नोटिस जारी किये गये हैं जिसकी सूचना उनके सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है। अन्वेषण के क्रम में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान सरकार

परिशिष्ट-4.1

खान आवंटन प्रकरणों की समीक्षा/पुनरावलोकन हेतु उच्च स्तरीय समिति

प्रारम्भिक-प्रतिवेदन

दिनांक 16.10.2015

शासन आदेश क्रमांक प.14(20) खान/ग्रुप-2/15 दिनांक 5.10.2015 की पालना में गठित उच्च स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक आर.एस.एम.एम.एल. के पंजीकृत कार्यालय, लालकोठी, जयपुर में दिनांक 16.10.2015 को अपरान्ह 12:30 बजे आयोजित की गई। बैठक में शासन के निर्देश के क्रम में विभाग में दिनांक 1 नवम्बर 2014 से 12 जनवरी 2015 के मध्य खनन पट्टा आवंटन हेतु जारी मंशा पत्र (एल.ओ.आई.) एवं अन्य प्रकार के अनुज्ञा-पत्रों की समीक्षा/पुनरावलोकन के सम्बन्ध में विस्तृत प्रारम्भिक विचार-विमर्श किया गया। प्रारम्भिक विचार-विमर्श के दौरान निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु/तथ्य सामनें आये:-

1. खनिज विभाग में प्रधान खनिजों के रिकोनेसेन्स परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र एवं खनन-पट्टा आवंटन हेतु करीब 19000 आवेदन-पत्र दिनांक 1.11.2014 को लम्बित थे। उक्त लम्बित आवेदन-पत्रों में से दिनांक 1.11.2014 से 12.01.2015 तक विभाग द्वारा 69 पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र स्वीकृत एवं 669 खनन-पट्टा आवंटन हेतु मंशा-पत्र जारी किये गये।

2. बिन्दु संख्या 1 में वर्णित पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्रों/मंशा-पत्रों में से दिनांक 12.01.2015 को विभाग द्वारा 121 मंशा पत्र एवं 16 पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र जारी किये गये थे जिन्हें भारत सरकार के निर्देश दिनांक 27.3.2015 के क्रम में बाद में मार्च/अप्रेल 2015 में अयोग्य घोषित किया जा चुका है।

3. बिन्दु संख्या 2 में वर्णित अयोग्य घोषित आवेदन-पत्रों के पश्चात् वर्तमान में 53 पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र तथा 548 खनन-पट्टा आवंटन हेतु जारी मंशा-पत्र लंबित हैं।

4. विभाग द्वारा खनन-पट्टा हेतु मंशा-पत्र/पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति एम.एम.डी. आर. एक्ट, 1957 की धारा 11 के अन्तर्गत तत्समय प्रभावी प्रावधान 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर जारी किये गये थे।

5. भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.1.2015 से एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 में संशोधन करते हुए एम.एम.डी.आर. (संशोधन) - एक्ट 2015 का अध्यादेश जारी किया गया जिसमें प्रधान खनिज के खनन पट्टों/कम्पोजिट लाइसेन्स (पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र सह खनन-पट्टा) का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' की नीति को परिवर्तित करते हुए निलामी के माध्यम से ही दिये जाने का प्रावधान किया गया।

6. भारत सरकार द्वारा पुनः दिनांक 10.2.2015 से अधिसूचना जारी कर 31 प्रधान खनिजों को अप्रधान खनिज घोषित किया गया। अप्रधान खनिजों में नीति/नियम बनानें की शक्तियां एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त की हुई है एवं राज्य सरकार द्वारा अप्रधान खनिजों के सम्बन्ध में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 लागू की हुई है जिसमें अप्रधान खनिजों के खनन-पट्टों का आवंटन नीलामी/लोटरी से किये जाने का प्रावधान पूर्व से ही प्रभावी है।

7. राजस्थान प्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 एवं राज्य की नई खनिज नीति 2015 में भारत सरकार द्वारा उपर्युक्तानुसार अप्रधान घोषित 31 खनिजों के बारे में बिना नीलामी के 'पहले आओ, पहले पाओ' की नीति पर खनन पत्रों/पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र दिये जानें का कोई विशिष्ट प्रावधान नही है एवं इन्हें किसी भी प्रकार की वरीयता/संरक्षण नियमों में प्रदत्त नहीं है।

8. उपर्युक्तानुसार स्पष्ट है कि उक्त अप्रधान घोषित 31 खनिजों के प्रकरणों में पूर्व में जारी मंशा-पत्रों/पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्रों को अब वर्तमान में अस्तित्व में बनाये रखना सर्वथा नियमों/नीति के विपरीत होगा

9. समिति का यह भी अभिमत है कि प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पूर्ण पारदर्शिता, लोकहित एवं राज्य के विकास हेतु राजस्व अर्जन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। 'पहले आओ, पहले पाओ' की नीति में उपर्युक्त लक्ष्यों एवं सिद्वान्तों को प्राप्त किया जाना नितान्त असम्भव है।

10. समिति द्वारा प्रथम बैठक के दौरान यह महसूस किया गया था कि खनन-पट्टा आवंटन प्रकरण वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, द्वारा भी जाँच विचाराधीन है एवं इस सम्बन्ध में उनके पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं/शिकायतें उपलब्ध हो सकती हैं। अतः राज्य सरकार के माध्यम से इन सूचनाओं एवं शिकायतों के बारे में जानकारी प्राप्त करना उचित होगा। इस सम्बन्ध में समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमुख शासन सचिव (खान एवं पेट्रोलियम) को दिनांक 15.10.2015 पत्र द्वारा निवेदन किया गया है।

11. समिति द्वारा कतिपय नमूना स्वरूप पत्रावलियों का अवलोकन/अध्ययन किया गया जिनका विवरण परिशिष्टि-1 पर उपलब्ध है। सामान्यतः यह पाया गया है कि 'पहले आओ, पहले पाओ' नीति के मूलभूल सिद्धान्तों का गंभीरतापूर्वक पालन नहीं किया गया है। कतिपय पत्रावलियों को अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा बिना उचित कारण के अन्य पत्रावलियों से पहले प्रक्रियाधीन किया गया एवं उन्हें कार्यालयों में वरीयता प्रदान कर त्वरित गति से निस्तारित कर अनुचित लाभ प्रदान किया गया। यह इस तथ्य से भी सुस्थापित है कि लगभग 19000 आवेदनों में से मात्र 738 पत्रावलियों को ही सन्दर्भित अवधि में निस्तारित किया गया है जो कि कुल पत्रावलियों की संख्या के 4 प्रतिशत से भी कम है।

12. शासन स्तर पर सीमेन्ट ब्लाक जारी चार मन्शा-पत्रों के सम्बन्ध में कमेटी द्वारा यह पाया गया कि प्रधान खनिजों के आवंटन हेतु भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 नवम्बर, 2014 को एम.एम.डी.आर.

एक्ट, 1957 में संशोधन हेतु ड्राफ्ट जारी कर सभी राज्य सरकारों को भिजवाये गये थे। उक्त प्रस्तावित संशोधन के द्वारा प्रधान खनिजों का आवंटन केवल निलामी द्वारा किये जाने के प्रावधान प्रस्तावित किये गये थे जबकि उक्त चार एल.ओ.आई. तत्समय प्रभावी नियमों के तहत जारी की गई जिसमें प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी रूप से की गई प्रतीत नही होती, कुछ कम्पनियों के पास पूर्व में ही धारित क्षेत्र 10 वर्ग कि.मी. से अधिक होने के कारण भारत सरकार द्वारा धारा 6(1)(बी) के तहत अनुमति भी अभी तक प्रदान नही की गई है।

प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपरोक्तानुसार अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रस्तुत है।

भानू प्रकाश एटरू	डी.एस. मारू	डा. टी.आर. अग्रवाल	आर.के. ढींगरा
प्रबन्ध निदेशक,	निदेशक,	वित्तीय सलाहकार,	अति0 निदेशक,
आरएसएमएमएल	खान एवं भू-विज्ञान	खान एवं भू-विज्ञान	खान, जयपुर

परिशिष्ट–1

वर्ष 2015 में आवेदित क्षेत्र जिन्हें वर्ष 2015 में ही मंशा–पत्र जारी हुए

आवेदक का नाम	आवेदन–पत्र सं.	आवेदन तिथि	खनिज	जिला	मंशा–पत्र की तिथि	कुल कार्य दिवस
सर्वश्री पारस माइन्स एण्ड मिनरल्स	14/15	6.1.15	क्वार्टज फैल्सपार	अजमेर	12.01.15	6
श्री अमित शर्मा	5/15	8.1.15	व्हाइट क्ले	करौली	12.01.15	2
श्रीमति राजेश्वरी देवी	1/15	5.1.15	व्हाइट क्ले	करौली	12.01.15	5
श्रीमति राजेश्वरी देवी	2/15	5.1.15	सिलिका सेन्ड	करौली	12.1.15	5
श्री भगवती सिंह	3/15	6.1.15	व्हाइट क्ले	करौली	9.1.15	4
श्री अंकित शर्मा	4/15	6.1.15	व्हाइट क्ले	करौली	9.1.15	4

इसी प्रकार नागौर जिले में पी.एल. 14/14 19/14, 17/14 में प्रस्ताव दिनांक 07.01.2015 को खनि अभियन्ता द्वारा प्रेषित किये गये एवं दिनांक 12.01.15 को पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र स्वीकृति के आदेश जारी हुए।

उपर्युक्त प्रकरणों में एवं सी प्रकार के अन्य प्रकरणों में भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 12.01.2015 को जारी मंशा–पत्र/स्वीकृति आदेश निरस्त कर आवेदन–पत्र अयोग्य घोषित किये जा चुके हैं।

भानु प्रकाश एटरू	डी.एस. मारू	डा. टी.आर. अग्रवाल	आर.के. हीरात
प्रबन्ध निदेशक,	निदेशक,	वित्तीय सलाहकार,	अति0 निदेशक,
आरएसएमएमएल	खान एवं भू-विज्ञान	खान एवं भू-विज्ञान	खान, जयपुर

परिशिष्ट-4.2

राज्यपाल, राजस्थान

GOVERNOR OF RAJASTHAN

No. 7233 Dated:17.10.2015

ORDER

In exercise of powers conferred under section 18(3) of Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayukta Act, 1973, I, Kalyan Singh, the Governor of Rajasthan hereby order the Lokayukta, Rajasthan, to conduct an enquiry in the matter relating to the entire allotment process and grant of Letter of Intent (LoIs) and sanction of Prospecting Licenses (PLs) by Mines Department and officers subordinate to it, between the period from 1st November, 2014 to 12th January, 2015 covering the following aspects :

1. To enquire into the entire allotment process, including acts of omission and commission or of impropriety and fix responsibility for the same.
2. To suggest the future course of action to overcome shortcomings which may be discerned during the course of such an enquiry.

Kalyan Singh

(Kalyan Singh)

Dated: 17.10.2015

No. 7234

Copy to:-

1. Chief Secretary, Govt. of Rajasthan.
2. Principal Secretary, Mines, Govt. of Rajasthan.
3. Secretary, Lokayukta, Rajasthan.
4. Secretary to Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
5. S.A. to State Minister, Mines, Govt. of Rajasthan.

Principal Secretary to Governor

परिशिष्ट–4.3

SECRET/MOST URGENT

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर.

The Principal Secretary to Govt.
Mines Department,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

F.25(1)/LAS/2015/24967 28/10/15

Sub: Regarding original record relating to the entire allotment process and grant of Letter of Intent (LoIs) and sanction of Prospecting Licenses (PLs) by Mines Department between the period from 1st November, 2014 to 12th January, 2015

Sir,

I am directed to state that in exercise of powers conferred under section 18(3) of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973 Hon'ble Governor of Rajasthan has directed vide order No.7233 dated 17.10.15 (copy enclosed) the Lokayukta to conduct an enquiry in the matter relating to the entire allotment process and grant of Letter of Intent (LoIs) and sanction of Prospecting Licenses (PLs) by Mines Department and officers subordinate to it, between the period from 1st November, 2014 to 12th January, 2015 covering the following aspects:-

1. To enquire into the entire allotment process, including acts of omission and commission or of impropriety and fix responsibility for the same.
2. To suggest the future course of action to overcome shortcomings which may be discerned during the course of such an enquiry.

You are, therefore, requested to send the entire original record/files relating to the entire allotment process in question and grant of Letter of Intent (LoIs) and sanction of Prospecting Licenses (PLs) by Mines Department and officers subordinate to it, between the period from 1st November, 2014 to 12th January, 2015 immediately.

Yours faithfully

Sd/-01.01.16
(Dr.P.K.Jain)
Principal Secretary

Encl: As above.

परिशिष्ट–4.4

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर.

एफ.49(9)लोआस/2013/25339 दिनांक–30.10.15

मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषयः– सचिवालय परिसर स्थित विकास खण्ड के प्रथम तल के उत्तरी–पूर्वी भाग का कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा लोकायुक्त महोदय को खनिज विभाग एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 की अवधि के सम्पूर्ण आवंटन प्रक्रिया से सम्बन्धित मामलों, मंशा–पत्र (**LoIs**) तथा स्वीकृत पूर्वक्षण अनुज्ञा–पत्र (**PLs**), में किये गये कृत्य एवं विलोप या अनुचित व्यवहार की जाँच करने तथा इस हेतु सम्बन्धित का दायित्व निर्धारण करने तथा जाँच में पायी गयी कमियों की पुनरावृति नहीं हो, इसके लिए भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु अधिकृत किया गया है।

इस सम्बन्ध में खनिज विभाग से काफी संख्या में सम्बन्धित पत्रावलियां इस सचिवालय को जाँच हेतु प्राप्त होगी तथा उक्त जाँच कार्य के सम्पादन हेतु खनिज आवंटन से सम्बन्धित विशेषज्ञों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ भी लेना आवश्यक होगा।

वर्तमान में लोकायुक्त सचिवालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारीगण के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा विकास खण्ड के प्रथम तल के उत्तर–पूर्वी भाग का कब्जा लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये जाने तथा पंचायत राज विभाग के प्रथम तल के कार्यालयों को द्वितीय मंजिल पर स्थानान्तरित किये जाने का

निर्णय लिया गया था, जिसके लिए द्वितीय तल पर निर्माण करवाये जाने हेतु रू. 150.47 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख सैतालीस हजार मात्र) की स्वीकृति पंचायती राज विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है। उक्त निर्माण कार्य में समय लगने की संभावना है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 16.09.2015 (प्रति संलग्न) को वन भवन, वानिकी पथ, जयपुर का आवंटन पंचायती राज विभाग को किया गया है। विकास खण्ड के प्रथम तल के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित पंचायती राज विभाग के निर्माण खण्ड को रिक्त पड़े उक्त वन भवन में तुरन्त स्थानान्तरित किया जा सकता है। अतः खनिज विभाग से सम्बन्धित जाँच की प्रकृति की देखते हुए एवं जाँच कार्य तत्परता से निष्पादित करने हेतु उक्त स्थान का कब्जा तुरन्त लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द करने के निर्देश जारी करने का श्रम करें।

भवदीय,
Sd/-30.10.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–4.5

Dr. Padam Kumar Jain
Principal Secretary

सत्यमेव जयते

Lokayukta Sachivalaya
Govt. Sectt. Premises
JAIPUR - 302005

अ.शा. पत्र क्रमांक एफ.49(9)लोआस/2013/27531
जयपुर, दिनांक–19.11.15

प्रिय श्री राजन साहब,

मैं आपका ध्यान लोकायुक्त सचिवालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.10.2015 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा माननीय लोकायुक्त महोदय को खनिज विभाग की दिनांक 01.11.2014 से 12.01.2015 की अवधि के खानों के सम्पूर्ण आवंटन की जाँच करने हेतु अधिकृत किया गया है।

इस सम्बन्ध में काफी संख्या में पत्रावलियां प्राप्त हुई है तथा उक्त जाँच कार्य के निष्पादन हेतु सम्बन्धित विशेषज्ञों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ भी ली जानी है, जिनके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा विकास खण्ड के प्रथम तल के उत्तर-पूर्वी भाग का कब्जा लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये जाने तथा पंचायत राज विभाग के प्रथम तल के कार्यालयों को द्वितीय मंजिल पर स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया था, किन्तु आज दिनांक तक इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

उक्त जाँच कार्य के निष्पादन में स्थानाभाव के कारण विलम्ब हो रहा है। अतः मेरा आपसे पुनः व्यक्तिशः अनुरोध है कि जाँच कार्य तत्परता से निष्पादित करने हेतु उक्त स्थान का कब्जा इस सचिवालय को अविलम्ब सुपुर्द करने के निर्देश जारी करने का श्रम करें।

शुभ कामनाओं सहित।

भवदीय,
Sd/-19.11.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

श्री सी.एस. राजन,
मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

परिशिष्ट–4.6

Dr. Padam Kumar Jain
Principal Secretary

Lokayukta Sachivalaya
Govt. Sectt. Premises
JAIPUR - 302005

अ.शा. पत्र क्रमांक एफ.49(9)लोआस/2013/31175
जयपुर, दिनांक–15.12.15

प्रिय श्री राजन साहब,

मै आपका ध्यान लोकायुक्त सचिवालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.10.15 एवं अ.शा. स्मरण–पत्र दिनांक 19.11.15 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा माननीय लोकायुक्त महोदय को खनिज विभाग की दिनांक 01.11.14 से 12.01.15 की अवधि के खानों के सम्पूर्ण आवंटन की जाँच करने हेतु अधिकृत किया गया है।

इस सम्बन्ध में काफी संख्या में पत्रावलियां प्राप्त हुई है तथा उक्त जाँच कार्य के निष्पादन हेतु सम्बन्धित विशेषज्ञों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जानी है, जिनके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 16.09.15 को वन भवन वानिकी पथ, जयपुर का आवंटन पंचायती राज विभाग को किया गया है, जिसके क्रियान्वयन में विलम्ब होने की संभावना को देखते हुए विकास खण्ड के प्रथम तल के उत्तर–पूर्वी भाग में स्थित पंचायती राज विभाग के निर्माण खण्ड को रिक्त पड़े वन भवन में तुरन्त स्थानान्तरित किया जा सकता है।

उक्त जाँच कार्य के निष्पादन में स्थानाभाव के कारण विलम्ब हो रहा है। अतः मेरा आपसे पुनः व्यक्तिशः अनुरोध है कि जाँच कार्य तत्परता से निष्पादित करने हेतु उक्त स्थान का कब्जा इस सचिवालय को अविलम्ब सुपुर्द करने के निर्देश जारी करने का श्रम करें।

शुभ कामनाओं सहित।

भवदीय,
Sd/-15.12.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

श्री सी.एस. राजन,
मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

परिशिष्ट–4.7

Dr. Padam Kumar Jain
Principal Secretary

Lokayukta Sachivalaya
Govt. Sectt. Premises
JAIPUR - 302005

अ.शा. पत्र क्रमांक एफ.49(9)लोआस/2013/33050
जयपुर, दिनांक–01.01.2016

प्रिय श्री राजन साहब,

मैं आपका ध्यान लोकायुक्त सचिवालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.10.15 एवं अ.शा. स्मरण-पत्र दिनांक 19.11.2015 एवं 15.12.2015 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

खनिज विभाग की जाँच से सम्बन्धित काफी संख्या में पत्रावलियां इस सचिवालय को प्राप्त हुई है तथा उक्त जाँच कार्य के निष्पादन हेतु सम्बन्धित विशेषज्ञों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ भी ली जानी है, जिनके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है।

उक्त जाँच कार्य के निष्पादन में स्थानाभाव के कारण विलम्ब हो रहा है जिसे माननीय लोकायुक्त महोदय ने गम्भीरता से लिया है। अतः मेरा आपसे पुनः व्यक्तिशः अनुरोध है कि जाँच कार्य तत्परता से निष्पादित करने हेतु प्रस्तावित स्थान का कब्जा इस सचिवालय को अविलम्ब सुपुर्द करने के निर्देश जारी करने का श्रम करें।

शुभ कामनाओं सहित।

शुभेच्छु
Sd/-01.01.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

श्री सी.एस. राजन,
मुख्य सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

परिशिष्ट–4.8

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर.

शासन सचिव,
माननीय मुख्य मंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/28674, 28676, 28678-679-680 दिनांक-27.11.15

विषयः- पंचायती राज विभाग के प्रथम तल के पूर्वी खण्ड का रिक्त कब्जा दिलवाए जाने के क्रम में।

सन्दर्भः- 1. महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश क्रमांकः 7233 दि. 17.10.2015
2. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 29.7.13 का कार्यवाही विवरण।
3. राजस्थान सरकार सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग का आदेश क्रमांक प. 26(1)साप्र/2/2014 जयपुर दि. 16.9.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के उक्त सन्दर्भित आदेश सं.1 के तहत 1 नवम्बर, 14 से 12 जनवरी, 2015 के मध्य खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रक्रिया, जारी किये गये मंशा-पत्र (**LOIs**) तथा स्वीकृत किये गये पूर्वक्षण अनुज्ञा-पत्रों (**PLs**) की निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जाँच सम्पादित करने का कार्य माननीय लोकायुक्त महोदय को सौपा गया है:-

1. सम्पूर्ण खान आवंटन प्रकिया जिसमें नियमों के अनुसार कार्य न करने या नियमों की अवहेलना कर किये गये कृत्यों की जाँच के साथ-साथ इनके सम्बन्ध में दायित्व का निर्धारण।
2. ऐसी जाँच के अनुक्रम में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु भविष्य की कार्यप्रणाली के लिए सुझाव।

प्रत्येक खान आवंटन की स्थानीय, निदेशालय तथा सचिवालय स्तर पर पत्रावली संधारित की जाती है और इस प्रकार इस कार्यालय में आने वाली पत्रावलियों की संख्या पर्याप्त हो जाती है। उक्त सन्दर्भित जाँच से सम्बन्धित लगभग 800 पत्रावलियां इस सचिवालय को प्राप्त हो चुकी है तथा शेष पत्रावलियों का आना जारी है। उक्त सभी पत्रावलियों में

महत्वपूर्ण दस्तावेजात भी सम्मिलित हैं। इन पत्रावलियों को इस सचिवालय में सुरक्षित रखने एवं इनके संधारण के साथ-साथ इन पत्रावलियों में जाँच एवं वांछित कार्यवाही सम्पादित करने हेतु अधिकारीगण व कर्मचारीगण के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं है।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय में पूर्व से चली आ रही स्थान की कमी के कारण सन्दर्भ सं.2 के तहत वर्णित कार्यवाही विवरण के अनुसार पंचायती राज विभाग के प्रथम तल पर स्थित पूर्वी खण्ड पर स्थित भवन भी इस सचिवालय के लिए आवंटित किया गया था। साथ ही सन्दर्भ सं.3 में वर्णित राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 16.9.15 के तहत पंचायतीराज विभाग को वानिकी पथ स्थित वन भवन आवंटित कर दिया गया है जिसका कब्जा भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इस सचिवालय की आवश्यकता की पूर्ति पंचायती राज विभाग के पास जो स्थान है, उसमें से केवल प्रथम तल के पूर्वी ओर स्थित खण्ड को दिए जाने मात्र से हो सकेगी।

अतः सन्दर्भ सं.1 से 3 की फोटोप्रतियाँ संलग्न कर निवेदन है कि इस सचिवालय को, जो पूर्व से ही स्थानाभाव से ग्रस्त है, उक्त खान विभाग के मामलात से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य के सम्पादन हेतु अतिरिक्त भवन की तुरन्त आवश्यकता के मद्देनजर पंचायतीराज विभाग से इस भवन-विकास खण्ड के प्रथम तल के पूर्वी खण्ड पर स्थित कार्यालय कमरों को शीघ्रातिशीघ्र खाली करवाया जाकर इनका कब्जा इस सचिवालय को सुपुर्द करने के लिए पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया जाना निवेदित है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Sd/-27.11.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, कार्मिक (क–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

Sd/-27.11.15
सचिव

परिशिष्ट–4.9

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर.

शासन सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री महोदया,
राजस्थान, जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/34664-34668 दिनांक–13.01.16

विषय:– पंचायती राज विभाग के प्रथम तल के पूर्वी खण्ड का रिक्त कब्जा दिलवाए जाने के क्रम में।

प्रसंग:– 1- इस सचिवालय का पूर्व पत्र कमांक: 25(1)लोआस/2015/28674 दिनांक 27.11.15

प्रसंग:– 2 इस सचिवालय द्वारा मुख्य सचिव महोदय को लिखे गये पत्र कमांक एफ. 49(9)लोआस/2015, दिनांक 30.10.15 व अ.शा. पत्र दिनांक 19.11.15, 15. 12.15 एवं दिनांक 1.1.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश दिनांक 17.10.2015 द्वारा 1 नवम्बर, 2014 से 12 जनवरी, 2015 के मध्य खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रक्रिया, जारी किये गये मंशा पत्र (**LOIs**) तथा स्वीकृत किये गये पूर्वक्षण अनुज्ञा-पत्रों (**PLs**) आदि की जाँच माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा सम्पादित किये जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं।

उक्त जाँच कार्य तथा इससे जुड़ी वांछित कार्यवाही सम्पादित करने के लिए अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं होने के तथ्यों के उल्लेख के साथ इस सचिवालय में पूर्व से ही चली आ रही स्थानाभाव की कमी को देखते हुए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 29.7.13 में लिए गए निर्णयानुसार लोकायुक्त सचिवालय के वर्तमान भवन से जुड़े हुए पंचायती राज भवन के विकास खण्ड के प्रथम तल के पूर्वी खण्ड पर स्थित कार्यालय कमरों का शीघ्रातिशीघ्र कब्जा इस सचिवालय को संभलाने के लिए निर्देशित किए जाने हेतु सुसंगत प्रपत्रों के साथ इस सचिवालय के संदर्भित पत्र-1 के द्वारा निवेदन किया गया था। इसी विषय में सन्दर्भित पत्र संख्या 2 के

तहत वर्णित पत्रों द्वारा मुख्य सचिव महोदय को भी निवेदन किया गया है किन्तु इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अभी तक अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि उक्त जाँच से सम्बन्धित करीब 1500 पत्रावलियां इस सचिवालय में प्राप्त हो चुकी हैं तथा सम्बन्धित अभिलेख आना जारी हैं। जाँच कार्य हेतु वांछित स्टाफ का मामला भी राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है जिस पर शीघ्र निर्णय की अपेक्षा है। प्राप्त 1500 पत्रावलियों में महत्वपूर्ण दस्तावेज भी संलग्न हैं जिनके सुरक्षित रख-रखाव एवं जाँच कार्य सम्पादित किए जाने हेतु स्वीकृत अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाना अति-आवश्यक हो गया है जिससे उक्त जाँच कार्य को प्रारम्भ कर इसे प्रभावी रूप से सम्पादित किया जा सके।

इस सन्दर्भ में यह भी निवेदन है कि विकास खण्ड के प्रथम तल के पूर्वी खण्ड पर स्थित कार्यालय कमरें इस सचिवालय के वर्तमान भवन से जुड़े हुए हैं। अतः प्रशासनिक एवं कार्यालयी व्यवस्था हेतु सुविधा की दृष्टि से उक्त वांछित स्थान इस जाँच कार्य हेतु अन्य सभी स्थानों की तुलना में सर्वाधिक उपयोगी एवं सुविधानजक होने के कारण इसी स्थान विशेष को उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया जा रहा है।

अतः सन्दर्भित पत्र 1 व 2 की प्रतियां प्रेषित कर पत्र में वर्णित पंचायती राज से विकास खण्ड के प्रथम तल के पूर्वी खण्ड पर स्थित कार्यालय कमरों को शीघ्रातिशीघ्र खाली करवाया जाकर, इनका कब्जा इस सचिवालय को सुपुर्द करने के लिए पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया जाना निवेदित है ताकि महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेशों की पालना में जाँच कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

कृपया इसे प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
Sd/-13.01.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को पूर्व पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

Sd/-13.01.16
सचिव

परिशिष्ट–4.10

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर.

शासन सचिव,
माननीय मुख्य मंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/28662 दिनांक–27.11.15

विषयः– लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की जाँच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन बाबत।

सन्दर्भः– महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश क्रमांकः 7233 दिनांक 17.10.15

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के उक्त सन्दर्भित आदेश सं.1 के तहत 1 नवम्बर, 14 से 12 जनवरी, 2015 के मध्य खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रक्रिया, जारी किये गये मंशा–पत्र (**LOIs**) तथा स्वीकृत किये गये पूर्वक्षण अनुज्ञा–पत्रों (**PLs**) की निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जाँच सम्पादित करने का कार्य माननीय लोकायुक्त महोदय को सौपा गया है:–

1. सम्पूर्ण खान आवंटन प्रक्रिया जिसमें नियमों के अनुसार कार्य न करने या नियमों की अवहेलना कर किये गये कृत्यों की जाँच के साथ–साथ इनके सम्बन्ध में दायित्व का निर्धारण।
2. ऐसी जाँच के अनुक्रम में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु भविष्य की कार्यप्रणाली के लिए सुझाव।

महामहिम राज्यपाल के उक्त आदेशानुसार इस सचिवालय को सुपुर्द किया गया खान आवंटन से सम्बन्धित जाँच कार्य बृहद एवं विशेष प्रकृति का है तथा इस सचिवालय के नियमित कार्य से हटकर पूर्णतः एक अतिरिक्त कार्य है। प्रत्येक खान आवंटन की स्थानीय, निदेशालय तथा सचिवालय स्तर पर पत्रावली संधारित की जाती है और इस प्रकार कार्यालय में आनेवाली पत्रावलियों की संख्या पर्याप्त हो जाती है। खान आवंटन से सम्बन्धित जाँच कार्य तकनीकी प्रकृति का है जिसके लिए वर्तमान में इस सचिवालय में वांछित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त कार्य के शीघ्र निष्पादन हेतु तकनीकी एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में अधिकारीगण/कर्मचारीगण नियुक्त किए जाने हेतु निम्न पदों की आवश्यकता

है ताकि इन स्वीकृत पदों के विरूद्ध समतुल्य वेतन श्रृंखला के तकनीकी विशेषज्ञ/अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की सेवाएँ नियमानुसार ली जा सकें:-

क्रम सं.	पदनाम	पद सं.	वेतन श्रृंखला
1.	संयुक्त सचिव	01	37400-67000(8700)
2.	उप सचिव	01	15600-39100(7600)
3.	सहायक सचिव	02	15600-39100(6600)
4.	अनुभागाधिकारी	01	9300-34800(4800)
5.	ड्राफ्ट्स मेन	01	9300-34800(5400)
6.	सूचना सहायक	04	5200-20200(2800)
7.	कनिष्ठ लिपिक	02	5200-20200(2400)
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	03	नियमित अथवा संविदा पर

अत: इस सचिवालय को सुपुर्द किये गये उक्त बृहद एवं महत्वपूर्ण जाँच कार्य के शीघ्र एवं कुशलतापूर्वक निष्पादन हेतु उपर्युक्त पदों की सक्षम स्तर से स्वीकृति अतिशीघ्र करवाया जाना निवेदित है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Sd/-27.11.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–4.11

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर.

शासन सचिव,
कार्मिक (क–3) विभाग,
शासन सचिवालय,
जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/28663 दिनांक–27.11.15

विषयः– लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की जाँच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन बाबत।

सन्दर्भः– महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश क्रमांकः 7233 दिनांक 17.10.15

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के उक्त सन्दर्भित आदेश सं.1 के तहत 1 नवम्बर, 14 से 12 जनवरी, 2015 के मध्य खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रक्रिया, जारी किये गये मंशा–पत्र (**LOIs**) तथा स्वीकृत किये गये पूर्वक्षण अनुज्ञा–पत्रों (**PLs**) की निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जाँच सम्पादित करने का कार्य माननीय लोकायुक्त महोदय को सौपा गया हैः–

1. सम्पूर्ण खान आवंटन प्रक्रिया जिसमें नियमों के अनुसार कार्य न करने या नियमों की अवहेलना कर किये गये कृत्यों की जाँच के साथ–साथ इनके सम्बन्ध में दायित्व का निर्धारण।
2. ऐसी जाँच के अनुक्रम में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु भविष्य की कार्यप्रणाली के लिए सुझाव।

महामहिम राज्यपाल के उक्त आदेशानुसार इस सचिवालय को सुपुर्द किया गया खान आवंटन से सम्बन्धित जाँच कार्य बृहद एवं विशेष प्रकृति का है तथा इस सचिवालय के नियमित कार्य से हटकर पूर्णतः एक अतिरिक्त कार्य है। प्रत्येक खान आवंटन की स्थानीय, निदेशालय तथा सचिवालय स्तर पर पत्रावली संधारित की जाती है और इस प्रकार कार्यालय में आनेवाली पत्रावलियों की संख्या पर्याप्त हो जाती है। खान आवंटन से सम्बन्धित जाँच कार्य तकनीकी प्रकृति का है जिसके लिए वर्तमान में इस सचिवालय में वांछित अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त कार्य के शीघ्र निष्पादन हेतु तकनीकी एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में अधिकारीगण/कर्मचारीगण नियुक्त किए जाने हेतु निम्न पदों की

आवश्यकता है ताकि इन स्वीकृत पदों के विरूद्ध समतुल्य वेतन श्रृंखला के तकनीकी विशेषज्ञ/अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की सेवाएँ नियमानुसार ली जा सकें:-

क्रम सं.	पदनाम	पद सं.	वेतन श्रृंखला
1.	संयुक्त सचिव	01	37400-67000(8700)
2.	उप सचिव	01	15600-39100(7600)
3.	सहायक सचिव	02	15600-39100(6600)
4.	अनुभागाधिकारी	01	9300-34800(4800)
5.	ड्राफ्ट्स मेन	01	9300-34800(5400)
6.	सूचना सहायक	04	5200-20200(2800)
7.	कनिष्ठ लिपिक	02	5200-20200(2400)
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	03	नियमित अथवा संविदा पर

अत: इस सचिवालय को सुपुर्द किये गये उक्त बृहद एवं महत्वपूर्ण जाँच कार्य के शीघ्र एवं कुशलतापूर्वक निष्पादन हेतु उपर्युक्त पदों की सक्षम स्तर से स्वीकृति अतिशीघ्र करवाया जाना निवेदित है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Sd/-27.11.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–4.12

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर.

शासन सचिव,
माननीय मुख्य मंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/29547 दिनांक–03.12.15

विषयः– लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की जाँच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन बाबत।

सन्दर्भः– 1. महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश क्रमांकः 7233 दिनांक 17.10.15
2. इस सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांकः 28662 दिनांक 27.11.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के सन्दर्भ सं.1 के अन्तर्गत वर्णित आदेश के क्रम में इस सचिवालय को सुपुर्द किया गया खान आवंटन से सम्बन्धित जाँच कार्य वृहद एवं विशेष प्रकृति का होने के कारण इस सचिवालय के सन्दर्भित पत्र सं.2 (प्रति संलग्न) के तहत अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के कतिपय नवीन पद सृजित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। इस पत्र में संयुक्त सचिव एवं उप सचिव के एक–एक नवीन पद सृजित किये जाने का अनुरोध किया गया था लेकिन प्राप्त होने वाली पत्रावलियों की संख्या एवं इनकी समीक्षा करने पर यह स्थिति प्रकट हुई है कि उक्त महत्वपूर्ण कार्य हेतु संयुक्त सचिव एवं उप सचिव के दो–दो पदों की अत्यन्त आवश्यकता रहेगी।

इस स्थिति के मद्देनजर निम्नलिखित नवीन पदों का सृजन किया जाना वांछित है:-

क्रम सं.	पदनाम	पद सं.	वेतन श्रृंखला
1.	संयुक्त सचिव	02	37400-67000(8700)
2.	उप सचिव	02	15600-39100(7600)
3.	सहायक सचिव	02	15600-39100(6600)
4.	ड्राफ्ट्स मेन	01	9300-34800(5400)
5.	अनुभागाधिकारी	01	9300-34800(4800)
6.	सूचना सहायक	04	5200-20200(2800)
7.	कनिष्ठ लिपिक	03	5200-20200(2400)
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	नियमित अथवा संविदा पर

अतः इस सचिवालय को सुपुर्द किये गये उक्त वृहद एवं महत्वपूर्ण जाँच कार्य के शीघ्र एवं सुचारू रूप से निष्पादन हेतु उपर्युक्त पदों की सक्षम स्तर से स्वीकृति अतिशीघ्र करवाया जाना निवेदित है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
Sd/-03.12.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-4.13

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर.

शासन सचिव,
कार्मिक विभाग (क-3),
राजस्थान सरकार, जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/29549 दिनांक-03.12.15

विषयः- लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की जाँच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन बाबत।

सन्दर्भः- 1. महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश क्रमांकः 7233 दिनांक 17.10.15
2. इस सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांकः 28663 दिनांक 27.11.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के सन्दर्भ सं.1 के अन्तर्गत वर्णित आदेश के क्रम में इस सचिवालय को सुपुर्द किया गया खान आवंटन से सम्बन्धित जाँच कार्य वृहद एवं विशेष प्रकृति का होने के कारण इस सचिवालय के सन्दर्भित पत्र सं.2 (प्रति संलग्न) के तहत अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के कतिपय नवीन पद सृजित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। इस पत्र में संयुक्त सचिव एवं उप सचिव के एक-एक नवीन पद सृजित किये जाने का अनुरोध किया गया था लेकिन प्राप्त होने वाली पत्रावलियों की संख्या एवं इनकी समीक्षा करने पर यह स्थिति प्रकट हुई है कि उक्त महत्वपूर्ण कार्य हेतु संयुक्त सचिव एवं उप सचिव के दो-दो पदों की अत्यन्त आवश्यकता रहेगी।

इस स्थिति के मद्देनजर निम्नलिखित नवीन पदों का सृजन किया जाना वांछित है:-

क्रम सं.	पदनाम	पद सं.	वेतन श्रृंखला
1.	संयुक्त सचिव	02	37400-67000(8700)
2.	उप सचिव	02	15600-39100(7600)

3.	सहायक सचिव	02	15600-39100(6600)
4.	ड्राफ्ट्स मेन	01	9300-34800(5400)
5.	अनुभागाधिकारी	01	9300-34800(4800)
6.	सूचना सहायक	04	5200-20200(2800)
7.	कनिष्ठ लिपिक	03	5200-20200(2400)
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	नियमित अथवा संविदा पर

अतः इस सचिवालय को सुपुर्द किये गये उक्त वृहद एवं महत्वपूर्ण जाँच कार्य के शीघ्र एवं सुचारू रूप से निष्पादन हेतु उपर्युक्त पदों की सक्षम स्तर से स्वीकृति अतिशीघ्र करवाया जाना निवेदित है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
Sd/-03.12.15
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–4.14

Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

Minutes of the Meeting

A meeting was held in the chamber of Principal Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Raj. Jaipur on 04.01.2016 at 4.30 PM to discuss the requirement of Staff vis-a-vis quantum of work in the Context of order of DOP dated 28.12.2015 relating to mines enduiry enclosing the notes of Finance Department regarding requirement of staff relating to enquiry of allotment of mines entrusted to Hon'ble Lokayukta by H.E. the Governor of Rajasthan by order dated 17.10.2015. The following officers attended the meeting:

1. Dr. Padam Kumar Jain, Principal Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Raj.
2. Shri Deepak Upreti, Principal Secretary, Mines Department, Raj.
3. Shri.P.C. Jain, Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Raj.
4. Shri R. K. Bansal, Joint Secretary-l, Lokayukta Sachivalaya, Raj.
5. Shri B.L. Gupta, OSD(J), Lokayukta Sachivalaya, Raj.
6. Shri Uma Shankar Sharma, Deputy Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Raj.

After considering the various aspects and detailed discussions regarding the volume of work relating to the enduiry entrusted by H.E. the Governor of Rajasthan vide order dated 17.10.2015 to Hon'ble Lokayukta, it was observed that the present Staff of Lokayukta Sachivalaya cannot be spared to deal with the task of said enquiry looking to the Volume of work already existing with the Lokayukta Sachivalaya.

The Committee is of considered opinion that the said enquiry will go through a long process of examination of relevant record, Acts, rules, regulations, circulars of Central and State Government in force at the relevant time. Apart from that, the record will be Scanned and witnesses will have to be examined for each step involved in the process of allotment of mines. The other related works like Survey of allotted mines, public grievances in this behalf will further add to the volume of work.

Shri Deepak Upreti. Principal Secretary, Mines Department agreed that for the purpose of conducting the said enquiry, the requirement of following Staff in the various Cadres will be just, proper and minimal to the cause:

1.	Joint Secretary	:	Two
2.	Deputy Secretary	:	Two
3.	Assistant Secretary	:	Two
4.	Draftsman	:	One
5.	Section Officer	:	One
6.	Assistant Programmer (Computer)	:	One

7.	Informatics Assistant (I.A.)	:	Eight
8.	Clerk Grade-II	:	Three
9.	Class-IV employee	:	Five

The committee recommends that the letter of DOP dated 28.12.2015 enclosing note 148-149/N be replied accordingly.

The meeting ended with the vote of thanks.

(Deepak Upreti)
Principal Secretary, Mines

(Dr. Padam Kumar Jain)
Principal Secretary, Lokayukta Sachivalaya

परिशिष्ट–4.15

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर.

शासन सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री महोदया
राजस्थान सरकार, जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/33502 दिनांक–05.01.16

विषयः– लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की जाँच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन बाबत।

सन्दर्भः– 1. महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश क्रमांकः 7233 दिनांक 17.10.15
2. इस सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांकः 295547 दिनांक 03.12.2015
3. कार्मिक विभाग का पत्र क्रः प.(6)(9)का/क–3/शिका/13 दि. 28.12.15

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के सन्दर्भ सं.1 के वर्णित आदेश के क्रम में इस सचिवालय को सुपुर्द किया गया खान आवंटन से सम्बन्धित जाँच कार्य बृहद एवं विशेष प्रकृति का होने के कारण इस सचिवालय के सन्दर्भित पत्र सं.2 (प्रति संलग्न) के द्वारा अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के कतिपय नवीन पद सृजित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। इस पर आपके कार्मिक विभाग के सन्दर्भित पत्र संख्या 3 के द्वारा वित्त विभाग की इस सन्दर्भ में की गई टिप्पणी की प्रति संलग्न करते हुए इस सचिवालय की टिप्पणी चाही गई है।

वित्त विभाग की उक्त संलग्न टिप्पणी में यह अपेक्षा की गई है कि अतिरिक्त पदों की स्वीकृति से पूर्व माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा खान विभाग के अधिकारीगण के साथ विचार–विमर्श कर प्रश्नगत जाँच कार्य के परिमाण(**Quantam**) के सम्बन्ध में आंकलन कर लिया जावे एवं तत्पश्चात् अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होने की स्थिति में तद्नुसार इस सन्दर्भ में प्रस्ताव प्रेषित किये जावें।

इस सन्दर्भ में माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा समिति गठित की गई। समिति द्वारा दिनांक 4.1.2016 को खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के साथ मीटिंग की गई जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश (सन्दर्भ संख्या 1) में वर्णित जाँच कार्य के परिमाण(**Quantam**) एवं तद्नुसार वांछित अतिरिक्त पदों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई (मीटिंग की कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है)।

समिति के सदस्यगण के साथ खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के द्वारा प्रश्नगत जाँच कार्य के सन्दर्भ में यह व्यक्त किया गया कि इस सचिवालय में उक्त जाँच कार्य से सम्बन्धित प्राप्त हुई करीब 1500 पत्रावलियों में जाँच कार्य के दौरान खान आवंटन सम्बन्धी रिकॉर्ड तथा तत्समय प्रभावी अधिनियम, नियम, विनियम एवं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों का गहनता से परीक्षण करना होगा। इसके अलावा खान आवंटन से सम्बन्धित प्रत्येक स्तर की कार्यवाही के सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण की साक्ष्य रिकॉर्ड करने के साथ-साथ आवंटित खानों का सर्वेक्षण एवं इस सन्दर्भ में आमजन से प्राप्त परिवेदनाओं की जाँच आदि विविध कार्य तथा इन सब का डाटा भी संकलित करना होगा।

इस प्रकार प्रश्नगत जाँच कार्य सम्पादित किये जाने हेतु इस सचिवालय के अधिकारीगण के साथ-साथ खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा न्यूनतम निम्नलिखित पदों की स्वीकृति उचित एवं आवश्यक बताई गई है:-

क्रम सं.	पदनाम	पद सं.	वेतन श्रृंखला
1.	संयुक्त सचिव	02	37400-67000(9500)
2.	उप सचिव	02	15600-39100(7600)
3.	सहायक सचिव	02	15600-39100(6600)
4.	ड्राफ्ट्स मेन	01	9300-34800(5400)
5.	अनुभागाधिकारी	01	9300-34800(4800)
6.	सहायक प्रोग्रामर(कम्प्यूटर)	01	9300-34800(3600)
7.	सूचना सहायक	08	5200-20200(2800)
8.	कनिष्ठ लिपिक	03	5200-20200(2400)
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	नियमित अथवा संविदा पर

अतः संदर्भित पत्र संख्या 1 से 3 एवं मीटिंग दिनांक 04.01.2016 की कार्यवाही विवरण संलग्न करते हुए सन्दर्भित पत्र संख्या 3 के साथ संलग्न वित्त विभाग की टिप्पणी में उल्लेखित निर्देशों के क्रम में वाछित कार्यवाही की जाकर प्रश्नगत जाँच कार्य के परिमाण(**Quantam**) का खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के आंकलन के साथ वांछित पदों की आवश्यकता के मद्देनजर उक्त वर्णित पदों की स्वीकृति सक्षम स्तर से अतिशीघ्र प्रदान करवाया जाना निवेदित है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्नः- उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
Sd/-05.01.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-4.16

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर.

शासन सचिव,
कार्मिक विभाग (क-3),
राजस्थान सरकार, जयपुर।

एफ.25(1)लोआस/2015/33503 दिनांक-05.01.16

विषयः- लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की जाँच कार्य हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन बाबत।

सन्दर्भः- 1. महामहिम राज्यपाल महोदय का आदेश क्रमांकः 7233 दिनांक 17.10.15
2. इस सचिवालय का समसंख्यक पत्र क्रमांकः 295549 दिनांक 03.12.2015
3. कार्मिक विभाग का पत्र क्रः प.(6)(9)का/क-3/शिका/13 दि. 28.12.15

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के सन्दर्भ सं.1 के वर्णित आदेश के क्रम में इस सचिवालय को सुपुर्द किया गया खान आवंटन से सम्बन्धित जाँच कार्य बृहद एवं विशेष प्रकृति का होने के कारण इस सचिवालय के सन्दर्भित पत्र सं.2 (प्रति संलग्न) के द्वारा अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के कतिपय नवीन पद सृजित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। इस पर आपके सन्दर्भित पत्र संख्या 3 के द्वारा वित्त विभाग की इस सन्दर्भ में की गई टिप्पणी की प्रति संलग्न करते हुए इस सचिवालय की टिप्पणी चाही गई है।

वित्त विभाग की उक्त संलग्न टिप्पणी में यह अपेक्षा की गई है कि अतिरिक्त पदों की स्वीकृति से पूर्व माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा खान विभाग के अधिकारीगण के साथ विचार-विमर्श कर प्रश्नगत जाँच कार्य के परिमाण(**Quantam**) के सम्बन्ध में आंकलन कर लिया जावे एवं तत्पश्चात् अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होने की स्थिति में तद्नुसार इस सन्दर्भ में प्रस्ताव प्रेषित किये जावें।

इस सन्दर्भ में माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा समिति गठित की गई। समिति द्वारा दिनांक 4.1.2016 को खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के साथ मीटिंग की गई जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश (सन्दर्भ संख्या 1) में वर्णित जाँच कार्य के परिमाण(**Quantam**) एवं तद्नुसार वांछित अतिरिक्त पदों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई (मीटिंग की कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है)।

समिति के सदस्यगण के साथ खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के द्वारा प्रश्नगत जाँच कार्य के सन्दर्भ में यह व्यक्त किया गया कि इस सचिवालय में उक्त जाँच कार्य से सम्बन्धित प्राप्त हुई करीब 1500 पत्रावलियों में जाँच कार्य के दौरान खान आवंटन सम्बन्धी रिकॉर्ड तथा तत्समय प्रभावी अधिनियम, नियम, विनियम एवं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्रों का गहनता से परीक्षण करना होगा। इसके अलावा खान आवंटन से सम्बन्धित प्रत्येक स्तर की कार्यवाही के सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण की साक्ष्य रिकार्ड करने के साथ-साथ आवंटित खानों का सर्वेक्षण एवं इस सन्दर्भ में आमजन से प्राप्त परिवेदनाओं की जाँच आदि विविध कार्य तथा इन सब का डाटा भी संकलित करना होगा।

इस प्रकार प्रश्नगत जाँच कार्य सम्पादित किये जाने हेतु इस सचिवालय के अधिकारीगण के साथ-साथ खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा न्यूनतम निम्नलिखित पदों की स्वीकृति उचित एवं आवश्यक बताई गई है:-

क्रम सं.	पदनाम	पद सं.	वेतन श्रृंखला
1.	संयुक्त सचिव	02	37400-67000(9500)
2.	उप सचिव	02	15600-39100(7600)
3.	सहायक सचिव	02	15600-39100(6600)
4.	ड्राफ्ट्स मेन	01	9300-34800(5400)
5.	अनुभागाधिकारी	01	9300-34800(4800)
6.	सहायक प्रोग्रामर(कम्प्यूटर)	01	9300-34800(3600)
7.	सूचना सहायक	08	5200-20200(2800)
8.	कनिष्ठ लिपिक	03	5200-20200(2400)
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	नियमित अथवा संविदा पर

अत: संदर्भित पत्र संख्या 1 से 3 एवं मीटिंग दिनांक 04.01.2016 की कार्यवाही विवरण संलग्न करते हुए सन्दर्भित पत्र संख्या 3 के साथ संलग्न वित्त विभाग की टिप्पणी में उल्लेखित निर्देशों के क्रम में वाछित कार्यवाही की जाकर प्रश्नगत जाँच कार्य के परिमाण(**Quantam**) का खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव के आंकलन के साथ वांछित पदों की आवश्यकता के मद्देनजर उक्त वर्णित पदों की स्वीकृति सक्षम स्तर से अतिशीघ्र प्रदान करवाया जाना निवेदित है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्न:- उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
Sd/-05.01.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-4.17

राजस्थान सरकार

कार्मिक(क-3/शिका) विभाग

क्रमांकः प. 6(9)का/क-3/शिका/2013 जयपुर, दिनांकः 27.01.2016

आदेश

लोकायुक्त सचिवालय को खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रक्रिया, जारी किये गये मंशा-पत्र तथा स्वीकृत किये पूर्वक्षण अनुज्ञा-पत्रों की जाँच का कार्य सम्पादित करने हेतु दिनांक 28.02.2017 अथवा उक्त जाँच कार्य पूर्ण होने, जो भी पूर्व में हो, तक लोकायुक्त सचिवालय के बजट मद 2062-00-103-(01)-**[00]**-(**NP**) में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के 20 नवीन पदों का सृजन अस्थायी रूप से किये जाने तथा प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने एवं 05 **Home Guard/Rexco/Retired class-iv employees** की सेवाएँ अनुबन्ध पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम/सेवा	प्रस्तावित नवीन पदों की संख्या	पे बेण्ड	ग्रेड पे	विशेष विवरण
1.	संयुक्त सचिव	02	37400-67000	रू. 9500	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
2.	उप सचिव	02	15600-39100	रू. 7600	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
3.	सहायक सचिव	02	15600-39100	रू. 6600	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
4.	ड्राफ्ट्स मेन	01	9300-34800	रू. 5400	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
5.	अनुभागाधिकारी	01	9300-34800	रू. 4800	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
6.	सहायक प्रोग्रामर(कम्प्युटर)	01	9300-34800	रू. 3600	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
7.	सूचना सहायक	08	5200-20200	रू. 2800	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
8.	लिपिक ग्रेड-II	03	5200-20200	रू. 2400	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति पर)
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	-	-	Services of Home Guard/Rexco/Retired class-iv employees may be obtained
	योग	20 नवीन पद + 5 अन्य			

उपरोक्त स्वीकृति वित्त(व्यय-4) विभाग की आई.डी. संख्या 101600091 दिनांक 21.01.2016 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर दी जाती है।

राज्यपाल महोदय के आदेश से
Sd/-
(विवेक कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार, राज0 जयपुर।
2. सचिव, (I/II), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग।
7. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
8. वित्त बजट विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(भवानी शंकर)
सहायक शासन सचिव

परिशिष्ट–4.18

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर.

एफ.25(1)लोआस/2015/36709 दिनांक–28.01.16

प्रेषितिः–

सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री महोदया
शासन सचिवालय,
जयपुर।

विषयः– लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों की जाँच कार्य हेतु स्वीकृत पदों को प्रतिनियुक्ति के स्थान पर लोकायुक्त सचिवालय के सेवानियमों के तहत भरे जाने बाबत।

सन्दर्भः– कार्मिक (क–3/शिका) विभाग का आदेश संख्या– प.6(9)का/क–3/शिका/2013 जयपुर, दिनांक 27.01.16

महोदय,

लोकायुक्त सचिवालय को खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रकिया, जारी किए गए मंशा–पत्र तथा स्वीकृत किए पूर्वक्षण अनुज्ञा–पत्रों की जाँच का कार्य सम्पादित करने हेतु प्रासंगिक आदेश में निम्न प्रकार कुल 25 पद स्वीकृत किए गए हैः–

क्रम सं.	पदनाम/सेवा	स्वीकृत नवीन पदों की संख्या
1.	संयुक्त सचिव	02
2.	उप सचिव	02
3.	सहायक सचिव	02
4.	ड्राफ्ट्स मेन	01
5.	अनुभागाधिकारी	01
6.	सहायक प्रोग्रामर(कम्प्यूटर)	01
7.	सूचना सहायक	08
8.	लिपिक ग्रेड–**II**	03
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05

उक्त पदों में क्रम संख्या-9 पर अंकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पाँच पदों को छोड़कर शेष सभी पदों के विरूद्ध विशेष विवरण के तहत ''प्रतिनियुक्ति पर'' का अंकन किया गया है।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि लोकायुक्त सचिवालय को उक्त खान आवंटन सम्बन्धी जाँच कार्य हेतु विशेष तकनीकी योग्यताधारी एवं अनुभवी अधिकारीगण/कर्मचारीगण को लेना होगा, जो शीघ्र एवं सुगमता से राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर मिलना काफी कठिन है।

उक्त स्वीकृत अधिकारीगण/कर्मचारीगण के पदों के सन्दर्भ में निवेदन है कि लोकायुक्त सचिवालय में वर्तमान में निम्नलिखित सेवानियम प्रभावी हैं:-

1. राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय वरिष्ठ अधिकारी (सेवा की शर्ते) नियम, 2013
2. राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय अधिकारी (सेवा की शर्ते) नियम, 2013
3. राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा (सेवा की शर्ते) नियम, 2013

उक्त सेवानियमों में सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारीगण को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। सेवारत अधिकारीगण राज्य सरकार के किसी भी विभाग अथवा माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जा सकते हैं तथा साथ ही उचित योग्यताधारी एवं अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण को नियुक्त किए जाने के प्रावधान भी विद्यमान हैं। इस प्रकार क्रम संख्या-4, 6 एवं 7 को छोड़कर शेष सभी स्वीकृत अधिकारीगण/कर्मचारीगण के पदों को लोकायुक्त सचिवालय के उपरोक्त सम्बन्धित सेवानियमों के प्रावधानों के तहत वांछित अनुभव एवं योग्यताधारी अधिकारीगण/कर्मचारीगण से बिना विलम्ब के भरा जा सकता है, जिससे सुपुर्द किए गए उक्त खान आवंटन सम्बन्धी जाँच कार्य के प्रभावी रूप से निस्तारण को गति मिल सकेगी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रासंगिक आदेश के तहत चतुर्थ श्रेणीं कर्मचारी के पाँच पद होमगार्ड/रेक्सको/सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भरे जाने का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में इसी प्रकार के स्वीकृत पदों के सम्बन्ध में रेक्सको द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र दिया गया है तथा निदेशक, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा द्वारा होमगार्ड से कुल आठ घंटे की ड्यूटी लिए जाने एवं प्रत्येक माह इनकी ड्यूटी बदले जाने के साथ-साथ अतिरिक्त भत्ता दिए जाने का उल्लेख किया है। इस प्रकार एक ओर उपलब्ध होने वाले होमगार्ड का पारिश्रमिक इस सचिवालय में वर्तमान में एजेंसी के माध्यम से संविदा पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिए जा रहे वेतन से काफी अधिक होने, इनका ड्यूटी समय इस सचिवालय के कार्यालय समय से कम होने तथा दूसरी ओर होमगार्ड की ड्यूटी हर माह बदले जाने से इनकी सेवाएँ इस सचिवालय के लिए उपयोगी नहीं रह जाती है। इसी सन्दर्भ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पूर्व में स्वीकृत पाँच पदों को एजेंसी के माध्यम

से संविदा पर लिए जाने हेतु प्रस्ताव आपको प्रेषित किया हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में इन पदों को एजेंसी के माध्यम से संविदा पर लिए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना भी निवेदित है।

अतः प्रासंगिक आदेश की फोटोप्रति संलग्न करते हुए क्रम संख्या 1,2,3,5,8 पर वर्णित पदों को इस सचिवालय के सेवा नियमों के तहत भरे जाने हेतु प्रासंगिक आदेश में अंकित ''प्रतिनियुक्ति'' को हटाते हुए इन पदों को इस सचिवालय के उक्त सम्बन्धित सेवानियमों के तहत भरे जाने एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के पदों को एजेंसी के माध्यम से संविदा पर लिए जाने हेतु संशोधित स्वीकृति शीघ्र जारी किया जाना निवेदित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
Sd/-28.01.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–4.19

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर.

एफ.25(1)लोआस/2015/36710 दिनांक–28.01.16

प्रेषितिः–

शासन सचिव,
कार्मिक (क–3/शिका) विभाग
शासन सचिवालय,
जयपुर।

विषयः– लोकायुक्त सचिवालय को सुपुर्द किये गये खान विभाग से सम्बन्धि प्रकरणों की जाँच कार्य हेतु स्वीकृत पदों को प्रतिनियुक्ति के स्थान पर लोकायुक्त सचिवालय के सेवानियमों के तहत भरे जाने बाबत।

सन्दर्भः– कार्मिक (क–3/शिका) विभाग का आदेश संख्या– प.6(9)का/क–3/शिका/2013 जयपुर, दिनांक 27.01.16

महोदय,

लोकायुक्त सचिवालय को खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रकिया, जारी किए गए मंशा–पत्र तथा स्वीकृत किए पूर्वक्षण अनुज्ञा–पत्रों की जाँच का कार्य सम्पादित करने हेतु प्रासंगिक आदेश में निम्न प्रकार कुल 25 पद स्वीकृत किए गए हैं:–

क्रम सं.	पदनाम/सेवा	स्वीकृत नवीन पदों की संख्या
1.	संयुक्त सचिव	02
2.	उप सचिव	02
3.	सहायक सचिव	02
4.	ड्राफ्ट्स मेन	01
5.	अनुभागाधिकारी	01
6.	सहायक प्रोग्रामर(कम्प्युटर)	01
7.	सूचना सहायक	08
8.	लिपिक ग्रेड–II	03
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05

उक्त पदों में क्रम संख्या-9 पर अंकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पाँच पदों को छोड़कर शेष सभी पदों के विरूद्ध विशेष विवरण के तहत ''प्रतिनियुक्ति पर'' का अंकन किया गया है।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि लोकायुक्त सचिवालय को उक्त खान आवंटन सम्बन्धी जाँच कार्य हेतु विशेष तकनीकी योग्यताधारी एवं अनुभवी अधिकारीगण/कर्मचारीगण को लेना होगा, जो शीघ्र एवं सुगमता से राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर मिलना काफी कठिन है।

उक्त स्वीकृत अधिकारीगण/कर्मचारीगण के पदों के सन्दर्भ में निवेदन है कि लोकायुक्त सचिवालय में वर्तमान में निम्नलिखित सेवानियम प्रभावी हैः-

1. राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय वरिष्ठ अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013
2. राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2013
3. राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा (सेवा की शर्तें) नियम, 2013

उक्त सेवानियमों में सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारीगण को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। सेवारत अधिकारीगण राज्य सरकार के किसी भी विभाग अथवा माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जा सकते हैं तथा साथ ही उचित योग्यताधारी एवं अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण को नियुक्त किए जाने के प्रावधान भी विद्यमान हैं। इस प्रकार क्रम संख्या-4, 6 एवं 7 को छोड़कर शेष सभी स्वीकृत अधिकारीगण/कर्मचारीगण के पदों को लोकायुक्त सचिवालय के उपरोक्त सम्बन्धित सेवानियमों के प्रावधानों के तहत वांछित अनुभव एवं योग्यताधारी अधिकारीगण/कर्मचारीगण से बिना विलम्ब के भरा जा सकता है, जिससे सुपुर्द किए गए उक्त खान आवंटन सम्बन्धी जाँच कार्य के प्रभावी रूप से निस्तारण को गति मिल सकेगी।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रासंगिक आदेश के तहत चतुर्थ श्रेणीं कर्मचारी के पाँच पद होमगार्ड/रेक्सको/सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भरे जाने का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में इसी प्रकार के स्वीकृत पदों के सम्बन्ध में रेक्सको द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र दिया गया है तथा निदेशक, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा द्वारा होमगार्ड से कुल आठ घंटे की ड्यूटी लिए जाने एवं प्रत्येक माह इनकी ड्यूटी बदले जाने के साथ-साथ अतिरिक्त भत्ता दिए जाने का उल्लेख किया है। इस प्रकार एक ओर उपलब्ध होने वाले होमगार्ड का पारिश्रमिक इस सचिवालय में वर्तमान में एजेंसी के माध्यम से संविदा पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिए जा रहे वेतन से काफी अधिक होने, इनका ड्यूटी समय इस सचिवालय के कार्यालय समय से कम होने तथा दूसरी ओर होमगार्ड की ड्यूटी हर माह बदले जाने से इनकी सेवाएँ इस सचिवालय के लिए उपयोगी नहीं रह जाती है। इसी सन्दर्भ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पूर्व में स्वीकृत पाँच पदों को एजेंसी के माध्यम

से संविदा पर लिए जाने हेतु प्रस्ताव आपको प्रेषित किया हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में इन पदों को एजेंसी के माध्यम से संविदा पर लिए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना भी निवेदित है।

अतः प्रासंगिक आदेश की फोटोप्रति संलग्न करते हुए क्रम संख्या 1,2,3,5,8 पर वर्णित पदों को इस सचिवालय के सेवा नियमों के तहत भरे जाने हेतु प्रासंगिक आदेश में अंकित ''प्रतिनियुक्ति'' को हटाते हुए इन पदों को इस सचिवालय के उक्त सम्बन्धित सेवानियमों के तहत भरे जाने एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के पदों को एजेंसी के माध्यम से संविदा पर लिए जाने हेतु संशोधित स्वीकृति शीघ्र जारी किया जाना निवेदित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
Sd/-28.01.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-4.20

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-3/शिका) विभाग

क्रमांक: प. 6(9)का/क-3/शिका/2013 जयपुर, दिनांक: 26.02.2016

आदेश

लोकायुक्त सचिवालय को खान विभाग एवं इसके अधीनस्थ अधिकारीगण द्वारा व्यवहार में लायी गयी समस्त आवंटन प्रक्रिया, जारी किये गये मंशा-पत्र तथा स्वीकृत किये पूर्वक्षण अनुज्ञा-पत्रों की जाँच का कार्य सम्पादित करने हेतु इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.01.2016 द्वारा नवीन पदों का सृजन अस्थाई रूप से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश के क्रम संख्या 1 से 3, 5, 8 व 9 पर अंकित पदों के लिए निम्नानुसार संशोधित स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

पदनाम	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत	संशोधित स्वीकृति
संयुक्त सचिव	2	नवीन पद सृजन (प्रतिनियुक्ति के साथ-साथ लोकायुक्त सचिवालय के नियमों के तहत सेवानिवृत कार्मिकों के माध्यम से)
उप सचिव	2	
सहायक सचिव	2	
अनुभागाधिकारी	1	
लिपिक ग्रेड-**II**	3	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	**Service of Home Guard/REXCO/Retired class IV employees** के साथ साथ **Deputation/Reverse Deputation** पर

आदेश दिनांक 27.01.2016 में अंकित शेष पद व शर्ते यथावत रहेंगी। उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई डी संख्या 181600122 दिनांक 25.02.2016 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर दी जाती है।

राज्यपाल महोदय के आदेश से
Sd/-
(विवेक कुमार)
शासन उप सचिव

अध्याय-5

अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित अनुशंसा प्रतिवेदन के प्रकरण

यदि किसी कृत्य, जिसके सम्बन्ध में कोई अभिकथन अन्तर्ग्रस्त करने वाली कोई शिकायत की गई है, या की जा सकती है अथवा की जा सकती थी, के सम्बन्ध में अन्वेषण के पश्चात् लोकायुक्त का समाधान हो जाये, कि ऐसे अभिकथन को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में लोकायुक्त द्वारा लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से सुसंगत दस्तावेज, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के साथ अधिनियम की धारा 12(1) के अन्तर्गत अपना निष्कर्ष व सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को संसूचित (Communicate) किये जाने का प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रेषित अनुशंसा के प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

एफ.3(97)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री अर्जुनराम, आर.पी.एस., तत्कालीन वृत्ताधिकारी, वृत्त-लालसोट (दौसा), श्री मानसिंह वर्मा, तत्कालीन सहायक लोक अभियोजक-प्रथम, न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, लालसोट, श्री मोहनलाल शर्मा, पुलिस निरीक्षक, तत्कालीन थानाधिकारी व श्री रामसिंह, तत्कालीन हैडकॉन्स्टेबल, पुलिस-थाना लालसोट जिला दौसा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 258/2014, पुलिस थाना लालसोट में अभियुक्तगण को लाभ पहुँचाने की नीयत से नियमानुसार पूर्ण व निष्पक्ष अनुसन्धान नहीं करने व अपूर्ण अनुसन्धान के बावजूद न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत करवाया जाकर पद का दुरूपयोग करते हुए दुराचरण करने बाबत।

परिवादी श्री सीताराम जागा से इस सचिवालय में दिनांक 01.06.2015 को प्राप्त परिवाद में यह शिकायत की गई कि उसके द्वारा पुलिस थाना, लालसोट में पंजीबद्ध करवाई गई प्र.सू.रि. संख्या 258/2014 में अनुसन्धान अधिकारी श्री रामसिंह, हैडकॉन्स्टेबल ने अभियुक्तगण को लाभ पहुँचाने की नीयत से अनुसन्धान अपूर्ण होने के बावजूद अनुसन्धान पूर्ण होना बताकर साधारण अपराध में न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया। उसके द्वारा अनुसन्धान अधिकारी रामसिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी लालसोट के विरूद्ध जाँच कर कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचनाएँ/दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य आदि का विश्लेषण व परीक्षण करने के उपरान्त प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसन्धान अधिकारी श्री रामसिंह, हैडकॉन्स्टेबल द्वारा पूरा अनुसन्धान किए बिना लघु अपराध में न्यायालय में चार्ज शीट प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली थानाधिकारी को प्रस्तुत कर दी। तत्कालीन थानाधिकारी श्री मोहनलाल शर्मा ने अनुसन्धान पत्रावली में रखी गई आवश्यक कमियों को नजरन्दाज किया, तत्कालीन वृत्ताधिकारी श्री अर्जुनराम द्वारा अनुसन्धान पत्रावली का गहनता से परीक्षण किए बिना ही न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए तथा तत्कालीन सहायक लोक अभियोजक-प्रथम श्री मानसिंह वर्मा ने अनुसन्धान पत्रावली का परीक्षण किए बिना ही उसमें कमियाँ होने के बावजूद न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया। इसलिये उक्त सभी लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करने एवं अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री अर्जुनराम, आर.पी.एस., तत्कालीन वृत्ताधिकारी-वृत्त, लालसोट (दौसा), श्री मोहनलाल शर्मा, पुलिस निरीक्षक, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस-थाना लालसोट, श्री रामसिंह, हैडकॉन्स्टेबल नम्बर-39, पुलिस-थाना लालसोट जिला दौसा व श्री मानसिंह वर्मा, तत्कालीन सहायक लोक अभियोजक-प्रथम, (न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 लालसोट) के विरूद्ध निम्नानुसार पदीय शक्ति का दुरूपयोग कर दुराचरण करने के आरोप प्रमाणित पाए गए :-

1 : लोकसेवक श्रीरामसिंह

उक्त आरोपी लोकसेवक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 258/2014 के अनुसन्धान अधिकारी के बतौर आहतगण सीताराम जागा व आरती के बयान लेखबद्ध नहीं किए व उनकी चोटों के बारे में आवश्यक चिकित्सीय साक्ष्य भी एकत्रित नहीं की।

2 : लोकसेवक श्री मोहनलाल शर्मा

उक्त आरोपी लोकसेवक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 258/2014 में अनुसन्धान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में अनुसन्धान में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित नहीं किए जाने के तथ्य को नजरन्दाज करके न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत करने की सिफारिश कर दी।

3 : लोकसेवक श्री अर्जुन सिंह

उक्त आरोपी लोकसेवक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 258/2014 में अनुसंधान अधिकारी व थानाधिकारी द्वारा आवश्यक साक्ष्य एकत्रित नहीं करने के बावजूद अपूर्ण अनुसन्धान के आधार पर ही न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए।

4: लोकसेवक श्री मानसिंह

उक्त आरोपी लोकसेवक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 258/2014 में अनुसन्धान के पश्चात् प्रस्तुत हुई पत्रावली में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित नहीं होने के बावजूद इस सम्बन्ध में कमियाँ पूरी करने के लिए टिप्पणी अंकित नहीं की अपितु न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री अर्जुनराम, आर.पी.एस. तत्कालीन वृत्ताधिकारी, वृत्त-लालसोट के सक्षम प्राधिकारी- माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.03(97)लोआस/2015/U/s-12/6080 दिनांक 12.05.2017 से, श्री मानसिंह वर्मा, तत्कालीन सहायक लोक अभियोजक-प्रथम, लालसोट व श्री मोहनलाल शर्मा, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा के सक्षम प्राधिकारी-प्रभारी मंत्री, गृह-विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ. 03(97)लोआस/2015/U/s 12/6079 दिनांक 12.05.2017 से एवं आरोपी लोकसेवक श्री रामसिंह, तत्कालीन हैडकॉन्स्टेबल संख्या 39 पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा के सक्षम प्राधिकारी- शासन सचिव, गृह-विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.03(97)लोआस/2015/U/s12/6078 दिनांक 12.05.2017 से भेजकर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना में कार्यालय, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ने पत्र क्रमांक 2046-2048 दिनांक 18.01.2017 से अवगत करवाया है कि

श्री अर्जुनराम तत्कालीन वृत्ताधिकारी, वृत्त लालसोट, हाल वृत्ताधिकारी चोहटन जिला बाड़मेर, श्री मोहनलाल शर्मा, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना लालसोट हाल- संचित निरीक्षक, पुलिस लाइन, दौसा जिला दौसा एवं श्री रामसिंह तत्कालीन हैडकॉन्स्टेबल नम्बर 39 हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस लाइन, दौसा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत जाँच में ज्ञापन, आरोप-पत्र जारी किए जा चुके हैं। विशिष्ठ सहायक सचिव गृह (विधि), गृह (ग्रप-10) विभाग द्वारा पत्र दिनांक 06.12.2017 से अवगत करवाया गया है कि श्री मानसिंह वर्मा, तत्कालीन सहायक लोक अभियोजक, प्रथम श्रेणी को राज्य कार्य सम्पादित करते समय अत्यधिक सतर्क रखकर कार्य करने हेतु लिखित हिदायत दी जा चुकी है।

अनुशंसा की पालना में की गई आगामी कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.3(338)/लोआस/2016

लोकसेवकगण श्री रणवीर सिंह, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना-हनुमानगढ़ जंक्शन एवं श्री हरफूल सिंह, तत्कालीन उप-निरीक्षक, पुलिस थाना-हनुमानगढ़ जंक्शन(अनुसन्धानकर्ता) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 316/2016 पुलिस थाना-हनुमानगढ़ जंक्शन के अनुसन्धान में जानबूझकर विधि विरूद्ध एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्यवाही कर पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादी श्री अंकित गोयल से इस सचिवालय में दिनांक 28.07.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार शिकायत का सार यह है कि परिवादी के दादाजी की वसीयत के सम्बन्ध में भटिण्डा कोर्ट में चल रहे उसके दावे का शीघ्र निस्तारण कराने हेतु मंजीत यादव नामक व्यक्ति ने स्वयं को सरकारी वकील बताते हुए उससे 30,000/- रूपये ले लिए। कुछ दिन पश्चात् काम कराने के खर्चे हेतु दो लाख रूपये और माँगे, इस पर

परिवादी ने मंजीत यादव को 55,000/- रूपये और दे दिए। इसके पश्चात उक्त मंजीत यादव ने परिवादी को अपने घर बुलाकर दादादी के नाम का सौ रूपये का स्टाम्प दिया तथा बाकी पैसों का भी इन्तजाम करने के लिए कहा। उस स्टाम्प में काँट-छाँट होने से परिवादी ने काशीराम स्टाम्प-विक्रेता को वह स्टाम्प दिखाया तो उसने बताया कि स्टाम्प अन्य व्यक्ति के नाम से जारी हुआ है जिसका नाम हटाकर एवं परिवादी के दादाजी का नाम लिखकर स्टाम्प तैयार किया गया है। इसकी शिकायत मंजीत यादव से की गई तथा पैसे वापिस माँगे तो मंजीत यादव ने उसे झूठे केस में फँसाने की धमकी दी। बाद में मालूम हुआ कि मंजीत यादव सरकारी वकील नहीं होकर ए.पी.पी. कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत है। परिवादी द्वारा मंजीत यादव के विरूद्ध पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 316/2016 भा.दं.सं. की धारा 419, 420, 465, 467, 468 एवं 471 के अपराध में दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/दस्तावेजात एवं प्रस्तुत हुई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के विश्लेषण एवं परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि प्रकरण के अनुसन्धान अधिकारी श्री हरफूलसिंह, तत्कालीन उप-निरीक्षक एवं श्री रणवीर सिंह, थानाधिकारी, पुलिस थाना-हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा अपनी पदीय शक्तियों के निर्वहनमें अकर्मण्यता एवं पदीय दुरूपयोग करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 419, 420 व 468 के अपराध हेतु प्रथमदृष्टया साक्ष्य होते हुए भी केवल धारा 465 का ही अपराध मानते हुए अंतिम प्रतिवेदन (नकारात्मक) प्रस्तुत किया गया । इसलिये उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया एवं साक्षीगण के सशपथ कथन लेखबद्ध किए गए जिनसे लोकसेवकगण को उससे प्रतिपरीक्षा करने एवं अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री रणवीरसिंह, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना-हनुमानगढ़ जंक्शन व श्री हरफूलसिंह, तत्कालीन उप-निरीक्षक, पुलिस थाना-हनुमानगढ़ जंक्शन के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाए गए -

1 . लोकसेवक श्री रणवीर सिंह:

उक्त लोकसेवक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 316/2016 की अनुसन्धान पत्रावली का अपने स्तर पर परीक्षण एवं विश्लेषण किए बिना ही अनुसन्धान अधिकारी श्री हरफूल सिंह की रिपोर्ट को ही सही मानकर पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्यवाही करते हुए न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन (नकारात्मक) प्रस्तुत कर दिया जबकि अनुसन्धान में अभियुक्त मंजीत यादव के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 419, 420 व 468 के अपराध में कार्यवाही हेतु पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित हुई थी। इस प्रकार उक्त श्री रणवीर सिंह ने अभियुक्त मंजीत यादव के विरूद्ध उक्त अपराधों में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बजाए न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन (नकारात्मक) प्रस्तुत करके अपनी पदीय शक्तियों कादुरूपयोग किया ।

2 . <u>लोकसेवक श्री हरफूल सिंह</u>:

उक्त लोकसेवक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 316/2016 के अनुसन्धान में एकत्रित हुई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त मंजीत यादव के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 419, 420 व 468 का अपराध सिद्ध होने की पर्याप्त साक्ष्य होते हुए भी वैधानिक प्रावधानों के विपरीत धारा 465 का अपराध ही बनना मानते हुए अंतिम रिपोर्ट (नकारात्मक) प्रस्तुत करने हेतु अनुसन्धान पत्रावली थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी। इस प्रकार विधि विरूद्धएवं पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करके अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया ।

<u>अनुशंसा :</u>

अत: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अन्तर्गत आरोपी लोक सेवकगणश्री रणवीरसिंह, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना-हनुमानगढ़ जंक्शन व श्री हरफूलसिंह, तत्कालीन उप-निरीक्षक, पुलिस थाना-हनुमानगढ़ जंक्शन के सक्षम प्राधिकारी शासन सचिव, गृह-विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक एफ.3(338)LAS/2016/us-12/31320 दिनांक 13.11.2017 से भेज कर उक्त लोकसेवकगण के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जाँच की कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत कराने की अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना में संयुक्त शासन सचिव, पुलिस गृह(ग्रुप-1) राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक: प.10(10)गृह-1/17 दिनांक 30.11.2017 प्रेषित कर उक्त दोनों आरोपी लोकसेवकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जाँच कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही या की जाने वाले प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना

इस सचिवालय को भिजवाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। जिसकी प्रति इस सचिवालय को भेजी गई है।

अनुशंसा की पालना में की गई आगामी कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.3(392)लोआस/2016

लोकसेवकगण श्री माधाराम, तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक एवं श्री ओमप्रकाश, तत्कालीन मुख्य आरक्षी सँख्या 172, पुलिस-थाना, कोतवाली पाली द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 208/2016 पुलिस-थाना, कोतवाली पाली का अनुसन्धान उचित, निष्पक्ष एवं सही तरीके से करने के बजाए गलत तथ्यों के आधार पर परिवादी श्री अशरफ के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 व 411 एवं वन अधिनियम की धारा 41,42/77 के आरोपों में अपराध बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत कर पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादी श्री अशरफ खान से इस सचिवालय में दिनांक 23.08.2016 को प्राप्त परिवाद में यह शिकायत की गई कि उन्होंने ग्राम पंचायत, जाणुदा से गोचर भूमि में उगी हुई अंग्रेजी बबूल की झाड़ियों की कटाई व सफाई का ठेका लिया था, जिसके तहत ही लकड़ी की कटाई कर बनाए गए कोयले को अपने ट्रक संख्या आर. जे. 22 जी. ए. 1718 में भरकर ग्राम जाणुदा से बाड़सा होकर मारवाड़ जंक्शन भेजा गया था। पुलिस थाना कोतवाली, पाली के मुख्य आरक्षी श्री ओमप्रकाश ने जबरन व गैर कानूनी तरीके से ग्राम बाड़सा से उनके ट्रक को पकड़कर पुलिस थाना, कोतवाली पर लाकर बन्द कर दिया। परिवादी ने उनको स्पष्ट किया कि कोयला उसका खरीदशुदा है किन्तु इसके बावजूद ट्रक छोड़ने के एक लाख रूपये माँगे तथा रकम नहीं देने पर उसे गिरफ्तार कर लिया एवं पुलिस थाना, कोतवाली पर प्र.सू.रि. सँख्या 208/2016 अन्तर्गत धारा 379,

411 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 41, 42/77 वन अधिनियम में दर्ज करवा दी।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, पाली से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/दस्तावेजात एवं लेखबद्ध की गई मौखिक साक्ष्य आदि का विश्लेषण व परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाये गया कि **श्री माधाराम, तत्कालीन पुलिस उप निरीक्षक एवं श्री ओमप्रकाश, तत्कालीन मुख्य आरक्षी संख्या 172 पुलिस-थाना, कोतवाली पाली** द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 208/2016 पुलिस थाना कोतवाली, पाली का अनुसंधान निष्पक्ष, उचित एवं सही तरीके से नहीं किया अपितु अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर गलत तथ्यों के आधार पर अपराध बनने की रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करने एवं अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर लोकसेवक श्री माधाराम तत्कालीन पुलिस उप निरीक्षक के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए, इसलिये उसे लगाये गये आरोपों से उन्मोचित कर उसके विरूद्ध अन्वेषण कार्यवाही समाप्त की गई।

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अन्य आरोपी लोकसेवक **श्री ओमप्रकाश, तत्कालीन मुख्य आरक्षी संख्या 172 पुलिस-थाना, कोतवाली पाली** के विरूद्ध यह आरोप

प्रमाणित पाया गया कि उसने परिवादी अशरफ के कोयले से भरे ट्रक नम्बर आर. जे. 22 जी. ए. 1718 को पुलिस थाना कोतवाली पाली के क्षेत्राधिकार से बाहर पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्राम बाड़सा से जब्त कर परिवादी को गिरफ्तार किया और इस प्रकार विधि विरूद्ध रूप से परिवादी को अनुचित अपहानि कारित कर पद का दुरूपयोग किया।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक **श्री ओमप्रकाश, तत्कालीन मुख्य आरक्षी संख्या** 172 **पुलिस-थाना, कोतवाली पाली** के सक्षम प्राधिकारी-प्रमुख शासन सचिव, गृह-विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ. 3(392)लोआस/2016/U/s 12/42391 दिनांक 06.02.2018 से भेजकर उसके विरूद्ध विद्यमान एंव प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.3(403)लोआस/2016

लोकसेवकगण श्री चेतराम, तत्कालीन उप-निरीक्षक थानाधिकारी एवं श्री जलेसिंह, तत्कालीन सहायक उप-निरीक्षक, पुलिस थाना, लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 126/2016, पुलिस थाना, लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर के अनुसन्धान में अभियुक्त समयसिंह को बचाने के उधेश्य से उचित एवं सही अन्वेषण व पर्यवेक्षण नहीं करके पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में लोप व अकर्मण्यता करते हुए पदीय दुरूपयोग एवं कदाचार/भ्रष्टाचार करने बाबत।

परिवादी श्री टीकमचन्द से इस सचिवालय में दिनांक 29.08.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार शिकायत का सार है कि उसके द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 126/2016 पुलिस थाना, लक्ष्मनगढ, जिला अलवर में अनुसन्धान अधिकारी जलेसिंह, सहायक उप–निरीक्षक द्वारा अभियुक्तगण से साँठ–गाँठ करके कोई ठोस व प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। मामले का निष्पक्षता से सही अनुसन्धान नहीं किया जा रहा है। परिवादी ने अनुसन्धान किसी अन्य उच्चाधिकारी से करवाने व उसकी मोटरसाईकिल बरामद करवाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करवाने की प्रार्थना की।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, अलवर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/दस्तावेजात/सूचना के अवलोकन एवं परीक्षण के उपरान्त प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि प्रकरण के अनुसन्धान में थानाधिकारी श्री चेतराम द्वारा पर्यवेक्षकीय अधिकारी के बतौर अपने पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में लापरवाही की गई व श्री जलेसिंह, सहायक उप–निरीक्षक द्वारा निष्पक्षता से सही अनुसन्धान नहीं किया गया। इसलिये उक्त लोकसेवकों के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री चेतराम उप–निरीक्षक, थानाधिकारी व श्री जलेसिंह, सहायक उप–निरीक्षक, पुलिस थाना, लक्ष्मनगढ़, जिला अलवर के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाए गए :

1 . लोकसेवक श्री चेतराम :

उक्त लोकसेवक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 126/2016 के अनुसन्धान में अनुसन्धान अधिकारी श्री जलेसिंह को अभियुक्त समयसिंह के अपराध में संलिप्त होने के सम्बन्ध में अन्वेषण किए जाने हेतु निर्देश नहीं देकर पर्यवेक्षकीय दायित्व के निर्वहन में लोप व अकर्मण्यता की जो पद के दुरूपयोग का द्योतक होने से कदाचार एवं भ्रष्टाचार की श्रेणी में है।

2 . लोकसेवक श्री जले सिंह:

उक्त लोकसेवक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 126/2016 के अनुसन्धान के दौरान अभियुक्त समयसिंह को वैध दण्ड से बचाने के आशय से अपराध में उसकी संलिप्तता बाबत कोई अन्वेषण नहीं किया गया और इस प्रकार अपने पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में लोप व अकर्मण्यता की गई जो पद के दुरूपयोग का द्योतक होने से कदाचार एवं भ्रष्टाचार की श्रेणी में है।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण श्री जलेसिंह, सहायक उप-निरीक्षक एवं श्री चेतराम, उप-निरीक्षक, पुलिस थाना, लक्ष्मनगढ़, जिला अलवर के सक्षम प्राधिकारी-प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.3(403) LAS/ 2016/ u/s-12/42863 दिनांक 08.02.18 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.3(405)लोआस/2016

1. लोकसेवक श्री भँवरलाल, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना, टिब्बी (हनुमानगढ़) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 327/2015 पुलिस थाना, टिब्बी के अनुसन्धान में एकत्रित हुई पर्याप्त साक्ष्य की अनदेखी कर अंतिम प्रतिवेदन (नकारात्मक) प्रस्तुत करके पद का दुरूपयोग करने बाबत।

2. लोकसेवक श्री बलविन्द्र सिंह, तत्कालीन कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत, सलेमगढ़ मसानी, टिब्बी (हनुमानगढ़) द्वारा कृषकों को अनुदानित बीजों का नि:शुल्क वितरण किए जाने में फर्जकारी व गंभीर अनियमितता कर भ्रष्टाचार एवं पद का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादी श्री कनीराम से इस सचिवालय में दिनांक 29.08.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार शिकायत का सार यह है कि उसने पुलिस थाना, टिब्बी में अभियुक्त बलविन्द्र के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 420, 406, 465, 467, 468 एवं 471 के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 327/2015 दर्ज करवाई थी लेकिन लगभग नौ माह का समय गुजर जाने के बावजूद अभियुक्त को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है एवं अनुसन्धान में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उसे अनुसन्धान अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। जिला पुलिस, अधीक्षक को भी प्रार्थना की गई कि किसी ईमानदार पुलिस अधिकारी से जाँच करवाई जावे ताकि उसको न्याय मिल सके।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/दस्तावेजात/ सूचना, उप अधीक्षक, पुलिस वृत्त, संगरिया के कार्यालय की काउण्टर पत्रावली एवं परिवादी के सशपथ कथनों के अवलोकन एवं परीक्षण के उपरान्त प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्री बलविन्द्र सिंह, तत्कालीन कृषि पर्यवेक्षक ने बीजों के वितरण में फर्जी इन्द्राज करके अनियमितता की एवं इस मामलें में परिवादी की ओर से पुलिस थाना, टिब्बी में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसन्धान में अनुसन्धान

अधिकरी श्री भँवरलाल ने वैधानिक दायित्वों का विधिवत निर्वहन किए बिना व पूर्ण जाँच किए बिना अंतिम प्रतिवेदन (नकारात्मक) प्रस्तुत किया। इसलिये उक्त दोनों लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना लिखित प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने, परिवादी से जिरह करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया। लोकसेवकगण ने अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया परन्तु उसके पश्चात् अन्वेषण के दौरान उपस्थित नहीं आए तथा उनकी ओर से कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई। अन्वेषण में परिवादी व अन्य साक्षियों के सशपथ कथन लेखबद्ध किए गए।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाए गए–

1. श्री भँवरलाल प्र0सू0रि0 सँख्या 327/2015, पुलिस थाना, टिब्बी का अनुसन्धान निष्पक्षता से नहीं किया, वांछनीय आवश्यक साक्ष्य एकत्रित नहीं की तथा अनुसन्धान में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद उसकी अनदेखी करके अंतिम प्रतिवेदन (नकारात्मक) प्रस्तुत कर दिया और इस प्रकार अपने पद का दुरूपयोग किया ।

2. श्री बलविन्द्र सिंह– वर्ष 2002 से वर्ष 2014 तक ग्राम सलेमगढ़ मसानी में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर कार्य करते हुए कृषकों को अनुदानित बीजों के निःशुल्क वितरण में फर्जकारी, गंभीर अनियमितता व भ्रष्टाचार करके पद का दुरूपयोग किया गया।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण **श्री बलविन्द्र सिंह, तत्कालीन कृषि पर्यवेक्षक, सलेमगढ़ मसानी, तहसील टिब्बी जिला-हनुमानगढ़** के सक्षम प्राधिकारी-प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.3(405) LAS/ 2016/ u/s-12/ दिनांक 01.01.2018 से एवं **श्री भँवरलाल तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस-थाना, टिब्बी, जिला-हनुमानगढ़** के सक्षम प्राधिकारी-शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.3(405) LAS/ 2016/ u/s-12/ दिनांक 01.01.18 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही कर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गयी ।

अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.3(466)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री सुधीर कुमार, श्री अध्यात्म गौतम, श्री रामखिलाड़ी मीणा एवं श्री गुलाबसिंह, तत्कालीन थानाधिकारीगण, पुलिस थाना-नादौती, जिला-करौली, श्री राजेश यादव एवं श्री ओंकार सिंह भाटी, तत्कालीन वृत्ताधिकारीगण, वृत्त टोडाभीम, जिला-करौली, श्री रामजीलाल चन्देल एवं श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण, सी.आई.डी. (सी.बी.), जयपुर, श्री अंतुलाल, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना-नादौती, जिला-करौली एवं श्री रमेश चन्द, तत्कालीन मुख्य आरक्षक, एस.एम.एस. पुलिस चौकी, जयपुर द्वारा पुलिस थाना-नादौती, जिला-करौली की प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 236/2008 एवं श्री ओमप्रकाश गुप्ता एवं श्री रामेश्वर प्रसाद खारवाल की गंभीर अपराध की रिपोर्ट के सम्बन्ध में

अनुसन्धान के दौरान गंभीर लापरवाही व उदासीनता करते हुए पद का दुरूपयोग करने बाबत।

इस सचिवालय में विचाराधीन अन्य प्रकरण सँख्या 3(567)/लोआस/2014 की जाँच के दौरान यह प्रकट हुआ कि पुलिस थाना-नादौती, जिला-करौली में पंजीबद्ध हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 236/2008 में तथ्यों के अनुसार आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध दर्ज नहीं किया गया, नामजद अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया, गंभीर रूप से आहतगण के बयान नहीं लिए गये, एक्स-रे रिपोर्ट/ऑपरेशन नोट के दस्तावेजात प्राप्त नहीं किये गये इत्यादि। अतः इस सम्बन्ध में यह प्रकरण पृथक से पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध-शाखा), राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं अनुसन्धान से सम्बन्धित केस डायरी के अवलोकन, परिशीलन एवं परीक्षण के उपरान्त प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि प्रथम अनुसन्धान अधिकारी श्री सुधीर कुमार एवं उसके पश्चात् के अनुसन्धान अधिकारीगण द्वारा प्रकरण के अनुसन्धान में गंभीर लापरवाही की गई है। इसलिये उपर्युक्त लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री रामजीलाल चन्देल एवं श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण, सी.आई.डी. (सी.बी.), जयपुर, श्री रामखिलाड़ी मीणा एवं श्री गुलाबसिंह, तत्कालीन थानाधिकारीगण, पुलिस थाना-नादौती, जिला-करौली एवं श्री अंतुलाल तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना-नादौती, जिला-करौली के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 236/08 पुलिस थाना-नादौती, जिला-करौली के अनुसन्धान के दौरान अपने पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में अपेक्षित कार्यवाही नहीं कर उदासीनता एवं लापरवाही की गई।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण श्री रामखिलाड़ी मीणा एवं श्री गुलाबसिंह तत्कालीन थानाधिकारीगण, पुलिस थाना-नादौती, जिला-करौली, श्री अंतुलाल, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना-नादौती, जिला-करौली के सक्षम प्राधिकारी-शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.3(466) LAS/ 2015/ u/s-12/23483 दिनांक 13.09.2017 से भेजकर एवं आरोपी लोकसेवकगण श्री रामजीलाल चन्देल एवं श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण, सी.आई.डी. (सी.बी.), जयपुर के सक्षम प्राधिकारी- सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.3 (466) LAS/ 2015/u/s-12/23482 दिनांक 13.09.2017 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत वांछित अनुशासनिक

कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना में वरिष्ठ उप शासन सचिव, पुलिस, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर, को प्रेषित पत्र दिनांक 26.09.2017 की प्रति इस सचिवालय को भिजवाई गई है, जिसमें उनसे श्री रामखिलाड़ी मीणा व श्री गुलाबसिंह तत्कालीन थानाधिकारीगण, पुलिस थाना-नादौती, जिला-करौली एवं श्री अंतुलाल, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना-नादौती, जिला-करौली के विरूद्ध इस सचिवालय के अन्वेषण प्रतिवेदन के सन्दर्भ में वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर अवगत करवाने हेतु लिखा गया है। इस सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही की सूचना एवं अन्य आरोपी लोकसेवकगण श्री रामजीलाल चन्देल एवं श्रीमती सरिता सिंह के सम्बन्ध में अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.3(703)लोआस/2014

लोकसेवक श्री श्रवणलाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना, सुभाषनगर, भीलवाड़ा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 20/2015 पुलिस थाना, सुभाषनगर (भीलवाड़ा) के अनुसन्धान में परिवादी राजकुमार सेठी द्वारा माँगी गई रिश्वत नहीं देने पर उसे विधिक प्रावधानों की अनुपालना किए बिना गिरफ्तार कर एवं गिरफ्तारी के समय बाबत विरोधाभासी दस्तावेज बनाकर पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादी श्री राजकुमार से इस सचिवालय में दिनांक 30.03.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार शिकायत का सार है कि वह अपने ट्रक ट्रेलर आर0जे0 32-जी 2259 को चान्दमल जोशी को बेचकर फाइनेंस कम्पनी को सूचित कर चुका था, इसके बावजूद फाइनेंस कम्पनी ने उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 20/2015 पुलिस थाना, सुभाषनगर में दर्ज

करवा दी जिसके अनुसन्धान अधिकारी श्री श्रवण कुमार मीणा ने बीस हजार रूपये देने का दबाव बनाया तथा माँगी गई राशि देने में असमर्थ होने पर उसे बिना नोटिस दिए दिनांक 15.03.2015 को गिरफ्तार कर लिया।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/दस्तावेजात/सूचना के अवलोकन एवं परीक्षण के उपरान्त प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्री श्रवणलाल, अनुसन्धान अधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बिना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 20/2015 पुलिस थाना, सुभाषनगर (भीलवाड़ा) के अनुसंधान में परिवादी को गिरफ्तार कर पद कर दुरूपयोग किया। इसलिये उक्त लोकसेवक के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। उसे प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक श्री **श्रवणलाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना, सुभाषनगर (भीलवाड़ा)** के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 20/2015 पुलिस थाना सुभाषनगर के अनुसन्धान के दौरान परिवादी राजकुमार सेठी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बिना ही विधिविरूद्ध तरीके से अनियमित कार्यवाही करते हुए परिवादी को गिरफ्तार कर पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया ।

<u>अनुशंसा :</u>

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण **श्रवणलाल मीणा, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना, सुभाषनगर (भीलवाड़ा)** के सक्षम प्राधिकारी-प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.3(703) LAS/ 2016/ u/s-12/12601 दिनांक 29.06.2017 से भेजकर उसके विरूद्ध नियमानुसार यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई ।

अनुशंसा की पालना में संयुक्त शासन सचिव, पुलिस गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर को पत्र दिनांक 12.07.2017 एवं महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर, रेंज अजमेर को पत्र दिनांक 08.11.2017 अन्वेषण प्रतिवेदन के क्रम में आरोपी लोकसेवक श्री श्रवणलाल मीणा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी सूचना इस सचिवालय को भिजवाई गई।

अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.3(885)/लोआस/2015

लोकसेवक श्री जीवराज सिंह, तत्कालीन सहायक उप-निरीक्षक, पुलिस थाना-बीदासर (चूरू) द्वारा श्री देवनाथ एवं खेमनाथ निवासीगण दूंकर, पुलिस थाना-बीदासर (चूरू) के विरूद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर के दण्ड प्रक्रिया संहिताकी धारा 107 व 116(3) के अन्तर्गत शान्ति बनाए रखने के आदेश प्रभावी रहते हुए पुनः शिकायत प्राप्त होने पर धारा 122 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के बजाए धारा 107 व 116(3) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर के समक्ष विधिक प्रावधानों के विपरीत द्वितीय परिवाद प्रस्तुत कर दिया तथा बाद में उक्त

परिवाद को असत्य होना भी दर्शाया और इस प्रकार पदीय शक्ति का दुरूपयोग करने बाबत।

आरोपी लोकसेवक श्री जितेन्द्र कुमार तत्कालीन उप-निरीक्षक, पुलिस थाना-बीदासर (चूरू) द्वारा श्री उक्त देवनाथ एवं खेमनाथ के विरूद्ध लोकसेवक श्री जीवराज सिंह द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किए गए द्वितीय परिवाद में उपखण्ड अधिकारी, बीदासर के द्वारा जाँच करने के आदेश की पालना में श्री जीवराजसिंह के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने के बजाए परिवाद को दाखिल दफ्तर करने की विधिविरूद्ध एवं पक्षपातपूर्ण रूप से प्रार्थना करते हुए पदीय शक्ति का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादी श्री किशनलाल से इस सचिवालय में दिनांक 29.03.2016 को प्राप्त परिवाद में यह शिकायत की गई कि श्री देवनाथ व खेमनाथ के विरूद्ध पुलिस थाना-बीदासर में पूर्व में की गई शिकायत के आधार पर उनको उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर द्वारा दिनांक 25.11.13 को आगामी 6 माह तक शान्ति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया गया था। इसी अवधि दिनांक 27.04.2014 को उनके द्वारा उसे व उसकी पत्नि को गालियाँ देने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पुलिस थाना-बीदासर पर किए जाने की जाँच में श्री जीवराज सिंह, उप निरीक्षक द्वारा उक्त दोनों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 122 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने के बजाए उनसे मिलीभगत करके उनके विरूद्धदण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 व 116 (3) के तहत द्वितीय परिवाद प्रस्तुत कर दिया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/दस्तावेजात, पुलिस उपाधीक्षक, सुजानगढ़ की जाँच पत्रावली तथा न्यायालय, उपखण्ड मजिस्ट्रेट-बीदासर की मूल पत्रावली आदि के परीक्षण/परिशीलन से प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि लोकसेवक श्री जीवराज सिंह, सहायक उप निरीक्षक द्वारा श्री देवनाथ एवं खेमनाथ

के विरूद्ध शान्ति बनाए रखने की पाबन्दी के आदेश प्रभावी होते हुए भी पुनः शिकायत प्राप्त होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 122 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की बजाए धारा 107 व 116(3)के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु पुनः परिवाद प्रस्तुत कर विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा श्री जितेन्द्र कुमार, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना-बीदासर द्वारा इस मामले में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर के द्वारा जाँच करने के आदेश की पालना में श्री जीवराजसिंह के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने की बजाए उस परिवाद को ही दाखिल दफ्तर करने की प्रार्थना करके उसे बचाने का प्रयास कर अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया गया। इसलिये उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। परिवादी किशनलाल के सशपथ कथन लेखबद्ध किए गए व लोकसेवकगण को उससे प्रतिपरीक्षा करने एवं अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाए गए :-

1. लोकसेवक श्री जितेन्द्र कुमारः

इनके विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि इन्होंने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर के द्वारा श्री जीवराजसिंह सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध जाँच करने के आदेश की पालना में द्वितीय परिवाद

प्रस्तुत करने की गलत कार्यवाही के बाबत जाँच में पर्याप्त आधार पाए जाने के बावजूद श्री जीवराजसिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बजाए द्वितीय परिवाद को दाखिल दफ्तर करने की प्रार्थना करके पद का दुरूपयोग किया गया।

2. लोकसेवक श्री जीवराजसिंह :

इनके विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उन्होंने देवनाथ एवं खेमनाथ निवासीगण दूंकर, पुलिस थाना-बीदासर (चूरू) के विरूद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर के दण्ड प्रक्रिया संहिताकी धारा 107 व 116(3) के अन्तर्गत शान्ति बनाए रखने के आदेश प्रभावी रहते हुए पुनः शिकायत प्राप्त होने पर धारा 122 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के बजाए धारा 107 व 116(3) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर के समक्ष विधिक प्रावधानों के विपरीत द्वितीय परिवाद प्रस्तुत कर दिया तथा बाद में उक्त परिवाद को असत्य होना भी दर्शाया और इस प्रकार उनके द्वारा पदीय शक्ति का दुरूपयोग किया गया।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अन्तर्गत आरोपी लोक सेवकगणश्री जीवराज सिंह, तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक, थाना-बीदासर, जिला-चूरू व श्री जितेन्द्र कुमार, तत्कालीन थानाधिकारी, थाना-बीदासर, जिला-चूरू के सक्षम प्राधिकारी-शासन सचिव, गृह-विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक एफ.3(885)लोआस/2015/U/S - 12/20909 दिनांक 28.08.2017 से भेजकर उक्त आरोपी लोकसेवकगण के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जाँच की कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत कराने की अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना में वरिष्ठ उप शासन सचिव, पुलिस गृह(ग्रुप-1) राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांकः प.10(7)गृह-1/17 दिनांक 25.09.2017 प्रेषित कर उक्त दोनों लोकसेवकों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जाँच कार्यवाही कर की गई कार्यवाही या की जाने वाले प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी प्रति इस सचिवालय को भेजी गई है।

अनुशंसा की पालना में की गई आगामी कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.8(33)लोआस/2014
एफ.8(25)लोआस/2014

लोकसेवकगण डॉ. हरि सिंह गोठवाल, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (तत्कालीन चिकित्साधिकारी), खेतड़ी (झुन्झुनूं) एवं डॉ. अनुराधा निर्वाण, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, खेतड़ी (झुन्झुनूं) द्वारा विभागीय नियमों के विपरीत मेडिकल बोर्ड का गठन करते हुए श्रीमती अनीता के गर्भवती होने के बावजूद उसे अन्य रोग से पीड़ित बताते हुए दिनांक 28.10.2011 से दिनांक 11.03.2012 तक की अवधि हेतु उसका रोग प्रमाण पत्र जारी कर पद का दुरूपयोग करने बाबत एवं डॉ. सुभाष सैनी, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघाना (झुन्झुनूं) द्वारा उक्त श्रीमती अनीता का दिनांक 12.02.2012 को ही प्रसव हो जाने के बावजूद उसे गर्भवती बताते हुए विभागीय आदेश के विपरीत दिनांक 12.03.2012 से दिनांक 12.05.2012 तक का उसका रोग प्रमाण-पत्र जारी कर पद का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादी श्री धर्मवीर से इस सचिवालय में दिनांक 19.06.2014 को प्राप्त परिवाद में यह शिकायत की गई कि राजकीय अजीत चिकित्सालय, खेतड़ी (झुन्झुनूं) के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिसिंह गोठवाल व चिकित्सा अधिकारी श्रीमती अनुराधा निर्वाण ने उसकी पत्नी श्रीमती अनीता

से साजबाज होकर छल, कपट व बेईमानी से बिना जाँच पड़ताल किए उसकी पत्नी का दिनांक 28.10.2011 का रोग प्रमाण–पत्र एवं दिनांक 12.03.12 का आरोग्य प्रमाण–पत्र गलत तरीके से जारी कर दिया, जबकि उसकी पत्नी श्रीमती अनिता देवी ने गोठड़ा में सेवानिवृत्त नर्स से दिनांक 12.03.12 को अपना प्रसव करवाया था जिसका पंजीकरण दिनांक 22.05.12 को कराकर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, गोठड़ा से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। परिवाद में उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई ।

परिवाद के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूं से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/ दस्तावेजात, परिवादी की आपत्तियों एवं साक्षीगण के सशपथ कथनों के अवलोकन/परीक्षण के उपरान्त प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेतड़ी में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत डॉ. हरि सिंह गोठवाल एवं श्रीमती अनुराधा निर्वाण ने अपने स्तर पर ही नियम विरूद्ध रूप से मेडिकल बोर्ड का गठन करके श्रीमती अनीता के गर्भवती होने के बावजूद उसकी कोई जाँच किए बिना उससे साँठ–गाँठ करके उसे अन्य रोग से पीड़ित बताकर 136 दिवस का रोग प्रमाण पत्र जारी कर भ्रष्टाचार व पद का दुरूपयोग किया गया। इसी प्रकार डॉ. श्री सुभाष सैनी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघाना में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्य करते हुए श्रीमती अनीता का परीक्षण किए बिना ही उससे साँठ–गाँठ करके उसकी प्रेग्नेन्सी बताकर नियमों के विरूद्ध उसके पक्ष में दिनांक 12.03.2012 से दिनांक 12.05.2012 तक की अवधि का रोग प्रमाण–पत्र जारी करके भ्रष्टाचार या पद का दुरूपयोग किया। इसलिये उनके विरूद्ध लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण **डॉ. हरि सिंह गोठवाल, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, खेतड़ी(झुन्झुनूं) एवं डॉ. अनुराधा निर्वाण, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, खेतड़ी (झुन्झुनूं)** के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि विभागीय नियमों के विपरीत अपने स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर श्रीमती अनीता के गर्भवती होने के बावजूद इस सम्बन्ध में उसकी कोई जाँच किए बिना ही उससे सांठ-गांठ करके उसे Pyrexia एवं Anxiety-Neurosis से पीड़ित बताकर उसके पक्ष में दिनांक 28.10.2011 से दिनांक 11.03.2012 तक 136 दिवस का रोग प्रमाण पत्र जारी कर अपने पद का दुरूपयोग किया **व डॉ. सुभाष सैनी, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघाना (झुन्झुनूं)** के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उसने श्रीमती अनीता का प्रसव दिनांक 12.02.2012 को हो चुकने के बावजूद उसका प्रेग्नेन्सी सम्बन्धी परीक्षण किए बिना ही उसके प्रेग्नेन्सी बताकर एवं विभागीय आदेश के विपरीत जाकर उसके पक्ष में दिनांक 12.03.2012 से दिनांक 12.05.2012 तक 62 दिवस का रोग प्रमाण-पत्र जारी कर अपनी पदीय शक्ति का दुरूपयोग किया।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण **डॉ. हरि सिंह गोठवाल, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, खेतड़ी (झुन्झुनूं),**

डॉ. अनुराधा निर्वाण, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, खेतड़ी(झुन्झुनूं) व डॉ. सुभाष सैनी, तत्कालीन चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघाना (झुन्झुनूं) के सक्षम प्राधिकारी-प्रभारी मन्त्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.8(33) LAS/ 2014/ u/s-12/35805 दिनांक 18.12.2017 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही कर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गयी ।

अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.09(21)लोआस/2013

लोकसेवक श्री अनिल जोशी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-द्वितीय, राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसलमेर (राजस्थान) द्वारा बीकानेर-जैसलमेर सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग सँख्या 15) के 306 किलोमीटर से 326 किलोमीटर तक के डामरीकरण कार्य के अंतिम बिल तैयार करने में अनियमितता व अवैधानिकता करते हुये संवेदक को लगभग 23 लाख रूपये की राशि का अनियमित भुगतान करवाकर अपने पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण करके दुराचरण करने बाबत।

परिवादी श्री सोहन सिंह हंसा से इस सचिवालय में दिनांक 13-03-2014 को प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा बीकानेर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 की सड़क की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किलोमीटर 306 से किलोमीटर 326 तक की सड़क के डामरीकरण के कार्य का ठेका टेण्डर सँख्या-एन.आई.टी. नम्बर-02(2011-2012) सीरियल नम्बर 1 संवेदक मैसर्स भाटी कन्स्ट्रक्शन, जैसलमेर को प्रदान किया गया था। इस सड़क के डामरीकरण के कार्य को निष्पादित करते हुये श्री अनिल जोशी,

सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-द्वितीय, राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसलमेर, ने सड़क के वास्तविक तल को परिवर्तित कर उसका तल नीचा दिखाकर अंतिम बिल में डामर के माल की मोटाई 600 घनमीटर बढ़ाकर लगभग 20 लाख रूपये का भ्रष्टाचार किया। अंतिम बिल तैयार करने का कार्य निर्माण-स्थल के अन्य सहायक अभियन्ता का था, लेकिन उससे तैयार करवाने की बजाय स्वयं ने तैयार किया। उन्होंने इस कार्य में रोड़ फर्निशिंग्स के आइटम संख्या 3, 6, 7, 8 व 9 में लगाये गये सामान जी-शिड्यूल के मापदण्डों से कम गुणवत्ता के होने के बावजूद जी-शिड्यूल के अनुसार ही पूर्ण भुगतान कर दिया। इसके अलावा श्री अनिल जोशी ने स्वयं ही अधिशाषी अभियन्ता के बतौर अंतिम बिल पर हस्ताक्षर करके उसे पास भी करवा दिया।

परिवाद के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/ दस्तावेजात एवं परीक्षित हुये साक्षीगण की साक्ष्य आदि का विश्लेषण और परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्री अनिल जोशी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-द्वितीय, राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसलमेर द्वारा निर्माण-स्थल के सहायक अभियन्ता के सत्यापन के बिना अनियमित एवं अवैधानिक रूप से उक्त सड़क के डामरीकरण के कार्य का अंतिम बिल बिना पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी हुए सड़क के वास्तविक तल को परिवर्तित कर उसका तल नीचा दिखाते हुए डामर के माल की मोटाई 600 घनमीटर बढ़ाकर तथा डामरीकरण कार्य के बाद रोड़ फर्निशिंग के विभिन्न आइटम्स सम्बन्धी सामान जी-शिड्यूल के मापदण्डों के अनुरूप नहीं लगवाकर अधिशाषी अभियन्ता के बतौर स्वयं ने ही तैयार कर व पास करके संवेदक को लगभग 23 लाख रूपये का अधिक व अनियमित भुगतान करवा दिया। इसलिये उसके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण सम्पादित किया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करने एवं अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक श्री अनिल जोशी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-द्वितीय, राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसलमेर के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाए गए,

1 . **प्रश्नगत सड़क के डामरीकरण का अंतिम बिल कार्यस्थल सड़क पर नियुक्त सहायक अभियन्ता श्री सी.एस. गुप्ता के हस्ताक्षर व सहमति के बिना तैयार किया एवं फिर स्वयं ही कार्यवाहक अधिशाषी अभियन्ता बतौर अंतिम रूप से नियम विरूद्ध पास कर भ्रष्टाचार का कृत्य कर दुराचरण किया।**

2 . **उक्त सड़क के डामरीकरण कार्य के अंतिम बिल में डामर के माल की मोटाई 600 घनमीटर सड़क का तल (Level) बदलकर बढ़ा दी। इस प्रकार लगभग 20 लाख रूपये की राशि भ्रष्टाचारपूर्वक संवेदक को अदा करवाकर भ्रष्ट आचरण कर कदाचार किया।**

3. **उक्त सड़क के डामरीकरणका कार्य करने के बाद रोड़ फर्निशिंग्स के आइटम सँख्या 3, 6, 7, 8 व 9 से सम्बन्धित सामान जी-शिड्यूल के मापदण्डों के अनुरूप नहीं लगवाकर इस मद में लगभग 3 लाख रूपये का अधिक और अनियमित भुगतान संवेदक कोकरके भ्रष्ट आचरण करके दुराचरण का कृत्य किया।**

<u>अनुशंसा :</u>

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री अनिल जोशी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–द्वितीय, राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसलमेर के सक्षम प्राधिकारी–प्रभारी मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.9(21)लोआस/2013/U/s12/20437 दिनांक 23–08–2017 से भेजकर उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशानात्मक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई ।

अनुशंसा की पालना में की गयी कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.12(73)लोआस/2016

लोकसेवकगण श्री सुमेर सिंह, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं (नागौर), श्री इथलेश कुमार पालीवाल, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, जसवन्तगढ़ एवं श्री रेखाराम जनागल, तत्कालीन पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की पेंशन अनियमित तरीके से रोकने की कार्यवाही करके अपने पद का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादी श्री गोविन्द राम शर्मा से इस सचिवालय में दिनांक 13.05.2016 को प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के भौतिक सत्यापन के नाम पर श्री इथलेश पालीवाल पूर्व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत जसवन्तगढ़ व श्री विनोद खींचड़, ग्राम रोजगार सहायक ने राजनीतिक द्वेषतावश तथा पद का दुरूपयोग करते हुए पेंशन लाभार्थियों की सूची में

से मनमाने तरीके से 221 ग्रामीणों के नाम हटा दिये। ऐसे लोगों द्वारा धरना दिये जाने पर श्री इथलेश पालीवाल ने पुनः अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने चहेते 33 लोगों की पेंशन पुनः चालू कर दी। वंचित लोगों को अपने पेंशन आवेदनों के अवलोकन से जानकारी हुई कि उनके आवेदनों में काँट-छाँट हुई है। श्री इथलेश पालीवाल ने अब्दुल सत्तार पुत्र करीम बक्श व आशीष पुत्र मोहनलाल की मृत्यु होना बताकर उनकी पेंशन काट दी जबकि दोनों व्यक्ति अभी तक भी जीवित हैं। पेंशन बन्द होने के कारण पात्र व्यक्तियों को काफी मानसिक व आर्थिक संताप झेलना पड़ा है। परिवाद में उक्त लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना व दस्तावेजात आदि का विश्लेषण एवं परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्री सुमेर सिंह, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं (नागौर) ने ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री ईथलेश पालीवाल से पेंशन निर्योग्यता सम्बन्धी प्रमाण के बिना ही प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट पर नियमों के विपरीत प्रभावी कार्यवाही करते हुये विभिन्न पेंशनर्स के पेंशन से सम्बन्धी आदेशों को निरस्त करके, तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचित श्री इथलेश पालीवाल ने पेंशन निर्योग्यता से सम्बन्धित वांछित प्रमाण संकलित किये बिना विभिन्न पेंशनर्स को पेंशन प्राप्ति के योग्य न होने की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके तथा श्री रेखाराम जनागल द्वारा उस रिपोर्ट की जाँच किए बिना नियमों के विपरीत अपनी अग्रेषण टिप्पणी सहित विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके अपने पद का दुरूपयोग किया गया। इसलिये उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक श्री इथलेश पालीवाल, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, जसवन्तगढ़ के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उसने अपने अधिकारों से परे जाकर तथा पद का दुरूपयोग करते हुये ग्राम पंचायत, जसवन्तगढ़ के सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों की पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन बिना अधिकार सम्पादित कर अयुक्तियुक्त आधारों पर पेंशन रोकने का प्रस्ताव तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति लाडनूं श्री सुमेर सिंह को प्रस्तुत किया। आरोपी लोकसेवक श्री सुमेरसिंह, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उसने ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री इथलेश पालीवाल की ओर से प्रस्तुत पेंशन रोके जाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव की गुणावगुण पर जाँच किये बिना, यांत्रिक तरीके से वार्षिक भौतिक सत्यापन प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करके पेंशन लाभार्थियों की पेंशन को रोककर अपने पद का दुरूपयोग किया।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री इथलेश पालीवाल, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, जसवन्तगढ़ हाल पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर के सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,

राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F-12(73)LAS/2016/u/s-12/16817 दिनांक 27.07.2017 से भेजकर एवं आरोपी लोकसेवक श्री सुमेर सिंह, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाडनूं (नागौर) के सक्षम प्राधिकारी–प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F-12(73)LAS/2016/u/s-12/16818 दिनांक 27.07.2017 से भेजकर उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गयी। सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन माह की अवधि में प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही की सूचना इस सचिवालय को प्रेषित करने हेतु लिखा गया है।

अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.12(535)लोआस/2014

लोकसेवकगण श्री कमल सिंह कुलहरी , तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति खण्डेला (सीकर) एवं श्री एस.के. जैन, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), सीकर द्वारा ग्राम कांवट, पंचायत समिति खण्डेला (सीकर) में तीन सी.सी. सड़कों के निर्माण कार्य के दौरान समुचित देखरेख नहीं करने एवं निरीक्षण में लापरवाही करने के फलस्वरूप गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण के कारण सवंदेक को लाभ पहुँचाने एवं सरकारी धन का दुरूपयोग कर भ्रष्ट आचरण करने बाबत।

परिवादी श्री द्वारका प्रसाद पौद्दार से इस सचिवालय में दिनांक 24-03-2015 को प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष ग्राम पंचायत, कांवट के पूर्व सरपंच बजरंगलाल के विरूद्ध कई निर्माण कार्यो व हैण्डपम्पों से सम्बन्धित करीब एक करोड़ रूपये के सरकारी राशि के गबन की शिकायत विचाराधीन

है। उनके आदेश के बावजूद एस.डी.एम., खण्डेला ने जाँच में कोई कार्यवाही नहीं की है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उसने पाँच लाख रूपये की रिश्वत ली है, इसलिये उनसे निष्पक्ष जाँच की उम्मीद नहीं है। मामला गंभीर भ्रष्टाचार का है, सीमेण्ट की जगह मिट्टी के रोड़ बना दिए गए। जिला कलेक्टर, सीकर की निगरानी में पी.डबल्यू.डी. के वरिष्ठ इंजिनियर से जाँच करवाई जावे। शिकायत में यह भी विवरण दिया गया कि ग्राम सेवक/सचिव, ग्राम पंचायत कांवट, पंचायत समिति खण्डेला, (सीकर) श्री सोहनलाल ने विभिन्न वार्डों में करीब 55 सी.सी. रोड़ों का निर्माण करवाया जिनमें न के बराबर सीमेण्ट डाली गई। सड़कों के नीचे पत्थरों का सीलिंग भी नहीं बिछाया गया। रोड़ अल्प समय में ही टूटकर बिखर गए और इस कारण बहुत बड़ी सरकारी रकम बट्टे-खाते हो गई । बस-स्टैण्ड, शाहपुरा रोड़ से विनोद चौधरी के मकान तक, विनोद चौधरी के मकान से शीतला माता के मंदिर तक एवं घासीपुरा रोड़ से कड़वाल की ढाणी की ओर रेलवे कॉरीडोर तक की सड़कों के निर्माण की जाँच करवाने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध में माननीय लोकायुक्त महोदय के निर्देश पर इस सचिवालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री जी.पी. शर्मा, परिवादी द्वारका प्रसाद पौद्दार एवं ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत कांवट, मोहनलाल काजला की उपस्थिति में अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर द्वारा गठित पी.डबल्यू.डी. की क्वालिटी कण्ट्रोल टीम ने उक्त तीनों सड़कों की कोर कटिंग करके प्रत्येक के चार-चार नमूने जाँच हेतु लिए। जिसकी जाँच रिपोर्ट, परिवादी सशपथ कथन व अन्य सुसंगत दस्तावेजात एवं अभिलेख के विश्लेषण और परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाए जाने पर कि उक्त तीनों सड़कों के निर्माण में तकमीने के अनुसार गुणवत्ता व मोटाई नहीं रखकर श्री कमल सिंह कुलहरी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति खण्डेला (सीकर) एवं श्री एस.के. जैन, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), सीकर द्वारा

भ्रष्टाचार किया गया है, उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा उक्त निर्माण के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार करने के लिए श्री बजरंगल लाल चौधरी, सरपंच, ग्राम पंचायत, कांवट, पंचायत समिति खण्डेला (सीकर) को भी प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाए जाने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस सचिवालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने से सम्भागीय आयुक्त, जयपुर को प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांक: 12(535)लोआस/2014/प्रा.जां./22904 दिनांक 09-10-2015 से उसके विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की गई।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने एवं अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री कमल सिंह कुलहरी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति खण्डेला (सीकर) एवं श्री एस.के. जैन, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्रा.), सीकर के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उक्त तीनों सड़कों का गुणवत्ताहीन निर्माण करवाते समय उनके द्वारा क्रमशः निरीक्षण में लापरवाही के साथ-साथ समुचित देखभाल नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप संवेदक को लाभ हुआ एवं सरकारी धनराशि का दुरूपयोग हुआ।

<u>अनुशंसा :</u>

अत: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री कमल सिंह कुलहरी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति खण्डेला (सीकर) के सक्षम प्राधिकारी शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांक: एफ.-12(535) लोआस/2014/ अन्तर्गत धारा-12/ 41484 दिनांक 13-01-2017 से एवं श्री एस.के. जैन, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), सीकर के सक्षम प्राधिकारी मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांक: एफ0-12(535) लोआस/2014/अन्तर्गत धारा-12/ 41483 दिनांक 13-01-2017 से प्रेषित कर उनके विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना में अतिरिक्त आयुक्त संयुक्त शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक: एफ-701 (3) परावि/प्रशासन-2/क.अ./जाँच/(खण्डेला)-सीकर/2017 /2563 दिनांक 27.06.2017 से सूचित किया गया कि श्री कमल सिंह कुलहरी तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति खण्डेला (सीकर) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा विभागीय आदेश दिनांक 15.03.2017 के द्वारा अतिरिकत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर को जाँच अधिकारी नियुक्त कर प्रकरण की विस्तृत जाँच मय अपनी टिप्पणी बाबत आदेश जारी किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

उपरोक्त के अलावा अनुशंसा की पालना में संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.-1) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक: 2174 दिनांक 07.09.2017 से सूचित किया गया कि श्री एस.के. जैन, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), सीकर के प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली दिनांक 31.07.2015 को उनके सेवानिवृत्त हो जाने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1996 के नियम 7 के अन्तगर्त उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भिजवाए जाने से पूर्व माननीय राज्यपाल महोदय से सक्षम स्वीकृति बाबत पत्रावली दिनांक 17.08.2017 को प्रस्तुत की गई है, जिसके प्राप्त होने पर विभाग के स्तर पर की जा रही अग्रिम कार्यवाही से अवगत करा दिया जावेगा। इस क्रम में अग्रिम कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.16(90)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्रीमती तारादेवी जोशी, तत्कालीन अध्यक्ष, श्री भरतकुमार हरितवाल, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं श्री शुभकरण, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, सरदारशहर (चूरू) द्वारा श्री विकास मालू को अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से विधि विरूद्ध कार्य करते हुए व तथ्यों को छिपाते हुए राज्य स्तरीय समिति से भू-उपयोग रूपान्तरण आदेश प्राप्त कर निर्धारित अवधि पश्चात् अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर पूरी राशि जमा नहीं होने के बावजूद उसको पट्टा-विलेख जारी कर पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादी श्री दौलतराम माली से इस सचिवालय में दिनांक 04.05.2015 को प्राप्त परिवाद में यह शिकायत की गई कि श्री विकास मालू निवासी नई दिल्ली ने खसरा नम्बर 141 की कृषि भूमि के आवासीय रूपान्तरण हेतु तत्कालीन कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी श्री सुनील सोनी, वर्तमान अधिशाषी अधिकारी श्री भरतकुमार हरितवाल, सभापति श्रीमती तारा देवी

प्रभाकर जोशी, लिपिक शुभकरण एवं प्रमोद कुमार के साथ आपराधिक सांठ-गांठ कर मिथ्या व गलत सूचना के आधार पर निर्धारित अवधि के पश्चात् एवं नियमानुसार पूरी रकम जमा करवाये बिना ही रूपान्तरण आदेश प्राप्त कर लिया। परिवादी ने मामले की जाँच कर दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

परिवाद के सम्बन्ध में उप निदेशक (क्षेत्रीय)स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/दस्तावेजात एवं लेखबद्ध की गई मौखिक साक्ष्य आदि का विश्लेषण व परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि **श्रीमती तारादेवी जोशी, तत्कालीन अध्यक्ष, श्री भरतकुमार हरितवाल, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं श्री शुभकरण, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक नगरपालिका, सरदारशहर (चूरू)** द्वारा श्री विकास मालू को अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से विधि विरूद्ध कार्य करते हुए व तथ्यों को छिपाते हुए राज्य स्तरीय समिति से भू-उपयोग रूपान्तरण आदेश प्राप्त कर निर्धारित अवधि पश्चात् अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर पूरी राशि जमा नहीं होने के बावजूद उसको पट्टा-विलेख जारी कर दिया, इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करने एवं अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अन्य आरोपी लोकसेवकगण **श्रीमती तारादेवी जोशी, तत्कालीन अध्यक्ष, श्री भरतकुमार हरितवाल, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, एवं**

श्री शुभकरण, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक नगरपालिका, सरदारशहर (चूरू) के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाए गए :

1. आरोपी लोकसेवक श्री शुभकरण :

   उक्त आरोपी लोकसेवक ने श्री विकास मालू को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए विधि विरूद्ध कार्य करते हुए पत्रावली का संधारण गलत तरीके से किया व किसी अधिकारी के आदेश के बिना ही आवेदन- पत्र के संलग्न शपथ-पत्र एवं क्षतिपूर्ति बंध-पत्र को पत्रावली से निकालकर लगभग 6 माह बाद तस्दीक करवाने हेतु दिए और तस्दीक होने के बाद पत्रावली में शामिल कर दिया। पट्टा हेतु नियमानुसार देय राशि की गणना भी गलत की गई और इस प्रकार पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया गया।

2. आरोपी लोकसेवकगण श्रीमती तारा देवी जोशी तत्कालीन अध्यक्ष एवं श्री भरतकुमार हरितवाल अधिशाषी अधिकारी :

   उक्त आरोपी लोकसेवकगण द्वारा श्री विकास मालू के भू-रूपान्तरण आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में विधि विरूद्ध कार्य करते हुए निर्धारित सीमा से परे जाकर व प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किए बिना ही राज्य स्तरीय भू-उपयोग समिति को गलत सूचना के साथ पत्रावली भेज दी तथा रूपान्तरण शुल्क की पूरी राशि जमा होने से पूर्व ही उसको पट्टा-विलेख भी जारी कर दिया। इस प्रकार उन्होनें श्री विकास मालू को अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से विधि विरूद्ध कार्य करते हुए पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया ।

<u>अनुशंसा :</u>

अत: राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण **श्रीमती तारादेवी जोशी,**

तत्कालीन अध्यक्ष, नगरपालिका, सरदारशहर (चूरू), श्री भरतकुमार हरितवाल, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सरदारशहर (चूरू) के सक्षम प्राधिकारी-प्रभारी-मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.16(90)लोआस/2015/U/s 12/7949 दिनांक 26-05-2017 से भेजकर **व श्री शुभकरण, कनिष्ठ लिपिक नगरपालिका, सरदारशहर (चूरू)** के सक्षम प्राधिकारी-प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.16(90)LAS/2015/U/s12/7950 दिनांक 26-05-2017 से भेजकर उनके विरूद्ध सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार विभागीय जाँच कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.16(125)लोआस/2013

लोकसेवकगण श्री महेन्द्रसिंह मीणा, तत्कालीन तहसीलदार, श्री बजरंगलाल मेहरा तत्कालीन अमीन, श्री सुरेन्द्रसिंह तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक, श्री भँवरलाल मीणा तत्कालीन उप-नियंत्रक (प्रवर्तन) एवं श्री योगेन्द्रकुमार जोशी, तत्कालीन मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा श्री गुलाब चन्द सैनी के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 123 में से 3.663 मीटर गुणा 22.866 मीटर भूमि में अतिक्रमण कर किए गए अवैध निर्माण को वैध ठहराने हेतु अतिक्रमी से मिलकर उसे अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से अतिक्रमण को खसरा नम्बर 125 की भूमि में दर्शा कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए भ्रष्टाचार करने बाबत।

परिवादी श्री हरीराम शर्मा से इस सचिवालय में दिनांक 15.07.13 को प्राप्त परिवाद में यह शिकायत की गई कि श्री गुलाब चन्द सैनी द्वारा प्लाट सँख्या-39, धीरविहार के पीछे, चन्दूबदरान की ऐतिहासिक बावड़ी की जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की खसरा नम्बर 123 की जमीन में अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-2 के आयुक्त ने जाँच में वह जमीन जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की पाई जिसके आधार पर सुरेन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, जोन-2 ने अतिक्रमी को नोटिस भी जारी किए लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के बजाए अतिक्रमी को अवैध फायदा पहुँचाने के लिए उससे मिलीभगत करके पत्रावली जोन-2 के कार्यालय में भिजवादी तथा वहाँ तहसीलदार महेन्द्र मीणा से मिलकर उस अतिक्रमण को खसरा नम्बर 123 के बजाए खसरा नम्बर 125 में होना बता दिया और इस प्रकार सरकार को लाखों रूपये के राजस्व की हानि पहुँचाई।

परिवाद के सम्बन्ध में उपायुक्त, जोन-2, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/ मूल-अभिलेख/दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य आदि का विश्लेषण व परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि **श्री महेन्द्रसिंह मीणा, तत्कालीन तहसीलदार, श्री बजरंगलाल मेहरा तत्कालीन अमीन, श्री सुरेन्द्रसिंह तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक, श्री भँवरलाल मीणा तत्कालीन उप-नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर व श्री योगेन्द्रकुमार जोशी, मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा** अतिक्रमी श्री गुलाब चन्द सैनी को अनुचित लाभ पहुँचाने हेतु उसके अतिक्रमण को वैध ठहराने के लिए उसका अतिक्रमण जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 123 के बजाए खसरा नम्बर 125 में होना माना गया, इसलिये उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करने एवं अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर लोकसेवकगण श्री सुरेन्द्रसिंह तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक, श्री भँवरलाल मीणा उप-नियंत्रक (प्रवर्तन) एवं श्री योगेन्द्र कुमार जोशी तत्कालीन मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए, इसलिये उन्हें लगाये गये आरोपों से उन्मोचित कर उनके विरूद्ध अन्वेषण कार्यवाही समाप्त की गई।

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक **श्री महेन्द्रसिंह मीणा, तत्कालीन तहसीलदार एवं श्री बजरंगलाल मेहरा तत्कालीन अमीन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर** के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उन्होंने ग्राम नाहरगढ़ में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 123 गैर-मुमकिन बावड़ी में 3.663 मीटर गुणा 22.866 मीटर भूमि पर श्री गुलाबचन्द मीणा का अतिक्रमण होने के बावजूद उसके अतिक्रमण को वैध ठहराने के आशय से खसरा सँख्या 125 में मानकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए भ्रष्टाचार किया।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक **श्री महेन्द्रसिंह मीणा, तत्कालीन तहसीलदार, जविप्रा, जयपुर** के सक्षम प्राधिकारी-माननीय मन्त्री महोदय, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति

इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.16(125)लोआस/2013/U/s 12/12955 दिनांक 30-06-2017 से भेजकर एवं आरोपी लोकसेवक **श्री बजरंगलाल मेहरा तत्कालीन अमीन, जविप्रा, जयपुर** के सक्षम प्राधिकारी-प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.16(125)लोआस/2014/U/s12/12954 दिनांक 30-06-17 से भेजकर उनके विरूद्ध सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत अनुशानात्मक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गयी।

अनुशंसा की पालना में की गयी कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.16(305)लोआस/2014

लोकसेवकगण श्री चेतन कुमार जैन, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी व श्री हरीश कुमार, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, बिजयनगर (अजमेर) द्वारा वार्ड सँख्या 21 से 25 में नाली एवं सीमेंट सड़क निर्माण के कार्य हेतु निविदादाता जम्मूवॉय माँ कन्सट्रक्शन कम्पनी के प्रोपराइटर श्री राजबीर सिंह से मिलीभगत कर उसे अवैध लाभ पहुँचाने की नीयत से अनियमित तरीके से कार्यादेश जारी कर एवं अवैधानिक रूप से राशि 4,50,000/-रूपये का भुगतान कर पद का दुरूपयोग करते हुए भ्रष्टाचार करने बाबत।

परिवादी श्री गुरू भेज सिंह से इस सचिवालय में दिनांक 04.08.2014 को प्राप्त परिवाद में यह शिकायत की गई कि नगरपालिका, बिजयनगर के वार्ड नम्बर 21 से 25 में नाली एवं सीमेंट सड़क निर्माण हेतु मैसर्स जम्मूवॉय माँ कन्सट्रक्शन कम्पनी को तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से उसकी निविदा को अनुचित तरीके से स्वीकार कर कार्यादेश जारी किया गया तथा कार्य

नहीं करने के बावजूद उसको राशि रूपये 4,50,000/- का अवैध भुगतान कर दिया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य आदि का विश्लेषण व परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि **श्री चेतन कुमार जैन, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी व श्री हरीश कुमार, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका, बिजयनगर (अजमेर)** ने नगरपालिका, बिजयनगर के वार्ड नम्बर 21 से 25 में नाली एवं सीमेंट सड़क निर्माण हेतु मैसर्स जम्मूवॉय माँ कन्सट्रक्शन कम्पनी को अनुचित लाभ पहुँचाने की नीयत से उसकी निविदा को अनुचित तरीके से स्वीकार कर कार्यादेश जारी किया तथा कार्य नहीं करने के बावजूद उसको राशि रूपयें 4,50,000/- का अवैध भुगतान कर दिया, इसलिये उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करने एवं अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक **श्री चेतन कुमार जैन, अधिशाषी अधिकारी व श्री हरीश कुमार कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका, बिजयनगर** (अजमेर) के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाए गए :-

1. लोकसेवक श्री चेतन कुमार जैन :

उक्त आरोपी लोकसेवक द्वारा कार्यादेश के तहत वार्ड संख्या 21 में सड़क का निर्माण एवं वार्ड संख्या 21 से 25 में नाली का निर्माण नहीं करवाया गया तथा निर्माण कार्य में सामग्री व श्रम का अनुपात नियत शर्तो के अनुसार नहीं रखा गया और इस प्रकार पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में अकर्मण्यता व उदासीनता बरती गई।

2. लोकसेवक श्री हरीश कुमार :

उक्त आरोपी लोकसेवक द्वारा निविदा के दस्तावेजों में काँट-छाँट, ओवर राइटिंग आदि पाए जाने के बावजूद तुलनात्मक विवरण में इनका उल्लेख नहीं किया गया। इसके अलावा वार्ड संख्या 21 में सड़क का निर्माण नहीं होने तथा वार्ड संख्या 21 से 25 में नाली का निर्माण नहीं होने तथा कार्य में सामग्री तथा श्रम का नियत शर्तो के अनुसार अनुपात नहीं होने के बावजूद संवेदक को भुगतान करने बाबत कोई आक्षेप नहीं लगाए। इस प्रकार अपने पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में अकर्मण्यता व लापरवाही बरती गई।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक **श्री चेतन कुमार जैन, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बिजयनगर, जिला अजमेर** के सक्षम प्राधिकारी-प्रभारी मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.16 (305)लोआस/2014/U/s12/34227 दिनांक 16.12.2017 से भेजकर एवं **श्री हरीश कुमार, तत्कालीन कनिष्ठ अभियनता नगरपालिका, बिजयनगर (अजमेर)** के सक्षम प्राधिकारी-प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र

क्रमांकः एफ.16(305)लोआस/2014/U/s-12/34229 दिनांक 16-12-2017 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के तहत नियमानुसार अनुशानात्मक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गयी।

अनुशंसा की पालना में की गयी कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.16(666)लोआस/2014

लोकसेवक श्री ओमप्रकाश साहू, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम, अजमेर द्वारा अपने पदीय दायित्व के तहत श्री चन्द्रशेखर राठौड़ व श्रीमती सुधा राठौड़ द्वारा चूड़ी बाजार, पुरानी मण्डी, अजमेर में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत एवं नियमों के विरूद्ध होटल एवं शॉपिंग कॉम्पलेक्स के अवैध निर्माण के बारे में नियमानुसार तत्काल ठोस एवं प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही करने के बजाए ऐसे अवैध निर्माण में सहायता व सहयोग करते हुए पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण कर पद का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादी श्री सत्यनारायण गर्ग से इस सचिवालय में दिनांक 03-12-2014 को प्राप्त परिवाद में यह शिकायत की गई कि श्री चन्द्रशेखर राठौड़ एवं श्रीमती सुधा राठौड़ द्वारा चूड़ी बाजार, पुरानी मण्डी, अजमेर में होटल एवं शॉपिंग दुकानों का स्वीकृत मानचित्र के विपरीत तथा नियमों के विरूद्ध निर्माण किया गया है जिसमें सरकारी नाले व सड़क की भूमि पर भी कब्जा करके आम रास्ते को बन्द कर दिया गया है। यह सारी कार्यवाही अजमेर, नगर निगम के अधिकारियों से मिलीभगत कर की गई जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अवैध निर्माण की शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस मामले की जाँच करके दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

परिवाद के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य आदि का विश्लेषण व परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्री ओमप्रकाश साहू, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम, अजमेर द्वारा श्री चन्द्रशेखर राठौड़ व श्रीमती सुधा राठौड़ द्वारा स्वीकृत मानचित्र एवं नियमों के विरूद्ध होटल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स के अवैध निर्माण को रोकने का नियमानुसार प्रयास नहीं किया गया और इस प्रकार अपने पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही व भ्रष्ट आचरण किया गया। अतः उसके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करने एवं अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक श्री ओमप्रकाश साहू, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम, अजमेर के विरूद्ध पदीय दुरूपयोग करने के निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाए गएः-

1. **श्री चन्द्रशेखर राठौड़ व श्रीमती सुधा राठौड़ द्वारा चूड़ी बाजार, पुरानी मण्डी, अजमेर में होटल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु स्वीकृत 60 फुट मार्गाधिकार नहीं छोड़कर अवैध एवं नियम विरूद्ध निर्माण को नियमानुसार रोकने हेतु कार्यवाही नहीं कर भ्रष्ट आचरण करते हुये अपने पदीय कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं किया।**

2. उक्त होटल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत नियम विरूद्ध आगे व बगल में नियमानुसार सेटबैक नहीं छोड़कर हो रहे निर्माण को रोकने हेतु ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही नहीं कर ऐसे निर्माण में सहायता व सहयोग प्रदान करते हुए भ्रष्ट आचरण किया।

3. उक्त होटल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत नियम विरूद्ध अनुज्ञेय ऊँचाई 41 फीट के स्थान पर 51 फीट ऊँचाई के निर्माण को रोकने हेतु ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही नहीं कर ऐसे अवैध निर्माण को होने देने में सहायता व सहयोग प्रदान करते हुए भ्रष्ट आचरण किया।

<u>अनुशंसा :</u>

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री ओमप्रकाश साहू, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम, अजमेर के सक्षम प्राधिकारी-प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.16 (666)लोआस/2014/U/s-12/20436 दिनांक 23.08.2017 से भेजकर उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर तथा प्रश्नगत अवैध निर्माण के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना में की गयी कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.16(714)लोआस/2015

लोकसेवक श्री श्रवणराम, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कुचामन सिटी (नागौर) एवं अन्य के द्वारा पत्रकारों को आवासीय भूखण्ड

आवंटन बाबत स्वायत्त शासन विभाग के तत्सम्बन्धी पत्र दिनांक 30.04.2013 में अंकित शर्तो की पालना नहीं होने के बावजूद 19 पत्रकारों को रियायती दर पर बद्यान्तीपूर्वक एवं पद का दुरूपयोग करते हुए भूखण्ड आवंटन करके दुराचरण करने बाबत।

परिवादी श्री अयूब अली से इस सचिवालय में दिनांक 27.01.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार शिकायत का सार है कि नगरपालिका, कुचामनसिटी के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष ने पत्रकारों से साँठ-गाँठ व मिलीभगत करके स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 30.04.2013 में वर्णित शर्तो का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए 19 पत्रकारों (जो कि नियमानुसार भूखण्ड् आवंटन की पात्रता नहीं रखते थे), को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु मण्डल की बैठक में प्रस्ताव पास करवाया तथा नगर नियोजक, अजमेर से अनुमोदन कराकर उनको भूखण्ड आवंटित कर कब्जा दे दिया गया। परिवाद में दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने व ऐसे नियम विरूद्ध आवंटनों को निरस्त करवाकर नगरपालिका द्वारा पुनः कब्जा प्राप्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर और अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कुचामनसिटी से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्टस/सूचना/दस्तावेजात के अवलोकन एवं परीक्षण के उपरान्त प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 30.04.2013 की शर्त संख्या 03 की पालना नहीं होने के बावजूद नगरपालिका, कुचामन सिटी के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री श्रवणराम, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता श्री अनिल कुमार सैनी एवं तत्कालीन कार्यालय सहायक श्री रियाजुधीन द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में जानबूझकर उपेक्षा की गई तथा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए 19 पत्रकारों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित कर दिए। इसलिये

उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया एवं परिवादी अयूब अली के सशपथ कथन लेखबद्ध किए गए जिससे लोकसेवकण को प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया गया। आरोपी लोकसेवकगण को भी अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर लोकसेवकगण **श्री अनिल कुमार सैनी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री रियाजुधीन, तत्कालीन कार्यालय सहायक** के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने के कारण उनको आरोपों से उन्मोचित कर उनके विरूद्ध अन्वेषण कार्यवाही समाप्त की गई ।

श्री श्रवणराम, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कुचामन सिटी के विरूद्ध अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उसने स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर, के पत्र दिनांक 30.04.2013 के बिन्दु संख्या-03 में वर्णित शर्तो की पालना नहीं होते हुए भी 19 पत्रकारों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन किए जाने हेतु नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक दिनांक 05.06.2014 में प्रस्ताव पारित करवाकर उनको भूखण्ड आवंटित करके कब्जा दे दिया और इस प्रकार बद्‌यान्तीपूर्वक अपने पद का दुरूपयोग कर दुराचरण किया।

<u>अनुशंसा :</u>

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक **श्री श्रवणराम, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कुचामन सिटी, जिला नागौर** के सक्षम प्राधिकारी-प्रभारी मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.16(714) LAS/ 2015/ u/s-12/34567 दिनांक 07.12.2017 से भेजकर उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गयी ।

अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.16(729)लोआस/2014

लोकसेवकगण श्री ललित मोहन शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, नगर निगम, अजमेर, हाल सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, डूंगरपुर, श्रीमती मधुलिका माथुर, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम, अजमेर एवं श्री रूपाराम चौधरी, सफाई निरीक्षक, नगर निगम, अजमेर द्वारा नला बाजार, अजमेर में संकड़ी गली में बिना स्वीकृति जी+3 व्यवसायिक होटल के अवैध निर्माण को रोकने बाबत अपने पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में उपेक्षा करने बाबत।

परिवादीगण श्री अजय कुमार फुलवानी आदि से इस सचिवालय में दिनांक 19.01.2015 को प्राप्त परिवाद में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि नला बाजार, अजमेर में संकड़ी गली के अन्दर श्री अनिल गर्ग, श्री राजकुमार गर्ग, श्रीमती सीमा गर्ग एवं श्री रजनी गर्ग निवासीगण 31, लाजरस लैण्ड, क्रिश्चयनगंज, अजमेर द्वारा बिना स्वीकृति के होटल का अवैध निर्माण किया जा रहा है और इसकी शिकायत करने के बावजूद अधिकारीगण कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

परिवाद के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/दस्तावेजात एवं लेखबद्ध की गई मौखिक साक्ष्य आदि का विश्लेषण व परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाए जाने पर कि श्री सी.आर.मीणा, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, अजमेर, श्रीमती सीमा शर्मा, तत्कालीन आयुक्त (प्रशासन), नगर निगम, अजमेर, श्री ओमप्रकाश साहू, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, प्रभारी अधिकारी (अवैध निर्माण) नगर निगम, अजमेर द्वारा नला बाजार, अजमेर में संकड़ी गली के अन्दर होटल के अवैध निर्माण को रोकने के अपने कर्त्तव्य निर्वहन में उपेक्षा की गई है। अतः उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया तथा अन्वेषण के दौरान यह पाए जाने पर कि उक्त अवैध निर्माण को रोकने एवं उसे हटाने के सम्बन्ध में विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए श्री ललित मोहन शर्मा, सहायक अभियन्ता, श्रीमती मधुलिका माथुर कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री रूपाराम चौधरी, सफाई निरीक्षक का भी उत्तरदायित्व था, किन्तु उन्होंने इसका निर्वहन नहीं किया, इसलिये उनके विरूद्ध भी राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करने एवं अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर लोकसेवकगण श्री सी.आर. मीणा, श्रीमती सीमा शर्मा एवं श्री ओमप्रकाश साहू के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए, इसलिये

उन्हें लगाये गये आरोपों से उन्मोचित कर उनके विरूद्ध अन्वेषण कार्यवाही समाप्त की गई ।

अन्य आरोपी लोकसेवकगण श्री ललित मोहन शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, नगर निगम, अजमेर, हाल सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, डूंगरपुर, श्रीमती मधुलिका माथुर, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम, अजमेर एवं श्री रूपाराम चौधरी, सफाई निरीक्षक, नगर निगम, अजमेर के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाए गए कि उन्होंने नला बाजार, अजमेर में संकड़ी गली के अन्दर बिना स्वीकृति हो रहे व्यावसायिक होटल के अवैध निर्माण को रोकने में अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री ललित मोहन शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, नगर निगम, अजमेर, हाल सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, डूंगरपुर के सक्षम प्राधिकारी मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.16(729)लोआस/2014/U/s-12/14854 दिनांक 13-07-2017 से भेजकर और आरोपी लोकसेवकगण श्रीमती मधुलिका माथुर, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर निगम, अजमेर एवं श्री रूपाराम चौधरी, सफाई निरीक्षक, नगर निगम, अजमेर के सक्षम प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.16(729)लोआस/2014/U/s-12/14855 दिनांक 13-07-2017 से भेजकर उनके विरूद्ध सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार यथोचित विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

उपर्युक्त के अलावा यह भी अनुशंसा की गई कि नगर निगम, अजमेर द्वारा अवैध निर्माणकर्ता को राजस्थान, नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194(10)(एच)(आई) के अन्तर्गत नोटिस जारी किए जाने के बाद विधि अनुसार आगामी कार्यवाही किए जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाकर आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाई जावे।

अनुशंसा की पालना में सहायक निदेशक (सतर्कता) स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा आयुक्त, नगर निगम, अजमेर को प्रेषित पत्र क्रमांक : 2268 दिनांक 04.09.2017 की प्रति इस सचिवालय को प्रेषित की गई है जिसमें आयुक्त, नगर निगम, अजमेर को निर्देशित किया गया है कि श्रीमती मधुलिका माथुर एवं श्री रूपाराम चौधरी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने में बोर्ड सक्षम है। अतः उक्त दोनों के विरूद्ध विधि अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर इस सचिवालय व विभाग को अवगत करावें।

अनुशंसा की पालना में की गई अग्रिम कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.16(840)लोआस/2015

लोकसेवक श्री सुशील कुमार, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अकलेरा (झालावाड़) द्वारा सफाई कर्मचारी के पद पर विभागीय निर्देशों एवं परिपत्रों के विपरीत अनियमित चयन प्रक्रिया अपनाकर अपने पुत्र व पुत्र के साले को नियुक्त करके कदाचार करने बाबत।

परिवादी श्री चैतन्य स्वरूप जैन से इस सचिवालय में दिनांक 27.01.2016 को प्राप्त परिवाद में यह शिकायत की गई कि श्री सुशील कुमार अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अकलेरा जिला झालावाड़ ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए एवं नियमों की अनदेखी करते हुए अपने पुत्र श्री अतुल कुमार व पुत्र के साले अरविन्द कुमार को अनियमित प्रक्रिया

अपनाकर सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी है। इसकी जाँच करवाई जावे।

परिवाद के सम्बन्ध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/ दस्तावेजात आदि का विश्लेषण व परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्री सुशील कुमार, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अकलेरा (झालावाड़) ने सुसंगत विधिक प्रावधानों एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए अपने पुत्र व पुत्र के साले को सफाई कर्मचारी के पद पर अनियमित तौर पर नियुक्ति देकर पद का दुरूपयोग किया है।

इसलिये उसके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया सुसंगत साक्षीगण की साक्ष्य लेखबद्ध की गई ।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक श्री सुशील कुमार, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अकलेरा (झालावाड़) के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उनके द्वारा विभागीय निर्देशों एवं परिपत्रों का उल्लंघन करके अपने पुत्र श्री अतुल कुमार व पुत्र के साले अरविन्द कुमार को अनियमित रूप से सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त प्रदान करके पद का दुरूपयोग करके दुराचरण किया गया।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री सुशील कुमार, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, अकलेरा (झालावाड़) के सक्षम प्राधिकारी-प्रभारी प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण-प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.16(840)लोआस/2014/U/s12/ दिनांक 08.02.2018 से उसके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

अनुशंसा की पालना में की गयी कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.3(171)लोआस/2014

एफ.18(13)लोआस/2014

लोकसेवकगण श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित, तत्कालीन वृत्ताधिकारी-वृत्त सीकर (शहर), श्री आनन्द यादव, तत्कालीन थानाधिकारी एवं श्री हरफूल सिंह तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना-उद्योग नगर (सीकर), श्री जगदीश प्रसाद, तत्कालीन उप निरीक्षक, पुलिस थाना-कोतवाली (सीकर) एवं श्री मंगलचंद मीणा, तत्कालीन सहायक निदेशक-अभियोजन, सीकर द्वारा क्रमशः प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 94/2014 व 96/2014 पुलिस थाना-उधोग नगर (सीकर) व प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 191/2014 पुलिस थाना कोतवाली (सीकर) के अनुसन्धान में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के प्रावधानों, राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-5) जयपुर व आबकारी आयुक्त, राजस्थान के परिपत्रों एवं राजस्थान सरकार की आबकारी नीति वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-2014 के विपरीत एवं उनकी

अनदेखी करते हुए कार्यवाही करके अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवाद सँख्या एफ.18(13)लोआस/2014 श्री सीताराम खींचड़ व परिवाद सँख्या एफ.3(171)लोआस/2014 श्री रणजीत सिंह खींचड़ से इस सचिवालय में क्रमशः दिनांक 02.05.2014 व दिनांक 23.07.2014 को प्राप्त हुए। दोनों प्रकरणों में आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध हुए अपराध के अनुसन्धान में सम्बन्धित विधि एवं परिपत्रों/निर्देशों के विपरीत कार्यवाही किए जाने एवं पदीय शक्तियों का दुरूपयोग प्रकट होने से दोनों प्रकरणों की विषय-वस्तु व उत्तरदायी लोकसेवकगण एक-समान होने के कारण माननीय लोकायुक्त महोदय के निर्देशानुसार इनका अनुसन्धान एक-साथ किया गया।

परिवादी श्री सीताराम खींचड़ के परिवाद का सार है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 94/14 पुलिस थाना-उद्योग नगर (सीकर) व प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 191/2014 पुलिस थाना-कोतवाली (सीकर) में पुलिस द्वारा दुर्भावनापूर्वक सुनियोजित षड़्यंत्र रचकर अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें यह आरोप लगाया गया कि मदिरा विक्रय के लिये जारी खुदरा लाइसेंस की दुकानों में प्रवेश करने, अपराध दर्ज करने व जाँच में जब्ती, गिरफ्तारी आदि की कानूनी कार्यवाही करने हेतु राजस्थान आबकारी अधिनियम के प्रावधानों, आबकारी आयुक्त के परिपत्र एवं राजस्थान आबकारी नीति वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में अधिकृत नहीं होते हुए भी आरोपी लोकसेवकगण (पुलिस-अधिकारीगण) के द्वारा होटल रॉयल राजस्थान एवं फ्रेण्डस होटल, जयपुर रोड़, सीकर में प्रवेश करके तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी व प्रकरण दर्ज कर अनुसन्धान करने की गैरकानूनी कार्यवाही की गई।

परिवादी श्री रणजीत सिंह खींचड़ के परिवाद का सार है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 94/14 पुलिस थाना-उद्योग नगर (सीकर) में आरोपी

पुलिस–अधिकारीगण द्वारा सीकर रोडवेज के पास रेस्टोरेण्ट एवं चिलिंग प्लाण्ट में गैरकानूनी रूप से प्रवेश करके तलाशी के दौरान उसके पुत्र दीपेन्द्र के साथ मारपीट करते हुए शराब पाए जाने की झूठी एवं गैरकानूनी कार्यवाही की गई।

उक्त दोनों प्रकरणों में आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर, अतिरिक्त आबकरी आयुक्त (विधि), राजस्थान, उदयपुर, महानिरीक्षक, जयपुर रेंज, जयपुर एवं पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर से प्राप्त पृथक–पृथक तथ्यात्मक प्रतिवेदनों, अन्य सूचनाओं/दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य आदि का विश्लेषण व परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि आरोपी लोकसेवकगण श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित, तत्कालीन वृत्ताधिकारी–वृत्त सीकर (शहर), श्री आनन्द यादव, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना–उद्योग नगर (सीकर), श्री जगदीश प्रसाद, तत्कालीन उप निरीक्षक, पुलिस थाना–कोतवाली (सीकर) एवं श्री हरफूल सिंह तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना–उद्योग नगर, जिला–सीकर द्वारा उक्त प्रकरणों में आबकारी अधिनियम के प्रावधानों एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों/निर्देशों के विपरीत मदिरा अनुज्ञप्तिधारकों के विरूद्ध अपने अधिकार–क्षेत्र से बाहर जाकर स्वयं के लिये लाभ अर्जित करने के आशय से गलत एवं दूषित कार्यवाही करते हुए पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया गया एवं अन्य लोकसेवक अभियोजन अधिकारी–सहायक निदेशक, अभियोजन, सीकर श्री एम.सी. मीणा ने उक्त पुलिस अधिकारियों की कार्यवाही विधिवत नहीं होने के बावजूद विधिसम्मत होने की राय देकर अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया । इसलिये सभी लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में

परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा करने एवं अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित, तत्कालीन वृत्ताधिकारी–वृत्त सीकर (शहर), श्री आनन्द यादव, तत्कालीन थानाधिकारी एवं श्री हरफूल सिंह तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना–उद्योग नगर (सीकर), श्री जगदीश प्रसाद, तत्कालीन उप निरीक्षक, पुलिस थाना–कोतवाली (सीकर) एवं श्री मंगलचंद मीणा, तत्कालीन सहायक निदेशक–अभियोजन, सीकर के द्वारा निम्नानुसार पदीय शक्ति का दुरूपयोग करने के आरोप प्रमाणित पाए गए :-

1 : लोकसेवक श्री आनन्द यादव तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना–उद्योग नगर (सीकर) एवं श्री जगदीश प्रसाद, तत्कालीन उप निरीक्षक, पुलिस थाना–कोतवाली (सीकर) द्वारा दिनांक 13.04.2014 को अनुज्ञप्तिधारक (फ्रेण्डस होटल एवं बार रेस्टोरेण्ट, जयपुर रोड, सीकर) एवं दिनांक 16.04.2014 को (होटल रॉयल राजस्थान, सीकर) की तलाशी, जब्ती एवं श्री जयन्त कुमार की गिरफ्तारी की कार्यवाही लोकसेवक श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित वृत्ताधिकारी–वृत्त सीकर की उपस्थिति एवं उनके पर्यवेक्षण में राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–5) जयपुर व आबकारी आयुक्त, राजस्थान के परिपत्रों एवं राजस्थान सरकार की आबकारी नीति वर्ष 2012–13 व वर्ष 2013–2014 के विपरीत आबकारी अधिकारियों की अनुपस्थिति में कर अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया गया।

2. लोकसेवक श्री श्री आनन्द यादव तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना–उद्योग नगर (सीकर) एवं श्री हरफूल सिंह, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना–उद्योग नगर (सीकर) द्वारा अन्य लोकसेवक

श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित वृत्ताधिकारी–वृत्ता सीकर की उपस्थिति एवं उनके पर्यवेक्षण में डीलक्स रेस्टोरेण्ट एवं चिलिंग प्लाण्ट की तलाशी, जब्ती एवं श्री दीपेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी की गैरकानूनी कार्यवाही करते हुए अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया गया।

3 . आरोपी लोकसेवक श्री मंगल चन्द मीणा तत्कालीन सहायक निदेशक–अभियोजन, सीकर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 94/2014, पुलिस थाना–उद्योग नगर (सीकर) व प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 191/2014 पुलिस थाना कोतवाली (सीकर) में अन्य आरोपी लोकसेवकगण–पुलिस अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से बिना अधिकार क्षेत्र राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–5) जयपुर व आबकारी आयुक्त, राजस्थान के परिपत्रों एवं राजस्थान सरकार की आबकारी नीति वर्ष 2012–13 व वर्ष 2013–2014 के विपरीत की गई कार्यवारियों के विधिसम्मत होने की राय देकर अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया गया।

<u>अनुशंसा :</u>

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित, उप–अधीक्षक पुलिस, तत्कालीन वृत्ताधिकारी, वृत्त–सीकर (शहर) के सक्षम प्राधिकारी– मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ. 18(13)लोआस/2014 व एफ.3(171)लोआस/2014/U/s-12/20441 दिनांक 23.08.2017 से, श्री मंगलचंद मीणा, तत्कालीन सहायक निदेशक – अभियोजन, सीकर के सक्षम प्राधिकारी– प्रभारी मंत्री, गृह–विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.18(13)लोआस/2014 व एफ.

3(171)लोआस/2014/U/s.12/20440 दिनांक 23.08.2017 से एवं आरोपी लोकसेवकगण श्री आनन्द यादव, तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना–उद्योग नगर, सीकर, जिला–सीकर एवं श्री हरफूल सिंह तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना–उद्योग नगर सीकर, जिला–सीकर व श्री जगदीश प्रसाद, तत्कालीन उप निरीक्षक, पुलिस थाना–कोतवाली सीकर जिला सीकर (सेवानिवृत्त) के सक्षम प्राधिकारी- शासन सचिव, गृह–विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः एफ.18(13)लोआस/2014 व एफ.3(171)लोआस/2014/U/s./20439 दिनांक
23.08.2017 से भेजकर उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गई है।

अनुशंसा की पालना में संयुक्त शासन सचिव, पुलिस गृह (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा इस सचिवालय से प्रेषित अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को अपने पत्र क्रमांकः प.–10(6)गृह–1/17 दिनांक 13.09.2017 से प्रेषित कर लोकसेवकगण श्री आनन्द यादव, श्री हरफूलसिंह व श्री जगदीश के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जाँच कार्यवाही कर की गई कार्यवाही अथवा की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही से उन्हें अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसकी प्रति इस सचिवालय को प्रेषित की गई।

अनुशंसा की पालना में की गयी आगामी कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.34(8)लोआस/2016

लोकसेवक श्री वासुदेव देवनानी, राज्य मन्त्री, (स्वतंत्र–प्रभार), प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, भाषा विभाग, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग,

राजस्थान जयपुर द्वारा अपने नाम से पूर्व 'प्रोफेसर' शब्द लगाने का विधिक अधिकार नहीं होने के बावजूद सार्वजनिक रूप से 'प्रोफेसर' उपाधि का प्रयोग करने से आमजन के मन में उत्पन्न होने वाली भ्रान्ति व भ्रम के निवारण बाबत।

परिवादी श्री लोकेश शर्मा से इस सचिवालय में दिनांक 16.06.2016 को प्राप्त परिवाद में यह शिकायत की गई कि श्री वासुदेव देवनानी, शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार ने केवल बी.ई. की डिग्री प्राप्त की है और 'प्रोफेसर' न होने के बावजूद अपने नाम के साथ 'प्रोफेसर' लगाकर इस उपाधि का दुरूपयोग कर रहे हैं।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध में श्री वासुदेव देवनानी व उनके विशिष्ट सहायक से प्राप्त टिप्पणी, विद्या भवन, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट/दस्तावेजात व परिवादी की आपत्ति का विश्लेषण एवं परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्री वासुदेव देवनानी को 'प्रोफेसर' पद की उपाधि कभी प्रदत्त नहीं हुई और वे उक्त पद हेतु आवश्यक अर्हताएँ/योग्यताएं भी नहीं रखते हैं। इसके बावजूद स्वयंभू तरीके से अपने नाम से पूर्व 'प्रोफेसर' की उपाधि लगाकर एतद्नुसार अपनी योग्यता का भ्रम फैला रहे हैं जिससे राज्य के मंत्री के रूप में सच्चरित्रता का अभाव भी प्रथमत: परिलक्षित हो रहा है। इसलिए उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया। अन्वेषण के दौरान लोकसेवक श्री वासुदेव देवनानी को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। इसके अलावा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर, विद्या भवन, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, उदयपुर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर से भी आवश्यक एवं सुसंगत दस्तावेजात/सूचनाएँ प्राप्त की गई।

<u>**निष्कर्ष :**</u>

यद्यपि अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख/दस्तावेजात/सूचनाओं के अवलोकन एवं समग्र परीक्षण/विश्लेषण के फलस्वरूप लोकसेवक श्री वासुदेव देवनानी, राज्य मन्त्री, (स्वतंत्र-प्रभार), प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, भाषा विभाग, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर के विरूद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरूपयोग एवं सच्चरित्रता की कमी का कोई अभिकथन प्रमाणित नहीं पाए जाने एवं राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के तहत अनुशंसा करने का मामला न बनने के कारण अन्वेषण की कार्यवाही समाप्त की गई । परन्तु श्री वासुदेव देवनानी द्वारा अपने नाम से पूर्व 'प्रोफेसर' शब्द लगाने का विधिक अधिकार नहीं होने के बावजूद सार्वजनिक रूप से 'प्रोफेसर' उपाधि का प्रयोग करने से आमजन के मन में उत्पन्न होने वाली भ्रान्ति व भ्रम को दूर किए जाने के उधेश्य को ध्यान में रखते हुए उनके सक्षम प्राधिकारी को अपने विवेकानुसार यथोचित समझे जाने वाली कार्यवाही करने हेतु लिखा जाना उचित समझा गया।

अतः लोकसेवक श्री वासुदेव देवनानी, राज्य मन्त्री, (स्वतंत्र-प्रभार), प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, भाषा विभाग, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर की सक्षम प्राधिकारी-माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके प्रमुख सचिव के माध्यम से इस सचिवालय से पत्र क्रमांकः एफ.-34(8)लोआस/2016/अन्तर्गत धारा-12/22290 दिनांक 06.09.2017 प्रतिवेदन की प्रति प्रतिवेदन में उल्लेखित सम्पूर्ण वस्तुस्थिति एवं इसमें निकाले गए निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में उनके विवेकानुसार यथोचित समझे जाने वाली कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किए जाने बाबत प्रेषित की गई।

एफ.35(02)लोआस/2012

लोकसेवकगण श्रीमती बीना काक, तत्कालीन पर्यटन मंत्री, श्री राकेश श्रीवास्तव, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, श्री चन्द्रशेखर मूथा, तत्कालीन संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, श्री विनोद अजमेरा एवं श्री मंजीत सिंह तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, श्रीमती मीरा महर्षि व श्रीमती उषा शर्मा, तत्कालीन अध्यक्ष, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, श्री संजय पाण्डे, तत्कालीन विशेषाधिकारी, पर्यटन मंत्री, जयपुर एवं श्री आलोक माथुर, वित्तीय सलाहकार, पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (शासकीय कम्पनी) के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के प्रावधानों के विपरीत निगम के वाहन, वाहन चालक, टी. वी., फ्रिज तथा अन्य केपिटल आइटम्स की सुविधाएँ तत्कालीन पर्यटन मंत्री श्रीमती बीना काक को उपलब्ध करवाने व श्रीमती बीना काक द्वारा उक्त सुविधाएँ अवैध रूप से प्राप्त करने के कारण पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में विफलता, उपेक्षा करते हुए अनुचित एवं अनियमित कार्य किए जाने बाबत।

राजस्थान पत्रिका के दिनांक 09.04.2012 के जयपुर संस्करण में पृष्ठ सँख्या-10 पर शीर्षक-**''मंत्रियों पर महरबान आर.टी.डी.सी.''** से प्रकाशित समाचार में बताया गया कि पर्यटन मंत्री को निगम द्वारा नियम विरूद्ध दी जा रही सुविधाओं पर राज्य के महालेखाकार ने अपनी अंकेक्षण टिप्पणी में लेखा परीक्षणों के उपरान्त 33 लाख रूपये की अनियमितता होना अंकित किया है। इसी प्रकार दैनिक भास्कर के दिनांक 30.09.2013 के जयपुर संस्करण में पृष्ठ संख्या-4 पर शीर्षक- **''मंत्री को खुश करने के लिए लगाये 12 ए.सी.''** से प्रकाशित समाचार में बताया गया कि निगम की ऑडिट में पाया गया कि पर्यटन मंत्री श्रीमती बीना काक को उपलब्ध करवाये गए ए.सी., वाटर हीटर, कार एवं पंखों आदि पर नियम विरूद्ध वित्तीय अनियमितता कर खर्चा किया गया जबकि निगम के

संचालक मण्डल द्वारा वर्ष 2001 में यह निर्णय लिया गया था कि पर्यटन मंत्री को सुविधाएँ प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव के माध्यम से केवल राज्यपाल के निर्देशों का पालन किया जा सकता है।

उक्त समाचारों के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड एवं कार्यालय महालेखाकार, राजस्थान से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट्स/दस्तावेजात/ सूचनाओं एवं साक्षीगण के सशपथ कथनों के विश्लेषण एवं परीक्षण से प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि श्रीमती बीना काक, तत्कालीन पर्यटन मंत्री, श्री राकेश श्रीवास्तव, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, श्री चन्द्रशेखर मूथा, तत्कालीन संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, श्री विनोद अजमेरा एवं श्री मंजीत सिंह तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, श्रीमती मीरा महर्षि व श्रीमती उषा शर्मा तत्कालीन अध्यक्ष, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, श्री संजय पाण्डे, तत्कालीन विशेषाधिकारी, पर्यटन मंत्री, जयपुर एवं श्री आलोक माथुर, वित्तीय सलाहकार, पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान राज्य विकास पर्यटन निगम लिमिटेड कम्पनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के प्रावधानों तथा निगम की 101वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के विपरीत श्रीमती बीना काक, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री को विधि विरूद्ध रूप से वाहन व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाई व श्रीमती बीना काक ने यह जानते हुए भी कि निगम से ऐसी सुविधाएँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने/प्राप्त करने हेतु अधिकृत नहीं है तथापि उन्होंने उक्त सुविधाएँ प्राप्त कर उनका उपभोग किया। इसलिए उपर्युक्त लोकसेवकगण के विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक

अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया। इसके अलावा बचाव में श्री विवेक माथुर, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, कार्यालय महालेखाकार, राजस्थान के सशपथ कथन लेखबद्ध किए गए।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर लोकसेवकगण **श्रीमती मीरा महर्षि, तत्कालीन अध्यक्षा, राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं श्री संजय पाण्डे, तत्कालीन विशेषाधिकारी, पर्यटन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर** के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने के कारण उनको आरोपों से उन्मोचित कर उनके विरूद्ध अन्वेषण कार्यवाही समाप्त की गई ।

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण के विरूद्ध निम्नानुसार आरोप प्रमाणित पाए गए :

1. **श्रीमती बीना काक, तत्कालीन पर्यटन मंत्री, राजस्थान सरकार :**

   उक्त लोकसेवक के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उन्होंने पर्यटन विकास निगम से वाहन, वाहन चालक, टी.वी., फ्रिज एवं अन्य कैपिटल आइटम्स की सुविधाएँ प्राप्त करके उनका उपभोग किया जबकि वे निगम से ऐसी सुविधाँ प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं थी। इस प्रकार वे दुराचरण की दोषी हैं तथा राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा उनकी निजी सुविधाओं पर किया गया खर्च महालेखाकार की रिपोर्ट दिनांक 29.03.2012 में उल्लेखित निर्देशों के अनुसरण में उनसे वसूली योग्य है।

2. श्री राकेश श्रीवास्तव, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार:

उक्त लोकसेवक के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा पत्रावली पर यह स्पष्ट टिप्पणी किए जाने के बावजूद कि श्रीमती बीना काक के आवास पर करवाये गए कार्यों एवं उपलब्ध करवाये गए उपकरणों पर खर्च हुई राशि के पुनर्भरण के लिए कार्यवाही की जावे, उस टिप्पणी के क्रम में प्रकरण का वित्त विभाग से परीक्षण करवाने के बजाए अपने स्तर पर ही प्रबन्ध निदेशक को भूतलक्षी प्रभाव से समस्त खर्चों का अनुमोदन करने के निर्देश दिए और इस प्रकार अवैध एवं अनियमित कार्यवाही की गई।

3. श्री चन्द्रशेखर मूथा, तत्कालीन संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग,राजस्थान सरकार :

उक्त लोकसेवक के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि पत्रावली पर वित्तीय सलाहकार श्री महेन्द्र सिंह भूकर की टिप्पणियों के सन्दर्भ में गठित समिति का सदस्य होते हुए उन टिप्पणियों में तत्कालीन पर्यटन मंत्री श्रीमती बीना काक के राजकीय आवास पर किए गए कार्यों व उपलब्ध करवाये गए उपकरणों पर खर्च हुई राशि के पुनर्भरण सम्बन्धित प्रस्ताव पर अपनी स्पष्ट राय प्रस्तुत नहीं कर उन समस्त खर्चों का भूतलक्षी प्रभाव से प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुमोदन करने के निर्णय पर सहमति दी और इस प्रकार पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में लोप किया।

4. **श्री विनोद अजमेरा, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम :**

उक्त लोकसेवक के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री श्रीमती बीना काक के राजकीय आवास पर किए गए कार्यो व उपलब्ध करवाये गए उपकरणों पर खर्च हुई राशि के पुनर्भरण के सम्बन्ध में ऐसा कोई निर्णय नहीं होने के बावजूद कि उस राशि का भुगतान राज्य सरकार करने को तैयार है या नहीं, इस सम्बन्ध में गठित समिति के सुझाव मात्र को निर्देश मानते हुए महाप्रबन्धक (वित्त) अथवा कार्यकारी निदेशक (वित्त) की राय लिए बिना अपने स्तर पर ही उन खर्चो के सम्बन्ध में भूतलक्षी प्रभाव से अनियमित खर्चो का अनुमोदन कर आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया।

5. **श्री मंजीत सिंह, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम :**

उक्त लोकसेवक के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उनके द्वारा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री श्रीमती बीना काक के आवास पर 4 ए.सी. अवैधानिक तौर पर उपलब्ध करवाने की कार्यवाही का अनुमोदन निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के प्रावधानों व 101 वीं बैठक के निर्णय के विपरीत किया। इस प्रकार अनियमित कार्यवाही की गई।

6. **श्रीमती ऊषा शर्मा, तत्कालीन अध्यक्षा, राजस्थान पर्यटन विकास निगम :**

उक्त लोकसेवक के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उन्होंने तत्कालीन पर्यटन मंत्री श्रीमती बीना काक को अपने अधिकारों से परे जाकर पर्यटन निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के प्रावधानों व 101 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के

विपरीत पुरानी कार के बदले नई कार, रंगीन टी.वी., फ्रिज, माईक्रोवेव, सैट-टॉप बॉक्स आदि की सुविधाँ उपलब्ध करवाईं तथा इस सम्बन्ध में वित्तीय सलाहकार से राय लिए बिना ही बाद में अनुमोदन कर दिया। इस प्रकार पदीय शक्तियों का दुरूपयोग किया।

7. **श्री आलोक माथुर, वित्तीय सलाहकार, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार :**

उक्त लोकसेवक के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उन्होंने वित्तय सलाहकार, पर्यटन विभाग के पद पर कार्य करते हुए तत्कालीन कार्यकारी निदेशक-वित्त द्वारा पत्रावली पर की गई टिप्पणी के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय नहीं देकर पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन में लोप किया।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण **श्री राकेश श्रीवास्तव, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, श्री चन्द्रशेखर मूथा, तत्कालीन संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, श्री विनोद अजमेरा, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, श्री मंजीत सिंह तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, श्रीमती उषा शर्मा तत्कालीन अध्यक्षा, राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं श्री आलोक माथुर, वित्तीय सलाहकार, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार** सक्षम प्राधिकारी-माननीया मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर को उनके प्रमुख सचिव के माध्यम से अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F.35(02)LAS/ 2012/ u/s-12/ 33656 दिनांक 30.11.2017 से भेजकर उक्त आरोपी लोकसेवकगण के विरूद्ध इस अन्वेषण-प्रतिवेदन में निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर उन पर लागू अनुशासनिक नियमों के

तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गयी ।

इसके साथ ही उक्त पत्र भेजकर निम्नानुसार अनुशंसाएँ भी की गई :

1. **तत्कालीन पर्यटन मंत्री श्रीमती बीना काक (जो वर्तमान में पदासीन नहीं है)** से उनके द्वारा पर्यटन मंत्री की हैसियत से दिनांक 19.12.2008 से दिनांक 12.12.2013 की अवधि में राजस्थान विकास पर्यटन निगम लिमिटेड की सुविधाओं का उपयोग किए जाने के कारण महालेखाकार द्वारा उठाई गई आपत्ति दिनांक 29.03.2012 (प्रदर्श–24) में दिए गए निर्देशानुसार उन पर व्यय की गई आक्षेपित राशि वसूल की जाये।

2. राज्य के मंत्रीगण आदि मंत्रीगण वेतन अधिनियम, 1956 के तहत जो आवास, वाहन एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त व उपभोग कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कोई सुविधाएँ उनके द्वारा शासकीय/राजकीय उपक्रमों/कम्पनियों से नहीं मांगी जायें और न ही अधिकारियों द्वारा उन्हें उपलब्ध करवाई जायें। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार स्पष्ट नीति बनाने/परिपत्र जारी करने पर विचार करें।

अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.35(8)लोआस/2015

लोकसेवक श्री ओ.पी. चाहर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड बुहाना (जिला झुन्झुनूं) द्वारा ग्राम पंचायत, भिर्र (तहसील, बुहाना जिला झुन्झुनूं) के गाँव भोपालपुरा के लिये स्वीकृत सिंगल फेज ट्यूबवेल के सम्बन्ध में खसरा सं. 50 में से दान की गई 0.01 हैक्टेयर भूमि विधिवत रूप से विभाग के पक्ष में अन्तरित न होने के बावजूद नियमों के विपरीत उस भूमि में नलकूप की स्थापना कर

3.50 लाख रु. का विभागीय अपव्यय करके पदीय शक्ति के दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादी श्री सुभाष से इस सचिवालय में दिनांक 09.04.2015 को प्राप्त दो परिवादों में संक्षेप में यह शिकायत की गई कि श्री शेर सिंह कुम्हार ने ग्राम भोपालपुरा स्थित अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में से भूमि देकर एम.एल.ए. कोटे से सार्वजनिक ट्यूबवेल का निर्माण करवा लिया और अब वह पास में बसे हुए परिवारों को पानी नहीं भरने देता है। उसने सार्वजनिक ट्यूबवेल के चारों ओर काँटों के तारों से घेराबंदी कर बाड़ कर रखी है तथा कहने पर भी न तो बाड़ हटाता है और न ही पानी भरने देता है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पाबन्द करने के बावजूद शेरसिंह व उसकी पत्नी मुनेश इस सार्वजनिक ट्यूबवेल से पानी नहीं भरने देते हैं तथा न ही उन्होंने तारबंदी को हटाया है। उल्टा उनके साथ गाली-गलौच करते हैं और मारने की धमकी देते हैं। परिवादी द्वारा प्रार्थना की गई कि शेरसिंह व उसकी पत्नी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए उनके पीने के पानी की समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जावे और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

परिवाद के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जयपुर एवं मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना एवं दस्तावेजात आदि का विश्लेषण और परीक्षण करने पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि तत्कालीन सहायक अभियंता श्री ओम प्रकाश चाहर ने प्रश्नगत नलकूल की स्थापना हेतु दान की गई भूमि पंचायत/विभाग के पक्ष में विधिवत रूप से अन्तरित नहीं होने के बावजूद इस तथ्य को अनदेखा करते हुए विवादित स्थल पर नलकूप की स्थापना करवा दी जो वर्तमान में विवादित होने से इसकी उपयोगिता नहीं रही और अन्ततः इसे बन्द करना पड़ा जिससे विभाग का करीब 3.50 लाख रु. का अपव्यय हुआ जिसके लिये वह प्रथमदृष्टया उत्तरदायी है। इसलिये

उसके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवक को अपना प्रतिवाद एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने एवं अपने बचाव में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवक श्री ओ.पी. चाहर सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड बुहाना (जिला झुन्झुनूं) के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि ग्राम पंचायत, भिर्र (तहसील, बुहाना, जिला झुन्झुनूं) के गाँव भोपालपुरा के लिये स्वीकृत सिंगल फेज ट्यूबवेल के सम्बन्ध में सहखातेदार रामस्वरूप कुम्हार दिनांक 08.10.2013 के द्वारा दान-पत्र के माध्यम से दान की गयी अपनी निजी कृषि भूमि 0.01 हैक्टयर का निष्पादन विभाग के नाम नहीं होने के बावजूद उनके द्वारा नियमों के विपरीत उस भूमि में नलकूप की स्थापना कर 3.50 लाख रु. का विभागीय अपव्यय करके पदीय शक्ति का दुरूपयोग किया।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अन्तर्गत आरोपी लोक सेवक श्री ओ.पी. चाहर के सक्षम प्राधिकारी-प्रभारी मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक एफ. 35(8)लोआस/2015/U/S12/7441 दिनांक 23.05.2017 से भेजकर उनके विरूद्ध विद्यमान व प्रवृत नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा

की गई। अनुशंसा की में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर ने अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त झून्झूनूं को प्रेषित पत्र की प्रति दिनांक 07.07.2017 (पृ0सं0 209/सी/पार्ट-4) इस सचिवालय को प्रेषित की है। इस पत्र के जरिये अपचारी लोक सेवक श्री ओ. पी. चाहर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियमों के तहत कार्मिक विभाग के पत्रानुसार प्रारूप आरोप-पत्र भिजवाने के लिये लिखा गया है। इस सम्बन्ध में की गई आगामी कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.35(17)लोआस/2011

कला एवं साहित्य विभाग, राजस्थान सरकार के अधिकारीगण एवं श्री सलाउधीन अहमद (सेवानिवृत्त) तत्कालीन प्रमुख सचिव, कला एवं साहित्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा हवामहल, जयपुर के समीप स्थित पुराने टाउन-हॉल को विश्वस्तरीय सवाई मानसिंह म्यूजियम बनाने के लिए वित्त विभाग की टिप्पणी एवं सम्बन्धित नियमों की पालना किए बिना एवं इस हेतु बजटीय राशि का प्रावधान किए बिना कन्सल्टेंसी अनुबन्ध देकर सरकारी-धन का अनुपयोगी व्यय करने बाबत।

प्रस्तुत प्रकरण में दैनिक भास्कर समाचार पत्र के दिनांक 24.04.2011 के अंक में शीर्षक - ''सवाई मानसिंह टाऊन-हॉल : म्यूजियम की शुरूआत के बगैर कन्सल्टेंसी फर्म को भारी-भरकम भुगतान पर विवाद, ए.जी. ऑडिट ने दर्ज कराई आपत्ति'' एवं ''बिना काम 1.10 करोड़ का भुगतान'' से प्रकाशित समाचार एवं दिनांक 27.04.2011 के अंक में शीर्षक - ''और यहाँ सच बोलने वाले को बाहर का रास्ता'' से प्रकाशित समाचार के आधार पर इस सचिवालय द्वारा दिनांक 03.05.2011 को स्व:प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।

निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट, विभाग से प्राप्त मूल पत्रावलियों, दस्तावेजात एवं अभिलेख तथा साक्षीगण के सशपथ लेखबद्ध कथनों आदि का विश्लेषण एवं परीक्षण करने पर उक्त मामले में प्रथमदृष्ट्या निम्नलिखित अनियमितता होना पाया गया :-

1. कन्सल्टेंसी सेवाएँ लेने के लिए विशिष्ट बजटीय प्रावधान नहीं होते हुए एवं पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति के बिना GF & AR के नियम 38 ए का उल्लंघन करते हुए कन्सल्टेंसी सेवाएँ ली गई।

2. GF & AR के नियम 38 ए के अन्तर्गत अपेण्डिक्स-5 के पैरा-8(1) के उल्लंघन में वित्त विभाग की उचित स्वीकृति/अनुमोदन के बिना इस प्रोजेक्ट के 'एक्जीबिट एरिया' का कन्सल्टेंसी कार्य मैसर्स लॉर्ड कल्चरल रिर्सोसेज, प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट इंक. टोरंटो, कनाड़ा (M/s Lord Cultural Resource, Planning & Management Inc. Toronto, Canada) को दिया गया।

3. टर्न-की बेसिस पर ग्लोबल टेण्डर्स आमंत्रित करने के बजाए केवल कन्सल्टेंसी के लिए ही टेण्डर आमंत्रित किए गए। परामर्श के विपरीत टर्न-की कन्सल्टेंसी के लिए अन्य निविदादाताओं को अवसर दिए बिना मैसर्स लॉर्ड कल्चरल रिर्सोसेज, प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट इंक. टोरंटो, कनाड़ा (M/s Lord Cultural Resource, Planning & Management Inc. Toronto, Canada) को प्रोजेक्ट दिया गया।

4. उपर्युक्त फर्म को प्रोजेक्ट देने हेतु चयन करने की सूचना अगस्त, 2007 में दे दी गई जबकि इस बाबत अन्तिम अनुमोदन दिसम्बर, 2007 में हुआ था।

   इस प्रकार श्री सलाउधीन अहमद (सेवानिवृत्त) तत्कालीन प्रमुख सचिव, कला एवं साहित्य विभाग ने उक्त फर्म के लिये कन्सल्टेंसी प्रोजेक्ट फाइनल करने में जल्दबाजी करते हुए विशेष रूचि दिखाई।

5. GF & AR के नियम-38ए के अन्तर्गत अपेन्डिक्स-5 के पैरा-10(ii)(a) एवं (b) के अनुसार कन्सल्टेन्सी कार्य की अनुमानित लागत की 2% अमानत राशि एवं 5% प्रतिभूति राशि अग्रिम जमा होना आवश्यक था लेकिन इस मामले में अमानत राशि जमा होने का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। प्रतिभूति राशि अग्रिम लेने के बजाय कन्सल्टेन्ट के बिलों में से कटौती की गई है।

6. जनलेखा समिति ने महालेखाकार, राजस्थान के वर्ष 2010-11 के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में यह राय बनाई कि एस.एम.एस. टॉउन-हॉल के स्वामित्व का मामला स्पष्ट हुये बिना वहाँ म्यूजियम स्थापित करने के लिये व्यय की गई राशि अनुपयोगी सिद्ध होगी, इसलिए जनलेखा समिति द्वारा यह अनुशंषा की गई कि उक्त प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में आगे कोई राशि खर्च करने से पूर्व मामला विधि विभाग को राय के लिये भेजा जावे। उल्लेखनीय है कि एस.एम.एस. टॉउन-हॉल जयपुर रियासत द्वारा राजस्थान सरकार को केवल कार्यालय उपयोग हेतु दिया गया था। इसको विश्वस्तरीय म्यूजियम के रूप में परिवर्तित करने की अवस्था में कार्यालय उपयोग से उसकी श्रेणी व्यावसायिक उपयोग की हो जायेगी।

7. कला एवं साहित्य विभाग द्वारा ड्राफ्ट पैरा की अनुपालना में जनलेखा समिति को सूचित किया गया कि उक्त प्रोजेक्ट पर मार्च, 2010 तक कुल 2.43 करोड़ रूपये की राशि खर्च हुई है। जलेब चौक में पार्किंग का मामला स्वामित्व का विवाद होने के कारण पहले से न्यायालय में चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में एस.एम.एस. टॉउन-हॉल को म्यूजियम के रूप में परिवर्तित करने की अवस्था में स्वामित्व के बिन्दु पर नया विवाद उत्पन्न होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

8. मैसर्स द्रोणा, गुडगाँव को प्रदर्शनी के लिये निर्धारित क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र कन्सल्टेन्सी कार्य के लिए GF & AR के नियम 38ए के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार नहीं दिया गया है। यह कार्य विभाग में पहले से सूचीबद्ध फर्मों के आधार पर ही दिया गया। कार्यकारी निदेशक (वित्त) ने पत्रावली सँख्या एफ. 13(68)/ADMA/Acctt/2008 के पैरा नम्बर 12 पर यह टिप्पणी अंकित की कि इस कन्सल्टेन्सी की अनुमानित लागत 300 लाख रूपयें होने से मामले में खुली निविदा प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है। यदि यह कार्य "सूचीबद्ध आर्किटेक्ट" से बाहर करवाया जाता है तो मामलें में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु अन्य आर्किटेक्ट्स के प्रस्तावों पर भी विचार हो सकेगा जिसमें न केवल कन्सल्टेन्सी फीस बल्कि अन्य मामलें भी कवर हो सकते हैं। टिप्पणी में भी यह उल्लेख किया गया कि ऐसी कन्सल्टेन्सी के लिए अधिशाषी परिषद का अनुमोदन भी आवश्यक है लेकिन कार्यकारी निदेशक (वित्त) की उपर्युक्त टिप्पणियों की अनदेखी करते हुए उक्त फर्म को कन्सल्टेन्सी कार्य दे दिया गया।

9. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पत्रावली के पैरा नं0 83/एन पर दिनांक 17.12.2007 को "स्विस चैलेंज मैथडोलॉजी" के आधार पर पुनः निविदा आमंत्रित करने बाबत दिये गये निर्देशों एवं वित्त विभाग द्वारा दिनांक 04.01.2008 को पैरा नं0 96 पर वर्ष 2007-08 में उक्त कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की असमर्थता के बावजूद मैसर्स लॉर्ड कल्चरल रिर्सोसेज, प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट इंक. टोरंटो, कनाड़ा (M/s Lord Cultural Resource, Planning & Management Inc. Toronto, Canada) को प्रोजेक्ट की कुल वास्तविक लागत के 9.65% की दर से कन्सल्टेन्सी की स्वीकृत्ति हेतु दिनांक 17.01.2008 को आशय-पत्र (Letter of Intent) जारी कर दिया गया।

10. कन्सल्टेन्ट द्वारा वसूल की गई फीस एवं फेज-वाइज चार्जेज में भारी अन्तर होने बाबत वित्त एवं लेखा विभाग की टिप्पणी को प्रमुख सचिव द्वारा यह उल्लेख करते हुए रद्द कर दिया गया कि फीस मैसर्स लॉर्ड कल्चरल रिर्सोसेज, प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट इंक. टोरंटो, कनाड़ा (M/s Lord Cultural Resource, Planning & Management Inc. Toronto, Canada) को दी जाने वाली फीस से बहुत कम है तथा ए.डी.एण्डएम.ए. से सम्बन्धित अन्य कन्सल्टेन्ट्स को दी जाने वाली फीस से भी कम है।

इस प्रकार इस मामलें में श्री सलाउधीन अहमद, तत्कालीन प्रमुख सचिव द्वारा विश्वस्तरीय म्यूजियम की स्थापना के लिए कन्सल्टेन्ट की मदद लेने से पूर्व म्यूजियम की आवश्यकता के सम्बन्ध में गहनता से अध्ययन किये बिना तथा GF & AR के नियमों, उच्चाधिकारियों के निर्देशों तथा नॉर्म्स के विपरीत कार्य किया गया। उनकी इस लापरवाही के कारण राजस्थान सरकार की करोड़ों रूपये की धनराशि का अनुपयोगी व्यय हुआ।

<u>अनुशंषा :</u>

राजस्थान सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिये जाने, श्री सलाउद्दीन अहमद के सेवानिवृत्त हो जाने एवं उक्त प्रोजेक्ट का प्रस्ताव अंततः माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित होने की परिस्थितियों में राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस सचिवालय को मुख्यमंत्री के द्वारा की गई कार्यवाही के मामले में अन्वेषण की शक्तियां नहीं होने से यह जाँच समाप्त करते हुए इस प्रतिवेदन की प्रति प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान को पत्र क्रमांक एफ.35(17)लोआस/2011/अन्तर्गत धारा 12/130/03.07. 2017 से प्रेषित करते हुए निवेदन किया गया कि प्रतिवेदन में किये गये संप्रेक्षणों पर विचार कर, यदि उचित समझा जावे तो, समुचित कार्यवाही

किये जाने के लिये प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदया के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।

उक्त अनुशंषा के क्रम में अग्रिम कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.45(19)लोआस/2014

लोकसेवकगण श्री जे.के. गुरूबक्षाणी, तत्कालीन खनिज अभियन्ता, जोधपुर, श्री खरताराम पारगी, तत्कालीन सर्वेयर, कार्यालय खनिज अभियन्ता, जोधपुर एवं श्री जगवीर सिंह भोज, तत्कालीन लिपिक, ग्रेड-द्वितीय, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा खनन-पट्टा सँख्या 04/09 के प्रकरण में आवेदित क्षेत्र के सीमांकन की कार्यवाही किए जाने में पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही किए जाने बाबत।

परिवादी श्रीमती भगवती देवी से इस सचिवालय में दिनांक 27.08.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार शिकायत का सार यह है कि उसने ग्राम मण्डियाई कलां तहसील ओसिया में खनन-पट्टा हेतु आवेदन-पत्र कार्यालय, खनिज अभियन्ता, जोधपुर में प्रस्तुत किया था तथा आवेदित क्षेत्र का सीमांकन दिनांक 20.03.2014 को राजस्व पटवारी एवं खनिज विभाग के सर्वेयर से करवाकर सम्बन्धित अधिकारियों को सूचना प्रेषित कर दी थी। इसके बावजूद उसके आवेदन-पत्र को दिनांक 22.07.2014 को आवेदित क्षेत्र का सीमांकन नहीं करवाने के आधार पर अनियमित तौर पर निरस्त कर दिया गया।

परिवाद के सम्बन्ध निदेशक, खान एंव भूविज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/टिप्पणी/सूचना एवं दस्तावेजात के अवलोकन श्री श्री जे.के. गुरूबक्षाणी, तत्कालीन खनिज अभियन्ता, जोधपुर, श्री खरताराम पारगी, तत्कालीन सर्वेयर, कार्यालय खनिज अभियन्ता, जोधपुर एवं श्री जगवीर सिंह भोज, तत्कालीन लिपिक, ग्रेड-द्वितीय को

उक्त खनन-पट्टा आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही किए जाने में लापरवाही एवं उदासीनता के लिए प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पाए जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद-स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण श्री खरताराम पारगी, तत्कालीन सर्वेयर, कार्यालय खनिज अभियन्ता, जोधपुर एवं श्री जगवीर सिंह भोज, तत्कालीन लिपिक, ग्रेड-द्वितीय के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने के फलस्वरूप उन्हें आरोपों से उन्मोचित करते हुए उनके विरूद्ध अन्वेषण कार्यवाही समाप्त की गई।

आरोपी लोकसेवक श्री जे.के. गुरूबक्षाणी, तत्कालीन खनिज अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान, विभाग, जोधपुर, के विरूद्ध यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि परिवादी के खनन-पट्टा आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में सीमांकन नहीं कराए जाने के कारण उनके द्वारा अस्वीकृति का प्रस्ताव निदेशालय को दिनांक 24.09.2013 को प्रेषित किया गया। उसके पश्चात् मूल सीमांकन प्रतिवेदन उनके समक्ष दिनांक 27.03.2014 को प्रस्तुत हो गया व पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी पर भी इस सम्बन्ध में अंकन हो गया। इसके बावजूद पूर्व के अस्वीकृति प्रस्ताव को स्थगित किए जाने एवं सीमांकन हो जाने की सूचना निदेशालय को नहीं भेजी गई और इस उपेक्षा के कारण आवेदिका का खनन-पट्टा अस्वीकृति हो गया। इस प्रकार उन्होंने अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर लापरवाही की।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण श्री जे.के. गुरूबक्षाणी, तत्कालीन खनिज अभियन्ता, जोधपुर के सक्षम प्राधिकारी मन्त्री महोदय, खान विभाग, राजस्थान जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांकः F-45(19)LAS/2014/u/s-12/21769 दिनांक 04-09-2017 से भेजकर उनके विरूद्ध नियमानुसार यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गयी ।

अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ.8(76)लोआस/2016

एफ.8(96)लोआस/2014

लोकसेवकगण डॉ. श्योजीराम मीणा, प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा, डॉ. राधेश्याम मीणा, अधीक्षक, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, डॉ. शिवभगवान शर्मा, विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक्स, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, डॉ. आर.पी. रावत, अधीक्षक, जे.के. लोन, मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा, डॉ. ए.आर. गुप्ता, अधीक्षक, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, डॉ. एस.सी. जेलिया, प्रभारी, नवीन चिकित्सालय, कोटा, डॉ. एस.सी. दुलारा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, निःश्चेतना विभाग, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, डॉ. राकेश शर्मा, यूनिट हैड, सर्जरी बी, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, श्री कजोड़मल जैन, लेखाधिकारी, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, श्री टुण्डाराम मीणा, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा, श्री रामस्वरूप प्रतिहार, प्रभारी बी.पी.एल. काउंटर, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, श्री मुकेश मीणा, प्रभारी स्टोर, आर.एम.आर.एस., एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, श्री विष्णु शर्मा, प्रभारी, अस्थि रोग वार्ड, एम.बी.एस. चिकित्सालय,

कोटा, श्री विरधीचन्द शर्मा, प्रभारी रिकॉर्ड रूम, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा व श्री संदीप सुथार, फार्मासिस्ट, बी.पी.एल. काउंटर, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा द्वारा एम.बी.एस. अस्पताल कोटा में एण्टीगैस, गैंगरीन इंजेक्शन की खरीद में अनियमितता करने एवं अनियमित भुगतान करके अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में लोपकर राजकोष को हानि पहुँचाने बाबत।

समाचार पत्र ‘‘राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण’’ के दिनांक 02.01.2015 के अंक में शीर्षक **‘‘इंजेक्शन खरीद में गड़बड़ी‘‘** से प्रकाशित समाचार के आधार पर **‘‘स्वप्रेरणा’’** से दिनांक 13.01.2015 को प्रंसज्ञान लिया गया।

प्रकाशित समाचार के अनुसार तथ्य हैं कि एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा में आर.एम.आर.एस. के सदस्य सचिव व अस्पताल अधीक्षक द्वारा 18 सितम्बर, 2014 को 30 एण्टीगैस गैंगरीन इन्जेक्शन (30,000 आई.यू.) प्रति इंजेक्शन दर 15,500/-रूपये के हिसाब से खरीदने का आदेश मैसर्स राजस्थान मैडिकल हॉल, रोड नम्बर-2, आई.पी.आई.ए., कोटा को दिया गया। ये इंजेक्शन 30 सितम्बर, 2104 को अवधि पार हो गए। फर्म ने एक अण्डरटेकिंग दी थी कि उपयोग नहीं होने की स्थिति में वह सभी इन्जेक्शनों को वापिस लेगी और उसका बिल प्रस्तुत नहीं करेगी। इंजेक्शन अवधि पार होने से पूर्व अस्पताल में कोई गैंगरीन रोगी नहीं आया। अवधि पार होने से सारे इंजेक्शन खराब हो गए। इसके बावजूद फर्म को पाँच प्रतिशत वैट राशि जोड़कर इन इन्जेक्शनों की राशि 4,88,250/-रूपये का भुगतान कर दिया गया।

उक्त सम्बन्ध में अधीक्षक, एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सालय महाविद्यालय कोटा, संभागीय आयुक्त, कोटा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन, मूल अभिलेख व सूचनाएं एवं साक्षीगण के

कथनों व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि आरोपी लोकसेवकगण **डॉ. श्योजीराम मीणा, प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा, डॉ. राधेश्याम मीणा, अधीक्षक, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, डॉ. शिवभगवान शर्मा, विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक्स, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, डॉ. आर.पी. रावत, अधीक्षक, जे.के.लोन, मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा, डॉ. ए.आर. गुप्ता, अधीक्षक, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, डॉ. एस.सी. जेलिया, प्रभारी, नवीन चिकित्सालय, कोटा, डॉ. एस.सी. दुलारा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, निःश्चेतना विभाग, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, डॉ. राकेश शर्मा, यूनिट हैड, सर्जरी बी, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, श्री कजोड़मल जैन, लेखाधिकारी, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, श्री टुण्डाराम मीणा, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा, श्री रामस्वरूप प्रतिहार, प्रभारी बी.पी.एल. काउंटर, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, श्री मुकेश मीणा, प्रभारी स्टोर, आरएमआरएस, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, श्री विष्णु शर्मा, प्रभारी, अस्थि रोग वार्ड, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, श्री विरधीचन्द शर्मा, प्रभारी रिकॉर्ड रूम, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा व श्री संदीप सुथार, फार्मासिस्ट, बी.पी.एल. काउंटर, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा** द्वारा इंजेक्शनों की खरीद में अनियमितता की गई एवं नियम विरूद्ध भुगतान किया गया। इसलिये उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा प्रारम्भिक जाँच में परीक्षित साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण करने एवं अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

<u>निष्कर्ष :</u>

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर लोकसेवकगण **डॉ. श्योजीराम मीणा**, तत्कालीन प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, एम.बी.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा, **डॉ. शिवभगवान शर्मा**, तत्कालीन विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक्स विभाग, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, **डॉ. ए.आर. गुप्ता**, तत्कालीन अधीक्षक, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, **डॉ. आर.पी. रावत**, तत्कालीन अधीक्षक, जे.के. लोन, मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा, **डॉ. एस.सी. जेलिया**, तत्कालीन प्रभारी, नवीन चिकित्सालय, कोटा, **डॉ. एस.सी. दुलारा**, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, निःश्चेतना विभाग, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, **डॉ. राकेश शर्मा**, तत्कालीन यूनिट हैड, सर्जरी बी, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, **श्री टुण्डाराम मीणा** तत्कालीन वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा एवं **श्री कजोड़मल जैन**, तत्कालीन लेखाधिकारी, एम. बी.एस. चिकित्सालय, कोटा के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए, इसलिये उन्हें लगाये गये आरोपों से उन्मोचित कर उनके विरूद्ध अन्वेषण कार्यवाही समाप्त की गई ।

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपी लोकसेवकगण डॉ. **राधेश्याम मीणा, तत्कालीन अधीक्षक, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, श्री रामस्वरूप प्रतिहार, तत्कालीन प्रभारी, बी.पी.एल. काउंटर, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, श्री मुकेश मीणा, तत्कालीन स्टोर-प्रभारी, (आर.एम.आर.एस), एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, श्री विरधीचन्द शर्मा, तत्कालीन प्रभारी, रिकॉर्ड रूम, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा तथा श्री विष्णु शर्मा, तत्कालीन प्रभारी, अस्थि रोग वार्ड, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा** द्वारा एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा में माह अगस्त-सितम्बर, 2014 में एण्टीगैस गैंगरीन इंजेक्शनों की बिना वैध माँग के खरीद की गई, अभिलेख में कांट-छांट कर गलत रूप से उपयोग दर्शाते हुए अनियमित प्रोक्योरमेण्ट किया गया

और इस प्रकार उन्होंने अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में लोप करते हुए फर्म राजस्थान मेडिकल हॉल, कोटा को गलत भुगतान कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँचाई।

<u>अनुशंसा :</u>

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवकगण डॉ. राधेश्याम मीणा, तत्कालीन अधीक्षक, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा के सक्षम प्राधिकारी-प्रभारी मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः F.8(96) LAS/ 2014/ u/s-12/45269 दिनांक 28.02.2018 से अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं श्री रामस्वरूप प्रतिहार, तत्कालीन प्रभारी, बी.पी.एल. काउंटर, एम.बी. एस. चिकित्सालय, कोटा, श्री मुकेश मीणा, तत्कालीन स्टोर-प्रभारी, (आर. एम.आर.एस.), एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा, श्री विरधीचन्द शर्मा, तत्कालीन प्रभारी, रिकॉर्ड रूम, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा तथा श्री विष्णु शर्मा, तत्कालीन प्रभारी, अस्थि रोग वार्ड, एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा के सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय के पत्र क्रमांकः F.8(96) LAS/ 2014/ u/s-12/45273 दिनांक 28.02.2018 से अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर उनके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गयी ।

अनुशंसा की पालना में की गयी कार्यवाही की सूचना अभी तक अपेक्षित है।

एफ.16(48)लोआस/2015

लोकसेवकगण श्री नरेन्द्र मिश्रा, श्री दिलीप कुमार शर्मा व श्री राकेश कुमार शर्मा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारीगण एवं श्री राजेश मीना, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, चाकसू (जयपुर) द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं से सांठ-गांठ करके अवैध निर्माण को नहीं रोककर एवं नियमानुसार नहीं हटाकर पद का दुरूपयोग करने बाबत।

परिवादी श्री खेमचंद से इस सचिवालय में दिनांक 16.04.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार शिकायत का सार है कि भागचंद, पूरण, सुरेश, राकेश, हेमराज एवं कमलेश निवासीगण वार्ड नम्बर 25, चाकसू द्वारा अवैध निर्माण किए जाने की शिकायत करने पर भी नगरपालिका, चाकसू के अधिकारियों व कर्मचारियों ने ऐसे अवैध निर्माण को रोकने के बजाए उसे करवाने में सहयोग दिया। अवैध निर्माणकर्ताओं ने रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करके निर्माण कर लिया जिसे भी नहीं हटाया।

परिवाद के सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू जिला जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट/सूचना/दस्तावेजात व उसके सम्बन्ध में परिवादी से प्राप्त आपत्तियों के आधार पर प्रथमदृष्टया यह पाया गया कि प्रकरण में बिना इजाजत किए गए अवैध निर्माण को रोकने एवं नियमानुसार हटाने के कर्त्तव्य के निर्वहन में लोकसेवकगण **श्री नरेन्द्र मिश्रा, श्री दिलीप कुमार शर्मा व श्री राकेश कुमार शर्मा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारीगण एवं श्री राजेश मीना, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, चाकसू (जयपुर)** द्वारा उपेक्षा की गई। इसलिये उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान आरोपी लोकसेवकगण को अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया एवं साक्षीगण के सशपथ कथन लेखबद्ध किए गए जिनसे आरोपी लोकसेवकगण को प्रतिपरीक्षा का

अवसर दिया गया। आरोपी लोकसेवकगण को भी अपनी प्रतिरक्षा में मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया।

निष्कर्ष :

अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर लोकसेवकगण **श्री नरेन्द्र मिश्रा, तत्कालीन कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी, श्री राकेश कुमार शर्मा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं श्री राजेश मीना, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, चाकसू (जयपुर)** के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने के कारण उनको आरोपों से उन्मोचित कर उनके विरूद्ध अन्वेषण कार्यवाही समाप्त की गई।

आरोप **लोकसेवक श्री दिलीप कुमार शर्मा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू जिला जयपुर** के विरूद्ध अन्वेषण के दौरान पत्रावली पर आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर यह आरोप प्रमाणित पाया गया कि उसने अवैध निर्माणकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुॅचाने के उद्देश्य से उनके द्वारा किए गए निर्माण को रोकने तथा हटाने के सम्बन्ध में विधि अनुसार कार्यवाही नहीं की और इस प्रकार पदीय दायित्व के निर्वहन में उपेक्षा की गई।

अनुशंसा :

अतः राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अन्तर्गत आरोपी लोकसेवक **श्री दिलीप कुमार शर्मा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चाकसू जिला जयपुर हाल आयुक्त, नगर परिषद, दौसा** के सक्षम प्राधिकारी-प्रभारी मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अन्वेषण प्रतिवेदन की प्रति पत्र क्रमांक: F.16(48) LAS/ 2015/ u/s-12/45302 दिनांक 28.02.2018 से

भेजकर उसके विरूद्ध विद्यमान एवं प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा बिना निर्माण स्वीकृति नगरपालिका भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को विधि अनुसार हटाए जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को तीन माह में अवगत करवाने की अनुशंसा की गयी ।

अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

अध्याय-6

अनुशासनिक कार्यवाहियों के अन्य प्रकरण

इस सचिवालय में प्राप्त परिवादों में सम्बन्धित विभाग की तथ्यात्मक रिपोर्ट व अन्य विवरण की जाँच/परीक्षण के आधार पर लोकसेवकों को अपने दायित्व निर्वहन में पदीय दुरूपयोग, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता तथा कर्तव्यपालन में लोप इत्यादि के लिये उत्तरदायी पाये जाने पर विभाग के सक्षम प्राधिकारियों को उनके विरूद्ध समुचित अनुशासनिक कार्यवाही करने बाबत दिये गये निर्देशों के सन्दर्भ में विभिन्न विभागों द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाहियों का विवरण इस अध्याय में दिया जा रहा है।

एफ.2(13)लोआस/2016

परिवादी श्री प्रवीण कुमार, निवासी वार्ड नं. 9 श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीकरणपुर के विरूद्ध भू-खण्डों के आवंटन में की गई धांधली को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में निदेशक, कृषि विपणन, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 5.6.2017 से अवगत करवाया कि आरोपित श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीकरणपुर के विरूद्ध भू-खण्ड आवंटन के मामले में राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के पश्चात् उक्त श्री सुरेन्द्र कुमार को अपने दायित्वों का सही प्रकार से निर्वहन नहीं करने के कारण परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 16.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(608)लोआस/2015

श्री गिर्राजप्रसाद मीणा निवासी चांदसेन तहसील लालसोट, जिला दौसा द्वारा प्रेषित परिवाद में पुलिस थाना, लालसोट पर भू-माफियाओं के विरूद्ध दर्ज करवाये गये प्रकरण सँख्या 313/2014 में उप पुलिस अधीक्षक, लालसोट द्वारा भू-माफियाओं से 4.30 लाख रूपये लेकर उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, दौसा, महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जयपुर व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सर्तकता) राजस्थान, जयपुर से पत्राचार किये जाने पर उनकी ओर से प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के आरोपों के सम्बन्ध में जाँच करवाये जाने के पश्चात् तत्कालीन वृत्ताधिकारी वृत्त, लालसोट श्री दिनेश अग्रवाल, श्री मोहनलाल वर्मा व श्री अर्जुनलाल चौधरी के विरूद्ध अपराध साबित नहीं पाये गये। जाँच के उपरान्त श्री दयाराम उपनिरीक्षक, पुलिस थाना, लालसोट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 में व श्री मदनलाल शर्मा, पुलिस निरीक्षक एवं दीपक कुमार मीणा, पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना, लालसोट के विरूद्ध नियम 17 में आरोप-पत्र जारी किये जाना तथा विभागीय जाँच लम्बित होना बतलाया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 21.11.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(662)लोआस/2015

एफ.3(663)लोआस/2015

श्री महावीर पोसवाल निवासी पथिक सेवा आश्रम, नयावास सुजानगढ, जिला चूरू द्वारा प्रेषित परिवाद में पुलिस थाना, सुजानगढ पर दर्ज प्रकरण संख्या 386/2014 में अनुसंधान अधिकारी श्री अनाराम सहायक उप निरीक्षक द्वारा अनुसंधान कर उसे दोषी मान लिये जाने व इसके पश्चात् प्रकरण का अनुसन्धान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राजगढ द्वारा करने पर मामला गलतफहमी का मानते हुये एफ.आर.देने पर सहायक उप निरीक्षक श्री अनाराम के विरूद्ध कार्यवाही की माँग की गई।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, चूरू से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 386/2014 में श्री अनाराम सहायक उप निरीक्षक द्वारा गलत अनुसन्धान करने पर उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 में कार्यवाही कर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 5.4.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(191)लोआस/2016

श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी बैलारा कलां, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में श्री महावीर सिंह, मुख्य आरक्षी नं0 258, एम.टी. शाखा पुलिस लाइन, भरतपुर द्वारा पद के दुरूपयोग करने व भ्रष्टाचार के आरोप लगाये लगाये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से पत्राचार करने पर परिवादी के आरोपों के बारे में जाँच करवाने पर श्री महावीर सिंह, मुख्य आरक्षी को दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 में विभागीय कार्यवाही कर तीन वर्ष की वार्षिक वेतनवृद्धियाँ संचित प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 8.6.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(457)लोआस/2016

श्री त्रिलोकसिंह निवासी 5पी, बड़ी कोनी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित परिवाद में पुलिस थाना, हिन्दुमलकोट पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 102/2016 में अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरोपी श्री रविन्द्र को गिरफ्तार कर लेने के पश्चात् उससे मिलकर चार्जशीट 60 दिन में पेश नहीं कर उसकी जमानत करवा देने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी श्री रमेश कुमार सर्वटा को चार्जशीट समय पर पेश नहीं करने का दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 में कार्यवाही कर उसे भविष्य के लिये चेतावनी दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 10.7.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(491)लोआस/2016

श्रीमती बीना बैरवा निवासी बपौती, तहसील सपोटरा, जिला करौली द्वारा प्रेषित परिवाद में श्री राधेश्याम, आरक्षी संख्या 716 पुलिस लाइन, सवाईमाधोपुर द्वारा अपनी पुत्री रेखा से मिलकर वैश्यावृति का धन्धा करने व रेखा से झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर निर्दोष लोगों को परेशान करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के आरोपों के बारे में जाँच करवाये जाने पर परिवादी के आरोपों को सही पाये जाने पर आरोपी आरक्षी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 में विभागीय कार्यवाही किया जाना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 2.11.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(577)लोआस/2016

श्री कोमल नागर, निवासी प्लॉट संख्या 65, राधा स्वामी, केकड़ी जिला अजमेर द्वारा प्रेषित परिवाद में उसका सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में पुलिस थाना, सावर पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 51/2016 में जाँच अधिकारी श्री सत्यनारायण, मुख्य आरक्षी व श्री भँवरलाल, आरक्षी द्वारा मुलजिमों से मिलकर चोरी के सामान की बरामदगी नहीं करने व केवल रामप्रसाद के विरूद्ध ही चार्जशीट पेश करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, अजमेर से पत्राचार करने पर पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में परिवादी के आरोपों के बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, केकड़ी से जाँच करवाये जाने पर जाँच में अनुसन्धान अधिकारी श्री सत्यनारायण, मुख्य आरक्षी नम्बर 190 द्वारा अनुसन्धान के दौरान लापरवाही करना पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 में विभागीय कार्यवाही किया जाना व श्री सत्यनारायण को पुलिस लाइन में लगाया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 7.9.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(860)लोआस/2016

श्रीमती रूबाना निवासी 72डी, पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित परिवाद में महिला पुलिस थाना, श्रीगंगानगर पर दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 203/2016 में थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी श्री विष्णु खत्री व उसके रीडर श्री कृष्ण द्वारा मुलजिमों से मिलकर अनुसंधान के दौरान मुलजिमों को लाभ पहुँचाकर दोष पूर्ण चार्जशीट पेश कर देने पर न्यायालय द्वारा इस बारे में प्रसंज्ञान ले लिये जाने पर थानाधिकारी व उसके रीडर के विरूद्ध कार्यवाही की माँग की गई।

परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में बताया गया कि परिवादी के प्रकरण में थानाधिकारी, श्री विष्णु खत्री व उनके रीडर श्री कृष्ण सिहाग द्वारा निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर त्रुटिपूर्ण आरोप–पत्र तैयार करने पर दोनों लोकसेवकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 में कार्यवाही कर उन्हें आरोप-पत्र दिया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 21.6.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(20)लोआस/2017

श्री लक्ष्मीनारायण सिंह निवासी नाहिड़ा, तहसील महुआ, जिला दौसा द्वारा प्रेषित परिवाद में उसके परिवारजनों के साथ की गई मारपीट के सम्बन्ध में पुलिस थाना, सलेमपुर पर दर्ज करवाये गये प्रकरण सँख्या 24/2017 में अनुसन्धान अधिकारी/थानाधिकारी श्री कुशलसिंह द्वारा मुलजिमों से मिलकर मुख्य आरोपी श्री बीरीसिंह का नाम हटा देने व भा.दं.सं. की धारा 326 की जगह धारा 324 का अपराध मानकर चार्जशीट पेश कर देने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, दौसा से रिपोर्ट प्राप्त करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अनुसन्धान अधिकारी/थानाधिकारी की ओर से परिवादी के प्रकरण में आरोपी बीरीसिंह व अमृत गुर्जर का नाम हटा देने व निर्दोष व्यक्ति देवीसिंह का अपराध में शामिल होना मानकर चार्जशीट पेश कर देने पर जाँच के उपरान्त उक्त नतीजे को सही नहीं होना पाये जाने पर श्री बीरीसिंह व अमृत के विरूद्ध अपराध साबित मानते हुये व देवीसिंह को अपराध से पृथक कर तितम्बा चार्जशीट पेश कर दिया जाना एवं अनुसन्धान अधिकारी श्री कुशलसिंह को इस बारे में राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 में आरोप-पत्र दिया जाना बताया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 27.12.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(57)लोआस/2017

श्री संजयकुमार मीणा निवासी अनन्तपुरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली द्वारा प्रेषित परिवाद में श्री रामकरण मीणा व मुकेश मीणा द्वारा उसे ट्रेक्टर के लिये बैंक से लोन दिलवाने के नाम पर उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर उसे ट्रेक्टर नहीं दिलवाने पर इस बारे में पुलिस थाना, टोडाभीम पर रिपोर्ट दर्ज करवाने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, करौली से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में जाँच करवाये जाने पर श्री पूरणचन्द, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना, टोडाभीम को दोषी पाये जाने पर श्री पूरणचन्द को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 में आरोप-पत्र देकर विभागीय कार्यवाही किया जाना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 10.10.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(65)लोआस/2017

श्री शंकरलाल जाट निवासी रोल, तहसील जायल, जिला नागौर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में उसकी बोलेरो गाड़ी दिनांक 17.1.2017 को चोरी हो जाने पर इस बारे में पुलिस थाना, रोल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 4/2017

आरोपी नरपत चौधरी के विरूद्ध दर्ज करवाने पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक, नागौर के दवाब में आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं कर उसकी बोलेरो गाड़ी बरामद नहीं करने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज से रिपोर्ट प्राप्त करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में बताया गया कि नरपतलाल चौधरी का डोडा-पोस्त का ठेका होने पर परिवादी शंकरलाल वहाँ पर कार्य करता था। श्री नरपत चौधरी ने श्री शंकरलाल के नाम से बोलेरो गाड़ी फाइनेन्स पर ली थी, जिसकी किश्त नरपत चौधरी ही दे रहा है। ठेका के बन्द हो जाने पर बोलेरो गाड़ी नरपत ने अपने पास ही रख ली। इस बारे में दोनों पक्षों में विवाद हो जाने पर प्रकरण संख्या 421/2016 व 493/2015 पुलिस थाना, कोतवाली, नागौर पर दर्ज किये गये। दोनों प्रकरणों में अनुसंधान के बाद अन्तिम नतीजा रिपोर्ट (सिविल नेचर) में दी गई।

जाँच में परिवादी ने स्वयं भी बोलेरो गाड़ी को नरपत चौधरी के कब्जे में होना बताया। इस पर उसके चोरी के प्रकरण संख्या 4/2017 पुलिस थाना, रोल में अनुसंधान से परिवादी के आरोप सही नहीं पाये जाने पर अन्तिम नतीजा रिपोर्ट अदम वकूआ (झूठ) में दी गई। अनुसन्धान अधिकारी श्री मेहराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना, रोल द्वारा परिवादी के साथ अभद्र भाषा में वार्ता करने पर उसे अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 में विभागीय कार्यवाही कर उसे दो वार्षिक वेतन-वृद्धियां बिना भविष्यलक्षी प्रभाव के रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 29.12.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(94)लोआस/2017

श्री प्रदीपकुमार शर्मा निवासी 28, उदयगिरी अपार्टमेन्ट, इन्द्रा गांधी नगर जगतपुरा, जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में उल्लेख किया गया कि उसके ताऊजी श्री जगदीश शर्मा की हत्या कर देने के सम्बन्ध में पुलिस थाना, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर पर प्रकरण सँख्या 208/2013 दर्ज करवाया गया था। तत्कालीन अनुसन्धान अधिकारियों द्वारा मुलजिमों से मिलीभगत कर अनुसन्धान में कमियाँ छोड़ देने से मुलजिमों के बरी हो जाने पर दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध अतिरिक्त महानिदेशक सतर्कता राजस्थान, जयपुर को परिवाद प्रेषित करने पर उनके द्वारा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के आरोप-पत्र दिये गये। काफी समय हो जाने के बाद भी उक्त अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं हुई है।

परिवादी के आरोपों के बारे में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सतर्कता) राजस्थान, जयपुर से पत्राचार करने पर उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण में श्री मुरारीलाल, पुलिस निरीक्षक, तत्कालीन थानाधिकारी, राजाखेड़ा द्वारा अनुसन्धान में लापरवाही बरते जाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 में कार्यवाही कर उसे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जाना व अन्य थानाधिकारियों के विरूद्ध आरोप साबित नहीं पाये जाना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 9.10.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(139)लोआस/2017

श्री हरिराम रैगर निवासी उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर द्वारा प्रेषित परिवाद में दिनांक 28.8.2016 को पुलिस थाना, सामोद पर दर्ज करवाई गई रिपार्ट में परिवाद में बताये गये तथ्यों को बदल दिये जाने पर इस बारे में थानाधिकारी व अन्य पुलिसकर्मियों के विरूद्ध आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण से रिपोर्ट मँगवाये जाने पर उनकी रिपोर्ट में परिवादी के प्रकरण संख्या 266/2016 पुलिस थाना, सामोद में अनुसन्धान अधिकारी श्री मोहनलाल, सहायक उप निरीक्षक द्वारा लापरवाही बरते जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 में कार्यवाही किया जाना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार परिवादी के आरोपों के बारे में सचिवालय द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को दिनांक 16.1.2018 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.4(57)लोआस/2015

परिवादी श्री देवेन्द्र कुमार भारद्वाज, भँवर विलास रोड़, जिला करौली की शिकायत है कि श्री टीकाराम त्रिवेदी, निरीक्षक, उप रजिस्ट्रार कार्यालय, सवाईमाधोपुर द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए 42 लाख रूपए की राशि का गबन किया गया लेकिन सहकारिता विभाग द्वारा श्री त्रिवेदी के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संदर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में अन्ततः कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 29.6.2017 के साथ जॉंच परिणाम एवं निर्देश दिनांक 28.6.2017 से अवगत

करवाया कि श्री टीकाराम त्रिवेदी, पूर्व व्यवस्थापक एवं श्री ओमप्रकाश शर्मा, पूर्व कैशियर, गंगापुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति को समिति की परिसम्पत्तियों में कमी करने के लिए उत्तरदायी मानते हुए इनसे संयुक्त रूप से 27.50 लाख रूपये एवं ब्याज राशि बाबत राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 57 के तहत वाद दर्ज कर वसूली की जावेगी तथा इनके विरूद्ध सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त श्री टीकाराम त्रिवेदी व श्री ओमप्रकाश शर्मा को भविष्य में व्यापारिक संस्थाओं में नियुक्त नहीं किया जावे।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त आरोपित उक्त लोक सेवकगण के विरूद्ध कार्यवाही/दण्ड निर्धारित किए जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 10.7.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(107)लोआस/2015

परिवादी श्री नन्दसिंह राठौड़, प्रताप कॉलोनी, स्टेशन रोड़, भीनमाल, जिला जालौर ने श्री पंकज कुमार अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागावास, पंचायत समिति भीनमाल द्वारा गलत तरीके से पद पर रहते हुए बी.एड. करने का परिवाद दर्ज कराया था।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 04.12.2017 द्वारा अवगत कराया कि दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत उपस्थापक अधिकारी नियुक्त कर जाँच प्रारम्भ की गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 30.06.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(165)लोआस/2015

परिवादी श्री सज्जनसिंह, उप सरपंच ग्राम पंचायत, पारोली, जिला भीलवाड़ा ने नेशनल चिल्ड्रन स्कूल पारोली को बिना मान्यता के चलाने एवं शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय की मान्यता न होने पर भी अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में परिवाद दर्ज करवाया।

इस सन्दर्भ में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 30.11.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में दोषी लोकसेवक श्री विष्णुकुमार चाष्टा, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भीलवाड़ा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जाँच कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 12.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(47)लोआस/2016

परिवादी श्री अविनाश खरोल, निवासी ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसर, जिला अजमेर के प्रधानाचार्य श्री अशोक कुमार राव के विरूद्ध चैकों पर जाली हस्ताक्षर कर राशि आहरण करने एवं पोषाहार सामग्री में हेरा-फेरी के विषय को लेकर शिकायत की गई थी।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 27.9.2017 से अवगत करवाया कि मामले में दोषी लोक सेवक श्री अशोक कुमार राव, तत्कालीन प्रधानाचार्य एवं श्री रामनारायण जाट, तत्कालीन व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामसर, अजमेर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत ज्ञापन, आरोप, आरोप विवरण पत्र जारी किये जा चुके हैं। इसी अनुक्रम में विभाग द्वारा पत्र दिनांक 16.1.17 से यह अवगत करवाया गया कि उक्त दोषी लोक सेवकगण के विरूद्ध उप निदेशक, माध्यमिक, अजमेर को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त दोषी लोक सेवकगण के विरूद्ध विभागीय जाँच पश्चात् लिए गए अन्तिम निर्णय से सम्बन्धित सूचना अपेक्षित है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 28.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(131)लोआस/2016

परिवादी श्री हीर सिंह, निवासी हाथीसिंह का गाँव, तहसील शिव, जिला बाड़मेर द्वारा मूल रूप से राजकीय अध्यापक श्री करनाराम के विरूद्ध प्रथम पत्नी के जीवित रहते हुए उसे तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी किए जाने के विषय को लेकर शिकायत की गई। परिवादी का यह भी कथन था कि श्री करनाराम, अध्यापक का उक्त कृत्य आदर्श कर्मचारी आचार संहिता का घोर उल्लंघन है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में अन्ततः जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बाड़मेर ने पत्र दिनांक 3.10.2017 से अवगत करवाया कि उक्त श्री करनाराम, अध्यापक, राजकीय उच्च

प्राथमिक विद्यालय, आदर्श बस्ती, पंचायत समिति शिव, जिला बाड़मेर को आदेश दिनांक 29.9.2017 के तहत निलम्बित कर, उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत ज्ञापन, आरोप, आरोप विवरण पत्र जारी किया जाकर, विभागीय जाँच कार्यवाही हेतु जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। विभागीय कार्यवाही के पश्चात् लिए गए अन्तिम निर्णय/आदेश से सम्बन्धित सूचना अप्राप्त है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 10.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(20)लोआस/2011

परिवादी श्री आनन्द पाराशर पुत्र श्री शंभु दयाल पाराशर, पाराशर मोहल्ला, लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर ने यह परिवाद श्री गजराजसिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ के विरूद्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में गड्ढे निर्माण में अनियमितताएं करने, बीपीएल कर्मचारियों की जगह अन्य को नियुक्ति देने एवं पद का दुरूपयोग करने के सन्दर्भ में दिनांक 2.9.11 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 10.10.11 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 17.5.17 के अनुसार लोकसेवक डॉ. गजराजसिंह तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक केन्द्र, लक्ष्मणगढ़ के विरूद्ध आरोपित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु राजस्थान सिविल सेवाएँ

(वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत प्रस्तावित विभागीय जाँच में आयुक्त (द्वितीय), विभागीय जाँच को जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिये जाने के फलस्वरूप जाँच पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए लोकसेवक के विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय जाँच के अंतिम निर्णय से अवगत करवाने हेतु शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग राजस्थान जयपुर एवं आयुक्त (द्वितीय) विभागीय जाँच, राजस्थान, जयपुर को पत्र जारी करने पर पत्रावली दिनांक 5.6.17 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.8(80)लोआस/2014

परिवादी श्री राहुल गुप्ता पुत्र श्री लोकेन्द्र गुप्ता निवासी 187 महावीर नगर प्रथम, जिला कोटा ने यह परिवाद डॉ. रामनारायण यादव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा एवं टीम द्वारा भ्रष्टाचार करने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्यवाही करवाने के सम्बन्ध में दिनांक 5.11.14 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 30.4.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 31.5.17 के अनुसार डॉ. रामनारायण यादव, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के विरूद्ध लम्बित विभागीय जाँच कार्यवाही में आयुक्त (प्रथम) विभागीय जाँच विभाग, राजस्थान जयपुर को जाँच अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप जाँच कार्यवाही के अंतिम निर्णय से इस सचिवालय को अवगत करवाने हेतु शासन सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान जयपुर एवं जाँच अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् दोषी लोकसेवक के विरूद्ध विभागीय जाँच प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 16.6.17 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.8(24)लोआस/2016

परिवादी श्री प्रतीक चतुर्वेदी पुत्र श्री महेश चन्द निवासी 10/918 मालवीय नगर, जयपुर ने यह परिवाद डॉक्टर अवधेश कुमार गौतम, कनिष्ठ विशेषज्ञ सामुदायिक केन्द्र, महुआ जिला दौसा के विरूद्ध स्थानान्तरण आदेश होने के बावजूद भी अपने पद पर बने रहने एवं सरकारी दस्तावेजों की कूट रचना करने का आरोप लगाते हुए इस सन्दर्भ में जाँच करने हेतु दिनांक 13.6.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 27.6.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में उनसे प्राप्त पत्र दिनांक के अनुसार दोषी लोकसेवक डॉ. नरसीराम मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं डॉ. अवधेश कुमार गौतम के विरूद्ध दिनांक 2.5.17 के द्वारा ज्ञापन जारी कर दिये जाने के फलस्वरूप विभागीय जाँच पूर्ण होने में समय लगने की संभावना को देखते हुए एवं प्रक्रियाधीन कार्यवाही के अंतिम आदेशों की सूचना प्राप्त करने हेतु निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को पत्र प्रेषित करने पर यह परिवाद दिनांक 12.9.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(25)लोआस/2016

परिवादी श्री अशोक सोंकरिया पुत्र श्री जय नारायण सोंकरिया निवासी ग्राम कुन्दनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ने यह परिवाद चिकित्सा विभाग, लाखना, जयपुर के कर्मचारी श्री फूलचन्द सोंकरिया के विरूद्ध फौजदारी मुकदमें में गिरफ्तार होने एवं न्यायिक अभिरक्षा में रहने व आपराधिक चरित्र का होने के कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के सन्दर्भ में दिनांक 22.6.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में निदेशक, (जनस्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएॅ, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 23.8.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में निदेशक, (जनस्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएॅ, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 14.7.17 के अनुसार श्री सोंकरिया के आपराधिक कृत्यों में लिप्त होने/न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण इन्हें गिरफ्तारी की तिथि 11.6.2016 से राज्य सेवा से निलम्बित किया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना विभाग को प्रस्तुत नहीं करने के आरोप में राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये गये। विभागीय जॉंच पूर्ण होने में समय लगने की संभावना को देखते हुए लोकसेवक के विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय जॉंच में प्रक्रियाधीन कार्यवाही के अंतिम आदेशों की सूचना प्राप्त करने हेतु निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर को पत्र प्रेषित करने पर यह परिवाद दिनांक 2.8.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(6)लोआस/2014

परिवादी श्री ओमप्रकाश टेलर, रोड़ मुन्शी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलवर शाहपुरा सड़क, एसएच 13 अनुभाग, विराटनगर, जयपुर ने यह परिवाद श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विराटनगर, जयपुर के विरूद्ध राजकोष से गबन करने की जॉँच के सन्दर्भ में दिनांक 25.06.14 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 09.7.14 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त जॉँच रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि सात अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथमदृष्ट्या दोषी मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किये गये जिनमें से श्री महेन्द्र सिंह, अधिशाषी अभियन्ता, श्री वीरेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता एवं श्री गौतम सोनी, वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भेजे गये।

कार्यवाही में लगने वाले समय को देखते हुए अंतिम आदेशों की सूचना भिजवाने हेतु पत्र शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर एवं संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जॉँच) विभाग जयपुर को भेजते हुए प्रकरण सचिवालय स्तर पर दिनांक 10.5.17 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.9(8)लोआस/2014

परिवादी श्री प्रवीण चन्द्र गादिया पुत्र श्री मिश्रीमल गादिया, एडवोकेट, पुराना बस स्टैण्ड, बॉँसवाड़ा ने यह परिवाद अधिशाषी अभियन्ता, बॉँसवाड़ा के विरूद्ध अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सड़क की गारंटी

अवधि समाप्ति से पूर्व ही ठेकेदार को धरोहर राशि लौटाने के सन्दर्भ में दिनांक 4 अगस्त 2014 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 5.9.14 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 25.5.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि उत्तरदायी अधिकारी श्री डी.के. थानवी तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, बाँसवाड़ा एवं आर.के. योगी को विभाग द्वारा की गई जाँच में दोषी पाये जाने पर दोनों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाकर उनके विरूद्ध आरोप-पत्र जारी किये गये। जाँच कार्यवाही में समय लगने की संभवना को दखते हुए विभाग को जाँच कार्यवाही के अंतिम निर्णय से अवगत करवाने हेतु पत्र लिखा गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 28.6.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(17)लोआस/2016

परिवादी श्री श्याम लाल पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द जाति धाकड़ निवासी बड़ौली माधोसिंह, थाना सदर निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ ने यह परिवाद अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, निम्बाहेड़ा के अधिकारियों के विरूद्ध उसका कृषि कनेक्शन 24 घण्टे आपूर्ति से हटाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 5.5.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 17.6.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता (योजना), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 21.12.16 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी का कनेक्शन 24 घण्टे आपूर्ति से काट कर पुनः ग्रामीण फीडर से जोड़कर चालू कर दिया गया।

रिपोर्ट के अनुसार श्री आर.के. अग्रवाल, सहायक अभियन्ता के विरूद्ध राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कर्मचारी (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) विनियम, 1962 के नियम 7 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर आरोप–पत्र जारी किये गये। लम्बित विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने में समय लगने की संभावना को देखते हुए प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम अजमेर को जाँच कार्यवाही के अंतिम आदेशों से अवगत करवाने हेतु पत्र लिखा गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं दोषी लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 8.6.17 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.10(79)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती मूर्ति कँवर पत्नी स्व. श्री रतन सिंह शेखावत निवासी ग्राम रामपुर पोस्ट धोई तहसील श्रीमाधोपुर सीकर ने यह परिवाद श्री मोहनीश सिंह कनिष्ठ अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, श्रीमाधोपुर, सीकर के विरूद्ध फर्जी वीसीआर भरे जाने जाने के सम्बन्ध में दिनांक 2.9.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 16.9.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर से प्राप्त पत्र के अनुसार अवगत करवाया गया कि अनुसार सहायक अभियन्ता एस.के. सिंह व श्री एन.के. गुप्ता के विरूद्ध मिलीभगत का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया तथा मोहनीश सिद्ध के विरूद्ध वी.सी.आर. भरने का आरोप सिद्ध पाये जाने पर विभागीय जाँच प्रारम्भ की गई। सुनवाई में समय लगने की संभावना को देखते हुए प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को जाँच कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष से अवगत करवाने हेतु पत्र जारी कर प्रकरण को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् दोषी लोकसेवक के विरूद्ध विभागीय जाँच प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 28.6.2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.10(85)लोआस/2016

परिवादी श्री सन्नी चौधरी पुत्र श्री सरवन राम निवासी 98 जगदम्बा कॉलोनी, वैशालीनगर, जयपुर ने यह परिवाद अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उदयपुर के अधिकारी श्री कमल सिंह सिसोदिया, मनोज एवं अन्य के द्वारा ट्रांसफार्मर खरीद में गड़बड़ी किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21.9.2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 28.1.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट

दिनांक 2.8.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि श्री जे.एस. ओसान, अधिशाषी अभियन्ता, श्री के.एल. पुजारी, सहायक अभियन्ता एवं श्री पीयूष जैन, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस को पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कर्मचारी (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) विनियम, 1962 के विनियम 6 के अन्तर्गत आरोप में परिवर्तित कर दिया गया है। विभागीय कार्यवाही में लगने वाले समय को देखते हुए उक्त तीनों लोकसेवकों के विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय जॉँच में प्रक्रियाधीन कार्यवाही के अंतिम आदेशों की सूचना प्राप्त करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर को पत्र प्रेषित किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्त तीनों लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 13.9.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(17)लोआस/2017

परिवादी श्री प्रभुराम भिडासरा (अधिवक्ता कोर्ट परिसर रावतसर) हनुमानगढ़ ने यह परिवाद कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण में रावतसर उपखण्ड में नियुक्त जेईएन द्वारा की जा रही अनियमितता के संदर्भ में दिनांक 05.04.2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 2.6.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का विद्युत कनेक्शन स्थानान्तरित जगह चक 3 केडीएम खेदासरी पर सुचारू रूप से कर दिया गया तथा इस सम्बन्ध में जांच में दोषी पाये गये रावतसर उपखण्ड के सहायक अभियन्ता श्री गिरिराज प्रसाद

जाजोरिया, कनिष्ठ अभियन्ता श्री रामावतार गुर्जर एवं वरिष्ठ लिपिक श्री राजेन्द्र कुमार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना अवगत करवाया। इस सन्दर्भ में प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर से प्राप्त पत्र के अनुसार तीनों लोकसेवकगण को भविष्य में सजग रहकर निगम कार्य निष्पादन करने की चेतावनी दी गई।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं एवं लोकसेवकगण को भविष्य में सजगता से कार्य करने की चेतावनी दिये जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 25.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(304)लोआस/2011

परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद, निवासी नवाब गली, मथुरागेट, भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्री दांताराम द्वारा प्रार्थी को रास्ते में रोक कर साईकिल, डायरी एवं दो माबाइल छीन लिये गये। परिवादी का यह भी कथन था कि श्री दांताराम का कलेक्ट्रेट, भरतपुर से स्थानान्तरण हो गया किन्तु प्रार्थी के दो मोबाइल व डायरी श्री दांताराम अपने साथ ले गये जो आज तक नहीं दिये गये। प्रार्थी की साईकिल भी कलेक्ट्रेट में पड़ी खराब हो रही है। परिवादी ने प्रकरण की जाँच की जाकर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.01.2014 तथा 07.07.2014 के द्वारा अवगत करवाया कि श्री दांताराम, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा परिवादी की साईकिल तथा मोबाईल जप्त किये

गये किन्तु न तो इस जप्ती के औपचारिक दस्तावेज तैयार किये और न ही जप्ती के बाद आरोपियों के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की। सामान जप्ती व सुपुर्दगी किये जाने का कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। इस हेतु जिला कलेक्टर, भरतपुर को परिवादी से जब्त सामान की उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में तलाश करने तथा उसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया।

जिला कलेक्टर, भरतपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.01.2015 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में आरोपी लोकसेवक द्वारा वैधानिक कार्यवाही पूर्ण न कर लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव शासन सचिव, राजस्व विभाग को प्रेषित किये गये हैं। राजस्व विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये।

तत्पश्चात् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1), विभाग, राजस्थान, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 11.03.2016 तथा वरिष्ठ शासन उप सचिव, कार्मिक(क-3/जाँच) विभाग, राजस्थान, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2016, 16.06.2017 तथा 25.07.2017 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में आरोपी लोकसेवक श्री दांताराम, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के विरूद्ध नियम राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जिसका नियमानुसार निस्तारण कर दिया जायेगा।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 10.10.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(308)लोआस/2011

परिवादी श्री पवन कुमार गोयल, निवासी 1/40, जनकपुरी, नई दिल्ली के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि ग्राम पंचायत, महेशरा के खसरा नं. 404 की 3 बीघा 04 बिस्वा भूमि (जो कि स्कूल के क्रीड़ा मैदान के लिए थी) रीको द्वारा ले ली गई और खसरा नं. 408 की 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्कूल को दे दी गई। इस अदला-बदली की वजह से आवंटित भूमि पर आवंटियों व रीको द्वारा निर्माण नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत, महेशरा के पत्र दिनांक 24.08.2007 के द्वारा उक्त दोनों खसरा नम्बरान के परस्पर विनिमय कर नामान्तकरण दर्ज करने हेतु लिखा गया किन्तु जिला कलेक्टर, अलवर, हल्का पटवारी व तहसील कानूनगो के द्वारा पिछले 04 वर्ष से उक्त दोनों खसरा नम्बरान की नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं की गई जिस कारण आवंटियों को नुकसान हो रहा है। परिवादी ने प्रकरण की जाँच कर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में संभागीय आयुक्त, जयपुर से रिपोर्ट तलब की गई। संभागीय आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.10.2013 तथा 09.07.2014 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा परिवाद में वांछित अनुतोष के अनुरूप दिनांक 13.06.2013 को वांछित खसरा नम्बर 444/404 एवं 404/428 से सम्बन्धित नामान्तरण दर्ज कर दिये गये। इस पर परिवाद के निस्तारण में विलम्ब हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में इस सचिवालय द्वारा सूचना चाही गई। प्रकरण में आरोपी लोकसेवकों को उत्तरदायित्व निर्धारण कर जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा सूची इस सचिवालय को प्रेषित की गई। इस सचिवालय द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट जिला कलेक्टर से निरन्तर रूप से चाही गई।

जिला कलेक्टर, अलवर के पत्र दिनांक 16.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में श्री शिवदयाल शर्मा, तत्कालीन ऑफिस कानूनगो को भविष्य में अधिक सतर्कतापूर्वक कार्य करने की हिदायत देकर उनके विरूद्ध की जा रही विभागीय कार्यवाही समाप्त की गई। श्री रामपाल सिंह, तत्कालीन पटवारी हल्का, महेशरा तथा श्री अशोक कुमार सैनी, तत्कालीन इंचार्ज भू0अ0 निरीक्षक, टपूकड़ा के विरूद्ध दोष प्रमाणित नहीं होने से उन्हें दोषमुक्त किया गया। प्रकरण में श्री बृजलाल मीणा, तत्कालीन तहसीलदार के विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर वांछित नामान्तरण कर देने तथा लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 23.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(177)लोआस/2013

परिवादी श्री जगन लाल, निवासी ग्राम सिंघानखेड़ा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर के द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि राजस्व ग्राम सिंघानखेड़ा में स्थित गैरमुमकिन रास्ता खसरा सं. 197 रकबा 0.60 हैक्टेयर में गाँव के कुछ लोगों द्वारा कच्चे व पक्के मकान, छप्पर, ईंधन इत्यादि द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया। दिनांक 28.07.2004 को हलका पटवारी को उक्त अतिक्रमणों को हटाये जाने के आदेश दिये गये किन्तु मौके पर से अतिक्रमण नहीं हटाये गये। वर्ष 2006 में मौके पर से अतिक्रमण हटवाते हुए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य प्रारम्भ किये जाने के आदेश होते हुए थे, फिर भी मौके पर मौजूद अतिक्रमणों को पूरी तरह से नहीं हटाया जा सका तथा आंशिक रूप से अतिक्रमण हटाया जाकर ही सड़क निर्माण

कार्य करवाया गया। परिवादी ने प्रकरण की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.01.2015 तथा 09.03.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण पाया गया जिसके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटवा दिया गया। अतिक्रमण होने देने के सम्बन्ध में पटवारी श्री गेंदालाल कोहली को अनुशासनात्मक कार्यवाही में लिखित चेतावनी भी प्रदान की गई। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्रस्तुत करने पर उन पर जिला कलेक्टर से टिप्पणी चाही गई। जिला कलेक्टर, से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत आम रास्ते पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है तथा इस सम्बन्ध में परिवादी ने भी अनापत्ति जाहिर की है। प्रश्नगत रास्ते पर सड़क निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार करवाया जायेगा।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप अतिक्रमण हटवा देने तथा आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 01.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(185)लोआस/2014

परिवादी श्री नेमीचन्द शर्मा, निवासी ग्राम मावा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं, रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं तथा पटवारी हल्का, लाडनूं के विरूद्ध भ्रष्टाचार, पद का दुरूपयोग व अनियमितताओं की जाँच करवाने की प्रार्थना करते हुए यह परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद में मुख्य आरोप यह लगाया गया कि अर्द्धन्यायिक कार्यवाही की हैसियत से किए गये कार्य में प्रतिवादी की

ओर से वकालातनामा पेश करने की दी गई अण्डरटेकिंग में मिलीभगत कर कांट-छांट करवायी गयी।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, नागौर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.01.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत सही प्रतीत होती है एवं पूरे प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी, श्री अशोक कुमार त्यागी, न्यायालय के रीडर श्री जसकरण सूर्या, श्री रामकुंवार राव (क0लि0) उपखण्ड कार्यालय, लाडनूं व पक्षकारों के अधिवक्ता श्री मुमताज खान एवं श्री छोगाराम बुरडक की भूमिका प्रथमदृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, नागौर से प्रकरण में आरोपी लोकसेवकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की रिपोर्ट चाही गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.04.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये लोकसेवकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। उनमें श्री अशोक कुमार त्यागी, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं की भूमिका संदिग्ध पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग राज्य सरकार को भिजवाये गये। अन्य लोकसेवकों का दोष नहीं पाये जाने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है। श्री छोगाराम बुरडक अधिवक्ता की भूमिका भी संदिग्ध पायी गयी है किंतु निजी व्यक्ति (अधिवक्ता) होने के कारण उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही जिला प्रशासन स्तर पर सम्भव नहीं है। प्रकरण में आरोपी लोकसेवक श्री अशोक कुमार त्यागी, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप-पत्रादि जारी किये जा चुके हैं।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर देने से

वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 08.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(241)लोआस/2014

परिवादी श्री रामावतार, निवासी ग्राम डोकन, तह0 नीमकाथाना, जिला सीकर के द्वारा ग्राम डोकन की खसरा नं. 370, 371, 372 व 374 (नया खसरा नं. 2591) की 8.20 हैक्टेयर चारागाह भूमि पर सुरजाराम माली निवासी कुण्डल्या की ढाणी द्वारा अतिक्रमण कर लेने के सम्बन्ध में यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने यह भी अंकित किया कि विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर शिकायत करने के बावजूद भी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं गई तथा अतिक्रमी द्वारा अब अतिक्रमित भूमि पर पुख्ता मकान, टंकी आदि का निर्माण कर लिया गया है तथा प्रार्थीगण को शिकायत करने पर धमकी दी जा रही है व अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। परिवादी का यह भी आरोप था कि उक्त चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के बाद अब उक्त अतिक्रमी इस चारागाह भूमि के समीप स्थित उनकी खातेदारी भूमि खसरा नं. 2507, 2511 व 2510 पर भी कब्जा करने को उतारू है। परिवादी ने उक्त अतिक्रमण के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, सीकर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.04.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत अतिक्रमण के पुराने आवासीय मकानों के रूप में होने के कारण उनके हटाने के स्थान पर आबादी विस्तार हेतु भूमि सेट अपार्ट करने की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में विरोधाभासी रिपोर्ट हेतु उप तहसीलदार, पाटन श्री चन्द्रशेखर महर्षि तथा पटवारी, डोकन श्री ब्रह्मानन्द चेजारा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। जाँच के उपरान्त श्री ब्रह्मानन्द चेजारा, पटवारी को इस

सम्बन्ध में लिखित चेतावनी के दण्ड तथा श्री चन्द्रशेखर महर्षि, नायब तहसीलदार को मौखिक चेतावनी के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 23.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(288)लोआस/2014

परिवादी श्री सुमरथलाल मीना निवासी फुलेला, तहसील बसवा, जिला दौसा के द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत, करनावर द्वारा ग्राम फुलेला में स्थित तलाई में नरेगा कार्य के तहत कार्य करवाते हुए जबरन मिट्टी डलवाकर तलाई के ओवरफ्लो को बन्द करवा दिया जिससे तलाई भरने के बाद ओवरफ्लो से निकलने वाला पानी परिवादी के खेत की मेड़ को तोड़कर पूरे खेत में भरने लगा और फसल तबाह होने लगी। परिवादी ने सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर ओवरफ्लो खुलवाने की प्रार्थना की जिस पर न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बांदीकुई ने आदेश पारित कर ग्राम पंचायत, करनावर को तलाई का ओवरफ्लो खुलवाकर परिवादी को राहत देने के निर्देश दिये। परिवादी का आरोप है कि उक्त निर्णय की पालना हेतु सरपंच, विकास अधिकारी, उप जिला कलेक्टर व जिला कलेक्टर, दौसा को कई बार निवेदन किया गया किन्तु कार्यवाही नहीं की गई। इस कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। परिवादी ने प्रकरण की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, दौसा से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.04.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत तलाई में से पानी निकासी की व्यवस्था

करवा दी गई है एवं आसपास के खेतों से जो पानी आता था, उसे भी पूर्णत: रूकवा दिया गया है। गलत सूचना देने हेतु ग्राम पंचायत, करनावर के सचिव श्री रामजीलाल रैगर को दिनांक 30.03.2015 को निलम्बित कर दिया गया है। इसके उपरान्त उक्त लोकसेवक को अनुशासनात्मक कार्यवाही में दोषी पाया जाकर दो वेतनवृद्धियाँ असंचयी प्रभाव से तथा एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(322)लोआस/2014

एफ.11(987)लोआस/2015

परिवादी श्री रामनिवास, निवासी केरोद, तहसील निवाई, जिला टोंक के द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 859/2 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा ग्राम केरोद, तहसील निवाई में स्थित है जिस पर सूपया, प्रहलाद, रामप्रसाद आदि द्वारा जबरन खम्भा गाड़कर दिनांक 03.08.2014 को तारबन्दी कर व चद्दरें डालकर अपना कब्जा दर्शा दिया गया। मारपीट करने से उक्त व्यक्तियों को पूर्व में भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा पाबन्द किया जा चुका है किन्तु मुलजिमान के काफी प्रभावशाली होने से उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को कई बार शिकायतें करने के बावजूद भी उनके विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी ने प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, टोंक से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.03.2016 के द्वारा अवगत

करवाया कि प्रकरण में परिवादी को दिनांक 22.11.2015 को प्रश्नगत भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत करने पर जिला कलेक्टर से पुनः रिपोर्ट चाही गयी। प्रकरण में जिला कलेक्टर द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी को असंतुष्ट होने की स्थिति में नक्शा शीट दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए। जिला कलेक्टर ने नक्शे में कांट-छांट का मामला प्रथमदृष्टया संदेहास्पद बताया। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर से प्रश्नगत नक्शे में काँट-छाँट के प्रथमदृष्टया संदेहास्पद मामले में करवायी जा रही कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.05.2017 में अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत नक्शे में काँट-छाँट के प्रथमदृष्टया संदेहास्पद मामले में तत्कालीन पटवारी श्री रामअवतार मीणा, हाल भू-अभिलेख निरीक्षक को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 में आरोप-पत्र जारी किया गया तथा जाँच हेतु उपखण्ड अधिकारी, निवाई को नियुक्त किया गया।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 29.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(455)लोआस/2014

परिवादी श्री अमरसिंह, निवासी एल0बी0 शास्त्री नगर, सेवर थाने के सामने, भरतपुर, जिला भरतपुर के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उसके पक्ष में पारित निर्णय की पालना तहसीलदार, रूपवास व पटवारी हल्का भौंट द्वारा नहीं की जा रही है। इस बाबत उसके द्वारा आवेदन करने पर उन्होंने निर्णय की पालना करने से इनकार कर दिया। परिवादी ने तहसीलदार व

पटवारी का स्पष्टीकरण लेकर उन्हें दण्डित करने व न्यायालय निर्णय की पालना कराने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.07.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत इजराय की पालना में नामान्तरकरण संख्या 2125 दिनांक 19.09.2016 को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जा चुका है। उक्त इजराय की पालना देरी से किये जाने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, उच्चैन श्री नरेन्द्र शर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम स्तर पर की जा रही है जो विचाराधीन है। आरोपी लोकसेवक को आरोप–पत्रादि जारी किये जा चुके हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 14.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(76)लोआस/2015

परिवादी श्री रघुनन्दन शर्मा, निवासी ग्राम देवगुड़ा वाया जाहोता, तहसी आमेर, जिला जयपुर के द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उनके पुश्तैनी अधिकार की भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरकरण सं. 190 दिनांक 08.03.2006 को ग्राम पंचायत के द्वारा खारिज किया गया। ग्राम पंचायत के उक्त आदेश के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने दिनांक 09.01.2013 को आदेश पारित कर प्रकरण को पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय हेतु तहसीलदार, आमेर को रिमाण्ड कर दिया। यह रिमाण्ड प्रकरण वर्तमान में तहसीलदार, आमेर के न्यायालय में लम्बित है। उक्त रिमाण्ड

प्रकरण के लम्बित रहने के दौरान पटवारी भगवान सिंह व नायब तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार ने विपक्षीगण से लाखों रूपये लेकर प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में फर्जी व अवैध नामान्तरण संख्या 511 दिनांक 22.04.2013 को स्वीकृत कर दिया। उक्त लोकसेवकों की शिकायत जिला कलेक्टर, जयपुर को करने पर उनके द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जयपुर प्रथम से जाँच करवाई गई किन्तु आज दिनांक तक उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी ने प्रकरण की जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.08.2015 के द्वारा यह अवगत करवाया कि प्रकरण में पटवारी भगवान सिंह, पटवारी हल्का देवगुढ़ा व तत्कालीन नायब तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार पारीक द्वारा जानबूझकर अवैध तरीके से नामान्तरकरण सं. 511 दर्ज किया गया तथा इस प्रकरण में पटवारी भगवान सिंह, पटवारी हल्का देवगुढ़ा व तत्कालीन नायब तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार पारीक, हाल तहसीलदार, आमेर दोषी पाये जाने पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिला कलेक्टर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.05.2017 के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में विभागीय जाँच अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 विरूद्ध श्री भगवान सिंह, तत्कालीन पटवारी, पटवार हल्का देवगुढ़ा हाल पटवार हल्का आमेर-बी, तहसील आमेर, जिला जयपुर के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र दिनांक 15.05.2017 के द्वारा विषयक विभागीय जाँच प्रकरण में कार्मिक श्री भगवान सिंह, पटवारी के विरूद्ध आरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया। उप-निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 29.05.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में श्री सुरेन्द्र कुमार पारीक, नायब तहसीलदार हाल तहसीलदार के विरूद्ध

विचाराधीन विभागीय जाँच प्रकरण में मण्डल के आदेश दिनांक 24.05.2017 से उपखण्ड अधिकारी, आमेर को जाँच अधिकारी एवं तहसीलदार, आमेर को विभागीय जाँच प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप आरोपी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही हो जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 18.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(102)लोआस/2015

परिवादी श्री शंकरलाल भील पुत्र श्री घीसा जी भील, जाति भील, निवासी जित्यास, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया कि पटवार हल्का कुँवालिया के पदस्थापित पटवारी जमाबन्दी व नक्शा-ट्रेस की नकल देने में आनाकानी कर टालम-टोल करता है, द्वेषतावश जातिगत रूप से अपमानित करता है तथा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से कृषि आराजी पर अतिक्रमण करता व कब्जा करवाता है। प्रार्थी ने प्रकरण की जाँच करवाकर दोषी लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.04.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में परिवाद के तथ्य सही पाये जाने पर आरोपी पटवारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर कार्मिक को 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित कर दिया गया। इस सचिवालय को प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं नवीनतम जाँच रिपोर्ट में विरोधाभास के सम्बन्ध में आरोपी लोकसेवक श्री गोपाललाल बंजारा, तत्कालीन तहसीलदार, गंगरार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 में कार्यवाही की जाकर उन्हें एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 24.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(173)लोआस/2015

परिवादी श्री श्यामसुन्दर पारीक, निवासी ग्राम अरठ, तहसील परबतसर, जिला नागौर के द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि परिवादी ने ग्राम अरठ, पटवार हल्का पिपलाद में खसरा नम्बर 147/148 पर 1/5-1/10 काश्त कर रखी थी जिसकी गिरदावरी सह खातेदार बंकटलाल/कुन्जीलाल ने अपने नाम दर्ज करवाकर मुआवजा राशि 27000/- उठाकर हड़प कर ली। भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई जाँच में बंकटलाल पुत्र कुन्जीलाल की जमीन जो मौके पर बंजड़ है, उस पर मुआवजा बिल्कुल गलत पाया गया। फिर भी प्रकरण में रिकवरी नहीं की गई। परिवादी ने प्रकरण की जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, नागौर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.11.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में गलत रूप से श्री बंकट लाल की भूमि काश्त किया जाना माना जाकर मुआवजे का भुगतान किया जाना साबित पाया गया। जिला कलेक्टर की पुनः रिपोर्ट दिनांक 01.07.2016 में गलत रूप से भुगतान की गई राशि राजकोष में पुनः जमा हो जाना अवगत करवाया गया। यह भी अंकित किया गया कि सहवन से श्री बंकट लाल

के वारिसान का नोशनल शेयर गलत दर्ज हो गया था। इस तथ्य को इस सचिवालय द्वारा स्वीकार नहीं कर जिला कलेक्टर को प्रकरण में राजस्व कर्मचारियों की भूमिका की पुनः जाँच करने हेतु निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर की पुनः रिपोर्ट दिनांक 18.04.2017 के अनुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना द्वारा प्रकरण में पुनः की गई जाँच में तत्कालीन पटवारी हल्का श्री जगत सिंह को दोषी पाया गया। इस सम्बन्ध में उसके विरूद्ध सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर मौखिक चेतावनी दी गई है।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर देने तथा गलत रूप से भुगतान की गई राशि पुनः राजकोष में जमा हो जाने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 30.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(211)लोआस/2015

परिवादी श्री रामकिशोर जोशी, निवासी जैतारण की चौकी के पास, रामनगर सी, मेड़ता सिटी, जिला नागौर के द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार, पटवारी, मेड़तासिटी के विरूद्ध भूमि की पैमाइश तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.11.2014 को आदेश दिये जाने के बावजूद भी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में आरोप अंकित करते हुए यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने प्रकरण में भूमि की नाप करवाकर सम्बन्धित कार्मिकों को पाबन्द करने का निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, नागौर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.05.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार तहसीलदार, मेड़ता ने श्री नरेन्द्र पारीक,

पटवारी हल्का को सीमाज्ञान हेतु आदेश दिया था लेकिन पटवारी हल्का, मेड़ता ने लगभग 13 माह बाद रिपोर्ट पेश की। उक्त सीमाज्ञान में विलम्ब करने पर लोकसेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत तत्कालीन पटवारी, मेड़ता श्री नरेन्द्र पारीक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही में उसे मौखिक चेतावनी दी गई और लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत उन्हें 500/- शास्ती अधिरोपित कर दण्डित किया गया है।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 21.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(290)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती सम्पत देवी, निवासी ग्राम ताखोली, तहसील एवं जिला टोंक द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र आराजी खसरा नम्बर 521/1 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 650/2659 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 650/2610 रकबा 11 बिस्वा, ख.न. 650/2660 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 650/2661 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम मालियों की झोपड़ियां पटवार हल्का मेहन्दवास तहसील व जिला टोंक के खातेदारों से दिनांक 23.08.2013 को क्रय की गई थी किन्तु तहसीलदार, टोंक द्वारा मिलीभगत कर उक्त भूमि का नामान्तकरण परिवादिया के नाम दर्ज नहीं किया गया तथा उसके हक में भरे गये नामान्तकरण सं. 725, 726 तथा 727 को दिनांक 04.10.2013 को स्थगित कर दिया। परिवादिया ने जाँच करवाकर उसे न्याय दिलवाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, टोंक से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.01.2016 के द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में तहसीलदार, टोंक द्वारा अनावश्यक रूप से खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण रोका गया है। प्रकरण में रिश्वत माँगे जाने के आरोप सिद्ध नहीं हुये हैं। प्रकरण में यह भी प्रकट हुआ है कि इकरारनामे के आधार पर किये गये बैचान के ध्यान में आने पर स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत प्रकरण में वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में तहसीलदार, टोंक द्वारा उचित कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट दिनांक 01.03.2017 तथा 11.04.2017 के अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत नामान्तरण दर्ज कर दिये गये हैं तथा आरोपी लोकसेवक श्री दौलत सिंह राठौड़, तत्कालीन तहसीलदार, टोंक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर नियमानुसार वांछित नामान्तकरण कर देने तथा लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही कर देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 16.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(301)लोआस/2015

परिवादी श्री उत्तम सिंह, निवासी नई बस्ती, ग्राम मदारपुरा, तहसील अजमेर, जिला अजमेर के द्वारा यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भू-प्रबंध विभाग के अधिकारियों फील्ड निरीक्षक बाबू खाँ, अमीन रामकरण एवं बंशी आदि ने उसके दादा पन्ना सिंह के हिस्से की पूरी जमीन उनके हिस्सेदार लाल सिंह के वारिसान के नाम दर्ज कर दी। उक्त भूमि का पुराना खसरा नम्बर 257 एवं नया खसरा नम्बर 683 है।

इसके अतिरिक्त भी अनेक अनियमितताएं की गई। उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं पटवारी को प्रार्थना-पत्र देने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी ने प्रकरण में उचित कार्यवाही करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, अजमेर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.01.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में जिला अजमेर की भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के दौरान सहवन से लाल सिंह के वारिसान के नाम 1/3 हिस्से के बजाय 2/3 हिस्सा दर्ज हो गया था। इस त्रुटि हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई। खसरा नं. 211 की कुछ भूमि इन्हीं संक्रियाओं के दौरान निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी गई। इस सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवाना वांछित है। उक्तानुसार नियम विरूद्ध प्रविष्टियों के लिये श्री मातादीन शर्मा, भू-मापक, श्री लालचन्द जैन, निरीक्षक, श्री बाबू खाँ, निरीक्षक तथा श्री रामकरण जाटव, भू-मापक, भू प्रबन्ध विभाग को उत्तरदायी माना गया। इनमें से श्री शर्मा, श्री जैन तथा श्री खां के सेवानिवृत्त हो जाने से उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही संभव नहीं है। श्री रामकरण जाटव, भू-मापक को दोषी मानकर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 19.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(326)लोआस/2015

एफ.11(384)लोआस/2015

परिवादी श्री रामरख चौधरी, भारतीय किसान संघ, 11 इन्द्रा मार्केट, अस्पताल रोड, बीकानेर के द्वारा तहसीलदार, नोखा द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोखा के नामान्तरण अपील में किये गये निर्णय दिनांक 27.12.2013 पर लम्बे समय तक कार्यवाही नहीं करने एवं शिकायत किये जाने पर पुरानी दिनांक में प्रकरण में निर्णय कर दिये जाने के आरोप अंकित किये गये। परिवादी ने यह भी अंकित किया कि उसके द्वारा अनेक बार तहसीलदार को प्रार्थना करने पर उसे पटवारी, गिरदावर से मिलने के लिए कहा गया जिसका कि स्पष्ट अभिप्राय सुविधा शुल्क प्राप्त करने से है। परिवादी द्वारा इस बात को नहीं माने पर जाने पर उसके विरूद्ध गलत निर्णय पुरानी दिनांक में कर के उसे नुकसान पहुंचाया गया। परिवादी ने प्रकरण में जाँच की जाकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, बीकानेर से रिपोर्ट तलब की गई। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 02.11.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि तहसीलदार, नोखा के निर्णय में की गई टिप्पणी विधिसम्मत नहीं होने के कारण श्री त्रिलोकचंद, तत्कालीन तहसीलदार (राजस्व), नोखा, जिला बीकानेर हाल तहसीलदार, लूणी जिला जोधपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियम 1958 के तहत कार्यवाही करने की अनुशंषा की जाकर इनके विरूद्ध आरोप-पत्रादि तैयार कर उप-निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को भिजवाये गये हैं। उप-निबंधक (जांच), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 25.09.2017 के

अनुसार प्रकरण में श्री त्रिलोकचन्द, तत्कालीन, तहसीलदार, नोखा हाल तहसीलदार, लूणी को चार्जशीट तामील करवा दी गई है।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही हो जाने तथा लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार जाँच प्रारम्भ कर देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 23.01.2018 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(486)लोआस/2015

परिवादी श्री भूराराम मेघवाल, निवासी मोखेरी तहसील फलोदी, जिला जोधपुर के द्वारा ग्राम मोखेरी के पटवारी श्री पवन जोशी द्वारा गलत रिपोर्ट भेजकर लोगों को अनुदान दिलवाने, अकृषि को कृषि कनेक्शन बताकर फायदा पहुँचाने, सोनामुखी की जगह जीरे की गिरदावरी बताकर लाभ पहुँचाने, रूपये लेकर गिरदावरी करने, बगैर आदेश खेतों की पैमाईश कर पैसा ऐंठने व पंचायत हैड क्वार्टर से गैर हाजिर रहने के सम्बन्ध में की गई अनियमितताओं बाबत कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, जोधपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.05.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि श्री पवन जोशी, पटवारी द्वारा गिरदावरी में खराबा अंकित नहीं करने, बिना काश्त की असिंचित भूमि में काश्त बताकर आदान-अनुदान दिलवाने तथा बिना आदेश के पैमाइश करने के आरोप प्रथमदृष्टया सही पाये गये। इस सम्बन्ध में उसे राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 में आरोप-पत्रादि जारी कर जाँच अधिकारी तथा उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 13.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(559)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती शकुन्तला देवी सरपंच, ग्राम पंचायत, लबाना, पंचायत समिति, आमेर ने उल्लेख किया कि ग्राम अणी के खसरा नं. 85, 86 व 87 रकबा 2.65 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ज्ञानचंद कर्नावट की खातेदारी में अंकित है। यह भूमि जमाबंदी सम्वत 2008-2022 के अनुसार गैर मुमकिन तलाई दर्ज चली आ रही थी, जिसे राजस्व विभाग के लोकसेवकों ने मिलीभगत कर निजी खातेदारी में दर्ज करवा दिया। भूमि में नदी, नालों, पहाड़ों से पानी आकर भरता है तथा यह तलाई के रूप में है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत जनहित याचिका सं. 1536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसार ऐसी भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार के आवंटन/नियमन को निरस्त कर दिनांक 15.08.1947 की स्थिति को यथावत बहाल करने के निर्देश उक्त निर्णय में दिये गये हैं। उक्त भूमि पर मौके पर दिनांक 15.08.1947 से लेकर आज तक खातेदार का कब्जा काश्त नहीं रहा है। मौके पर भूमि में गैर मुमकिन तलाई स्थित है। भूमि को पुनः गैर-मुमकिन तलाई में दर्ज करने के प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा भेजे गये हैं, किन्तु निवेदन करने के बावजूद अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवाद में भूमि को पुनः गैर-मुमकिन तलाई के रूप में दर्ज करवाने के लिए रेफरेन्स प्रस्तुत करने के निर्देश तहसीलदार, आमेर को दिये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से रिपोर्ट तलब की गई। सचिव ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 03.07.2017 के

द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में ग्राम अणी, तहसील आमेर के खसरा नं. 84, 84/1524 व 88 किस्म गैर-मुमकिन पाल व रास्ता की जयपुर विकास प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में जाँच में पाया गया कि खसरा नम्बर 88 किस्म गैर-मुमकिन पाल पर लगती हुई भूमि के खातेदार द्वारा तार फेन्सिंग कर अतिक्रमण किया हुआ था। इस अतिक्रमण को प्रवर्तन अधिकारी, जोन- 13 द्वारा हटाया जाकर दिनांक 30.06.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी। जिला कलेक्टर, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.07.2017 के अनुसार प्रकरण में आरोपी लोकसेवक श्री प्रकाश बाबू गुप्ता, तत्कालीन पटवारी लबाना के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर देने तथा प्रश्नगत अतिक्रमण हटवा देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 11.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(568)लोआस/2015

परिवादी श्री रामदेव, निवासी कुम्हारों की बेरी, ग्राम पंचायत कोजा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया था कि ग्राम कुम्हारों की बेरी के खसरा नं. 199 व 148 की भूमि उसके व अन्य सहखातेदारों के नाम अंकित है। सभी सहखातेदारों ने तहसीलदार, धोरीमन्ना के समक्ष आपसी सहमति से उक्त भूमि के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्वीकार कर पटवारी हल्का कोजा को तहसीलदार, धोरीमन्ना ने सहमति विभाजन के आधार पर नक्शे एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये। पटवारी नरपत सोनी ने सहमति विभाजन का जमाबंदी में तो अमल कर दिया, किन्तु राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं की गई। पटवारी ने एक भाई की

तरमीम रिश्वत लेकर कर दी तथा पटवारी उक्त खसरान में स्थित रास्ते को मनमर्जी से समर्पित करवा दिया। दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर को व पुलिस थाना, धोरीमन्ना को रिपोर्ट देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। परिवादी ने प्रकरण की जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया था।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, बाड़मेर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 के द्वारा अवगत करवाया प्रकरण में मौजा कुम्हारों की बेरी के खातेदारों द्वारा दिनांक 19.02.2014 को तहसील मुख्यालय पर तत्कालीन तहसीलदार, धोरीमन्ना को खसरा नं. 199 का सहमति विभाजन प्रस्तुत किया, जिसे बाद जाँच तहसीलदार, धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 10.03.2014 द्वारा स्वीकृत कर पटवारी हल्का को रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु भेजा गया। पालना में पटवारी हल्का द्वारा मौजा कुम्हारों की बेरी के नामान्तकरण संख्या 339 दायर किया, जिसे निरीक्षक भू-अभिलेख ने दिनांक 30.04.2014 को जाँच किया व नायब तहसीलदार, धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 14.05.2014 को निर्णित किया गया। उक्त नामान्तरकरण की पुश्त पर सहमति विभाजन के संलग्न प्रस्तावित नक्शा-ट्रेस मुजब तरमीम अक्ष बनाया हुआ है। हल्का पटवारी व निरीक्षक, धोरीमन्ना द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण मुजब लट्ठा ट्रेस में तरमीम मात्र समर्पित भूमि खसरा सं. 199 रकबा 1.15 बीघा तथा खसरा संख्या 199/9 रकबा 9.02 बीघा की तरमीम पुख्ता कर शेष तरमीम बकाया रख दी। दिनांक 26.10.2016 को मौजा कुम्हारों की बेरी खसरा नम्बर 199 की लट्ठा ट्रेस में खसरा नम्बर 199/1, 199/9 व खसरा संख्या 199 की तरमीम पुख्ता की हुई है। शेष बटा नम्बर अंकित किये हुए हैं व तरमीम नहीं की हुई।

जिला कलेक्टर के अनुसार इस प्रकार पटवारी हल्का खसरा नम्बर 199 के सभी टुकड़ों की तरमीम नहीं कर केवल आंशिक तरमीम करना संदेह पैदा करता है। तरमीम पूर्ण नहीं होने से लट्ठा ट्रेस व रेकर्ड आदिनांक

नहीं होने में पटवारी की लापरवाही प्रतीत होती है। एक ही खातेदार की लट्ठा ट्रेस में तरमीम कर शेष खातेदारों की तरमीम नहीं करना कर्तव्यहीनता की श्रेणी में आता है। इस हेतु उक्त पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट दिनांक 13.06.2017 में बताया कि प्रकरण में आरोपी लोकसेवक श्री नरपत सोनी व श्री केसराराम के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक 18.05.2017 एवं 13.02.2017 के द्वारा ज्ञापन-पत्र मय आरोप-पत्र जारी कर उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी को जाँच अधिकारी तथा तहसीलदार, धोरीमन्ना को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 13.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(637)लोआस/2015

एफ.11(677)लोआस/2015

परिवादी श्री अभिमन्यु सिंह, निवासी जीलो, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर के द्वारा तहसील नीमकाथाना पंचायत श्यामपुरा तन बगड़वा ढाणी चुहां की सरहद में स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 501 पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण का पक्का निर्माण कर लेने के आरोप अंकित करते हुए यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने अवैध कब्जे को हटाकर चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, सीकर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.05.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना की अध्यक्षता में गठित समिति के तहत तहसीलदार, नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बगड़ावा (चुहा की ढाणी) के खसरा नम्बर 501 में अतिक्रमी धोलाराम व ओमप्रकाश धर्मपाल पुत्र हरदान सिंह जाति गुर्जर निवासी बगड़ावा द्वारा किये गये अतिक्रमण को पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में जेसीबी मशीन चलाकर चार दिवारी व मैनगेट को तोड़कर हटा दिया गया। प्रश्नगत चारागाह भूमि पर पक्का निर्माण होने देने के सम्बन्ध में श्री जयनारायण यादव, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं श्री कजोड़मल पटवारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत चार्जशीट जारी कर दी गयी है तथा श्री चन्द्रशेखर महर्षि, तत्कालीन नायब तहसीलदार के विरूद्ध भी कार्यवाही विचाराधीन है। जिला कलेक्टर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.07.2017 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में श्री कजोड़मल, पटवारी के विरूद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही में उन्हें परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर देने तथा प्रश्नगत अतिक्रमण हटा देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 23.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(741)लोआस/2015

परिवादी श्री बालकिशन दाधीच, निवासी प्लॉट नम्बर 15 बी, प्रथम पोलो पावटा, जिला जोधपुर के द्वारा पटवारी श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, पटवार मण्डल केलावा, जिला जोधपुर के विरूद्ध बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उसकी निजी भूमि पर मन्दिर भूमि होने का नोट अंकित करने

के आरोप अंकित करते हुए यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने यह भी अंकित किया था कि उक्त पटवारी द्वारा स्वयं के लिए तथा तहसीलदार, बावड़ी के लिए उक्त नोट हटाने की एवज में धनराशि भी माँगी गई। परिवादी ने दोषी पटवारी व तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, जोधपुर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.06.2016, 25.10.2016 तथा 02.06.2017 के द्वारा अगत करवाया कि बिना सक्षम आदेश का प्रश्नगत विधि विरूद्ध नोट, जो कि जमाबन्दी में आरोपी पटवारी द्वारा लगाया गया था, उसको तहसीलदार द्वारा राजस्थान लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के नियम 166 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में नियमानुसार शुद्धिकरण कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय जिला कलेक्टर, जोधपुर में वांछित रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत कर दिया गया जो लम्बित है। प्रकरण में बिना सक्षम आदेश के जमाबन्दी में प्रश्नगत नोट अंकित करने के कृत्य के सम्बन्ध में आरोपी पटवारी श्री हरेन्द्र सिंह, पटवार हल्का, केलावां कलां के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 की कार्यवाही विचाराधीन है।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही हो जाने तथा लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार प्रारम्भ कर देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 20.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(783)लोआस/2015

परिवादी श्री दिलीप सिंह, निवासी ग्राम जीलो तहसील नीम का थाना, जिला सीकर के द्वारा सुश्री सीमा खेतान, तहसीलदार, नीमकाथाना के

विरूद्ध चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1604 में किये गये पक्के अतिक्रमण के विरूद्ध शिकायत के बावजूद कार्यवाही नहीं करने के आरोप अंकित करते हुए यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने प्रकरण की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, सीकर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.05.2016 के द्वारा प्रकरण में ग्राम जीलो की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1604 रकबा 0.38 है. पर मालाराम व उसके परिवार ने लगभग 25 वर्षो से अधिक समय से बाड़ व मकान बनाकर अतिक्रमण करने बाबत अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.10.2016, 01.12.2016, 17.03.2017 के द्वारा प्रकरण में तहसीलदार, नीमकाथाना के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना तथा प्रश्नगत चारागाह भूमि पर अवस्थित अतिक्रमण काफी पुराना होने से ग्राम पंचायत द्वारा इसके सम्बन्ध में आबादी विस्तार का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने बाबत अवगत कराया गया। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.04.2017 के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अवस्थित अतिक्रमण को हटवाया जाना तथा आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही का निस्तारण कर उन्हें दोषमुक्त किया जाना अवगत करवाया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 30.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(841)लोआस/2015

परिवादी श्री गणपत सिंह, निवासी पंचायत समिति के सामने, बालोतरा, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा आयोजित भामाशाह शिविरों में लगाये गये टेण्ट आदि का भुगतान नहीं करने के आरोप अंकित करते हुए यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने यह भी अंकित किया कि उसके द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को भुगतान हेतु निरन्तर प्रार्थना-पत्र दिये गये। परिवादी ने उसका बकाया भुगतान दिलवाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, बाड़मेर से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.12.2016 के द्वारा यह अवगत करवाया कि प्रकरण में परिवादी श्री गणपत सिंह की फर्म पदमावती टेन्ट हाउस, बालोतरा को बकाया बिल राशि रूपये 1,35,000/- का भुगतान किया जा चुका है। अपर जिला कलेक्टर, बाड़मेर की जाँच रिपोर्ट दिनांक 30.05.2016 के आधार पर प्रकरण में परिवादी के लम्बित भुगतान हेतु प्रथमदृष्टया उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को दोषी मानकर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिला कलेक्टर, बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.08.2017 के अनुसार प्रकरण में इस सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी श्री उदयभानु चारण के विरूद्ध की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही का नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर लम्बित भुगतान प्राप्त हो जाने तथा लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर देने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 23.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(880)लोआस/2015

परिवादी श्री जनक सिंह, निवासी बस्सी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ के द्वारा पटवारी श्री ज्वाला प्रसाद मीणा द्वारा उसके प्रतिपक्षियों से मिलकर संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा चाही गई मौका रिपोर्ट को वास्तविकता से हटकर बनाकर प्रस्तुत करने के आरोप अंकित करते हुए यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने यह भी अंकित किया कि पटवारी ने उक्त दस्तावेजात पर ग्रामीणों के धोखे से हस्ताक्षर भी करवा लिये। परिवादी ने प्रकरण की जाँच करवाकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 01.08.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि पटवारी श्री ज्वालाप्रसाद कलाल, तत्काली पटवारी, तहसील बेगूं हाल पटवारी तहसील गंगरार को राजकार्य में अनियमितता एवं लापरवाही बरतने का दोषी पाया। जाँच रिपोर्ट में दोषी पटवारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जाँच कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट दिनांक 01.02.2017 में अवगत कराया गया कि श्री ज्वालाप्रसाद कलाल, तत्कालीन पटवारी, तहसील बेंगू हाल पटवारी तहसील गंगरार को राजकार्य में अनियमितता एवं लापरवाही बरतने का दोषी पाये जाने पर श्री कलाल के विरूद्ध विभागीय जाँच कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत प्रस्तावित की गई। वर्तमान में प्रकरण में विभागीय जाँच कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत जाँच अधिकारी एवं राजकीय पैरोकार नियुक्त किये जा चुके हैं।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी के परिवाद के आधार पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य हेतु आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर देने से

वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 02.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(360)लोआस/2016

परिवादी श्री प्रताप सिंह, निवासी ग्राम रावणियां, तहसील रायपुर, जिला पाली के द्वारा श्री हजारीलाल गुर्जर, पटवारी हल्का सुमेल, तहसील रायपुर के भ्रष्ट आचरण एवं बिना पैसे काम नहीं करने के विरूद्ध यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया। परिवादी ने प्रकरण की जाँच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, पाली से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.11.2016 एवं 06.06.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में पटवारी हल्का सुमेल द्वारा भ्रष्टाचार करने के आरोप निराधार पाये गये हैं किन्तु कुछ खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में कब्जा बताने तथा प्रकरण तैयार कर तहसील में प्रस्तुत नहीं करने में पटवारी की लापरवाही प्रथमदृष्ट्या मानी गयी। तदनुसार ग्राम रावणिया के खसरा नम्बर 282/1 रकबा 9.00 बीघा में गैर खातेदार नारायण पुत्र माया वगैरह, खसरा नं. 1056/325, 1025/399 कुल रकबा 17.17 बीघा शिवलाल, नैना पुत्र भवरू वगैरह तथा खसरा नम्बर 1030/285 रकबा 4.12 बीघा संजय, नवरतन पुत्र भवरू वगैरह का कब्जा नहीं होने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1970 की धारा 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करने हेतु प्रकरण तैयार कर तहसीलदार, रायपुर द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली के न्यायालय में पेश कर दिया गया। न्यायालय द्वारा निर्णय करने के उपरान्त निर्णय के अनुसार प्रकरण में तदनुसार कार्यवाही कर दी जायेगी। प्रकरण में लापरवाही बरतने के लिए आरोपी

पटवारी हल्का, सुमेल श्री हजारी लाल (निलम्बित) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप नियमानुसार रेफरेन्स प्रस्तुत हो जाने तथा आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ होने जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाना माना जाकर यह परिवाद दिनांक 07.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(584)लोआस/2016

परिवादी श्री सज्जन सिंह चारण पुत्र श्री रामनाथ सिंह चारण, निवासी पारोली, तहसील कोटडी़ (भीलवाड़ा) द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि तत्कालीन पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक, पारोली ने निजी भू-स्वामी को लाभ पहुँचाने के लिए अनुचित रूप से सार्वजनिक कुई की भूमि को निजी खातेदारी भूमि के रूप में अंकित कर दिया। परिवादी के अनुसार इस सम्बन्ध में करवाई गई जाँच में कुई के सार्वजनिक भूमि में स्थित होने तथा उच्चाधिकारियों को निवेदन करने के बाद भी राजस्व अभिलेख में अंकन को सही करने की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से रिपोर्ट तलब किये जाने पर जिला कलेक्टर के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 31.07.17 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पारोली के आराजी नम्बर 1081/1, 1081/2 किता 2 रकबा 0.06 लादी देवी पत्नी श्री मोहन लाल रैगर साकिन पारोली के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, जिसमें आराजी नम्बर 1081/2 रकबा 0.01 गैर मुमकिन आराजी चाह दर्ज है लेकिन मौके पर उक्त आराजी में कोई कुंआ स्थित नहीं है। उक्त कुई

आराजी खसरा नंबर 1529 में स्थित है, जो कि खसरा नम्बर 1081/2 के नजदीक स्थित बिलानाम नाला दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी चाह वक्त राजस्व अभियान नामान्तरकरण संख्या 5165 दिनांक 09.04.2013 से दर्ज हुआ तथा निरस्तीकरण का मामला भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटड़ी के यहाँ विचाराधीन है, जिसमें परिवादी श्री सज्जन सिंह भी पक्षकार है। प्रकरण में दोषी पटवारी श्री घनश्याम बारेठ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 में कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर दिनांक 23.03.2017 को आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। आरोप-पत्र की छाया प्रति भी संलग्न की गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से आरोपित कार्मिक के विरूद्ध प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करवा दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर परिवाद को दिनांक 05.04.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(85)लोआस/2008

परिवादीगण श्री राम नारायण गुर्जर व अन्य से दिनांक 12.01.2009 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, टोकरावास (पंचायत समिति, देवली, जिला टोंक) में मनरेगा योजना के अन्तर्गत सरपंच श्री रामदेव मीणा, उप सरपंच श्री कालूराम मीणा, सचिव श्री शिवजीराम सैनी एवं सहायक सचिव श्री मुकेश मीणा द्वारा भ्रष्टाचार एवं भुगतान में अनियमितता करने पर मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, टोंक से दिनांक 22.09.2009 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रथमदृष्ट्या 3,10,616/- रु. का अनियमित तरीके से भुगतान उठाना पाया गया जिसके लिये ग्राम पंचायत के सरपंच श्री रामदेव मीणा, सचिव श्री शिवजीराम माली व

श्री बलराम मीणा, रोजगार सहायक श्री मुकेश मीणा, कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री अमित कुमार भाटी, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, देवली श्री पुष्पचन्द वर्मा व श्री संजीव विजयवर्गीय और जिला परिषद के सहायक अभियन्ता श्री गणपतलाल जाटोलिया को प्रथमदृष्टया उत्तरदायी/दोषी पाया गया।

फिर जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, टोंक से दिनांक 26.05.2011 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, टोकरावास के सचिव श्री शिवजीराम माली एवं बलराम मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी किये गये हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री अमित भाटी एवं रोजगार सहायक श्री मुकेश मीणा की सेवाएं समाप्त कर दी गई किन्तु वे दोनों राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश के आधार पर कार्यरत हैं। सहायक अभियन्ता श्री गणपतलाल जाटोलिया के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई के पश्चात् मौखिक चेतावनी देते हुए प्रकरण समाप्त किया गया। कनिष्ठ अभियन्ता श्री पुष्पचन्द वर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित कर मामला मूल विभाग मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर को भेजा गया है। इसी प्रकार कनिष्ठ अभियन्ता श्री संजीव विजयवर्गीय के मूल विभाग में चले जाने से उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही का प्रस्ताव निदेशक, भू-संसाधन (भू-संरक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजा गया तथा अनियमित रूप से उठाये गये भुगतान की वसूली के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक को निर्देश दिये गये हैं। दोषी लोक सेवकों के विरूद्ध पुलिस थाना, दूनी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 218/05.11.2009 दर्ज करवा दी गई है।

जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, टोंक से दिनांक 31.10.2013 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम सेवक श्री बलराम मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन जारी आरोप-पत्र से सम्बन्धित अनुशासनिक जाँच में उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होने पर जाँच को समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 22.01.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता श्री संजय विजयवर्गीय के मामले में विभाग द्वारा पुनः की गई जाँच में दिये गये निर्णय का जिला कलक्टर, टोंक द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात् उसके विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनिक कार्यवाही को ड्रॉप करने का निर्णय लिया गया।

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 25.03.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता श्री पुष्पचन्द वर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, टोंक को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। इस मामले में सम्भागीय आयुक्त, अजमेर से दिनांक 21.11.2014 को प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित अनुसार जिला कलक्टर, टोंक के पत्रांक 5101/14.09.2009 के अनुसार सभी सम्बन्धित से वसूली की कार्यवाही करने की अभिशंषा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से की गई।

तत्पश्चात् अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक से दिनांक 29.12.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि आरोपी ग्राम सेवक श्री शिवजीराम माली के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन लम्बित अनुशासनिक जाँच में

उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक कर उन्हें दण्डित किया गया। फिर विभाग से दिनांक 04.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि श्री शिवजीराम माली से जनवरी, 2015 से वेतन से 4,900/-रु. प्रतिमाह कटौती की जा रही है और अब तक कुल 19,800/-रु. वसूल किये जा चुके हैं। विभाग से दिनांक 30.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री अमित भाटी से माह अगस्त, 2015 से प्रतिमाह 5,000/-रु. की वसूली की जा रही है और तत्कालीन रोजगार सहायक एवं हाल कनिष्ठ लिपिक श्री मुकेश कुमार मीणा को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इस कारण उसके वेतन से वसूली की राशि की कटौती नहीं की जा सकी।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक से दिनांक 29.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि पूर्व सरपंच श्री रामदेव मीणा से वसूली करने के सम्बन्ध में कार्यक्रम अधिकारी/विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देवली द्वारा वसूली का नोटिस जारी किया गया और पूर्व सचिव श्री शिवजीराम माली से अब तक कुल 69800/-रु. एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री अमित भाटी से 25000/-रु. की वसूली हो चुकी है। जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, टोंक से दिनांक 09.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि पूर्व सचिव श्री शिवजीराम माली से अब तक 1,09,800/-रु. और कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री अमित भाटी से 70,000/-रु. वसूल किये गये हैं। विभाग से दिनांक 13.04.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि तत्कालीन रोजगार सहायक श्री मुकेश मीणा से वसूली योग्य सम्पूर्ण राशि 7492/-रु. रसीद सं. 193/15.02.2017 द्वारा जमा कर दिये गये हैं। ग्राम सेवक श्री शिवजीराम माली से फरवरी, 2017 तक 1,29,800/-रु. वसूल किये गये हैं और कनिष्ठ तकनीकी सहायक

श्री अमित भाटी से मार्च, 2017 तक 1,00,000/-रु. वसूल किये गये हैं तथा सरपंच श्री रामदेव मीणा को नोटिस जारी कर वसूली कार्यवाही जारी है।

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 19.06.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि श्री पुष्पचन्द वर्मा से अभिकथन चाहा गया है जो अपेक्षित है और अभिकथन प्राप्त होने पर लिये गये निर्णय से इस सचिवालय को अवगत करवा दिया जायेगा जिस पर विभाग को श्री पुष्पचन्द वर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन लम्बित अनुशासनिक जाँच कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष से यथासमय इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश दिया गया।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक से 08.06.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सरपंच श्री रामदेव मीणा से वसूली कार्यवाही जारी होना बताया गया। पूर्व सचिव श्री शिवजीराम माली से मार्च, 2017 तक कुल 1,34,800/-रु. और कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री अमित भाटी से अप्रैल, 2017 तक कुल 1,05,000/-रु. वसूल करना बताया गया। पूर्व सरपंच श्री रामदेव मीणा, पूर्व सचिव श्री शिवजीराम माली एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री अमित भाटी से की जा रही वसूली के सम्बन्ध में त्रैमासिक स्तर पर प्रगति रिपोर्ट आहूत की जा रही है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 03.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(136)लोआस/2011

परिवादी श्री किशन सिंह फौजदार (सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियन्ता) से दिनांक 05.12.2011 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने यह उल्लेख किया कि वे दिनांक 30.06.2011 को कनिष्ठ अभियन्ता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके विरूद्ध कोई गबन प्रकरण नहीं है किन्तु पंचायत समिति, झालरापाटन के लेखाकार श्री प्रभाती लाल के कारण पेंशन व अन्य परिलाभ रूकवाये हुए हैं, अतः श्री प्रभातीलाल के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 02.11.2012 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड़ से प्राप्त जाँच रिपोर्ट में विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार एवं किशन सिंह फौजदार (परिवादी) को नियम विरूद्ध कमेटी बनाकर निर्माण कार्य करवाने, बिना समायोजन के बार-बार अग्रिम राशि दिये जाने एवं निर्माण कार्यों पर निविदा के अनुरूप कार्य नहीं करवाने का दोषी बताया गया है जिनके विरूद्ध आरोप-पत्र जारी करने की कार्यवाही अपेक्षित है। विभाग से दिनांक 12.11.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी पाये गये श्री शिवपूजन चौधरी (पूर्व विकास अधिकारी), श्री प्रभातीलाल मीणा, श्री विनोद सिंह एवं श्री मांगीलाल बैरागी (लेखाकार), पंचायत समिति, झालरापाटन के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर आरोप-पत्र आदि जारी करना बताया गया। साथ ही कनिष्ठ अभियन्ता श्री किशन लाल फौजदार एवं सहायक अभियन्ता श्री कृष्ण सिंह परमार के सेवानिवृत्त होना बताया गया।

विभाग के दिनांक 05.03.2014 के पत्र अनुसार श्री किशन सिंह फौजदार (कनिष्ठ अभियन्ता) और श्री कृष्ण सिंह परमार (तकनीकी सहायक व

सहायक अभियन्ता) को कार्यालय के पत्र क्रमांक 1090-1113 दिनांक 08.11.2012 से आरोप-पत्र दिये जाने व उनसे उत्तर अप्राप्त होना बताया गया, इस कारण इन दोनों दोषी अधिकारियों के विरूद्ध प्रारम्भ की गई अनुशासनिक कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट भी आहूत की गई।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 30.11.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि पूर्व विकास अधिकारी श्री शिवपूजन चौधरी और पूर्व लेखाकार श्री बृजलाल मीणा के प्रकरण में उन्हें एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। इसी क्रम में विभाग से दिनांक 28.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि श्री कृष्ण सिंह परमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता दिनांक 14.01.2011 एवं श्री किशन सिंह फौजदार, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता दिनांक 30.06.2011 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गये और घटना चार वर्ष समयावधि के अन्दर नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त दोनों दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही समय पर प्रस्तावित न करने के सम्बन्ध में दिनांक 25.06.2012 से लेकर दिनांक 27.12.2015 तक की करीब साढे तीन वर्ष की अवधि में जिला परिषद, झालावाड़ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर पदस्थापित अधिकारियों की अकर्मण्यता/लापरवाही की भूमिका व उनके चिन्हिकरण बाबत मामले की विभागीय स्तर पर जाँच करवाकर इसकी रिपोर्ट विभाग से आहूत की गई।

विभाग से दिनांक 15.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार श्री विनोद कुमार सिंह को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार दिनांक 23.03.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि निदेशक, कोष एवं

लेखा, राजस्थान, जयपुर के दिनांक 21.02.2017 के आदेश के अनुसार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।। श्री मांगीलाल बैरागी को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया हैं।

विभाग से दिनांक 21.08.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि इस मामले में तत्कालीन विकास अधिकारी श्री दयाचन्द आर्य, भोमसिंह इन्दा, विश्वनाथ शर्मा व के.के.वर्मा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किये गये हैं तथा तत्कालीन लेखाधिकारी श्री सुग्रीव मीणा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रकरण वित्त विभाग को भिजवा दिया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को यथासमय अवगत करवाने का निर्देश दिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 04.10.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(142)लोआस/2011

परिवादी श्री श्रवण से दिनांक 21.12.2011 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, आगर (तहसील, थानागाजी व जिला अलवर) द्वारा नरेगा, एसएफसी व टीएफसी कार्यों में फर्जी मस्टररोल भर कर सरकारी राशि का दुरूपयोग कर राशि हड़पने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जयपुर से दिनांक 17.02.2014 को प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, आगर की सरपंच श्रीमती ललिता शर्मा व अन्य द्वारा मनरेगा

कार्यों पर जेसीबी मशीन से कार्य करवाया गया और एसएफसी/टीएफसी से सम्बन्धित टंकी व खेळों के निर्माण में मूल्यांकन से 1,29,533/-रु. अधिक राशि अनियमित रूप से व्यय की गई जो राजकोष में जमा हो चुकी है। दिनांक 15.06.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन विकास अधिकारी श्री के.के.जैमन के विरूद्ध दोषियों को बचाने के कृत्य के लिये अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु शासन सचिव, पंचायती राज विभाग को निवेदन किया गया है। विभाग से 24.07.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी विकास अधिकारी श्री के.के.जैमन के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया।

दिनांक 12.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न 14 विकास अधिकारियों श्री जय नारायण सिंह व अन्य के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन नोटिस जारी करना बताया गया। दिनांक 08.10.2015, 27.12.2015, 16.12.2016 व 25.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार दोषी विकास अधिकारियों श्री कानाराम शर्मा, श्री अजीत सहरिया, श्री जयनारायण सिंह, श्रीमती नेहा चतुर्वेदी, श्रीमती राजबाला मीणा, श्री विश्वनाथ शर्मा, श्री लाईक खान व श्री मुकेश जैमन को मौखिक चेतावनी देकर प्रकरण का निस्तारण किया गया तथा श्री ईश्वर दयाल सिंह के विरूद्ध लम्बित जाँच कार्यवाही समाप्त की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर दोषी विकास अधिकारियों सर्वश्री गिर्राज प्रसाद मीणा, के.के. जैमन, श्रीमती रेखा रानी व्यास, ललित कुमार गर्ग व ललित कुमार के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी

अधिकारी, जिला परिषद, अलवर को देते हुए पत्रावली दिनांक 26.05.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(144)लोआस/2011

परिवादी श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता से दिनांक 21.12.2011 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सुनेल द्वारा टेन्ट, कुर्सियों आदि सामान निविदा दर से भुगतान नहीं करने एवं 40 प्रतिशत कमीशन की मांग करने पर के आरोप लगाते हुए मामले में जाँच करवाकर भुगतान करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 14.11.2013 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की जाँच के पश्चात् पंचायत समिति, सुनेल के विकास अधिकारी एवं लेखाकार को दोषी बताकर अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। दिनांक 25.06.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित फर्म महाजन टेन्ट हाउस, सुनेल को चैक के माध्यम से सम्पूर्ण राशि 33,372/-रु. का भुगतान कर दिया गया।

विभाग से दिनांक 21.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिड़ावा, मुख्यालय सुनेल श्री कन्हैयालाल रैगर और तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार श्री जुगल किशोर पाटीदार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन की गई कार्यवाही में उन्हें एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस मामले में दोषी कार्मिकों के विरूद्ध सामान्य वित्तीय लेखा नियम के पार्ट-। रूल्स 20 एवं 22(1)परिशिष्ट-3 के अनुसार कार्यवाही तथा अधिक भुगतान के लिये उनसे राशि वसूल करने के क्रम में तत्कालीन कनिष्ठ

लेखाकार श्री जुगल किशोर पाटीदार से दिनांक 17.03.2016 को 4,555/-रु. वसूल किये गये और श्री कन्हैयालाल रैगर से यह राशि वसलूने की कार्यवाही की जा रही है किन्तु उनके द्वारा विभागीय दण्डादेश के विरूद्ध कार्मिक विभाग ने अपील प्रस्तुत कर देने पर यह वसूली स्थगित कर देने से उक्त वसूली के अंतिम निष्कर्ष की रिपोर्ट विभाग से आहूत की जा रही है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 30.05.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(28)लोआस/2013

परिवादी श्री गणेशाराम जाखड़ से दिनांक 29.05.2013 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, बाड़लवास (पंचायत समिति, धौंद जिला सीकर) की ग्राम सेवक श्रीमती सजना के विरूद्ध कृषि भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करने के एवज में नामान्तरकरण के नाम से विकास शुल्क की राशि लेने का आरोप लगाया और उल्लेख किया कि उसकी भतीजी श्रीमती मंजू देवी पर दवाब डालकर यह राशि ली गई है। श्रीमती मंजू से यह कहा गया कि यदि वह राशि नहीं देगी तो उसका नामान्तरकरण तस्दीक नहीं होगा। उनके द्वारा यह जानने की कोशिश की गई कि यह राशि किस नियम के तहत ली जा रही है तो उनका जवाब था कि नामान्तरकरण तस्दीक करवाना है तो राशि देनी पड़ेगी, इस कारण उनसे उक्त राशि वसूल कर उसकी रसीद दी गई।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से दिनांक 24.12.2013 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि भूमि क्रय पर नामान्तरकरण शुल्क के साथ विकास शुल्क की राशि ग्राम पंचायत, बाडलवास की बैठक दिनांक 05.05.2011 के प्रस्ताव सं.1 एवं

ग्राम सभा की बैठक दिनांक 10.03.2011 के प्रस्ताव सं.3 अनुसार ग्राम पंचायत की निजी आय में वृद्धि करने हेतु पारित निर्णय की पालना में ली गई है और ग्राम पंचायत को विकास शुल्क (नामान्तरकरण) के रूप में दी गई राशि 10,000/-रु. का इन्द्राज रोकड़ बही के पृ.सं. 67 पर किया गया। इसी क्रम में परिवादी से दिनांक 17.02.2014 को प्राप्त आपत्तियों में यह उल्लेख किया गया कि कृषि भूमि नामान्तरकरण के नाम से पंचायतों द्वारा की जा रही वसूली को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने भी अवैध वसूली माना है। इस मामले में श्रीमती मंजू ने उपर्युक्त वसूली को लेकर विभाग के समक्ष भी शिकायत की। उपर्युक्त आपत्तियों में वर्णित विभिन्न कानूनी बिन्दुओं के सम्बन्ध में विभाग से विधिक स्थिति अनुसार की गई कार्यवाही की रिपोर्ट आहूत की गई।

इस पर विभाग से दिनांक 09.05.2014 व 15.05.2014 को प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 92 के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत, बाड़लवास द्वारा दिनांक 05.05.2011 की बैठक में पारित प्रस्ताव और ग्राम सभा, बाड़लवास द्वारा दिनांक 10.03.2011 को पारित प्रस्ताव को निरस्त करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है तथा विभाग द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने के नाम पर विकास शुल्क वसूल करने बाबत ग्राम पंचायत को किसी प्रकार के आदेश/निर्देश जारी नहीं किये गये हैं एवं न ही ऐसी कोई अपेक्षा की है। इसी क्रम में विभाग से दिनांक 07.07.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह भी अवगत करवाया गया कि नामान्तरकरण तस्दीक करने के नाम पर विकास शुल्क के रूप में शुल्क अधिरोपित करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

पंचायती राज विभाग से दिनांक 18.03.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि जिला परिषद, सीकर द्वारा दोषी कार्मिक ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, बाड़लवास श्रीमती सजना देवी के

विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गई। इसी क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से दिनांक 02.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि उक्त कार्मिक श्रीमती सजना के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी के साथ प्रकरण निर्णीत किया गया।

विभाग से दिनांक 02.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि नामान्तकरण शुल्क लगाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत, बाड़लवास की बैठक दिनांक 05.05.2011 को पारित प्रस्ताव सं.1 एवं सामाजिक अंकेक्षण के सम्बन्ध में आयोजित ग्राम सभा की बैठक दिनांक 10.03.2015 के प्रस्ताव सं.3 को विभागीय आदेश क्रमांक 723 दिनांक 23.11.2015 के द्वारा रद्द किया गया।

पंचायती राज विभाग से दिनांक 11.09.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, बाड़लवास द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक के नाम श्रीमती मंजू देवी से नियम विरूद्ध विकास शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि (10,000/-रु.) का भुगतान चैक सं. 083102 दिनांक 09.10.2017 के द्वारा कर दिया गया।

विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के क्रम में ग्राम पंचायत, बाड़लवास द्वारा उपर्युक्त प्रश्नगत वसूली के अलावा वर्ष 2006-13 की अवधि में नामान्तरकरण तस्दीक के नाम पर विकास शुल्क के रूप वसूल की गई विभिन्न राशि और इसी प्रकार समस्त राजस्थान की विभिन्न पंचायतों द्वारा उक्त आशय की वसूली को सम्बन्धित पक्षकार को लौटाने का निर्देश देकर उक्त कार्यवाहियों की रिपोर्ट **त्रैमासिक** स्तर पर आहूत की जा रही है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 25.10.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(56)लोआस/2013

परिवादी श्री मान सिंह से दिनांक 02.07.2013 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, गढ़ी सवाईराम (पंचायत समिति, रैणी, जिला अलवर) के द्वारा बोरिंग निर्माण एवं पानी की टंकी के मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में हुए घोटालों की जाँच विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर, जिला कलक्टर, अलवर एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा नहीं करने पर सम्पूर्ण मामले की उच्च स्तर पर जाँच करवाकर दोषी को दण्डित करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जयपुर से दिनांक 07.05.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले की जाँच उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ से करवाई गई जिनकी जाँच रिपोर्ट के अनुसार बोरवेल स्थापन, टंकी निर्माण एवं टंकी मरम्मत कार्यों में अनियमितता के लिये ग्राम पंचायत, गढ़ी सवाईराम के सरपंच व सचिव दोषी पाये गये हैं। इसी क्रम में विभाग से दिनांक 16.07.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि तत्कालीन दो दोषी ग्राम सेवकों सर्वश्री उदय सिंह राजपूत एवं टीकाराम शर्मा के विरूद्ध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रैणी द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी किये गये हैं। फिर दिनांक 23.06.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, गढ़ी सवाईराम में बोर कटाई की व्यय राशि 1,07,500/-रु. की वसूली को लेकर सचिव श्री उदय सिंह से 30,000/-रु. वसूल किये गये हैं और 23,750/-रु. की वसूली बकाया है

तथा पूर्व सरपंच श्री अशोक कुमार जैन से 53,750/-रु. की वसूली बकाया है। दिनांक 04.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन सचिव श्री टीकाराम शर्मा से गबन राशि के 4230/-रु. में से 50 प्रतिशत राशि के 2,115/-रु. वसूल करना अवगत करवाया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से दिनांक 09.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि दोषी ग्राम सेवकों श्री उदय सिंह राजपूत एवं श्री टीकाराम शर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही में उनकी सुनवाई के पश्चात् एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से उन्हें दण्डित किया गया है। इसी क्रम में विभाग से दिनांक 25.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित चारों लोक सेवकों/विकास अधिकारियों सर्वश्री गिर्राज प्रसाद मीणा, रघुवीर सिंह, श्याम सुन्दर शर्मा व दिनेश चन्द बड़सर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ दी गई है और इस कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष से इस सविचालय को अवगत करवाने हेतु विभाग को निर्देश दिया गया तथा दोषी सरपंच से 53,750/-रु. की वसूली कार्यवाही की रिपोर्ट त्रैमासिक स्तर पर आहूत की जा रही है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 03.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(98)लोआस/2013

परिवादी श्री गुलाब सिंह (भारतीय जन सेवा संस्थान) से दिनांक 03.10.2013 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने महुखेड़ा (बांदीकुई) में भारतीय जन सेवा संस्थान के भूखण्ड पर सांसद निधि से

पुस्तकालय/वाचनालय एवं प्रशिक्षण कक्ष निर्माण में देरी होने और विधायक कोष से स्वीकृत राशि से एकल बिन्दु में टंकी के स्थान पर विद्युत कनेक्शन में देरी होने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 09.05.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले में जिला कलक्टर, दौसा द्वारा गठित कमेटी से मामले की जाँच करवाई गई जिसकी जाँच रिपोर्ट के अनुसार एकल बिन्दु (मय टंकी) निर्माण का कार्य पूर्ण करवा दिया गया और बिजली कनेक्शन हेतु पत्रावली अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, खण्ड बांदीकुई को प्रस्तुत कर दी गई। पुस्तकालय/वाचनालय का कार्य प्रगति पर है और अनावश्यक विलम्ब के लिये कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत, महुखेड़ा पर शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही तथा सचिव के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। विभाग से दिनांक 20.10.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि कार्यकारी एजेन्सी, ग्राम पंचायत, महुखेड़ा के सचिव को नोटिस जारी कर एपीओ कर दिया गया। इसी क्रम में दिनांक 01.05.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि सचिव श्री रामजीलाल रैगर को निलम्बित कर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर दिया गया।

मामले में दिनांक 11.09.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य में विलम्ब होने से 1,62,986/-रु. की शास्ति मय ब्याज आरोपित करना बताया गया तथा दिनांक 17.05.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी कार्मिक श्री रामजीलाल रैगर को अनुशासनिक कार्यवाही में तत्काल दो असंचयी एवं एक संचयी प्रभाव से वेतन-वृद्धि रोकने और उनसे वसूली योग्य राशि (89,646/-रु. ब्याज सहित) वसूल करने के दण्डित किया गया। दिनांक 07.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वसूली योग्य

राशि 1,79,292/-रु. में से सचिव श्री रामजीलाल के हिस्से की राशि 89,646/-रु. वसूल कर पंचायत समिति, बांदीकुई के कोष में जमा करना बताया गया। इसी क्रम में दिनांक 22.01.2018 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन सरपंच श्रीमती कमली देवी से वसूली योग्य राशि 89,646/-रु. जरिये चैक राजकोष में जमा करवाना अवगत करवाया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 31.01.2018 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(142)लोआस/2013

परिवादी श्री गंगा विशन सिद्ध से दिनांक 18.11.2013 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, बीकमसरा के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू द्वारा की गई जाँच और सोशल ऑडिट की आंतरिक जाँच में सरपंच द्वारा बिना टिन नं. एवं निविदा जारी किये 1,10,71,094/-रु. की सामग्री क्रय करने का मामला उजागर होने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर से दिनांक 18.02.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, बीकमसरा की सरपंच श्रीमती मोहनी देवी और ग्राम सेवकों व पदेन सचिवों श्रीमती सरोज मांजू, सुरेन्द्र सिंह नरूका व श्री अमरदीप मीणा तथा जिला परिषद, चूरू के कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री सुनील कुमार सोनी व जितेन्द्र कुमार स्वामी द्वारा मनरेगा योजना के विभिन्न कार्यो में वित्तीय अनियमितता कारित करना अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, चूरू से दिनांक 21.11.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, बीकमसरा द्वारा 1,10,71,094/-रु. की सामग्री बिना पंजीकृत फर्म

के क्रय करने से वाणिज्यिक कर अधिकारी, चूरू को सूचित कर दिया गया है और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु सम्बन्धित ग्राम सेवकों श्रीमती सरोज मांजू, श्री सुरेन्द्र नरूका व अमरदीप मीणा और जिला परिषद, चूरू के कनिष्ठ तकनीकी सहायकों श्री सुनील कुमार सोनी व जितेन्द्र कुमार स्वामी को नोटिस जारी किये गये हैं।

जिला कलक्टर, चूरू से दिनांक 17.03.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम सेवक श्रीमती सरोज मांजू का चयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्स-।। के पद पर होने से अब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ के माध्यम से राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र भिजवाया गया है। शेष ग्राम सेवकों श्री सुरेन्द्र सिंह नरूका व अमरदीप मीणा और कनिष्ठ तकनीकी सहायकों सुनील कुमार सोनी व जितेन्द्र कुमार स्वामी के सम्बन्ध में यह प्रकट किया गया कि आंतरिक जाँच प्रतिवेदन अनुसार बताई गई अनियमितता इनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुई है।

तत्पश्चात् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त चूरू से दिनांक 20.04.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि मै. देवी सिंह/भंवर सिंह राजपूत और मै. महावीर सिंह/नारायण सिंह राजपूत के विरूद्ध नियमानुसार नोटिस जारी कर आगामी कार्यवाही करते हुए क्रमशः 5,48,740/-रु. एवं 27,757/-रु. की मांग सृजित की गई है। इसी क्रम में जिला कलक्टर, चूरू से दिनांक 18.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी तत्कालीन ग्राम सेवक श्री सरोज मांजू को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित करना अवगत करवाया गया। वाणिज्यिक कर विभाग से दिनांक 05.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मै. महावीर सिंह/नारायण सिंह राजपूत, बीकमसरा से समस्त

बकाया मांग की राशि 27,757/-रु. दिनांक 22.12.2015 को वसूल कर राजकोष में जमा करवाना अवगत करवाया गया।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 15.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि फर्म प्रोपराइटर श्री देवी सिंह राजपूत व उनकी पत्नी श्रीमती चन्द्र कंवर का देहान्त हो चुका है और उनके दो पुत्रों में से एक पुत्र मजदूरी करता है एवं दूसरा पुत्र पढ़ता है जिन्होंने मांग राशि जमा करवाने असमर्थत्ता व्यक्त की। व्यवहारी की अचल सम्पत्ति जब्त करके ही वसूली किया जाना सम्भव है और उसकी अचल सम्पत्ति की जानकारी करके वसूली कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसी क्रम में 09.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार व्यवहारी के पुत्रों के नाम कोई कृषि भूमि नहीं होना बताया गया। दिनांक 03.08.2017 को भी इसी आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर उपर्युक्त फर्म मै. देवी सिंह/भंवर सिंह राजपूत से ब्याज सहित शास्ति की वसूली कर इस कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को यथासमय अवगत करवाने का निर्देश सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त चूरू को दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 04.08.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(182)लोआस/2013

परिवादी श्री कालूराम से दिनांक 04.03.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, सुमेल (जिला पाली) के सचिव एवं सरपंच द्वारा पंचायत समिति, रायपुर के विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता से मिलीभगत कर वित्त वर्ष 2013-14 में सोलर स्ट्रीट लाइट क्रय में करीब 15 लाख रु. और वित्त वर्ष 2012-13 में प्लेटफॉर्म

सहित हैण्ड पम्प स्थापना में करीब 14.5 लाख रु. का घोटाला कर भ्रष्टाचार कारित करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 05.05.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, सुमेल द्वारा सोलर लाइटों के क्रय में वित्त विभाग के परिपत्रों की पालना न कर नियमों के विपरीत क्रय करके वित्तीय अनियमितताएं कारित की गई जिसके लिये पंचायत समिति, रायपुर के सहायक अभियन्ता/कार्यवाहक विकास अधिकारी श्री रामराज मीणा, ग्राम पंचायत, सुमेल की सरपंच श्रीमती भंवरी देवी एवं ग्राम सेवक श्रीमती अंजू कालवा को दोषी पाया गया है जिनसे उपर्युक्त क्रय में किये गये अनियमित भुगतान की वसूली क्रमशः 2:1:1 के अनुपात में की जानी है। विभाग से दिनांक 30.07.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित ग्राम सेवक श्रीमती अंजू कालवा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी करना बताया गया। दिनांक 28.09.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री रामराज मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही करने हेतु प्रस्ताव व आरोप-पत्र आदि शासन सचिव एवं आयुक्त, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान को प्रेषित करना बताया गया।

दिनांक 28.10.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि आरोपी ग्राम सेवक श्रीमती अंजू कालवा द्वारा 77,000/-रु. जमा करवा दिये गये हैं। विभाग से दिनांक 28.04.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि श्रीमती अंजू कालवा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली द्वारा दोषी पाकर उन्हें दिनांक 05.04.2016

के आदेशानुसार उनकी दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया। दिनांक 18.05.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सरपंच श्रीमती भंवरी देवी के विरूद्ध वसूली के सम्बन्ध में पीडीआर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया। कृषि निदेशालय से दिनांक 26.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री रामराज मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को प्रेषित किये गये तथा इसी क्रम में कार्मिक विभाग से दिनांक 23.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री मीणा के विरूद्ध उपर्युक्त नियम के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया। उपर्युक्त अनुशासनिक कार्यवाही एवं शेष वसूली राशि की कार्यवाही की रिपोर्ट्स सम्बन्धित विभाग से त्रैमासिक स्तर पर आहूत की जा रही है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 15.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(231)लोआस/2013

परिवादीगण श्री राम अवतार शर्मा व अन्य से दिनांक 31.03.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम करवर (तहसील नैनवां व जिला बून्दी) में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि, तालाब भूमि, थाना व हाट मार्केट के लिये आरक्षित बेशकीमती भूमि पर सरपंच की मिलीभगत से अतिक्रमण हो रहे हैं और करीब 50 अतिक्रमणों को रूकवाने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नैनवां को प्रार्थना-पत्र दिया गया किन्तु आज तक उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजस्व विभाग के कर्मचारियों की उदासीनता से सिवायचक भूमि पर भी लोग कब्जा कर रहे हैं और स्वयं सरपंच श्री प्रभुलाल करसोल्या ने

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर 19 दुकानें बना ली।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, कोटा से दिनांक 16.06.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, करवर में सड़क एवं तालाब में भरे पानी के बीच में जितने भी मकान/दुकानें बनी हुई हैं, वे तालाब की पाळ व तालाब की भूमि में ही हैं जो अतिक्रमण करके बनाये गये हैं एवं कुल 65 अतिक्रमियों को प्रथमदृष्टया चिन्हित किया गया है। तालाब में पानी भरा होने के कारण सीमाज्ञान नहीं हो पाया। जाँच अधिकारी ने ग्राम पंचायत, करवर के तालाब की खसरा सं. 814, 816 व 824 की भूमि में चिन्हित 40 व्यक्तियों के कब्जाशुदा भूमि का राजस्व अधिकारियों से आदेश प्राप्त कर नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाकर तत्कालीन सरपंचों द्वारा पेटे जारी होने की जानकारी होना बताया गया। आबादी भूमि के अलावा इन खसरान में पेटे जारी किये गये हो तो ऐसे चिन्हित पट्टों को नियमानुसार निरस्त करवाने एवं पट्टा-जारीकर्ता तत्कालीन सरपंच/सचिव के विरूद्ध वांछित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होना बताया गया।

इसी क्रम में विभाग से दिनांक 04.11.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि तालाब की पाळ पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने के लिये नियमानुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है और पट्टों को निरस्त करने की कार्यवाही अति. जिला कलक्टर, बून्दी के समक्ष विचाराधीन है तथा मेला स्थल के सामने के अतिक्रमण स्थल को तारबंदी करने हेतु ग्राम पंचायत, करवर को आदेशित किया जा चुका है और साथ ही खसरा सं. 494 गैर मुमकिन सड़क में 19 दुकानें होने से उन्हें हटाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। इसी प्रकार तालाब की पाळ/भूमि की एक छोर से दूसरी छोर तक 40 व्यक्तियों के अतिक्रमण एवं जरखोदा रोड़ पर 25 व्यक्तियों के अतिक्रमण

होकर कुल 65 अतिक्रमियों को प्रथमदृष्टया चयनित किया गया है और उनका अतिक्रमण हटाने के लिये ग्राम पंचायत, करवर द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं।

तत्पश्चात् विभाग से 09.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, करवर के तत्कालीन सचिव श्री राधाकिशन वर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र (पृ.सं.472-473/सी) जारी किया गया है एवं जाँच लम्बित है और उप तहसीलदार, करवर द्वारा कुल 24 प्रकरणों में दिनांक 29.03.2016 को अतिक्रमियों के विरूद्ध बेदखली करने का निर्णय लिया गया एवं बेखदली की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जानी है तथा पट्टों के निरस्त करने के सम्बन्ध में अति. जिला कलक्टर, बून्दी के समक्ष लम्बित विचाराधीन निगरानियों में दिनांक 12.08.2016 को 14 निगरानियों में बहस सुनी जाकर फैसला लिखा जाना शेष है और 6 निगरानियों में आगामी पेशी दिनांक 07.09.2016 नियत की गई है। मेला स्थल के सामने अतिक्रमण स्थल पर तारबन्दी हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है एवं कार्य प्रगति पर है।

दिनांक 17.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि खसरा सं. 494 गैर मुमकिन सड़क में अवस्थित 19 दुकानों को हटाने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, करवर (जिला बून्दी) के निर्णय दिनांक 29.07.2015 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर (बून्दी) के न्यायालय में अपील दायर की गई जिसमें सुनवाई के पश्चात् दिनांक 01.08.2016 को निर्णय पारित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः जाँच/निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया गया जिस पर नायब तहसीलदार, करवर के न्यायालय में प्रकरण सं. 1562/2016 दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अधीन नोटिस जारी किये गये। तालाब की पाळ/भूमि पर 40 व्यक्तियों के अतिक्रमण

एवं जरखोद रोड़ 25 व्यक्तियों के अतिक्रमण यानी कुल 65 अतिक्रमियों के विरूद्ध जीपीएस सर्वे अनुसार कुल चिन्हित 25 अतिक्रमणों में से एक धार्मिक स्थल होने से एवं 24 अतिक्रमणों के 8 मामले अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी के न्यायालय में अपील के रूप में लम्बित हैं और 9 मामलों में पट्टे जारी किये गये हैं। एक मामले में सिविल न्यायालय, नैनवां से स्थगन प्राप्त है तथा 6 मामलों में मौके से बेदखल करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक, वृत करवर एवं पटवारी हलका, करवर को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। इसके पश्चात् तहसीलदार, नैनवां ने अपने पत्र दिनांक 14.01.2017 से अवगत करवाया कि उपर्युक्त 6 मामलों में से 1 में बेदखली के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और शेष 6 मामलों में मौके पर पक्के मकान व दुकानें बनी होने से कानूनी व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल व उच्च स्तर के अधिकारी को मजिस्ट्रेट नियुक्त करने हेतु जिला कलक्टर, बून्दी से अनुरोध किया गया।

सम्भागीय आयुक्त, कोटा से दिनांक 30.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी ग्राम सेवक श्री राधाकिशन वर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन लम्बित कार्यवाही में उनके विरूद्ध जवाब प्रस्तुत करना बताया गया और शेष दोनों ग्राम सेवकों श्री वेद प्रकाश शर्मा व सहायक सचिव श्री कजोड़लाल के सेवानिवृत्त हो जाने से सेवा नियमों के अधीन इनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु विभाग को पत्र लिखना बताया गया। तहसीलदार, नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दो अतिक्रमणों को भौतिक रूप से जेसीबी द्वारा ध्वस्त कर अतिक्रमण को बेदखल कर उनका कब्जा हटाया गया और शेष प्रकरणों में न्यायालयों में अपीले विचाराधीन होने के कारण कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। दिनांक 15.09.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री राधाकिशन वर्मा के मामले अति. जिला कलक्टर के न्यायालय

द्वारा निगरानी याचिका में दिये गये निर्णय के अनुसार तहसीलदार, नैनवा को भूमि को सीमाज्ञान करने एवं भूमि की किस्म की जानकारी हेतु आदेशित किया गया है जिसका निर्णय होने के पश्चात् ही ग्राम सेवक के दोषी होने अथवा नहीं होने का निर्णय किया जा सकेगा और वर्तमान में कार्यवाही तहसीलदार, नैनवां के स्तर पर लम्बित है। इसी प्रकार सेवानिवृत्त ग्राम सेवक श्री वेद प्रकाश शर्मा एवं कजोड़लाल प्रजापत के विरूद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन ज्ञापन जारी कर महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पंचायती राज विभाग को भिजवाया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 26.10.2017 को विभाग से प्राप्त के अनुसार उपर्युक्त दोनों सेवानिवृत्त ग्राम सेवकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 7 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला स्थापना समिति की बैठक में रखा जाना बताया गया।

फिर विभाग से दिनांक 22.12.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि विभागीय पत्र दिनांक 07.12.2017 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को सेवानिवृत्त ग्राम सेवकों सर्वश्री वेद प्रकाश एवं कजोड़ लाल प्रजापत के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन लघु शास्ति से सम्बन्धित कार्यवाही को अपने स्तर पर समाप्त/निस्तारित करने निर्देशित किया गया जिसे बाद में समाप्त करना अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् सम्भागीय आयुक्त, कोटा को दोषी ग्राम सेवक श्री राधा किशन वर्मा के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को यथासमय अवगत करवाने का निर्देश दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 01.02.2018 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(48)लोआस/2014

परिवादी श्री दानूराम से दिनांक 30.05.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, लोहावट विश्नावास (जिला जोधपुर) के पूर्व सरपंच श्री सत्यनारायण विश्नोई एवं ग्राम सेवक श्री मगनाराम के विरूद्ध पशु चिकित्सालय, गोचर, वन विभाग, शमशान, झील, नाला, पायतन, आगोर व सड़क सीमा की भूमि में अपने रिश्तेदारों व मिलने वालों के नाम नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर से दिनांक 12.12.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, लोहावट विश्नावास के पूर्व सरपंच श्री सत्य नारायण विश्नोई ने अपने कार्यकाल (वर्ष 2005-2010) में स्वयं के परिवार एवं रिश्तेदारों को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर और आबादी भूमि से बाहर गैर मुमकिन आगोर, गैर मुमकिन ओरण व झील आदि में 24 पट्टे जारी कर पंचायत कोष को नुकसान पहुंचाया तथा राजकीय भूमि को नियमों से परे हटकर खुर्द-बुर्द किया। इसमें तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री मानाराम विश्नोई को भी प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया।

तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि तत्कालीन ग्राम सेवक श्री मानाराम विश्नोई के विरूद्ध राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 300 सपठित राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन की गई कार्यवाही में उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि (वर्ष 2016-17) संचयी प्रभाव से रोकी जाकर उन्हें दण्डित

किया गया। फिर दिनांक 12.04.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि इस मामले से सम्बन्धित प्रकरण माननीय राज. उच्च न्यायालय में विचाराधीन होकर स्थगन आदेश के दौरान अनियमित पट्टों को निरस्त करवाने की कार्यवाही नहीं की जा सकती, इस कारण दिनांक 27.04.2017 को परिवादी श्री दानूराम को पत्र प्रेषित कर उसे निर्देशित किया गया कि वह राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष लम्बित रिट याचिका सं. 10760/2015 में पारित स्थगन आदेश के वेकेट होने पर इस सचिवालय को अवगत करवाया जाये ताकि नियम विरूद्ध जारी पट्टों के सम्बन्ध में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा सके।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को आंशिक अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं न्यायालय के स्थगन आदेश की वजह से अस्थाई रूप से पत्रावली दिनांक 27.04.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(109)लोआस/2014

परिवादी श्री प्यारेलाल से दिनांक 23.07.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़ (जिला सीकर) में सरपंचों द्वारा जल योजना के अधीन खुदवाये गये नलकूपों के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए सम्बन्धित सरपंच, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव और विकास अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार कारित करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जयपुर से दिनांक से दिनांक 15.05.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि विवादित ट्यूबवेल्स की भूमि के सम्बन्ध में दान-पत्र लेकर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों (बगड़ी व भूमाबड़ा) के नाम नामान्तरकरण खोलना बताया गया, इस कारण किसी की व्यक्तिगत खातेदारी में ट्यूबवेल के निर्माण का बिन्दु समाप्त हो गया है और आबादी का घनत्व कम होने से आस-पास

की छितराई हुई आबादी इनका उपयोग करती है। साथ ही यह भी प्रकट किया गया कि नियम विरूद्ध ट्यूबवेल लगाने के लिये लापरवाही के लिये सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लक्ष्मणगढ़ को दोषी पाया गया।

तत्पश्चात् विभाग से 10.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ट्यूबवेल लगाने में नियमों की अवहेलना करने के लिये श्री सुभाष चन्द्र नेहरा (तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, लक्ष्मणगढ़ हाल अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं) को दोषी पाये जाने से उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्राप्त प्रारूप आरोप-पत्र आदि की प्रतियाँ मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके कार्यालय के दिनांक 28.07.2015 के पत्र द्वारा प्रेषित कर दी गई। इस पर उनसे दिनांक 06.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से श्री सुभाष नेहरा चन्द्र नेहरा (तत्कालीन सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, लक्ष्मणगढ़) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन प्राप्त आरोप-पत्र आदि उनके कार्यालय के दिनांक 16.06.2016 के पत्र के द्वारा प्रशासनिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये।

संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 23.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि उनके विभाग की समसंख्यक अर्द्ध शासकीय टीप दिनांक 06.01.2017 के द्वारा श्री सुभाष चन्द नेहरा के विरूद्ध प्रस्तावित आरोप-पत्र एवं प्रमाणित अभिलेख सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर को भिजवा दिये गये जिनसे दिनांक 21.12.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह

अवगत करवाया गया कि विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.12.2017 के द्वारा श्री सुभाष चन्द नेहरा तत्कालीन सहायक अभियन्ता एवं हाल अधिशाषी अभियन्ता, परियोजना खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नागौर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन अनुशासनिक जाँच में उन्हें परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 26.12.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(147)लोआस/2014

परिवादी श्री लाल सिंह से दिनांक 23.07.2014 को कैम्प बाँसवाड़ा में प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, सेवाना के सरपंच व तत्कालीन सचिव द्वारा पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण करवाकर फर्जी पट्टा जारी करने की मामले की निष्पक्ष जाँच करवाते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करवाने की प्रार्थना की। परिवादी के लोक सेवक होने से मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए आगामी कार्यवाही की गई।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर से दिनांक 08.12.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, सेवना (पंचायत समिति, गढ़ी) द्वारा आबादी भूमि पर फर्जी पट्टे जारी करने सम्बन्धी शिकायत की जाँच श्री हरिश चन्द्र पाटीदार, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, गढ़ी (जिला बाँसवाड़ा) से करवाई गई जिसके अनुसार सरपंच श्री मणिलाल एवं तत्कालीन सचिव श्री विजय त्रिवेदी द्वारा पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण करवाते हुए नियम विरूद्ध पट्टे जारी किया जाना सिद्ध होना बताया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद, बाँसवाड़ा को ग्राम पंचायत, सेवना द्वारा नियम विरूद्ध जारी आबादी के पट्टों को नियमानुसार निरस्त करवाने के साथ ही ग्राम पंचायत, सेवना के सरपंच श्री मणिलाल के विरूद्ध राजस्थान पंचायती अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही करने और तत्कालीन सचिव श्री विजय त्रिवेदी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाँसवाड़ा से दिनांक 26.02.2015 को प्राप्त रिपोर्ट अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, सेवना के तत्कालीन सचिव श्री विजय त्रिवेदी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 11.05.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विभाग के निर्देशानुसार मामले की जाँच करवाने पर जाँच रिपोर्ट के निष्कर्ष अनुसार ग्राम पंचायत, सेवना की दिनांक 20.02.2013 की ग्राम सभा के संकल्प सं.4 की क्रम सं. 1 से 4 व 6 से 16 एवं 18 व 19 पर कुल 17 व्यक्तियों को जारी पट्टे निरस्त करने योग्य होने से उपर्युक्त संकल्प को निरस्त किया जाना उचित है और किसी संकल्प के बन्धन में अप्रदर्शित अन्य अनियमित प्रक्रिया से जारी किये गये पट्टे भी निरस्त करने योग्य होने बाबत राय दी गई। विभाग से दिनांक 01.09.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाँसवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री लाल सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत, सेवना द्वारा श्री घनश्याम सिंह एवं भूपेन्द्र कुमार जोशी को दिये गये पट्टों को निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष रिट सं. 10802/2016 दायर की गई है जो वर्तमान में विचाराधीन होने के कारण ग्राम पंचायत, सेवना की ग्राम सभा के दिनांक 20.02.2013 के संकल्प सं. 4 की क्रम सं. 2 व 3 को रद्द किये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता।

सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर से दिनांक 10.01.2018 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि आरोपी ग्रामसेवक श्री विजय त्रिवेदी द्वारा अनुशासनिक जाँच में दिनांक 29.02.2016 को अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। श्री त्रिवेदी को कार्यालय आदेश दिनांक 27.05.2016 के द्वारा निलम्बित किया गया था और अब आदेश दिनांक 01.05.2017 के द्वारा उन्हें निलम्बन से बहाल कर उनका पदस्थापन पंचायत समिति, अरथूना में किया गया तथा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष की रिपोर्ट से **यथासमय** इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाँसवाड़ा को दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 08.02.2018 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(155)लोआस/2014

परिवादी श्री प्रभु नारायण जाट से दिनांक 04.08.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, हाथोज (पंचायत समिति, झोटवाड़ा व जिला जयपुर) के सचिव श्री विजय सिंह राठौड़ के सम्बन्ध में यह शिकायत की कि ये गत 10-15 वर्षो से इस ग्राम पंचायत में पदस्थापित हैं एवं ग्रामीणों ने गत 3-4 वर्षो में इनके द्वारा किये गये घोटालों की जाँच हेतु उच्चाधिकारियों से शिकायत की किन्तु आरोपी ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पूर्व विधायक उदय सिंह राठौड़ के पुत्र होने के कारण राजनीतिक दवाब से इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, वहाँ अब इनके विरूद्ध स्वतंत्र जाँच करवाकर सख्त कार्यवाही की जाये।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जयपुर से दिनांक 29.04.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवाद के बिन्दु सं.1 के आरोप को लेकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झोटवाड़ा

द्वारा ग्राम पंचायत, हाथोज के ग्राम सेवक श्री विजय सिंह को एपीओ किया गया। बिन्दु सं.2 के सम्बन्ध में ग्राम सेवक श्री विजय सिंह द्वारा लोक सूचना अधिकारी के रूप में आवेदकों को जानबूझ कर सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाने पर लापरवाही बरतने के आरोप में उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित की गई। बिन्दु सं.3 में वर्णित शिकायत को लेकर श्री विजय सिंह के विरूद्ध जारी किये गये आरोप-पत्र में राज कार्यो में लापरवाही एवं आदेशों की अवहेलना के आरोपों को भी शामिल कर लिया गया तथा बिन्दु संख्या 5 में वर्णित आरोप को लेकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झोटवाड़ा का स्पष्टीकरण आहूत किया गया है।

इसी क्रम में सम्भागीय आयुक्त, जयपुर से दिनांक 17.09.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी ग्राम सेवक श्री विजय सिंह राठौड़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी करना बताया गया जिसे पश्चातवर्ती स्तर पर नियम 16 में परिवर्तित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 30.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, हाथोज (पंचायत समिति, झोटवाड़ा) के तत्कालीन ग्राम सेवक श्री विजय सिंह राठौड़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही में दिनांक 03.10.2016 को पारित आदेश (पृ.सं. 185/सी) के अनुसार उन्हें दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि श्री पराग चौधरी (तत्कालीन विकास अधिकारी) से नोटिस का जवाब प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण उन्हें पुनः नोटिस जारी किया गया है जिसका जवाब अप्राप्त है और जवाब प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही कर प्रगति से अवगत करवा दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्भागीय

आयुक्त, जयपुर से दिनांक 10.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झोटवाड़ा श्री पराग चौधरी से स्पष्टीकरण/जवाब प्राप्त होने के पश्चात् अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहना बताया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.11.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(310)लोआस/2014

परिवादी श्री खंगाराराम से दिनांक 08.10.2014 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, लूणोल (पंचायत समिति, रेवदर जिला सिरोही) की सरपंच श्रीमती ढेली देवी, उसके पति श्री अमराराम और ग्राम सेवक व पटवारी वगैरह के विरूद्ध भ्रष्टाचार व पद के दुरूपयोग एवं विभिन्न अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर से दिनांक 19.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि शिकायत के बिन्दु सं.1 से 3 व 8 को प्रमाणित पाया गया जिसमें ग्राम पंचायत, लूणोल की सरपंच के अलावा तत्कालीन सचिव एवं पटवारी और तहसीलदार द्वारा भी अपने पदीय कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतना और अतिक्रमियों श्री भैराराम वगैरह को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना पाया गया। विभाग से दिनांक 02.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, लूणोल के खसरा सं. 90/200 किस्म गोचर में श्री भैराराम, मफाराम व पूनाराम कुम्हार द्वारा 1700 वर्गफुट भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर किये गये पक्के निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, रेवदर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

की धारा 91 के अधीन प्रकरण सं. 56/2015 दर्ज कर दिनांक 03.11.2015 को पारित निर्णय के अनुसार अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं 50/-रु. जुर्माना आरोपित करने का आदेश जारी किया गया किन्तु उक्त निर्णय/आदेश के विरूद्ध अतिक्रमियों द्वारा अति. जिला कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई और बाद में इस मामले में दिनांक 10.02.2016 को निर्णय पारित कर मामला इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि विवादित खसरा और अपीलार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि (खसरा सं. 67) की उनके खर्चे पर भू-प्रबन्ध विभाग से पैमाइश करवाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

फिर जिला कलक्टर, सिरोही से दिनांक 26.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन तहसीलदार श्री माधोराम पुरोहित के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र आदि उप निबन्धक (जाँच), राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित किये गये हैं।

सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर से दिनांक 01.03.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह भी अवगत करवाया गया कि नायब तहसीलदार, रेवदर के न्यायालय में धारा 91 के अधीन दर्ज प्रकरण सं. 6/2015 के निर्णय दिनांक 03.11.2015 के विरूद्ध अतिक्रमी द्वारा अति. जिला कलक्टर, सिरोही के न्यायालय में दायर अपील सं. 136/2015 में आगामी सुनवाई दिनांक 21.02.2017 को बहस हेतु नियत है।

उपर्युक्त दोनों कार्यवाहियों के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करने के सम्बन्ध में क्रमशः निबन्धक (जाँच), राजस्व मण्डल, अजमेर व सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर को निर्देश दिये गये।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 27.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(390)लोआस/2014

परिवादी श्री प्रदीप कुमार से दिनांक 28.11.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, ब्राह्मणों की सरेरी (भीलवाड़ा) के सरपंच श्री मगनीराम भील द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा आबादी सम्परिवर्तन को लेकर डीएलसी दरों के सम्बन्ध में जारी आदेशों की अवज्ञा करके अपने पुत्रों शांतिलाल, धन्नालाल व रामेश्वर भील के नाम 200-200/-रु. में पट्टे जारी कर राजकोष को लाखों रु. का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। इस मामले में सरपंच के इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार में न होने और उसके पुत्र शांतिलाल के राजकीय सेवा में अध्यापक (लोक सेवक) के रूप में कार्यरत होने से आगामी कार्यवाही की गई।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से दिनांक 11.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, ब्राह्मणों की सरेरी के पूर्व सरपंच मगनी राम भील ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए आराजी सं. 5381/2013 रकबा 2.31 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी में अपने पुत्रों सर्वश्री शांतिलाल, धन्नालाल व रामेश्वरलाल को पुश्तेनी पट्टे दिनांक 05.03.2011 को जारी किये जिनमें विहित प्रावधान एवं प्रक्रिया की पूर्ण पालना नहीं की गई और इसके लिये सम्बन्धित ग्राम सेवक श्री नेमीचन्द शर्मा के उत्तरदायी होने से उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही तथा विधि विरूद्ध जारी पट्टों को निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। फिर दिनांक 08.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि उक्त आशय के चार निगरानी याचिकाएं अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई हैं।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 23.06.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा के दिनांक 09.07.2017 के कार्यालय आदेश के अनुसार ग्राम सेवक श्री नेमीचन्द शर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन लम्बित अनुशासनिक जाँच में उन्हें एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्डित किया गया। उपर्युक्त चारों निगरानी याचिकाओं के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को करवाने का निर्देश जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 12.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(427)लोआस/2014

परिवादी श्री प्रकाश त्रिवेदी से दिनांक 23.12.2014 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, सायला (जालोर) की सरपंच श्रीमती शांति देवी, उप सरपंच श्री मांगीलाल, वार्ड पंच श्री सुमेरमल चौपड़ा एवं ग्राम सेवक श्री अजय पाल चौहान द्वारा पत्र का दुरूपयोग करते हुए सरकारी धन का अपव्यय करने आदि को लेकर जिला कलक्टर, जालोर द्वारा करवाई गई जाँच में उनके दोषी पाये जाने के बावजूद उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं होने से जाँच रिपोर्ट की अनुपालना में कठोर कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर से दिनांक 29.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि दोषी पाये गये श्री अजय पाल (ग्राम सेवक) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के

नियम 16 के अधीन और श्री कुलवंत कालमा (सहायक अभियन्ता) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किये गये हैं। विभाग से दिनांक 24.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सहायक अभियन्ता श्री कुलवंत कालमा के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही में उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक पाये जाने पर उन्हें आरोपों से दोषमुक्त किया गया। इसी क्रम में दिनांक 01.03.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम सेवक श्री अजयपाल को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन दोषी ठहराते हुए उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 24.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि शिकायत में वर्णित श्री पारसमल जैन द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवा दिया गया है और ग्राम पंचायत, सायला द्वारा नियम विरूद्ध जारी चार पट्टों को खारिज करवाने से सम्बन्धित निगरानियां अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालोर के समक्ष लम्बित हैं जिनके अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करवाने बाबत जिला कलक्टर, जालोर को निर्देशित किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 31.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(3)लोआस/2015

परिवादी श्री शेर सिंह से दिनांक 01.04.2015 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, ईशरोदा (जिला अलवर) द्वारा उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन उपलब्ध करवाई गई सूचना में

वर्णित अनुसार सरपंच एवं सचिव द्वारा 4-5 हैण्ड पम्प मौके पर नहीं लगाकर उनके फर्जी बिल तैयार कर विधिविरूद्ध तरीके से भुगतान प्राप्त कर लेने पर इस गबन की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अलवर से दिनांक 01.09.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि हैण्ड पम्पों के सम्बन्ध में विभिन्न अनियमितताएं पाई गई और उन अनियमितताओं के सम्बन्ध में दोषी कार्मिकों की जाँच पंचायत समिति, तिजारा के स्तर पर किये जाने का उल्लेख किया गया। तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 02.06.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन दोषी ग्राम सेवक श्री राकेश भारद्वाज के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी करना बताया गया और दिनांक 31.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित दोषी सरपंच, ग्राम सेवक एवं कनिष्ठ अभियन्ता से कुल 93,751/-रु. वसूल करना अवगत करवाया गया।

विभाग से दिनांक 19.06.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता श्री बृजेन्द्र कुमार नरूका के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन लम्बित अनुशासनिक जाँच कार्यवाही में दिनांक 14.06.2017 के अनुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर को जाँच अधिकारी, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तिजारा को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपर्युक्त दोनों अनुशासनिक जाँचों के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करवाने बाबत सम्बन्धित को निर्देश दिये गये।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 28.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(117)लोआस/2015

परिवादी श्री हरि ओम गुर्जर से दिनांक 24.06.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, मुसईगुजरान जिला बारां की सरपंच श्रीमती कैलाश बाई धाकड़, उसके पुत्र मांगीलाल नागर और पूर्व/वर्तमान सचिव द्वारा विभिन्न विकास कार्यो में अनियमितता व गबन करने पर मामले की जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, बारां से दिनांक 03.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवाद के बिन्दु सं. 23 (सौर ऊर्जा लाइट बाबत) को छोड़कर शेष बिन्दुओं में वर्णित कार्यो के सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं पाई गई और सौर ऊर्जा लाइट के सम्बन्ध में वसूली की कार्यवाही जिला परिषद, बारां के स्तर पर लम्बित है। तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां से दिनांक 21.04.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि उपर्युक्त वसूली के सम्बन्ध में 1,79,300/-रु. में से आज तक ग्राम पंचायत के सचिव से 19,767/-रु. एवं कनिष्ठ अभियन्ता से 10,000/-रु. वसूल किये गये हैं। इसी क्रम में दिनांक 09.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन सरपंच, ग्राम सेवक व कनिष्ठ अभियन्ता से समानुपातिक रूप से कुल 1,79,301/-रु. वसूल कर लिये गये हैं।

विभाग से दिनांक 11.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम सेवक श्री बद्रीलाल पारेता और कनिष्ठ अभियन्ता श्री मुकुट बिहारी नागर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन की गई अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 28.07.2017 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(139)लोआस/2015

परिवादी श्री ईश्वरी प्रसाद शर्मा से दिनांक 08.07.2015 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने ग्राम चितोस (तहसील राजगढ़ व जिला अलवर) में विधायक कोटे से स्वीकृत बोरिंग के जल व विद्युत सम्बन्ध आदि बाबत समस्याओं को लेकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजगढ़ और उपखण्ड अधिकारी को शिकायत करने के बावजूद उनका निराकरण न होने पर समस्या का समाधान करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अलवर से दिनांक 24.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन सरपंच श्री अशोक वर्मा और सचिव श्री गिरधारीलाल सैनी ने रिफॉर्म योजना में बिजली कनेक्शन की उपलब्धता का प्रमाण-पत्र देने पर भी अभी तक बोरिंग को बिजली कनेक्शन से नहीं जोड़ा जाना पाया गया तथा इस सम्बन्ध में सरपंच ने जन सहयोग से 55,000/-रु. प्राप्त करना स्वीकार किया जिसे न तो ग्राम पंचायत कोष में जमा करवाया गया और न ही इसका उपयोग बताया गया, इस कारण यह राशि उनसे वसूली योग्य है। इसी क्रम में जिला कलक्टर, अलवर से दिनांक 02.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि पूर्व सरपंच श्री अशोक वर्मा द्वारा वसूल की गई उक्त राशि दिनांक 20.06.2016 की रसीद के अनुसार जलप्रदाय संस्था को लौटा दी गई है। दिनांक 27.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह भी अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, भजेड़ा द्वारा राजकीय स्कूल के पास स्थित बोरिंग (एमएलए लेड) को विद्युत कनेक्शन से जोड़ने के लिये विद्युत विभाग के पास 76,080/-रु.

जमा करवा दिये गये है और दिनांक 08.02.2017 की रिपोर्ट के अनुसार उपर्युक्त बोरिंग में विद्युत कनेक्शन करवा दिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से दिनांक 03.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन ग्राम सेवक श्री गिरधारीलाल सैनी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन की गई कार्यवाही में उसे दोषी मानते हुए भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की हिदायत देकर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय लिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 26.05.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(157)लोआस/2015

परिवादी श्री चन्दूलाल मीणा से दिनांक 15.07.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, जामड़ोली (जिला अलवर) के विकास कार्यो में फर्जीवाड़ा करने पर उन कार्यो की उचित जाँच करवाकर दोषियों को दण्डित करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से दिनांक 01.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवाद की जाँच कार्यालय द्वारा गठित कमेटी द्वारा की गई जिसकी रिपोर्ट के अनुसर शिकायत में वर्णित बिन्दु सं.5, 8 एवं 9 पर अंकित कार्यो को छोड़कर शेष सभी कार्य मौके पर करवाना पाये गये। ग्राम पंचायत द्वारा बिन्दु सं.5 पर अंकित कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया और उस पर कोई राशि व्यय भी नहीं होना पाया गया। बिन्दु सं.8 व 9 पर अंकित कार्यो पर राशि व्यय होना पाया गया लेकिन मौके पर कार्य होना नहीं पाये गये। बिन्दु सं.13 में अंकित क्रम सं.1 को छोड़कर

शेष 2 कार्य निजी खातेदारी की भूमि में होना पाये गये तथा तत्कालीन ग्राम सेवक नरेन्द्र कुमार शर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही की जा रही है।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 22.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन दोषी ग्राम सेवक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा से 29,927/-रु. की वसूली कर ली गई है और उनके विरूद्ध आरोप-पत्र भी जारी कर दिया गया। फिर दिनांक 30.5.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि इस मामले में दोषी सचिव श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें लिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित किया गया है एवं पेयजल टंकी की भूमि से सम्बन्धित खातेदारों द्वारा दान-पत्रों के पंजीयन व म्यूटेशन के लिये ऋण के चुकता होते ही भूमि का राज्य सरकार के नाम नामान्तकरण किये जाने का प्रमाण पत्र ले लिया गया है और इस कार्यवाही की त्रैमासिक स्तर पर प्रगति रिपोर्ट आहूत की जा रही है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 12.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(161)लोआस/2015

परिवादी श्री जीवनराम मेघवाल से दिनांक 17.07.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, जीजोट (पंचायत समिति, कुचामन सिटी व जिला नागौर) के सरपंच, ग्राम सचिव, रोजगार लिपिक एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिनांक 01.07.2015 से 15.07.2015 के मस्टररोल में मनरेगा कार्यो में भ्रष्टाचार कारित करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, नागौर से दिनांक 01.12.2015 को प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि कार्यकारी एजेन्सी, ग्राम पंचायत, जीजोट के ग्राम सेवक, सरपंच व कनिष्ठ तकनीकी सहायक को दोषी माना गया। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, नागौर से 30.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम सेवक श्री राम निवास के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया। दिनांक 02.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की जाँच में उत्तरदायी कार्मिक श्री अमर सिंह मीणा (कनिष्ठ तकनीकी सहायक) को पर्यवेक्षणीय लापरवाही एवं अनाधिकृत स्थान पर मनरेगा में कार्य होने व तदुपरान्त उसके माप का भुगतान करवाने का दोषी पाये जाने पर दिनांक 28.10.2016 के आदेशानुसार आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर दोषी ग्राम सेवक श्री राम निवास के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश जिला कलक्टर, नागौर को देते हुए पत्रावली दिनांक 22.05.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(225)लोआस/2015

परिवादी श्री अजीत सिंह से दिनांक 26.08.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने यह उल्लेख किया कि ग्राम पंचायत, राजियासर मीठा के पूर्व सरपंच श्री केसर सिंह के विरूद्ध सरकारी धनराशि का गबन कर लेने की शिकायत विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सुजानगढ़ को की थी जिन्होंने सरपंच व उसके पुत्र राजेन्द्र सिंह को बचाने के लिये झूठी व कूटरचित जाँच रिपोर्ट तैयार कर पुलिस थाना, सालासर को भेज दी की कि उन्होंने कोई गबन नहीं किया है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, चूरू से दिनांक 24.11.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि जल ग्रहण कूप मेघवालों के मौहल्ला, राजियासर मीठा में निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में जल ग्रहण कूप का निर्माण स्वीकृति के अनुरूप नहीं करने एवं सामग्री क्रय व भुगतान करने में वित्तीय अनियमितता हेतु ग्राम पंचायत, राजियासर मीठा के पूर्व सरपंच श्री केशरी सिंह एवं पूर्व ग्राम सेवक श्री भँवर सिंह और पंचायत समिति, सुजानगढ़ के कनिष्ठ अभियन्ता श्री मोहनलाल को दोषी मानते हुए कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र में अंकित राशि (1,69,951/-रु.) समानुपातिक रूप से दोषी सरपंच/कर्मचारियों से वसूली योग्य बताई गई है तथा इसके सम्बन्ध में दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू को निर्देशित किया गया।

विभाग से दिनांक 01.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम सेवक श्री भँवर सिंह शेखावत के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया तथा कनिष्ठ अभियन्ता श्री मोहनलाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं वसूली को लेकर जिला कलक्टर, चूरू के न्यायालय में पीडीआर प्रकरण सं. 36/2016 लम्बित है और मामले में त्रैमासिक स्तर पर उक्त कार्यवाहियों की आगामी प्रगति रिपोर्ट जिला कलक्टर, चूरू से आहूत करते हुए इस परिवाद को दिनांक 20.09.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

तत्पश्चात् इस मामले में जिला कलक्टर, चूरू से दिनांक 14.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी ग्राम सेवक श्री भँवर सिंह को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन असंचयी प्रभाव से एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया यानी इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित उपचार उपलब्ध हो गया।

एफ.12(275)लोआस/2015

परिवादी श्री रामचन्द्र से दिनांक 09.09.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, खांटा (तहसील, रायसिंह नगर व जिला श्रीगंगानगर) के तत्कालीन ग्राम सेवक श्री विजय भूषण पाहवा द्वारा पट्टा सं. 4043 दिनांक 30.09.2004 एवं 4044 दिनांक 30.09.2004 और प्लॉट सं. 11 व 12 के रास्ते के सम्बन्ध में दिनांक 27.09.2011 को मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामलों में अपने पद का दुरूपयोग करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से दिनांक 21.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन सरपंच श्री बालूराम एवं सचिव श्री विजय भूषण पाहवा द्वारा शिकायत में वर्णित दो पट्टे जारी करने में नियमानुसार प्रक्रिया नहीं अपनाई गई जिसके लिये वे दोषी हैं। इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 09.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि तत्कालीन सचिव श्री विजय भूषण पाहवा (वर्तमान में पंचायत प्रसार अधिकारी) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर उनसे स्पष्टीकरण चाहा गया है।

इसी क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से दिनांक 16.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, खांटा द्वारा नियम विरूद्ध जारी पट्टों के निरस्तीकरण हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष निगरानी सं. 27/2016 दर्ज करवा दी गई है।

ऐसे में परिवाद का निराकरण हो जाने से उपर्युक्त दोनों कार्यवाहियों में समय लगने की सम्भावना हो देखते हुए विभाग से इनके अंतिम निष्कर्ष

की रिपोर्ट आहूत करते हुए यह परिवाद दिनांक 05.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(323)लोआस/2015

परिवादी श्री महेन्द्र भाखर से दिनांक 29.09.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने दौलतराम वगैरह द्वारा उसके विरूद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के समक्ष गली सकरी करने एवं अवैध निर्माण के नाम पर किये गये परिवाद में ग्राम पंचायत, मोरजण्डी खारी के ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री राम कुमार जाट द्वारा उसके आबाद मकान को तुड़ाने के दुराशय से झूठी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 01.07.2015 को थानाधिकारी, सादुलशहर को प्रस्तुत करने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से दिनांक 18.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले की जाँच पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा की गई जिन्होंने अपनी जाँच रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि ग्राम पंचायत का नया नक्शा नियमानुसार नहीं बनाये जाने एवं पट्टा बनाते समय नियमों की पालना नहीं करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.04.2008 को जारी जोहड़ का पट्टा अवैध पाया गया तथा इसी कारण परिवादी का गली में अवैध कब्जा साबित नहीं होता है। ऐसे में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर को उपर्युक्त पट्टा खारिज करवाने हेतु आगामी कार्यवाही करने एवं परिवादी को परेशान नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया। जाँच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री राम कुमार जाट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सादुलशहर श्री भँवरलाल स्वामी के मौखिक निर्देशन की पालना में तैयार की गई थी जिसमें उनके द्वारा कोई पैमाइश नहीं की गई थी और न ही

किसी से इस बारे में पूछा गया था। यह भी बताया गया था कि उस रोज उनकी तबियत खराब थी और यदि वे पैमाइश करके रिपोर्ट करते तो सही रिपोर्ट करते।

इसी क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से दिनांक 10.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, मोरजण्डखारी के तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री रामकुमार जाट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई और ग्राम मोरजण्डखारी के जोहड़ के पट्टे खारिज करने के सम्बन्ध में सचिव, ग्राम पंचायत, मोरजण्डखारी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष निगरानी दर्ज करवा दी गई। तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 16.01.2017 प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, मोरजण्ड खारी के ग्राम सेवक श्री राम कुमार जाट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही को पंचायत समिति, सादुलशहर के कार्यवाहक विकास अधिकारी (सहायक अभियन्ता) श्री जगवीर रमाणा द्वारा गलत तौर से समाप्त कर देने पर उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र तैयार कर इसकी अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से निवेदन किया गया।

विभाग से दिनांक 23.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, मोरजण्डखारी के जोहड़ के पट्टे को खारिज करने के सम्बन्ध में सचिव द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी याचिका में दिनांक 30.01.2017 को पारित निर्णय के अनुसार प्रश्नगत पट्टा दिनांक 05.04.2008 को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत को इस निर्देश के

साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 1996 के नियम 162 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करें। इसी सन्दर्भ में दोषी लोक सेवक श्री जगवीर रमाणा (कार्यवाहक विकास अधिकारी) के विरूद्ध दिनांक 03.03.2017 को पुनः नोटिस जारी कर उन्हें सात दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने निर्देशित किया जाना अववगत करवाया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 02.08.2017 को संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.-1), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि कार्यवाहक विकास अधिकारी श्री जगवीर रमाणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन जारी आरोप-पत्र में उनके द्वारा प्राप्त जवाब का परीक्षण किया जा रहा है जिसके अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को **यथासमय** अवगत करवाने का निर्देश विभाग को दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 22.08.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(358)लोआस/2015

परिवादी श्री राजूलाल शर्मा से दिनांक 05.10.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, किरावल (जिला टोंक) के विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच के सहयोग से गत पाँच वर्षो में केन्द्र व राज्य सरकार की जनहित योजनाओं में 52,00,000/-रु. का भ्रष्टाचार करने पर मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 05.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, किरावल के सरपंच व सचिव द्वारा सरकारी योजनाओं में अनियमितता कारित कर सरकारी योजनाओं एवं पट्‌टे जारी करने की प्रक्रिया में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 की अवहेलना/अनियमितता कारित करना पाया गया। तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक से दिनांक 20.06.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि तत्कालीन सचिव श्री हरि नारायण बैरवा की पदोन्नति पंचायत प्रसार अधिकारी के पद पर होने से इस मामले की जाँच रिपोर्ट के आधार पर आरोप-पत्र तैयार कर शासन उप सचिव (प्रशा.-1) को दिनांक 15.03.2016 को भिजवाया गया है और राशि वसूली हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मालपुरा को निर्देशित किया गया।

विभाग से दिनांक 11.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि तत्कालीन सचिव श्री हरि नारायण बैरवा के वेतन से 52,000/-रु. एवं शेष राशि 31,210/-रु. चैक के माध्यम से वसूल किये गये और कुल 83,210/-रु. राजकोष में जमा किये गये। शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 30.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, किरावल के तत्कालीन ग्राम सेवक श्री हरि नारायण बैरवा (हाल पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, मालपुरा, जिला टोंक) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया जिस पर उन्हें उपर्युक्त जाँच के अंतिम निष्कर्ष से यथासमय इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.12.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(362)लोआस/2015

परिवादी श्री खेतीलाल पटेल से दिनांक 07.10.2016 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने पंचायत समिति, सराड़ा (उदयपुर) के विकास अधिकारी के विरूद्ध पद के दुरूपयोग के आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 23.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि स्वयं परिवादी के बयान से उससे विकास अधिकारी द्वारा 50 हजार रु. मांगे जाने की पुष्टि नहीं हुई है किन्तु ग्राम पंचायत, चावण्ड द्वारा पट्टे जारी करने में सावधानी नहीं बरतने के कारण 5 पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही करनी पड़ी जिससे पट्टेधारियों को अनावश्यक असुविधा एवं आर्थिक हानि हुई और इसके लिये तत्कालीन सरपंच व ग्राम सचिव उत्तरदायी हैं। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सराड़ा द्वारा न्यायालय में भूमि सम्बन्धी वाद को अनदेखा कर राजस्थान सम्पर्क पर भ्रामक एवं असत्य सूचनाएं देने के कारण परिवादी खेतीलाल पटेल गुमराह हुआ, इस कारण वह इस सचिवालय में शिकायत करने हेतु मजबूर हुआ।

विभाग से दिनांक 13.06.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विकास अधिकारी श्री महेश कुमार मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। दिनांक 13.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, चावण्ड के ग्राम

सेवक श्री राजेन्द्र कुमार ज्वाला और वासुदेव चौबिसा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन अनुशासनिक जाँच कार्यवाही में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सराड़ा द्वारा पारित आदेशों के अनुसार उनकी एक-एक वर्ष की वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 01.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(397)लोआस/2015

परिवादी श्री भगवान दास कुमावत (पूर्व सरपंच) से दिनांक 30.10.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने अपने कार्यकाल वर्ष 2010-15 में ग्राम पंचायत, बाप (जिला जोधपुर) में करवाये गये कार्यो का बकाया भुगतान करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से दिनांक 30.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, बाप के ग्राम सेवक श्री पदमाराम व सरपंच श्री भगवान दास कुमावत (परिवादी) द्वारा सम्बन्धित फर्मो के बिल नहीं होने के उपरान्त भी 5,05,985/-रु. का भुगतान अनाधिकृत फर्मो को करना पाया गया जो कि श्रमिकों को किया जाना था। साथ ही यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, बाप द्वारा जिन कार्यो का निर्माण कार्य करवाया गया, उनके यूसी/सीसी पंचायत के समक्ष लम्बित न होने से उनका भुगतान सम्बन्धित फर्मो को करना बकाया पाया गया।

फिर दिनांक 29.12.2016 को विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री भगवान दास कुमावत के 51,965/-रु. के भुगतान की कार्यवाही प्रगतिरत है और तत्कालीन ग्राम

सेवक श्री पदमाराम के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही जारी होकर नोटिस दिया गया है। दिनांक 07.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री भगवान दास के कार्यकाल के कार्यो की यूसी/सीसी जारी होकर निर्माण कार्य की सामग्री पेटे 51,965/-रु. का भुगतान मै. के.एस. कन्सट्रक्शन कम्पनी को दिनांक 01.02.2017 को करना बताया गया और दिनांक 30.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन ग्राम सेवक श्री पदमाराम के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही को नियम 17 में परिवर्तित करते हुए दिनांक 17.04.2017 के कार्यालय आदेश के अनुसार उन्हें दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 01.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(412)लोआस/2015

परिवादी श्री जवानलाल गमेती से गोगुन्दा कैम्प में दिनांक 02.11.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, चाटियाखेड़ी (तहसील गोगुन्दा व जिला उदयपुर) के ग्राम सेवक व रोजगार सहायक एवं पंचयत समिति, गोगुन्दा के कनिष्ठ अभियन्ता और ग्राम सेवक सहकारी समिति, गोगुन्दा के व्यवस्थापक द्वारा दिनांक 16.06.2009 से दिनांक 30.12.2010 की अवधि में मौखी से आंबा खादरा तक सम्पर्क सड़क बनाने के नाम पर 4,65,482/-रु. का गबन करने पर मामले की जाँच करवा कर उनसे यह राशि वसूलने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, उदयपुर से दिनांक 08.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवाद की जाँच के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट अनुसार मौखी से आम्बा खादरा की सम्पर्क सड़क का कार्य मौके पर होना पाया गया किन्तु माप-पुस्तिका एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र में दर्शायी गई सामग्री का उपयोग साबित नहीं हो सका और माप-पुस्तिका में गलत इन्द्राज हेतु सम्बन्धित तकनीकी सहायक श्री बृजेश एवं गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सरपंच श्री धुलाराम, सचिव श्री सत्यनारायण, तकनीकी सहायक श्री देवेन्द्र राव व सहायक अभियन्ता चन्द्रेश अग्रवाल को उत्तरदायी बताया गया।

यह भी अवगत करवाया गया कि उपयोग में नहीं ली गई सामग्री क्रय कर 55,900/-रु. के भुगतान हेतु ग्राम सचिव श्री सत्यनारायण त्रिवेदी जवाबदेह है और उक्त अनियमितता में सामूहिक भागीदारी तय कर सामग्री मद में व्यय की गई राशि 1,84,896/-रु. उत्तरदायी कार्मिकों से वसूली योग्य है।

जिला कलक्टर, उदयपुर से दिनांक 28.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से प्राप्त पत्र के अनुसार इस मामले में जाँच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोगुन्दा को लिखा गया जिन्होंने ग्राम पंचायत, चाटियाखेड़ी के तत्कालीन सरपंच धूलाराम वगैरह के विरूद्ध पुलिस थाना, गोगुन्दा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 192/2016 पंजीबद्ध करवाई गई है। विभाग से दिनांक 22.03.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले में सहायक अभियन्ता श्री चन्द्रेश अग्रवाल एवं श्री सत्यनारायण त्रिवेदी और तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव एक से अधिक दोषी कार्मिक होने से उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु मामला राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 18 के

अधीन दिनांक 31.01.2017 के पत्र के अनुसार शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित किया गया।

जिला कलक्टर, उदयपुर से दिनांक 15.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा सिविल रिट याचिका सं. 8662/2016 बउनवान सत्य नारायण त्रिवेदी बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 05.08.2016 और एकल पीठ सिविल रिट याचिका सं. 5099/2016 बउनवान चन्द्रेश अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 16.05.2016 को पारित आदेशों के अनुसार प्रश्नगत वसूली कार्यवाही को स्थगित किया गया।

विभाग से दिनांक 26.10.2017 को प्राप्त के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि सहायक अभियन्ता श्री चन्द्रेश अग्रवाल और तत्कालीन ग्राम सेवक श्री सत्यनारायण त्रिवेदी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर दिया गया जिस पर विभाग को उक्त जाँच कार्यवाही की आगामी प्रगति रिपोर्ट से **यथासमय** इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 31.10.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(416)लोआस/2015

परिवादी श्री खुमाणी लाल से गोगुन्दा कैम्प में दिनांक 02.11.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, चाटियाखेड़ी (तहसील गोगुन्दा व जिला उदयपुर) में उनके द्वारा अगस्त, 2014 में संविदा पर किये गये सड़क निर्माण कार्य की शेष राशि 20,000/-रु. का भुगतान

सम्बन्धित ग्राम सेवक श्री हरि मोहन सक्सैना द्वारा नहीं करने पर उन्हें उक्त भुगतान करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से दिनांक 04.05.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोगुन्दा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार एसएफसी रोकड़ पुस्तिका वर्ष 2014-15 का निरीक्षण करने पर पाया गया कि इसमें वर्णित सी.सी. रोड़ पर लगे श्रमिकों के भुगतान पेटे रोकड़ पुस्तिका के पृ.सं. 08 पर दिनांक 20.10.2014 को परिवादी श्री खमाणा गमेती को चैक सं. 140974 द्वारा 25,000/-रु. के श्रमिक भुगतान हेतु अग्रिम भुगतान किया गया जो नियमानुसार अनुचित है। ग्राम पंचायत के समस्त भुगतान सरपंच व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किये जाते हैं किन्तु उपर्युक्त कार्य के दोनों चैकों की प्रविष्टियों पर सरपंच के प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं केवल सरपंच की मुहर लगी हुई है जो नियमानुसार अनुचित है। उक्त जाँच में सामने आये तथ्यों के आधार पर तत्कालीन ग्राम सेवक श्री हरि मोहन सक्सेना और तत्कालीन सरपंच (श्री धूलाराम) जिम्मेदार हैं जिनके विरूद्ध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोगुन्दा के स्तर पर कार्यवाही (वसूली) की जा रही है तथा इसी क्रम में दिनांक 24.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी पाये गये तत्कालीन ग्राम सेवक श्री हरि मोहन सक्सैना को निलम्बित बताकर उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित होना अवगत करवाया गया।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 21.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि हरि मोहन सक्सैना द्वारा परिवादी श्री खुमाणीलाल को शेष भुगतान राशि 20,000/- रू. का भुगतान कर दिया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर को दोषी ग्राम सेवक श्री हरि मोहन सक्सेना के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक

कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करने का निर्देश दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 21.12.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(471)लोआस/2015

परिवादीगण श्रीमती राजकुमारी (सरपंच) एवं श्रीमती संगीता शर्मा (उप सरपंच) से दिनांक 15.12.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, बहरामदा (पंचायत समिति, नदबई, जिला भरतपुर) के मनरेगा कार्यो एवं सरकारी भूमि के अतिक्रमण की जाँच रिपोर्ट में दोषी पाये गये तत्कालीन रोजगार सहायक (हाल कनिष्ठ लिपिक) श्री देवेन्द्र मीणा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नदबई, भरतपुर से दिनांक 30.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, बहरामदा की जाँच रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन रोजगार सहायक श्री देवेन्द्र मीणा से कुल 87,360/-रु. की राशि ब्याज सहित वसूल की गई। तत्पश्चात् उपर्युक्त कार्मिक रोजगार सहायक के पद पर न होकर कनिष्ठ लिपिक के पद पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर के अधीन कार्यरत होने से विभाग से दिनांक 17.04.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि श्री मीणा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर को पत्र लिखा गया है और यह कार्यवाही उनके स्तर पर की जानी है। तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से दिनांक 05.10.2017 को

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, माधोगढ़ (पंचायत समिति, उमेरण) के कनिष्ठ लिपिक श्री देवेन्द्र मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया है जिसके अंतिम निष्कर्ष से यथासमय इस सचिवालय को अवगत करवाने के सम्बन्ध में विभाग को निर्देश दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 16.10.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(473)लोआस/2015

परिवादी श्री श्योकरण से दिनांक 16.12.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, गैरोली (पंचायत समिति, देवली, जिला टोंक) की सचिव राधारानी द्वारा मजदूरों को करीब एक वर्ष होने पर भी भुगतान नहीं करने एवं 5 प्रतिशत राशि की रिश्वत मांगने पर पूरे मामले की जाँच करवाकर दोषी कर्मचारी को दण्डित एवं मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक से दिनांक 09.05.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि श्रमिकों के विभिन्न भुगतान के विलम्ब हेतु ग्राम पंचायत, गैरोली के तत्कालीन सरपंच श्री ओम सिंह खुर्राट उत्तरदायी हैं और तत्कालीन सचिव श्री कैलाश बैरवा (हाल कनिष्ठ लिपिक) की भी लापरवाही रही है। वर्तमान में दोहरे नामों के भुगतान के अलावा सभी श्रमिकों का भुगतान हो चुका है और वर्तमान सचिव राधारानी द्वारा रिश्वत मांगने बाबत कोई साक्ष्य नहीं मिली है।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 09.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में दोषी पाये गये श्री कैलाश चन्द बैरवा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही की जाकर उन्हें एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 21.04.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(524)लोआस/2015

परिवादी श्री धमेन्द्र कुमार से दिनांक 13.01.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, सीमली (जिला बारां) के ग्राम सांकली में हुए नव निर्मित सीसी रोड़ मय नाली के निर्माण की गुणवत्ता की जाँच अपने सामने करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां से दिनांक 07.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, सीमली (बारां) के निर्माण कार्यो की जाँच विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बारां से करवाई गई और उनकी जाँच रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन सरपंच, ग्राम सेवक एवं कनिष्ठ अभियन्ता के विरूद्ध 21,77,505/-रु. की वसूली प्रस्तावित की गई जिसमें से 11,21,938/-रु. की राशि वसूली कर ली गई और शेष वसूली कार्यवाही जारी है। इस मामले में पुलिस थाना सदर, बारां में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई और मामले से सम्बन्धित सारा अभिलेख अनुसन्धानकर्ता को उपलब्ध करवा दिया गया है। जिन दोषी कार्मिकों द्वारा अब तक वसूली राशि जमा नहीं करवाई गई, उनके विरूद्ध आरोप-पत्र जारी कर दिये गये।

विभाग से दिनांक 11.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि कुल वसूली योग्य राशि 21,77,505/-रु. में से श्री कमल किशोर बैरवा से 3,29,732/-रु., बृजेश यादव से 4,39,820/-रु., श्रीमती कृष्णा पाठक से 2,86,015/-रु. एवं श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव से 3,96,103/-रु. यानी कुल 14,51,670/-रु. वसूल किये गये और पूर्व सरपंच श्री दया कृष्ण नागर से 7,25,835/-रु. वसूल किये जाने हैं जिसके सम्बन्ध में प्रक्रिया जारी है। इस मामले में पीएस, बारां सदर में प्र.सू.रि. सं. 172/2016 पंजीबद्ध करवाई गई और दोषी कार्मिक श्री कमल किशोर बैरवा (तत्कालीन ग्राम सेवक) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 28.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि पूर्व सरपंच श्री दया कृष्ण नागर से 7,25,835/-रु. वसूल कर राजकोष में जमा कर लिये गये। इस प्रकार से इस मामले में कुल 21,77,505/-रु. की वसूली की गई।

विभाग से दिनांक 10.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि दोषी कार्मिकों श्री बृजेश यादव एवं श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी किये गये हैं। उपर्युक्त चारों दोषी कार्मिकों श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, श्री कमल किशोर बैरवा, श्री बृजेश यादव एवं श्रीमती कृष्णा पाठक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को **यथासमय** अवगत करवाने का निर्देश विभाग को दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 15.11.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(525)लोआस/2015

परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह यादव से दिनांक 12.01.2016 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने पंचायत समिति, बहरोड़ के पंचायत प्रसार अधिकारी श्री केवल कृष्ण माण्र्डेया की कत्तव्यहीनता, निष्क्रियता व दायित्वहीनता को लेकर उन्हें राजकीय सेवा से मुक्त कर उनसे वसूली करने की प्रार्थना की तथा ग्राम पंचायत, महाराजावास की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों की बनाई गई सूची को गलत बताते हुए अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाकर दोषी लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से दिनांक 05.07.2016 व 31.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार अवगत करवाया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुपालना में दिनांक 20.09.2013 को ग्राम पंचायत, महाराजावास की आयोजित ग्राम सभा की बैठक गणपूर्ति के अभाव में आयोजित कर उसमें निर्णय आम सहमति से लेने का उल्लेख किया गया और दिनांक 01.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपर्युक्त कार्यवाही हेतु तत्कालीन ग्राम सेवक श्री केवल कृष्ण कुमार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर देना अवगत करवाया गया जिसके अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(577)लोआस/2015

परिवादी श्री दिनेश कुमार सैनी से दिनांक 03.02.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, थोई (तहसील, श्रीमाधोपुर व जिला सीकर) के तत्कालीन सरपंच के द्वारा पंचायत के सार्वजनिक भूखण्ड (85x133 फुट) के सम्बन्ध में फर्जी अनापत्ति प्रमाण-पत्र पवन कुमार व अन्य के पक्ष में जारी करके उसके आधार पर तत्कालीन तहसीलदार से साँठ-गाँठ कर इसके विक्रय विलेख का पंजीयन पवन कुमार वगैरह के पक्ष में करवाने और कृषि भूमि पर अवैध तरीके से आवासीय पट्टे जारी कर भ्रष्टाचार कारित करने तथा पश्चातवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, खण्डेला के प्रधान द्वारा भी उक्त फर्जीवाड़े को वैध ठहराने पर मामले की उच्च स्तरीय जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, जयपुर से दिनांक 11.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, सीकर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड स्वामी द्वारा 8 फीट अतिक्रमण किया जाना पाया गया जिसे हटवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर को निर्देशित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर विक्रय-पत्र का पंजीयन करने एवं आवासीय दर से स्टाम्प शुल्क लेने के बाद मौके पर दुकानों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित उप पंजीयक, अजीतगढ़ के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर, सीकर के द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर को निवेदन किया गया है।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 22.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि जाँच दल की जाँच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, थोई के तत्कालीन सरपंच द्वारा पवन कुमार वगैरह के पक्ष में दिनांक 10.01.2014 को बिना किसी नियमों के एवं अपने क्षेत्राधिकार के

बाहर जाकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया और दिनांक 27.10.2015 को जारी निर्माण स्वीकृति भी पर्याप्त अभिलेख के अभाव में जारी की गई है जो दूषित है। तत्पश्चात् दिनांक 02.06.2017 को जिला कलक्टर, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के क्रेता श्री ओम प्रकाश द्वारा अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमाधोपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थगन दिनांक 26.08.2016 को प्राप्त किया हुआ है, इस कारण इस मामले में आगामी कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही किया जाना युक्तिसंगत होगा। दिनांक 22.08.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि इस मामले की जाँच में दोषी पाये गये उप पंजीयक, अजीतगढ़ श्री सुभाष चन्द (तत्कालीन तहसीलदार, श्रीमाधोपुर) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र आदि निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित किये गये। इसी क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, थोई के पूर्व सचिव श्री नेकीराम के विरूद्ध बिना स्वामित्व निर्धारण के स्वीकृति जारी करने के कारण राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया। उक्त दोनों विभागों को यथासमय उक्त जाँच के निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश दिया गया।

प्रश्नगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं निर्माण स्वीकृति व भूखण्ड को लेकर सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन होने से जिला कलक्टर, सीकर से तत्कालीन तहसीलदार, श्रीमाधोपुर (उप पंजीयक, अजीतगढ़) श्री संजय कुमार हाल तहसीलदार, पदमपुर के विरूद्ध की जा रही स्पष्टीकरण कार्यवाही की प्रगति से इस सचिवालय को अवगत करवाने बाबत सूचना **त्रैमासिक** स्तर पर आहूत की जा रही है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 23.01.2018 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(589)लोआस/2015

परिवादी श्री राम नारायण चौधरी से दिनांक 11.02.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने मनरेगा की जाँच में अनियमितता व गबन के दोषी पाये गये संविदाकर्मी एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक के विरूद्ध मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर द्वारा संविदा नियमों के अधीन कार्यवाही नहीं कर अपने पद का दुरूपयोग करने पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में आयुक्त (मनरेगा), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 04.05.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर द्वारा दोषी पाये गये कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री भानाराम ग्वाला के मामले में उनके विरूद्ध गंभीर अपराध प्रमाणित नहीं होने पर मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के अधीन उन पर 1,000/-रु. का जुर्माना लगाकर उन्हें पंचायत समिति, भोपालगढ़ से अन्यत्र पदस्थापित किया गया है। तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 10.06.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, खांगटा के ग्राम सेवक श्री रामनिवास प्रजापत के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और ग्राम सेवक श्री रामनिवास कुम्हार से 5,000/-रु., कनिष्ठ तकनीकी सहायकों श्री राम निवास पांगा से 5,000/-रु. एवं श्री राजेश कुमार मीणा से 5,000/-रु. वसूल किये गये हैं।

इसी क्रम में जिला कलक्टर, जोधपुर से दिनांक 02.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि इस मामल में दोषी कार्मिकों सर्वश्री रामनिवास प्रजापत, रामनिवास पांगा व राजेश कुमार मीणा से कुल 55,000/-रु. की वसूली कर ली गई है एवं शेष वसूली कार्यवाही जारी है किन्तु तत्पश्चात् इस वसूली के सम्बन्ध में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है।

जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, जोधपुर से दिनांक 17.04.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, खांगटा के तत्कालीन ग्राम सेवक श्री राम निवास प्रजापत के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के मामले में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बिलाड़ा द्वारा निर्धारित समयावधि में जाँच रिपोर्ट प्रेषित नहीं करने पर उपर्युक्त पद पर कार्यरत अधिकारियों श्री कंवर लाल सोनी, श्री भगवानराम खोजा, सुश्री चिदम्बरा परमार एवं श्रीमती मृदुला शेखावत के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किये गये और इनके अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करवाने के सम्बन्ध में विभाग को निर्देश दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर उपर्युक्त विभागीय जाँच कार्यवाहियों के अंतिम निष्कर्ष की सूचना विभाग से आहूत करते हुए पत्रावली दिनांक 18.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(7)लोआस/2016

परिवादी श्री आसूराम चौधरी से दिनांक 05.04.2016 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, भीण्डे का पार (पंचायत समिति, रामसर व

जिला बाड़मेर) के राजस्व ग्राम सरीफ की ढाणी की गावाईनाड़ी में कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री आरीफ खान द्वारा फर्जी तरीके से मस्टररोल भर कर फर्जीवाड़ा करके 1,43,952/-रु. का भुगतान करने पर मामले की उच्च स्तरीय जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, बाड़मेर से दिनांक 04.10.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, भीण्डे का पार के ग्राम सरीफ की ढाणी की नाड़ी की खुदाई में दिनांक 26.11.2015 से 10.12.2015 तक के पखवाड़े में मौके पर कोई कार्य नहीं होने के कारण उक्त पखवाड़े का भुगतान शून्य किया गया। उपर्युक्त पखवाड़े में मौके पर कोई कार्य नहीं होने के कारण मेट द्वारा मस्टररोलों पर श्रमिकों की फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के कारण मेट को ब्लेक लिस्टेड करने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रामसर को निर्देश दिये गये। मस्टररोल पर भुगतान राशि अंकित करने एवं भुगतान आदेश बनाने आदि का कार्य सम्बन्धित ग्राम सेवक द्वारा किये जाने पर उसके विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 10.04.2001 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मेट अमीन खान को ब्लेक लिस्टेड कर देना और ग्राम सेवक श्री दिलीप सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी करना अवगत करवाया गया जिसके अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करवाने हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, बाड़मेर को निर्देशित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(19)लोआस/2016

परिवादी श्री मनोज जाट से दिनांक 12.04.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, सरसड़ी (पंचायत समिति, केकड़ी, जिला अजमेर) के सरपंच व सचिव द्वारा मनरेगा के विभिन्न कार्यो में नियमों के विपरीत मनमानीपूर्वक घटिया निर्माण कार्य करवाकर राज्य सरकार को लाखों रु. का चूना लगाने पर आवश्यक जाँच के पश्चात् उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर से दिनांक 01.09.2016 को प्राप्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले की जाँच में परिवादी श्री मनोज जाट व अन्य द्वारा की गई शिकायत सही पाई गई और ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की जा रही थी जिसके लिये सरपंच अर्जुनलाल गुर्जर और कनिष्ठ लिपिक सुश्री बालाकुमारी व ग्राम सेवक श्री विनोद कुमार सैन को जेसीबी से कार्य करवाने एवं मस्टररोल में मनमर्जी करने का दोषी और जेटीए श्री दीनदयाल एवं पंचायत प्रसार अधिकारी श्री सीताराम मीणा को पर्यवेक्षणीय उदासीनता का दोषी माना गया है।

तत्पश्चात् विभाग से 13.10.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले में दोषी पाये गये श्री सीताराम मीणा, श्री विनोद कुमार सैन एवं सुश्री बालाकुमारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किये गये हैं और कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री दीन दयाल के विरूद्ध मनरेगा अधिनियम की धारा 91 के अधीन कार्यवाही हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, अजमेर को निवेदन किया गया है। फिर दिनांक 11.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि विकास एवं कार्यक्रम

अधिकारी, पंचायत समिति, केकड़ी के दिनांक 07.12.2016 के कार्यालय आदेशानुसार परिवादी श्री मनोज जाट (मेट) को कार्य से हटाया जाकर ब्लेक लिस्ट कर दिया गया है और दोषी कार्मिकों सुश्री बालाकुमारी व विनोद कुमार सैन को भविष्य में दुबारा गलती नहीं दोहराने की चेतावनी देने के दण्ड से दण्डित करा दिया गया है। विभाग से दिनांक 03.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी पंचायत प्रसार अधिकारी श्री सीताराम मीणा को भी अभिलिखित चेतावनी के दण्ड से दण्डित करना बताया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 12.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(107)लोआस/2016

परिवादी श्री लल्लूराम यादव से दिनांक 30.05.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, भौंकर (जिला अलवर) द्वारा वर्ष 2011-14 की अवधि में करवाये गये निर्माण कार्यो की जाँच सम्बन्धित जाँच अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष तौर से नहीं करने पर अब निष्पक्ष अधिकारियों से मामले की जाँच करवाकर सरकारी राशि के हुए गबन व घोटाले का खुलासा करवाकर दोषी अधिकारियों को सजा दिलवाने की प्रार्थना की।

इस में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से दिनांक 31.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि तत्कालीन सरपंच श्री अजीत सिंह यादव एवं सचिव से 17,283/-रु. की वसूली किया जाना प्रस्तावित किया गया। इसी क्रम में दिनांक 29.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपर्युक्त राशि वसूल किया जाना और तत्कालीन ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री मंशारामपाल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,

1958 के नियम 17 के अधीन आरोप–पत्र जारी करना अवगत करवाया गया। विभाग से दिनांक 24.04.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि तत्कालीन ग्राम सेवक श्री मंशारामपाल को उपर्युक्त अनुशासनिक जाँच में दोषी मानते हुए एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 30.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(133)लोआस/2016

परिवादी श्री सुरेश कुमार स्वामी से दिनांक 08.06.2016 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, इस्लामपुर (जिला झुन्झुनूं) के सरपंच श्री आशाराम व तत्कालीन सचिव श्री जीवराज सिंह व परमेश्वरलाल पुरोहित के द्वारा भामाशाह कैम्प व्यवस्था व अन्य विभिन्न कार्यो एवं विद्यालयों में मिठाई वितरण के नाम पर नियमों के विरूद्ध फर्जी नकद भुगतान उठाने के मामले में पंचायत समिति, झुन्झुनूं द्वारा गठित कमेटी की जाँच में इनके द्वारा नियम विरूद्ध नकद भुगतान करना पाये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न होने से नियमानुसार कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं से दिनांक 01.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अवगत करवाया गया कि तत्कालीन ग्राम सेवक श्री जीवराज सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। तत्पश्चात् दिनांक 04.10.2016 को प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि उपर्युक्त अनुशासनिक कार्यवाही को नियम 16 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस

पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं को उपुर्यक्त अनुशासनिक जाँच के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 07.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(160)लोआस/2016

परिवादी श्री रामचन्द्र से दिनांक 16.06.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, खांटा (तहसील, रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर) के ग्राम सेवक श्री महेन्द्र कुमार द्वारा भू-माफियाओं से सांठ-गांठ कर सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को उजागर करने में आनाकानी करने एवं प्रशासन को भ्रमित व मिथ्या जवाब प्रेषित कर अपने पद का दुरूपयोग करने पर मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से दिनांक 03.09.2016 को प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, खांटा एवं 30 पीएसए के कनिष्ठ लिपिक श्री महेन्द्र पाल (कार्यवाहक ग्राम सेवक) के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर सम्पर्क पोर्टल पर परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरणों का निस्तारण करवाने, साथिन के चयन में गड़बड़ी करने, एक से ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यभार रखने एवं सरकारी नौकरी के साथ किसी अखबार का संवाददाता होने बाबत लगाये गये आरोप सही पाये गये।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 04.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, खांटा के तत्कालीन ग्राम सेवक श्री महेन्द्र पाल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही कर उन्हें

एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 12.05.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(170)लोआस/2016

परिवादी श्री मदन सिंह से दिनांक 21.06.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, ढाणीपुरा (पंचायत समिति, रियांबड़ी, जिला नागौर) के पूर्व सरपंच श्री नन्द किशोर छाबा द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रियांबड़ी व ग्राम सेवक एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से वर्ष 2011-14 की अवधि में किये गये अनेक घोटालों व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में की गई शिकायत से सम्बन्धित जाँच को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रियांबड़ी द्वारा ठण्डे बस्ते में डाल देने पर मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 24.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर द्वारा इस मामले की जाँच तीन सदस्यीय कमेटी से करवाई गई जिसकी रिपोर्ट के अनुसार अटल सेवा केन्द्र निर्माण, विभिन्न सीसी ब्लॉक सड़क निर्माण में पाई गई अनियमितताओं एवं बिना विद्युत कनेक्शन पम्प मोटर लगाये ट्यूबवैल निर्माण करवाने के लिये तत्कालीन सरपंच श्री नन्द किशोर छाबा, सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं जेटीए उत्तरदायी हैं और भाई के नाम निविदा स्वीकृति के लिये भी पूर्व सरपंच श्री नन्द किशोर छाबा उत्तरदायी है। इसी प्रकार पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व तत्कालीन विकास अधिकारी का भी बनता है।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 09.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि इस मामले में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रियांबड़ी श्री भोमसिंह इन्दा और ग्राम पंचायत, ढाणीपुरा के ग्राम सेवक श्री शशि कुमार शर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम क्रमशः 17 व 16 के अधीन आरोप-पत्र जारी किये गये हैं। विभाग से दिनांक 11.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री दीपक कुमार के विरूद्ध जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, नागौर द्वारा दिनांक 12.04.2017 को पारित आदेश के अनुसार उन्हें एक वार्षिक मानदेय वृद्धि रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया गया है।

प्रकरण में शेष दोषी कार्मिकों श्री भौमसिंह इन्दा (विकास अधिकारी) एवं श्री शशि कुमार शर्मा (ग्राम सेवक) के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाहियों के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश विभाग को दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने से पत्रावली दिनांक 14.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(171)लोआस/2016

परिवादीगण श्री मेमराज जाट व अन्य से दिनांक 21.06.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, गोठड़ा (पंचायत समिति, खण्डार व जिला सवाईमाधोपुर) के सरपंच व सचिव द्वारा पंचायत के निर्माण एवं विकास कार्यो में भारी अनियमितताएं/भ्रष्टाचार कारित करने पर मामले की उच्च स्तरीय जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर से दिनांक 17.10.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि जाँच रिपोर्ट के पैरा सं. 1 में वर्णित अनुसार ग्राम पंचायत, गोठड़ा द्वारा पाइप लाइन से सम्बन्धित लोहे के बैण्ड पुराने उपयोग में लिये गये जिसके फलस्वरूप कुल 16,800/-रु. वसूली योग्य पाये गये और इस सम्बन्ध में उक्त पंचायत के सरपंच, सचिव व कनिष्ठ तकनीकी सहायक से यह राशि वसूल कर पंचायत कोष में जमा करवाने हेतु निर्देशित कर दिया गया। जाँच रिपोर्ट के बिन्दु सं.2 व 3 में वर्णित कार्यो को संतोषजनक होना बताया गया और बिन्दु सं.4 में वर्णित कार्य के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया कि इसके सेम्पल सार्वजनिक निर्माण विभाग के गुण नियंत्रण खण्ड को भिजवा दिये गये हैं, जहाँ से इनकी गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में रिपोर्ट की जा सकेगी।

इसी क्रम में विभाग से दिनांक 28.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि जाँच रिपोर्ट के कार्य संख्या (ब) में जाँच अधिकारी द्वारा टांका निर्माण में वास्तविक नाप एवं एम.बी. में दर्ज नाप में भिन्नता होने के कारण 5978/- रुपये की वसूली श्री खिलाड़ी लाल मीणा (कनिष्ठ तकनीकी सहायक) से प्रस्तावित की गई। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खण्डार ने दिनांक 07.12.2016 के पत्र द्वारा अवगत करवाया कि उक्त राशि रसीद संख्या 5 दिनांक 01.12.2016 द्वारा जमा करवा दी गई। ग्राम पंचायत, गोठड़ा के सरपंच/सचिव से 16800/- रुपये रसीद संख्या 6 दिनांक 01.12.2016 द्वारा वसूल कर पंचायत कोष में जमा करवा दिये गये।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर से दिनांक 09.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि दोषी कनिष्ठ अभियन्ता श्री राम खिलाड़ी मीणा के विरूद्ध मनरेगा अधिनियम के अधीन तत्काल कार्यवाही करने हेतु प्रभारी अधिकारी

महानरेगा, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर को निर्देशित कर दिया गया और ग्राम पंचायत, गोठड़ा के दोषी ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री दिनेश चन्द शर्मा के विरूद्ध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खण्डार द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया।

विभाग से दिनांक 03.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि सीमेन्ट कंकरीट से काटे गये कोर स्ट्रेन्थ की गणना/जाँच आईआरसी 15-2011 के अनुरूप अधिशाषी अभियन्ता (अभियांत्रिकी), जिला परिषद द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, गुण नियंत्रण खण्ड, सवाईमाधोपुर की प्रयोगशाला से करवाई गई और कार्य मापदण्डों से निम्न स्तर का करवाये जाने पर 49,213/-रु. सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता, सचिव एवं सरपंच, ग्राम पंचायत, गोठड़ा से वसूल किये गये।

इसी क्रम में दिनांक 12.09.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि दोषी ग्राम सेवक श्री दिनेश चन्द शर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन की गई कार्यवाही में उन्हें परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित कर प्रकरण का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री राम खिलाड़ी मीणा के विरूद्ध की गई कार्यवाही में उनकी आगामी दो वर्ष के लिये मानदेय वृद्धि रोकी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.11.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(187)लोआस/2016

परिवादी श्री दिनेश कुमार सैनी से दिनांक 28.06.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, अजीतगढ़ के तत्कालीन ग्राम सेवक

श्री पूरणमल टेलर द्वारा पंचायत में कार्य करवाये जाने के दौरान बिना दिनांक के फर्जी बिल प्राप्त कर उनका रोकड़ बही में गलत इन्द्राज करने एवं श्रमिकों के फर्जी मस्टररोल व बिल तैयार कर राजकीय राशि का गबन किये जाने पर मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 28.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि किसी भी मजदूर को दोहरा भुगतान नहीं किया गया है लेकिन एयरकण्डिशनर खरीदते समय लेखा नियमों की पालना नहीं करना एवं शिव ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर को आवश्यक निर्माण सामग्री के लिये अग्रिम भुगतान करना लेखा नियमों के विरूद्ध पाया गया जिसके लिये कार्यकारी एजेन्सी उत्तरदायी है। तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 02.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि पूर्व ग्राम सेवक श्री पूरणमल टेलर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप–पत्र जारी किया गया है। इस पर शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को उपुर्यक्त अनुशासनिक जाँच के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 07.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(208)लोआस/2016

परिवादी श्री रामपाल नट से दिनांक 01.07.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, रूपपुरा (तहसील उनियारा व जिला टोंक) के सचिव श्री राम किशोर द्वारा उसके मकान के पट्टे के एवज में उससे

पाँच हजार रु. की रिश्वत मांगने एवं रिश्वत की राशि न देने पर उसके साथ जातिसूचक गाली गलौच करने का आरोप लगाते हुए मामले में तुरन्त मुकदमा दर्ज कर सचिव को निलम्बित करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक से दिनांक 15.12.2016 को प्राप्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले की जाँच के अनुसार ग्राम पंचायत, रूपपुरा के सरपंच व सचिव ने परिवादी श्री रामपाल नट के पट्टा के आवेदन-पत्र से सम्बन्धित पत्रावली में समुचित प्रक्रिया का पालन न करके नियमों के विरूद्ध पत्रावली को गलत तौर से निरस्त कर दिया जिसके लिये वे दोषी हैं। फिर दिनांक 30.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि दोषी कार्मिक श्री रामकिशोर माली (लिपिक ग्रेड-द्वितीय सह ग्राम सेवक व पदेन सचिव) को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन की गई कार्यवाही में एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। विभाग से दिनांक 11.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा श्री रामपाल नट परिवादी के पक्ष में दिनांक 24.04.2017 को नियमानुसार आवासीय भूमि का पट्टा जारी करना बताया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(229)लोआस/2016

परिवादी श्री गेहरी लाल गुर्जर से दिनांक 13.07.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, गोवर्धनपुरा (जिला भीलवाड़ा) द्वारा निर्माण कार्यो के लिये निर्माण सामग्री व लोहे की सामग्री के लिये

दिनांक 27.06.2016 के लिये निविदा आमंत्रित करने पर उपर्युक्त दिवस को पंचायत भवन पर सरपंच व सचिव के उपस्थित नहीं मिलने और उनके द्वारा मिलीभगत कर नाजायज लाभ प्राप्त करने के आशय से अपने चहेते व्यक्तियों को निविदा की प्रतियाँ सुपुर्द कर देने पर दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से दिनांक 07.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि निविदा प्रक्रिया हेतु गठित समिति में कोरम हेतु पंचायत समिति में नियुक्त सहायक अभियन्ता एवं सहायक लेखाधिकारी की उपस्थिति आवश्यक थी किन्तु उनके उपस्थित न होने से निविदा प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण नहीं हुई और इस कारण अब ग्राम पंचायत, गोवर्धनपुरा की निविदा प्रक्रिया को नियमानुसार सम्पादित करवाने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माण्डल को निर्देशित किया गया तथा दिनांक 09.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपर्युक्त निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 19.04.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि दोषी ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री कजोड़मल गुर्जर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया है और इसी क्रम में दिनांक 25.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री गुर्जर की उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित करना बताया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 05.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(267)लोआस/2016

परिवादी श्री गोरधनलाल कुमावत से दिनांक 28.07.2016 को प्राप्त के परिवाद अनुसार उन्होंने पंचायत समिति, दूदू के विरूद्ध वर्ष 2016-17 में मनरेगा व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत सभी पंचायतों में करवाये गये 12.54 करोड़ रु. के निर्माण कार्यो निविदा सम्बन्धी नियमों की पालना नहीं करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में आयुक्त (मनरेगा), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 01.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पंचायत समिति, दूदू के स्तर पर दी गई निविदा सूचना में निविदा प्रपत्रों को बेचने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित नहीं किया जाना राजकीय स्तर के आदेशों की गंभीर अवहेलना है और शिकायतकर्ताओं को विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निवेदन के बावजूद फॉर्म उपलब्ध नहीं करवाने के लिये तत्कालीन विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी तथा सम्बन्धित अधीनस्थ कार्मिक दोषी है। पंचायत समिति स्तर पर निविदा प्रकाशन में की गई अनियमितता और ग्राम पंचायत स्तर पर निविदा प्रक्रिया में पाई गई गंभीर कमियों को देखते हुए आमंत्रित की गई समस्त निविदाओं को रद्द किया जाकर पुनः अल्पकालीन निविदा सूचना के अधीन अविलम्ब नवीन निविदा कार्यवाही सम्पन्न करवाये जाने हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, जयपुर को निर्देशित कर दिया गया।

फिर विभाग से दिनांक 27.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि विभागीय जाँच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति, दूदू श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, विकास अधिकारी श्रीमती पिंकी शर्मा एवं सहायक लेखाधिकारी श्री राम किशोर बैरवा को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के

नियम 17 के अधीन आरोप–पत्र जारी किये गये हैं जिनके अंतिम निष्कर्ष की रिपोर्ट से इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश विभाग को दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 01.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(305)लोआस/2016

परिवादी श्री भीमराज राव से दिनांक 23.08.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, खींचन (जिला जोधपुर) द्वारा बिना पट्टे की जमीन का नियम विरूद्ध अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने, गाँव के विभिन्न मौहल्लों में सफाई व्यवस्था उचित नहीं होने एवं गाँव के रिहायशी क्षेत्र में सरकारी स्कूल के पास आरा मशीनों से सिल्लरी पाउण्डर फैल जाने से बिमारियों का खतरा होने के आरोप लगाते हुए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जोधपुर से दिनांक 13.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, खींचन की पूर्व सरपंच श्रीमती तीखो देवी के कार्यकाल में विधिविरूद्ध जारी स्वामित्व प्रमाण–पत्रों एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र के रिकॉर्ड को खुर्दबुर्द किये जाने के कारण वह और तत्कालीन ग्राम सेवक श्री राजेश परिहार दोषी हैं। फिर दिनांक 25.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, खींचन के तत्कालीन ग्राम सेवक श्री राजेश परिहार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप–पत्र आदि कर दिये गये हैं जिसके

अंतिम निष्कर्ष की रिपोर्ट से इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर को दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 01.06.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(362)लोआस/2016

परिवादी श्री बद्री प्रसाद कुमावत से दिनांक 06.09.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने 6 दिवस के बजाय 8 दिवस की नरेगा मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित निर्णीत पत्रावली सं. 12(40)लोआस/2006 के संलग्न उपखण्ड अधिकारी, फागी की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्यवाही की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जयपुर से दिनांक 18.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि दोषी कार्मिक (पटवारी) श्री जुगल सिंह शेखावत और दोषी ग्राम सेवक श्री कालूराम चौधरी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किये गये तथा पुलिस थाना, फागी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 33/2015 में पुलिस द्वारा दिनांक 18.06.2015 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया। उपर्युक्त दोनों अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष की रिपोर्ट जिला कलक्टर, जयपुर से आहूत की जा रही है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 30.05.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(416)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती संध्या सालवी से दिनांक 27.09.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने यह उल्लेख किया कि ग्राम पंचायत, राशमी (जिला चित्तौड़गढ़) के वार्ड सं. 8 के परिक्षेत्र में स्थित आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन में पंचायत के सरपंच व सचिव ने अपनी मनमर्जी से वार्ड के बाहर की अभ्यर्थी श्रीमती संगीता जोशी का चयन कर उसे प्रशिक्षण के लिये भेज दिया जबकि वह स्वयं परिक्षेत्र की निवासी होने से उपर्युक्त चयन में प्राथमिकता की हकदार थी। इस मामले की शिकायत उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कलक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी वगैरह को करने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हुई।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 22.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत, राशमी में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र-2 में रिक्त आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर मानदेयकर्मी का चयन किये जाने के लिये दिनांक 21.04.2016 को विज्ञप्ति जारी की गई। आँगनबाड़ी परिक्षेत्र में आरक्षित वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता 50 प्रतिशत से कम होने के कारण यह पद किसी भी श्रेणी के लिये आरक्षित नहीं था और उक्त पद के लिये तीन अभ्यर्थियों श्रीमती संगीता जोशी, श्रीमती प्रिया प्रजापत व श्रीमती संध्या सालवी (परिवादी) के 4-4 अंक थे। सभी योग्यतम अभ्यर्थियों के मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर 4-4 अंक होने की स्थिति में आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र के परिशिष्ट-ब के बिन्दु सं.3 में अंकित अनुसार अधिकतम आयु वाली महिला श्रीमती संगीता जोशी का चयन ग्राम पंचायत, राशमी द्वारा आयोजित ग्राम सभा दिनांक 29.06.2016 में करके महिला एवं बाल विकास विभाग को भिजवाया गया किन्तु उपर्युक्त आयोजित की गई ग्राम सभा की गणपूर्ति

पंचायती राज के नियमों के अनुसार न होने से गणपूर्ति के अभाव में आँगनबाड़ी कार्यकर्ता का किया गया चयन विधि विपरीत था।

इसी क्रम में विभाग से दिनांक 16.06.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि श्रीमती संगीता जोशी (आँगनबाड़ी कार्यकर्ता) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका सं. 5273/2017 में दिनांक 19.05.2017 को पारित आदेशानुसार विभागीय पत्र दिनांक 05.04.2017 की कार्यवाही को स्थगित किया गया और ग्राम सेवक श्री मदन मोहन भाटी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन जारी आरोप-पत्र में उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 06.12.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि उपर्युक्त ग्राम सेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक जाँच में दिनांक 30.11.2017 को पारित आदेश के अनुसार उन्हें एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 15.02.2018 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(437)लोआस/2016

परिवादी श्री श्रीकिशन शर्मा से दिनांक 05.10.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, दूध वालों का बास (पंचायत समिति, खण्डेला) के तत्कालीन ग्राम सेवक श्री हरि सिंह महला और सरपंच श्री मुरारीलाल द्वारा वर्ष 2011 में नियमों के विपरीत भागुराम की निजी भूमि (खेत) में ट्यूबवैल का निर्माण करवाने पर इस मामले में की गई प्रारम्भिक जाँच में इनके दोषी पाये जाने के बावजूद उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न होने और उनके द्वारा विवादित सिंगलफेज ट्यूबवैल में

विद्युत कनेक्शन करवाकर सरकारी कोष को क्षति पहुंचाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से दिनांक 07.03.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि आरोपी तत्कालीन ग्राम सेवक श्री गोपाल सिंह (हाल पंचायत प्रसार अधिकारी) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु उनके कार्यालय के दिनांक 08.06.2016 के पत्र द्वारा प्रकरण शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को भिजवा दिया गया। इन्हीं आरोपों को लेकर परिवादी श्री प्रभातीलाल जांगू ने भी एक अन्य परिवाद (सं.12(269)लाआस/2015) पंजीबद्ध करवाया है जिसमें दोषी विकास अधिकारी श्री सुमेर सिंह एवं ग्राम सेवक श्री गोपाल सिंह (हाल पंचायत प्रसार अधिकारी) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही और आरोपी सरपंच श्री मुरारीलाल के सम्बन्ध में जाँच कार्यवाही की जा रही है, इस कारण उपर्युक्त अनुशासनिक व जाँच कार्यवाही की आगामी प्रगति रिपोर्ट परिवादी श्री प्रभाती लाल जांगू द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण में की जा रही है।

फिर विभाग से दिनांक 25.04.2017 को प्राप्त रिपोर्ट अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले की जाँच रिपोर्ट के अनुसार दोषी ग्राम सेवक श्री गोपाल सिंह (हाल पंचायत प्रसार अधिकारी) के विरूद्ध पुलिस थाना, खण्डेला में भा.दं.सं. की धारा 420 व 120बी के अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करवा दी गई है।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 12.07.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(462)लोआस/2016

परिवादी श्री मोती सिंह राणावत से दिनांक 19.10.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने ग्राम पंचायत, कमालपुरा की आराजी सं. 101 रकबा 4

बीघा में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव श्री लाभ शंकर नागदा एवं सोराज मीणा और सहायक सचिव माँगू खान व पंचायत प्रसार अधिकारी कन्हैयालाल गर्ग के द्वारा पप्पू खान पुत्र बरकत खान को नियम विरूद्ध 10–15 लाख रु. की भूमि के पैतृक पट्टे देकर पट्टों का गलत ढंग से पंजीयन करवाकर राजकोष व जनता के पैसों का दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए इन पट्टों को निरस्त करवाने एवं चारों लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से दिनांक 10.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि दोषी ग्राम सेवक श्री लाभ शंकर नागदा एवं सोराज मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही की जा रही है और शिकायत में वर्णित दोनों पट्टों को निगरानी याचिका सं. 108/2013 एवं 109/2013 में दिनांक 29.05.2015 को पारित निर्णय के अनुसार खारिज कर दिया गया तथा शिकायत में अंकित कार्मिकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बनेड़ा को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 04.10.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि दोषी कार्मिकों श्री लाभ शंकर नागदा एवं सोराज मीणा के विरूद्ध पुलिस थाना, बनेड़ा में दिनांक 11.09.2017 को भा.दं.सं. की धारा 420 व 193 के अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। विभाग से दिनांक 20.12.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि दोषी ग्राम सेवक श्री लाभ शंकर नागदा ने माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट याचिका सं. 12053/2013 में उन्होंने स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। विभाग से दिनांक 31.01.2018 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि दोषी ग्राम सेवक श्री सोराज मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल

सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन लम्बित अनुशासनिक जाँच कार्यवाही में उन्हें कार्यालय आदेश दिनांक 28.12.2017 के द्वारा तीन वार्षिक वेतन-वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया। शेष दोषी कार्मिक श्री लाभ शंकर नागदा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही बाबत माननीय राज. उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार की जाने वाली कार्यवाही से यथासमय इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा को दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 05.02.2018 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(499)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती ललिता देवी (अध्यक्ष, मानव विकास एवं महिला परोपकारी समिति, दौसा) से दिनांक 10.11.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने यह उल्लेख किया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लालसोट श्रीमती प्रियंका मीणा द्वारा राजनैतिक दवाब में आकर अटल सेवा केन्द्रों के लिये जॉब आउट सोर्सिंग बेसिस पर चौकीदार/सुरक्षा गार्ड सेवा प्रदाता एजेन्सी की अनुमोदित दरों को बिना किसी जाँच/सुनवाई के चौकीदार/सुरक्षा गार्ड लगाये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया गया, वहाँ अनुबन्ध को पुनः बहाल किया जाये।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 03.03.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लालसोट के द्वारा तथ्यों का परीक्षण एवं संस्था को सुनवाई का

अवसर दिये बिना ही अनुबन्ध समाप्त करके दूसरी संस्था गंगा नेशनल सिक्यूरिटी संस्थान को कार्य करने का आदेश सीधे ही जारी किया गया जो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये बिना ही जारी किया गया, इस कारण इस सम्बन्ध में उनका स्पष्टीकरण चाहा गया है।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 02.02.2018 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लालसोट श्रीमती प्रियंका मीणा के विरूद्ध स्पष्टीकरण कार्यवाही में व्यक्तिगत सुनवाई के उपरान्त लिये गये निर्णय अनुसार उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप–पत्र जारी किया गया जिसके अंतिम निष्कर्ष की रिपोर्ट से यथासमय इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश विभाग को दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 19.02.2018 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(512)लोआस/2016

परिवादी श्री जालम सिंह से दिनांक 22.11.2016 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उन्होंने यह अभिकथन किया कि उसके ग्राम टापरा की आबादी में स्थित आवासीय भूखण्ड से सम्बन्धित पत्रावली का ग्राम पंचायत टापरा के ग्राम सेवक द्वारा दो वर्ष बाद भी निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर से दिनांक 03.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस मामले की जाँच विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बालोतरा के स्तर पर तीन सदस्यीय कमेटी से करवाई गई जिसकी रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री जालम सिंह द्वारा पट्टा हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र

पर आचार संहिता के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी तथा अब वर्तमान पंचायत की बैठक में इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही में आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करने हेतु ग्राम सेवक श्री शंकर लाल बोस उत्तरदायी है जिसके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 11.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बालोतरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, टापरा द्वारा परिवादी श्री जालम सिंह को आबादी भूमि का पट्टा जारी किया जा चुका है तथा इस मामले में दोषी कार्मिक श्री शंकरलाल बोस (तत्कालीन ग्राम सेवक एवं हाल पंचायत प्रसार अधिकारी) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन कार्यवाही हेतु प्रकरण तैयार कर पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित किया गया।

इसी क्रम में विभाग से दिनांक 21.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपी कार्मिक श्री शंकरलाल बोस के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन जारी आरोप-पत्र जारी किया जाना बताया गया जिसके अंतिम निष्कर्ष से यथासमय इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश विभाग को दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 29.11.2017 को नस्तीबद्ध की गई है।

एफ.12(524)लोआस/2016

दिनांक 21.11.2016 को पंचायत समिति, बेगूं (चित्तौड़गढ़) में आयोजित शिविर के दौरान समाचार-पत्र ''सांध्य दैनिक कवर स्टोरी'' की दिनांक 21.10.2016 की प्रति प्रस्तुत हुई जिसमें प्रकाशित समाचार ''हलक की प्यास बुझाने के बहाने, बुझाई जेबों की प्यास'' के सम्बन्ध में कार्यवाही की माँग की गई।

उक्त समाचार-पत्र में प्रकाशित सन्दर्भित खबर में पंचायत समिति, बेगूं के विकास अधिकारी, प्रधान पति एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री मनोज मिश्रा द्वारा टेण्डर प्रक्रिया अपनाये बिना पानी पिलाने के नाम पर बाजार दर से दुगनी दरों पर बोरिंग टेण्डर एक ही पार्टी को देकर घोटाला करने एवं राजकोष को हानि कारित करने एवं संविदाकर्मी कनिष्ठ तकनीकी सहायक श्री मनोज मिश्रा पर सामुदायिक भवन और सीसी सड़कों के निर्माण में भूमिका के बावजूद अपने पद पर बने रहने का मुद्दा उठाया गया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 13.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि मामले की जाँच अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ और जाँच कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से की गई तथा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार पंचायत समिति, बेगूं द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में बिना टेण्डर प्रक्रिया अपनाये सीधे ही दो फर्मो आदर्श एसोशिएट, बेगूं एवं श्रीजी कन्सट्रक्शन, सूरतपुरा बेगूं से पेयजल सम्बन्धी कार्य करवाया जाकर भुगतान किया गया जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इसके लिये श्री कालूराम मीणा विकास अधिकारी, श्री मनोज जैन सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय (लेखाकार) एवं निर्माण शाखा के वरिष्ठ लिपिक

श्री करण सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। पंचायत समिति, बेगूं में कार्यरत संविदा कार्मिक श्री मनोज मिश्रा पर पूर्व में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का पूर्ण विवरण प्रेषित किया गया जिसमें आईटी सेन्टर कार्य पर छत की आरसीसी की मोटाई 6 ईंच के बजाय 5 ईंच की पाई जाने से 9,973/-रु की वसूली जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निकाली गई और यह राशि जमा हो चुकी है। कार्य सीसी रोड़ एससी/एसटी बस्ती ग्राम रघुनाथपुरा, ग्राम पंचायत ईटवा के कार्य पर कुल राशि रु. 1,17,402/- की वसूली तत्कालीन सरपंच, सचिव एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक के विरूद्ध निकाली गई जिसमें से श्री मिश्रा के विरूद्ध राशि रु. 39,134/- की वसूली थी और यह पूरी राशि पंचायत समिति, बेगूं में जमा हो चुकी है।

यह भी अवगत करवाया गया कि कार्य सामुदायिक भवन, ग्राम चन्दाखेड़ी, ग्राम पंचायत, शादी के क्षतिग्रस्त होने पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा तत्कालीन विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता, सरपंच, सचिव एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के विरूद्ध कुल राशि रु. 4,19,093/- की वसूली निकाली गई थी जिसमें से श्री मिश्रा के विरूद्ध राशि रु. 41,910/- की वसूली निकाली गई थी और उसमें से प्रतिमाह 4,340/- रु. श्री मिश्रा के वेतन से वसूल किये जा रहे हैं। श्री मनोज मिश्रा (संविदा कार्मिक) कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर पंचायत समिति, बेगूं में दिनांक 08.10.2007 से कार्यरत हैं। संविदा कार्मिक श्री मनोज मिश्रा का अनुबन्ध जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा समाप्त कर दिया गया था जिसके विरूद्ध कार्मिक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने से वह अभी तक पद पर कार्यरत है।

विभाग से दिनांक 07.03.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि वास्तविक राजकोषीय हानि के सम्बन्ध में कार्यालय के लेखाधिकारी द्वारा जाँच करवाई गई जिन्होंने अपनी जाँच रिपोर्ट के आधार

पर कोई वास्तविक राजकोषीय हानि नहीं होना प्रकट किया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार दोषी पाये गये विकास अधिकारी श्री कालूराम मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अधीन कार्यवाही हेतु दिनांक 28.02.2017 के पत्र द्वारा शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर को आरोप-पत्र आदि प्रेषित किये गये हैं। सहायक लेखाधिकारी द्वितीय (लेखाकार) श्री मनोज जैन के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही हेतु दिनांक 28.02.2017 के पत्र के द्वारा निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को आरोप-पत्र आदि प्रेषित किये गये हैं तथा वरिष्ठ लिपिक श्री करण सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही जिला परिषद स्तर से प्रारम्भ कर दी गई।

विभाग से दिनांक 26.04.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी श्री कालूराम मीणा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण होने से उन्हें कार्मिक विभाग के परिपत्र अनुसार पूर्ण प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया। निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन जारी आरोप-पत्र को साबित करने वाले प्रमाणित ठोस दस्तावेज आहूत किये गये और आरोपी लोक सेवक श्री मनोज कुमार जैन के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया।

विभाग से दिनांक 31.05.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि विकास अधिकारी श्री कालूराम मीणा के सम्बन्ध में

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव का परीक्षण कर श्री मीणा के विरूद्ध परीक्षण उपरान्त लिये गये निर्णय से यथा समय इस सचिवालय को अवगत करवा दिया जायेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि पंचायत समिति, बेगूं के वरिष्ठ लिपिक श्री करण सिंह के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन लम्बित कार्यवाही में उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर आरोप अस्वीकार करने पर राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 (4) के अधीन विस्तृत जाँच हेतु सहायक अभियन्ता (सीडी), जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ को जाँच अधिकारी और सहायक अभियन्ता (ईजीएस), पंचायत समिति, बेगूं को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया तथा दो माह में जाँच पूर्ण कर इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 27.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।। श्री मनोज कुमार जैन के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप-पत्र (पृ.सं.241-244/सी) जारी कर दिया गया। दिनांक 23.11.2017 को शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 23.11.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि श्री कालूराम मीणा तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बेगूं के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी किया गया।

तत्पश्चात् श्री कालूराम मीणा तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बेगूं, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।। श्री मनोज कुमार जैन एवं वरिष्ठ लिपिक श्री करण सिंह के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक जाँच कार्यवाहियों

के अंतिम निष्कर्ष से **यथासमय** इस सचिवालय को अवगत करवाने के निर्देश सम्बन्धित विभागों को दिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 01.12.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(603)लोआस/2016

परिवादी श्री राम सिंह से दिनांक 26.12.2016 को प्राप्त परिवाद अनुसार उन्होंने पंचायत समिति, जाखोद (तहसील, सूरजगढ़ व जिला झुन्झुनूं) की पूर्व ग्राम सेवक अनिता द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन एवं एफएफसी कार्यो आदि में फर्जी तरीके से केशबुक एवं चैक बुक भर कर करीब 22 लाख रु. की राशि का भुगतान उठाकर भ्रष्टाचार करने पर इसकी शिकायत सम्बन्धित विकास अधिकारी को करने के बावजूद उनके द्वारा दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं से दिनांक 22.06.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि इस परिवाद की जाँच विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरजगढ़ से करवाई गई जिनकी जाँच रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान एवं एफएफसी में करवाये गये कार्य सही पाये गये किन्तु ग्राम पंचायत, जाखोद की ग्राम सेवक श्रीमती अनिता द्वारा अपना स्थानांतरण होने के पश्चात् चैकों पर पीछे की तारीख लगाकर कुल 79 चैक्स की राशि 22,84,752/-रु. का भुगतान कर दिया जिसमें किसी प्रकार का गबन नहीं हुआ लेकिन लेख पद्धत्ति की अवहेलना हुई है और श्रीमती अनिता के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप-पत्र जारी कर दिया

गया जिसके अंतिम निष्कर्ष से यथासमय इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश विभाग को दिया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने यह पत्रावली दिनांक 07.09.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(746)लोआस/2016

परिवादी श्री लक्ष्मण जाट से दिनांक 03.03.2017 को प्राप्त परिवाद में उन्होंने यह अभिकथन किया कि ग्राम पंचायत, करकेड़ी के लिये जारी निविदा में पंचायत समिति, किशनगढ़ के विकास अधिकारी ने अपनी मनमर्जी करते हुए अपनी चहेती फर्म संजू कन्सट्रक्शन को ग्राम पंचायत, नवां से अटैच कर उसे निविदा दिलवा दी जबकि परिवादी की फर्म पाबू राठौड़ ट्रेडर्स एण्ड कॉन्ट्रेक्टर ने बीएसआर दर से 13.81 प्रतिशत कम दर भरी थी। विकास अधिकारी द्वारा न तो निविदा वापस लेने वाली फर्मों को ब्लेक लिस्टेड किया गया और न ही उनकी अमानत राशि जब्त की गई, वहाँ उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

इस सम्बन्ध में अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर से दिनांक 05.07.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह अवगत करवाया गया कि प्रकरण की जाँच लेखाधिकारी (नरेगा), जिला परिषद, अजमेर द्वारा की गई जिसके अनुसार विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिलोरा व ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, करकेड़ी को दोषी माना गया तथा उनके विरूद्ध कार्यालय स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर से दिनांक 11.10.2017 एवं 19.12.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, करकेड़ी (पंचायत समिति, किशनगढ़) के ग्राम सेवक व पदेन सचिव श्री अनिल

कुमार भाटी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप–पत्र जारी किया गया और श्री त्रिलोकाराम दैया तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, किशनगढ़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन आरोप–पत्र जारी किया गया तथा उक्त अनुशासनिक जाँच कार्यवाहियों के अन्तिम निष्कर्ष से **यथासमय** इस सचिवालय को अवगत करवाने का निर्देश विभाग को दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 26.12.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.15(18)लोआस/2013

परिवादी श्री गोवर्धन सिंह राठौड़, ग्राम रामपुरा पोस्ट लोहरवाड़ा वाया नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा उप वन संरक्षक, अजमेर के खिलाफ पदीय शक्तियों का दुरूपयोग कर नियम विरूद्ध कार्य करने की विषयवस्तु को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 08.02.2017 द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में जाँचोपरान्त लोक सेवकगण श्री सुधीर जैन, उप वन संरक्षक, श्री राकेश कुमार शर्मा, क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं श्री करण सिंह राठौड़, वन सरंक्षक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्रादि जारी कर दिए गए हैं तथा प्रकरण कार्मिक (क–3/जाँच) विभाग के यहाँ विचाराधीन है।

कार्मिक (क–3/जाँच) विभाग द्वारा पत्र दिनांक 15.8.2017 से अवगत करवाया कि प्रकरण में विस्तृत जाँच हेतु आयुक्त (तृतीय), विभागीय जांच विभाग, राजस्थान, जयपुर को आदेश दिनांक 10.8.2017 के तहत जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है।

इस विभागीय कार्यवाही के अनुक्रम में इस सचिवालय स्तर पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट चाही जा रही है। इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त उक्त आरोपित लोक सेवकगण के विरूद्ध विभागीय जाँच प्रारम्भ होकर वर्तमान में लम्बित है। अतः विभागीय कार्यवाही के मद्देनजर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 23.08..2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(12)लोआस/2015

परिवादी श्री गोकुल गुर्जर, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील झालरापाटन, पोस्ट गागरोन, जिला झालावाड़ द्वारा मूल रूप से श्री दिनेश माली, वन रक्षक के विरूद्ध जुर्माना राशि 9,000/- रूपए लेकर रसीद नहीं देने तथा राजकोष को हानि पहुँचाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रों के क्रम में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 11.4.2017 से अवगत करवाया कि आरोपित श्री दिनेश माली, सहायक वनपाल के विरूद्ध 9000/- रूपए की राशि के गबन के अनुक्रम में राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन, आरोप-पत्रादि जारी किए जाकर प्रकरण में जाँच हेतु जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। इस जाँच कार्यवाही में वन विभाग के स्तर पर लिए गए अन्तिम निर्णय सम्बन्धी रिपोर्ट अप्राप्त है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त आरोपित उक्त लोक सेवक के विरूद्ध विभाग स्तर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही

विचाराधीन होने के मद्देनजर इस प्रकरण को दिनांक 25.4.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(18)लोआस/2016

परिवादी श्री जसराम मीणा, ग्राम झालाटाला, लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर ने वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से सांठगांठ कर वन विभाग के पहाड़ से अवैध पत्थर व मोरम ले जाने का परिवाद दर्ज कराया।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 17.11.2017 के द्वारा अवगत कराया कि दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत जाँच कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 02.02.18 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(25)लोआस/2017

परिवादी श्री जयसिंह परिहार, नयावास, मंगला पूंजला, मण्डौर, जोधपुर ने क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री हेमेन्द्र कुमार त्रिवेदी द्वारा लाखों रूपये के गबन किए जाने का परिवाद दर्ज कराया था।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रों के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर ने पत्र दिनांक 08.02.2018 के द्वारा अवगत कराया कि दोषी लोकसेवकों श्री हेमेन्द्र कुमार त्रिवेदी एवं श्री सुरेन्द्र सांखला के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,

1958 के नियम 16 के अन्तर्गत उपस्थापक अधिकारी नियुक्त कर जाँच प्रारम्भ की गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर इस प्रकरण को दिनांक 23.02.18 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(15)लोआस/2007

परिवादी कृष्ण सोनी आजाद, सेक्टर नं.-12, पुराना सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की कि नगरपालिका, सूरतगढ़ के आयुक्त व अन्य कार्मिकों ने भूमाफियाओं से सांठगांठ कर अतिक्रमण करवाये तथा सिविल निर्माण कार्यो में भ्रष्टाचार एवं फर्जीवाड़ा किया।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 16.06.2011 से अवगत करवाया कि राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या 15 पर अवैध अतिक्रमणों को रोकने में लापरवाही बाबत दोषी लोकसेवकगण तत्कालीन अधिशाषी अधिकारीगण नगरपालिका, सूरतगढ श्री मदनसिंह बुढानिया, श्री विजय सिंह शेखावत व श्री भंवरलाल सोनी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 08.11.2017 से अवगत करवाया कि सूरतगढ शहरी क्षेत्र में एन. एच. 15/62 की रोड़ सीमा में हुए अतिक्रमणों को चिन्हित किया जाकर दिनांक 20.07.2017 व 21.07.2017 को हटा दिया गया है व नियमन नहीं किया गया है। इस कार्यवाही के फोटाग्राफ्स व मौका फर्द भी संलग्न किए गए है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 01.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(217)लोआस/2011

परिवादी हरीश चण्डक, आर.टी.आई. कार्यकर्ता, कल्याणपुरा मार्ग सँख्या-5, बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि नगरपालिका, बाड़मेर द्वारा खसरा नम्बर 1182 में अशोक कुमार से साँठ-गाँठ करके अवैध रूप से लीज जारी की गई, जिसकी आड़ में अशोक कुमार ने राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2491/1179 पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके ''अशोका ग्राण्ट'' नामक होटल का निर्माण कर लिया। नगरपालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से ही सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उक्त होटल का निर्माण हुआ है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में स्वायत्त शासन विभाग ने पत्र दिनांक 24.12.2013 से अवगत करवाया कि दोषी लोकसेवकगण श्री शंकरलाल गहलोत-तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, श्री अशोक कुमार शर्मा तत्कालीन राजस्व निरीक्षक, श्री भगवाराम प्रजापत कनिष्ठ लिपिक एवं श्री जोगाराम फायरमेन (कैशियर) के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी किए जा चुके हैं एवं पत्र दिनांक 18.01.2018 से अवगत करवाया कि दोषी लोकसेवक श्री आलोक श्रीवास्तव, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता एवं श्री सुरेश जीनगर, तत्कालीन राजस्व अधिकारी के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 27.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(24)लोआस/2013

परिवादी श्रीमती कमलारानी निवासी बाड़मेर हाल प्लॉट नम्बर 116, जेडीए कॉलोनी, सिरसी रोड़, आर.आई.ई.टी. कॉलेज के सामने, भांकरोटा, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि खसरा नम्बर 3054/1551 राजस्व ग्राम, बाड़मेर शहर में माप 40 x 60 फुट कुल क्षेत्रवल 66.66 वर्ग गज के आवासीय भूखण्ड का वास्तविक स्वामी उसका पति महेन्द्र सिंह पुत्र हेतसिंह है। प्रशासन शहरो के संग अभियान में उक्त भूखण्ड का पट्टा सँख्या 9874 दिनांक 06.02.2013 नगर परिषद, बाड़मेर से उदयसिंह पुत्र जुगलसिंह के नाम से जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर बनवा लिया गया। इस गलत पट्टे को निरस्त करवाने की प्रार्थना की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में पत्र दिनांक 25.01.2018 से अवगत करवाया गया कि प्रकरण में दोषी लोकसेवकगण श्री भँवरलाल सोनी, तत्कालीन आयुक्त व श्री अमृतलाल जाटव, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, बाड़मेर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु प्रकरण अतिरिक्त निदेशक, आर.एम.एस.(जाँच) निदेशालय को भेजा गया तथा आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर ने पत्र दिनांक 22.02.2018 से अवगत करवाया कि नगर परिषद के स्तर से प्रश्नगत पट्टे को दिनांक 31.01.2017 को शून्य घोषित किया गया व निरस्तीकरण हेतु सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 23.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(115)लोआस/2013

परिवादिया श्रीमती कृष्णा देवी, निवासी महिला कॉलेज के पास, गांधी पार्क गेट के सामने, वार्ड नंबर 16, बान्दीकुई, जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बान्दीकुई ने प्रभुदयाल से साजिश करते हुये उसके व प्रभुदयाल के मकान के मध्य सवा तीन फीट चौड़ी शामलाती गली व उसकी दुकान का पट्टा अनधिकृत रूप से प्रभुदयाल को जारी कर दिया। पट्टे को निरस्त करवाने एवं अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 28.09.2016 से अवगत करवाया कि गलत पट्टा जारी करने बाबत दोषी लोकसेवक श्री सुरेन्द्र कुमार नागर, राजस्व निरीक्षक (तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी), नगरपालिका, बान्दीकुई को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जांच में दोषी पाये जाने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में स्वयं परिवादिया द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष प्रभुदयाल व नगरपालिका के विरूद्ध दीवानी दावा प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें न्यायालय के यथास्थिति आदेश प्रभावी होकर दावा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक को अनुशासनिक कार्यवाही में दण्डित कर दिये जाने

पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 28.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(137)लोआस/2013

परिवादी तोलीराम, कोर्ट के पास, वार्ड नम्बर-2, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि उसकी कृषि भूमि खसरा नम्बर 993 में बने उसके मकान का फर्जी पट्टा नगरपालिका चैयरमन व अधिशाषी अधिकारी ने उसके पुत्र लोकेश के नाम से गलत बना दिया जिसे निरस्त करवाने व दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में सहायक निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग ने पत्र दिनांक 23.10.2017 से अवगत करवाया कि लोकेश के नाम से जारी पट्टा नियमानुसार जारी नहीं होने से उक्त पट्टे को दिनांक 04.10.2017 को निरस्त कर दिया गया है। इसी क्रम में पत्र दिनांक 16.05.2017 से अवगत करवाया गया कि दोषी लोकेसवकगण श्री ललित सिंह राठौड़, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं श्री अशोक कनिष्ठ लिपिक की एक-एक वार्षिक वेतन-वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश दिए गये तथा श्री विनोद कुमार ओसवाल, तत्कालीन अध्यक्ष, नगरपालिका, माण्डलगढ़ के विरूद्ध न्यायिक जाँच हेतु प्रकरण विधि विभाग को प्रेषित किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 24.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(159)लोआस/2013

परिवादी रामवतार जांगिड, निवासी वार्ड नम्बर-8, जमडों के कुँए के पास, सरदारशहर (चूरू) द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि ठेकेदार द्वारा नगरपालिका, सरदारशहर की अध्यक्षा व कर्मचारियों से मिलीभगत करके वार्ड नम्बर-9 में राजकिशन जोशी के मकान के सामने पुरानी मजबूत डामर सडक को तोड़कर नई घटिया किस्म की सीमेंटेड सडक बनाई जा रही है। कनकमल दुग्गड से गैलेक्सी टावर तक भी घटिया सीमेंट सडक बनाई गई है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सरदारशहर ने पत्र दिनांक 22.09.2017 से अवगत करवाया कि निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार सम्बन्धित संवेदक मैसर्स भाटी ग्रुप कन्सट्रक्शन कम्पनी, सरदारशहर एवं मैसर्स एन.सादूलेखा, सरदारशहर को नगरपालिका निविदाओं से आगामी एक वर्ष के लिए टाईम-बार कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 18.01.2018 से अवगत करवाया कि सड़कों के निर्माण के समय देखरेख में लापरवाही बाबत मदनलाल माली एवं श्री सुनील कुमार सोनी कनिष्ठ अभियन्तागण नगरपालिका, सरदारशहर को भविष्य में सावचेत रहते हुए कार्य करने की लिखित चेतावनी दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 09.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(249)लोआस/2014

श्री कृष्ण सोनी आजाद, सम्पादक सीमा की ललकार, मटका चौक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित परिवाद में अधिशाषी अधिकारी द्वारा मिलीभगत कर पार्षद बराड़ के रिश्तेदार राजेन्द्र सिंह व श्रीमती दिलीप कौर को 300 वर्ग गज तक भूमि का पट्टा 5 लाख रूपये की रिश्वत लेकर जारी कर नगर पालिका, सूरतगढ़ को हानि पहुँचाने के आरोप लगाये गये।

परिवादी के आरोपों के बारे में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर से पत्राचार करने के उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री राजाराम की भू-पट्टी का आवंटन निरस्तीकरण एवं श्रीमती दिलीप कौर को जारी पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही हो जाने एवं दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डित किये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण दिनांक 21.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(303)लोआस/2014

परिवादी श्री हीरासिंह, निवासी- पंचायत समिति के पास, बयाना (भरतपुर) द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि नगरपालिका, बयाना की अध्यक्षा श्रीमती प्रवेश चौधरी व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा वित्तीय अनियमितताएँ की गई हैं। नाला व पाइप लाइन के कार्य में लगभग 22 लाख रूपये का गबन किया गया है। आदर्श नगर के सेक्टर 1 व 2 की योजना में अध्यक्षा ने अपने देवर वीरेन्द्र, हरीसिंह, विष्णु चौधरी, पति धर्मसिंह एवं ससुर हरीसिंह के नाम से 200 वर्गगज से कम के 100

प्लाट बनाकर पद का दुरूपयोग किया है। सुभाष चौक से बजरिया तक इन्टरलॉकिंग टाइल लगाने के कार्य में भी घपला किया गया है। श्याम सरोवर कॉलोनी में ले-आउट प्लान से बाहर जाकर नियम विरूद्ध सी.सी. रोड़ का निर्माण कराया गया है। आदर्श नगर में भी बिना सी.सी. रोड़ बनाये भुगतान उठाया गया है। यह भी शिकायत की गई कि वृन्दावन सिंह व उसके पट्टे की फाइल में पैसे जमा करवाने के बावजूद पट्टे जारी नहीं किये गये एवं जिनसे पैसे मिल गये, उनके नियम विरूद्ध पट्टे जारी कर दिये गये।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर ने पत्र दिनांक 05.12.2015 से अवगत करवाया कि नाला व पाइप लाइन के कार्य व इन्टरलॉकिंग के कार्य के सम्बन्ध में कोई कार्यादेश ही जारी नहीं हुए। आदर्श नगर के सेक्टर 1 व 2 में प्लॉटों का आवंटन नियमानुसार हुआ है। श्याम सरोवर कॉलोनी व आदर्श नगर में सी.सी. रोड़ का निर्माण भी नियमानुसार ही हुआ है। वृन्दावन सिंह व परिवादी का कब्जा वर्ष 1999 से पूर्व का होना प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिए नियमन की कार्यवाही नियमानुसार नहीं हो सकती है। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 06.03.2017 से यह भी अवगत करवाया कि दोषी लोकसेवक श्री दुर्गाप्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, श्री अमरसिंह धाकड़, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक एवं श्री निर्भय सिंह, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवकगण के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 07.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(633)लोआस/2014

एफ.16(634)लोआस/2014

परिवादी श्री सत्यप्रकाश शर्मा, निवासी- अमृतपुरी, हिण्डौनसिटी, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि नगर परिषद, हिण्डौन के कार्मिकों द्वारा सड़क के घटिया निर्माण में करोड़ों रूपए का घोटाला किया गया है। इस मामले की जाँच की जाकर दोषी कार्मिकों को दण्डित करवाया जावे तथा राशि बरामद करवाई जावे।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 07.03.2017 से अवगत करवाया कि निदेशालय के अधीक्षण अभियन्ता की जाँच रिपोर्ट के आधार पर निर्माण कार्यों में तकनीकी मापदण्डों का ध्यान नहीं दिये जाने एवं गुणवत्ता के अनुसार कार्य नहीं करवाये जाने के लिये तकनीकी अधिकारीगण श्री महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री पप्पूसिंह गुर्जर, कनिष्ठ अभियन्ता, श्री खेमराज मीणा, सहायक अभियन्ता, श्री के.एल. मीणा, सहायक अभियन्ता एवं श्री जितेन्द्र शर्मा, आयुक्त, नगर परिषद, हिण्डौनसिटी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। इसी मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने पत्र दिनांक 20.11.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में की गई शिकायत पर ब्यूरो के जयपुर मुख्यालय से प्राप्त निर्देश पर परिवाद संख्या 307/2014 श्रीमती गायत्री देवी कोली, सभापति, नगर परिषद, हिण्डौनसिटी, जिला करौली एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज होकर विचाराधीन है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये

जाने एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने पर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 05.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(646)लोआस/2014

परिवादी श्री गिर्राज मथुरिया, निवासी 1/15, हाउसिंग-बोर्ड कॉलोनी, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि सवाईमाधोपुर में सर्किट हाउस रोड पर बालाजी विहार कॉलोनी की आवासीय योजना के नक्शा अनुमोदन करने में नगर परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा मिलीभगतकर भ्रष्टाचारपूर्वक कार्यवाही की गई है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर द्वारा पत्र दिनांक 31.01.2018 से अवगत करवाया गया कि प्रकरण में ले-आउट प्लान अनुमोदन करने में लापरवाही बाबत दोषी कार्मिक श्री के.एल. मीना, तत्कालीन आयुक्त एवं श्री प्रदीप मीना, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर को राजस्थान सिविल सेवाएं(वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत क्रमशः परिनिन्दा के दण्ड से एवं एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है तथा श्री सामन्तालाल, तत्कालीन नगर नियोजक, जिला सवाईमाधोपुर के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान को लिखा गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 02.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(648)लोआस/2014

परिवादी कन्हैयालाल धाकड़, धाकड़ मौहल्ला, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके द्वारा पृथक-पृथक की गई तीनों शिकायतों का सार है कि लादूराम ने नगरपालिका, शाहपुरा (भीलवाड़ा) की भूमि 40x50 फुट पर नीवें खोदकर व पक्की दीवारें बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 02.06.2014 से लगातार शिकायत करने के बावजूद नगरपालिका द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि नगरपालिका के कर्मचारी श्री नाथूलाल का वह बहनोई लगता है। अन्य शिकायत में यह उल्लेख किया गया कि रामप्रसाद कुम्हार ने कुम्हार समाज को नियमन के आधार पर दिए गए प्लॉटों में से गलत शपथ-पत्र देकर भूखण्ड का आवंटन करवाया है तथा गैरकानूनी तरीके से निर्माण स्वीकृति प्राप्त की है। तीसरी शिकायत में यह उल्लेख किया गया कि श्री अनिल चौधरी के पास दिनांक 07.03.2000 से दिनांक 10.03.2000 तक अधिशाषी अधिकारी का चार्ज रहा और इसी दौरान कुम्हार समाज के लोगों को पट्टे दिए जाने के प्लान में भ्रष्टाचारपूर्वक चहेते लोगों के नम्बर बदलकर व प्लान में अन्य परिर्वतन करके मुख्य सड़क पर तीन दिन में ही पट्टे जारी कर दिए गये।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में स्वायत्त शासन विभाग ने पत्र दिनांक 08.03.2017 से अवगत करवाया गया कि श्रीमती सीमा चौधरी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा अतिक्रमण नहीं हटाने की लापरवाही बाबत राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एंव अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर दिया गया। रामप्रसाद को नगरपालिका ने गेट निकालने की जो स्वीकृति दी थी उसे निरस्त कर दिया गया है जिसके विरूद्व उसने न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी शाहपुरा में दावा किया है जो विचाराधीन है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 02.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(736)लोआस/2014

परिवादी मोहम्मद रफीक, झाग बस स्टैण्ड, वार्ड नम्बर-5, बगरू, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि नगरपालिका, बगरू की सिवाय चक सरकारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 5315 में से 15x15 वर्गफुट भूमि गणपत लाल रेबारी द्वारा श्रीमती सोहनी देवी को तथा श्रीमती सोहनी देवी द्वारा 42x23 वर्गफुट भूमि हनुमंत सिंह को नगरपालिका से एन.ओ.सी. लिए बिना बेच दी व हनुमंत ने उस पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बगरू ने पत्र दिनांक 05.05.2017 से अवगत करवाया कि गणपत, सोहनीदेवी व हनुमंत सिंह के विरूद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194(10ए), 245(1) व 285 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में स्वायत्त शासन विभाग ने पत्र दिनांक 09.11.2016 से अवगत करवाया कि दोषी लोकसेवक हरीश बनशिया तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, बगरू जिला जयपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 22.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(745)लोआस/2014

परिवादी फुआराम निवासी वार्ड नम्बर-4 बिलाड़ा, जोधपुर जिला जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि आई.एच.एस.डी.पी. योजना के तहत नगरपालिका, बिलाड़ा ने देवली स्कूल से चोयलों की ढ़ाणी तक डामर रोड़ व नाली बनाने तथा रोड़ लाइट लगाने का ठेका दिया। ठेकेदार ने घटिया सामग्री का उपयोग किया। उसके द्वारा बनाई गई सड़क पूरी तरह टूट गई एवं रोड़ लाइट भी नहीं लगाई गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में नगरीय विकास विभाग द्वारा पत्र दिनांक 04.09.2017 से अवगत करवाया गया कि प्रकरण में दोषी लोकसेवक श्री मुकेश कुमार वर्मा तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, बिलाड़ा हाल जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप-पत्र जारी कर दिया गया है तथा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बिलाड़ा द्वारा पत्र दिनांक 01.01.2018 से अवगत करवाया गया कि ठेकेदार द्वारा सड़क की रिपेयरिंग का कार्य पूरा कर दिया गया जिसके सम्बन्ध में परिवादी ने लिखित में कार्य से सन्तुष्ट होना प्रकट किया। उल्लेखनीय है कि परिवादी ने इस सचिवालय को भी पत्र प्रेषित कर निवेदन किया कि ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा कर दिया है जिसका उसने स्वयं निरीक्षण कर लिया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 25.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(61)लोआस/2015

परिवादी दर्पण खण्डेलवाल, पत्रकार नक्षत्र कॉम्पलेक्स, चाणक्य मार्ग, वार्ड नम्बर 6, पिलानी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि नगरपालिका, पिलानी के वार्ड नम्बर-6 में स्थित भूमि पर भूमाफियों ने अधिशाषी अधिकारी श्री महेश चन्द्र जोगी से साँठ-गाँठ करके कब्जा कर लिया, फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाकर बिजली व पानी के कनेक्शन ले लिए एवं अवैध रूप से निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिए।

इस सन्दर्भ में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पिलानी ने पत्र दिनांक 20.06.2017 से अवगत करवाया गया कि प्रकरण में कोई अतिक्रमण नहीं होना पाया गया। इसके बावजूद नोटिस जारी करने की लापरवाही के सम्बन्ध में बाबूलाल सैनी स्वास्थ्य निरीक्षक को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी किया गया तथा तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पिलानी श्री महेश चन्द्र योगी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु स्थानीय निकाय विभाग को लिखा गया। इस प्रकार इस प्रकरण में अतिक्रमी को नोटिस जारी की गई देरी में दोषी पाए गए कार्मिक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। प्रकरण दिनांक 08.02.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(106)लोआस/2015

परिवादी श्री कमल कान्त सुराना, निवासी हरीरामजी के मन्दिर के पीछे, पाबू चौक, नई लाइन, गंगाशहर, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि नगर सुधार न्यास, बीकानेर द्वारा उसे विकलांग श्रेणी में सितम्बर, 2012 में प्लॉट का आवंटन किया गया। इसकी सारी औपचारिकताएँ पूरी कर देने एवं पट्टा हेतु उससे बीस हजार रूपये का

स्टाम्प प्राप्त कर लेने के बावजूद अभी तक प्लॉट का पट्टा व कब्जा नहीं दिया गया।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में सचिव, नगर सुधार न्यास, बीकानेर ने पत्र दिनांक15.02.2017 से अवगत करवाया कि परिवादी को दिनांक 10.08.2016 को भूखण्ड का भौतिक कब्जा दे दिया गया व इसकी लीज-डीड दिनांक 12.08.2016 को परिवादी के हक में जारी कर दी गई। यह भी अवगत करवाया कि सम्बन्धित पत्रावली कार्यालय से गुम होने बाबत दोषी कार्मिक तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार श्री लालचन्द सोनी को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर दिया गया। इसी क्रम में निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 31.05.2017 से अवगत करवाया कि श्री लालचन्द सोनी, कनिष्ठ लेखाकार को विभागीय जाँच में राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 16.05.2017 के द्वारा भविष्य में सतर्कता के साथ कार्य करने की ''लिखित चेतावनी'' के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 27.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(264)लोआस/2015

परिवादी श्री मुंशी खान एवं अन्य निवासी-वार्ड नम्बर 23, तारानगर, चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि श्री फतेह मोहम्मद ने सार्वजनिक चौक पर अतिक्रमण कर लिया तथा रास्ते में भी दीवार बनाकर अतिक्रमण किया है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में अघिशाषी अधिकारी, नगरपालिका तारानगर, जिला चूरू ने पत्र दिनांक 22.03.2017 से अवगत करवाया कि चौक व रास्ते की भूमि के अतिक्रमण को स्वयं अतिक्रमी श्री फतेह मोहम्मद ने हटा लिया है, जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा भी की गई। प्रकरण में स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 02.03.2017 से यह भी अवगत करवाया कि तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, तारानगर, जिला चूरू श्री श्याम बिहारी गोयल द्वारा समय पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करने बाबत उनके विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 06.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(314)लोआस/2015

परिवादी बाबूलाल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय बद्रीप्रसाद, 17 मेडिकल कॉलोनी, शास्त्री नगर, अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि नगर परिषद, अलवर के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सफाई कर्मचारीगण के 329 पदों पर भर्ती में गम्भीर अनियमितताएँ की गई।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर ने पत्र दिनांक 11.07.2017 से अवगत करवाया कि नगर परिषद, अलवर द्वारा की गई सफाई कर्मचारी भर्ती में जाँच रिपोर्ट के आधार पर अनियमितताएँ पाए जाने की अवस्था में विभागीय आदेश दिनांक 11.08.2014 के द्वारा उक्त भर्ती को निरस्त किया जा चुका है तथा दोषी 12 लोकसेवकों में से

श्री गरीब दास, कनिष्ठ लिपिक को सेवानिवृत्त होने के कारण सहानुभूति रखते हुए उसके विरूद्व जाँच समाप्त की गई है। अन्य श्री उमराव लाल तोंदवाल वरिष्ठ लिपिक, श्री कमलेश कुमार कनिष्ठ लिपिक, श्री गुरूवेन्द्रसिंह कनिष्ठ लिपिक, श्री लवकुश शर्मा कनिष्ठ लिपिक, श्री रमेश जायसवाल कनिष्ठ लिपिक, श्री राजेन्द्र मिश्रा कनिष्ठ लिपिक, श्री नारायण लाल मीणा कार्यालय सहायक, श्रीमती कृष्णा गांधी वरिष्ठ लिपिक, श्री रामवतार नवीन वरिष्ठ लिपिक, श्री राजवीर यादव कार्यालय सहायक एवं श्री निर्मल कुमार श्रोत्रिय सफाई निरीक्षक प्रथम को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दोषी पाए जाने पर असंचयी प्रभाव से एक-एक वेतन-वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 12.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(352)लोआस/2015

परिवादी दीपक माधाना निवासी बी-30, जनता कॉलोनी, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह शिकायत की गई कि नगरपालिका, सांभरलेक के कनिष्ठ लिपिक प्रवीण माथुर ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए पालिका की गृहकर-पंजिका के क्रमांक 7/303 पर पूर्व से चल रहे सम्पत्ति के मालिक रामस्वरूप माधाना के दर्ज नाम को ब्लेड से कुरेदकर आवेदकों से मिलीभगत कर नवीन जैन का नाम गलत दर्ज कर दिया।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सांभरलेक ने पत्र दिनांक 24.04.2017 से अवगत करवाया कि श्री प्रवीण कुमार माथुर, कनिष्ठ लिपिक को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958

के नियम 17 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही में दोषी मानते हुए एक वेतन वृद्धि असंचयी रूप से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। इसी क्रम में पत्र दिनांक 17.08.2017 से अवगत करवाया है कि गृहकर पंजिका वार्ड नम्बर 7 के क्रमांक 303 पर पुनः पुरानी स्थिति दर्ज कर रामस्वरूप मान्धाना के नाम से संशोधित कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 07.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(447)लोआस/2015

परिवादी श्री बाबू खाँ, निवासी उनियारा, जिला टोंक द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, उनियारा के विरूद्ध नियम विरूद्ध कार्ड छपवाकर उन पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के फोटो छपवाने पर कार्यवाही करने हेतु शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23-05-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, उनियारा हाल कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, चौमू के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर परिवाद दिनांक 12-07-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(512)लोआस/2015

दैनिक भास्कर समाचार पत्र के जयपुर संस्करण में दिनांक 29.09.2015 को **'वीआईपी ट्रीटमेंट वाली सड़कों पर फिर से काम, वो भी महँगी दर पर '** शीर्षक से प्रकाशित समाचार में जे.एल.एन. मार्ग, टोंक रोड़, भवानीसिंह मार्ग, पृथ्वीराज मार्ग, सहकार मार्ग इत्यादि सड़कें जेडीए द्वारा तीन ग्रुप में शॉर्ट टाइम टैण्डर लगाकर काम करने की तैयारी करने और मेन्टिनन्स सेल की ओर से इन सड़को पर शॉर्ट टाईम एनआईटी में सिंगल फर्म का टेण्डर मन्जूर करने तथा हाई लेवल कमेटी की जांच में 8 सड़कों के सेम्पल फेल हो जाने इत्यादि तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

इस सन्दर्भ में इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर ने पत्र दिनांक 23.05.2017 से अवगत करवाया कि उक्त सड़कों के कार्य के निर्माण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में दोषी लोकसेवकगण श्री मनोज कुमार मीणा, श्री हिमान्शु गुप्ता, श्री हेमराज मीणा, श्री मनोज खण्डलेवाल (तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्तागण), श्री गजानन्द जांगिड़, श्री अरूण माथुर, श्री महेन्द्रसिंह, श्री अरूण माथुर (तत्कालीन सहायक अभियन्तागण), श्री दीपक माथुर, श्री आर.के. माथुर एवं श्री पी.के. व्यास (तत्कालीन कार्यवाहक अधिशाषी अभियन्तागण) को आरोप–पत्र जारी कर दिए गए है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 30.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(647)लोआस/2015

परिवादी श्री यशपाल सिंह, निवासी प्लाट नम्बर डी-637, रेजीडेन्सी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर ने आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के विरूद्ध उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर श्री अनिल माथुर द्वारा नियमों के विपरीत ले-आउट प्लान पारित किये जाने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 01-11-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि परिवाद में अंकित आरोपों के आधार पर श्री अनिल माथुर, तत्कालीन उप नगर नियोजक को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 में आरोप-पत्र देकर अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 12-02-2018 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(973)लोआस/2015

परिवादी श्री भीमराज जैन, निवासी देवली, जिला टोंक द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, देवली जिला टोंक के विरूद्ध पुलिया का घटिया निर्माण करवाये जाने व अधिक भुगतान किये जाने को लेकर शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल, देवली ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 08-06-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि मैसर्स शर्मा कन्सट्रक्शन को किये गये अधिक भुगतान राशि 49,904/-रूपये की वसूली की जा चुकी है । इसके साथ ही दोषी लोक

सेवकगण श्री रोहित मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता व श्री हंसराज गुर्जर, कनिष्ठ लिपिक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम में अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 04-07-2017 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.16(154)लोआस/2016

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद बोयत से दिनांक 27.04.2016 को अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बाँदीकुई के विरूद्ध प्राप्त परिवाद में मुख्य रूप से श्री राकेश कुमार निदानिया को विधि विरूद्ध रूप से सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आरोप लगाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा पत्र दिनांकित 10.02.2017 एवं 05.06.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि प्रकरण मे सफाई कर्मचारी श्रीमती ज्योति रानी, श्रीमती सन्तोष, श्री विजेन्द्र, श्री जगदीप एवं श्री राजू को नगरपालिका, बांदीकुई द्वारा सेवा से हटा दिया गया था किन्तु श्रीमती सन्तोष, श्रीमती ज्योति व श्री विजेन्द्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से सेवा से हटाये जाने पर स्थगन प्राप्त करने पर उन्हें पुनः सेवा में लिया गया हैं। श्री जगदीप व श्री राजू को स्थगन प्राप्त नहीं हेाने से वे वर्तमान में सेवा में नहीं है। आरोपित श्री हरिशचन्द्र गहलोत, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं श्री गोविन्द चौबे, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, बॉदीकुई के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन, आरोप-पत्र एवं आरोप-विवरण जारी कर दिये गये हैं।

इस प्रकार अनियमित नियुक्त सफाई कर्मचारियों को सेवा से हटा देने एवं दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 07.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(174)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती मंजू देवी, निवासी वर्द्धमान आदर्श विद्या मंदिर के पास, रेगरपुरा, बालोतरा ने आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा के विरूद्ध पत्रावली जमा करवाने के बावजूद लीज-डीड जारी नहीं करने के विषय को लेकर शिकायत की।

इस सन्दर्भ में सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 10-11-2017 प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि प्रश्नगत परिवाद से सम्बन्धित पत्रावली गुम होने के सम्बन्ध में श्री कमलेश, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, बालोतरा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 में कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है तथा परिवादी द्वारा नई पत्रावली प्रस्तुत करने पर साइट-प्लान न होने एवं नियमन राशि कम जमा होने बाबत उस को नोटिस जारी किया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिनी को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाकर प्रकरण दिनांक 18-01-2018 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.18(21)लोआस/2016

परिवादी श्री विनय जिन्दल पुत्र श्री बंशीधर जिन्दल, निवासी 188, सुखाड़िया शॉपिंग सेंटर, श्री गंगानगर ने यह परिवाद जिला आबकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध सुखाड़िया शॅपिंग सेंटर पर शराब का ठेका हटवाने के सन्दर्भ में दिनांक 16.9.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 22.9.16 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 16.6.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि आदेश दिनांक 30.11.16 से देशी मदिरा थोक गोदाम को निरस्त कर दिया गया तथा गोदाम स्वीकृत करने वाले आबकारी निरीक्षक, श्री प्रदीप कुमार के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील), नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र जारी कर दिये गये। विभागीय जाँच में समय लगने की संभावना को देखते हुए प्रक्रियाधीन कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष की सूचना प्राप्त करने हेतु आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर को पत्र प्रेषित करने पर प्रकरण सचिवालय स्तर पर निरस्त किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् दोषी लोकसेवक के विरूद्ध विभागीय जाँच प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 30.6.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.18(23)लोआस/2016

परिवादी श्री पी. वी. मुरलीधरन निवासी ग्वालियर अलकबू प्रा. लिमिटेड रायरू फार्म आगरा मुम्बई रोड़, ग्वालियर व अन्य ने यह परिवाद

एक्साइज इन्सपेक्टर श्री पुनीत शर्मा एवं योगेन्द्र सिंह के विरूद्ध शराब चोरी के मामले में 10 लाख रूपये रिश्वत माँगने का आरोप लगाते हुए जाँच कर कार्यवाही करवाने के सन्दर्भ में दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 20.12.2016 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन), उदयपुर से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट दिनांक 8.12.2017 के अनुसार श्री पुनीत शर्मा व योगेन्द्र सिंह, आबकारी निरीक्षक के विरूद्ध आरोपित आरोपों की जाँच हेतु दिनांक 21.6.17 के द्वारा अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन जयपुर को जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जाँच कार्यवाही में लगने वाले समय को देखते हुए सचिवालय स्तर पर प्रकरण को लम्बित रखे जाने का औचित्य प्रतीत नहीं हुआ।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध जाँच कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 29.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.18(18)लोआस/2017

परिवादी श्री नरेश कुमार अरोड़ा पुत्र श्री जयनारायण निवासी मॉडल टाउन विस्तार, नियर यू.आई.टी., सतीजा स्ट्रीट, श्रीगंगानगर ने यह परिवाद शराब के ठेकों की अवैध अनुमति देने के सन्दर्भ में दिनांक 01 अगस्त 2017 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, उदयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 9.8.17 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, उदयपुर से

प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.10.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि दोषी लोकसेवक श्री माँगी लाल, आबकारी निरीक्षक के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण-पत्र जारी कर दिये गये एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आबकारी आयुक्त, उदयपुर को प्रकरण में अंतिम निर्णय से इस सचिवालय को अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् दोषी लोकसेवक के विरूद्ध उक्तानुसार कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 11.12.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(17)लोआस/2012

परिवादी श्रीमती मोहिनी बाई श्रृंगी पत्नी स्व. श्री रूपचन्द श्रृंगी द्वारा श्री रामावतार श्रृंगी नाईयों का चौक, पाटन पोल, जिला कोटा ने यह परिवाद सीएडी चम्बल, बून्दी के अधिकारियों के विरूद्ध प्रस्तुत कर उसके पति के मरणोपरांत पारिवारिक पेन्शन दिलवाने के सन्दर्भ में दिनांक 31.3.13 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास, शासन सचिवालय, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 5.7.13 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 31.3.17 के अनुसार श्री आर.पी. गुप्ता एवं हरीश व्यास को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिये गये। परिवादी को पेन्शन एवं ग्रेच्युटी आदेश जारी कर दिये गये हैं। दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध जाँच में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए जाँच के

अंतिम निष्कर्ष से अवगत करवाने हेतु शासन सचिव कार्मिक विभाग को पत्र लिखा गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध उक्तानुसार कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 6.4.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(3)लोआस/2013

परिवादी श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी 5 केएसडी पोस्ट आफिस सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ने यह परिवाद जल संसाधन विभाग, जैतसर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध राज्यकोष को 20 लाख रूपये का नुकसान पहुँचाये जाने एवं इस सन्दर्भ में उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु दिनांक 24.4.13 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग/उत्तर संभाग, हनुमानगढ़ को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जाँच) विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 27.4.2017 के अनुसार अवगत करवाया गया कि श्रवण कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता एवं हरीश कुमार, कनिष्ठ लिपिक को आरोप पत्रादि जारी कर दिये गये व प्रकरण की विस्तृत जाँच का आदेश दिनांक 7.2.17 जारी किया गया जिसमें आयुक्त (प्रथम) विभागीय जाँच, राजस्थान को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जाँच में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए जाँच के अंतिम निष्कर्ष से अवगत करवाने हेतु शासन सचिव कार्मिक (क-3/जाँच) को पत्र लिखा गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध उक्तानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो

जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 1.5.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(10)लोआस/2014

परिवादी श्री रूपलाल यादव पुत्र श्री नाथूजी यादव जाति मेघवाल जय माँ त्रिपुरा कंस्ट्रक्शन निवासी सामागढ़ा पोस्ट तलवाड़ा जिला बाँसवाड़ा ने यह परिवाद माही परियोजना में किये गये निर्माण कार्य का भुगतान करवाने के सन्दर्भ में दिनांक 4 अगस्त, 2014 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता, बांध खण्ड प्रथम, माही परियोजना, बांसवाड़ा को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 21.8.14 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता, बाँध खण्ड प्रथम, माही परियोजना, बाँसवाड़ा से प्राप्त पत्र दिनांक 20.4.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी द्वारा किये गये कार्य का उसे भुगतान कर दिया तथा श्री रामविलास भदौरिया तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही कर उन्हे जाँच विचाराधीन रखते हुए निलम्बित किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं दोषी लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 17.5.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(9)लोआस/2015

परिवादी श्री ईश्वर राम पुत्र श्री नन्द राम जाति जाट निवासी सरदारगड़िया, तहसील भादरा, हनुमानगढ़ ने यह परिवाद सिंचाई विभाग,

हनुमानगढ़ के विरदीचन्द व राजेन्द्रकुमार के विरूद्ध पद का दुरूपयोग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाने के सन्दर्भ में दिनांक 25 मई, 2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 22.7.15 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 4.9.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी के चाहे अनुसार वर्णित व्यवस्था के मुताबिक सिंचाई सुविधा हेतु मौके की वस्तुस्थिति के हिसाब से किला नं. 1 व 10 में आड/पंखी बनाने की व्यवस्था कर दी गई है। विभाग में कार्यरत जिलेदार श्री दिनेश सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाकर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने एवं दोषी कर्मचारी को उक्तानुसार दण्डित कर दिये जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 20.9.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.30(8)लोआस/2016

परिवादी श्री देवी सहाय शर्मा पुत्र श्री गोविन्द राम निवासी वनस्थली विद्या पीठ, निवाई (टोंक) ने यह परिवाद श्रम विभाग के श्री प्रवीण कुमार निरीक्षक के विरूद्ध उसके विद्यापीठ को बन्द करवाने की धमकियाँ देकर अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की माँग करने के सन्दर्भ में दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में आयुक्त श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 24.10.16 प्रेषित किया

गया। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री प्रवीण कुमार वर्मा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत आरोप पत्र दिया जाकर जाँच कार्यवाही प्रारम्भ की गई है जिसमें जाँच अधिकारी व प्रतिनिधि अधिकारी नियुक्त किया जाना बताया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् दोषी अधिकारी के विरूद्ध उक्तानुसार जाँच कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने एवं कार्यवाही के पूर्ण होने में समय लगने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 19.4.17 को कार्यवाही में अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को अवगत करवाने बाबत पत्र आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर को प्रेषित कर परिवाद सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(13)लोआस/2010

परिवादी श्री लीलाधर शर्मा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एकीकृत महासंघ वार्ड नं. 24 बिसाउ रोड, जिला चूरू ने यह परिवाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड सुजानगढ़ के अधीन उपखण्ड बीदासर पर हो रहे लाखों रूपये के गबन का आरोप लगाते हुए कार्यवाही किये जाने के सन्दर्भ में दिनांक 25.10.2010 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 16.9.11 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3) जाँच विभाग, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.4.17 के अनुसार अवगत करवाया गया कि लोकसेवक सुगनचन्द एवं श्री के.एल. सिहाग के विरूद्ध चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण में जाँच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तथा

मोहनलाल कंवल के प्रकरण में प्रशासनिक विभाग से एवं कमलेश चन्देल की कार्यवाही में लोकसेवक से प्राप्त अभ्यावेदन पर अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त चूरू से टिप्पणी चाही गई है। प्रकरण में जाँच कार्यवाही के अंतिम निर्णय से अवगत करवाने हेतु विभाग को पत्र लिखते हुए प्रकरण सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध कर दिया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार लोकसेवकगण को दण्डित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक-19.4.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(4)लोआस/2014

परिवादी श्री संजय सिंह पुत्र श्री बच्चू सिंह 78 कम्पीटिशन कॉलोनी, महावीर नगर थाने के पास, कोटा ने यह परिवाद श्री कुन्दन लाल द्वारा सरकारी कर्मचारी हैल्पर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर के पद पर कार्य करने के साथ-साथ राजस्थान सेवा नियमों के विरूद्ध प्राइवेट शिक्षण संस्थायें संचालित करने के सन्दर्भ में दिनांक 04.05.2014 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 19.5.14 प्रेषित किया गया। इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार अवगत करवाया गया कि श्री कुन्दन लाल शर्मा हैल्पर के विरूद्ध अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड अलवर द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनिक जाँच

कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। कार्यवाही पूर्ण होने में लगने वाले समय को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण को सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निष्कर्ष से इस सचिवालय को सूचित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड अलवर को पत्र प्रेषित किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् उक्तानुसार लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 24.8.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(156)लोआस/2014

परिवादी श्री गोपाल लाल चौधरी से दिनांक 25.07.2014 को प्राप्त परिवाद में श्री पराग चौधरी, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झोटवाड़ा (जयपुर) व श्री सुरेश कुमार शर्मा, उप तहसीलदार, कालवाड़ (जयपुर) के विरूद्ध सरकारी विद्यालय की भूमि को खुर्द-बुर्द करने में ग्राम पंचायत, हाथोज के आरोपी सरपंच श्री राम बाबू शर्मा को कार्यवाही से बचाने के लिये भ्रष्ट नीयत से अभिलेख में कांट-छांट कर मिथ्या रिपोर्ट बनाने का आरोप लगाया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 20.04.2015 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि श्री पराग चौधरी तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झोटवाड़ा द्वारा जानबूझकर कोई भ्रामक रिपोर्ट देना नहीं पाया गया।

संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 15.11.2016 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि ग्राम हाथोज के खसरा नंबर 353 व 363 में दिनांक 28.10.2014 को किये गये सीमाज्ञान में पाये गये अतिक्रमण को

दिनांक 27.10.2016 को हटाया जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत, हाथोज को कब्जा संभला दिया गया।

जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा पत्र दिनांकित 13.04.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि श्री सुरेश चन्द शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार, कालवाड़, तहसील जयपुर को पत्र दिनांक 29.09.2016 द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन, आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण प्रेषित कर जवाब आहूत किया गया।

इस प्रकार ग्राम पंचायत की भूमि का अतिक्रमण हटाकर कब्जा ग्राम पंचायत को सुपुर्द करने, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हाथोज की पट्टेशुदा भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं होने का प्रतिवेदन जारी करने वाले तत्कालीन उप तहसीलदार, कालवाड़ जिला जयपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन, आरोप-पत्र एवं आरोप-विवरण देकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 20.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(358)लोआस/2014

राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के दिनांक 19.11.2014 के अंक में 'शाही सफर में 14 करोड़ की चपत' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर लोकायुक्त सचिवालय द्वारा स्वप्रेरणा से दिनांक 05.12.2014 को प्रसंज्ञान लिया गया। समाचार पत्र में यह प्रकट किया गया कि राज्य में चल रही ''दो शाही ट्रेनों पैलेस ऑन व्हील्स'' और ''रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स'' में विदेशी पर्यटक सफर करते रहे लेकिन इनके किराये की राशि सरकार को नहीं मिली। अप्रेल 2013 से अप्रेल 2014 के दौरान इन ट्रेनों की बुकिंग के पैसे ट्रेवल एजेन्टों ने चैक के माध्यम से राजस्थान पर्यटन

विकास निगम के दिल्ली स्थित कार्यालय में जमा करवाये थे। वे चैक बाउंस होते गये लेकिन अधिकारियों ने उस राशि की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जिससे करीब 14 करोड़ रूपयों की चपत लगने का खुलासा ऑडिट रिपोर्ट से हुआ।

कार्यकारी निदेशक, राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 14.09.2015 प्रेषित कर यह अवगत करवाया गया कि समस्त अनादरित चैकों के सम्बन्ध में नेगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत नई दिल्ली स्थित न्यायालय में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। श्री प्रमोद शर्मा, महाप्रबन्धक (होटल), श्रीराम बंशीवाल, सहायक प्रबन्धक, श्री मधु छुगानी, लेखाकार, श्री अशोक सिंह चौहान, सहायक प्रबन्धक होटल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16/राजस्थान पर्यटन विकास निगम कर्मचारी आचरण, अनुशासन एवं अपीलीय नियम, 1980 के नियम 9 के अन्तर्गत आरोप-पत्रादि जारी कर दिये गये और मैसर्स लग्जरी होलिडेज, नई दिल्ली के निदेशकों के विरूद्ध तिलक मार्ग, नई दिल्ली थाने में प्राथमिकी संख्या 66/23.2.15 दर्ज करवा दी गई।

कार्यकारी निदेशक, राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ने प्रतिवेदन दिनांक 26.07.2016 प्रेषित कर यह अवगत करवाया कि सीआरओ, नई दिल्ली कार्यालय में तत्कालीन अवधि के दौरान कार्यरत श्री प्रमोद शर्मा, महाप्रबन्धक (होटल) को उक्त प्रकरण में दोषी पाये जाने से राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर कर्मचारी आचरण, अनुशासन एवं अपीलीय नियम, 1980 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 27.04.2016 के द्वारा सेवा से बर्खास्त (Dismiss) कर दिया गया।

कार्यकारी निदेशक, राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ने प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2017 प्रेषित कर यह अवगत करवाया कि जाँच रिपोर्ट में दोषी पाये गये मुख्यालय में लेखा अनुभाग के 6

कार्मिक श्री रामप्रसाद पारीक, सहायक लेखाधिकारी, श्री इन्द्रजीत सिंह, सहायक लेखाधिकारी, श्री फरीद-उर-रहमान नियाजी, सहायक लेखाधिकारी, श्री जय किशन बासन्दानी, लेखाकार, श्री रविन्द्र सिंह रत्नू, कनिष्ठ लेखाकार तथा श्री कमल कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार को नियम 9 के अन्तर्गत आरोप-पत्रादि जारी किये गये हैं और इनके विरूद्ध जाँच प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार दोषी लोक-सेवकों के विरूद्ध राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन कर्मचारी आचरण, अनुशासन एवं अपीलीय नियम, 1980 के नियम 9 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने, श्री प्रमोद शर्मा, तत्कालीन महाप्रबन्धक को सेवा से बर्खास्त कर दिये जाने एवं अनादरित चैको के सम्बन्ध में नेगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट की धारा 138 के अन्तर्गत कार्यवाहियों के संस्थित कर दिये जाने से वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 11.07.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(15)लोआस/2015

परिवादी श्री सधीक खान निवासी सहसन, जिला भरतपुर से दिनांक 15.04.2015 को प्राप्त परिवाद में ग्राम सहवन में स्थित सरकारी भूमि खसरा संख्या 2144 पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी, जिला कलेक्टर, भरतपुर एवं पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 27.12.2017 प्रेषित कर यह अवगत करवाया गया है कि सौराब आदि के अतिक्रमण मौके से हटा दिये गये हैं एवं वर्तमान में रास्ता मौके पर चालू है। अतिक्रमी को 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है और अतिक्रमण के लिए दोषी

तत्कालीन पटवारी सहसन–प्रथम, तहसील पहाड़ी श्री रमेश चन्द रवि के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवा दिये जाने एवं दोषी पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 02.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(369)लोआस/2015

परिवादी श्री जतन लाल खत्री से दिनांक 17.02.2016 को प्राप्त परिवाद में उसकी क्रय सुदा 15 हैक्टेयर भूमि में से 200 फुट जमीन पर कॉलोनाइजर श्री नरेश माकड़ द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने पर उसके द्वारा पुलिस थाना, गंगाशहर में प्राथमिकी संख्या 621/2.8.13 पंजीबद्ध करवाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया गया।

जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा नगर सुधार न्यास, बीकानेर के प्रतिवेदन के आधार पर अपने प्रतिवेदन दिनांकित 14.09.2016 से यह प्रकट किया गया कि परिवादी की दीवार को तोड़ना प्रमाणित नहीं पाया गया।

जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा पत्र दिनांकित 16.01.2017 व 25.04.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद थाने में नहीं मिलने एवं उस पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्वजीत सिंह उप निरीक्षक एवं श्री रणजीत सिंह, मुख्य आरक्षी, पुलिस थाना गंगाशहर (बीकानेर) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के

अन्तर्गत दिनांक 13.01.2017 को ज्ञापन, आरोप–पत्र एवं आरोप–विवरण प्रेषित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई।

इस प्रकार दोषी लोक–सेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 19.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(382)लोआस/2015

परिवादिनी काली की ओर से दिनांक 26.02.2016 को प्राप्त परिवाद में यह आरोप लगाया गया कि उसके माता–पिता के वे तीन लड़कियाँ ही पैदा हुई, कोई भाई पैदा नहीं हुआ और उसके माता पिता ने अपने जीवनकाल में किसी को गोद भी नहीं लिया लेकिन उसके चाचा बदरीलाल के पुत्र दयाचन्द मीना ने हल्का पटवारी श्री अमरचन्द चौधरी, गिरदावर, तहसीलदार, सरपंच एवं सचिव से मिलीभगत कर अपना नाम खातेदारी में जुड़वा लिया जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी, उनियारा मे दायर की जिन्होंने भारी रिश्वत लेकर गलत फैसला कर दिया।

परिवादिनी के परिवाद के सम्बन्ध में संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 25.01.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि दयानन्द का नाम नामान्तरण सं.946 में से काट दिया गया है।

जिला कलक्टर, टोंक द्वारा प्रतिवेदन दिनांकित 07.04.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि प्रकरण में दोषी पटवारी पटवार मण्डल, उखलाना तहसील उनियारा श्री अमरचन्द को राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन, आरोप–पत्र दिनांक 30.03.2017 को जारी किया गया।

इस प्रकार नामान्तरण सं. 946 से दयानन्द का नाम काट दिये जाने एवं दोषी पटवारी को आरोप–पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ

कर दिये जाने से परिवादिनी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(30)लोआस/2016

परिवादिनी सरजू देवी की ओर से श्री सुरेश कुमार द्वारा प्रेषित परिवाद दिनांकित 21.04.2016 में अभिकथन किया गया कि दिनांक 05.02.2002 को ग्राम नान्दरी, तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण में राजस्व शिविर के दौरान मदनलाल बलाई द्वारा सरजू देवी के स्थान पर अन्य महिला को उपस्थित कर फर्जी हक त्याग करवाने के सम्बन्ध में पुलिस थाना, किशनगढ़ रेनवाल में पंजीबद्ध अभियोग संख्या 256/28.9.15 में अनुसंधान अधिकारी श्री सुन्दर लाल यादव, सहायक उप निरीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिवादिनी के परिवाद के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण जयपुर द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 26.12.2016 व 12.04.2014 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि अभियोग संख्या 256/15 थाना रेनवाल जिला जयपुर ग्रामीण के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त होने के दो माह तक मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं करने के सम्बन्ध में जाँच में दोषी पाये गये अधिकारी श्री बृजेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक, तत्कालीन थानाधिकारी, रेनवाल एवं श्री सुन्दर लाल, सहायक उप निरीक्षक, थाना रेनवाल के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जा रही है। तत्कालीन वृत्ताधिकारी, वृत्त सांभरलेक जिला जयपुर ग्रामीण की इस प्रकरण के सम्बन्ध में कोई लापरवाही नहीं है।

इस प्रकार दोषी लोक-सेवकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दिये जाने से परिवादिनी को वांछित

अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(44)लोआस/2016

परिवादी श्री पवन खन्ना, निवासी नरायना, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर से दिनांक 28.04.2016 को प्राप्त परिवाद में उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पुलिस विभाग के विरूद्ध कस्बा नरायना में बस स्टैण्ड से सुभाष चौक तक बने गौरव पथ को रात्री के समय गेट बन्द कर रास्ता बाधित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया गया।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में संभागीय आयुक्त, जयपुर ने प्रतिवेदन दिनांकित 30.08.2017 प्रेषित कर अवगत करवाया कि परिवादी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में संस्थित करवाई गई एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 4036/2017 में दिनांक 09.05.2017 को पारित आदेश की अनुपालना में गौरव पथ के दोनो गेट खुलवा दिये गये और रात्री 11 बजे से 5 बजे तक गेट बन्द किये जाने पर किसी व्यक्ति के आने पर उसकी पहचान कर गेट खोला जा रहा है। यह भी अवगत करवाया गया कि प्रकरण का लम्बे समय तक निस्तारण नहीं करने हेतु श्री विश्वनाथ पारीक, ग्राम सेवक व पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, नरायना के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप-पत्र व आरोप विवरण जारी कर दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 12.09.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(123)लोआस/2016

परिवादी श्री लक्ष्मण पुत्र कंवरा जाति रेगर, निवासी हिण्डोली, जिला बून्दी से दिनांक 15.06.2016 को प्राप्त परिवाद में मोतीलाल सैनी, पटवारी पर आरोप लगाया गया है कि उसने तहसीलदार व विकास अधिकारी से मिलीभगत करके अपनी माता श्रीमती केशरबाई के नाम से नियम विरूद्ध पेंशन आदेश दिनांक 12.04.2013 स्वीकृत करवाकर राजकोष से राशि 25,500/- प्राप्त की जबकि श्रीमती केशरबाई को मोतीलाल सैनी, पटवारी (राज्यसेवक) एवं बद्रीलाल, कार्मिक, भारत संचार निगम लिमिटेड (केन्द्रीय कर्मचारी) पर आश्रित होना बताया था व इस परिस्थिति में श्रीमती केशरबाई पेंशन प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं थीं।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, बून्दी से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 25.05.2017 एवं 08.10.2017 में यह प्रकट किया गया कि पेंशनधारक श्रीमती केशरबाई द्वारा जरिये ई-चालान पेंशन राशि 25,500/- रूपये जमा करवा दी है । उक्त पेंशन स्वीकृत करने हेतु दोषी लोकसेवक श्री बलराम नामा, तत्कालीन पटवारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर आरोप-पत्र ज्ञापन जारी कर दिया गया है।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.-1), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांकित 21.12.2017 में यह प्रकट किया है कि उक्त पेंशन स्वीकृत करने हेतु दोषी लोकसेवक सुश्री आदित्या आनन्द एवं तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डौली के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दिनांक 20.12.2017 को आरोप-पत्र, आरोप-विवरण एवं ज्ञापन जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार केशरबाई को विधि विरूद्ध अदा की गई पेंशन राशि की वसूली हो जाने एवं दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने एवं परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 02.01.2018 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(351)लोआस/2016

परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा से दिनांक 28.12.2016 को प्राप्त परिवाद में यह आरोप लगाया गया कि वह दिनांक 18.02.2013 को भारतीय थल सेना में सिकन्दराबाद में डयूटी पर था, उस दिन उसकी जगह सुबिता जोशी ने उसके नाम से शपथ-पत्रों पर हस्ताक्षर कर ग्राम सचिव के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित करवाकर फर्जी विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करवा लिया। अतः सचिव, पंचायत समिति, लालासी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

परिवादी के परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, सीकर द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 03.05.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि इस सम्बन्ध में पूर्व में पुलिस थाना, लक्ष्मणगढ़ में प्राथमिकी संख्या 103/2016 पंजीबद्ध की जा चुकी है एवं दोषी लोक-सेवक श्री छोटूराम, ग्राम सेवक को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 27.09.2016 को आरोप-पत्र जारी कर श्री छोटूराम को परिनिन्दा के दण्ड से दंडित करते हुए कार्यवाही निस्तारित की गई।

इस प्रकार फर्जी विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करवाने के सम्बन्ध में पुलिस में अभियोग पंजीबद्ध कर दिये जाने एवं दोषी लोक सेवक तत्कालीन ग्राम सेवक को 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 06.06.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.45(8)लोआस/2011

परिवादी श्री बनवारी लाल चौधरी, पूर्व प्रदेश कांग्रेस (ई) सेवादल, बीकानेर ने दिनांक 05.07.2011 को परिवाद प्रेषित कर यह शिकायत की है कि झुन्झुनूं जिले में मोड़ा पहाड़ में पट्टाधारियों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। प्रत्येक पट्टाधारी प्रतिदिन करीब 2 लाख रूपये की राशि अवैध खनन से कमा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग को शिकायत की गई। इस पर अवैध खनन की जाँच करवाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें खनि अभियन्ता श्री आमेटा, श्री मूलचंद एवं 4-5 अन्य लोक सेवकों को सदस्य बनाया गया। कमेटी द्वारा मौके पर पहुँच कर सही प्रकार से नपती नहीं की गई। मौके पर बनाई गई रिपोर्ट पर उपस्थित पट्टाधारियों से हस्ताक्षर नहीं करवाये गये और न ही सही प्रकार से नक्शा बनाया गया। उक्त कमेटी द्वारा यह असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अवैध खनन नहीं हो रहा है। खनन-पट्टा क्षेत्रों की नपती के उपरान्त भी मौके पर अवैध खनन हो रहा है। इस पर उसने श्री खमेसरा, खनि अभियन्ता, सीकर एवं निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को लिखित में शिकायत प्रेषित की। श्री कोठारी ने 1 करोड़ रूपये लेकर तीन दिवस पूर्व 11 पट्टाधारियों को कार्य करने की स्वीकृति जारी की है। खनि अभियन्ता, सीकर श्री खमेसरा, श्री मूलचंद देवड़ा एवं आमेटा ने पट्टाधारियों से करीब 2 करोड़ रूपये प्राप्त करके सही प्रकार से नपती नहीं की है। परिवादी ने अपनी शिकायत में यह माँग भी की है कि उक्त भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

इस परिवाद पर निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मँगवाई गई। जिसमें उन्होंने यह बताया कि खनि अभियन्ता, सीकर के क्षेत्राधिकार में मोड़ा पहाड़ (जिला झुन्झुनूं) में स्वीकृत 24 खनन-पट्टों में अवैध खनन की जाँच हेतु एक दल का गठन कर जाँच करने पर यह पाया गया कि 23.93 करोड़ रूपये का अवैध

खनन–पट्टाधारियों द्वारा किया गया है। इस राशि की वसूली के लिए समय पर प्रभावी प्रयास नहीं करने के कारण खनि अभियन्ता, सीकर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए निर्देश दिये गये हैं।

परिवादी द्वारा लगाये गये गम्भीर आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए इस सचिवालय द्वारा दिनांक 17.11.2011 को प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग को यह निर्देश दिये गये कि वे अपने स्तर पर सचिवालय व निदेशालय, खान विभाग के सतर्कता शाखा या असंदिग्ध अभियन्ताओं की टीम बनाकर पूर्व में गठित जाँच टीम के कार्यकलापों, रिपोर्ट व शिकायत की सम्पूर्ण जाँच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस कमेटी द्वारा दिनांक 18.02.2011 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया गया कि मोड़ा पहाड़ स्थित खनन पट्टाधारियों ने करीब 109 करोड़ रूपये का अवैध खनन किया है। अवैध खननकर्ताओं में कुछ पट्टाधारियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट पिटिशन सँख्या 6028/12 एवं अन्य याचिकाएँ प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय ने दिनांक 24.04.2014 को अवैध खनन के सर्वे हेतु एक कमेटी का गठन करने के आदेश दिये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से गठित कमेटी द्वारा अवैध खनन की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर यह बताया है कि 21 पट्टाधारियों द्वारा करीब 42.6 लाख टन खनिज का अवैध खनन किया गया है।

इस सचिवालय द्वारा निरन्तर मॉनिटरिंग के प्रभाव स्वरूप 7 खनन–पट्टों में किये गये अवैध खनन की 3.60 करोड़ रूपये की राशि की वसूली राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है एवं 10 प्रकरणों में भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही खान विभाग द्वारा की जा रही है और 4 खनन पट्टाधारियों ने वसूली के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। लोक सेवक श्री मनोज शर्मा, सहायक खनि अभियन्ता एवं राजेन्द्र सिंह चौधरी, सहायक खनि अभियन्ता के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप–पत्र जारी कर दिये गये हैं एवं अन्य 2 लोक सेवक श्री वाई. एस. सहवाल,

खनि अभियन्ता एवं श्री जे. पी. जाखड़, खनि अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् 3.60 करोड़ रूपये की राशि की वसूली की गई एवं अवैध खनन होने देने के लिए उत्तरदायी लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई। फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 04.08.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.45(17)लोआस/2013

परिवादी डॉ अशोक कुमार वैश्य, उदयपुर ने दिनांक 01.06.2013 को परिवाद प्रेषित कर यह शिकायत की है कि श्री एन. आर. एम. पीतलिया तत्कालीन अधीक्षण भूवैज्ञानिक एवं श्री मुंशीराम राम बैरवा, वरिष्ठ रसायनज्ञ के विरूद्ध पुलिस थाना, भूपालपुरा, उदयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 152/09 रोल क्रेशर मशीनों की फर्जी खरीद दर्शाकर 2,89,500/- रूपये के गबन करने के सम्बन्ध में दर्ज की गई थी। अनुसन्धान करने के उपरान्त अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2, शहर दक्षिण, उदयपुर में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.03.2011 से पुलिस थाना, भूपालपुरा द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन को निरस्त करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया। अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय दिनांक 01.03.2011 के विरूद्ध सेशन न्यायालय, उदयपुर मे रिवीजन-पिटीशन प्रस्तुत की गई। सेशन न्यायालय, उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 22.09.2011 द्वारा अभियुक्तगण द्वारा की गई निरीक्षण-याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2011 को निरस्त कर दिया। लोक अभियोजक, उदयपुर ने सेशन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2011 के विरूद्ध अपील करने हेतु अपनी राय दिनांक 25.11.2011 को निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित

की परन्तु तत्कालीन निदेशक ने अभियुक्तगण को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सेशन न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की। परिवादी ने तत्कालीन निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस परिवाद पर प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मँगवाई गई। प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 17.11.2014 के अनुसार खान विभाग द्वारा आवंटित बजट से रोल क्रेशर 3 एचपी मोटर वाला क्रय किया गया। इस उपकरण के क्रय करने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने एक कमेटी गठित कर जाँच करवाई गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.05.2009 में उपकरण की खरीद में अनियमितता पाई। परिवादी श्री अशोक कुमार वैश्य ने थाना भूपालपुरा, उदयपुर में उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में अनियमितता बरते जाने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 152/09 दर्ज करवाई। थानाधिकारी द्वारा अनुसन्धान के उपरान्त अंतिम प्रतिवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 01.03.2011 को अंतिम प्रतिवेदन को अस्वीकार करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया। इस आदेश के विरूद्ध अभियुक्तगण द्वारा निगरानी-याचिका सेशन न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर सेशन न्यायालय, उदयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.09.2011 से न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया।

प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर द्वारा श्री नवरत्न पीतलिया एवं अन्य के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सँख्या 272/09 दर्ज की गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अनुसन्धान का अंतिम प्रतिवेदन विशेष न्यायाधीश सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में दिनांक 01.11.2011 को प्रस्तुत किया। श्री अशोक कुमार वैश्य ने उक्त न्यायालय में प्रोटेस्ट-पिटीशन अपने स्तर पर बिना विभाग से स्वीकृति लिए हुए प्रस्तुत

कर रखी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपने अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 01.11.2011 में श्री राकेश हिरात, श्री शंकरलाल चौधरी, श्री प्रकाशचंद छीपा एवं श्री मुंशीराम बैरवा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अनुशंसा की। श्री अशोक कुमार वैश्य ने अपने स्तर पर विशेष न्यायाधीश सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में प्रोटेस्ट-पिटीशन प्रस्तुत कर रखी है इसलिए शासन द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.02.2011 में अंतिम कार्यवाही नहीं करने का निर्णय नहीं लिया।

श्री मुंशीराम बैरवा, वरिष्ठ रसायनज्ञ, श्री राकेश हिरात, अतिरिक्त निदेशक, खान, श्री शंकरलाल चौधरी एवं श्री प्रकाशचंद छीपा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जाने के लिए आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में की गई कार्यवाही के परिणाम स्वरूप दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। परिवादी को दिनांक 30.10.2017 को सूचित किया जाकर परिवाद नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.45(28)लोआस/2014

परिवादी श्री पन्नालाल पटेल निवासी फुटाला तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर ने दिनांक 15.10.2014 को परिवाद प्रेषित कर यह शिकायत की है कि डूंगरपुर जिले के ग्राम रोहनबाड़ा में श्री श्रीचंद जैन को एम. एल. सँख्या 363/90 स्वीकृत की हुई है। पट्टाधारी ने स्वीकृत खनन-पट्टा क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन किया है। सहायक खनि अभियन्ता, डूंगरपुर ने अपने पत्रांक 1197 दिनांक 28.05.2009 से अवैध खनन की राशि 3,57,21,000/-रूपये निर्धारित की जाकर माँग कायम

किये जाने हेतु प्रस्ताव अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर जोन, उदयपुर को प्रेषित किया। पट्टाधारी द्वारा इसी अवधि में खनन-पट्टे का नवीनीकरण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पट्टाधारी के विरूद्ध अवैध खनन की राशि बकाया होते हुए भी बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र सहायक खनि अभियन्ता, डूंगरपुर द्वारा दिनांक 25.02.2010 को जारी किया गया। नियमों के बाहर जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा पट्टाधारी के पट्टे में समयावधि बढ़ा दी गई। खनन-पट्टा क्षेत्र में अवैध खनन के क्षेत्र को स्ट्रिप लेण्ड के अन्तर्गत जोड़े जाने हेतु पट्टाधारी ने दिनांक 04.02.2014 को खनि अभियन्ता कार्यालय, डूंगरपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। अतः परिवादी ने अवैध खनन की राशि पट्टाधारी से वसूल किये जाने एवं सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाने की प्रार्थना की।

इस परिवाद पर निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मँगवाई गई। पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टे का द्वितीय नवीनीकरण का आवेदन-पत्र दिनांक 15.02.2010 को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पट्टाधारी ने नवीनीकरण नहीं करवाकर खनिज नीति, 2011 के अनुसार खनन-पट्टे की अवधि 20 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष करवाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर खनन-पट्टे की अवधि दिनांक 06.02.1991 से 05.02.2021 तक के लिए संशोधित की गई। पट्टाधारी के विरूद्ध अवैध खनन का प्रकरण बनाये जाने के कारण पट्टाधारी ने अवैध खनन प्रकरण के विरूद्ध न्यायालय उप शासन सचिव, खान विभाग, जयपुर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट-याचिका प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया। पट्टाधारी द्वारा यह अन्डरटेकिंग प्रस्तुत किये जाने पर कि उसे माननीय न्यायालय का निर्णय मान्य होगा, खनन पट्टे में नियमानुसार अवधि वृद्धि की कार्यवाही की गई।

तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह तथ्य भी सामने आया कि पट्टाधारी श्री श्रीचंद जैन की एम. एल. संख्या 363/90 के स्थाई बिन्दु को लेकर विवाद था। अतः निदेशालय, खान विभाग द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। निदेशालय द्वारा गठित कमेटी ने क्षेत्र का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.12.2016 को प्रस्तुत की जिसके आधार पर निदेशालय ने पट्टाधारी के विरूद्ध दिनांक 12.07.2017 को 45,02,400/- रूपये की राशि अवैध खनन के सम्बन्ध में कायम की। इसकी वसूली हेतु चेतना-पत्र जारी करने पर पट्टाधारी ने संयुक्त शासन सचिव के समक्ष रिविजन प्रस्तुत कर स्थगन आदेश दिनांक 23.08.2017 को प्राप्त कर लिया एवं स्थगन आदेश की पालना में 50 प्रतिशत राशि 22,51,200/- रूपये जमा करवा दी है। दोषी लोकसेवक श्री जिनेश हुमड़ एवं श्री महिपाल जैन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाने के लिए आरोप-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में की गई कार्यवाही के परिणाम स्वरूप अवैध खननकर्ता से 22,51,200/- रूपये की राशि वसूल हो चुकी है एवं दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आरोप-पत्र दिये जा चुके हैं। परिवादी को दिनांक 08.02.2018 को सूचित किया जाकर परिवाद नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.45(26)लोआस/2015

परिवादी श्री दाऊराम सोलंकी निवासी सोलंकिया तला तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर ने दिनांक 09.09.2015 को परिवाद प्रेषित कर यह शिकायत की है कि श्री बाबूसिंह राठौड़ द्वारा विधायक पद का दुरूपयोग करते हुए दबाव बनाकर सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर जिला जोधपुर से अपने रिश्तेदारों के नाम एम. एल. सँख्या 1805, 1870, 1687, 1764, 1765, 2084 एवं 1766 तहसील बालेसर में स्वीकृत करवा ली हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़, विधायक ने कार्यालय खनि अभियन्ता, जोधपुर में दिनांक 27.03.2015 को सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बिना निर्धारित फीस 3600/- रूपये जमा करवाये सूचनाएँ प्राप्त की हैं। अतः परिवादी ने सम्बन्धित खनि अभियन्तागण के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की।

इस परिवाद पर निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मँगवाई गई जिनके निर्देश पर अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर जोन, जोधपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा परिवाद में जिन सात खनन-पट्टों को अनियमित रूप से स्वीकृत करना बताया गया है, उनमें से खनन-पट्टा सँख्या 1805, 1870 एवं 2084 के आवंटन के दौरान तत्समय प्रचलित नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना नहीं करना पाया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार श्री बाबूलाल राठौड़ को सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शुल्क जमा किये बिना ही दिनांक 01.04.2015 को सूचना उपलब्ध करवाई गई परन्तु श्री राठौड़ ने दिनांक 31.10.2015 को सूचना प्राप्त करने का निर्धारित शुल्क के 3706/- रूपये जमा करवा दिये। निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर ने खान स्वीकृत करने में अनियमिता बरतने वाले एवं बिना शुल्क जमा करवाए सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने वाले दोषी लोकसेवक श्री जे. के. गुरूबक्क्षाणी, श्री रविन्द्र सिंह सिंघवी एवं श्री औंकर सिंह के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आरोप-पत्र जारी कर दिये हैं।

इस प्रकार इस सचिवालय के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में की गई कार्यवाही के परिणाम स्वरूप दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आरोप-पत्र दिये जा चुके हैं एवं सूचना के अधिकार के तहत प्रदान की गई सूचना का बकाया शुल्क के 3,706/- रूपये की वसूली की जा चुकी है। परिवादी को दिनांक 19.02.2018 को सूचित किया जाकर परिवाद नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(13)लोआस/2013

परिवादी डॉ. एस.के. चतुर द्वारा बधिर बाल कल्याण विकास समिति, भीलवाड़ा के कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से भविष्य निधि संगठन भुवाना, उदयपुर के अलावा कोषाधिकारी, भीलवाड़ा की कार्यप्रणाली के कारण पी.एफ. की जमा राशि के सन्दर्भ में यथासमय चैकों पर कार्यवाही नहीं होने के कारण संस्था के कार्मिकों को हुए ब्याज के नुकसान की विषयवस्तु को लेकर दिनांक 07.03.2014 शिकायत की गई।

इस सन्दर्भ में लम्बी समयावधि तक विस्तृत कार्यवाही/पत्राचार किए जाने के उपरान्त अन्ततः जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 29.08.2017 से अवगत करवाया है कि कार्मिकों की लापरवाही के कारण उक्त प्रश्नगत संस्था कार्मिकों को हुए नुकसान के भुगतान के सम्बन्ध में कोष कार्यालय के कार्मिक श्री त्रिलोक व्यास, लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं श्री जगदीश चन्द्र लढ्ढ़ा, लिपिक ग्रेड प्रथम के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। अनुशासनात्मक कार्यवाही में उक्त कार्मिक श्री त्रिलोक व्यास, लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं श्री जगदीश चन्द्र लढ्ढ़ा, लिपिक ग्रेड प्रथम के विरूद्ध दोष सिद्ध होने से आदेश दिनांक 03.08.2017 के तहत उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न होने तथा परिवादी को समुचित अनुतोष प्रदान किया गया मानते हुए इस प्रकरण को दिनांक 03.10.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.22(1538)/लोआस/2011

उपर्युक्त प्रकरण का विवरण ''माननीय राज्यपाल द्वारा समनुदेशित जाँच कार्य - जस्टिस माथुर जांच आयोग से प्राप्त प्रकरणों का विवरण'' अध्याय-3 में दिया गया है।